(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 आठवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का दसवां दिवस संख्या-8

1] [2

गुरुवार,
दिनांक 11.7.1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन,

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

नाम तो पुकारने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : बड़ी जल्दी हो रही है।

निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए अधिनियम

210. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद),

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार सभी मान्यता एवम् अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सरकारी संस्थाएं व सरकारी स्कूल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

(2) क्या राज्य सरकार के पास इन निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को वेतन समय पर न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन शिकायतों की जांच करवाई है? जांच के क्या परिणाम रहे व उन पर क्या कार्यवाही की गई।

(3) इन संस्थाओं के अध्यापकों को वेतन समय पर मिलें इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

(4) निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवम् अन्य कर्मचारियों के हित में क्या राज्य सरकार कोई अधिनियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या उक्त शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि मण्डल को तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने दिनांक 24, 25 फरवरी, 1985 को मुख्य सचिव एवम् शिक्षा सचिव की मौजूदगी में यह आश्वासन हड़ताल तोड़ने से पूर्व दिया था कि जब तक उपरोक्त अधिनियम पारित नहीं हो जाता है, तब तक निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त संस्थाओं के मालिक कोई भी अहितकर कार्यवाही नहीं करेंगे?

(6) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का निदेश जारी कर दिया गया है?

(7) यदि नहीं, तो क्यों व कब तक राज्य सरकार इस आश्वासन की पालना

Page No 2

(2)

(श्री बिरदमल सिंघवी)

कर उचित निदेश जारी करने की मंशा रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) (1) जी नहीं। नीतिगत कारणों के परिप्रेक्ष्य में सभी मान्यता एवम् अनुदान प्राप्त संस्थाओं का सरकारीकरण सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान अनुदान नियम 1963 के नियम 4 (घ) के अन्तर्गत पूर्व में ही प्रावधान है कि सभी अध्यापकों को चैक द्वारा समय पर वेतन दिया जाये।

(4) शिक्षा विधेयक बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया ही नहीं गया इसलिए उसकी पालना का कोई प्रश्न नही हीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब 162 हायर सैकण्डरी स्कूल, 500 सैकण्डरी स्कूल, एक हजार मिडिल और करीब दो हजार प्राइमरी स्कूल्स निजी शिक्षण संस्थान चलाती हैं और उसमें करीब चालीस हजार अध्यापक और कर्मचारी काम करते हैं। इन सबकी सेवाओं और शिक्षा के लिए आपके समय में शिक्षकों की हड़ताल हुई थी और आपके यहां वार्ता हुई थी और उसमें तय हुआ था कि इस प्रकार का विधेयक जो इन अध्यापकों और कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान करे, सदन में प्रस्तुत किया जायेगा और तब तक वह विधेयक पारित नहीं हो जाता, लागू नहीं हो जाता, तब तक इन अध्यापकों और कर्मचारियों के हितों के विपरीत कोई मैनेजमेंट काम करता है, वह ऐसा नहीं कर सकेगा। क्या मंत्री महोदय, उनके पास जो सूचना है, मैंने भी सूचना दी है उस पर विचार कर उत्तर देने की कृपा करेंगी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा विचार किया जायेगा वह तो ठीक है, लेकिन उसमें जो निर्णय किया उसमें आंशिक तौर पर कुछ फर्क है। आश्वासन यह दिया गया था कि शिक्षण संस्थायें जो निजी रूप से या अनुदान प्राप्त करके चलाई जा रही हैं उनकी सेवाओं, शर्तों और उनके कार्यकलापों में बहुत सारी अनियमिततायें शिक्षण संस्थाओं के संचालन में हैं। इसलिये उनको नियमित करने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक शिक्षा विधेयक जिसमें किस प्रकार का अध्ययन कराया जाये, किस प्रकार की फीस ली जाये इन सब बातों का निर्धारण करने के लिए विधेयक तैयार किया जा रहा है और वह कर भी दिया था। वह मन्त्री मण्डल के विचाराधीन है, जैसा भाग पांच के अन्दर उल्लेख है। जहां तक मौजूदा प्रश्नों का सवाल है जब तक वह विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक संस्थायें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करें जिससे किसी शिक्षक को आपत्ति हो, यह कार्यवाही संचालक करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रावधान है। अगर कोई संस्था इस प्रकार की कोशिश करती है जो कि मौजूदा नियमों के विपरित है तो राज्य सरकार को इस प्रकार

(श्रीमती कमला)

के अधिकार हैं कि उसके नियमित रूप से वेतन नहीं देती, उसकी शिकायतें आती हैं, सरकार संतुष्ट हो कि उनको मिलना चाहिए, अगर संस्था ने ऐसा नहीं किया है तो उसके लिए प्रावधान है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐड में से पैसा काटकर उनको पेमेंट कर सकती है। इसलिए पूर्व में अगर कोई विपरीत कार्यवाही की गई है तो सरकार एक्शन लेकर दुबारा कार्यवाही कर सकती है। मौजूदा नियमों में कुछ कमियां हैं इसीलिए सरकार यह विधेयक लाई है और यह मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : इसमें एक बात यह कही गई है कि सरकारीकरण करना सम्भव नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी अनुदान के रूप में सरकार कितनी राशि दे रही है और इसको अपने हाथ में लेने के पश्चात् कितनी और मिलेगी। दूसरा, इसमें कितने अध्यापक और कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। तीसरा, सरकार ने कहा है कि शिक्षा विधेयक विचाराधीन है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कब से विचाराधीन है और कब तक इस पर विचार प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है और उस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा। इस विषय पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि कोई इस प्रकार की शिकायत दाखिल नहीं हुई है और यह भी तथ्य दिया गया है कि इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो हम ग्रांट एड बन्द कर देते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितनी स्कूलों की एड बन्द हुई है और सरकार को कितनी जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुझे ध्यान है जोधपुर में 90 दिन तक हायर सेकण्डरी स्कूलों के अध्यापकों की हड़ताल इस प्रश्न को लेकर चली कि वेतन समय पर नहीं दिया जाता, उसकी व्यवस्था कराई जाय। मैनेजमेंट में गड़बड़ी के कारण 90 दिन की हड़ताल चलने के बाद आप शिकायतें आई मानती हैं या नहीं। लोगों ने विभिन्न शिकायतें भेजी हैं। आपने कहा कि बैंक द्वारा भुगतान नहीं करने की शिकायत नहीं आई, क्या आपने किसी को बैंक से भुगतान किया है? यह जो विधि अपनाई है, कौन-कौन इसको अपना रही हैं और कितने स्कूल अपना रहे हैं। जो नहीं अपना रहे उनके लिए क्या कर रहे हैं.......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन-चार सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह कि अगर सरकार इनको टेक ओवर करती है तो कितनी लायबिलिटी आयेगी, मैंने जवाब में कहा है कि सरकार इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं कर रही है कि इन संस्थाओं का सरकारीकरण किया जाय.......

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा हुआ है जवाब में वित्तीय कारण, आपने तो नीतिगत कहा है।

श्रीमती कमला : मैंने जो पढ़ा है वह अन्तिम समझें। जो लिखा हुआ है उसको नहीं समझें, उसमें वित्तीय साधनों की कमी

(श्रीमती कमला)

से उसको न लें, वस्तुस्थिति यह है कि हम इस नीति के विरुद्ध हैं कि तमाम स्कूलों का, निजी स्कूलों का, सरकारीकरण किया जाय। हम यह मानते हैं कि निजी क्षेत्र में कई ऐसी संस्थायें हैं जिन्होने मौलिक रूप में श्रेष्ठ काम किये हैं और उनको यह अधिकार होना चाहिए कि वह सरकारी बन्धन के बाहर भी कुछ अच्छी पद्धतियां विकसित करें, उनको सरकार मदद देकर और अच्छी बनाये। उनके अन्दर जो कमियां हैं उनको नियन्त्रित करने के लिए सरकार समय-समय पर कार्यवाही करे, इसकी जरूरत हम महसूस करते हैं। दूसरा, मैंने "जी नहीं" कहा है। इसको आप यह मानें कि शिकायतें आती रहती हैं उनका निराकरण किया जाता है, ऐसा नहीं किया जा सकता कि शिकायतें आती हैं·······

(व्यवधान)

आप सुनिये।

मैंने आज जो हाउस में पढ़ा है उसको अन्तिम उत्तर समझें, इतना ही निवेदन है और ना या हां कहा है उसको मेहरबानी करके लिखित उत्तर में से निकाल करके करेक्शन कर लें। तीसरा आपने प्रश्न पूछा....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या है? लिखित उत्तर में करेक्शन कर लें यह क्या है?

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहती हूं........

(व्यवधान)

सुनिये पहले मेरी बात सुनिये।

I am in possession of the floor of the House.

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कुछ भी हो लेकिन आप मुझे बैठने के लिए नहीं कह सकतीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : मैं जवाब दे रही हूं तो आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सवाल को देखते समय ऐसी बात निगाह में आ जाती है कि जिसको पूर्व में लिखित जवाब दिया है उसमें परिवर्तन करना पड़ जाता है और इसलिए यह नहीं है कि मैंने किसी और का जवाब दिया है। हमें अपने सवालों के अन्दर भी ऐसा करना पड़ जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको हाउस में कहना चाहिए....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह रामपाल जी उपाध्याय को जवाब देना था और आप दे रही हैं इसलिए उत्तर चेन्ज हो गया यह क्यों नहीं कहतीं।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार का उत्तर आता है माननीय मन्त्री महोदय जो सदन में उत्तर देते हैं वही उत्तर अथान्टिक है इसलिए जो उत्तर यहां पर दिया गया है उसी को हमने माना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ठीक है लेकिन उत्तर लिखित में भी आता है।

श्री अध्यक्ष : कान्ट्रे डिक्टरी नहीं हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल जो माननीय सदस्य ने पूछा, वह यह है कि अगर समय पर वेतन नहीं और चैक से नहीं दें तो क्या आप उनकी ग्रान्ट बन्द कर देते दें तो हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने है कि कहा अगर कोई संस्था इस तरह से अनियमिततायें करती है तो उसको जो ग्रान्ट सरकार से दी जाती है उसमें से टीचर का भुगतान सरकार अपने स्तर से करती है और उतनी ग्रान्ट संस्था को कम दी जाती है।

तीसरा सवाल यह किया गया कि शिक्षा विधेयक कब से विचाराधीन है तो जैसा मैंने कहा कि इसका प्रारूप मेरे समय में तैयार हुआ था और मैंने अपने कार्यकाल में ही इसको तैयार करके कैबिनेट में भेज दिया था। कैबिनेट में यह 14-3-85 को रखा गया और अगली दो तीन केबिनेट मीटिंग में विचार करके इसको स्वीकृत किया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितनी बार शिक्षा विधेयक का प्रारूप बना और किन स्थितियों में आकर जो प्रारूप बने उनको स्थगित कर दिया? फिर आपने अभी कहा कि आपके समय में यह विधेयक बना था तो इसका प्रारूप कितनी बार पहले बन चुका है और किन किन स्टेज पर किन किन कारणों से उसकी आगे की प्रगति को रोक दिया गया?

श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : आपके टाइम की तो आप बता दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों के अन्दर या दिल्ली में या अन्य स्थानों पर जो विधेयक हैं उनको देख करके इसमें क्या प्रावधान किये जा सकते हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि हम समान व्यवहार लागू करने की दृष्टि से अनियमितताओं को रोक नहीं सकें और जो राष्ट्रीय भावना है उसके मुताबिक आचरण नहीं करें। तो इस तरह के बहुत से मामले जो कि बहुत गम्भीरता सतर्कता से देखे जाने चाहिए, जरूरी थे। इसलिए समय समय पर उनको देखा गया और कुछ विलम्ब भी किया गया और सारा देखने के बाद इसका फाइनल प्रारूप तैयार करके केबिनेट में प्रस्तुत किया हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने सवाल किया....

श्रीमती कमला : आप अलग से पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से एक सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इसका फाइनल प्रारूप बनकर मंत्रीमण्डल में कई बार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जा चुका है तो वह कितनी बार गया इसकी जानकारी मैं चाहता हूं। पहला प्रारूप कब तैयार हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रारूप का मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता श्री गोविन्द सिंह।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया कि पेमेन्ट ग्राफ ग्रान्ट इन एड नियमों के अनुसार चैक के द्वारा किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविकता तो यह है कि जब चैक दिया जाता है तो उनसे पैसे ले लिये जाते हैं। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तरप्रदेश की भांति जो स्कूल का मैनेजमेंट है उससे जो टीचर्स का वेतन है वह डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन ग्राफिस में जमा करके जिस तरह से यू.पी. में शिक्षा विभाग वेतन का वितरण करता है उसी तरह से करने का विचार रखती है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जब ग्राप यह विधेयक बना रहे हैं तो अभी निजी शिक्षण संस्थाओं में जो चिकित्सा के बिल हैं उनके पुनर्भरण, मकान भत्ता और पदोन्नति का और जो हमारे ग्रार.पी.एस.सी. के एग्जामिनेशन्स होते हैं इनमें जो राजकीय कर्मचारियों को छूट है वह उनको छूट नहीं मिलती है, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि जो पैसा ले रहे हैं उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है और इसके लिए ग्राप प्रावधान करें उसमें।

तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि बहुत सारे स्कूलों में ग्राज एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर रखे हैं और मैनेजमेन्ट अपना हिस्सा उनको नहीं देता है। नतीजा यह है कि जो कुछ भी सरकार उनको देती है अपना अनुदान वह अनुदान प्रशासक उनको बांट देता है। स्कूल जहां प्रशासक नियुक्त हैं वहां शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाये यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से एक प्रश्न चाहता हूं कि इस शिक्षा विधेयक की कथा वार्ता तो बहुत पुरानी है और चैक से पेमेन्ट करने का प्रश्न है वह भी स्वर्गीय श्री रामानन्द जो अग्रवाल जब एक बिल लाये उस पर एश्योरेन्स देने के बाद यह पेमेन्ट का प्रोसीजर शुरू हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय श्री गोविन्द सिंह जी ने बताया, उस समय भी ग्राश्वासन दिया गया था कि एक तो पेमेन्ट चैक से हो, दूसरा उनकी सर्विसेस प्रोटेक्ट की जाये। यह सवाल उस समय भी विचाराधीन थे। यह 1972 से कथा वार्ता चल रही है। अब हम शिक्षा में सरकारीकरण करना चाहते हैं या नहीं यह भी प्रश्न गौण कर दिया गया है हालांकि किसी जमाने में सरकार खुद सोचती थी कि कम्पलीटली सरकारीकरण कर दिया जाये....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री मोहन छंगाणी : और, अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि जैसा इनका प्रशासन है एक प्रोफेसर या लेक्चरार जो भी था एल.बी.एस. कालेज में, उसको निकाल दिया गया। सरकार ने उसके लिए आर्डर किया और स्टे कर दिया फिर भी आज 15 साल से उसको नौकरी में नहीं लिया गया है। डी.ए.वी. कालेज में 90 दिन की हड़ताल चली, उसके लिए सरकार कहां थी कैसे थी और वैसे हड़ताल खतम होने के वक्त यह एश्योरेन्स सरकार ने दिया था और शिक्षा मंत्री जी ने खास तौर से कि हम विधेयक लायेंगे, आपकी पे प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सर्विसेज प्रोटेक्ट करेंगे और यहां तक भी एश्योरेन्स दिया गया था कि हम इसके लिए ट्रिब्युनल मुकर्रर कर देंगे कि कम से कम जो प्राइवेट संस्थाओं में नौकर हैं, प्रोफेसर या लेक्चरार हैं, उनके लिए जब भी मामला उठे तो वह इन्डीविजुअल उसको ले जा सकेंगे। कई दफा, अध्यक्ष, महोदय, क्या होता है कि हम अनुदान बन्द करते हैं तो उससे एक लेक्चरार इफेक्टेड नहीं होता है बल्कि सारी की सारी संस्था और सारे के सारे लेक्चरार इफेक्टेड होते हैं और लगातार 8 महीने तक एक दफा बन्द कर दी गई। इसलिए मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा विधेयक पर तत्काल विचार किया जाये और विधेयक नहीं लाना चाहते हैं तो कम से कम दो तीन प्रोवीजन निश्चित कर दें ताकि उनकी सर्विसेस प्रोटेक्ट हो जायें और उनकी पे प्रोटेक्ट हो जाये। इस तरह के प्रावधान को रखने के कोई न कोई कारगर कदम उठाये जायें।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाये जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार चल रही हैं और वह संस्थाये अपनी स्वेच्छा से अपनी संस्था का मैनेजमेंट सरकार को देना चाहती हैं तो उसके बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र या कोई प्रार्थना पत्र सरकार के पास विचाराधीन है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री डाणी।

श्री मानकचन्द डाणी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं मन्त्री महोदया से कि अजमेर जिले की मिशनरी संस्थाओं की सूची भी है क्या जिनके अन्दर गत 6 महीनों में भुगतान नहीं हुए हैं और इस बारे में आप क्या जानकारी रखती हैं ? क्या उनको भुगतान कराने का प्रबन्ध करायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : मेरा प्रश्न नीति सम्बन्धी है। क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगी कि जो शिक्षण संस्थायें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं या निजी शिक्षण संस्थायें हैं उनके परीक्षा परिणाम के अनुसार अनुदान की राशि राज्य सरकार बढ़ाना चाहती है? जिनके परीक्षा परिणाम अच्छे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान की राशि बढ़ायेंगे ?

Page No 8

(8)

श्री विजय सिंह (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के लिये तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो पी. टी. आई. के लड़के हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह संस्थाओं का सवाल है, अध्यापकों का जनरल सवाल नहीं है। आर्डर प्लीज। श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री विजय सिंह : तो उनके लिये क्या सोच रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदया ने कहा कि वर्तमान नियम अपर्याप्त हैं, निजी शिक्षण संस्थाओं को ठीक चलाया जावे। वह जो प्रश्न है यह आपके सामने तब से विचाराधीन था, उस समय 1980 में जब दुबारा आई तब से लेकर अब तक आया नहीं है। अभी भी जो सूची दी जिन अधिनियमों को कानून का देना चाहते हैं उसका विवरण नही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सत्र में भी नहीं आने वाला है। तो आप यह बतायें कि सन् 1980 से दुबारा बैठी हैं, पहले पांच साल में नहीं लाये, अभी भी नहीं लाये, इस सत्र में भी कोई विवरण नहीं है, कोई आर्डिनेंस लायेंगे, कैसे करेंगी या और लम्बा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसमें जरूरी नहीं है हर सदस्य पूछे। इसमें काफी सवाल आ चुके हैं सम्बन्धित प्रश्न पर जो आने चाहिये।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो बी. एड. और एस. टी. सी. शिक्षण संस्थायें हैं और इनमें प्रवेश के नियम हैं लेकिन व्यवस्थापकों का ज्यादा असर है क्या अपनी तरफ से अपना नियंत्रण रखने का सरकार इरादा रखती है।

दूसरा इन संस्थाओं में, बी. एड. और एस. टी. सी. में, खेलने का कोई मैदान नहीं होता, पुस्तकालय की कोई व्यवस्था नहीं होती। सरकार की तरफ से इनको अनुदान मिलता है। क्या उसको रोकने के लिये कोई बन्धन लगाने के लिये सरकार इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाओं को जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ हो, यदि शिक्षकों को उसका फायदा नहीं मिले या तनख्वाह समय पर नहीं मिले तो क्या उससे सरकार की तरफ से कोई कार्य-

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

वाही करने की व्यवस्था है? यदि है तो जोधपुर की उम्मेद स्कूल में 90 दिन की हड़ताल के लिये शिक्षकों को वेतन नहीं देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ परिहार।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में महिला साक्षारता का प्रतिशत राष्ट्र के मुकाबले बहुत कम हैं। आज भी 1981 की जनगणना के अनुसार महिला शिक्षा की साक्षरता.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दूसरी बात पर आ रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ परिहार : महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये....

श्री अध्यक्ष : सवाल आपने पढ़ा नहीं। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। आप प्रश्न पढ़िये फिर सवाल पूछिये। माननीय मन्त्री महोदया।

श्री रघुनाथ परिहार : प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहा हूं। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। महिला शिक्षा का नहीं है। कृपया बैठिये।

श्री रघुनाथ परिहार : प्राइवेट शिक्षण संस्थायें जो महिला शिक्षा के लिये हैं। पाली जिले में मरुधर बालिका विद्या पीठ हायर सैकण्डरी को 100 प्रतिशत अनुदान....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य विराजें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदया से यह जानकारी चाहता हूं, जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं इनमें चिकित्सा सुविधा, मकान सुविधा, तथा अन्य अवकाश सुविधा की क्या व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह सब पूछ लिया गया है।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष : सहयोग करें, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि शिक्षण संस्थाओं को जो अपना भाग देना पड़ता है वह यू. पी. की तरह डी. ई. ओ. के यहां पर या शिक्षा अधिकारी उच्च स्तर के हैं, उनके यहां जमा करायें इस प्रकार का प्रावधान रखा जाये, उस पर सरकार विचार करेगी? अगर उनको दी जाने ग्रान्ट-इन-एड नाकाफी है उसमें से निराकरण नहीं कर सकते तो मैं समझती हूं कि इस पर विचार किया जा सकता है। बाकी आमतौर पर यह प्रतिबन्ध लगाने से बहुत सी संस्थायें एक साथ ही इतनी धनराशि जुटाने में सक्षम नहीं जितनी हम ग्रान्ट-इन-एड देते हैं तमाम एक साथ

(श्रीमती कमला)

लाकर जमा कराने की स्थिति में हों। तो मैं समझती हूं कि ये संस्थाओं के साथ एक बहुत बड़ा कठोर प्रतिबन्ध हो जायेगा और उनको काम चालने में दिक्कत हो जायेगी फिर इसका केस एक्जीक्यूट करने की, स्थिति भी होती है इसको देखा जा सकता है।

दूसरा आपने सुझाव दिया, ' जिन संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, सचालक अब तक थे, अब उन संस्थाओं में कोई कन्ट्रीब्यूट कर नहीं रहे है इसलिये वहां पर वित्तीय सकट पैदा हो जाता है, इसके लिए शत प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड सरकार संस्थाओं को दे। यह नियमित रूप से नहीं कर सकते। किसी संस्था की क्या स्थिति है तत्काल पेमेंट के लिए कर सकते हैं, इन्डीविजुअल केसेज की मैरिट्स, डी-मैरिट्स के ऊपर ही कह सकते हैं।

तीसरा जो कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बिल आप जल्दी लायें। जैसा कि मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया आगामी एक दो केबिनेट की मीटिंगों के अन्दर इसकी चर्चा करके इसको स्वीकृत किया जायेगा और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि उनके अपने कोई इस संबंध में सुझाव हो तो वे हमको दें। वैसे हमने जितनी भी निजी शिक्षण संस्थायें थीं, बहुत सी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा की है, बहुत से शिक्षाविदों से चर्चा की है,हमारे बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन वालों से भी की है, और राज्यों के विधेयक भी मंगाकर देखें हैं। अपनी तरफ से हमने पूरा ध्यान देकर और सभी प्रकार से जानकारी करके इसको सम्पूर्ण बनाने की चेष्टा की है लेकिन आप महानुभाव जो भी सुझाव देंगे व बहुत आदर से आमन्त्रित हैं।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा. जो संस्थायें अच्छी तरह से चल रही हैं, गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो सरकार उनको लेगी क्या ? मैं समझती हूं कि सरकार को इनके लेने में कोई रुचि नहीं है और लेना भी नहीं चाहिये। जो संस्थायें अच्छी तरह चल रही है और जिनका अच्छा परिणाम है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो स्वय देना चाहें ?

श्रीमती कमला : आप बिराजें। आपकी संस्था लेकर लाइबिलिटी लेंगे ? इसकी बजाय दो संस्थायें और नई खोलेंगे तो काम ठीक होगा, इसलिए हम लेना नहीं चाहते।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि अजमेर के क्षेत्र में कई संस्थाओं में छः छः महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। माननीय सदस्य उनके पूरे पर्टीकूलर्स दें या मैं विभाग के माध्यम से उनकी चेष्टा करूंगी।

इसी प्रकार जोधपुर की हड़ताल के बारे में, शिक्षकों को वेतन न मिलने के बारे में कहा गया। तत्काल यहां पर जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं कि उसमें सरकार क्या करेगी। यदि अभी उसके मामले अनिर्णीत हैं तो उसको करने की कोशिश करेगी।

(श्रीमती कमला)

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि जिन शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड दी जाये उनके परिणाम देखकर ग्रान्ट-इन-एड दी जानी चाहिए। यह सुझाव अच्छा है हमने भी इसको लागू किया है, बच्चों की संख्या और परिणाम का प्रतिशत देखकर ग्रान्ट-इन-एड दी जानी चाहिये, लेकिन कुछ में वह चला कुछ में नहीं चला और जो एड-हाक ग्रान्ट की व्यवस्था है वह सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिये हम कितना प्रतिबन्ध कर सकते हैं कितना करना चाहिये, यह देखने की बात है लेकिन उसूलन सुझाव बहुत अच्छा है। इसको किस प्रकार लागू करें, इस पर विचार किया जायेगा। निजी शिक्षण संस्थायें जब भर्ती करती हैं तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं के जो परिणाम हैं उससे भर्ती किये जाते हैं लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं में ऐसा हो हो जाता है। इस पर प्रतिबन्ध के लिए आपने कहा है, यह अच्छा सुझाव है। लेकिन बहुत सी शिक्षण संस्थायें नहीं मानती हैं लेकिन इसको लागू करने की कोशिश की जायेगी।

इसके अलावा जो महिला शिक्षण संस्थायें हैं उसमें अधिक अनुदान दिया जाय। यह बस की बात नहीं है। मैं भी मानती हूं जो महिला शिक्षण संस्थायें अच्छी चलती हैं तो इससे बच्चियों और महिलाओं को पढ़ाने में उत्साह होगा और ये संस्थायें और अच्छा काम कर पायेंगी, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब मैं एक प्रश्न की भी इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : ....पहले भण्डारी कमेटी बिठाई गई थी और डीकैटेगराइजेशन के लिए कहा था तो यह कब तक कर देंगे। उनको....

(व्यवधान)

परिवर्तन कब तक देंगे।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, भण्डारी कमेटी की जो सिफारिशें थीं उन पर तमाम शिक्षण संस्थाओं के जो संघ बने हुए हैं, उनसे चर्चा की थी और चर्चा के बाद यह आया था कि कौन कौन से आइटम हैं जो लिये जाने चाहिये और उनको ले करके अकाउंन्ट फार करके गवर्नमेंट को दे दिये गवर्नमेंट ने मान लिये हैं लेकिन कुछ मुद्दे और जिनको अभी माना नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट। श्री बाबूलाल।

कठूमर क्षेत्र में हरिजनों को भू-आवंटन

211. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में अभियान में हरिजनों को आवासीय भूमि किन किन गांवों में अलाट की गई है। कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(2) किन किन ग्राम वालों को कब्जा मिला है तथा किन्हें नहीं मिला।

(3) यदि कब्जा नहीं मिला है तो क्या सरकार उन्हें काबिज करने का इरादा रखती है ?

मंत्री, पंचायती राज श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : (1) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर जिला अलवर के 53 ग्रामों के 2404 हरिजनों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची में अंकित सभी ग्राम वालों को कब्जा दिया जा चुका है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री बाबूलाल बैरवा : पहले तो, अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री जी को जवाब देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : आवासीय भूमि का ममाला है।

श्री बाबूलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, सूचना यह दी गई कि सभी भूमि पर कब्जा दे दिया गया है। करीब 250-300 परिवारों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : उनको अलाट किया है क्या ?

श्री बाबूलाल बैरवा : 1975 में अलाटमेंट दे दिया गया था लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अलाटमेंट और कब्जा सबको दिला दिया। सिर्फ एक गांव है महुसाना जिसमें पता लगा कि वह जमीन फारेस्ट में आती है फारेस्ट वालों ने आब्जेक्शन उठाया। वह अभी विचाराधीन है, कलक्टर को भी सूचना भेज दी है कि उनकी एवज में और जमीन दे दें।

श्री बाबूलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, 1975 में ऐसा प्रावधान था कि कोई भी जमीन हो, उनको कब्जा दिला दिया जायगा तो फिर अब तक कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया।

श्री भंवराराम (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर उल्लेख किया गया है राजस्व अभियान 1983 में 20 सूत्री कार्यक्रम में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था पिछड़ों को पहले और उनको अलाट किया जायेगा........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री भंवराराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

Page No 13

(13)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

इसमें केवल दो पंचायत समितियों का पूछा है । जनरल नहीं है ।

श्री भंवरराम : बहुत ही जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : जरूरी तो है लेकिन पूछा ही नहीं गया है ।

(व्यवधान)

अलग से पूछ लें । कृपया बैठें, आर्डर प्लीज ।

श्री भंवरराम : कितनी भूमि किसानों की है....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर नहीं आयेगा ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : जब आप अलाटमेंट करते हैं तो क्या उसके पहले यह नहीं देखते हैं कि जमीन का मालिक कौन है और जमीन खाली भी है या नहीं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): यह गलत फारेस्ट की जमीन समझकर जिसने अलाट कर दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सन् 75 में जब अभियान चला था, यह जमीन तहसीलदार जी ने 10 बीघा 10 बिस्वा अलाट की उस समय यह फारेस्ट के नाम नहीं थी । बाद में जब उसको कब्जा मिल गया और मकान बनाने लगे 1984 में तब उस समय तक यह फारेस्ट में इन्क्लूड हो गई थी ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : इससे पहले कब्जा क्यों दे दिया गया । 1975 में जब अलाट हो गई तो 1976 में कब्जा क्यों नहीं दे दिया गया ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कब्जा दे दिया गया था, मकान नहीं बनाया गया । अध्यक्ष महोदय, जमीन अलाट कर दी तहसीलदार जी ने और कब्जा भी उन्होंने दे दिया बिना फारेस्ट वालों से पूछें । यह तहसीलदार की गलती हुई है लेकिन जब एक्चुअली मकान बनाने लगे तब पता चला फोरेस्ट वालों की जमीन है और फोरेस्ट वालों ने एतराज किया ।

श्री शोपत सिंह : आबादी की जमीन फारेस्ट ले जाय तो क्या आप फारेस्ट वालों से यह अबादी की जमीन वापिस नहीं ले सकते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आबादी की जमीन नहीं थी, गोचर थी ।

श्री शोपत सिंह : गोचर थी तो क्या आसमान गिर रहा था, क्यों नहीं उनसे वापिस लेते हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने 6 गांवों के लिये कहा है कि हरिजनों को जो

(श्री मैरूंलाल भारद्वाज)

जमीन 1975 में दी गई, उसका कब्जा अभी तक नहीं तक नहीं मिला। माननीय मन्त्री महोदय ने केवल महसाना गांव की बात बताई कि केवल वहां कब्जा नहीं दिया गया है और सब जगह कब्जा दे दिया गया है। असल में होता यह है कि हरिजनों को यह कह दिया जाता है कि यह जमीन अलाट की है सम्भाल लो और जब हरिजन कब्जा लेने जाता है तो उसको कब्जा नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि कब्जा बाकायदा जारी करें और उसे मौके पर ही सम्भलायें। शेष पांच गांवों के विधायकों ने भी यह बताया कि यह × × × जवाब आया है। केवल कागजी कब्जा है। तो मेरा निवेदन यह है कि क्या आप उनको एक्चुअल कब्जा दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर इनमें से कोई भी असत्य निकले तो मैं कार्यवाही करूंगा....

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक 6 गांवों की।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : स्पेसिफिक इन 6 गांवों की, लेकिन ये जो गांव हैं इनकी इन्फार्मेशन यही है। It is correct.

श्री शोपत सिंह : It is wrong. I challenge it. 6 गांवों के लिये पहले तो यह जवाब आया कि 10 बीघा जमीन है वह एक जगह नहीं है। फारेस्ट 6 गांवों को कवर किये हुए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन गांवों में जमीन नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : 6 गांव अलग थे।

श्री शोपत सिंह : यही तो मैं कह रहा हूं 6 गांव अलग अलग थे। सारे के सारे गांव अलग अलग हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री देवीसिंह भाटी : (कोलायत) : मैं एक सप्लीमेंट्री करना चाहता हूं। विभाग की जानकारी में आ गया कि फोरेस्ट की जमीन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह समझता हूं कि जब इनकी जानकारी में आ गया कि फोरेस्ट की जमीन दे दी है तो नियमों में यह प्रावधान है कि अगर एक विभाग जमीन अलाट करता है और वह उसकी जमीन नहीं है तो दूसरा विभाग उसको अवाप्त करता है।

श्री अध्यक्ष : जमीन रेवेन्यू की समझ कर अलाट कर दी थी....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रकाशित किया गया।

श्री भंवरराम : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक सवाल है....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया है, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। श्री हरिशंकर भाभड़ा।

मोमासर-रतनगढ़ व रतनगढ़-सालासर सड़कों का निर्माण

212. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या मोमासर से रतनगढ़ व रतनगढ़ से सालासर सड़क बनाने की कोई योजना बनी थी? यदि हां, तो कब बनी तथा उसमें अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : मोमासर से रतनगढ़ सीधी सड़क की कोई योजना नहीं बनी। रतनगढ़ से सालासर सड़क का कार्य कुछ टुकड़ों में एम. एन. पी. व अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कार्य विगत वर्षों में कराया गया है एवं करीब 12 किलोमीटर डामर तीन किलोमीटर डब्ल्यू बी. एम. तथा 6 किलोमीटर घाघंला की सड़क बन चुकी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि यह योजना रतनगढ़ से सालासर सड़क की कब बनी? कौन से साल में बनी और उसकी कुल लम्बाई कितने किलोमीटर है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपके दो सवाल इसमें शामिल हैं। एक तो मोमासर से रतनगढ़, उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि इसकी कोई योजना नहीं बनी। दूसरा रतनगढ़ से सालासर के बारे में पूछा था उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि इसका एम. एन. पी. व अकाल राहत योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में काम कराया गया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसकी योजना कब बनी?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1973 में इस पर कार्य शुरू हुआ और 84 तक जो प्रगति हुई वह मैंने आपको बता दी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने टोटल किलोमीटर पूछा है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी लम्बाई 45 किलोमीटर है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष महोदय, यह बात साफ है कि आज इसको 11 साल हो गए बनते....

श्री अध्यक्ष : यह योजना के अन्तर्गत सड़क नहीं थी। इसका काम एम. एन. पी. और अकाल राहत के तहत करवाया गया है। रेगुलर योजना बना कर काम नहीं हुआ था। इसकी प्लान की योजना नहीं बनी थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप कह रहे हैं कि 1973 में योजना बनी....

श्री अध्यक्ष : 73 में कार्य शुरू किया गया, योजना नहीं बनी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 11 साल में सड़क नहीं बन सकी। कुल 45 किलोमीटर है। अब इस 45 किलोमीटर को आप कब तक पूरा करवा देंगे। क्योंकि ग्राम जनता को कठिनाई यह है कि जगह जगह पर गांवों में रोड़ी डाल दी गई है, रोड़ी बिछा दी है, बड़े बड़े पत्थर डाल दिये हैं जिससे न छखड़ा चल सकता है, पैदल आदमी चले तो उसके पांव छिल जाते हैं। जूता पहन कर आदमी चले तो दस दिन में जूता फट जाएगा। गांव वालों का कहना है कि अगर सड़क पूरी नहीं कर सकते तो बन्द कर दीजिए हमारी रेत अच्छी जिसमें छखड़ा तो ले जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कब तक पूरी कर देंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने निवेदन किया कि यह सड़क विभिन्न योजनाओं के तहत, कभी अकाल राहत कार्यों के तहत बनी तो कभी एम. एन. पी. के तहत बनी है। अब तक जो इसकी प्रगति हुई है वह मैंने आपको बता दी। गत वर्ष इस सड़क को सालासर से छः किलोमीटर तक बनाया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरा कब तक कर देंगे साहब, यह बता दीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब धन की उपलब्धि हो जावेगी।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इनका यह जवाब कि धन की उपलब्धि होगी। तब करवा देंगे, क्या आप इससे सतुंष्ट हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार धन की व्यवस्था करती है, सरकार के कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाती है तो यह दूसरी बात है। यह उत्तर देना कि जब धन की उपलब्धि होगी तब करेंगे, तो धन नहीं हैं तो इसको बन्द कर दीजिए। हमें नहीं बनानी है। यह सरकार गरीब है, भूखी है, 45 किलोमीटर की सड़क नहीं बना सकती तो आपने पत्थर रोड़ी डाल कर लोगों की जान पर आफत खड़ी क्यों कर दी ? आपके पास धन नहीं है 45 किलोमीटर सड़क के लिए तो यह पत्थर रोड़ी क्यो डाल दी है ? लोग चल नहीं सकते, उनके छखड़े नहीं चल सकते, बड़ी मुश्किल हो रही है। यह क्या मजाक हो रहा है ? आपके पास धन नहीं है और आप घोषणायें कर रहे हैं। आप बन्द कर दीजिए काम वहां पर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमने जैसा निवेदन किया कि······

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम दो साल में, चार साल में, दस साल में कर देंगे······

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया 12 किलोमीटर डामर, तीन किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. तथा छः किलोमीटर घाघंला की सडक बन चुकी है······

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप काम कब बन्द कर रहे हैं यह बता दीजिए।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के ही पिछली विधान सभा के सदस्यों ने जब यह कहा और आत्म दाह करने की धमकी दी और उन्होंने आपको पत्र लिखा कि यह सड़क एक साल में एक फुट बना दीजिए। साल में एक फुट बनायें। एक साल में एक फुट के हिसाब से कुछ तो कहिये, लेकिन आपका यह कहना कि जब धन होगा तब बनायेंगे, यह क्या जवाब हुआ ? This is highly erresponsible reply.

श्री रेवतराम : माननी अध्यक्ष महोदय......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले मन्त्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, We want your protection यह मजाक हो रहा है हमारे साथ में। हमारे साथ में तमाशा हो रहा है। 45 किलोमीटर सड़क है और उसके लिए कह रहे हैं कि धन होगा तब करेंगे। धन नहीं है तो कहिये कि अगले साल करेंगे, अगली योजना में लेंगे, मैं समझता हूं कि इनका यह जवाब गैर जिम्मेदाराना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठेंगे तो बात करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी सुरक्षा करिये। कितने साल में यह काम पूरा होगा, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठेंगे तभी तो होगा।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1974 से यह सड़क बनने लगी और आज तक बन रही है तो अब तक इस पर कितना धन व्यय हुआ है।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अगर मन्त्री महोदय के पास धन नहीं है तो मेरा यह कहना है कि लोगों को जब असुविधा हो रही है, आपने वहां पर रोड़ी पत्थर डाल दिये हैं तो उनको कितने दिनों में उठवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोमासर से रतनगढ़ सड़क का मामला स्वीकृत होना चाहिए और रतनगढ़ से सालासर सड़क जो रतनगढ़ की तरफ से बन चुकी है इसलिए इसको मोमासर से जोड़ना अति आवश्यक है। अगर योजना बनी हुई है तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्षजी, रतनगढ़ से सालासर सड़क को

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पिछले वर्ष में 4 किलोमीटर बनाने की स्वीकृति हुई और इसके तहत काम चल रहा है। उसमें केवल ग्रेवल सड़क बनाने का ही प्रस्ताव था और ग्रेवल सड़क का काम चालू है। इस सड़क की लम्बाई 45 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर पर डामर डाल दिया है। 3 किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. बन चुकी है। 5 किलोमीटर तक ग्रेवल का काम हो रहा है। सातवीं योजना में धन की उपलब्धि पर इस पर और खर्चा किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह, श्रीमोहन प्रकाश।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 45 किलोमीटर सड़क को 11 साल में पूरा नहीं कर सकें तो यह तो राजस्थान को डुबायेंगे। ये कहते हैं कि सरकार काम करने को बैठी है, अगर काम नहीं कर सकते तो रिजाइन करिये, इस्तीफा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चूरू में बाई इलेक्शन होगा लोकसभा का उसमें बनेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका काम हो जायगा, क्या दिक्कत है। आपका तो काम तो हो जायगा। बाई इलेक्शन के बहाने से, माननीय सदस्य, काम हो जायगा आपको, दिक्कत क्या है इसमें।

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

समान कार्य व समान पदाधिकारी के वेतनमानों में असंगति

213. **श्री मोहनप्रकाश** (राजाखेड़ा) : एव **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की यह नीति है कि समान कार्य व समान पद के लिये समान वेतन मिले? यदि हां, तो सहायक पशु शल्य चिकित्सक, पशुपालन, भेड़ व ऊन तथा डेयरी के वेतनमानों में अन्तर क्यों है?

(2) क्या राज्य सरकार पशु चिकित्सकों का वेतनमान मानव एवं दन्त चिकित्सकों के समकक्ष करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राणावत आयोग से पूर्व मानव एव दन्त चिकित्सकों के वेतनमान समान थे? यदि हां, तो वेतनमानों में अन्तर का क्या औचित्य है?

(4) क्या राज्य में वैटरनरी कौंसिल का गठन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। यह अन्तर राणावत वेतन आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1968 से हुआ है। दोनों के वेतनमान निम्न प्रकार हैं·······

Page No 19

(19)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया एक बार दोहरा दें। आर्डर प्लीज, आप बैठें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर गला ठीक नहीं है तो दूसरे मन्त्री जवाब दे दें, क्यों परेशान करते हैं।

एक माननीय सदस्य : बाई इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होगा। वोट लिया और खिसक गया कुर्सी के आकर चिपक गया। कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते। आप बैठें कृपया।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : इस सरकार में कितने मन्त्री स्वस्थ हैं, यह तो बता दो ? सारे मन्त्री अस्वस्थ हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठें। आप शांत रहेंगे तो समझ में आ जायगा। माननीय सदस्य सभी बोलते रहेंगे तो गला ठीक हो चाहे नहीं हो, समझ में नहीं आयेगा। आप शांत रहें कृपया। कृपया शांत रहें. समझ में आ जायगा।

एक माननीय सदस्य : जवाब भी आप इन्हीं को दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप तो शांत रहते नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जवाब तो वही दे देंगे। मैं पढ़ देता हूँ।

(1) जी हां ·····

श्री देवीसिंह भाटी : अनुमति तो लीजिये पहले।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी मैंने। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अनुमति से पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैंने दे दी अनुमति। आप पढ़िये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : (1) जी हां, यह अन्तर राणावत वेतन आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1968 से हुआ है। दोनों के वेतनमान निम्न प्रकार है :—

(i) सहायक शल्य पशु चिकित्सक 860-1750।

(ii) सहायक परियोजना अधिकारी 1000-1860।

(2) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी, हां, इस प्रकरण पर प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। वैटरनरी कौंसिल का विधेयक भारत सरकार द्वारा पास किया जा चुका है उसी के अनुरूप राज्य सरकार भी कार्यवाही करने जा रही है।

श्री नाथूसिंह : हो गई चर्चा इस पर।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राणावत कमीशन के पहले दोनों लोगों के वेतनमान समान थे।

श्री अध्यक्ष : यह कल बात हो चुकी है। कल जवाब भी आ चुका है। संक्षेप में पूछ लीजिये। दूसरा प्रश्न हो जायेगा। आपका प्रश्न चूंकि पहले लग चुका था इसलिये मुझे आज पुकारना पड़ा वाकी तो मैं इसको पुकारता नहीं।

श्री मोहन प्रकाश : हमारा तो हुजूर, कोई प्रश्न नहीं आ पा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आज तो आया है।

श्री मोहन प्रकाश : नम्बर दो पर जो इन्होंने कहा है, सरकार के विचाराधीन है। यह कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी को बोलने दीजिये। एक सवाल और सुन लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्षजी, क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे, पी. वी. टी. और पी. एम. टी. दोनों की एक ही परीक्षा होती है और दोनो की एक ही शैक्षणिक योग्यता के बाद में परीक्षा होती है।

एक माननीय सदस्य : इसमें कैसे आयेगा।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, उसमें यह है, यह ली लिया जाता है कि दोनों के प्रवेश का शैक्षणिक अवसर असमान है इसलिये वेतनमान असमान कर देते हैं। अब तो शैक्षणिक अवसर भी समान हो गया प्रवेश का आधार भी समान हो गया फिर एक ही पशु चिकित्सक अगर डेयरी में रहे तो उसका वेतन अलग, मत्स्य उत्पादन में रहे तो अलग, पशु चिकित्सा में रहे तो अलग ? यह इतना गम्भीर सवाल है कि इसके चलते आपके प्रदेश से पशु चिकित्सकों का पलायन हो रहा है। आज भी 144 पद खाली हैं। यह गम्भीर समस्या है। यह प्रदेश पशुधन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से सरकार किसी चीज को माने और लागू न करे, तो कर्मचारियों में बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : 15 पर्सेन्ट रेवेन्यू आज प्रदेश को यह विभाग दे रहा है और एक पर्सेन्ट इस विभाग पर आप खर्चा कर रहे हैं। इसलिये आप व्यक्तिगत तौर पर मंत्री महोदय और सरकार को कहें। यह जो प्रदेश की हानि कर रहे हैं अपनी ढ़िलाई के कारण, उसको रोकने के लिये विचार करें।

श्री नत्थीसिंह : मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आपके विचाराधीन तो है, क्या आप बजट सत्र के अन्त तक इस पर निर्णय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी तो बजट सत्र में बैठे है, कैसे ले लेंगे। इसके बाद कहते तो

(श्री अध्यक्ष)

ठीक भी होता। अभी तो रोजाना असेम्बली में आप बुलाते हो, कैसे निर्णय ले लेंगे।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : विचाराधीन नहीं है, पराधीन है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण 1982 से विचाराधीन है। आपने पूछा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कल तक रहेगा ?

एक माननीय सदस्य : जब तक आप रहेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप में और राज्य मन्त्री में कोई अन्तर नजर नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : हम तो रहेंगे लेकिन आप कब तक रहेंगे ? मन्त्री महोदय, हम तो रहेंगे लेकिन पता नहीं आप वहां रहेंगे या नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई न कोई यहां रहेगा। राणावत वेतन आयोग ने दोनों की योग्यता में परीक्षा के समय अन्तर होने के कारण इस प्रकार का सुझाव दिया था उसके कारण ही इस वेतन शृंखला में भेद आया।

श्री मोहन प्रकाश : अब तो वह दूर हो गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शिक्षा में एक फरवरी, 1982 से फर्क नहीं रखा गया। एक फरवरी, 1982 तक तो यही था लेकिन उसके बाद फर्क नहीं रखा गया इसलिये सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। दोनों की एक योग्यता होने की वजह से इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री मोहन प्रकाश : मेरा वह सवाल नहीं आया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह विचार कब तक चलेगा ?

श्री नत्थीसिंह : विचार कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार सब पहलुओं पर विचार करके निर्णय करेगी।

श्री मोहन प्रकाश : मेरा सवाल यह था, एक ही पशु चिकित्सक राजस्थान सरकार की डेयरी में काम करे, मत्स्य विभाग में काम करे, पशुपालन विभाग में काम करे तो तीनों के वेतन में अन्तर हो जाता है। यह क्यों होता है ? इसमें तो कोई राणावत कमीशन का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यही तो कहा है ना, इसलिये तो विचार कर रहे हैं।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है, एक पशु चिकित्सक है, वह अगर डेयरी में काम करता है तो उसका वेतनमान अलग है, अगर वह फिशरीज में काम करता है तो वेतनमान अलग है और पशुपालन विभाग में काम करता है तो अलग है। यह कहां का औचित्य है, जरा इस पर प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री मोहन प्रकाश : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : इनसे कह रहा हूं। मैंने आपसे नहीं कहा। मैंने मन्त्री महोदय से कहा है यह दूसरी बात है इसका जवाब दें। आपसे नहीं कहा मैंने। कृपया समझने की कोशिश करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान सरकार यह जानकारी करने का प्रयत्न कर रही है कि हमारे समीपवर्ती राज्यों में मानव चिकित्सक और पशु चिकित्सक के वेतनमान में क्या संबंध है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह नही है।

एक माननीय सदस्य : हम आपको जानकारी दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इनका प्रश्न है कि पशुपालन विभाग के अन्तर्गत ही उसी पद का आदमी पशुपालन विभाग में काम करता है, डेयरी में काम करता है, भेड़ ऊन में काम करता है, विभिन्न जिलों पर उसी क्वालीफिकेशन का, उसी पद का आदमी उसी नाम से काम करता है उनके वेतनमान में डिफरेंस क्यों है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

आप लोग साथ बोलते हैं इसलिये समझ में नहीं आता। साथ बोलते हैं, सब, 3-4 मिलकर बोलते हैं, समझ में नहीं आ सकता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल पशु चिकित्सक और मानव चिकित्सक के संबंध में पूछा गया था....

श्री मोहन प्रकाश : साफ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या एक साफ है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

मैडम, मैं कह रहा हूं इसको।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो असमानता है....

एक माननीय सदस्य : असमानता दूर कब करोगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, फिर चिट देने का मामला चालू हो गया।

श्री अध्यक्ष : अब आप लोग बोलेंगे तो जवाब आयेगा नहीं, माननीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : यह बड़ा अच्छा तरीका है जवाब देने का। इस तरह मन्त्रियों ने इससे पहले भी कभी जवाब दिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री शोपतसिंह : यह स्लिपें लेते रहें, जवाब देते रहें यह क्या चक्कर है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री शोपतसिंह : यह सदन की गरिमा का सवाल है। बचाइये इससे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : डेयरी फेडरेशन में और विभाग में काम करने वालों के वेतन में जो असमानता है, इस प्रश्न पर भी....

श्री शोपतसिंह : विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : औचित्य पर विचार किया जायेगा।

(12.00 मध्यांह)

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि क्यों ? पशु चिकित्सालयों की एसोशिएशन ने और कर्मचारी संघ ने बार बार सरकार को अपने ज्ञापन दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है कल आपने व्यवस्था दी थी और सहयोग देने की अपील की थी। यह इस तरह से मन्त्री-मण्डल की तरफ से जवाब आते रहेंगे तो इस सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी सदन की कार्यवाही, अध्यक्ष महोदय, बड़ी हास्यास्पद हो गई है मन्त्री जी इस तरह से जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हर बात में सरकार कहती है कि जानकारी नहीं है तो क्या यह अनजान सरकार है क्या ?

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, हमारे कहने से नहीं करेंगे, आप उनको निर्देशित करिए कि इतने सालों से जो कर्मचारी परेशान हैं आप उनको समय बांध दीजिए कि इतने समय में निर्णय करेंगे। नहीं तो अगले सत्र में फिर सवाल आएगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने बताया है कि यह भेद, अन्तर तो है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह हमारे नोटिस में आया था। आप भी चाहते हैं कि एक हो

Page No 24

(श्री अध्यक्ष)

और समान हो, तो आज जो स्थिति है उसको मन्जूर करके चलना पड़ेगा । आगे यह कह रहे हैं कि इस पर विचार कर रहे है इसका मतलब इस पर कुछ सोच रहे हैं कि इसको एक किया जाय ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, आप एक दफा इनको निर्देशित तो कर दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब से विचार हो रहा है और कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि 173 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी लगी हुई है जिसमें घाटा हुआ है, आप इसको पढ़ें अध्यक्ष महोदय, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हर प्रश्न महत्पूर्ण होता है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य सहयोग करें ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा जिले में सरपंचों के विरुद्ध जांच

249. **श्री राम चन्द्र जाट** (बनेड़ा) : क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) के अन्तर्गत आज तक किन-किन वर्तमान एवं भूतपूर्व सरपंचो के विरुद्ध जांच प्रकरण कब से विचाराधीन हैं ?

(2) उक्त जांच प्रकरणों में कौन-कौन सरपंच इस समय निलम्बित हैं !

(3) उक्त जांच प्रकरणों में अन्तिम आदेश पारित करने में किस कारण विलम्ब हो रहा है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) विभिन्न मामलों में कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर अर्थात स्पष्टीकरण, जांच

(श्री रामचन्द्र जाट)

अधिकारी की नियुक्ति, जांच अधिकारी की रिपोर्ट, तथा व्यक्तिगत सुनवाई आदि में चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

सीकर जिला मुख्यालय पर मिडवे

251. **श्री माला राम** (खेतड़ी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिला मुख्यालय पर मिडवे बनाने के लिए वर्ष 1982–83 में प्रथम किश्त के रूप में 3.5 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था ?

(2) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई ? नहीं, तो क्यों एवं अब यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन विकास पर व्यय राशि

252. **सुश्री गिरिजा व्यास** (उदयपुर) –क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पर्यटन विकास के लिये पिछले 5 वर्षों में कितनी–कितनी राशि किस–किस कार्य पर, कहां–कहां खर्च की गयी ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर नगर के विकास के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? कृपया रूप रेखा सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) राज्य के पर्यटन विकास हेतु पिछले 5 वर्षों में व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न है।

(2) उदयपुर नगर में गणगौर घाट के सुधार हेतु योजना प्रस्तावित है।
(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

लघु उद्योग निगम द्वारा गलीचा उत्पादन

255 **श्री मोहन छंगाणी** (फलोदी) –क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम के गलीचा उत्पादन केन्द्र जयपुर जिले में कहां-कहां पर हैं ?

(2) इन गलीचा उत्पादन केन्द्रों पर किस–किस साइज के गलीचों के निर्माण की व्यवस्था निगम ने कर रखी है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम ने कानोता (जयपुर) गलीचा उत्पादन केन्द्र पर

(श्री मोहन छंगाणी)

15×16 की लूम लगाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त लूम की स्थापना पर निगम ने कुल कितनी राशि व्यय की है ?

(4) उक्त लूम को लगाने से पूर्व क्या कोई, उक्त साइज के गलीचे निर्माण के आदेश निगम को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो किस-किस से ?

(5) उक्त लूम से जो गलीचे निर्मित किये जाते हैं, उनकी उत्पादन लागत क्या आयेगी, तथा इसका विक्रय मूल्य कितना व किस मापदण्ड से निर्धारित किया गया है ?

(6) क्या निगम को जिन लोगों से गलीचे निर्मित किये जाने के आदेश प्राप्त हुये हैं, उनसे कोई अग्रिम राशि प्राप्त की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) निगम के उक्त गलीचा निर्माण केन्द्र पर किस-किस क्वालिटी के गलीचों का निर्माण होता है तथा उनकी विक्रय दर प्रति वर्ग फुट कितनी-कितनी निर्धारित की गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम का एक भी गलीचा उत्पादन केन्द्र नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर जिले की दुग्ध सहकारी समितियां

256. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं ? कृपया समिति का नाम, ग्राम, तहसील, पदाधिकारियों का नाम उनके पिता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को इस वक्त दुधारू पशुओं के लिये पौष्टिक आहार/बाटा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस सहकारी समिति को, कितना-कितना बाटा दिया जा रहा है व उसमें कितना अनुदान के रूप में दिया जाता है ?

(3) क्या बांटा सही व अच्छी किस्म का नहीं होने से गायों में कई तरह की बीमारियां जैसे खाज, खजली व जीभ पर छाले हो जाना और पशुओं के शरीर में अन्य कई बीमारिया हुई, व दुग्ध उत्पादकता में कमी आई ? क्या इस सम्बन्ध में पशुपालकों ने कई बार शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

करवाई कि किन कारणों से ये बीमारियां हुई ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में माह जून 1985 तक कुल 403 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनाई गई है। सूची तालिका "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां, उरमूल द्वारा दुधारू पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 254 पशुपोषण केन्द्र चलाये जा रहे है। प्रत्येक पशु पोषण केन्द्र के लिए स्वीकृत पशुओं की संख्या सूची तालिका "ख" पर संलग्न है।

इन पोषण केन्द्रों में प्रति पशु प्रतिदिन 2 किलोग्राम पशु-आहार दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 1.50 रुपया तथा आर. सी. डी. एफ. द्वारा 20 पैसे अनुदान के रूप में दिया जाता है और 1.00 रुपया किसान से लिया जाता है।

(3) जी नहीं, जो पशु आहार वितरित किया जाता है, वह आर. सी. डी. एफ. लि. के पशु आहार संयंत्रों में बनाया जाता है और पशुओं के लिए उपयोगी एवं दुग्धवर्धक है। इस संतुलित पशु आहार के सेवन से पशुओं को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती और न ही बीमारी होने के सम्बन्ध में दुग्ध उत्पादकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुएं पम्प्स एवं टैक्टस हेतु सबसिडी

257. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर):-क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार उद्योगों को दी जाने वाली सबसिडी की भांति कृषकों को कुए, पम्पस् एवं टैक्टर्स के लिए भी उक्त राशि दिये जाने का विचार रखती है ? क्या ऐसी कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा उद्योग को दी जाने वाली सबसिडी की भांति कृषकों को कुए पम्पस् एवं टैक्टर्स के लिये उक्त राशि दिये जाने की पद्धति नहीं है और न ही ऐसी कोई योजना प्रस्तावित है। परन्तु लघु व सीमान्त कृषकों को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना तथा लघु व सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि 25% से 33 1/3% कुल ईकाई लागत पर उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार कृषकों को अनुदान की राशि रुपये 3000/- से 5000–तक देय है। टैक्टर्स के लिये कृषको को सबसिडी देने की कोई योजना विचाराधीन नही है। क्योंकि टैक्टर्स खरीदने की क्षमता बड़े कृषक ही रखते है, जिनकी भूमि की जोत का आकार बड़ा होता है एवं स्वयं की राशि व बैंक से ऋण टैक्टर्स खरीद सकने की स्थिति में होते है।

Page No 28

(28)

इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्रक्रिया

258. **श्री फूलचन्द** (नीमका थाना)–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पी. ई. टी. की परीक्षा से पूर्व छात्रों को मैरिट फार्मूला के आधार पर मालवीय इंजीनियरिंग कालेज जयपुर एवं जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज में डिप्लोमा इंजीनियर्स हेतु प्रवेश दिया जाता था ?

(2) क्या अब केवल जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज में ही प्रवेश दिया जाता है, तथा जयपुर कालेज में प्रवेश नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि जोधपुर में इंजीनियरिंग कालेज में डिप्लोमा धारियों को प्रवेश दिया जा रहा है। मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज जयपुर में यह प्रकरण छात्रों के प्रवेश संबधित समिति के विचाराधीन है।

राज्य में उपभोक्ता आंदोलन

259. **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह)–क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में उपभोक्ता आंदोलन के प्रोत्साहन हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया रूपरेखा सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य में उपभोक्ता संरक्षण हेतु स्वयं सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं ?

(3) राजस्थान सरकार ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की किस प्रकार मदद कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को प्रोत्साहन/सुझाव देने के लिये एक कमेटी का दिनांक 11-4-85 को गठन किया गया है। इस कमेटी के गठन में दिनांक 5-6-85 को संशोधन किया गया है। इन दोनों आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "क" व "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में अंकित कमेटी ने अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। अतः भाग (2) की सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है।

(3) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में गठित कमेटी की सिफारिश मिलने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

(आदेशों के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

नगर परिषदों व नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर की राशि

260. **श्री हरिश चन्द्र** (नावां)
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):–क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिश चन्द्र)

(1) राजस्थान की विभिन्न नगर परिषदों व नगरपालिकाओं को वाणिज्यिक कर विभाग मनोरंजन कर की कितनी प्रतिशत राशि देता है ?

(2) कर वसूली में सुपरविजन आदि पर होने वाले व्यय को काटने के बाद वसूल की गई राशि में से कितना प्रतिशत प्रति वर्ष परिषद व नगरपालिकाओं का अधिकार बनता है, और कितना आज की स्थिति में मिलता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 की धारा 14 (1) एवं (2)के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा के संख्या 2 के प्रारंभ होने के पूर्ववर्ती तीन वर्षों की औसत कर के आधार पर स्थानीय प्राधिकरण को औसत शुद्ध वार्षिक आय से दुगनी राशि दिनाक 1-4-74 से दी जा रही है।

(2) प्रश्न सं. 1 के उत्तर के अनुसार अंशदान की कुल राशि रु. 17.77.878/= बनती है जो वर्तमान में भी विभिन्न नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को दी जा रही है।

देशी शराब में मिलाव से राज कोष को हानि

261. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देशी शराब की बोतलें, जो आम उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाती है, उसका ढक्कन इस प्रकार ढीला रखा जाता है कि ठेकेदार उसमें चाहे जितनी मिलावट कर सकते हैं और करते हैं।

(2) क्या इस प्रकार मिलावट से राज्य कोष में हानि होती है ? यदि हां, तो इसे सुधारने हेतु, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

धौलपुर के स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय

262. **श्री मोहन प्रकाश** (राजाखेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर जिले में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के कितने महाविद्यालय हैं, तथा इनमें छात्रों की गत वर्ष क्या संख्या थी ?

(2) राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में स्नातकोत्तर के कितने विषयों की पढ़ाई होती है ? क्या अन्य विषयों में भी इस वर्ष से एम. ए, की पढ़ाई शुरू कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन विषयों में ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री मोहन प्रकाश)

(3) क्या राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में छात्रावास की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक छात्रावास निर्माण का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार धौलपुर जिले के बाडी एवं राजाखेड़ा तहसील में स्नातक स्तर का महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में एक स्नातकोत्तर स्तर का राजकीय महाविद्यालय हैं, जिसकी छात्र संख्या निम्न प्रकार है :- 1280

(2) राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में इतिहास विषय में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें चल रही हैं। इस वर्ष किसी भी राजकीय महाविद्यालय में धनाभाव के कारण नया विषय नहीं खोला जा रहा है। अतः धौलपुर में इस वर्ष कोई नया विषय खोला जाना सम्भव नहीं है।

(3) राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। अभी धौलपुर में छात्रावास निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। इस वर्ष धन अभाव के कारण राजस्थान में कहीं भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बाड़ी एवं राजाखेड़ा तहसील में कालेज खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, अजमेर

263. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, जहां बी. एड. की कक्षा का अध्ययन होता है, में प्रिन्सिपल के पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं अनिवार्य है ?

(2) क्या अजमेर में उक्त कालेज में वर्तमान में जो प्रिन्सिपल, हैं वे इन योग्यताओं से सम्पन्न हैं ?

(3) यदि नहीं, तो उनका पदस्थापन नियम विरूद्ध क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) प्रधानाचार्य स्नातक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रशासनिक कारणों से वर्तमान परिस्थितियों में फिलहाल उनकी पदस्थापना की गई है।

उदयपुर वाटी (झुंझुनू) में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन

264. **श्री भोलाराम सैनी** (गुढ़ा): क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भोलाराम सैनी)

(1) क्या जिला झुंझुनू में उदयपुरवाटी में 132 के. वी. का ग्रिड स्टेशन लगाने की सरकार की योजना है ?

(2) यदि हां, तो कब तक क्रियान्विति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब योजना ही स्वीकृत नहीं है तो क्रियान्विति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कृषकों को विद्युत् कनेक्शन

265. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषकों को विद्युत संबंध के लिए तार, खम्बे एवं आवश्यक सामान अपने स्वयं के वाहन मे स्थान विशेष के लिए ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह कि सही है कि वास्तव में यह कार्य ऊर्जा विभाग का ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विभागीय कर्मचारियों को निर्देश जारी कर कृषकों को राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही है कि विद्युत सम्बन्ध के लिए तार खम्भे एवं आवश्यक सामान स्थान विशेष के लिए ले जाने का कार्य विद्युत विभाग का ही है। विभागीय अधिकारियों को मुख्य अभियन्ता के पत्र क्रमांक 1632 दिनांक 12.6.85 द्वारा इस सम्बन्ध में पुनः आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

बालोतरा में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय

266. **श्री चम्पा लाल बांठिया** (पचपदरा)-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 अप्रेल, 1985 से राज्य सरकार द्वारा बालोतरा में अधिशासी अभियन्ता 'आर. एस. ई. बी.' का खोलने कार्यालय का निर्णय लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय खोल दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उक्त कार्यालय खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बालोतरा में अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय खोलने के आदेश विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक आर. एस. ई बी./एस-3/एफ-3/622/डी. 4032 दिनांक 9/13 नवम्बर 1984 के द्वारा प्रसारित किये जा चुके है।

(2) उक्त कार्यालय अभी तक बालोतरा में नहीं खोला जा सका है। अधिशाषी अभियन्ता का कार्यलय बाड़मेर से बालोतरा

Page No 32

(32)

(ऊर्जा मंत्री)

स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जा चुके हैं एवम् कार्यालय हेतु उपयुक्त भवन की व्यवस्था होने पर अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी ।

जायल के ग्रामों का विद्युतीकरण

267. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल)-क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील जायल के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील जायल, जिला-नागौर के जिन 13 गांवों को बर्ष 1984-85 में विद्युतिकरण के लिये स्वीकृति प्राप्त हुई है, उनमें से कितने गांवों का विद्युतिकरण हुआ है एव कितने गांवों का विद्युतिकरण होना शेष है और वह कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) तहसील जायल के गांव टांगला व बासुणा का विद्युतिकरण कब तक हो जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील जायल के सभी गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या इनका कोई फेज्ड प्रोग्राम बनाया गया है ? जिसके अनुसार विभिन्न चरणों में गांव विशेषों का विद्युतीकरण किया जाना है ? यदि हां, तो कृपया कार्यक्रम का विवरण सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) तहहसील जायल के 41 ग्रामों का विद्युत्तिकरण किया जा चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) तहसील जायल के 9 ग्रामों को वर्ष 1984-85 में विद्युतिकरण के कार्यक्रम में लिया गया था, जिनमें से ग्राम कामोडिया, का विद्युतिकरण दिनांक 31-3-85 को किया गया। शेष 8 ग्रामों का विद्युतिकरण नहीं किया गया है। बचे हुये ग्रामों का अगले वर्षो में वार्षिक योजना में उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुये विद्युतीकरण करने का प्रयास किया जावेगा।

(3) पचायत समिति जायल की एस. यू. की योजना जो माह दिसम्बर, 1984 में स्वीकृत की गई है, उसके अन्तर्गत ग्राम टांगला व बरसुणा विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित है। उक्त योजना का कार्यकाल पांच वर्ष का है। अतः भविष्य में वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार उक्त ग्रामों का विद्युतिकरण संभव हो सकेगा ।

(4) जी हां। तहसील जायल के सभी ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं। ग्रामीण विद्युतिकरण योजना बनाते समय वर्ष वार फेज्ड प्रोग्राम बनाया जाता

(ऊर्जा मंत्री)

है,परन्तु कार्य प्रतिवर्ष योजना मद में वित्तीय उपलब्धि के अनुसार ही किया जाता है। वार्षिक योजना में सीमित साधनों के कारण मण्डल स्कीम की फेजिंग के अनुसार कार्य नहीं कर सका। वर्ष 1985-86 का ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम अभी बनाया जा रहा है। अतः विवरण सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

कृषि कनेक्शन्स के लक्ष्य

268. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जयपुर जिले के सभी सहायक अभियन्ता कार्यालयों का खेती कनेक्शन टारजेट कायम करने के बारे में निम्न सूचना दी जावे :-

1. नाम सहायक अभियन्ता कार्यालय,

2. टारजेट कायम करने की तारीख,

3. टारजेट जो रखे उसकी सूची,

4. टारजेट तारीख के दिन पेन्डिंग एप्लीकेशन्स एस. टी., एस. सी., स्माल फार्मर नोर्मल सहित।

उत्तर

सम्पूर्ण विवरण देते हुये सूची "अ" संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नवलगढ़ में अध्यापकों की नियुक्ति

269. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़):- क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या पंचायत समिति नवलगढ़ में माह मार्च, अप्रेल और मई, 1985 में कुछ अध्यापकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो क्या, कोई वरिष्ठता सूची तैयार की गई और साक्षात्कार लिए गए थे?

(2) क्या निर्धारित योग्यता न होते हुए भी कुछ अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई थी?

(3) कृपया उक्त अवधि में नियुक्त किए गए अध्यापकों की सूची मय योग्यता के सदन के पटल पर रखें।

(4) वरिष्ठता सूची तथा साक्षात्कार लेने वाले अधिकारियों के नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या इन गैर कानूनी नियुक्तियों का पंचायत समिति की बैठकों में भी विरोध किया गया है? यदि हां, तो कब-कब? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अध्यापकों की नियुक्तियां केवल एक माह के लिए की गई थी जिसके

(श्री पंचायत राज मन्त्री)

लिए न तो कोई वरिष्टता सूची तैयार की गई और न ही साक्षात्कार लिए गये।

(2) नियुक्त किये गये अध्यापकों में से दो अध्यापक सी. पी. एड लगाये गये थे जो अध्यापकों के लिए निर्धारित योग्यता नहीं थी।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) ये नियुक्तियां प्रशासन स्थाई समिति द्वारा की गई थी और उनकी वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई थी एवं साक्षात्कार नहीं लिया गया था।

(5) पंचायत समिति की बैठक दिनांक 29-5-85 में स्थानीय विधायक एवं कुछ सरपचों द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी, कोई विरोध जाहिर नही किया गया था। केवल एक महीने के लिए होने से ये नियुक्तियां समाप्त हो चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

केसरीसिहपुरा में सड़कों का निर्माण

271. **श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिह पुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिहपुरा में गत 5 वर्षों में विभाग द्वारा कितनी सड़क बनाई गई तथा कितनी सड़कों की मरम्मत की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की कितनी सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत किया जाना प्रस्तावित है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(अ) केसरीसिहपुरा विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में निम्नलिखित दो सड़कों का निर्माण करवाया गया :–

(1) सड़क निर्माण कार्य 20 जैड से 9 जी छोटी वाया 3 एच (3 किलोमीटर)।

(2) हिन्दूमलकोट से अबोहर फाजिल्का (बोर्डर लिकिंग) 2 किलोमीटर।

(ब) गत पांच वर्षों में निम्नलिखित सड़कों पर विशेष मरम्मत कार्य करवाया गया :–

(1) गंगानगर साहिबेवाला सड़क

(ए) ईंटों के शोल्डर कि. 0/00 से 5/00 (वर्ष 1983–84)

(बी) रिकारपेंटिग कार्य किलोमीटर 3/09 से 5/00 (वर्ष 1984–85)

(सी) सुदृढ़ीकरण व कारपेट किलोमीटर 12/00 से 14/00 (वर्ष 1984–85)

(डी) ईंटों के शोल्डर का कार्य व कि.मी. 25/00 से 29/00 (वर्ष 1984–85)

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(ई) विस्तार व सुधार कार्य व कारपेट कमीनपुरा केसरीसिंहपुर बी. हैड घनूर रोड किलोमीटर 5/00 से 6/00 (वर्ष 1984-85)

(2) गंगानगर पदमपुर सड़क

(ए) सरफेस पेंटिग कि. मी. 22/0से 24/0(वर्ष 81-82)

(बी) सुदृढ़ीकरण व कारपेट कार्य कि. मी. 16/00 से 20/00 (वर्ष 1981-82)

(सी) सुदृढ़ीकरण व कारपेट कि.मी. 12/00 से 14/00 (वर्ष 1981-82)

(डी) सरफेस पेंटिग कार्य कि.मी. 7/00 से 8/00 (वर्ष 1982-83)

(ई) सरफेस पेंटिग कार्य कि. मी. 8/00 से 9/00 वर्ष (1984-85)

(3) गंगानगर से हिन्दुमल कोट सड़क

(ए) रिकारपेट कार्य कि. मी. 00/00 से 1/00 (वर्ष 81-82)

(बी) रिकारपेट कार्य कि.मी. 1/00 से 5/00 (वर्ष 83-84)

(सी) रिकारपेट कार्य कि. मी. 15/00 से 18/00 (83-84)

(घ) हिन्दूमलकोट-अबोहर फाजिल्का बोर्डर सड़क पर सुदृढ़ीकरण व रिकारपेट का कार्य किलोमीटर 0/00 से 400 (वर्ष 1982-83)

(2) निम्न सड़कों के मरम्मत कार्य वर्ष 1985-86 में किये जाने प्रस्तावित हैं।

(1) सड़क मोहनपुरा-कोनी के कि.मी. 7/0 से 12/00 में कारपेट का कार्य।

(2) गंगानगर-साहिबेवाला सड़क के कि.मी. 3/00 से 5/00 में रिकारपेटिंग का कार्य।

(3) गंगानगर-साहिबेवाला सड़क के कि.मी. 14/0 से 16/00 रिकारपेटिंग का कार्य।

(4) गंगानगर-साहिबेवाला सड़क के कि.मी. 07/0 से 10/0 में सुदृढ़ीकरण और कारपेट का कार्य।

(द) निम्नलिखित सड़कों के कार्य एन. आर. ई. पी. में वर्ष 1984-85 में स्वीकृत किये गये थे :—

(ए) सम्पर्क सड़क 18 जैड

(बी) सम्पर्क सड़क 10 जैड

(सी) सम्पर्क सड़क 29 जी. जी.

अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ियों की जांच

272. **श्रीमती नीलिमा** (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जोधपुर जिले में सन् 1982 में अकाल राहत कार्यों में की गयी गड़बड़ियों के लिये

(श्रीमती नीलिमा)

जांच करवाई थी ? यदि हां, तो कब ? जांच का क्या परिणाम रहा ? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि किसी प्रकरण में मई 1982 में मस्टरोल नं. 45 से 52 तक में 80 लुहारों को केवल फावडे ठीक करने हेतु रख, पूरे माह की हाजरी की राशि 35,000/- लुहारों को न देकर स्वयं अधिकारियों ने रख ली ? यदि नहीं, तो तत्कालीन सहायक अभियन्ता को आदेश क्रमांक 262 दिनांक 17-7-1982 से उसका कार्य छीन कर दूसरे सहायक अभियन्ता को क्यों दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने जुलाई, 1982 में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता को अकाल राहत कार्य समाप्त करने के वायरलेस आदेश दिये थे, और फिर भी 80 लाख के काम के वर्क आर्डर दिये गये, जिसमें 90 हजार की पुलिया निर्माण का काम भी था ? क्या दो दिन में कार्य पूर्ण होना बताया गया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच करवाई थी इस संबंध में शिकायतें 1-3-84 व 1-5-84 को प्राप्त होने पर तत्काल जांच के आदेश दे दिये थे। जांच में शिकायतें सही पाई गई। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक व अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

(2) मई 1982 में मस्टरोल स. 45 से 52 तक लुहारों को अकाल राहत के औजारों की मरम्मत हेतु मजदूरी की राशि 34720/- रु. के भुगतान के बारे में जांच करने पर मामला संदेह जनक पाया गया था अतः दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा आदेश सं. 262 दिनांक 17-7-82 से तत्कालीन सहायक अभियन्ता को हटाकर दूसरे सहायक अभियन्ता को काम सौंप देने के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रोड़ द्वारा जांच की जा रही है।

जी हां। राज्य सरकार ने जुलाई, 1982 में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता को वायरलेस द्वारा 31-7-82 को सारे राहत कार्य बन्द करने के निर्देश दिये थे। प्राप्त शिकायत के अनुसार पुलिया निर्माण के व अन्य कार्य इस निर्देश के प्राप्त होने के पश्चात् भी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दिये गये जो 31-7-82 को ही पूर्ण हो गये बताये गये जांच के पश्चात् यह पाया गया कि इतनी कम अवधि में इन कार्यों को सम्पादन करना संभव नहीं था। अतः इन कार्यों में की गई अनियमितताओं के लिये तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

लूनकरणसर-छतरगढ़ सड़क का निर्माण

273. **श्री अश्कअली** (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निमाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अश्कअली)

(1) लूनकरणसर से छतरगढ़ जिला बीकानेर सड़क निर्माण की सरकार की क्या योजना है ? उक्त सड़क निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण से उक्त क्षेत्र में रोजगार के नये साधन उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी ?

उत्तर

(1) लूनकरणसर से छतरगढ़ सीधी सड़क निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

(2) प्रश्न ही नही उठता।

ग्राम जामडोली तक सड़क निर्माण

274. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जामडोली, जो जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, तक पक्की सड़क नहीं हैं ? जिसके कारण वहां के निवासियों को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या सरकार का ग्राम जामडोली तक सड़क बनाने का विचार हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम जामडोली तक सड़क निर्माण करने की इस विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इस सड़क की मंजूरी हुई थी जिसका निर्माण कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाना हैं।

अटरू तहसील के ग्राम कुजेड़ को सड़क

275. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर)

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले के अटरू तहसील के ग्राम कुजेड़ से चौकी तक कच्ची सड़क कब और किस योजना के तहत बनी थी, और उसे अब तक पक्का नहीं करवाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि चौकी से कुजेड़ तक की सड़क कोटा जिले के मास्टर-प्लान में सम्मिलित है ? यदि हां, तो उसे कब तक पक्की करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के अटरू तहसील के कुजेड़ ग्राम से बोरदा चौकी तक की कच्ची सड़क सन 1979-80 में पंचायत द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनी थी आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण यह पक्की नहीं हो सकी।

(2) जी नहीं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित नहीं हैं अतः पक्का करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गरडदा सिंचाई परियोजना

276. **श्री हरिमोहन शर्मा** (बून्दी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में स्वीकृत की गई हैं ?

(2) गरडदा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जावेगा और इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च हेतु प्रस्तावित की जा रही है ?

(3) वर्ष 1985-86 में इस योजना हेतु कितना बजट प्रावधान प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1, 2 व 3) सातवी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित पांच मध्यम सिंचाई योजना सम्मिलित की गई है।

(1) गरडदा (2) सूकली (3) कानोता (4) चौली (5) बान्डी सेदड़ा गरडदा योजना की स्वीकृत योजना आयोग से अभी प्राप्त होनी है। इसके प्रारम्भिक कार्य के लिए 1985-86 की वार्षिक योजना में 1 लाख रु. का प्रावधान प्रस्तावित है।

बनास नदी से नहर का निर्माण

277. **श्री मदनलाल** (राजसमन्द) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ़ जिले के ग्राम घमाना व कपासन के तालाबों को पानी पहुचाने की दृष्टि से रेलमगरा तहसील के ग्राम बामनिया के पास बनास नदी से एक नहर का निर्माण कराया गया था ?

(2) अगर हां, तो उस नहर में बनास से कितना क्यूसेक्स पानी ले जाने का प्रावधान था, तथा नहर को कितना चौड़ा बनाया जाना था ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्षा के दिनों में जब बनास नदी में पानी आता है, तो कपासन तहसील के निवासी बनास में रेत के बोरे डालकर निर्धारित मात्रा से अधिक पानी ले जाते हैं, तथा इसकी शिकायत समय-समय पर विभाग को की गई है ? अगर हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व निर्धारित मात्रा में पानी नहर में जाने देने हेतु वहां सतर्कता चौकी स्थापित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) घमाना व कपासन तालाबों को भरने के लिए सन्देसर नाले से एक फीडर का निर्माण किया गया था। इसके बाद कपासन तहसील के भोपालसागर बांध को भरने के लिए बनास नदी से सन्देसर नाले तक एप्रोच फीडर का निर्माण किया गया।

(सिचाई मन्त्री)

(2) उपरोक्त एप्रोच फीडर द्वारा 200 क्यूसेक्स पानी लेने का प्रावधान है। इस फीडर के उदगमन स्थल पर चौडाई 40 फीट है एव रेगुलेटर चैन 67.50 से नीचे चौडाई 20 फीट हैं।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है तथा विभाग को इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) इस स्थान पर वर्षा ऋतु के समय एक केम्प सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता भोपालसागर की देखरेख में कार्य करता है। इन अधिकारियों द्वारा एव विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यकता होने पर जन प्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण भी किया जाता है। क्योंकि फीडर की जल क्षमता से अधिक पानी फीडर में चलाना संभव नही है, अतः निर्धारित मात्रा से अधिक पानी लेने का प्रश्न ही नही उठता हैं।

हथियारों के लाइसन्स का मापदण्ड

278. **श्रीमती रतनकंवर** (शेरगढ़)
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हथियार लाइसेन्स देने का क्या आधार व मापदण्ड है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला दण्डनायक बीकानेर के आदेश क्रमांक सी. बी. आम/81/3581 दिनांक 18-11-1981 द्वारा यह आवश्यक कर दिया है कि हथियार लाइसेन्स उसे ही दिया जावे जो 500/– रु. के नेशनल सर्टिफिकेट पेश करें ? यदि हां, तो आर्म्स एक्ट के किस नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया गया है ?

उत्तर

(1) हथियार लाइसेन्स स्वीकृत करने से पूर्व आवेदक का चरित्र एवं पूर्वगामी सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा कराया जाता है।

(2) राष्ट्रीय अल्प बचत योजना को प्रोत्साहन देने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा निर्णय किया गया था, परन्तु उसे प्रभावशाली नहीं किया गया।

मकडावद (कोटा) में डकैती

279. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) थाना सांगोद जिला कोटा के तहत ग्राम मकड़ावद में पड़ी डकैती में कुल कितना माल डकैत ले गये ?

(2) उक्त डकैतों को पकडने हेतु क्या क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? क्या यह सही है कि सब प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक कोई डकैत नही पकड़े जा सके ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डकैती का कोई केस पंजिबद्ध नही हुआ अपितु मु. नं. 101/85 धारा 458/380 ता. हि. पंजिबद्ध हुआ जिसमें फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार केवल 4 मुलजिमान थे। चोरी गयी सम्पत्ति की सूची संलग्न है।

(गृह मन्त्री)

(2) समय-समय पर मुस्तबा कजंरान जिला झालावाड की तलाश की गयी व उनके मकानों पर दबिशें दी गयी। लेकिन अभी संदिग्ध कंजरान पकड़े नहीं गये, तलाश सरगर्मी व मुस्तैदी से जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जयपुर के राजघराने के पास हथियार

280. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली)–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) भूतपूर्व महाराजा जयपुर श्री भवानी सिंह, उनकी पत्नी व पुत्री के नाम कौन-कौन से हथियार पंजीकृत किये हुए है ? कृपया इनकी तालिका सदन की मेज पर रखें ?

(2) भूतपूर्व महाराजा भवानी सिंह के पास कौन-कौन व कितने हथियार अपंजीकृत हैं ? कृपया ऐसे हथियारों की तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूतपूर्व महाराजा श्री भवानीसिंह एवं उनकी पत्नी महारानी पद्मनी देवी के पंजीकृत हथियारों की सूची 'अ' व 'ब' संलग्न है। भूतपूर्व महाराजा की पुत्री के नाम कोई हथियार पंजीकृत नहीं है।

(2) कोई नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

अभाव अभियोग व सतर्कता समितियों में महिला अनुसूचित जाति/जन-जाति का प्रतिनिधित्व

281. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर)–क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या राज्य के सभी जिलों में मुख्य मंत्री जी द्वारा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियां तथा सभी विभागों संबंधी जिला सलाहकार समितियों में अनुसूचित जाति जन/जाति एव महिला वर्ग के प्रतिनिधियों को मनोनीत किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान के सभी जिलों में उपरोक्त वर्ग के लोगों को मनोनीत कर दिया गया है ? नहीं, तो कब तक मनोनीत कर दिये जाने का विचार है ?

उत्तर

जी हां, राजस्थान के सभी जिलों में कार्यरत जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों में एक अनुसूचित जाति/एक अनुसूचित जन जाति, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता व दो प्रधानों को सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का प्रावधान है। जयपुर जिले में उक्त सदस्यों को मनोनीत किया जा चुका है अन्य जिलों में अभी तक कोई मनोनयन नहीं किया गया है तथा इस हेतु कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। जिला स्तर पर विभागों के लिये सलाहकार समितियों के गठन करने के निर्देश नहीं है अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर परिषद्, कोटा के वार्डों का सीमांकन

282. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) :– क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद् चुनावों की दृष्टि से क्या कोटा नगर परिषद् के वार्डों के सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है ? वार्डों की संख्या, उनकी सीमाएं एवं मतदाताओं की संख्या कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वायतशासी संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि में ही हों, इस हेतु क्या राज्य सरकार कोई कानूनी प्रावधान करने का विचार करती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, कोटा के वार्डों का सीमांकन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 14 के अधीन 11 मार्च, 1983 के राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) में प्रकाशित कर दिये गये हैं। उक्त राजपत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी है। 1-1-83 के अर्हता की तारीख के संदर्भ में प्रत्येक वार्डों के मतदाताओं का विवरण अनुसूची 2 में अंकित है।

(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में इस संबंध में व्यापक प्रावधान होने के कारण कोई अलग से प्रावधान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(राजपत्र की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

बर (पाली) में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना

283. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि न्याय के विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त से सरकार सहमत हो कर पाली जिले के रायपुर तहसील के बर मुख्यालय पर अतिरिक्त न्यायालय जैतारण से स्थानान्तरित कर बर में चालू करने के आदेश राज्य सरकार ने पिछले अप्रेल माह में किये हैं ?

(2) उक्त न्यायालय, उक्त स्थान पर आरम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है ? अब कब तक उक्त न्यायालय कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत बर द्वारा न्यायालय भवन की व्यवस्था करने के पूर्व में ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाली को लिखित में आश्वासन दे दिया गया है ? सरकार उक्त न्यायालय को आरम्भ करने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक

Page No 42

(५२)

(विधी मंत्री)

दण्डनायक प्रथम श्रेणी जैतारण के कोर्ट को मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के रूप में रायपुर तहसील के मुख्य स्थान 'बर' में स्थापित करने के निर्णय से राज्य सरकार को अप्रेल 85 में अवगत कराया था जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(2) इस सम्बन्ध में अधिसूचना शीघ्र प्रसारित की जा रही है एवं अधिसूचना जारी होने पर न्यायालय कार्य करना आरंभ कर देगा।

(3) जी हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत बर द्वारा न्यायालय भवन की व्यवस्था करने के सबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पाली को लिखित आश्वासन प्राप्त हो गया है। सरकार उक्त न्यायालय को शीघ्र ही प्रारम्भ करने जा रही हैं।

रतनगढ़ के अकालग्रस्त ग्राम

284. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील रतनगढ़ के कितने गांव अकाल ग्रस्त हैं?

(2) अब तक उनमें से कितने गांवों में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य कुल कितनी लागत के खोले गये हैं, तथा कुल कितने मजदूर काम पर लगे हुए हैं एवं उनको न्यूनतम मजदूरी क्या दी जा रही है?

उत्तर

(1) तहसील रतनगढ़ के 89 गांव अकालग्रस्त हैं।

(2) स्वीकृत राहत कार्य, राशि एवं मजदूरों की संख्या निम्न प्रकार है:–

स्वीकृत राहत कार्य		राशि	चालू कार्यो पर मजदूरों की संख्या
सड़क कार्य	7	41.101	786
सिंचाई कार्य	14	(लाख रु.)	
वन कार्य	1		
कुल कार्य	22		

राहत कार्यो पर श्रम विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 5 (9) श्रम/84 दिनांक 30-1-85 से टास्क के अनुसार कार्य करने पर श्रमिक को एक दिन में 11/- रु. देय हैं।

तकनीकी विभागों के प्रशासनिक मुखिया

285. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनू): क्या मुख्य (कार्मिक विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पूर्व में राज्य सरकार ने इस आशय का निर्णय लिया था कि फलां-फलां विभाग का शासन सचिवों तकनीकी योग्यता सम्पन्न उस विभाग का अधिकारी अथवा अन्य होंगे? यदि हां, तो इस निर्णय को कब से लागू किया जाना था?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त निर्णय को व्यवहारिक रूप किन-किन विभागों में दिया गया और किन किन में लागू किया जाना शेष है और क्यों? इस निर्णय को सम्पूर्ण रूप से कब तक लागू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

डीग महाविद्यालय भवन

286 **श्री सम्पत सिंह** (नगर): क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या जिला भरतपुर में डीग स्थित महाविद्यालय भवन राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस पर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली धनराशि व्यय की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज. महाविद्यालय डीग के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः धनराशि व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य को आवंटित सीमेन्ट का कोटा

287. **श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या खाद्य एवं राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत वर्ष सीमेन्ट का कितना कोटा आवंटित किया गया था, तथा उनमें से कितना सीमेन्ट कोटा का उठाया गया ?

(2) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना-कितना सीमेन्ट दिया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य को गत वर्ष 1984 में केन्द्र से 2,66,700 मै. टन लेवी सीमेन्ट का आवंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आवंटन का विभाग द्वारा उप आवंटन भी 2,66,700 मै0 टन किया गया। उक्त आवंटन में से जिलाधीशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जन वितरण हेतु 1,16,960 मै0 टन, रेट कान्ट्रेक्ट पार्टीज यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, ब्रिज कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषदों व पालिकाओं आदि को 1,08,880 मै0 टन औद्योगिक संस्थानों को देने हेतु उद्योग विभाग को 32,595 मै0 टन तथा स्कूल, धर्मशाला, मन्दिर, मस्जिद आदि सार्वजनिक संस्थानों के लिए 8,295 मै0 टन सीमेन्ट का उप आवंटन किया गया।

(खाद्य एवं राज्य मन्त्री)

जन वितरण हेतु किये गए उप आवंटन में से जिलाधीशों ने 88,469 (डूंगरपुर को छोड़कर) मे0 टन सीमेन्ट प्राप्त किया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जन वितरण हेतु आवंटित सीमेंट के अतिरिक्त शेष सीमेंट जो अन्य सस्थानो को आवंटित की जाती है, के उठाव की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं होती है। अतः इस सम्बन्ध में सूचना दिया जाना सम्भव नही है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जन वितरण हेतु प्राप्त सीमेंट में से शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित सीमेंट की मात्रा क्रमशः 37,251 एवं 51,218 मे0 टन है।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के कर्मचारियों में बकाया

288. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर)--क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि, जयपुर के कर्मचारियों पर बकाया की सूची में एक कर्मचारी पर 3 लाख 83 हजार रुपये की राशि बकाया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के नाम सहित समस्त विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही कि उपरोक्त राशि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा गबन की गई थी तथा उसे छिपाने के लिए तत्कालीन प्रबन्धक संचालक ने वाउचर बनाकर उसे वैधानिक बकाया बताया है ? कृपया प्रबन्ध संचालक द्वारा बनाया गया वाउचर तथा अन्य सम्बन्धित रेकार्ड सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि अलवर शीतागार में हुए गबन की है ?

जो वहां के तत्कालीन मैनेजर द्वारा वर्ष 1981 में ही बेच दिया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि राजफैड के प्रशासन द्वारा उसे 30-6-1982 को स्टाक में दिखाकर 1981-82 की आडिट रिपोर्ट में दर्शाया है ? उसकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथा 1981–82 की आडिट रिपोर्ट कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एक कर्मचारी पर 3,83,406.45 रु. की राशि बकाया हैं। कर्मचारी के नाम सहित समस्त विवरण सलग्न है।

(2) जी हां, किसी तथ्य को छुपाने के लिए वैधानिक बकाया नहीं बताया गया है वाउचर की फोटो स्टेट प्रति सलग्न है।

(3) जी हां। किन्तु यह सही नहीं हैं कि माल सन् 81 में बेच दिया गया था।

(सहकारिता राज्य मन्त्री)

(4) जी हां। बिक्री के हिसाब के अभाव में इसे स्टाक में दर्शाया गया था। वर्ष 81-82 की आडिट रिपोर्ट संलग्न है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की पत्रावली मिल नहीं पा रही है और उसे तत्परता से तलाश किया जा रहा है। नहीं मिलने की स्थिति में उत्तरदायित्व निश्चित किया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

(कार्यालय टिप्पणी की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं।

1. श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर प्रोसीक्युटिंग लोक अभियोजकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

2. श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में सरसों की खरीद की कीमत न चुकाने के सम्बन्ध में।

3. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन अस्पताल में लेडी डाक्टर के न होने की सम्बन्ध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के पोषाहार कार्यक्रम में गड़बड़ी के सम्बन्ध में।

5. श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर ग्राम लड़ानिया के विद्यालय भवन के सामान में गड़बड़ी के सम्बन्ध में।

6. श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक अध्यापिका का वेतन जिलाधीश भरतपुर द्वारा रोक देने के सम्बन्ध में।

7. श्री बिरदमल सिंघवी और श्री अर्जुनसिंह देवड़ा सदस्य, विधान सभा की ओर से रानीवाड़ा को डेयरी पुनः चालू न करने के सम्बन्ध में।

8. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चावंडिया तहसील नावों में गैर मुमकिन नाडी व गोचर भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

9. श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से बाघनवाड़ा जिला अजमेर सहकारी समिति में लाखों रुपयों के गबन के सम्बन्ध में।

10. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया और श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी नहर की चक एक एल. के. डी. मुरब्बा न. 6/52 दो व्यक्तियों को आवंटित कर देने के सम्बन्ध में।

11. श्री लालचन्द डूडी, श्री शीपतसिंह और श्री रामेश्वरदयाल, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से जयपुर शहर की लालकोठी एरिया में अनियमित आवंटन के मामलों की जांच कर चार्ज शीट पेश करने की अनुमति न देने के सम्बन्ध में।

12. सुश्री पुष्पा जैन सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि गणना विभाग की गाड़ी के दुरुपयोग व इसकी लोकबुक में असत्य इन्द्राज के सम्बन्ध में।

13. श्री हरिकुमार औदित्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले में पेयजल अव्यवस्था से पशुधन की मृत्यु के सम्बन्ध में।

14. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का कागज खराब होने और बाईंडिंग कमजोर होने में सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

1. श्री हंसराज मीढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ नगर में पानी के वितरण में अनियमितता में सम्बन्ध में।

2. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जीवणदेसर निवासी श्री रामकरण की हत्या के मामले पर कार्यवाही न किये जाने के बारे में।

3. श्री मोहन प्रकाश सदस्य, विधान सभा की ओर बाड़मेर व श्री गंगानगर में आतकवादियों की घुसपैठ के बारे में।

4. श्री गणेश लाल बैरागी सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की कानून व्यवस्था खराब होने बाबत।

5. श्री बहादुरसिंह व श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले में भीषण अकाल की समस्या के बारे में।

6. श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर कोतवाल द्वारा एक महिला को पीटे जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री चम्पालाल बांठिया व श्री गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर व जैसलमेर जिले में पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में।

8. श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य विधान सभा की ओर से कस्बा रावतसर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक मकान को तोड़ देने के सम्बन्ध में।

9. श्री नवरंगसिंह व श्री केशरदेव, सदस्य, विधान सभा की ओर से थानेदार लक्ष्मणगढ़ (सीकर) द्वारा जनता पर फायरिंग के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक महिला की उसके ससुराल वालों द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को पेयजल और पुलिस की मांगों पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस की चर्चा आज ही होगी उस समय माननीय सदस्यों को जिन-जिन का सम्बन्ध ला एण्ड आर्डर और पुलिस से है उनको आज ही स्वीकृति दे दी जाएगी और जिन माननीय सदस्यों को पेय जल के सम्बन्ध में है, पेय जल की डिमाण्ड कल सदन में आने वाली है। इस समय माननीय सदस्यो को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

1. श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई के सरपंच द्वारा पंचायत की जमीन बेचे जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान लाटरी में अनियमितताओं व घाटे के सम्बन्ध में, प्रस्ताव अस्पष्ट है।

3. श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जेल विभाग के एक कर्मचारी का 18 माह से वेतन न देने के सम्बन्ध में।

4. श्री संपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डीग महाविद्यालय में पुस्तक बिक्री केन्द्र को "बी" श्रेणी का माने जाने सम्बन्ध में, यह प्रस्ताव अस्पष्ट है।

5. डा उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में चीनी के भावों में वृद्धि और राशन की दुकानों पर चीनी न मिलने के सम्बन्ध में।

6 श्री जगतसिंह दायमा, सदस्य, सभा की ओर से बावरिया (बानसूर) के पास एक टूटे हुए बांध को पुनः बांधवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा केन्द्र पर सरसों की अपर्याप्त खरीद तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और 16.9.85 को आधे घंटे की चर्चा भी होगी। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है और माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति उसी समय 16-7-85 को आधे घंटे की चर्चा में दी जाएगी।

2. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री हरिशंकर भाभड़ा और श्री बिरदमल सिंघवी सदस्य विधान सभा की ओर सूरतगढ़ नगर के आस पास के गांवों में पेयजल की समस्या।

3. श्री ग्यारसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई निर्वाचन क्षेत्र में हैंडपम्प बन्ध होने के सम्बन्ध में।

4. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डाबरा गांव के

(श्री अध्यक्ष)

ग्रामीणों के लिए पानी के अभाव में सम्बन्ध में।

5. श्री नारायणराम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के 422 गांवों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में।

6. श्री चुन्नीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में पानी के अभाव के सम्बन्ध में।

7. श्री संपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा नगर में वितरित किए जा रहे पानी में डी. टी. एस. की मात्रा अधिक होने के सम्बन्ध में।

8. सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

9. श्री नवरंगसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पेयजल की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

10. श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र के गांवों में पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में।

11. श्री संपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा गोपालगढ़ जिला भरतपुर में वितरित किये जा रहे पानी से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में।

12 श्री माणक चन्द डागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पचायत नरवदखेड़ा में खोदे गए कुए को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों के प्रस्तावों पर दि. 12.7.85 को पेयजल की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति दी जाएगी।

अब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिनके स्थगन प्रस्ताव आज मैंने अस्वीकार किए हैं, वे कृपया संक्षेप में अपनी बात सदन में अभी कह दें। श्री ग्यारसीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती विद्या पाठक : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा कल का पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कल दिया था और आज के लिए स्वीकृति चाहिए। आपको सुबह कह दिया है।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव आपकी जानकारी के लिए भेजे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा स्थगन प्रस्ताव दुरुपयोग के बारे में नहीं है, मेरा स्थगन प्रस्ताव यह है कि गाड़ी की लोक बुक का दुरुपयोग किया गया था, उसके गायब करने

(सुश्री पुष्पा जैन)

के सम्बन्ध मे है और उसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या हो सकता है आपके पास होगी लेकिन मुझे जानकारी तो लेनी पड़ेगी। माननीय सदस्या, कृपया बैठें। जानकारी लेनी पड़ेगी मुझे। जो भी होगा मैं कह दूंगा आप उस पर चर्चा कर लीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भ्रष्ट अधिकारी के....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बैठें।

श्री बिहारी लाल : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न आ गया है।

श्री बिहारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण की व्यवस्थाओं का उत्तर यहां पर नहीं आता, आप चैम्बर में आकर मुझ से बात कर लीजियेगा। यहां तो स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्थाओं पर है।

(व्यवधान)

कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं जानकारी और लेना चाहता हूं। कल मेरा स्थगन प्रस्ताव आपने रिजेक्ट किया था। मैंने कहा था 5 हजार पशु कोटा जिले में मर गये और आज बूंदी जिले के कस्बे में एक हजार पशु और मर गये। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आपने हमारा रिजेक्ट तो कर दिया परन्तु राज्य सरकार चारे की व्यवस्था तो कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपसे तो मैं अपेक्षा करता हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन का....आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिल्कुल ठीक है। मेरा निवेदन यह है कि यह स्थिति आती रहेगी और एक के बाद दूसरे जिले में पशु अगर मरते रहेंगे और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो बनेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका जवाब आते ही मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आयेगा जब तक क्या स्थिति बनेगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज ही....

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाई माधोपुर में पुलिस संबंधी स्थगन प्रस्ताव था ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब एक सदस्य बोल रहे है तब तक दूसरा सदस्य नहीं बोला करता ।

श्री मोतीलाल मीणा : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मुझे एक दिन भी बोलने का मौका नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये, एक को बोलने दीजिये । आपको पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिये, मैं आपको ना नहीं करूंगा । आप बैठें कृपया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार कुछ कहे तो सही, चारे की व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आज एक रिमाइन्डर और दूंगा । उसका आज एक रिमाइन्डर मैं और दे दूंगा । और कल इस पर जवाब आते ही मैं सदन में प्रस्तुत कर दूंगा । आर्डर प्लीज । कृपया बैठें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि नियमित रूप से बूंदी जिले में पशुओं के मरने के संबंध में....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप रिमान्डर ना दें । आप तो सरकार से कह दें कि पशु मर रहे हैं आखिर कोई चारे की व्यवस्था तो कर दें, कम से कम चारा तो भिजवा दें वरना कल और छप जायेगा कि दो हजार पशु और मर गये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठें । राज्य सरकार से मैं बात करूंगा । आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र आपके क्षेत्र से लगा हुआ है आप स्वयं चल कर वहां पर देख लें कि पशु कितने तेजी से मर रहे हैं, सड़कों के किनारे पशु मर रहे हैं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपकी बात को समझ लिया मैंने । माननीय ललित किशोर जी ने यही कहा और उनको मैंने कहा मैं आज ही राज्य सरकार से बात करके कल इस के बारे में कोई व्यवस्था दूंगा । कृपया बैठें आप ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज ।

श्री हरिश शर्मा : माननीय सदस्यों ने कहा है कि सिंचाई का....

श्री अध्यक्ष : यह तो सभी क्षेत्रों के सदस्यों की स्थिति हो सकती है। माननीय सदस्य कृपया बैठें मैंने व्यवस्था दी है।

श्री हरीश शर्मा : कोटा, बूंदी, झालावाड़ के तीन जिलों के....

श्री अध्यक्ष : माननीय तीनों सदस्य जिलों की है, ठीक है मैं यह नहीं कहता। कृपया बैठें।

श्री हरिश शर्मा : पशु मर रहे है, अध्यक्ष महोदय सवाल, ये है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको मौका मिल जायेगा। मैने जो व्यवस्था दी है। कृपया आप बैठें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इतने पशु मर गये हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर व्यवस्था दे दी है फिर आप रिपीट कर रहे है। आप कृपया संयम रखें थोड़ा सा।

श्री हरिश शर्मा : पशुओं के लिए चारा है नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कह दिया, थोड़ा संयम रखें। आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री हरिश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम लडानिया की पंचायत समिति के सम्बन्ध में।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप चारों बोलेंगे, मेरी समझ में नहीं आयेगा....

श्री हरिश शर्मा : रास्ते में ढेर लग गये, मर मर के....

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जाइये, मुझे क्या एतराज है। माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं कि मैंने व्यवस्था दे दी है। कल मैं इसका जवाब दूंगा। कल उत्तर मंगवा कर जवाब दूंगा। आप इतना भी संयम नहीं रखते। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

श्री हीरासिंह चौहान : (रायपुर) : मेरा एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने रायपुर पुलिस थाने के अत्याचार के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगे, आज आप बोलेंगे, मैंने उस पर व्यवस्था दें दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : बोलने की व्यवस्था आप देंगे तब ही हम बोल सकेंगे साहब।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कह दिया था लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है कि जिन लोगों के स्थगन प्रस्तावों के आधार पर मैंने किसी को बोलने की स्वीकृति दी है उनको प्राथमिकता दूंगा बोलने के लिए, कृपया बैठें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपको मौका दे रहा हूं और फिर उसको आप डिले करना चाहते हैं। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। आर्डर प्लीज।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर की पवित्रता नष्ट करने के के सम्बन्ध में मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था वह तीन दिन पहले राज्य सरकार को भेजा था....

श्री अध्यक्ष : तीन दिन का तो समय मैं देता हूं।....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कृपया आप उनको और रिमान्डर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आज जवाब नहीं आयेगा तो मैं निश्चित रूप से रिमान्डर दूंगा। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने लोटरी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया....

श्री अध्यक्ष : आपने सुना नहीं, मैंने व्यवस्था दी है।

श्री नाथूसिंह : आपने कहा स्पष्ट नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे देजिये उसमें मैंने आज उसको रिजेक्ट नहीं किया....

श्री नाथूसिंह : बोलने का मौका....

श्री अध्यक्ष कृपया बैठें आर्डर प्लीज। श्री ग्यारसी लाल।

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे पांच स्थगन प्रस्ताव विचारार्थ के लिए सरकार को भेजे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपने अगर सुना नहीं तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री चम्पालाल बांठिया : ....पाकिस्तान के घुसपेठियों द्वारा मेघवालों को सता कर उनसे माल लूट कर ले गये, मैंने दो तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था अभी तक सरकार से जवाब नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने सुना नहीं है, आपने मेरी व्यवस्थाओं को सुना नहीं है। जो भी आपके स्थगन प्रस्ताव पुलिस से, ला आर्डर से संबंधित हैं उन सब के लिए मैंने व्यवस्था दी है, आपका नाम भी उसमें हैं। माननीय सदस्य, डिमाण्ड के समय आपको बोलने का अधिकार दिया है, आप बोल सकेंगे। कृपया बैठें। आप सुन

(श्री अध्यक्ष)

लीजिये, आप यहां बात करते है तो कैसे सुनेंगे। कृपया बैठें। श्री ग्यारसीलाल।

श्री चम्पालाल बांठिया : पांच स्थगन प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है सरकार के पास।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में दो दिनों से हरिजनों की स्ट्राइक चल रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कृपया बैठें। मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, परन्तु राज्य सरकार से....

श्री अध्यक्ष : आपने कुछ मुद्दे उठाये हैं, इन मुद्दों के बारे में मुझे राज्य सरकार से जानकारी लेनी होगी....

(व्यवधान)

....आपने उसमें ऐसे मुद्दे दिये हैं, आपनेजो मुद्दे उठाये है....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में जगह-जगह कुड़े के ढेर पड़े हुए हैं, गटर का पानी बह रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप चाहते हैं मैं उसको रिजेक्ट कर दूं। आप चाहते है मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, फिर आप बोल लेंगे उससे संतोष हो जायेगा क्या मैंने उसको रिजेक्ट किया आप बोल लीजिये नम्बर आने पर। कृपया बैठें। श्री ग्यासीलाल।

श्री ग्यारसीलाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वैसे ही बोल लेंगे आप मेरी बात को तो मानेंगे नहीं। आर्डर प्लीज, मैं ना करूंगा तो भी आप बोलेंगे।

श्री ग्यारसीलाल परिहवाल (निवाई) आदरणीम अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक इस तरह का मसला बताने जा रहा हूं जो तहसील क्षेत्र निवाई, विधान सभा क्षेत्र निवाई, ग्राम पंचायत ढाणी जुगलपुरा, वहां के सरपंच द्वारा एक जमीन, जो रोड के बिल्कुल पास थी अलाट कर दी। उसके लिए पी. डब्ल्यू. डी. अपना दावा करती है, नगरपालिका अपना दावा करती है और पंचायत समिति डाणी जुगलपुरा अपना दावा करती है। इन तीनों की लड़ाई में वहां के सरपंच ने उस जमीन को जो वहां बहुत ही गरीब लोग रहते हैं जैसे सींगिया, मदारी, ये कुछ लोग इधर उधर फिरते हैं, जिनके डेरे होते है और वे रात को डेरा लगाते हैं, इस तरह वे लोग काफी टाइम से वहां रह रहे थे. सरपंच ने इन लोगों को वह जमीन अलाट कर दी। यह तो अच्छा किया कि उन्होंने वह जमीन गरीब तबके या सींगिया जाति के जो लोग थे उनको अलाट की लेकिन उनको अलाट करने के

(श्री ग्यारसीलाल परिहवाल)

बाद न तो उनको पट्टे दिये और प्रत्येक अलाटमेन्ट की कीमत 500/- रु. से लेकर 1000/- रु. तक उनसे चार्ज लिया। उन्होंने उन व्यक्तियों को अलाट तो कर दिया, करने बाद वहां पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी था। कलेक्टर साहब द्वारा मौका देखा गया। कलेक्टर साहब ने वहां मौका देखा कि वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पंचायत समिति द्वारा जो कुई खुदवाने का कार्य था कि वहां एक छोटी सी कुई खुदवायी जाये, कारण क्या था कुई खुदवाने का, कुछ थोड़े ही परिवार थे लेकिन कहा यह गया था कि उन लोगों को जो सींगी, मदारी, जो बाहर घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे। इन लोगों को जो वहां के आसपास के जमींदार हैं, जागीरदार हैं वे उनको अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं। वे जब मटके लेकर जाते हैं तो फोड दिये जाते हैं या बाल्टी या कुछ भी लेकर जाते हैं तो कुओं में फेंक दिया जाता है और उनको मारकर भगा दिया जाता है। इसलिए वहां पर एक कुवे का निर्माण कराने के लिये पंचायत समिति से तीन हजार रुपये पास कराये। इन पैसों का यह दुरुपयोग हुआ कि वह कट्टे सीमेंट, 500 ईटें और 2 लड्ढे ऊंटगाड़ो के, वहां एक गड्ढा खोद दिया गया और उसमें कुछ पत्थर डाल दिये गये। उसको नीचे से कुआनुमा बना दिया गया जिसमें पानी का एक कतरा भी नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए जिनके लिए कुवा खोदने सरकार ने पैसा दिया उस पैसे को सरपंच ने गायब कर दिया वहां जो जमीन बेची, नाजायज जमीन बेची, वह पैसा गायब कर दिया। आज उस सरपंच की स्थिति में वर्षों से जानता हूं कि वहां उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। आज वह मकान बना रहा है। कम से कम एक लाख की लागत से मकान बनाने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां उन लोगों के लिए कुवा बनवाया जाय वह जमीन जो उनको मिली है उनका पट्टा दिलाया जाय और उनको बसाने का माकूल इन्तजाम कराया जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल चौहान

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, श्री रत्नेश कुमार सिंह, स्टेनोग्राफर जिसकी प्रथम नियुक्ति जनवरी, 1979 में हुयी थी और स्टेनोग्राफर पर नियुक्ति 22 जनवरी, 1980 को हुयी थी। उसको स्टेनोग्राफर बनाया था उसकी पहली नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुयी थी और साल भर के बाद उसको स्टेनोग्राफर बना दिया गया था। स्टेनोग्राफर बनाने के बाद में उसका फिर रिवर्सन कर दिया गया था। इस बीच में स्टेनोग्राफी की परीक्षा

(श्री मोहनलाल चौहन)

उसने लोक सेवा आयोग मे पास कर ली। लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करने के बावजूद भी जेल विभाग के महानिरीक्षक ने उसका रिवर्शन कर दिया और उसको वापस लिया नहीं उसको जी.ए.डी. में भेज दिया पर जी.ए.डी. वालों ने भी उसको नही लिया और इस प्रकार से वह धक्के खा रहा है। उसको प्रमोशन भी मिला परन्तु प्रमोशन का फायदा नहीं मिल रहा है और अब उसको कनिष्ठ लिपिक वापस बनाया गया है। लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास शुदा व्यक्ति को कनिष्ठ लिपिक बनाना यह कहां का न्याय है इस कर्मचारी को जनवरी 1984 से 18 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया है। इसलिए उसको वेतन मिलना चाहिए आप देखें यह एक सीरियस मामला है। इस कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है। यही निवेदन करता हूं कि इस कर्मचारी की समस्या पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) - माननीय अध्यक्ष महोदय, चीनी के दाम बढ़ने और उसके न मिलने के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है। जयपुर नगर में 530 दुकानें हैं राशन की। 530 राशन की दुकानों पर इस समय जो चीनी मिलनी चाहिए थी लगभग अधिकांश दुकानें बंद हैं और अभी पिछले दिनों मुझे शिकायत मिली थी तो मैं राशन की दुकान पर पहुंची, 78 नं. की दुकान बंद थी। उसको घर से बुलवाया तो घर से रजिस्टर के साथ आया। चढ़ाकर लाया। उसने 6 बोरी चीनी घर पर ही बेच दी। इस तरह से राशन की चीनी जो 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से मिलती है, नहीं मिल रही है। शहर में नहीं मिल रही है। जालुपुरा में तीन दूकानें हैं तीनों बंद पड़ी हैं मैं खुद चीनी की दुकान देखने गयी, इसलिए देखने गयी कि बाजार में चीनी साढ़े आठ रुपये किलो बिक रही थी। सरकार पता नहीं है या नहीं है। सो रही है या जाग रही है। तीन दामों में चीनी बिक रही है। साढ़े आठ रुपये किलो बाजार में बिक रही है पहले 22 रुपये किलो चीनी बाजार में बिकी है। चार पांच साल पहले जब हनुमानजी प्रभाकर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे मैंने उनसे कहा, यह क्या हो रहा है तो बोले कि 40 रुपये किलो बिके तो हमें क्या मतलब है। साढ़े आठ रुपये किलो बिके तो उनको क्या मतलब, उनकी कोई जेब से तो जाता नहीं है कमीशन। चीनी की बोरी घर पर पहुंच जाती है जो हम जैसे लोग हैं, गरीब लोगों को नागरिकों को जो बेहद गरीब हैं हैंड टू माउथ हैं, सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, साढ़े आठ रुपये किलो चीनी लेंगे और राशन की दुकानें बंद पड़ी हैं। दिखाने के लिए दो तीन चार ट्रक चौपड़ पर खड़े कर दिये हैं। आयातित चीनी है मैंने सोचा थोड़ी बहुत बचत रहेगी देखूं उसको। लेकिन चीनी घोलते-घोलते गये मीठी नहीं हुयी। यह सरकार क्या कर रही है, समझने में नहीं आता है। अपने कोटे की चीनी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उठाती नहीं। जिनको देती है वे बेचते नहीं और जो सड़कों पर बिकती है वह मीठी नहीं। जो बाजार में चीनी है उसकी रेट साढ़े आठ रुपया है सरकार ने रोका नहीं। क्यों नियंत्रण नहीं कर रही है सरकार। गांवों में तो चीनी के दर्शन किये वर्षों हो गये हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार कर क्या रही है। राशन की दुकान की आवश्यकता केवल चीनी के नाम पर महसूस हो रही है। गेंहू मिलता नहीं, खाद्य तेल मिलता नहीं है, सीमेंट, कोयला का नाम राशन में नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि चीनी देते हैं राशन की दुकान पर, क्या जरूरत है? राशन की दुकानें बन्द पड़ी रहती हैं और चीनी बिक जाती है। मैंने उससे पूछा कि एक घण्टा हो गया तो तुमने कितनी चीनी बेची, उसने कहा चार आदमियों को। सुबह से दुकान खुली नहीं थी उसमें बेच दी 6 बोरी। इस तरह से जयपुर के नागरिकों को चीनी के लिए परेशान किया जा रहा है। एक गलत आदत पड़ गयी है सुबह उठते ही बैड टी पीने की। चाय पीते हैं तो आपका नाम याद आ जाता है। यह सरकार का क्या तमाशा है, समझ में कुछ नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को आप ताड़ना दीजिए चेतावनी दीजिए, उनको समझाइये कि इनकी पहले ही छवि खराब होने के कारण टिकट नहीं मिला, अब छवि खराब है तो क्या मिलेगा। मत्री वन्त्री तो बने नहीं जो बने हैं वह भी निकल जायेंगे। मेरा आग्रह है कि आप इन्हें समझायें नित्य उपयोगी जो वस्तुयें हैं सामान्य नागरिक के रोजाना के काम में आती है उन पर नियंत्रण करें। उसको सबसीडाइज करके देना चाहिए। उसमें क्यों नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, दिनों दिन परेशानी पैदा कर रही है। इस तरह से जयपुर के लोगों को तकलीफ हो रही है ......

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान के लोगों को पहुंचा रहे हैं।

श्री मती उजला अरोड़ा : राजस्थान के लोगों को पहुंचा रहे हैं, वह अलग बात है मैं तो जयपुर के लोगों के साथ..........

श्री अध्यक्ष : उनका सीमित दायरा है। आप तो आमेर से पाली चली गयी थे वही हैं मुकाम पर हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब आप बताइये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या करना चाहिए जब राशन में चीनी 4 रु. 20 पैसे किलो है हमारे जमाने में तो 2 रु. 15 पैसे थी आते ही दुगुनी कर दी 4 रु. 20 पैसे या चार सौ बीस या 4 रु. 40 पैसे। दो तरह के दाम दे रहे हैं जो चीनी राशन की उपलब्ध करा रहें है मेरा कहना है कि इस तरह की हालत है, उस पर नियंत्रण करें। पिछले तीन महीने से चीनी आयी नहीं। और अब दूकानें बन्द हैं, जो चीनी बिक रही है घर बैठे बेच रहे हैं। उन पर कोई नियंत्रण नहीं हैं दुकानदार को मेरे ख्याल से कमीशन कम देते हैं इसलिए वह बेईमानी कर रहा है। ऊपर से नीचे तक बेईमानी है। नागरिक पिस रहा है इस तरह से छूट मिली हुयी है इसलिए सरकार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

को आगाह करें कि दाम को काबू में करें। बाजार में जो रेट बढ़ रही है उसको नीचे लायें और राशन की दुकानें खुलवायें और चीनी उपलब्ध करायें चाहे कोटे में कम ही हो मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस समय यह कहा गया कि चीनी दो तो उन्होंने कहा, एक घण्टे में सारी बेच दी। चीनी लेने गये तो मिली नहीं। इस तरह से नागरिकों की परेशानी बढ़ रही है। इस प्रश्न को, मैं समझती हूं, आप देखें। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को, आपके हाथ में सब कुछ है सारा, सरकार पर आप अंकुश लगायें। हम आप से ही कहना चाहते हैं.......

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रयत्न करके चीनी मिल सके, सही दामों पर मिल सके। सरकार चीनी के दाम बांध दे, जो बाजार में बेचने वाले हैं उनके। मैं समझती हूं, यही उपचार मेरी समझ में आता है। यही कह कर मेरी बात समाप्त करूं कि चीनी की सुव्यवस्था जयपुर नगर में हो, गांवों में हो, राजस्थान में हो, आप सरकार को बाध्य करें।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में पिछले दो दिनों से कल और आज, हरिजनों की हड़ताल चल रही है। हरिजनों ने पर्याप्त समय दिया सरकार को, पर्याप्त समय दिया यहां के प्रशासक को कि हड़ताल टले। उन्होंने अपने मांग पत्र का जिक्र किया था कि वे शान्ति पूर्वक वार्तालाप के माध्यम से हरिजनों, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। हरिजन कर्मचारियों का मांग पत्र भी मेरे पास मौजूद है। कई बातें हैं इस मांग पत्र में। उनके इस मांग सूत्री पत्र में उनकी मांगें है उनको मुख्य लगभग 36। मेरा निवेदन करना यह है कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं मन्त्री जी को बीच में पड़कर जयपुर शहर के पांचों प्रतिनिधियों के साथ बैठकर, हरिजन कर्मचारियों के साथ बैठकर, इस हड़ताल को टालना चाहिए। हड़ताल को इसलिए टालना चाहिए कि पहले से जयपुर शहर में गलियां सड़ रही हैं। जगह जगह गटर का पानी बह रहा है। जगह जगह गटर अवरूद्ध हैं। शौचालय, मूत्रालय, मैं समझता हूं, बिलकुल सड़ रहे हैं। पानी की अलग-अलग जो टंकियां हैं, शौचालय, मूत्रालय में, वह पानी का प्रैशर नहीं होने के कारण सड़ रही हैं। बड़े बड़े नाले, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जो वर्षा से पहले साफ हो जाने चाहिए उनकी सफाई की व्यवस्था की नहीं गयी। और की गयी है तो बहुत देरी से प्रारम्भ की गयी और उनके बीच में हरिजनों की स्ट्राइक हो जाने से गरमी के इन दिनों में हालत बहुत खराब हो जायेगी। हरिजन कर्मचारियों की मांग यह है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनको 200 दिन पूरे हो गये उनको स्थायी कर दिया जाय। मैं समझता हूं, यह एक वाजिब मांग है। इसमें कर्मचारी हैं, मान्यवर, वह हैं 1174

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिनको 200 दिन से ऊपर हो गया। मैं आप से कहना चाहूंगा, शास्त्री नगर, सुभाष नगर, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर शहर में मालवीय नगर बन गया, अन्य कालोनीज बन रही हैं। यों ही म्यूनिसपेलिटी के पास हरिजन कर्मचारियों की कमी है। यदि इन कर्मचारियों को सरकार ले लेती है, यदि एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल प्रशासक ले लेता है तो बड़ी बड़ी कालोनीज जहां पर केवल दो दो हरिजन मात्र हैं, जबकि जयपुर शहर में थ्री टायर सिस्टम है, एक नाली साफ करता है एक कूड़ा उठाता है। इस छोटे से सिस्टम को व्यवस्थित करके जयपुर शहर की सफाई की व्यवस्था कर सकेंगे। मुझे लगता है, कि 200 दिन पूरे जिनको हो गये उनको ले लिया जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें दूसरी मांग है सफाई से सम्बन्धित सभी प्रकार के साधन....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : फावड़ा परात, पंजे, टोकरियां बांस की, नारियल की झाड़ू दी जाय, यह कर्मचारियों की मांग है। अब यहां पर नगर पालिका में, यह उत्तर दिया गया था कि डम्पर्स हैं 18, ट्रैक्टर हैं 31, वेन्स हैं 30, मैकेनिकल स्वीपर है 2 हाइड्रोलिक केरियर हैं 2 और 30-32 ट्रैक्टर प्रतिदिन और किराये पर लिये जाते हैं और गाड़ी है, मच्छर मारने की गाड़ी है लेकिन जो मामूली उपकरण हैं इन कर्मचारियों की मांग है कि उनको परात, फावड़, पंजे, टोकरियां बांस की और नारियल की झाड़ू मिलनी चाहिए, मैं समझता हूं, गैर वाजिब मांग नहीं है। प्रकार से चौकड़ियों में हाजरीगाह हों, यह भी गैर वाजिब मांग नहीं है। उन्होंने कहा है कि नगर के बढ़ते हुए कार्य की दृष्टि को देखते हुए....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। आप तो सभी पाइन्ट, मांगों पर....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मध्य नजर रखते हुए 800 मेहतर कर्मचारियों की नियुक्ति जिसमें 200 पुरुष और 600 महिलायें हों। इन बस्तियों में सुव्यवस्था हो ताकि वे ठीक प्रकार से जीवन यापन कर सकें। उनके लिए नल की, बिजली की, सब प्रकार व्यवस्था हो। दुर्भाग्य यह है कि हरिजन बस्तियों में सुधार करने के लिए, कच्ची बस्तियों में सुधार करने के लिए वर्तमान में जो बजट रखा गया है, आज तक कच्ची बस्तियों के विकास करने के लिए, हरिजन बस्तियों का विकास करने के लिए धनराशि रखी गयी पर एक यहां पर पैसा भी इस बजट में नहीं रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर नारकीय जीवन पहले ही व्यतीत कर रहा था, हरिजनों की हड़ताल हो जाने से जीवन और भी खराब हो जायेगा। इसलिए मुख्य मन्त्री जी और स्वायत्त मन्त्री जी को जयपुर के पांचों प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर इन हरिजन कर्मचरियों को अपने बीच में

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लेकर उनकी वाजिब मांगों को तुरन्त स्वीकार करना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए वरना जयपुर के जन जीवन के साथ और राजस्थान के जो 200 विधायक चुनकर आये हैं उनका भी जन जीवन और, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप भी शामिल हैं, सबके जन जीवन का प्रश्न है। इस पर राज्य सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव राजस्थान के जो लघु कुटीर उद्योग, साबुन निर्माता, साबुन जो सबकी रोज की आवश्यकता की वस्तु है, उसके सन्दर्भ में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2 अप्रेल को एक अध्यादेश जारी कर ऐसे लघु कुटीर उद्योग जो साबुन निर्माता हैं, जो एक लाख रुपए तक का वार्षिक साबुन निर्माण करते हैं जो न बिजली का उपभोग करते हैं अपनी इण्डस्ट्री में साबुन बनाने के लिए, न ही उनमें कोई लेबर प्राब्लम आती है, न तो सरकार से किसी तरह का अनुदान लेते हैं, न सरकार के सामने किसी तरह की पाल्युशन की बाधा उपस्थित करते हैं। अभी दो अप्रेल को उन लोगों पर, जो साबुन बनाते हैं, छोटी कैटेगिरी के लोग हैं उन लोगों पर सरकार ने जो एक लाख रुपया वार्षिक से अधिक का साबुन निर्माण करते हैं, बिक्री कर लगा दिया है। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय; साबुन आम नागरिक के रोज की उपभोग की वस्तु है। एक लाख रुपया तो कुछ भी नहीं होता। एक लाख रुपए का मतलब, एक हजार रुपया सालाना लगभग एक परिवार का उसमें काम चलता है। एक तरफ तो सरकार स्वरोजगार के अन्तर्गत 25 हजार रुपए देकर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है एक तरफ सरकार खादी ग्रामोद्योग वाले जो साबुन का निर्माण करते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लेती, बड़े साबुन निर्माता हैं उन पर टैक्स की रेट इन से कम है और उत्पादन कहीं ज्यादा है।

रा मैटीरियल जो उपलब्ध करवाना है वह बड़े साबुन निर्माताओं को करवाया जाता है। छोटों को वह भी किसी तरह हेराफेरी करके लाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जब सब तरह की बाधायें हैं उस पर बिक्री कर और लगा दिया जाय, तो इस तरह की राजस्थान में लगभग 60-70 के करीब इकाइयां हैं, उन इकाइयों के सामने अस्तित्व का प्रश्न आ गया है। इसी के साथ बेरोजगारी की समस्या की सम्भावना उस परिवार के लिए बढ़ गयी। इन 60-70 इकाइयों में से 70 परसेन्ट सिर्फ जयपुर में हैं। इन पर जो बिक्री कर लगाया है उससे सरकार को 5-6 लाख रुपया का लाभ होने की सम्भावना बन सकती है यदि पूरी बसूली कर सकें तो। इस तरह हमारे पास पड़ौस के जो प्रान्त हैं उनमें किसी तरह का टैक्स नहीं है। जो कोई लगे भी तो विथड़ा कर लिये गये समय समय पर। दिल्ली को ही लें, यहां तो साढ़े सात लाख रुपए तक के साबुन पर टैक्स है नहीं। इसके अलावा 15 परसेन्ट जो उत्पादन कर लगा था उसको भी घटा कर 4 परसेन्ट कर दिया गया। यानि पास पड़ौस के प्रान्त तो कन्सेशन दे रहे हैं इस तरह की काटेज इण्डस्ट्रीज को और हमारा प्रान्त उस पर बिक्री कर और एडीशन लगा रहा है। वह भी छोटे

(श्रीमती विद्या पाठक)

साबुन निर्माताओं पर। नतीजा क्या होने वाला है, हमारा मार्केट दूसरे प्रान्त के साबुन प्रोडक्शन से पट जायेगा और हमारे यहां के लोग बेरोजगार हो जायेंगे। यह सरकार का जो सोचने का तरीका है यह बिलकुल जन विरोधी तरीका है। जो बड़े साबुन निर्माता हैं उनका साबुन आज भी सस्ता मिल रहा है। नतीजा यह होगा कि इस महंगाई से रा-मैटीरियल दे नहीं, महगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, साबुन का वजन घट गया, कीमत बढ़ गयी, उपभोक्ता सीधा प्रभावित होगा। अतः मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि बिक्री कर लगाने की सोचें तो बड़ी इण्डस्ट्रीज पर जो एडिशनल कर भार को सस्टेन कर सकें। इन लोगों को बेरोजगार करने और उपभोक्ता पर भार बढ़ाने की सरकार की नीति अच्छी नहीं है। इसको तुरन्त विथड्रा करें।

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर रखे जाने वाले....

श्री देवीसिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, क्या ट्रैजरी बैंचेज के सदस्य एडजार्नमेंट मोशन। दे सकते हैं अपनी सरकार के विरुद्ध। ट्रैजरी बैंचेज के एडजार्नमेंट मोशन....

श्री अध्यक्ष : क्या चीज, मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज एडजार्नमेण्ट मोशन पर व्यवस्था दी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। एडजार्नमेण्ट मोशन मेरे सामने नहीं आया। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप देखें, अध्यक्ष महोदय। आपने व्यवस्था दी है हाउस में माननीय सदस्य माणकचन्द डांगी के....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। दैट इज नाट एडजार्नमेण्ट मोशन। टाइम पर आना चाहिए, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : दे नहीं सकते आपने व्यवस्था दी है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप व्यवस्था दे चुके, उस पर पाइन्ट कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अपनी सरकार के विरुद्ध उन्होंने अविश्वास प्रकट किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं देखूंगा, बैठें।

I will look into the matter.

आपका कहना समझ में आ गया मेरे।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय व्यवस्था के पेज 91 पाइन्ट 42 पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

I will look into the matter.

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी हालत में सरकार के प्रति अपने खुद के सदस्य ने अविश्वास प्रकट कर दिया....

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विषय में जो आप देखना चाहते हैं उसी बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर आया है तो मुझे देखने दीजिये कि क्या समस्या ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको क्लेरिफिकेशन कर दूं, अभी मैं माननीय सदस्य श्री माणिकचन्द ढाणी से बात कर रहा था उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है अपने क्षेत्र की कुछ पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देखूंगा ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेण्ट मोशन हो नहीं सकता....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप बात तो पूरी सुन लीजिये पहले ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है नियम 50 के तहत एडजोर्नमेन्ट मोशन है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य-I will look into the matter.

Let me look into the matter.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : मैंने समझ लिया है-Let me look into the matter.

क्या है, क्या नहीं है-I will see.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे एक मिनट सुन लें....

श्री अध्यक्ष : मुझे देखने तो दीजिये, सुनने की जरूरत होगी तो जरूर सुनूंगा । मुझे देखने तो दीजिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब आप व्यवस्था दे देंगे तो हम अपना व्यू पाइन्ट....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी व्यवस्था देने के लिये तो मैंने खुद ने कहा है कि—Let me look into the matter.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप व्यवस्था दें उससे पहले हमको सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मैं देख लूंगा उसको।

श्री जगतसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा जिले में अकाल की समस्या के बारे में बोलने के लिये स्थगन प्रस्ताव।

(व्यवधान)

पर बोलने का मौका....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बांसवाड़ा जिले में अकाल........

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जिनका स्थगन प्रस्ताव है उनको मौका डिमांड के वक्त में दे दूंगा, आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मजबूर हूं, मैंने आपको काल किया था, आप सदन में नहीं थे, सदन की मर्यादा को अगर न समझें तो मुझे अफसोस है........

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको काल किया था, आज तीन माननीय सदस्य एबसेन्ट रहे हैं, मैंने उनको काल किया और काल करने के बाद.......

श्री नाथूसिंह : आर्डर का ध्यान नहीं रहता....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य यह परम्परा न डालें, इसके लिये आपको खेद भी नहीं है। इसका मैं क्या कर सकता हूं।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दूंगा जब तक आप खेद नहीं प्रकट करेंगे तब तक।

श्री देवीसिंह भाटी : परम्पराओं को तो ट्रेजरी बैंचेज वाले ही तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य जब तक आप खेद प्रकट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा। कहां गये थे आप......मुंह से बोलिये, बोलिये मुंह से कहां गये थे आप?

श्री नाथूसिंह : पानी पीने चला गया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा, कृपया बैठ जायं। सदन की पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री जगतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने......

श्री अध्यक्ष : आप भी एब्सेन्ट थे।

श्री जगतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं खेद प्रकट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : खेद प्रकट करने वालों को मैं अवसर दूंगा.......। श्री जगतसिंह।

श्री पंकज पचौली : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खेद प्रकट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने खेद प्रकट कर दिया है, मैंने सुना है।

श्री जगतसिंह।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हमारे बानसूर में, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है उसके पास में बावरिया का एक बांध बना हुआ था और यह बांध अकबर और बाबर के समय का है इसीलिये इसे बाबरिया बांध कहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि आज से करीब 8–9 साल पहले यह बान्ध देख-भाल नहीं होने के कारण टूट गया। अब हाल यह हो रहा है कि इसके नजदीक 10, 15–20 गांव हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15–20 गांवों की लगभग 35 सौ बीघा जमीन है और 35 सौ बीघा जमीन का आज हाल यह है कि कभी वहां पर 70 हजार क्विटल अनाज होता था आज वहां पर कोई मन-दो मण अनाज होता है और कुछ भी नहीं होता

(म. प. 12–45)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस बारे में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज उसके कारण कुओं का जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया है और कई गांवों में पेयजल की समस्या बन गई है। कई गांवों में तो कुवे बिलकुल सूख गये हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि 35 सौ बीघा जमीन जिसमें 70 हजार क्विटल अनाज एक फसल दे सकती है, तो आप अन्दाजा लगा लीजिये कि किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब वह बांध टूट गया तो उसका पानी इधर-उधर बिखरने लगा और जो चाही जमीन थी, अच्छी जमीन थी, उसमें हाल यह हुआ कि कट-कट करके नाले बन गये और नाले बनने से वह जमीन उबड़ खाबड़ हो गई। मैं आपसे यह अरदास करना चाहता हूं कि सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाया जाय। ज्यादा खर्चा भी नहीं है, 4–5 जगह से बांध टूटा है। इसको बांधने की बात नहीं करता लेकिन इस बांध को टूटने से और बचाया जा सकता है तो हमें बहुत ही फायदा हो सकता है, कोई 5–7 लाख रुपये की आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। यहां की जमीन एक फसल में कम से कम 70 हजार क्विटल अनाज हमें दे सकती है। इसके लिए ध्यान फरमाया जाय और जो बांध टूटा हुआ है उस पर थोड़ी-सी लागत से 15–20 गांवों के किसानों का उद्धार हो सकता है, पानी का स्तर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बांध के टूट जाने से कुओं का जो जल स्तर नीचे चला गया है उसको ठीक कराने से पानी का स्तर ऊंचा हो जायेगा। इससे पानी की समस्या भी खत्म हो जायेगी और नाले वगैराह बनकर

(श्री जगतसिंह दायमा)

जो जमीन खराब हो गई, चाही जमीन, अच्छी जमीन उसको खराब होने से बचाया जा सकेगा। इसलिये कृपया सरकार इस ओर ध्यान दे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने··· रूल 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था·······स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था यह होती है कि पहले आप स्थगन प्रस्ताव सरकार को भेजें या उसको कैन्सिल करें·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, मैं और बात कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा एडजोर्नमेंट मोशन सरकार के पास नहीं भेजा·······

श्री उपाध्यक्ष : आपने किस-किस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था, क्या पाइन्ट था?

श्री नाथूसिंह : मैंने लॉटरी डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : लॉटरी डिपार्टमेंट के ऊपर आपका स्थगन प्रस्ताव आ चुका है, स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है·······

श्री नाथूसिंह : उस पर मुझे बोलने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस समय एबसेन्ट थे, सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री नाथूसिंह : वही मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर खेद प्रकट करेंगे तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री नाथूसिंह : इन नियमों में खेद प्रकट करने का कहीं प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप खेद प्रकट करेंगे तो मैं आपको इजाजत दूंगा। आपका नाम जिस समय पुकारा गया था उस समय आप एबसेन्ट थे। आप खेद प्रकट करना चाहते हैं?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट ऑफ बिजनैस जो हमारे पास आती है·······एक मिनट आप सुन लीजिये········ किस समय कौनसी चीज हाउस में उठाई जायेगी·······

श्री पंकज पंचौली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आसन का निर्णय हो चुका है·······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको बिना खेद प्रकट किये बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरा निवेदन तो सुन लीजिये, जिन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है·······

श्रीमती कमला : चेंज ऑफ पर्सन का दुबारा लाभ उठाना चाहते हैं। इस पर फैसला हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अनुपस्थित थे, यह आपकी गलती थी, आप सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री नाथूसिंह : तीन घण्टे तक कैसे माननीय सदस्य बैठे रह सकते हैं एक साथ।

(व्यवधान)

तीन घण्टे तक जीरो ऑवर चलता है, कैसे सम्भव रह सकता है.........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप खेद प्रकट करना चाहते हैं ?

श्री पंकज पचौली : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : खेद प्रकट करने को भी तैयार नहीं हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण 1983-84

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मन्त्री राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1983-84 सदन की मेज पर रखेंगे।

ऊर्जा मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1983-84 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायगा - श्री गोविन्दसिंह सदस्य विधान सभा राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद (अजमेर) की उन्नति व विकास कार्य अवरुद्ध होने की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

पुलिस की गोली कांडों की जांच रिपोर्ट

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार का तो बाद में करूंगा। वह इसलिए करना चाहता हूं कि आज पुलिस की मांगों पर विचार होगा, आज के चार दिन पहले राज्य सरकार को एक लिस्ट दी गई थी कि पिछले चार वर्षों में कहां कहां पुलिस ने फायरिंग की, कौन-कौनसी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है, उन प्राप्त रिपोर्ट पर क्या क्या एक्शन लिया गया वह जानकारी इस मांग पर चर्चा करने से पूर्व सदन की मेज पर रखी जाय। मैंने आज बिजनेस लिस्ट देखी, सरकार इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं देना चाहती। मैं आपको अग्रिम रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार सदन में नहीं रखेगी तब तक आम तौर पर चर्चा करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निरर्थक होगा। पुलिस की गोलियों से लोग मारे जायं और उस मामले में सरकार मौन रहे, अब आप स्वयं अनुमान लगा लीजिये हम किसी सीमा तक इस बात को सहन करेंगे, मैं यह निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। यदि आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह होता तो किस प्रकार का निर्णय होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसकी जानकारी करके...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बैठे हैं, अभी कर लीजिये आप जानकारी, मांग बाद में, रखी जायगी, पहले रिपोर्ट आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी साहब, ऐसा है यहां से चिट्ठी गई थी, यह रखा गया था कि मांग प्रस्तुत होने के पहले या मांगों का जवाब देते समय उस पर जवाब दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम क्या बोलेंगे फिर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो, मांग से पहले कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोशिश नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश होगा तो सरकार को मानना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इसको पहले ही रखने का प्रयास करे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप आदेश दें।

श्री नाथूसिंह : एक दिन पहले रखी जानी चाहिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद (अजमेर) की उन्नति व विकास

श्री गोविन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद के पास गांव नांदला में राजकीय महाविद्यालय स्थित है। यह महाविद्यालय 1970 में इस गांव की भूमि के ऊपर, जो करीब 125 बीघा है, बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह महाविद्यालय पूर्ण रूप से....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : केवल माननीय सदस्य बोल रहे हैं कैसा दिनों का फेर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपका खयाल है, भार्गव साहब आप किस तरह से करते हैं, मन्त्री करते हैं तो आपको काम्प्लीमेन्ट्स देना चाहिये उनको।

श्री गोविन्दसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो महाविद्यालय है पूरी तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह नहीं करना चाहिये आप लोगों को।

श्री गोविन्दसिंह : आदत है कुछ बोलने की, मजबूर होते हैं, कुछ आदमी, लाचार हैं।

(श्री गोविन्दसिह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अधिकांशत: यहां तक कि 75 प्रतिशत गांवों के विद्यार्थी हैं, गांवों के रहने वाले लोग हैं और जो बाकी विद्यार्थी इस महाविद्यालय में आते हैं वह नसीराबाद जो कि एक फौजी छावनी है उसमें रहने वाले सैनिकों के पुत्र और पुत्रियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय की 1970 से स्थापना के बाद आज तक बराबर इस बात की कोशिश की जाती रही है कि यह महाविद्यालय चूंकि ग्रामीण अंचल में स्थित है, जो ग्रामीण अंचल में स्थित महाविद्यालय हैं उन पिछड़े वर्ग की श्रेणी में इस महाविद्यालय को लाया जाय और जो सहायता और अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ग्रामीण अंचल में स्थिति इस प्रकार के महाविद्यालयों को दिया जाता है वह इस महाविद्यालय को भी मुहैय्या कराया जाय। मूलत: मेरा प्रश्न सरकार से यही है कि चूंकि यह महाविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थिति है, इसमें पढ़ने वाले छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और बाकी जो विद्यार्थी हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति या सैनिकों के हैं इसलिए इस महाविद्यालय को ग्रामीण अंचल का महाविद्यालय घोषित किया जाय और इसका नाम भी जो कि नसीराबाद के नाम से है, जिस ग्राम की भूमि पर यह अवस्थित है नांगला ग्राम राजकीय महाविद्यालय, नांगला कर दिया जाय तो जो समस्या है, इस महाविद्यालय को अनुदान नहीं मिल रहा है, आठ लाख का अनुदान इस प्रकार की श्रेणी के महाविद्यालय को मिलता है, यू.जी.सी. मे वह मिलने लगेगा और इसकी आगे तरक्की होगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस महाविद्यालय के विकास के अवरूद्ध होने के कुछ कारण बताये और कुछ इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया कि जो ट्राइबल एरिया के या पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों में अवस्थित महाविद्यालय है उनको कुछ विशेष अनुदान व रियायतें मिलती हैं वह इनको मिलनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिन क्षेत्रों को गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के नोटिफिकेशन से ट्राइबल एरिया में घोषित किया हुआ है उसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक जहां ट्राइबल पापुलेशन है उस जिले की, उस तहसील या उस क्षेत्र की, उसी प्रकार से ट्राइबल एरिया घोषित किया गया और उसमें जो हमारी स्टेट के अन्दर घोषित इलाके हैं वे हैं पूरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, 6 तहसीलें उदयपुर जिले की और 81 गांव पंचायत समिति गिरवा के चित्तौड़गढ़ का प्रतापगढ़ और अरनोद जो अब नई तहसील बनी है और सिरोही का आबूरोड ब्लाक। इस तरह राजस्थान के जो इस प्रकार के एरिया गांव हैं वे बाकायदा घोषित किये हुए हैं, उनमें नसीराबाद नहीं

(श्रीमती कमला)

आता। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है जितनी भी छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर अवस्थित जितने महाविद्यालय हैं या उन क्षेत्रों में हैं जिनमें आम तौर पर बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते हैं उनमें कुछ प्रतिशत सामान्य व्यक्तियों के होते हैं तथा कुछ प्रतिशत ट्राइबल के लोगों का भी आता है। नसीराबाद से चूंकि काफी लोग सेना में भर्ती हैं इसलिए वहां के परिवारों से आवश्यक रूप से बहुत से परिवार इस महाविद्यालय में नहीं हैं जितने कि अजमेर के अन्दर पढ़ते हैं।

(1.00 म. प.)

तो इस दृष्टिकोण से देखें तो उस दृष्टिकोण से तो आपने जो कहा है वह नीतिगत नहीं होता है। जहां तक विकास और अन्य सुविधायें देने के लिये आपने कहा, मैं समझती हूं कि राजस्थान में सरकार की तरफ से ऐसे महाविद्यालयों को जितनी मदद दी जाती है, जितनी सुविधायें दी जाती हैं, जितनी व्यवस्थायें की जाती हैं, उसके मुकाबले में यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कम सुविधा नहीं है। इस महाविद्यालय में 260 बच्चे इस वक्त हैं और कभी 270 बच्चे भी हुए थे पर इससे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे कभी नहीं हुए। जो मौजूदा में और पिछले साल के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 73 लड़के तो आर्ट्स फैकल्टी में थे और 187 बच्चे कोमर्स फैकल्टी में थे और उसके मुताबिक एक महाविद्यालय में जितना स्टाफ होना चाहिए इसमें 16 लैक्चरार्स आवश्यकतानुसार कायम किये हुए हैं और उनकी पढ़ाई, शिक्षण, अध्यापन की दृष्टि से कोई भी कहीं भी कमी मससूस नहीं की गयी है। जहां तक अन्य सुविधाओं का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, हर साल इस महाविद्यालय को पुस्तकालय और फर्नीचर आदि के लिये या मैदान आदि को बढ़ाने के लिये या उनको साफ-सुथरा रखने के लिये जो ग्रान्ट राज्य सरकार द्वारा दी जाती रही है, उदाहरण के तौर पर सन् 1981-82 में पुस्तकें खरीदने के लिये 15 हजार और मैदान बनाने के लिये और उसकी साफ सफाई करने के लिये 13 हजार रुपये का अनुदान दिया गया। इसके अलावा 1982-83 में 20 हजार रुपये पुस्तकें खरीदने के लिये, 4900) रुपये फर्नीचर के लिये और दस हजार रुपये खेल के मैदान के लिये दिये गये 1983-84 में 19 हजार रुपये पुस्तकें खरीदने के लिये, 5100) रुपये फर्नीचर के के लिये मैदान वगैरहा के लिये 15000) रुपये दिये। गये इसी तरह 1984-85 में 20,000) रुपये पुस्तकें खरीदने के लिये और 5,000) रुपये फर्नीचर के लिये और 10,000) रुपये मैदान आदि के लिये दिये गये। इसके अलावा वहां पर कुछ पीने के पानी की किल्लता महसूस की जा रही थी तो वहां पिछले समय में पीने के पानी की कमी को देखते हुए बडी पाइप लाइन डाल कर वहां सुविधा भी प्रदान की गयी। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो आम तौर पर व्यवस्थायें और सुविधायें कालेजेज में की जानी चाहिये उसके मुताबिक वहां भी की गयी हैं और वहां पर किसी प्रकार की कोई भी अवरुद्धता नहीं है।

(श्रीमती कमला)

जहां तक सवाल स्पेशियल ट्रीटमेंट में लेने के लिये और स्पेशियल कैटेगरी होती है उसमें भी यह नहीं आते हैं क्योंकि जो स्पेशियल कैटेगरी ट्राइबल एरिया के लिये होती है उसमें भी यह नहीं आते हैं इसमें ट्राइबल एरिया वाली कैटेगरी के लिये भी यह है कि जो प्लान लैण्ड सीलिंग का है, बजट आफ दी स्टेट, उसमें भी यह है कि 10% से ज्यादा ट्राइबल एरिया के लिये लगाना पड़ेगा उसमें यह नहीं होता है कि क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी। उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है इसलिये मैं समझती हूं कि न तो कोई वहां की उपेक्षा ही की गयी है, न ही ऐसी बात है कि कोई मदद ही नहीं की जा रही है कि जिससे वहां पर किसी प्रकार की कोई अवरूद्धता हो गयी है। वहां पर जितने छात्र पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और मेहनत करके जितने अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहें लावें पिछले साल 1983-84 में इनके यहां का रिजल्ट आर्ट्स का तो 51.81 प्रतिशत रहा और कोमर्स का 43.85 प्रतिशत रहा। इसलिये किसी को ज्यादा रिजल्ट लाना है तो नियमानुसार जो स्टाफ चाहिये वह दिया जावेगा जो जरूरी होगा। अब तक जितने बच्चे हैं उनके मुताबिक पूरा स्टाफ दिया हुआ है, सुविधायें दी हुई हैं और कुछ प्रावधान जो करना चाहिये उसमें कमी नहीं है। माननीय सदस्य कोई कमी हो तो बतायें, प्रावधानों के मुताबिक जो भी मदद दी जा सकती है वह दी जावेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो विचार करतीं कि यह समय का फेर है, वरना....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं कहीं शहर में खाने का निमंत्रण है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : यह तो हमारा अन्दर का मामला है आपको क्या।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय कम है, माननीय सदस्य। आपको तो और भी मौके हैं कम से कम इनका तो एक ही प्रस्ताव आया है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गूजर : यह तो हमारा इन्टरनल मामला है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। यह तो समय का फेर है वरना यह भी मन्त्री मण्डल के सदस्य थे यह भी यहीं बैठते थे और आप एक इनकी छोटी सी मांग की पूर्ति नहीं कर रही हैं और आप दुत्कार रही हैं। यह तो समय का फेर है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संबंधित मन्त्री जवाब नहीं देते हैं, एवज चलती है एवज।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गूर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बिन्दु के मामले को मुझे मन्त्री महोदया की जानकारी में लाना है एक तो यह कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन इस प्रकार का निर्णय ले रखा है कि ग्रामीण अंचल में जो महाविद्यालय होंगे उन ग्रामीण आंचल के महाविद्यालयों को अपनी ओर से विशेष अनुदान देते हैं चूंकि यह महाविद्यालय पूरी तरह से ग्रामीण आंचल मे अवस्थित है और ग्रामीण विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं इसलिये इस प्रकार 8 या 7 लाख की जो मदद प्रतिवर्ष यू.जी.सी. द्वारा दी जाती है वह मिल जाये मैं मन्त्री महोदय को ट्राइबल एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो मन्त्री महोदया को यह कहना चाहता हूं कि यू.जी.सी. के द्वारा जो ग्रामीण आंचल में महाविद्यालय हैं उनको विदआउट एनी कास्ट और क्रीड के जो मदद दी जाती है अनुदान के रूप में 8 लाख या 7 लाख जो भी है वह इस महाविद्याय को नहीं मिल पा रहा है इसका कारण यह है कि वह उस कैटेगरी में शामिल नहीं है इसलिये मेरा मंत्री महोदय, को यह सुझाव है और प्रार्थना है कि एक तो इसको ग्रामीण आंचल महाविद्यालय की कैटेगरी में रखा जाय जो कि एक पिछड़ी कैटेगरी मे होता है उसमें शामिल करने के लिये कार्यवाही करावें।

दूसरा इसका नाम नसीराबाद महाविद्यालय न रख कर इसको नान्दाल महाविद्यालय नाम करावें ताकि जिन लोगों ने वहां पर 125 बीघा जमीन दी है बोली लगा कर इस आश्वासन पर कि उन के गांव के नाम के ऊपर ही यह महाविद्यालय होगा। यह इनकी आकांक्षा सन् 1970 से है वह पूरी हो जावे।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की इस बात को मन्जूरी करने में तो एक क्षण की भी देर नहीं करेंगे और इस का नाम नान्दला नसीराबाद महाविद्यालय कालेज रख दिया जायेगा जैसा कि हमारे यहां पर चिमनपुरा कालेज है इसमें चारों फैकल्टीज हैं और बहुत बढ़िया कालेज है जो राजस्थान के बहुत अच्छे कालेजों में गिना जाता है तो जिस प्रकार चिमनपुरा शाहपुरा कालेज है इसका नाम भी उसी तरह रख दिया जायेगा।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से जो विशेष ग्रान्ट ग्रामीण आंचल का महाविद्यालय होने के लिये मिलती है वह सुविधा न तो पहले हमारी जानकारी में थी और न आज है अगर हमारी जानकारी में होती कि ऐसे कालेजों को मदद मिलती है तो हम भी स्पेशियल ग्रान्ट ले पाते। अगर इन दिनों में कोई नया प्रावधान कर दिया गया है तो उसके मुताबिक हम आपको भी और राजस्थान के अन्य ग्रामीण आंचलों के महाविद्यालयों को

(श्रीमती कमला)

सभी को यह विशेष ग्रान्ट, यह अनुदान की व्यवस्था करेंगे जो कि आपको भी मिले और दूसरों को भी मिले।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी ने सवाल उठाया था उसके बारे में बात की जा रही है अब गृह मन्त्रीजी परिवर्तित राशि विवरण....

व्यवस्था का प्रश्न

पुलिस गोली काण्डों की जांच रिपोर्ट

भवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जो विपक्ष के नेता महोदय ने आपके सामने रखा था

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये स्पीकर साहब और भैरोंसिंह जी बात कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आ गये हैं साहब।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगों के पहले रिपोर्ट रखी जाये। यह तो नहीं होगा, साहब 27 आदमियों के गोली लगी है और उपाध्यक्ष महोदय, 27 आदमियों के संबंध में इस विधान सभा में चर्चा हुई है और बार-बार यह कह कर बन्द की गयी है कि अमुक अधिकारी से जांच करा रहे हैं, अमुक कमीशन से जांच करवा रहे हैं सरकार रिपोर्ट्स को दबा कर बैठ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो प्रस्ताव उजला जी का है वह हमारे सामने है उस प्रश्न के ऊपर पत्र गया है उसमें पत्र में लिखा गया है कि जवाब के समय वह इसकी जानकारी दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब के समय हम क्या बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में एसी बात है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर हम क्या बोलेंगे उस पर।

श्री यदुनाथ सिंह : जवाब क्या दिया गया।

श्री भवरलाल शर्मा : जवाब तो सरकार के पास आ गया है और सारी रिपोर्ट्स भी सरकार के पास आ गयी हैं। उसकी पूरी जानकारी सरकार को है तो फिर सदन को जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को जानकारी दी जायेगी।

(व्यवधान)

जो केसेज पकड़े गये हैं

(म. प. 1–11)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय गोली कांड के केसेज राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर हुए, उस समय विधान सभा में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है राज्य सरकार ने भी गोली कांडों की यहां सूचना रखी, सदन को जानकारी दी थी और जान-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कारी करने के पश्चात् राज्य सरकार का कमिटमेंट है कि इस पर जांच आयोग बिठा रहे हैं, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जांच करा रहे हैं वह जांच हो गई है। प्रश्न यह आकर खड़ा हुआ था कि जो जांच रिपोर्ट आ गई है वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी। इस समय जब गृह विभाग की मांग पर चर्चा चलेगी तो इस सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का अध्ययन करने का मौका मिलेगा और स्टेडी करने के पश्चात् निश्चित रूप से उन रिपोर्ट्स के विषय में माननीय सदस्य अपने विचार रख सकेंगे। अभी तक सदन की मेज पर वह रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इस मांग पर विचार प्रारंभ हो, उससे पहले रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रख दी जायें। हमको अध्ययन करने का समय नहीं मिलेगा, किन्तु थोड़ा-बहुत समय मिलेगा, हम रिपोर्ट को देख लें और उसके आधार पर निश्चित रूप से बातचीत की जाये। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मांग पर विचार विमर्श प्रारम्भ होने से पहले उन सारी पांच रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रखा जाये।

श्री मानिक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो मांग की है मैं उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। मैं इस मांग के साथ में आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह भी चाहूंगा कि चार जुलाई को राजा मानसिंह की हत्याकांड के सिलसिले में सी. बी. आई. के द्वारा मुल्जिमों को प्रोसीक्यूट करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो जवाब दिया, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया, तीन जुलाई को, उसके बाद में इस प्रोसिक्यूशन को सेंक्शन देने में आज तक क्या प्रगति हुई है सी. बी आई. 18 मुलजिमों को प्रोसिक्यूट करना चाहती थी, 13 के लिये राज्य सरकार राजी है या 18 के लिए राजी हो गई है, जो तीन जुलाई को राज्य सरकार और सी. बी. आई. के बीच में आपस में स्पष्टीकरण चल रहे थे। जितने गोली काण्ड हुए हैं उनमें सर्वोपरि गोलीकांड, सबसे ज्यादा घिनौना और निन्दनीय गोलीकांड राजा मानसिंह की हत्या कांड से सम्बन्धित है। इसलिये सदन में पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा हो और इस राजा मानसिंह की हत्या कांड पर राज्य सरकार ने जो लीपा-पोती करने का प्रयत्न किया है और जो विद हैल्ड कर रहे हैं, सेंक्शन को अध्यक्ष महोदय, प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं को उसके विद हैल्ड करने से.......

श्री अध्यक्ष : आप दूसरी बात पर जा रहे हैं, प्रश्न कीजिए, आप इस मामले पर बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराणा : प्रश्न इसी से सम्बन्धित है, इस पर भी स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए और यह स्पष्टीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मांग करूंगा विपक्ष की तरफ से....अन्यथा यह न समझें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप कृपया बैठें। 295 में रेफर किया है, जो मेंशन किया है उसी प्रश्न पर आप बोलिये। जब डिमांड आये तब जो आप बोलना चाहें बोलें, मैं मना नहीं करता इस समय जो प्रश्न है वह लिमिटेड है, कृपया बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराणा : मै चाहूंगा राज्य सरकार इस पर भी अपना स्पष्टीकरण दे दे।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब में आयेगा।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं, पहले यह स्पष्टीकरण आना जरूरी है, अगर यह जवाव नहीं आता है राज्य सरकार यह नहीं समझे कि राजा मानसिंह हत्या काण्ड को बिना प्रोसिक्यूट किये हुए सदन की कार्यवाही चला लेगी। राज्य सरकार को इसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके बोलिये, आपके बाद वालों को देखिये।

श्री नाथूसिह : माननीय विपक्ष के नेता ने को मांग उठाई थी वह इसलिए जरूरी है कि पुलिस विभाग पर आज सदन में बहस हो रही है और पुलिस विभाग के इन दिनों पिछले एक साल से काफी गर्मा-गर्म मामले सामने आये हैं। मर्डर्स हुए हैं और इन्क्वायरी कमीशन बैठाये हैं उन जांच आयोग की रिपोर्ट यदि सदन में रखी जाये, जनता जानना चाहेगी, सदन के माननीय सदस्य जानना चाहेंगे, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग पर चर्चा हो तो उसमे सारे तथ्य सामने आने चाहिए। यदि बिना रिपोर्ट पेश किये बिना पुलिस विभाग पर चर्चा हो गई तो वह अधूरी चर्चा होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि पुलिस विभाग पर पूरी चर्चा हो और सारे तथ्य सामने आयें कि पुलिस फायरिंग में कौन दोषी है उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई, जो अब तक जांच आयोग बैठे हैं उनकी क्या रिपोर्ट है, यह खुलासा होना चाहिए तभी इस पर बहस सम्भव होगी। इसलिए मैं मांग करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपाय बैठे....

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा हो उससे पहले रिपोर्ट रखी जाये ताकि हम देखकर इस चर्चा में भाग ले सकें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिह : अध्यक्ष महोदय, सुराणा साहब ने जो कहा है वह इसलिये बहुत जरूरी हो गया है कि पूरे सदन को विश्वास में लिया गया, आपने भी सदन को विश्वास दिलवाया और आज भी यह स्थिति बनी हुई है कि सी. बी. आई. को हैरेस किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप भी वही बात कह रहे हैं, जो मेन मुद्दा है वह लें।

श्री यदुनाथ सिह : मानसिंह जी हत्याकाण्ड इसमें शामिल नहीं है।

Page No 74

(74)

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो फायरिंग की जांच रिपोर्ट सदन में रखी जाये यह बात कही है, और जो मांग की है, मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि दो-दो गोली काण्ड मेरे जिले में हुए एक घना गोलीकाण्ड और दूसरा डीग का गोलीकाण्ड जो राजा मानसिंह हत्याकाण्ड से जाना जाता है। इस पर हम बहुत चिंतित हैं, पिछले साल 17 लोग गोली कांड में मारे गये। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सारी रिपोर्ट्स और राजा मानसिंह के मामले में इसलिए कह रहा हूं कि बाद में हमें टोकेंगे, यह सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देगी, हम मजबूर करेंगे सरकार को कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने दें। इसलिए आज सरकार यह साफ कहे कि वह प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी दे रहे हैं या नहीं। यह साफ आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय; मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले में जीणमाता का गोली काण्ड हुआ था, तीन आदमी उसमें मरे थे। इसी विधान सभा में प्रश्न भी रखा गया था, उसकी सारी जांच भी हुई थी, उसकी रिपोर्ट पेश नहीं हुई। इसलिए मैं मांग करता हूं, जीणमाता की रिपोर्ट मांगने पर भी नहीं दी गई और जिन व्यक्तियों के रिश्तेदार गोलियों से मारे गये उनके खिलाफ झूठे केस रजिस्टर करके चालान कर दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, मुझे यह पता चला है कि वह व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं थे, पुलिस ने फंसा दिया। अगर वह रिपोर्ट सदन में प्रकट होती है तो इस बात की पोल खुलने वाली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि निरपराध आदमियों को जिस प्रकार जीण माता गोली काण्ड में फर्जी केस बनाकर पुलिस ने चालान किये हैं, जीण माता गोली काण्ड की जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाय और उस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार सदन में जवाब दे। सरकार जिस प्रकार रिपोर्ट को दबाकर बैठती है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, नियमों का पालन कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं चाहूंगा कि जीण मात गोली काण्ड की रिपोर्ट अन्य रिपोर्ट्स के साथ सरकार सदन के पटल पर पर रखे ताकि हम उसको देख सकें और बहस करें। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गृह विभाग है, एक बात मेरी आपने टाल दी, लेकिन मैं नम्र शब्दों में कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जब माननीय पहाड़िया जी मुख्य मन्त्री थे सदन में कई बार मांग उठाई गई, गृह विभाग उनके पास था दूसरे मन्त्री को जवाब देने के लिए भेजा था, आप सदन में आकर बोलें, अगर सदन यह समझता हो कि पहाड़िया जी मुख्य मन्त्री थे तो उनको आना बहुत जरूरी है, जोशी

Page No 75

(75)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जी के पास गृह मन्त्रालय है तो उनका आना जरूरी नहीं है ? मैं कहना चाहूंगा कि इस समय मुख्य मन्त्री जी को आना चाहिए, सदन में जवाब देना चाहिए। पहाड़िया जी को बार बार बुलाया गया था, चाहे पहाड़िया जी मुख्य मन्त्री हो, चाहे जोशी जी मुख्य मन्त्री हो, अगर एस. सी. का मुख्य मन्त्री है तो उसको आना पड़ेगा और एस. सी. का मुख्य मन्त्री नहीं है वह हाऊस में नहीं आये, यह बात सही नहीं है। गृह मन्त्रालय जोशी जी के पास है उनको बुलायें। उनको आना चाहिए और सदन में जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना में दो बार गोली काण्ड हो चुका है और इसका अर्सा दस साल हो चुका है, मगर रिपोर्ट पेश नहीं हुई...

श्री अध्यक्ष : जब डिबेट हो तब....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी बात सुनिये तो पहले इसक ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के आदेश इसी सदन में हुए है, सुखाड़िया जी के राज में, उसकी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हुई। उस के बाद में अभी पिछले दो साल में फिर गोली काण्ड हुआ जिसमें दो आदमी घायल हुए, उसको रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। जहां तक ज्युडिशियल इन्क्वायरी का सवाल है उसमें सरकार के कुछ अधिकारियों को दोषी भी पाया गया और जो लोग घायल हुए थे उन लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था की, लेकिन उसके बावजूद वह रिपोर्ट यहां पर पेश नहीं की गई। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट पेश नहीं होगी और उस पर हमें बोलने का मौका नही दोगे, तो रिपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं। जो ज्यूडिशियल इन्क्वारी की जाती है, आदेशों की अनुपालना नहीं हो सकती और इस प्रकार से यह प्रोसिजर बेकार चला जायेगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि हम यहां प्रश्न उठायें और सरकार कहे कि हम उनकी जांच करवा रहे हैं और जांच कराने के बाद न तो सदन में रिपोर्ट आये तो सदन में कोई प्रश्न उठाने का सवाल पैदा ही क्यों होता है जब तक हम नेचुरल कान्सीक्वेन्सेज तक नहीं पहुंचेंगे कि आखिर उस रिपोर्ट का क्या हुआ, सरकार ने उस पर क्या कम्पलायेन्स की। इसलिए आज की डिबेट तब तक नही होगी जब तक कि आप पुलिस को, जांच कमीशन जो भी बैठें हैं उनकी रिपोर्ट यहां पर नहीं रखें। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सरकार को आदेश दें कि इस तरह की सारी रिपोर्ट जो सरकार के पास आ चुकी हैं उनको सदन की मेज पर रखें ताकि सदस्य उनको पढ़ें और उस पर जो आदेश हुए हैं, फाइंडिंग्स हुई हैं उन पर भी अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले के खेड़ा नामक गांव में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सब लिस्ट बतायेंगे। पहले लिस्ट आ चुकी है और 295 का जब रेफ़रेन्स हुआ है....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आवश्यक है। कोटा, बूंदी झालावाड़ में....

श्री अध्यक्ष : आवश्यक तो सभी हो सकते हैं। माननीय सदस्य जो मूल प्रश्न आया है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं.... आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पुलिस ने बाकायदा फायरिंग किया है और दो आदमी मरे हैं....

श्री अध्यक्ष : उसमें रेफर किया हुआ है। माननीय सदस्य कृपया बैठें। जब डिमाण्ड पर बोलें तो बोल लीजिए.....आर्डर प्लीज....

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार ने स्वयं ने स्वीकार किया है। गोली चली है और दो आदमी मरे हैं। सरकार ने स्वीकार किया है...... सरकार को यहां पर बताना चाहिए कि क्यों गोली चलाई। उसमें कौन कौन अपराधी थे? किस कारण से गोली चली? खेड़ा नामक गांव के अन्दर पुलिस की गोली से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री दाऊदयाल जोशी :.....दो व्यक्ति इसी साल मरे हैं और उसके बावजूद सरकार आज तक हमको अन्धकार मे रखे हुए है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य....

श्री दाऊदयाल जोशी : बार-बार हमने कोटा के डी. आई. जी. को प्रयास किया है कि हमको बताया जाये। हमें आज तक नहीं बताया गया कि गोली इस कारण से चली। वहां पर जनहानि हुई है इसलिए सरकार जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं पेश करेगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हर एक रिपोर्ट की बात नहीं हो सकती यहां पर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह रेफर किया है और 295 में लिस्ट दी है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अभी जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय यहा पर बिराज रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि उत्तर देने से पहले यह रिपोर्ट रख देंगे फिर यह कैसे फैसला किया आपने कि जब उत्तर आयेगा सरकार का....

श्री अध्यक्ष : उस समय में जवाब देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, जब जवाब देंगे उस समय तक रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया...

श्री भंवर लाल शर्मा : अभी पूछ लो सरकार तैयार होगी। सरकार तैयार है साहब।

श्री अध्यक्ष : ला मिनिस्टर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (विधि-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 के तहत जो मामला सदन में उठाया गया है और उसमें जो सरकार से चाहा गया है वह यह है कि "निदेशानुसार सूचित है कि पुलिस विभाग की अनुदान मांग पर सदन में विचार के समय इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के विचारों से कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।"

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं, नहीं....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत :.... ...सुनें तो सही। इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं...

श्री अध्यक्ष :आर्डर, आर्डर। कृपया बैठें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी रिपोर्ट को मांगने का सवाल न तो माननीय सदस्या ने उठाया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कैसे ?

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे देना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं पढ़ रहा हूं आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं। मै गलत कह रहा हूं, जवाब दे दीजिए। "नियम 295 के अन्तर्गत आपने निम्न-लिखित सदन में उठाने की अनुमति चाही है, पुष्पा जैन।" इन विषयों को सदन में उठाने के लिए। अत: सदन में किसी इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को रखने की मांग ही नहीं की है।

(व्यवधान)

....मुझे सुनने की कोशिश कीजिए.... और जो लिस्ट दी है उन्होंने, वह लिस्ट दी है !8 मामलों की जिनको वह सदन में उठाना चाहते हैं। सदन में उठायें उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इजाजत दीजिये सरकार उसका उत्तर देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको विधान सभा से क्या पत्र मिला है वह पढ़-कर सुना दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह पढ़ रहा हूं। "निदेशानुसार सदन को सूचित करना है कि पुलिस विभाग की अनुदान की मांग पर सदन में विचार के समय इस संबंध में राज्य सरकार के विचारों से कृपया अव-गत कराने का कष्ट करें।" यह लेटर है सेक्रेटरी साहब का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किन विचारों से।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो 295 के तहत मसले उठाये हैं उस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक।

श्री बी. डी. कल्ला : ऐसा है कि "295 कोई सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य का प्रश्न नहीं है वह सचिव को लिखित रूप

(श्री बी. डी. कल्ला)

में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतलायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता है तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसे प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि को दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि किस दिन सूचना सदन की मेज पर रखी जायेगी, किस दिन रखी जायेगी इसके बारे में निश्चित आपके द्वारा किया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बी. डी. कल्ला :......और ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने 295 में इसको उठाने की इजाजत दे दी और टाइम भी मैंने फिक्स कर दिया और वह इजाजत दी और वह उठाया भी गया, आगे की बात कह रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : रिपोर्ट का 295 में सवाल नहीं है। वह तो पुष्पा जी क्या बात रख रही हैं और आप क्या जवाब देंगे वह प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : वह तो कह दिया मैंने उनको।

श्री भंवरलाल शर्मा :.....प्रश्न यह है कि इतनी फायरिंग हुई हैं सारे राजस्थान भर में और आज पुलिस की डिमाण्ड है तो हम जानना चाहेंगे कि आप पुष्पा जी को क्या जवाब दे रहे हैं क्या नहीं, वह कौन सा प्रश्न उठा रही हैं वह बिलकुल अलग है। मैं तो पूरे सदन की तरफ से कहना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि जो भी राजस्थान में गोलीकाण्ड हुए हैं उन मसलों में क्या क्या जांच होकर क्या क्या रिपोर्ट आई, हम इस चर्चा में इन बातों को रखना चाहेंगे। तो पुष्पा जी को क्या उत्तर देंगे क्या नहीं देंगे इसमे इसका मतलब नहीं है। 295 का कोई मतलब नहीं है। यह पूरे सदन के सदस्यों की इच्छा है कि आप चर्चा से पहले जो भी रिपोर्ट्स आई हैं गोली काण्ड के बारे में उसकी जानकारी दें ताकि होने वाले वादविवाद में हम चर्चा के ऊपर विचार कर सकें। यह है प्रश्न। 295 का नहीं है केवल....

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को फरमाया था कि चर्चा शुरू होने से पहले रिपोर्ट रख दी जायेगी और रिपोर्ट माननीय मन्त्री महोदय के हाथ में है। रखने में क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई निर्णय इस पर दिया ही नहीं गया है....

श्री हरिकुमार औदिच्य :......अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट मन्त्री महोदय के हाथ में है। रिपोर्ट आ गयी उनके पास....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कोई व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं दी गई है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह वाकई उनके पास है····

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। मेरे पास तो जो फायरिंग हुई है उनकी डिटेल है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी फरमाया कि मैंने रिपोर्ट सदन में रखने की मांग ही नहीं की। अध्यक्ष महोदय मैं इसमें आसन का प्रोटेक्शन चाहूंगी। मैंने जब 295 के तहत वह रेफरेन्स आपको दिया था, आपने मुझसे कहा था कि मैं इसको पूरा देख लूं और अगर उचित होगा तो मैं बोलने की इजाजत दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, दो दिन तक आपने पेंडिंग रखा और तीसरे दिन आपने उचित समझ कर मुझे इजाजत दी। मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 295 में जो मैंने सजेस्ट लिखा है अगर उसको आप पूरा पढ़ देते तो परिस्थित सारी सामने आ जायेगी सदन के सामने। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे यह रिपोर्ट रखने के बाबत सरकार से मांग नहीं करनी होती तो यह 295 के तहत मुझे रखने की जरूरत ही क्या थी? मैंने उसी समय कहा था कि प्रॉसीडिंग्स मंगाकर देख लें कि इसी सत्र में जांच जिन केसेज में हो चुकी है उसकी रिपोर्ट रखें और जिनमें नहीं हुई उनका क्या हश्र हुआ, इस बारे में सरकार पूरी बात बताये। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि मेरे बाद माननीय विरोधी दल के नेता ने बोला तो उन्होंने कहा कि पुलिस की डिमाण्ड तभी शुरू हो पायेगी जब फायरिंग की रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रख दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मन्त्री महोदय यह कहें कि मैंने बोलने की इजाजत चाही थी मैंने सदन के पटल पर रिपोर्ट्स रखने के लिए कोई बात नहीं कही थी, तो मैं समझती हूं कि या तो मैं गलत कह रही हूं या मन्त्री महोदय गलत कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उचित यही होगा कि प्रॉसीडिंग्स उस दिन की मंगा ली जायं और आसन उसको पढ़ ले, देख ले और उसके बाद जैसा उचित समझें आप व्यवस्था दें और उसके बाद ही आज की पुलिस की डिमाण्ड चालू हो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रॉसीडिंग्स मंगा लें उस दिन की···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज······कृपया बैठें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आसन की तरफ से ऐसी पाबन्दी विभाग पर या मन्त्री महोदय पर लगाई नहीं गयी थी कि आज चर्चा शुरू होने के पहले यहां रिपोर्ट रखेंगे।

(व्यवधान)

अभी सदन में इतनी गम्भीरता से जब यह सवाल उठा था, पहले भी चर्चा आई थी लेकिन उस पर निर्णय कुछ नहीं दिया गया। जैसे ही यह सवाल आया है, मन्त्री

(श्रीमती कमला)

महोदय ने विभाग को निर्देश दे दिये हैं, वह रिपोर्ट आ रही है। इसलिए कार्यवाही रोकने का काम नहीं करके कार्यवाही शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि इस पर व्यवस्था कोई नहीं है आसन की कि पहले रिपोर्ट्स आयेंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री रघुनाथ विश्नोई....

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस दल के उप-नेता हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने आपको एक सूचना आपको एक प्रार्थना-पत्र के जरिये नियम 295 के तहत एक इनफार्मेशन मांगी है और आप से इजाजत चाही है इस बारे में कि राज्य सरकार से यह इनफार्मेशन मगवाई जाये। पुलिस की डिमाण्ड को शुरू ही नहीं किया जाय यह तो आपके विचाराधीन मामला है। इस सम्बन्ध में पुलिस फायरिंग पर जांच के राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं उस बारे में राज्य सरकार ने क्या आश्वासन दिया है यह तो आपके ही देखने का अधिकार है और पहले का एक उदाहरण है, माननीय विरोधी पक्ष के नेता की जब गवर्नमेंट थी मैंने इस सवाल को उठाया था और आपकी ही पार्टी के सदस्यों ने बहुत जोर से सवाल उठाया था कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट पहले आये और हमको दिखाई जाय और पेश होने के बाद ही यह बहस शुरू होनी चाहिये ...

एक माननीय सदस्य : काहे की रिपोर्ट ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : बैरी कमीशन की रिपोर्ट की क्रियान्विति रिपोर्ट। परन्तु उस समय आपने यह जवाब दिया था कि अभी सरकार को इसे देखना है बहुत बड़ी रिपोर्ट है। तीन आदमियों की एक कमेटी स्क्रुटनाइज करने के लिए गठित कर दी है, इस पर सारा निर्णय करके सूचित करेगी उसी के बाद ही यहां कुछ कहा जा सकता है। फायरिंग के बारे में जितनी भी ज्युडिशियल इन्क्वायरी हुई हैं उसके बारे में गवर्नमेंट को मजबूर करें कि सारी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें और तभी पुलिस की डिमाण्ड शुरू हो ऐसी कोई परम्परा नहीं है और न ऐसा हो सकता है। आपने एक तरह की इन्फार्मेशन मांगी है और यह तो अध्यक्ष महोदय का डिस्क्रीशन है कि गवर्नमेंट को उन्होंने पत्र दिया है इस बारे में जो भी गवर्नमेंट का विचार हो, जो भी गवर्नमेंट को इस बारे में कहना है, वह अपने विचार उस समय में व्यक्त कर दें। यही आदेश है। उसी तरह से कहा जा सकता है। डिमाण्ड शुरू होने से पहले, ऐसी कोई परम्परा नहीं है, यह भी हो नहीं सकता। गवर्नमेंट उसमें क्या निर्णय लेगी, क्या कमिटमेंट किया है और गवर्नमेंट का यह कभी भी कमिटमेंट नहीं हो सकता कि जो आप मांग करेंगे वही गवर्नमेंट निर्णय ले। कमीशन की रिपोर्ट इस सदन के अन्दर आने की बात है। इस तरह का मामला यह गवर्नमेंट कब जवाब दे। कब विचार कर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सकती है। उसको आप किस तरह से मजबूर कर सकते हैं कि सारी चीजें पहले रखो और फिर बहस शुरू हो सकती है, ऐसी कोई परम्परा नहीं है। गवर्नमेंट के लिये सम्भव भी नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं उप नेता जी से। आपने कमीशन का जिक्र किया। कौन से मामले में वैरी कमीशन नियुक्त हुआ था ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : फायरिंग के मामले में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से फायरिंग के ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जानते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, आप मुझको क्यों एक्जामिन कर रहे हैं। आप उसमें ऐसे फंसे थे कि आप जवाब भी नहीं दे पाये और अब आप उधर बैठे हो। जिस जगह पर हम बैठें हैं उस वक्त आप यहां बैठें थे वही पोजीशन गवर्नमेंट की थी। इस बात का क्या निर्णय चाहिए। आपने पूछ लिया। सरकार को लिख दिया इस बारे में जो भी विचार होगा, गवर्नमेंट अपने समय पर कह देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप नेता के लिये इतना ही कह दूं कि मेरे जमाने में किसी फायरिंग के लिये वैरी साहब की अध्यक्षता में कोई कमीशन नियुक्त नहीं हुआ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका तो रिपोर्ट पहले रखी जाये, गवर्नमेंट का क्या निर्णय है पहले हमको बताओ फिर बहस शुरू की जाये, यह प्रश्न था। आपकी सरकार नहीं पहले की किन्तु निर्णय आपकी सरकार ने किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक फायरिंग हुई थी 1967 में उस समय वैरी साहब को नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट जब स्वर्गीय सुखाडिया जी मुख्य मन्त्री थे उस समय ही सदन की मेज पर रख दी गई थी इसलिए उप नेता जी कोई भी बात कहें उससे पहले जानकारी कर लें....।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बोलो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 295 का नहीं है....

एक माननीय सदस्य : अब नेता जी आ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 295 के अन्तर्गत इस विषय में आपको जो सूचना दी गई....

श्री अध्यक्ष : 295 के अन्तर्गत प्रश्न हो चुका। 295 का प्रश्न रहा ही नहीं।

295 is not in consideration.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी लिये मैंने कहा है। वह प्रश्न इस समय नहीं है। 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार को सूचित किया गया है कि इतने स्थानों-

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पर फायरिंग हुआ है और उन फायरिंग की रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये। जिन माननीय सदस्या ने यह प्रश्न उठाया उन्होंने भी कहा और उसके तुरन्त बाद मैंने इस पर जोर दिया और सरकार से मांग की कि इन मामलों के अन्दर, सरकार की ओर से इस सदन के अन्दर यह कहा गया था कि अमुक मामले में अमुक अधिकारी से या अमुक स्तर पर हम जाच करायेंगे, अब उन रिपोर्टस को सदन की मेज पर रखने की हम मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम रिपोर्ट की मांग कर रहे है, सरकार रिपोर्ट नहीं देना चाहती तो हमने सब जगह प्रयत्न किये। निम्बाहेड़ा में फायरिंग हुई। मैंने ए. डी. एम. के यहां एप्लीकेशन पेश कराई और उसके आधार पर मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा कि ए.डी.एम.ने मना कर दिया वह रिपोर्ट नहीं दे सकते। रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। मैंने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा कि मुख्य मंत्री जी इस रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराई जाये। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी का कोई उत्तर मिलना तो दरकिनार रहा, उस पत्र की रसीद भी नहीं मिली।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे नहीं मिला।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह और भी दुर्भाग्य है कि मेरा पत्र भी आपके पास नहीं पहुंचा....अब आप बतायें मैं कौन सा संकेत दूं कि आपके पास पत्र सीधा पहुंच जाये।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि जितनी चिटिठयां आपने लिखी हैं उन सब चिट्ठियों का जवाब मैंने दे दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी डाक-बही के अन्दर आपके यहां की रसीद के दस्तखत हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप अपने कार्यालय की व्यवस्था ठीक कर लें ताकि इस प्रकार जो अभाव हो रहा है वह न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जगह जगह जो फायरिंग हुई है सरकार ने एक तरफ कार्यवाही की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो चार मिनिट में ही कहता हूं। निम्बाहेड़ा में इन्क्वायरी करायेंगे ए.डी.एम. से। ए.डी.एम. ने सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी। मजदूरों को मालूम नहीं किरिपोर्ट में क्या लिखा है लेकिन 23 मजदूरों को तो सर्विस से निकाल दिया और कई मजदूरों का चालान कर दिया। अध्यक्ष महोदय, थाना के सम्बन्ध में हमको जानकारी नहीं....

श्री यदुनाथ सिंह : उल्टे हम पर मुकदमें चला रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उल्टा 157 आदमियों का वहा पर चालान कर दिया। नौगांव में पुलिस फायरिंग की जांच का क्या परिणाम निकला, लेकिन हमको पता नहीं, वहां तीस आदमियों का चालान पेश कर दिया। इसी तरह से जीएा माता के अन्दर लोग मर गये आज से 3 वर्ष पहले आमेर में 3 आदमी मर गए। डीडवाना में 9 आदमी घायल हुए। 9 में से एक डीडवाना में मर गया। इन सब मामलों के अन्दर जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर न रखी जाये, हम कोई मामूली इन्क्वायरी नहीं चाहते कोई डिसिप्लीनरी एक्शन लेना हो।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

या और कुछ करना हो, सरकार के पास रिपोर्ट उपलब्ध हो गई। 295 के अन्दर जो प्रश्न उठा था उस दिन हम अपेक्षा करके चलते थे कि सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जायेगा कि अमुक अमुक मामलों में अभी जांच की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जांच की कार्यवाही चल रही है। अमुक मामलों में जांच की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है जिनकी प्रति सदन की मेज पर हम रख रहे हैं। अमुक मामलों के अन्दर जिनकी जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई सरकार ने अमुक प्रकार का एक्शन लिया है। आज सरकार उसके प्रति मौन रहे और अध्यक्ष महोदय, कोई हम प्रश्न उठा रहे हैं तो यह विधान सभा की सैंक्टिटी का प्रश्न है और सैंक्टिटी का प्रश्न इसलिये है कि बार बार सदन में उत्तेजना पैदा होती है तो आप एक बात कह देते हैं जैसे परसों आपने कह दिया। दूषित पानी पीने से 11 या 13 आदमी मर गये, हाऊस में उत्तेजना पैदा हो गई। आपने दो आदमियों की समिति नियुक्त कर दी। अब यदि समिति रिपोर्ट दे दे और रिपोर्ट देने के बाद सदन में वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करें तो यह मान कर चलना पड़ेगा मजबूरन कि चाहे आप की व्यवस्था हो और चाहे सरकार इस प्रकार का आश्वासन दे, इस आश्वासन के अनुसार सरकार आचरण करना नहीं चाहती। सदन में जो उत्तेजना पैदा होती है या सदन में जिस प्रकार सदस्य आक्रोष प्रकट करते हैं केवल उसको शांत करने के लिए आश्वासन दिया जाता है कि अमुक अधिकारी या अमुक स्तर पर जांच करायेंगे। तब आप अन्दाज लगा लें कि आज यदि सरकार रिपोर्ट पेश नहीं करती तो हमें मजबूरन यह मानना पड़ेगा कि जांच के आश्वासन का या कोई कार्यवाही के आश्वासन का कोई महत्व नहीं है। इस सदन में कोई मामला ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्ज निकाल कर देखें, हमने प्रोसीडिंग्ज से यह सब बातें निकाली हैं। नौगांव के मामले में, कोटपूतली के संबंध में, नौगांव, खैरथल, हरसोली, अलवर में जहां जहां भी गोलियां चली हैं उन गोलियों के संबंध में, इस सदन में शिवचरण जी माथुर ने कहा कि कोटपूतली के मामले में जांच हाई-कोर्ट के जज करेंगे, बाकी की जांच के लिए ए. डी. एम. से। कई जगह पर ए. डी. एम. को नियुक्ति किया, कई जगह मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया, जांच रिपोर्ट सबकी आ जायेगी। उसी प्रकार से कपूतरा में अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की पुलिस आई और शेरखां को गोली से मारकर चली गई। वह प्रश्न भी विधान सभा में उठाया गया। उस समय भी यही बात कही गई थी कि इसकी हम मजिस्ट्रेट से जांच करवा रहे हैं कि बाहर से पुलिस आकर शेरखां को किस प्रकार मार गई। उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर का मैंने जिक्र कर दिया। भरतपुर के बटवारा में गोली चली। पप्पु नाम का एक बच्चा गोली से मारा गया। उसकी जांच के लिए सरकार ने घोषणा की और मुझे पत्र लिखा है श्री के. वी. शंकरन से इसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बूंदी के खेडा में गोली चली एक आदमी मर गया वहां पर जांच हुई। वहां हमने एप्लीकेशन दिलाई कि जांच रिपोर्ट हमें दी जाये। वहां से उत्तर मिला जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है आपको उसकी प्रति नहीं दी जा सकती। निम्बाहेड़ा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का मैंने उदाहरण पेश कर दिया। बहरोड़ में गोली चली, एक मजदूर मारा गया। कोटपुतली और बहरोड़ के बीच रास्ता रोक लिया, सरकार की तरफ से उनको यह आश्वासन दिया गया कि हम इसकी मजिस्ट्रेट से एन्क्वायरी करायेंगे। उस एन्क्वायरी के सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी नहीं। भिवडी में गोली चली वहां पर एक मजदूर मारा गया, उस सम्बन्ध में इस सरकार ने इस सदन में घोषणा की थी कि हम इस मामले की जांच करायेंगे लेकिन सरकार की ओर से आज तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसी तरह मान्डेल, उदयपुर में गोली चली, इसी तरह जीनमाता में गोली चली। यहां पर सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया था। बड़ी उत्तेजना पैदा हुई थी और उस उत्तेजना के आधार पर सरकार की तरफ से ए. डी. एम. को नियुक्त किया गया। मैंने पिछले दिनों इनसे टेलीफोन पर कहा कि आप ए. डी. एम. को एप्लीकेशन देकर उसकी कापी मांगो। रात को जवाब मिला कि ए. डी. एम. ने कापी देने से मना कर कर दिया और कहा रिपोर्ट हमने सरकार को दे दी है, सरकार इसमें करेगी। नोखा में नोखा के तहसीलदार ने गोली चलाई वह मामला एक प्रश्न के द्वारा इस विधान सभा में रखा गया, उसका भी यह उत्तर मिला कि हम इसकी जांच करायेंगे। मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आखिर जांच कराने का आश्वासन, उसका महत्व क्या है। यदि सरकार जांच नहीं करवाये तो यह बात समझ में आती है लेकिन जांच कराने के बाद में रिपोर्ट सरकार दबा ले, आज सरकार यह कह सकती है कि इन रिपोर्टस पर हमने एक्शन नहीं लिया। अमुक प्रकार की रिपोर्ट है, एक्शन हम लेंगे लेकिन रिपोर्ट तो सदन में रखनी पड़ेगी और सदन में रिपोर्ट नहीं रखते तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे फायरिंग के मामले में यदि हम यहां डिसकस नहीं कर सकते तो क्या इस विधान सभा में केवल यह चर्चा करें कि अमुक गाय चोरी हो गई, अमुक की भैंस चोरी हो गई, अमुक आदमी ने अमुक को पीट दिया, यहां पर कोई आदमी से झगड़ा हो गया इन बातों पर चर्चा के लिये विधान सभा नहीं है। विधान सभा में पुलिस के महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि पुलिस का विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से यहां पुलिस के विभाग का सवाल नहीं है-पुलिस विभाग का नियन्त्रण करने वाली सरकार किस प्रकार का आचरण कर रही है यह प्रश्न इस मुद्दे का है। इसलिये मैं आपसे नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी बैठे है यदि पुलिस विभाग पर आप चर्चा कराना चाहे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दे और आपकी यह इच्छा हो कि बिना रिपोर्ट के सदन में चर्चा हो जाय तो माननीय मुख्य मंत्री जी क्षमा करना आपकी उच्छृंखलता न पूरी होगी न होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी आफ कमीशन एक्ट के तहत राज्य सरकार ने तीन

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जांच कमीशन नियुक्त किये हैं। एक घाता के सम्बन्ध में है, एक कोटपुतली के सम्बन्ध में है और एक डीग के सम्बन्ध में है। इनकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अन्य मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी के दूसरे मामलों में राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं। सदन की अब तक की परम्परा का जो मुझे ज्ञान है केवल इन्क्वायरी आफ कमीशन एक्ट के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट आती है वह सदन के पटल पर रखी जाती है और सरकार को कोई हिच नहीं है, उस रिपोर्ट के आने पर-सदन के पटल पर रखने में। लेकिन जहां तक मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी का सवाल है सरकार अपने सन्तोष के लिये कराती है और सदन के पटल पर आज दिन तक नहीं रखी गई है और शासन ने भी ऐसी कोई व्यवस्था दी नहीं है। इसलिये शासन इस पर जो उचित समझे करे मैं समझता हूं घावली गेटरी हमारे ऊपर है केवल इन्क्वायरी आफ कमीशन एक्ट के तहत जो रिपोर्ट आये वह सदन के पटल पर रखी जाय और वह तीनों रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं, जांच जारी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह जो मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी हो रही है वह क्या कांफिडेंशियल है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह गवर्नमेंट यूज के लिये है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी पब्लिक इन्क्वायरी है।

श्री हरिदेव जोशी : मजिस्ट्रेरियल एन्क्वायरी पब्लिक एन्क्वारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, पब्लिक इन्क्वारी एक्ट में नहीं है लेकिन पब्लिक इन्क्वायरी है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा न, जो मैंने कहा वह है फिर से रिपीट करता हूं कि पब्लिक.....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कहता हूं जो मजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी होती है...

श्री हरिदेव जोशी : That is for the government's guiduence.

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडेन्स के लिये। ए. डी. एम. पब्लिक इन्क्वायरी करता है, पब्लिक के स्टेटमेंट लेते हैं, एवीडेन्स लेते हैं, हलफनामे पर बयान लेते हैं, वकील खड़े होते हैं वह इन्क्वायरी कांफिडेंशियल कैसे हो गई ? वह तो सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आप कह दीजिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आखिर आपको निपटना पड़ेगा इस हाऊस में कि किस प्रकार की कोई रिपोर्ट जिसकी जांच का आश्वासन गवर्नमेंट सदन में दे क्या उसके लिये जरूरी नहीं है कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर न रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : दो बातें हैं, माननीय सदस्य। मजिस्ट्रेरियल इन्क्वारी एक रेगुलर

(श्री अध्यक्ष)

वे में, रूटिन में जो फायरिंग होती है उसमें होती है, और एक सदन में डिसकसन होने के बाद में, बाद में बात की गई हो, वह दूसरा मसला होता है।

भैरोंसिह शेखावत : वही मसला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मजिस्ट्रेरियल इन्क्वारी मानो आज जितनी भी बार, चाहे गवर्नमेंट ने सुवो मोट की हो अथवा मांग की गई हो...

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मुख्य मंत्री जी कुछ दूसरों की बातें भी सुनना आवश्यक है। मुख्य मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार वे सदन में कह चुके हैं कि मैं कानून की बारिकियों से परिचित नहीं हूं, इसके बावजूद, राज्य सरकार के मुख्य मंत्री होने के बावजूद आपका यह बयान देना कि यह केवल गवर्नमेंट की गाइडेन्स के लिये है, मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि जाब्ता फौजदारी के तहत सस्पीसियस सरकमस्टान्सेज में कोई मृत्यु हो जावे तो मजिस्ट्रेट लिये के जरूरी है, आपके नाड़ी हिलाने से नहीं होगा मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक है कि सस्पीसियमसरकमस्टान्सेज में इन्क्वायरी करे और उसकी रिपोर्ट जाब्ता फौजदारी के तहत दे तो वह पब्लिक डाक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय कानून को कम से लोग जानते हैं कि ऐसी इन्क्वायरी पब्लिक डाक्यूमेंट की तरीफ में आती है और ऐसी इन्क्वायरी की सर्टिफाइड कापी दी जानी चाहिये। यह तो राजस्थान सरकार कानून से नहीं चलती है और डण्डे से चलती है इसलिये मुझे अफसोस है कि उनकी रिपोर्ट की सर्टिफाइड कापी देने से भी कई मजिस्ट्रेटों ने इन्कार किया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पब्लिक डाक्यूमेंट है और जो कापी 100-50 रुपये से दी जानी चाहिये कापिग स्टाम्प लगाकर उसको सदन से छिपाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। आखिर यह लोकतन्त्र की सरकार है, चुनी हुई सरकार है और जहां कोई सस्पीसियस सरकमस्टान्सेज में मृत्यु हो गई मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी हो गई और फिर राज्य सरकार के निर्देश से हो गई, हाऊस में चर्चा करके हो गई और जब हाउस में चर्चा करके निर्देश से हो गई तो निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, इस सदन को जानने का अधिकार है। इस सदन को जानने का जो अधिकार है वह महत्वपूर्ण अधिकार है और उस अधिकार से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस अधिकार की रक्षा करें, क्योंकि आप कानून को जानते हैं खूब। इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि उस कानून के अधिकारों की रक्षा की जाय।

जो आर्डीनरी ला है उसके तहत जो अधिकार है, इस विधान सभा के विशेष अधिकार हैं कि राज्य सरकार से वह जानकारियां ले और उसकी आप रक्षा करे इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, एक बात और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी की ओर से वक्तव्य दिया विद्युत मंत्री जी ने सी. राजा मानसिंह हत्या काण्ड के बारे में। राज्य सरकार ने जो क्लेरिफिकेशन बी. आई.

(श्री मानिक चन्द सुराना)

से किया था 3 जुलाई को, उसकी क्या प्रगति हुई ? राज्य सरकार ने क्या मत बनाया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रेगूलर डिमान्ड पर बोल लेना.... ।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी आ गये । चर्चा होगी, अध्यक्ष महोदय, चर्चा से पहले यदि राज्य सरकार ने अपना मत बना लिया हो कि प्रोसिक्यूट करना....

(व्यवधान)

नहीं, अध्यक्ष महोदय, यदि उन्होंने अपना मन बना लिया है तो सूचना भी सदन को देनी जरूरी है कि हमने मत बना लिया और कि हम प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । कृपया समाप्त करें ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ राजा मानसिंह हत्या से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है । विधान सभा में जो आज बैठे हैं, जो कल बैठेंगे, जो परसों बैठेंगे और जो बैठ चुके हैं, मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि उनको आप पुलिस अधिकारियों की गोली से बचाये और आज ऐसी घटना दुबारा न हो । हमको यह सुनने को न मिले कि किसी मंत्री को, किसी सभा सदस्य को और किसी अधिकारी को गोली से मार दिया गया । आज राजा मानसिंह को मारा जा सकता है तो कल मानिक चन्द सुराणा को मारा जा सकता है और मुख्य मंत्री जी वह गोली कभी किसी मंत्री को भी लग सकती है । इसलिये ऐसी पुनरावृत्ति न हो और इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिये राज्य सरकार लीपा पोती न करे.... ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आगे बढ़ रहे हैं बेट पर बोल लीजियेगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है.... ।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लीपा-पोती न करें इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो स्वतन्त्रता के सैनानी रह चुके है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डिबेट में आयेगा यह प्रश्न.... । माननीय सदस्य, यह तो डिबेट में आने वाला है ।

श्री मानिक चन्द सुराणा : नहीं, जो स्वतन्त्रता सैनानी रहे है, आप पुलिस अधिकारियों का संरक्षण न करें, जिनके प्रोसिक्यूशन की परमीशन दिये जाने के बिना सी. बी. आई. इनको प्रोसीक्यूट नहीं करेगी । मुख्य मंत्री जी का बयान काफी नहीं है किसी सी. बी. आई. चाहे तो प्रोसीक्यूट कर दे । मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया है आपके मार्फत और उम्मीद करता हूं कि वे इस पर कुछ कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : कई बार मुख्य मंत्री जी यह कहते है कि सदन की बात जो है बड़ी साफ हो और कि सार गर्भित यहां पर बहस होनी चाहिये। सदन में जिस विषय की चर्चा हुई है, आपने मजिस्ट्रेट से जांच कराई तो वह ऐसी कौनसी बात है जिसको आप छिपाना चाहते हैं। इस सदन में चर्चा हो, सारे तथ्य सब को मालुम हों, पक्ष को भी मालुम हो और विपक्ष को भी मालुम हों इनके बाद सदन में चर्चा हो। इसके लिए जरूरी है कि मजिस्ट्रेट्स ने जो जो गोली काण्डों की जांच की वह भी सारे सदन के सामने तथ्य आ जाने चाहिए। उसमें छुपाने की बात नहीं है। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। औचित्य के नाते वह सारी रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। उसी सदर्भ में मैं यह कह रहा हूं कि जैसा माननीय सुराणा सादब ने कहा कि राजा मानसिंह जी के मामले में भी हम जो कहते हैं, आपने सी. बी. आई. को कहा कि जांच करो, उनको अब आप स्वीकृति नही दे रहे हैं। दे रहे हैं या नहीं दे रहे है यह बता दें ताकि महत्वपूर्ण तरीके से विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष : यहां पर इस रिपोर्ट की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : वह रिपोर्ट सदन के सामने रखें ताकि कार्यवाही सुचकरू रूप से चल सके। इसलिए जो भी जांच हुई हैं उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे और इस सम्बन्ध में दिमाग साफ करें। इस सम्बन्ध में सरकार को हट नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक कारगर बहस करने के लिए प्रत्येक विभाग का प्रत्येक सदस्य को प्रगति विवरण सदा सर्वदा मुहैय्या किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि प्रगति विवरण देने का प्रमुख प्रयोजन क्या है ? यही है कि वे फैक्ट्स जो पिछले वर्ष में इस विभाग ने किये हैं उसकी जानकारी सारे माननीय सदस्यों को मिल जाय और सार्थक बहस उस पर हो सके, इसलिए प्रगति विवरण आवश्यक है। इतनी सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं सरकार के पास। सार्थक बहस के लिए उनको निश्चित रूप से सदन में रखा जावे यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रगति विवरण दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य प्रश्न यह है कि……

श्री नाथूराम मिर्धा : एक शब्द मैं कहना चाहता हूं। जो कमीशन तीन आपने बिठाये, उनकी रिपोर्ट आई नही आपने ऐसा कहा और आयेगी वह रिपोर्ट जब आप सदन के पटल पर रखेंगे, उसके लिए आप अपने आपको पाबन्द मानते हैं। मैं सोचता हूं, जहां तक कि जो फायरिंग हुए हैं उसमें जो दूसरी तरह की जांच हुई है मजिस्ट्रेरियल जांच की तरह से, उनके ऊपर भी रिपोर्ट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आपके पास आई है तो छुपा हुआ डाक्यूमेंट है नहीं। इसलिए मैं माननीय विपक्ष के नेता से भी निवेदन करूंगा कि जो कुछ अभी मेरी आपसे बात हुई थी उसमें आपने फरमाया था कि वह रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर वह रिपोर्ट आ रही हैं तो कोई माननीय सदस्य देख कर के उनका उपयोग चर्चा में करना चाहें तो इसको वास्तव में ही कोई बहुत ही प्रतिष्ठा का इश्यु बनाया जाय कि नहीं रखेंगे, वह भी नहीं हो। फिर मैं यह भी निवेदन करूंगा। इधर बैठे हुओं से कि सारे लोग गोली काण्ड पर ही चर्चा नहीं करेंगे। इस सदन में कई तरह की चर्चायें होंगी। इसलिए सदन का समय कीमती है, पुलिस की मांग इम्पोर्टेंट है। कि आप भी इस आग्रह पर जोर नहीं रखेंगे, जो रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं वह रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रख दीजिए। कोई देखना चाहे, लाईब्रेरी में रख दीजिए, उसको देख लेंगे और बाकी के लोग इस बहस को चला सकें। मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा वाया मीडिया निकाल कर इस चीज को किया जाय तो सभी लोगों को संतोष होगा। आफ्टर आल जो कुछ भी चर्चा हम यहां करते हैं सदन में उससे लोगों को भी लगे कि भाई कुछ कारगर चर्चा किसी उचित विषय पर की है। वह मंशा है। मैं सोचता हूं कि दोनों तरफ से, आए तब ही शुरू करें ऐसा भी नहीं हो और न रखे ऐसा भी न हो, ऐसा मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहेंगे माननीय कालवीजी।

श्री कल्याण सिंह कालवी (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय यह सीधी-साधी बात है कि जहां कहीं पर भी गोलीकाण्ड हो उसकी मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायिक जांच करवा ली जाय और उस गोलीकाण्ड की चर्चा सदन में हो जाय और सदन में चर्चा होने के बाद में कोई आयोग या मजिस्ट्रेट तरह की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए, उनकी जांच रिपोर्ट आ जाती है तो वह कोई गोपनीय डाकूमेंट नहीं होता है और गोपनीय डाकूमेंट जब नहीं है तो उसको सदन में रख देना चाहिए। इसमें किसी तरह की हठधर्मी बरतने की आवश्यकता नहीं है। }

दूसरी बात जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय समस्य ने बात उठाई है कि मानसिंह हत्याकाण्ड से सम्बन्धित जो उस दिन सदन के अन्दर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, उसकी चर्चा के बारे में यह कहा गया था कि सी. बी. आई. उचित समझे तो चालान पेश कर दे। तो हम उसकी भी जानकारी चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष : वह तो उत्तर में मुख्य मंत्री जी कहेंगे जब डिमाण्ड पर बहस का उत्तर देंगे।

श्री कल्याण सिंह कालवी : ....कि इसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही हैं, कब चालान करेंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट ने नाजायज तौर तरीके से कार्यवाही की है उसकी सफाई यहां पर पेश हो जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री हरि शंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : लीगल पाईन्ट है । माननीय शक्तावत साहब ने यह कहा कि ईन्क्वयारी कमीशन एक्ट के अन्तर्गत जो जांच करवाने हैं वह हम सदन के अन्दर रखते ही है । मेरा ख्याल है कि ईक्वायरी कमीशन एक्ट के अन्तर्गत कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं हैं कि इस के अन्तर्गत यदि कोई जांच हो तो सदन की मेज पर रखनी ही चाहिए । यह कोई प्रावधान नहीं है बल्कि वह कामनसेंस की बात है कि जो इंक्वायरी कमीशन सदन के अन्दर मांग पर सरकार ने स्वीकार किया है और चूंकि उसकी जांच हुई है, इसलिए इसकी रिपोर्ट रखी जाय । इसी एनोलोजी पर जब सदन में कोई सवाल उठाया जाता है गोलीकाण्ड का और उसमें मीजिस्ट्रयल इन्क्वायरी, ज्युडिशियल इक्वायरी होती है। अब मजिस्ट्रेट नहीं लगाया, कोई हाईकोर्ट का जज नहीं लगाया, ज्युडिशियल इक्वायरी नहीं हुई है बल्कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया है तो उसी एनोलोजी पर उसकी जांच की रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत हुई जांच के अनुसार मानी जानी चाहिए और एनोलोजी दोनों में एक है क्योंकि सवाल सदन में उठा । सदन में सरकार ने किस बात को स्वीकार किया, यह अलग बात है लेकिन जिसको भी स्वीकार किया है उसकी जांच रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिए इसमें कोई आपत्ति का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहेंगे माननीय शोपतसिंह जी ।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल साधारण सा सवाल है कि कोई ऐसा डाकमेंट नहीं बताया जा सके या नहीं कहा जा सके सरकार से कि जो जनता के हित में नहीं हो, उसको रखने से जनता का कोई अहित होने जा रहा है । जहां 2 भी गोलियां चली हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कहूंगा आपकी मार्फत कि आप घबरा क्यों रहे है । गोलियां आपके राज में भी चली है, गोलियां जनता राज में भी चली हैं । आप सब की रिपोर्ट दे दीजिए कि साहब ये ये रिपोर्ट है । आप परहेज क्यों कर रहे है इस बात से । इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है । जिस सरकार में भी गोलिया चली हैं वह बता दीजिए कि यह यह रिजल्ट है यह हमने इंक्वायरी की । देट्स आल :

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, बात कहां से शुरू हुई, बात कहां पहुंच गई । प्रश्न यह था जो मैंने सुना था कि रिपोर्ट टेबल पर रखी जानी चाहिए । कहा यह गया कि आसन से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ, न कोई रूलिंग हुई है । अब तक कि परिपाटी यह रही है कि अगर सदन में चैयर से कोई आदेश होता है तो वे पेपर टेबल पर ले कर दिये जाते हैं । अभी तक परिपाटी यह रही थी कि डिमांड शुरू होती थी और उसका रिप्लाई दे दिया जाता था । इस प्रकार की रिपोर्ट्स आज तक कभी भी सदन की टेबल पर रखी नहीं गई, इसलिए कोई वो नहीं था । बाकी कोई

(श्री हरिदेव जोशी)

भी इक्वायरी हो, चाहे वह मजिस्ट्रियल इक्वायरी हो, चाहे कमीशन एक्ट के तहत फैक्ट्स फाईडिंग इक्वायरी हो, फैक्ट्स को सामने रखना और गवर्नमेंट वो करती है, इसमें कोई गुरेज का प्रश्न नहीं है। सवाल तो यह है कि आप यह कण्डीशन प्रिसिडेंस बनाना चाहते हैं कि हाउस की टेबल पर कोई कागज रखा जाय तभी जाकर डिमाण्ड पेश की जाय हाउस के अन्दर और तब ही जाकर उस पर डिबेट हो, प्रश्न यह है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह प्रश्न यह नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आप रूलिंग दे दें मैं उस रूलिंग का पालन करूंगा। मुझे एतराज नहीं है। सवाल यह कि क्या क्या कण्डीशनल प्रिसिडेंट हो कि कागज सदन के अन्दर मांगा गया, उस कागज को हाउस की टेबल पर रखा गया और उसके बाद में जा करके हाउस में डिबेट शुरू हो, यह है। बाकी मेरे पास में कागज पड़े हुए हैं उनको कोई भी नेता देख सकते हैं। सवाल है हाउस के प्रिसिडेंस का। अगर चैयर यह उपयुक्त समझते हैं कि कण्डीशनल प्रिसिडेंट हो जाय कि कोई कागज मांगा जावे और वह पेश हो तभी जाकर डिमाण्ड पेश की जा सकेगी और तभी डिमाण्ड पेश की जा सकेगी और तभी डिमाण्ड स्वीकार की जा सकेगी क्या, प्रश्न यह है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बैठें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बोला और हम इसके लिए तैयार हैं कि कागज जो आपके पास जांच होकर आये हैं उनको आप लाइब्रेरी में देखने को रख दीजिए....

श्री हरिदेव जोशी : मुझे किसी भी कागज को जो कि मैंने देखा है और जो ऐसा नहीं है कि जिससे पब्लिक इंटरेस्ट मार होता हो उसको किसी को बताने में एतराज नहीं है। मगर मुझे इसमें जरूर एतराज है कि डिमाण्ड तभी पेश की जाय जब कि कोई कागज हाउस की टेबल पर मांगा जावे वह रखा जावे। उस पर मुझ को एतराज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय....

श्री मानिक चन्द सुराना : सेक्शन 176 सी. पी. सी. की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें साफ लिखा है–प्रोसिडिंग्स अण्डर दिस सेक्शन, 176 सेक्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि इसमें काफी समय लगेगा। 176 वह सेक्शन है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : अपनी विधान सभा में कार्य संचालन के जो नियम है उन नियमों का भी हवाला दे दीजिए साथ-साथ में।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसका भी हवाला दे दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपको भी वो नहीं करता। मैं तो चेयर से रूलिंग मांगता हूं कि अगर आप यह समझते हैं कि कण्डीशनल प्रीसिडेंट हो जावे कि जो रिपोर्ट मांगी गई है वह रिपोर्ट जब तक हाउस की टेबल पर नहीं रखी जावे तब तक डिमाण्ड

(श्री हरिदेव जोशी)

पेश नहीं हो सकती, यह रूलिंग हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(2.00 म. प.)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लूणकसर से आने वाले माननीय सदस्य आपत्ति पेश करें उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि सी. आर. पी. सी. का 176 किस पर अप्लाई होता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सस्पिशियस सरकम्सटांसेज पर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किसी की मृत्यु सस्पिशियल सरकम्सटांसेज में हो जाती हैं, यह अप्लाई नहीं होता इस पर।

श्री मानिक चन्द सुराणा : अभी, माननीय शक्तावत साहब, आपको 176 पर बहस करने में काफी समय लगेगा। अभी नये नये दुबारा आये हैं, काफी समय लगेगा।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है, वह तो नये आये हैं आप बहुत पुराने आये हैं, प्रश्न यह भी नहीं है। प्रश्न यह है, कंडीशनल....

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : कानूनी बहस करना चाहते है तो कानूनी बहस के लिये तैयार हैं। कानूनी बहस नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मै परम्परा की बात कर रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं भी परम्परा की बात कर रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अगर यह चाहते है....

(व्यवधान)

इस सदन की परम्परा यह हो जाय कि हाउस की टेबल पर रिपोर्ट रखने के बगैर कभी भी डिमांड को डिस्कस नहीं किया जा सकता....

(व्यवधान)

इस पर एतराज नहीं है। मुझे एतराज नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुख्यमन्त्री सारे इश्यू को अवाइड करना चाहते हैं। सारे इश्यू को इवेड और अवाइड करना चाहते है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जोशी जी, एतराज हमको भी नहीं है। अगर आप यही चाहते है कि हाउस की प्रोसीडिंग नहीं चले तो एतराज हमको भी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं फ्लोर हर पजेशन में हूं और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

Proceedings under the section of judicial proceedings and the High court exercises its jurisdiction over such proccediugs under Sec. 397 & 401 or under 482 of the Cr. P. C.

एक माननीय सदस्य : तो क्या हुआ।

श्री हरिदेव जोशी ; इस क्वश्चन पर है क्या यह ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जुडिशियल प्रोसिडिंग्स है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जुडिशियल प्रोसिडिंग्स का मतलब यह है, यह खुली प्रोसिडिंग्स है और इसकी सर्टिफाइड कापी ली जा सकती है। यह जुडिशियल प्रोसिडिंग्स का मतलब है। यह एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडेंस के लिये नहीं है। चूंकि यह खुली प्रोसिडिंग्स है, इसमें सभी लोग पार्टीसिपेट करते है। आपने मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी वही बैठायी है जहां पर सस्पिशियल सरकम्सटांसेज में मौतें हुई हैं पुलिस ने जुल्म किये है, लोगों को मार डाला है। वहां पर सस्पिशियस सरकम्सटांमेज पैदा हुए ने। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जुडिशियल प्रोसिडिंग्स हैं....

श्री अध्यक्ष : समझ में आ गई बात मेरे। कृपया बैठें।

श्री मानिकचन्द सुराना : इनको हाउस की टेबल पर ले डाउन कराया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री सारे क्वेश्चन को इवेड करना चाहते है कि साहब रूल, प्रोसिजर यह नहीं हैं कि हाउस की टेबल पर कागज आयें उसके बाद बहस हो। प्रश्न यह है, इतनी सारी 18-18 रिपोर्ट को दबाने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। वह प्रोप्राइटी डिमांड करती है राजस्थान की जनता डिमांड करती है कि वह सारी रिपोर्ट हाउस की टेबल पर आयेगी, यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। अन्यथा यह बहस शायद ही हो पाये, इस बात को भी जान लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 176 सी. आर. पी. सी. का जो हवाला अभी माननीय सदस्य ने दिया उसका मैं एक सेन्टेन्स पढ़ रहा हूं पहले....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सी.आर.पी. नहीं सी. आर. पी. सी.।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जी हां, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड। 176 Criminal proceedure Code : when any person dies while in the custody of the police;

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरा तो पढ़ो। क्यों राजस्थान सरकार को बदनाम करते हो। पूरा तो पढ़ो इसको।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : पूरा तो पढ़ो आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। चीफ व्हिप बोल रहे है।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, बड़ी बदनामी हो सरकार की।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप बोल लेना। मैंने उनको पुकारा है। फिर बोल लेना बाद में। कृपया बैठें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक) अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार चलती है। लूणकरसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 174 और 176 का जिक्र किया है उसके अन्तर्गत यह जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा बैठायी जाती है। यह बातें रेफरेंस और संदर्भ के रूप कही गई हैं। आपके सामने विचारणीय प्रश्न यह है, क्या कोई दस्तावेज रखने के बाद ही मांग शुरू की जाय। जैसा कि सदन के नेता महोदय, ने आपके सामने अपनी बात रखी, फैसला इस बात पर करना है कि सदन की मेज पर अमुक प्रकार के प्रतिवेदन या जांच आयोग के प्रतिवेदन या मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की गई है उनके प्रतिवेदन रखने के बाद में पुलिस की अनुदान की मांग पर विचार विमर्श शुरू किया जाय। मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा, सदन की परम्परा रही हैं कि जांच आयोग के आयोग के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखें जाते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी जांच की जाती है उसके बारे में कोई भी प्रतिवेदन आज तक यहां पर नहीं रखा गया है। कृपया इस बारे में आप निर्णय दें कि सदन की मेज पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवेदन रखना आवश्यक नहीं है जब तक कि आपका....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। मैंने सबको सुन लिया। माननीय सदस्य, मैंने सबको सुना।

श्री मोहन प्रकाश . मेरा दूसरा सवाल है। पूरे मामले को घुमाया जा रहा है। हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने पहले सरकार से यह निवेदन किया था कि जितने भी गोली काण्ड हुए है उनके बारे में जानकारी पुलिस की डिमाण्ड के पहले हमको दे दी जाय। अब उस इश्यू को यह इश्यू बनाया जा रहा है कि क्या किसी डिमाण्ड को शुरू करने से पहले रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना अनिवार्य है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने मुझे विश्वास दिलाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल अखबार में यह छपेगा कि राजस्थान के तथाकथित गृह मन्त्री ने यहां यह स्टेटमेंट दिया है कि 176 में When any person dies while in the custody of the police; पुलिस की हिरासत में यदि किसी आदमी की मृत्यु होती है तभी 176 लागू होगी। यह बात कल अखबारों में छपेगी। राजस्थान का बच्चा बच्चा जब इसको पढ़ेगा तो आपके बारे में वह क्या विचार करेगा। यह सैक्शन (4) पढ़ने से पता लगेगा When any person dies while in the custody of police, the nearest Magistrate empowered to hold inquests shall and in any other case mentioned in Sub. Section(1) of Sec. 174, Magistrate so empowered may hold an enqiry....

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यानी 174 की दफा (1) में भी अगर कोई बात हुई है तो उसकी जांच करेगा। 174 (1) में यह लिखा है।

When the officer-incharge of a police station or some other policer office specifically empowered by the State Government in that behalf receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by an animal or by the machinery or by an accident has died under circumstances raising a reasonable suspicion;

अगर यह होगा तो 176 में उसकी इन्क्वयरी करेगा।

श्री अध्यक्ष : आप इस बहस में उतर गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो दोनों बातें है। पुलिस कस्टडी में कोई मौत होती है तो....

श्री अध्यक्ष : This is not Low Court.

श्री भंवरलाल शर्मा : 174 (1) में उन सरकम्सटांसेज में कोई आदमी मरेगा तो पुलिस कस्टडी की जो बात कर रहे हैं कि केवल पुलिस कस्टडी में ही मृत्यु होगी तो उसकी जांच होगी, यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस विषय पर मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। और मैं जैसा देख रहा हूं, इस सदन में बैठ कर, यहां बैठ कर शायद मैं अभी निर्णय न दे पाऊं, दो बजकर तीस मिनट तक के लिये मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.08 बजे म. प. 2.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

तदनन्तर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

(2.32 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन में जो बिन्दु उठाया गया है उस पर मैंने गम्भीरता से विचार किया है। मैं यह मानता हूं कि इस तरह के बिन्दु उठाकर यह कहा जाय कि सरटेन रिपोर्ट्स या सरटेन डाक्यूमेंट्स सदन में पेश किये जाय तभी डिमान्डस प्रारम्भ की जायेगी। मैं इसको ओवर रूल करता हूं, अस्वीकार करता हूं और राज्य सरकार को डिमान्ड पेश करने की अनुमति देता हूं।

साथ ही साथ माननीय सदस्यों को सूचना के लिए इतना कहना चाहूंगा जो इस रूलिंग का पार्ट नहीं है, व्यवस्था का पार्ट नहीं है, इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं तो मुख्य मन्त्री जी से सम्पर्क करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखना चाहते हैं।

Page No 96

(96)

श्री अध्यक्ष : देखना चाहते हैं, तो मुख्यमन्त्री जी से सम्पर्क करके देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमन्त्री जी से बात कर लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां देखेंगे। मुख्यमन्त्री जी बैठे हैं सामने।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए पाइन्ट आर्डर। अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था दी इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मैं भी मानता हूं कि रूल्स के हिसाब से कोई कंडीशन फिक्स अप नहीं होती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सैंक्टिटी का प्रश्न है, प्रोप-राइटरी का प्रश्न है, rules are governed by the propriety of theHouse.

प्रोपराइटरी में आप केवल यह कहें कि यह तो मैंने व्यवस्था दे दी और इसके लिए सम्पर्क करें मुख्यमन्त्री जी से तो मुख्यमन्त्री जी कल इन्कार कर दें तो····

श्री अध्यक्ष : निवेदन किया ना कि चैम्बर में आप देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या देख सकते है।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट्स जो रेफर की है।

श्री हरिदेव जोशी : पहले निवेदन किया, अब भी निवेदन करता हूं कि मेरे को एतराज केवल कन्डीशनल प्रिसिडेन्ट्स से था····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो रूल्स में नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : वह मैंने कह दिया ना। मेरा एतराज केवल कण्डीशनल प्रिसिडेन्ट्स से था आप कभी भी जब आपको सुविधा हो मेरे साथ में बैठकर के पेपर्स देख लें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आपके साथ क्यों ? अध्यक्ष महोदय, सवाल आपके साथ देखने का है····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सुविधा का सवाल नहीं है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो चाहेंगे कि कल देख लें। आपकी सुविधा का सवाल नहीं है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री के····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया

(व्यवधान)

माननीय गृह मंत्री महोदय,····

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि....

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कि मांग संख्या 16....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। कृपया। माननीय सदस्यों से मैंने निवेदन कर दिया कि वे देख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदित्य :.........सदन की भावनाओं का तिरस्कार करके....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि माननीय सदस्य देख सकते हैं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि वहां देख लेंगे।

अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 81,66,85,000 (रुपये इक्यासी करोड़ छियासठ लाख पिच्चासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप देख सकते हैं, रिपोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

पुलिस गोली काण्डों की जांच रिपोर्ट

श्री हरिदेव जोशी : अब मैं ऊपर जा रहा हूं मेरे चैम्बर में जो भी माननीय सदस्य मेरे पास बैठकर देखना चाहें वह देख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री रोपतसिंह : आपके घर का मामला है, क्या ? सदन में रखिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, कि आपके चैम्बर में वह रिपोर्ट हम को देखने को मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। असेम्बली परिसर तो है ही वहां, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सी. एम. के चैम्बर में रिपोर्ट देखने नहीं जायेंगे, आपके चैम्बर में जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री नत्थीसिह : आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझ से सम्पर्क कर लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मुझ से सम्पर्क कर लें।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया कि मुझ से सम्पर्क कर लें। बैठ जाइये····

(व्यवधान)

श्री नाथूसिह : सदन के लिए इससे फर्क पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर रहे हैं आपसे सम्पर्क····

श्री अध्यक्ष : कृपया कार्यवाही चालू होने दें।

(व्यवधान)

मुझ से सम्पर्क कर लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कर रहे हैं सम्पर्क और कैसे करें।

श्री अध्यक्ष : मेरे कक्ष में आकर संपर्क कर लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट देखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके कमरे में।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था करूंगा मुझ पर भरोसा करिये ना थोड़ा सा

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज····

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं जीणमाता की रिपोर्ट देखना चाहता हूं। जीणमाता की रिपोर्ट मुझे कहां से मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज जीण माता गोली काण्ड पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता देख लेंगे नाथूराम जी मिर्धा देख लेंगे, अध्यक्ष देख लेंगे। आम सदस्यों का क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैंने माननीय सदस्यों के लिए कहा है केवल आपके लिए नहीं कहा है। नेताओं के लिए नहीं कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलो तो चलें। जीणमाता की रिपोर्ट देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । श्री गोविंदसिंह गुर्जर ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन करना इतना सा है कि मुख्य मन्त्री जी को आपके चैम्बर में रिपोर्ट दिखाने में क्या आपत्ति है ।

(व्यवधान)

(म. प. 2–38)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं····

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ ऑर्डर····

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ ऑर्डर····

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है । कोई चर्चा में विषय ही नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नो पाइन्ट आफ ऑर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : एक एक बोलें । श्री भंवरलाल जी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि कोई पाइन्ट आफ आर्डर है क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इजाजत दे दी है उन्होंने ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : दे दी तो बोल लो ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा । प्लीज प्लीज । भंवरलाल जी बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : उपाध्यक्ष महोदय, सारे के सारे कमरे में आ जायेंगे क्या ? कौन-कौन रिपोर्ट देखेगा । क्या कोई करना है । कोई घर का फैसला है क्या कि वहां जाकर बात करनी होगी । यह गलत है । सदन में पढ़कर सुनाना होगा । घर की बात नहीं है । कोई प्राइवेट बात नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : एक साथ तो सारी रिपोर्ट सदन में भी नहीं देख सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वकील साहब मैं बोल रहा हूं । अभी आसन की ओर से यह व्यवस्था दी गयी कि जो भी माननीय सदस्य कमीशन की रिपोर्ट्स को देखना चाहें वह मुख्य मन्त्री के कमरे में जाकर रिपोर्ट देख सकते है ताकि यहां आकर अपनी बात ढंग से रख सकें । वह गये हैं । बाकी बचे लोग भी जाना चाहते हैं । इसलिए जब तक हम देखकर न आयें तब तक के लिए आप इस कार्यवाही को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : आपके अलावा कोईबोलने वाला नहीं है, क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कई माननीय सदस्य बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट देखने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी।

श्रीमती कमला : आप सब लोगों का एक साथ ही जाना जरूरी थोड़े है। और साथसाथ भी जाना चाहते है तो और भी हैं बोलने वाले।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट को देखने के लिये सबके जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं ....

श्री बुलाकिदास कल्ला : आप देख लीजिये। बहुत से सदस्य बैठें हैं। सदन की कार्यवाही के लिये 20 सदस्य ही काफी है।

एक माननीय सदस्य : जो सदस्य रिपोर्ट देखने गये हैं वह बाद में आकर बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सदस्य महानुभाव रिपोट को देखने गये हैं उनको बार में अवसर दिया जायेगा। पुलिस पर बोलने का समय दिया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : उनको समय दिया जायेगा, उनका समय काटा नहीं जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सब जा रहे हैं, आप देख लीजिए।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से....

श्री रतनलाल ताम्बी : जिन सदस्यों को रिपोर्ट देखनी है वह देखेंगे बाकी दूसरे सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि रिपोर्ट पर जिनको बोलना है वे अध्ययन करें बाकी अपने अपने विचार डिबेट पर प्रकट करना चाहते हैं उनका कैसे रोका जा सकता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले जो व्यवस्था दी थी, व्यवस्था के साथ ही माननीय गोविन्दसिंह जी का नाम पुकारा था इस बीच में कोई सदन में कार्यवाही नहीं चल रही है इसलिए औचित्य का प्रश्न ही नहीं है। माननीय गोविन्दसिंह जी को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने बोल दिया उनको।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से ....

श्री उपाध्यक्ष : He is on his legs. Let him finish.

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था दी गई है उसको चैलेंज करना मेरा इरादा नहीं है। इस समय निवेदन केवल इतना करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रेस वालों ने आपको देख लिया है। आपका नाम आ जायेगा।

श्री नाथूसिंह : इस समय सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, एक अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में डिमाण्ड पेश हो चुकी हैं माग पेश हो चुकी है इसलिए कटमोशन पर मैं आ रहा हूं। पहला नाम....

श्री नाथूसिंह : आपने पहले मुझे परमिट किया है।

(व्यवधान)

सदन में एक अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है....

श्री डूंगरराम : रिपोर्ट गायब हो गयी है, रिपोर्ट का सदन में अपहरण हो गया है। अपहरण करके कमरे में बन्द कर दी गयी है....

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां ऐसी परम्परा हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मामला खतम हुआ।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्री के चैम्बर में जाकर किसी चीज को देखें। क्या उसको सदन में नहीं देख सकते।

श्री उपाध्ययक्ष : माननीय सदस्य, माननीय स्पीकर भी इस पर रूलिंग दे चुके और मैं भी पोइन्ट आफ आर्डर पर दे चुका। अब डिमाण्ड चलेगी।

श्री नाथूसिंह : यह हमारा राइट है, सदन में क्या बहस हो रही है उसको सुनने का। अगर मुख्य मन्त्री जी के चैम्बर में जाकर देखें तो सदन में क्या हो रहा है वह नहीं सुन सकेंगे। हमारा राइट है सदन में हो रही बहस को सुनने का।

श्री पंकज पचोली : हाउस थोड़ी ही रुकेगा इनके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सदन इस कार्यवाही के लिए नहीं रुकेगा। मैं पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूं कि सदन की कार्यवाही इस काम के लिए नहीं रुकेगी। जो इनको देखना चाहें वह देख सकते हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय केदार जी।

श्री केदार नाथ : रूलिंग को मानते हुए मैं विनम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह जो लफ्ज् कहे कि मेरे चैम्बर में आकर देख लो। मैं यह सोचता हूं कि यह अपोजिशन को ह्यूमिलिएट करना है। जब रिपोर्ट दिखाने में एतराज नहीं है उनको तो स्पीकर का चैम्बर क्या चीज है, वह अहमियत नहीं रखता? हम यहां हाउस के मेम्बर हैं। हाउस के मेम्बर होने के नाते हमारी डिगि-

(श्री केदार नाथ)

नहीं है, हमारा देखने का अधिकार है। हमने रूलिंग को मान लिया। यह जो डैड लॉक डिफ्यूज करने के लिए रास्ता निकाला माननीय मिर्धा जी ने, हमने उसे मान लिया, उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम इनको वहां जाकर देखें या यहां जाकर देखें वह हमारा राइट नहीं है जिसके कारण हम अपने आपको, सोचते है कि हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है। हमारा रोल जो अपोजीशन का है उसको अण्डरमाइन, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम इसको मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह रूलिंग का पार्ट नहीं है। यह माननीय सदस्यों की सूचना के लिए, जानकारी के लिए कि जो देखना चाहे वही देख सकते हैं।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो यहां पर सदन में कहा गया रिपोर्टस के बारे में कि वह मुख्य मन्त्री के चैम्बर में मुख्य मन्त्री के साथ बैठकर देखें जैसे उनका बहीखाता हो। बात क्या हुई यह ! मुख्य मन्त्री साथ बैठकर देखेंगे। मुख्य मन्त्री साथ नहीं बैठेंगे तो हम उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह की बात है कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो लाइब्रेरी में रखो या स्पीकर के चैम्बर में, जो भी देखना चाहता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का सवाल यह नहीं है कि रिपोर्ट कोई कांग्रेस पार्टी की हो हो, यह तो यह कहते हैं कि जनता पार्टी में भी हुआ उसकी भी हम देखेंगे रिपोर्ट।

श्री पंकज पंचोली : आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है इस पॉइन्ट पर।

श्री शोपत सिंह : यह कोई उनका पर्सनल मामला नहीं है कि हम मुख्य मन्त्री जी के साथ देखें और मुख्य मन्त्री जी नहीं हो तो उस रिपोर्ट की टांग टूट जाय। हमें छोड़ दें तो उसके साथ गड़बड़ हो जाय रिपोर्ट के साथ अकेले नहीं देख सकते आप इसका मतलब क्या हुआ ! इसलिये इस तरह की × × × बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं चलेगी। सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री पंकज पंचोली : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, आसन की ओर से भी व्यवस्था दी जा चुकी है। आजकी डिबेट रिपोर्ट पर नहीं पुलिस पर है। रैफ्रेंस के लिए रिपोर्ट जो देखना चाहें देख लें।

श्री नाथू सिंह : हम चेयर से प्रोटेक्शन चाहते हैं। यह मुख्य मंत्री जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की तरफ से इस बात पर एतराज किया जाना कि माननीय मुख्य मंत्री जी के चैम्बर में हम रिपोर्ट नहीं देखेंगे। अव्वल तो मैं यह कहना चाहती हूं कि कई बार जब कभी कोई ऐसे कागजात को देखने की बात हुई, माननीय मुख्य मन्त्री

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

जी ने आमन्त्रित किया। सदस्य साहबान ने वह देखें हैं।

(व्यवधान)

बात सुनिये। मैंने आपकी बात सुनी है। आज अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी किसी और डॉक्यूमेण्ट के लिए कहें कि आप मेरे चैम्बर में आकर देख सकते हैं तो बिना किसी कारण, बिना किसी पूर्व ऐसी घटना के कि आपका कहीं सम्मान नहीं रखा गया, या कोई दिखाया नहीं गया या व्यवहार में गलती हुई, बिना किसी घटना के आप सिर्फ यह कहें कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के चैम्बर में तो हम नहीं जायेंगे, यह बहुत बड़ी गलती है आपके पार्ट पर जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

बिना कारण मुख्य मन्त्री जी के लिए आप कहें कि हम वहां जायेंगे तो हमारा असम्मान हो जायेगा, यह बहुत गलत बात है।

श्री शोपत सिंह : उनकी मौजूदगी में ही देखिये, बात तो यह है।

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : इस प्रश्न पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष द्वारा रूलिंग दी जा चुकी है। आज की डिमान्ड पुलिस पर है न कि रिपोर्ट पर। रिपोर्ट तो रिफ्रेंस में प्रयोग की जा सकती है वरना डिमाण्ड तो पुलिस पर होनी है ही।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकार चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सदन में बहस किस बात पर हो रही है। जब स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी। रूलिंग में यह साफ है कि जो कन्टैन्शन आपने मांगा था कि आप इसे हाउस की टेबल पर ले करिये, उन्होंने कहा, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। जब चीज अस्वीकार की जा चुकी है, डिमाण्ड पेश करने की इजाजत हाउस में दी जा चुकी है, डिमाण्ड पर वाद विवाद प्रारम्भ हो गया, फिर आप क्या पूछ रहे हो इन्फार्मेशन जो हाउस में दी है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : हम तो प्रोटेक्शन चाहते हैं। कल आप कह देंगे, मेरे घर आकर रिपोर्ट देख लें।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं चेयर से प्रोटैक्शन चाहूंगा। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हम इस बात की बड़ी कद्र करते हैं कि अध्यक्ष महोदय ने चाहे हमारे कन्टेंशन को अस्वीकार कर दिया फिर भी उन सारे डॉक्यूमेण्टस तक सारे माननीय सदस्यों की एक्सस बनायी और यह कहा कि मुख्य मंत्री जी के चैम्बर में देखें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री के साथ चैम्बर में देखना सम्भव इसलिए नहीं है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बहुत बिजी हैं, पचासों तरह

(श्री मनिक चन्द सुराना)

के काम में हर वक्त व्यस्त रहते हैं। सम्भव नहीं है कि उनकी उपस्थिति में 100-50 पेज की डाक्यूमैण्ट्स को देखा जाय। यह आवश्यक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : स्पीकर के कमरे में आ गयी बतायी।

श्री पंकज पंचोलि : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय आ गये हैं वह देखकर आये हैं।

श्री नत्थीसिंह : स्पीकर साहब के चैम्बर में दिखाई जा रही है, एडजर्न कर दीजिये हाउस को।

(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आप से निवेदन करता हूं All rules are handmaid of, justice and all judgments are subject to correction.

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बारे में थोड़ा संशोधन कर दें कि मुख्य मन्त्री जी के चैम्बर में ही देखना है तो मुख्य मन्त्री जी एसी व्यवस्था करें कि उनकी अनुपस्थिति में देखी जा सके। चाहे उनका सैक्रटरी हो, प्राइवेट सैक्रटरी हो, उसको देखा जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशियल डॉक्युमैण्ट हाउस की प्रोपर्टी होनी चाहिए। यह क्या बात है कि मुख्य मन्त्री जी के चैम्बर में ही जाकर देखें। आप उसको हाउस की प्रोपर्टी बनाइये। हाउस की प्रोपर्टी वह है।

श्री डूंगरराम : चैम्बर में इतने मेम्बर कहां जा सकते हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : इसलिये निश्चित रूप से उनको देखने की, इन्सपेक्शन करने की, उस पर बहस करने की जो व्यवस्था की है उसमे संशोधन करें और स्पीकर महोदय के चैम्बर में वह सारे डाकूमेन्ट्स वह रिपोर्टस उपलब्ध करायें यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : हम तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं। यह हाउस की डिग्निटी है, हाउस के सदस्यों की डिग्निटी है, स्पीकर की डिग्निटी है, मुख्य मन्त्री महोदय हाउस से बड़े नहीं हो सकते हैं और जब मुख्य मन्त्री हाउस से बड़े नहीं हैं, आज तो मुख्य मन्त्री जी अपने चैम्बर के लिये कह रहे हैं, कल घर के लिये कह देंगे वहां पर आकर देख लेना, परसों और किसी जगह के लिये कह देंगे, मंत्री भी कह देंगे की सवाल घर आकर पूछ लेना....

(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्षमहोदय, सारे वातावरण को देखने से ऐसा लगता है.....

(व्यवधान)

श्री भैंरूलाल : भारद्वाज : ट्रांसफर करवाने के लिये तो मुख्य मन्त्री जी के पीछे पीछे भागते रहते हो....

श्री हरिमोहन शर्मा : कि व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कुछ व्यक्ति दूसरों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं....बार बार एक ही सदस्य बोलने के लिये खड़े हो जायं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बाकी सब आपकी तरफ देखते रहें इस पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपको ऊपर चढ़ने में तकलीफ है, मुख्य मंत्री जी ने नीचे रख दी है, आप वहां पर देख सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : नीचे कहां पर ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : स्पीकर साहब के चेम्बर में ।

एक माननीय सदस्य : चाबी लगा लीजिये उन पर ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानून के ज्ञाता हैं, रूल्स के बारे में भी आपकी बहुत ज्यादा जानकारी है, अध्यक्ष के चेम्बर में कोई रिकार्ड रखा जाता है वह असेम्बली का रिकार्ड माना जाता है ?

(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : जब तक सदन में नहीं रखा जाय, तब तक नहीं माना जा सकता, सदन की टेबिल पर रखने से ही माना जा सकता है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं, सदन की टेबिल पर रखने से ही माना जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस की टेबिल पर जो रखा जायेगा वह हाउस की प्रापर्टी होगी । हाऊस का रिकार्ड माना जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह हाऊस की टेबिल पर ले डाउन नहीं किया गया है । केवल सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था की है । हाऊस की प्रापर्टी नहीं बन सकती....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : हम पढ़ेंगे तो सही ना, आपकी और इनकी दोनों की रिपोर्ट देखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं.... मन्त्री महोदय या तो सुन लीजिये, आपने जो रिपोर्ट पेश की है वह अब कान्फिडेन्शियल नहीं है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय को पेश नहीं की है, केवल स्थान बदला है, वहां पर देख सकते हैं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी····

(व्यवधान)

इसका एण्ड होता है। हाउस को चलाने के लिये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, हाउस को चलाने में हम कहां बाधा डाल रहे हैं····

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे कानूनी मुद्दे में मत उलझाइये, उलझाने की जरूरत नहीं है। माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि कानूनी मसले को, अपने अपने विवेक से जैसा इन्टरप्रेट करना चाहें, वह करें, अपने तरीके से इन्टरप्रेट करें····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून जानता नहीं हूं और कानूनी मसले पढ़ता भी नहीं हूं। कानून तो आप जानते हैं या विधि मन्त्रीजी जानते हैं। मैं तो केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं कि जो चैम्बर में उन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसके लिये····

श्री बुलाकीदास कल्ला : पेश नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जो रिपोर्ट्स रखी गई हैं उनमें से मैं नोट ले सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी तबियत से जैसा समझें चाहें करें····

(व्यवधान)

मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी तबीयत में क्या है और क्या करना चाहेंगे इस पर मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो कम से कम यह मानता हूं कि टेबिल ऑफ दी हाउस पर वह नहीं है, यह रूलिंग दी जा चुकी है····

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि माननीय नसीराबाद से आने वाले सदस्य बहस की शुरूआत करें मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के माननीय सदस्य जो महात्मा गांधी के वारिस हैं, वह पुलिस की इतनी वकालत न करें। हमें डर लग रहा है कि × × ×

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह आप बोल लेना आपके समय पर····

श्री सम्पत सिंह : इसलिये, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं उनको यह मशविरा दें मेहरबानी करके बहस शुरू करें पुलिस की मांग पर कोई कहर नहीं हो रहा लेकिन ऐसे वातावरण में बहस शुरू करें हम कि उसमें दोनों पक्ष शिरकत करें····

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हरिमोहन शर्मा : यूनियन जैक की शरण की शंका आपको कैसे हो गई, आप जैसे कमजोर सदस्य ही ऐसा सोच सकते हैं, झण्डा तो तिरंगा ही रहेगा....

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवेरे से ही देख रहे हैं कि आप पुलिस की वकालत कर रहे हैं इसलिये हमें शंका हो रही है।

(व्यवधान)

महात्मा गांधी के जयकारे बोलना आपका दिखावा है। सवेरे से आप पुलिस की वकालत कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं आप ? जब आके सीने पर गोली लगेगी तब आपको अन्दाजा लगेगा पुलिस की वकालत का....

(व्यवधान)

इसलिये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं पुलिस की खुल्ले-आम इस सदन के फ्लोर पर वकालत मत करिये, वरना इस देश का तिरंगा झण्डा यूनियन जैक की शरण में....

(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं जायेगा, नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1977 से 1980 के बीच में जब आपकी सरकार थी उस समय भी आप सफल नहीं हुये थे। उस समय आप हमारी पार्टी के झण्डे को बदलना चाहते थे उस समय भी हमने आपको चैंज नहीं करने दिया था ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता महोदय से और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वह डिमाण्ड पर सही मायने में बहस करना चाहते हैं तो इस सदन को चलने दें और यदि उनकी इच्छा नहीं है तो मांग पारित कर दी जाय....

(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : डेमोक्रेट बनिये मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यदि धमकी देना चाहते हैं, तो....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : धमकी नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं विपक्ष के नेता महोदय से....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी जो लैंग्वेज थी....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह धमकाना चाहते हैं कि करो तो करो नहीं तो हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पास कराकर चले जायेंगे·····आप अपने शब्द वापिस लीजिये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने तो विरोधी दलों के नेताओं से अनुरोध किया है····

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : कौनसी अन-पार्लियामेंटरी बात कही है····

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं किया है, मैंने तो बहुत साफ रिक्वेस्ट की है कि विपक्ष के नेता महोदय हाउस को चलाने दें ताकि इसमें वाद-विवाद आगे बढ़े····

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : तर्क संगत बातों का उत्तर इनके पास नहीं है, धमकी दे रहे हैं इस बात की कि इसको पास करा कर×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक निवेदन मैं करना चाहता हूं । पोलूशन के बारे में बड़ी बहस होती है गरमा-गरम, पॉलिटिकल एटमासफियर में होती है । मैंने पढ़ा है 6 इसके इनग्रेडन्ट होते हैं उनमें से एक नोइस भी है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नोइस पोलूशन के लिये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि आप पुलिस को पोलूशन समझ गये····

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इतनी नोइस होती है पोलूशन का इनग्रेडन्ट अपने हाउस को पोइलट नहीं करे····

(व्यवधान)

बड़ी आवाज है सिर दर्द होता है, अपनी तन्दुरस्ती का ख्याल रखें ।

श्री लालचन्द : ऐसा वातावरण हाउस के अन्दर बनाया जाय ताकि पुलिस की मारी बातें और बहस नहीं कर सकें, पुलिस के लोग बच जायं ।

(व्यवधान)

(3.00 म. प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर रूलिंग हो चुकी है, कागजात वगैरह देख लिये हैं, अब बहस शुरू की जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचेतक, महोदय, उग्र न हों तो ही ठीक है । अभी माननीय मन्त्री महोदय, ने कहा मैंने धमकी नहीं दी है रिक्वेस्ट की है, हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं । भविष्य में धमकी देने की बात और बाद में रिक्वेस्ट में परिणित करने की बात की स्थिति पैदा नहीं हो इसका ध्यान रखें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बहुत हो गया, कृपया बैठें–श्री गोविन्दसिंह ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री नाथूसिंह : अब तक जो भी डिबेट शुरू होती है वह विरोधी पक्ष से होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अन्त नहीं है इसका।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : कोई भी विचार होता है विरोधी पक्ष शुरू होता है।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

1. पुलिस की असावधानी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री रेवत राम (थो डूंगरगढ़) :

2. थानाधिकारियों को प्रत्येक थाने में जीप वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. पुलिस कर्मियों को मैस भत्ता मंहगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाने के कारण चर्चा के लिये।

4. पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

5. राज्य सरकार द्वारा कानून व व्यवस्था को सुधारने में असफलता पर चर्चा के लिये।

6. पुलिस द्वारा जिला बांसवाड़ा के डकैतों को काबू नहीं करने पर चर्चा के लिये।

7. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में रिश्वत खोरी को बन्द नहीं करने पर चर्चा के लिये।

8. पुलिस विभाग द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

9. राजस्थान पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

10. नवलगढ़ (सर्किल) में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) :

11. पुलिस स्टेशनों पर जीप व मोटर साइकिल की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

12. पुलिस आयोग की सिफारिशें नहीं लागू करने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

13. पुलिस के सिपाहियों का मैस भत्ता तथा वेतन व मकान सुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

14. पुलिस कर्मियों की वर्तमान दयनीय दशा सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) :

15. उदयपुर में श्री केशरिया जी राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर थाना नहीं होने से क्षेत्रिय नागरिकों को होनेवाली परेशानियों के निराकरण हेतु पुलिस थाना टोडी में खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

16. थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह (लूणी) :

17. पुलिस विभाग में आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

18. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. पुलिस द्वारा झूठें मुकददमें दर्ज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में पुलिस द्वारा बस डकैती रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

21. मांडल क्षेत्र के थाना सरपंच पर पुलिस द्वारा गलत मुकद्मा बनाकर परेशान करने पर चर्चा के लिये।

22. मांडल क्षेत्र के लालरी ग्राम के कतिपय लोगों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार पर चर्चा के लिये।

23. भीलवाडा तहसील के तकड़िया ग्राम में पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. मांडल क्षेत्र के नजदीक असीन्द तहसील के रतनपुरा में पुलिस द्वारा की गई ज्यादातियों पर चर्चा के लिये।

25. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

26. महिला पुलिस कर्मचारियों के विभिन्न सेवा वर्गों में पदोन्नति के अवसरों के अभाव से महिला कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

27. जयपुर जिले के थानों पर वाहनों के अभाव से अधिकारियों में व्याप्त शिथिलता से अपराधियों को समय पर पकड़ने व सजा मिलने के अभाव से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

28. पुलिस कर्मियों में जनता से सहयोग करने की अपेक्षा उनसे अवैध रूप से धन झपटने से पुलिस की छवि धूमिल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. यातायात पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहन चालकों से अवैध रूप से रिश्वत लेने के जघन्य अपराध पर चर्चा के लिये।

30. गत वर्षों में पुलिस कर्मियों में-असामाजिक अपराध बलात्कार करने की प्रवृत्ति पर अंकुश के अभाव में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

31. जयपुर में ट्रैफिक कर्मचारियों द्वारा जनता के साथ किये जा रहे अव्यवहारिक भद्दे व्यवहार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम (लाडनूं) :

32. अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही न करने के कारण अपराध प्रवृत्ति बढ़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. लाडनूं थाना अन्तर्गत हुई चोरियों का माल बरामद नहीं कर सकने पर चर्चा के लिये।

34. सी. आर. नं. 50/85 में थाना लाडनूं के जो फर्जी पट्टे देने की शिकायत दर्ज हुई थी उनके सम्बन्ध में स्थानीय थाना प्रभारी ने मुलजिमान से मिलकर गलत एफ. आर. देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. सी. आर. नं. 1/83 के सबध में थाना लाडनूं में जो जिलाधीश नागौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी का अभी तक चालान नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. ग्राम पंचायत भरनांवा, पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा बरती जा रही ढीलाई पर चर्चा के लिये।

37. सी. आर. नं. 26/85 के संबंध में थाना जसवन्त गढ़ जिला नागौर में दर्ज हुए मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

38. मुकदमा नं. 8/83 के सम्बन्ध में थाना लाडनूं में मुलजिमों के प्रभाव में आकर मामलों का अभी तक चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश (खानपुर) :

39. खानपुर तहसील के ग्राम करणवास में मई के अन्त में हुई डकैती के डकैतों को पकड़ने पर उनके द्वारा अपने अन्य साथियों का नाम बताये जाने पर भी पुलिस द्वारा उन्हे नही पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) :

40. पुलिस विभाग में इंटेलिजेंस एजेंसी की अयोग्यता के कारण अपराधों, हिंसा, तस्करी एवं जासूसी में बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें लागू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

42. पुलिस विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले में अपराधिक कार्य पर नियन्त्रण न करवाने एवं विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश न होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़) :

43. चोरियों की संख्या में बढ़ोत्तरी एवं पुलिस में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :

(श्री जयनारायण पूनिया)

44. पुलिस विभाग के सिपाहियों को आवासीय समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

45. पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार एवं अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगून्दा) :

46. पुलिस व्यवस्था में कमी को दूर करने एवं एम. बी सी. खैरवाड़ा में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अश्कअली (फतेहपुर) :

47. रेगिस्तानी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन्स पर अधिक साधन एवं सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान करने पर चर्चा के लिये।

48. पुलिस प्रशासन को और अधिक चुस्त एवं सेवाभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

49. पुलिस थानों में जीपों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. पुलिस थानों का पुनर्गठन करने तथा ग्राम पटसान में नया पुलिस स्टेशन कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. पुलिस विभाग द्वारा चोरियों की बरामदगी के अनुपात में गिरावट से ग्राम लोगों में फैलते असन्तोष को दूर करने पर चर्चा के लिये।

श्री जयकिशन (दूदू) :

52. पुलिस विभाग के जवानों को पूर्ण सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पुलिस विभाग में अनुसूचित जनजाति के लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं होने से फैले असंतोष पर चर्चा के लिये।

54. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों का सही प्रतिनिधित्व नहीं देने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

55. पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं):

56. चौमूं थाने में अव्यवस्था के कारण मुकद्मों की सही तफतीश न होने व अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. चौमूं थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

58. जिला पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

59. पुलिस थानों में नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पुलिस थानों में निर्दोष व्यक्तियों पर झूठें मुकद्में बनाकर एफ आई. आर. दर्ज करने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. जिला जालोर के पुलिस थानों में जीपों एवं टेलीफोन की व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल (हिण्डोली) :

63. बूंदी जिले की पुलिस व्यवस्था में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह (श्री माधोपुर) :

64. पुलिस थाना श्री माधोपुर में चोरियों की बरामदगी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. सीकर जिले के ग्राम दादिया, जाजोद, मरुवी में पड़ी डकैतियों में डकैत पकड़े जाने पर भी माल की बरामदी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

66. पुलिस थाना नीम का थाना में थाना प्रभारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, कानून एवं प्रशासन में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल (लालसोठ) :

67. जयपुर जिले के थाना लालसोठ में वाहन की व्यवस्था शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) :

68. ग्राम कोहराना एवं डूकरोली में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ जिला अलवर में दिन प्रति दिन बढ़ रही चोरियों एवं डकैतियों की घटनाओं की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकिशन (दूदू) :

पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों को टेरी कॉटन की वर्दी देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

71. पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर तक मैस एलाउन्स दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. पुलिस विभाग के कर्मचारियों के जी. पी. एफ की कटौती का उचित ढंग से लेखा जोखा रखे जाने की व्यवस्था करने पर चचा के लिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

(श्री हरिकुमार औदिच्य, श्री दाऊदयाल)

73. कस्बा सुकेत तहसील रामगंज मंडी में पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुलताना राम (जैसलमेर) :

74. एस. एच. ओ. जिजयियाली, सम रामगढ़ एवं सी. ओ. जैसलमेर द्वारा फैलाये जा रहे जातिवाद एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

74. जिला पाली में पुलिस विभाग द्वारा कानून-व्यवस्था सुधारने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

76. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

77. पुलिस आयोग की सिफारिशें लागू करने की चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

78. इन्टेलिजेन्स सेवाओं को सुदृढ़ कर सक्षम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थान सिंह (सलूम्बर) :

79. पुलिस थाना सलूम्बर द्वारा चोरियों की घटनाओं की रोकथाम न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जालमसिंह यादव (तिजारा) :

80. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा थाना स्थापित करने की घोषणा की क्रियान्विति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

81. तिजारा, कोटकासिम व टपूकड़ा थानों पर जीप की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

82. तिजरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इन्दौर में घटित डकैती की घटना के अभियुक्तों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन की असफलता पर चर्चा के लिये।

83. पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

84. अलवर जिले के भिवाड़ी, अलवर बहरोड़, खैरथल पुलिस थानों पर वायरलैस युक्त जीपों की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में गांव बाघोर, के मेव व असलीमपुर के हरीजान तथा ग्राम सिलारपुर मेव से रिश्वत खाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

86. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा तिजारा में पुलिस द्वारा साबि परियोजना की सीमेन्ट पकड़ कर भी पैसे खाकर छोड़ देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

87. पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नवरंग सिंह)

88. झुन्झुनू में दिनांक 24 जून को भर्ती के लिये आये लगभग 15 हजार युवकों पर लाठी चार्ज होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) :

89. पाली जिले की पुलिस को उचित सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

90. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शहाबाद, जैयरोली व सारेकलां में नई पुलिस चौकी कायम करने एवं पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम (लाडनूं) :

91. जोहरी मल्टी परपज हायर सैकेण्डरी स्कूल लाडनूं में से कागजों की रद्दी की चोरी करने के मामले की थाने में रिपोर्ट पेश होने पर भी मामला दर्ज नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम (टीबी) :

92. पुलिस द्वारा अनियमितता व जनता के साथ ज्यादतियां करने, मनमानी, भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों पर झूठे मुकद्दमें, बदमाशों को संरक्षण देना आदि पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

93. III आर. ए. सी. में लांसनायकों की पदोन्नति में हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

94. द्वितीय व तृतीय आर. ए. सी. के पुलिस कर्मियों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत न कर बिना वेतन अवकाश स्वीकार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

95. आर. ए. सी. 3 व 4 में वीरता एवं अन्य शौर्य पुरस्कारों में हुई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़)

96. जमुवा रामगढ़ थाने में जीप गाड़ी मुहैया करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

97. सीकर जिले में पुलिस प्रशासन में फैली अनुशासनहीनता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. सीकर जिले में पलसाना ग्राम के पास उग्रवादियों से मुठभेड़ के गलत तथ्य पेश कर वीरता चक्र प्राप्त करने एवं वास्तविक व्यक्तियों की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

99. सीकर जिले में तैनात विभिन्न थाना अधिकारियों पर चल रही विभागीय कार्यवाहियों में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

100. राज्य में पुलिस प्रशासन में व्याप्त अकुशलता तथा बढ़ रही अनुशासनहीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

101. पुलिस के आधुनिकीकरण एवं कम सुविधाओं तथा कम वेतन मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

102 राजस्थान पुलिस के पास आधुनिक हथियार एवं जीपों की कमी पर चर्चा के लिये ।

103 राज्य में पुलिस थानों तथा पुलिस बल में वृद्धि पर चर्चा के लिये ।

104. राज्य पुलिस के कई अधिकारियों का जासूसी में लिप्त पाये जाने पर चर्चा के लिये ।

105. राजस्थान पुलिस द्वारा तस्करी एवं सीमा पर घुसपेठ रोकने में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

106. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये ।

107. राज्य में पुलिस व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

108. निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सन् 1972 में खरीदा 14,000 रु. का इनवरटेड माइक्रोस्कोप का उपयोग न होने पर चर्चा के लिये ।

109. झालावाड जिले के खानपुर थानेदार द्वारा भ्रष्टाचार फैलाने, रिश्वत लेने एवं सट्टा लगवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

110. झालावाड़ जिले के दही खेडा में हुए साम्प्रदायिक दगे को पुलिस द्वारा भड़काने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

111. झालावाड़ जिले की तहसील खानपुर के ग्राम करणवास में घटित डकैती की घटना में अभी तक भी अपराधी नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

112. झालावाड़ जिले के गांव खेड़ा की महिला के साथ बलात्कार किये जाने की घटना पर थाना पुलिस खानपुर द्वारा अपराधी नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

113. झालावाड़ जिले के ग्राम सारोला में जून माह में बलात्कार की घटित घटना पर सारोला थाने द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

114. झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में उचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

115. दिनांक 25–9–84 एवं दिनांक 2–11–84 को बून्दी कोतवाली में गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी खोज की कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

116. सात मार्च, 1985 से अब तक कोटा एवं झालावाड़ जिलों में हुए साम्प्रदायिक दगों से उत्पन्न विषम स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

117. सीमावर्ती जिला बाड़मेर में कांस्टेबलों के वर्तमान पदों को दुगुना करके तस्करी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती पुलिस स्टेशन गडरा रोड, बीजराड़, बाखासर, सेड़वा, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी एवं चोहटन को पैट्रोल की आधुनिक जीपों के आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. बाड़मेर जिले के पुलिस थाना गुड़ामालानी, सिणधरी एवं बायतू में टेलिफोन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

120 पुलिस प्रशासन को व्यवहार कुशल तथा जनता के प्रति कर्त्तव्य निर्वहन के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वाला प्रसाद (झालरापाटन):

121. झालावाड़ जिले की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल (कोटपुतली):

122. पुलिस आधुनिकीकरण के नाम से हो रहे अपव्यय को तुरन्त रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर):

123. नई पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

124. पुलिस कर्मचारियों को गृह जिले में नियुक्त न करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. पुलिस आधुनिकीकरण की योजना को अभी तक लागू न करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

126. जयपुर नगर के थानों में रिपोर्ट लिखने व गश्त के लिये अलग से पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127, जयपुर नगर में फ्लाइंग स्क्वेड के साथ एम्बूलेंस गाड़ी दुर्घटना स्थल पर एक साथ पहुंचाने सम्बन्धी व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. जन आन्दोलनों में पुलिस का उपयोग गलत तरीके से किये जाने पर चर्चा के लिये।

129. जयपुर नगर में सट्टे तथा जुए को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

130. पुलिस कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. पुलिस कर्मचारियों को भर्ती के साथ ही जनता से सद्व्यवहार करने के लिये प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. ट्रैफिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

133. पुलिस थानों व पुलिस चौकियों को पक्के व दूर संचार साधनों से युक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. राज्य में निरन्तर कानून एवं व्यवस्था की गिरती स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. जयपुर के उप नगरीय क्षेत्रों में आबादी व ऐरिय के अनुपात में थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्रतिमाह एस. पी. का हल्के व थानों में आकस्मिक दौरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. पुलिस द्वारा अपराधों की वृद्धि को रोकने में निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

138. जांच के दौरान थर्ड डिग्री मैथड्स् काम में लिये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये।

139. पुलिस कर्मचारियों को अन्य सुविधा तथा भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. कुत्ता स्क्वाड को सक्षम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी टाइम में भी शराब से मदमस्त होकर बकने पर भी विभाग द्वारा एक्शन न लेने पर चर्चा के लिये।

143. पुलिस विभाग में जिलास्तर पर जनप्रतिनिधियों की सलाहकार समितियां बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. पुलिस प्रशासन में सुधार व अनुसंधान के तरीके बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. पुलिस द्वारा दोषियों को बचाने और निर्दोष लोगों को फंसा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपराध करने पर उन्हें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. पुलिस प्रशासन के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. थानों में स्टेशनरी, फर्नीचर व पेयजल के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : (हवामहल)

149. जयपुर के प्रमुख बाजारों में यातायात पुलिस की अकर्मण्यता से रात्री के दस बजे से पूर्व ही ट्रकों को आने जाने की अनुमति देने से होने वाली दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये।

150. जयपुर शहर में चोरी व गुण्डागर्दी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोक पाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

151. राजस्थान, हरियाणा व पंजाब राज्य पथ परिवहन व दिल्ली विकास प्राधिकरण की बसों को जयपुर के प्रमुख बाजारों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से गुजरने से रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

152. वर्तमान परिपेक्ष्य में सहायक उप निरीक्षक से नीचे के स्तर के पुलिस कर्मियों की वेतन श्रृंखला में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

153 कांस्टेबिलों को गृह जिले में नियुक्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

154. पुलिस-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

155. पुलिस थाना बस्सी, चाकसू, जमुवारामगढ़ एवं सांगानेर क्षेत्रों का पुनर्गठन कर एक थाना एक तहसील के रूप में कार्य क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) :

156. पुलिस प्रशासन की धौलपुर जिले में नारी विक्री को रोकने में अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

157. डाकूग्रस्त जिला धौलपुर में पुलिस को साधन सम्पन्न कराने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश (खानपुर) :

158. प्रदेश में अवैध रूप से आकर बसे पाक नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) :

159. छीपा बड़ौद पुलिस थाने में सिपाहियों की आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. छबड़ा थाने को शहर से बाहर पंचायत समिति व तहसील के पास स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) :

161. पुलिस हिरासत में अपराधियों की खुराक का इन्तजाम पुलिस विभाग द्वारा न करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

162. बलात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

163. झुंझुनुं जिले में जनवरी, 1985 से अब तक हुई अनेक हत्यायें चोरी एवं लूट की घटनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरराम (डीडवाना) :

164. राजस्थान पुलिस विभाग में दर्ज चोरी के मामलों पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

165. पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पोकरलाल परिहार)

166. मगरतलाब थाने में पुलिस के आतंक व ज्यादतियों से नागरिकों में व्याप्त भय पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

167. महिलाओं की पुलिस सेवा में अनुपातिक वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

168. पुलिस प्रशासन में व्याप्त में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

169. बूंदी विधान सभा क्षेत्र में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

170. बूंदी जिले में एक और पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

171. राज्य में पुलिस कर्मियों को समुचित वेतनमान न देने पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुवा) :

172. जिला सवाई माधोपुर के थाना सलेम्पुर के अन्तर्गत ग्राम खेड़ला में विधान सभा चुनाव के दौरान हुई डकैती के संबंध में डकैत को पहचाने जाने के बाद पुलिस द्वारा पकड़कर छोड़ दिये जाने व कोई कार्यवाही न किए जाने से क्षेत्र के नागरिकों में व्याप्त भारी असंतोष व आक्रोश पर चर्चा के लिये।

173. जिला सवाई माधोपुर के थाना सलेम्पुर के अन्तर्गत ग्राम ढह में गुण्डों द्वारा भारी आतंक फैलाने से जनता में व्यापत आक्रोश पर चर्चा के लिये।

174. सन् 1977 से लाखों अवैध रूप से आये पाक नागरिकों के प्रदेश में बस जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) :

175. भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को स्थानान्तरण के बावजूद वापिस भीलवाड़ा में पदस्थापित करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

176. करेड़ा में पुलिस थाना भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) :

177. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री जयनारायण बैरवा** (फागी):

(2) **श्री प्रभूदयाल** (सिकराय) :

(3) **श्री परसादी** (लालसोट)

178. पुलिस से गरीब को न्याय मिलने में उसकी गरीबी बाधक है इन प्रवृति को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) :

179. बानसूर थाना जिला अलवर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. बानसूर थाने में पुलिस कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम खटोरी, महनपुर में करीब 2 माह पूर्व हुई डकैतियों में पुलिस द्वारा आज तक मुल्जीमान को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

182. ग्राम हरसौरा, विधान सभा क्षेत्र बानसूर के निर्दोष लोगों पर पुलिस द्वारा झूठे केस बनाने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम जयसिंहपुरा में दिनांक 26–6–85 को एक विधवा की हत्या की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं करने पर चर्चा के लिये।

184. ग्राम जैतपुर, विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा आग लगाने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी) :

185. थानों में पुलिस के सिपाहियों की कमी के कारण सुरक्षा व्यवस्था एवं ला एण्ड आर्डर की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द पालीवाल (गंगापुर) :

186. ट्रैफिक पुलिस जयपुर द्वारा अनावश्यक रूप से मिटी बस वालों को परेशान करने एवं चोथ वसूल करने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. पुलिस विभाग में दिन-प्रति-दिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

188. थाना गंगापुर सिटी में पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डोन) :

189. थाना हिन्डोन में पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम होने से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

190. हिन्डोन क्षेत्र में ग्राम कोठरी में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषि केश (सपोटरा) :

191. सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करढापुर में डाकू उन्मूलन हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. सपोटरा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु ग्राम एकट में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

193. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

194. झुंझुनूं जिले में पिछले चार महिनों में दहेज के कारण पांच नवयुवतियों की हत्या कर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश (खानपुर) :

195. झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के ग्राम कालारेवा हत्याकाण्ड के प्रमुख अपराधी नहीं पकड़ने से जनता में व्याप्त भय एव आक्रोश पर चर्चा के लिये।

196. कोटा जिले के भौरा रेल्वे स्टेशन पर असामाजिक तत्वों के गेंग शटल तथा ट्रेन की सवारियों के साथ मारपीट तथा लूट खसोट होने पर भी पुलिस द्वारा अपराधियों को नहीं खोजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. प्रदेश में आये पाकिस्तान नागरिकों के पासपोर्ट एवं वीसा की अवधि समाप्त होने पर भी अवैध रूप से प्रदेश में रुकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) :

198. ब्यावर में पुलिस गश्त को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. राहजियावास में पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चार्चा के लिये।

200. ब्यावर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चार्चा के लिये।

श्री रघुनाथ (बाली) :

201. फालना (जिला पाली) में पुलिस थाना स्थापित किये जाने हेतु चार्चा के लिये।

श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) :

202. ब्यावर में ट्रेफिक के व्यवस्था के सुधार हेतु ट्रेफिक पुलिस बढ़ाने की आवश्यकता पर चार्चा के लिये।

203. ब्यावर में पुलिस चौकियों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चार्चा के लिये।

204. ब्यावर में हुई चोरियों के माल की बरामदगी न होने से जनता में उत्पन्न अविश्वास व असतोष पर चार्चा के लिये।

श्री विजयसिंह (रूपवास) :

205. पुलिस विभाग में अधिकारियों के पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर चार्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में 2 पुलिस चौकियों की आवश्यकता पर चार्चा के लिये।

श्री मांगीलाल (जालौर) :

207. केशवराय पाटन तहसील क्षेत्र के लाखेरी भाग में लगातार चोरियां एवं अव्यवस्था को रोकने हेतु लाखेरी में सी.ओ. मुख्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. केशवराय पाटन तहसील के पुलिस थाना कापरेन में एस. एच. ओ. का रिक्त पद अतिशीघ्र भरा जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल)

209. केशवराय पाटन पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा शराब पीकर औरतों के साथ किये जा रहे अभद्र व्यवहार की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. केशवराय पाटन तहसील में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सुधार हेतु जय स्थल गांव में नया पुलिस थाना खोले जाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

211. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबध में चर्चा के लिये।

212. पुलिस को अधिक सक्रिय बनाने हेतु प्रत्येक थाने पर जीप उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. पुलिस को अधिक सक्रिय करने हेतु थानों पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. पुलिस कर्मियों का वेतन व काम के घण्टे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में बढ़ रही मारपीट, चोरियों, डकैती एवं हत्या के मामलों को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

216. अयानी ग्राम में मोरपाल हरिजन के हत्यारों को पुलिस द्वारा निर्दोष बताने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. हथोली, करजोदा, लक्ष्मीपुरा, नोनेरा, दौलतपुरा, लुहावद आदि गांवों में हुई चोरियों को पुलिस द्वारा बरामद नहीं किये जाने तथा अपराधियों को संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. बोरदा, अयानी, इटावा, शहनावदा, मियाना आदि गांवों में अपराधियों को पुलिस संरक्षण दिये जाने तथा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. पीपल्दा क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. विजयपुरा तथा अन्य गांवों में सिंचाई विभाग के वसूली दल द्वारा मारपीट व लूटपाट की उच्च पुलिस अधिकारियों को निवेदन किये जाने के उपरान्त भी जांच नहीं कर अपराधियों को संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

221. मियाना गांव के पशुपालकों को वन व पुलिस कर्मियों द्वारा परेशान करने व लूटपाट कर भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों को किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

222 इटावा के दिवाली काण्ड में निर्दोष 40 नागरिकों को पुलिस द्वारा फंसाये जाने के सम्बन्ध में तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

223. मांगरोल काण्ड में पुलिस विभाग की लापरवाही से हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

224. पुलिस थानों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाकर प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों के अधिकार निम्न स्तर के अधिकारियों को देने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये।

226. पुलिस द्वारा गलत व झूठे मुकदमों का बिना जांच किये चालान किये जाने पर चर्चा के लिये।

227. सरकार का पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण नहीं होने से लोगों के साथ हो रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश तिवाड़ी (बस्सी) :

228. पुलिस थानो में रिपोर्ट दर्ज कराने एवं निषपक्ष जांच करवाने में गरीब की गरीबी बाधक है इस प्रवृत्ति को सख्ती से रोके जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

229. पुलिस थानों में आदतन शराबी पुलिस कर्मियों को पकड़ने हेतु पुलिस के उच्च अधिकारी का दल गठित कर आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

230. जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में डकैती लूटपाट जैसी घटनाओं की तत्काल कार्यवाही करने तथा अपराधियों को पकडने के लिये पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) को पर्याप्त वाहन व स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

231. भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस में ईमानदार अधिकारियों को लगाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

232. पुलिस थानों में आवश्यकता के अनुसार स्टेशनरी उपलब्ध करवाये जाने एव आने वाले व्यक्तियों से स्टेशनरी मंगाने की प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा को समाप्त किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

233. पुलिस थाना बस्सी का बाउन्ड्री वाल बनवाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

234. पुलिस चौकी जटवाड़ा, तूंगा, कोटखावदा एवं शिवदासपुरा में उपयुक्त भवन की व्यवस्था कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

235. पंचायत समिति चाकसू में ऋण व अनुदान के फर्जी वितरण की दर्ज रिपोर्ट के अनुसंधान में पुलिस थाना चाकसू द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने व सबधित रिकार्ड अपने कब्जे में न लेकर मुलजिमों को बचाव का अवसर देने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

236. राजधानी के निकट जयपुर आगरा रोड राष्ट्रीय राज मार्ग पर ग्राम

(श्री जगदीश तिवाड़ी)

कानोता में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

237. जयपुर जिले में पुलिस चौकी लवाण, कोटखावदा एवं तूंगा को मिलाकर नया थाना स्थापित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

238. जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वर्षों पूर्व मरे हुये व्यक्ति का हलफनामा तस्दीक करने वाले सरपंच के विरुद्ध पुलिस थाना बस्सी में दर्ज कराये गये मामले के अनुसंधान में अपराधियों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश नहीं करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

239. जयपुर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय राड़ावास के लापता छात्र के मामले में पुलिस द्वारा तत्परता एवं निष्पक्षता से कार्यवाही नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ (बाली) :

240. पुलिस थाना नाणा (पाली) एवं उप-अधीक्षक बस्ती के कार्यालय में टेलिफोन सुविधा के अभाव से जनता को असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. बाली क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र भीमाणा में पुलिस थाना की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

242. पुलिस थानों में सिपाहियों की संख्या आबादी एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार रखे जाने हेतु चर्चा के लिये।

234. पुलिस अधिकारियों द्वारा मुकदमों के अनुसंधान में अनावश्यक विलम्ब के संबध में चर्चा के लिये।

244. पुलिस की निष्क्रियता से बाली क्षेत्र में हत्या, चोरियां, गृह भेदन आदि जघन्य अपराधों मे वृद्धि पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) :

245. जिला मुख्यालय के पुलिस स्टेशन पर सर्कल इन्सपेक्टर (सी. आई.) के पद की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. जालोर जिला मुख्यालय पर उप-अधीक्षक (डी. वाई. एस.पी.) के कार्यालय में दूरभाष के अभाव पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र जालोर के मांडवला ग्राम में पुलिस स्टेशन की आवश्यकता के संबध में चर्चा के लिये।

248. पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को सेवा का अवसर दिये जाने के संबध में चर्चा के लिये।

249. पुलिस लाइनों में और पुलिस थानों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के जवानों के साथ छुआछूत का वर्ताव करने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल (सिरोही) :

250. सिरोही जिले के बरलुट एवं कालन्द्रा थाना क्षेत्र में गुण्डा तत्वों द्वारा अनुसूचित जाति एव जनजाति व गरीब तबके को सताने पर पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल)

251. पुलिस थानों में कन्टीजेन्सी एवं तपतीश के दौरान मुलजिमों का खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. सिरोही जिले के उप-अधीक्षक कार्यालय सिरोही एवं आबू पर्वत पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. सिरोही जिले के पुलिस थानों में बरलुर, कालन्द्री, मंडार, रोहीड़ा में टेलिफोन की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. पुलिस के असहयोग से न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों पर कुप्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

255. सिरोही जिले के थानों की चौकियों के रख-रखाव के लिये विशेष धनराशि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

256. सिरोही जिले में गरीबों पर अत्याचार, जुआ, नाजायज धन्धें एवं चोरियों की रोक हेतु उड़न दस्ते का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. सिरोही जिले में स्वीकृत पुलिस थाना रेवदर को शुरू नहीं करने हेतु चर्चा के लिये।

258. सिरोही जिले के बरलूट पुलिस थाने की चौकी कैलाश नगर में खोलने हेतु चर्चा के लिये।

259. सिरोही जिले में वाहन चोरियों का पता नहीं लगने हेतु चर्चा के लिये।

260. जिला स्तर के थानों में सर्किल इन्सपेक्टरों की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

261. पुलिस के साइकिल सवारों, ऊंट सवारों, एवं कैदी पेशी के भत्तों को बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

262. राज्य की पुलिस में बढ़ती क्रूर प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. 1984-85 में पुलिस वर्दी के लिये क्रय किये कपड़ में हुई अनियमितताओं एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

264. राज्य के फोरेन्सिक विभाग में अव्यवस्था के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

265, प्रत्येक पुलिस थानों में जीप्स दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

266. पुलिस का मैस भत्ता एवं अन्य जीवनोपयोगी सुविधायें बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

267. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा राज्य से अपराधियों को पकड़ने के बाद सही तरीकों से उनकी पैरवी नहीं करने से अधिकांश: मामलों में सजा नहीं होने से सजा नहीं होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

268. कोटा जिले के ग्रामों में पुलिस द्वारा भी अपराधियों को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

269. कोटा नगर में वाहनों की वृद्धि को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. मंडावरा काण्ड में तथ्यों के विपरित निरपराधियों को व्यर्थ ही परेशान करने पर चर्चा के लिये।

271. पुलिस विभाग को समुचित स्टेशनरी उपलब्ध न कराने से अपराध दर्ज करवाने आये व्यक्तियों से ही बाजार से स्टेशनरी मंगवाये जाने पर चर्चा के लिये।

272. राज्य में प्रतिवर्ष हो रही साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि व उन्हें रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

273. मानरोल, धुलेट में पुलिस द्वारा अनेकों निरपराध व्यक्तियों को झूठे अपराधों में फंसाया हुआ है जिसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर निरपराधियों को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

274. पुलिस विभाग में ही बढ़ रही अपराध वृति को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

275. सांगोद क्षेत्र में बढ़ रही डकैतियों की घटनाओं से जनमानस में व्याप्त भय पर चर्चा के लिये।

277. कोटा स्थित दीगोद तहसील के तहत 2 वर्ष पूर्व नया सोमल्या में थाना स्थापित किये जाने की घोषणा को क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. पुलिस विभाग में उच्चाधिकारियों के पदों की वृद्धि के अनुपात में छोटे पदों की वृद्धि का ध्यान नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

278. राज्य की बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में पुलिस बल में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोती लाल (सवाई माधोपुर) :

279. सवाई माधोपुर में हुई चोरियों के माल की बरामदगी न होने से पुलिस के प्रति उत्पन्न अविश्वास पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुवा) :

280. टोडाभीम (जिला सवाई माधोपुर) के 22 वर्षीय युवक संतोश को धामाणी मार्केट चौड़ा रास्ता में दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जाने पर चर्चा के लिये।

281. पी. एच. सी. बालघाट, जिला सवाई माधोपुर में ए. एन. एम. के साथ किये गये बलात्कार की पुलिस में की गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

282. महुवा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तालाचिड़ी खड़ेला व नौगांव में पड़ी डकैतियों पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (फलोदी) :

283. कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

284. पुलिस आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

285. जिला बाड़मेर में अकाल राहत कार्यों पर किये गये गबन के संबंध में सन् 1981-82 में दर्ज मुकदमों में दोषी व्यक्तियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा चालान पेश न करने पर चर्चा के लिये।

286. जिला बाड़मेर के बोर्डर के ग्राम चांदनी में गत माह हुई डकैती में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

287. जिला बाड़मेर में थानेदारों के राजनीतिक आधार पर पदस्थापन से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश (खानपुर) :

288. विधि विज्ञान प्रयोगशाला अधिकारियों की भ्रष्ट एवं अनियमित कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

289. झालावाड़ जिले के खानपुर तहसील में बढ़ रहे अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

290. झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध एवं अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने पर चर्चा के लिये।

291. प्रदेश में बिगड़ रही, कानून एव व्यवस्था की स्थिति को नियन्त्रण नहीं करने पर चर्चा के लिये।

292. झालावाड़ जिले में हरिगढ़ कस्बे में थाना नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

293. प्रदेश में अधिकतर थानों में फोन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

294. पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति चर्चा के लिये।

296. विभिन्न थानों में पुलिस कर्मचारियों के रहने के लिये आवास व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

297. डिविजन मुख्यालय पर अन्य पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. नाथद्वारा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं निवास हेतु व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

299. नाथद्वारा में केवल एक मात्र एफ. आई. आर. के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध पुनः जांच के आदेश प्रसारित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

300. उदयपुर जिले की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

301. उदयपुर शहर के पारस हत्याकाण्ड के मुलजिम नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

302. नाथद्वारा क्षेत्र की हत्या एवं चोरी की घटनाओं में मुलजिम नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सी. पी. जोशी)

303. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव मांचोर, मोगाना, पाखण्ड तथा आकोदड़ा को मावली क्षेत्र के थाने के अन्तर्गत करने से नागरिकों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

304. नव विवाहित दुल्हनों को परेशान करने व जलाने सबंधी घटनाओं में कार्यवाही करने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

305. जिला जैसलमेर में पाक तस्करों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों के विशिष्ट पद को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. सीमान्त क्षेत्र के नागरिकों को हथियार लाइसेन्स उदारता से देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. पुलिस द्वारा मुलजिमों के साथ अमानुषिक तरीके से व्यवहार करने के कारण थानों में मृत्यु होने से जनता में व्याप्त असतोष पर चर्चा के लिये।

309. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत बीकानेर की सीमा से पाकिस्तान में मवेशी चले जाने पर उनकी प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा पशु पालकों को वापस पशु दिलाने में विभाग की अक्रमणयता पर चर्चा के लिये।

310. भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक बीकानेर के निलम्बन के बाद बीकानेर थानों की केस फाइलें जयपुर में मगाने की शिकायत होने के उपरान्त भी कार्यवाही करने में विभाग द्वारा उदासीनता वरतने पर चर्चा के लिये।

311. बीकानेर की उमदेसर सड़क तथा गोलरी कोलायत सड़क पर दिनांक 3.4.81 व 4.5.81 को बिजली के खम्भे से ताम्बे के तारों की चोरी में विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

312. हत्या एवं डकैती के संगीन अपराधों के मामलों पर लम्बे समय तक स्थानीय पुलिस द्वारा सही तथ्यों तक नहीं पहुंचने व मुलजिमों की गिरफतारी नहीं होने से विशेष जांच अधिकारी अथवा स्पेशल सैल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाये गये मुलजिमों को थाने में ले जाने से पूर्व डाक्टरी परीक्षण अनिवार्य किये जाने पर चर्चा के लिये।

314. पुलिस थानेदार व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए उप-महानिरीक्षक पुलिस द्वारा ही अनिवार्य रूप से जांच करने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

315. पुलिस, आर. ए. सी. होमगार्ड के सिपाही व अधीनस्थ कर्मचारियों का मूल वेतन, महगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

316. जिला बीकानेर थाना पुलिस सदर की एफ. ग्राई. ग्रार. सं. 55 दिनांक 5.3.85 में विभाग द्वारा न्याय पूर्ण कार्यवाही करने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा)

317. पुलिस विभाग में कर्मचारियों व ग्रधिकारियों को प्रोत्साहित न कर सरकार द्वारा परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

318. चूरु जिले के श्री डूंगरगढ़ थाने के लिये राजकीय भवन की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

319. थाना डूंगरगढ़ जिला चूरू के ग्रन्तर्गत ग्राम बोपयू की पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

320 पुलिस विभाग में ग्रनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को ग्रारक्षण के ग्रनुपात में नियुक्तियां नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. पुलिस विभाग में ग्रनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों व ग्रधिकारियों के साथ स्वर्ण कर्मचारियों व ग्रधिकारियों द्वारा छुग्राछुत व भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये।

322. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, ईर्ष्या की भावना एवं झूठे मुकदमें बनाने से संबंधित चर्चा के लिये।

323. बीकानेर जिले के तहसील नोखा की ग्राम जसराल पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

324. बीकानेर जिले के नोखा थाना के ग्रधीनस्थ पुलिस चौकी ग्राम कचू में पुलिस चौकी को थाना बनाने के प्रस्ताव की क्रियान्विति करने पर चर्चा के लिये।

325. बीकानेर के पूंगल थाने में सिपाहियों ग्रादि को ग्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

326. राज्य में पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी, भत्ता व बच्चों की शिक्षा ग्रादि सुविधा देने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

327. बीकानेर जिले के खाजूवाला में प्रस्तावित थाना स्थापित करने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

328. पुलिस चौकी खाजूवाला व ग्रासपास की पुलिस चौकीयों पर जीप का साधन, टेलीफोन सुविधा, स्टाफ की कमी ग्रादि की व्यवस्था में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

329. पुलिस विभाग के सीमावर्ती जिले के थानों में व पुलिस चौकियों में वायरलैस व ग्रन्य सुविधायें देने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजाला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

330. पुलिस का नाम बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. बलात्कार कैसेज में पुलिस के कर्मचारियों की बढ़ती कुप्रवृति पर तथा उनके खिलाफ कार्यवाही में देरी पर चर्चा के लिये।

332. हरिजनों पर बढ़ते अत्याचारों पर अपेक्षा से व्यवहार करने पर चर्चा के लिये।

333. सी. आई. डी. कर्मचारियों का मैस भत्ता 82/-रुपये से घटाकर 75/— रुपये कर देने एवं मार्च, 85 से रिकवर किये जाने से कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई व असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

(2) **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह)

334. धौलपुर के नारी व्यापार को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमराज (उदयपुर ग्रामीण)

335. उदयपुर ग्रामीण में हीरण मगरी में न. 5 में पुलिस थाना खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

336. पुलिस विभाग को अत्याधुनिकरण उपकरणो से सुसज्जित करने एवं पुलिस के द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले संसाधनों के बारे में चर्चा के लिये।

337. पुलिस कल्याण का कार्यक्रम का व्यापक बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

338. उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में हीरण मगरी सं. 11 एव इण्डस्ट्रियल एरिया भादड़ी में नयी चौकिया खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

339. थाना गंज अजमेर द्वारा दिनांक 11.6.85 को पोस्टमार्टम के लिये ले जाये गये शव की जांच कर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

340. दिनांक 11 जून, 1985 को दहेज नहीं देने के सम्बन्ध में। पुलिस थाना गंज अजमेर में भण्डारी परिवार ने अपनी पुत्र वधु की हत्या कर दी किन्तु अजमेर पुलिस द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करने से व्याप्त जन आक्रोस पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

341. चौमू (जयपुर) में पुलिस द्वारा फर्जी जमीन के विक्रेताओं को अनुचित संरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

342. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

343. पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों-डायरेक्टर जनरल, स्पेशल आई. जी. पी. व डी. आई. जी. के अधिक पदों के सृजन का विरोध करने पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़)

344. श्री गंगानगर के पुलिस थानों में जीपें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हंसराज)

345. पुलिस कर्मियों के वेतन व अन्य सुविधायें बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

346. राजा मानसिंह के कातिलों की सी. बी. आई. द्वारा की गई जांच। राज्य सरकार द्वारा धारा 197 सी. आर. पी. सी. के तहत इजाजत न देने की नीति के विरोध पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

347. जिला बीकानेर के ग्राम बीछवाल की रोही में अनधिकृत रूप से आर. ए. सी. द्वारा फायरिंग प्रेक्टिस करने से पशुओं की हो रही मृत्यु व मकानों में गोलियां लगने से सम्भावित दुर्घटना को रोकने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

348. पाक जासूस मोहम्मद जमान प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने से गृह विभाग द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

349. भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक बीकानेर (निलम्बित) द्वारा नाचना, बीकमपुर, दियातरा, चरकड़ा, खाजूवाला में कृषि भूमि खरीदने की शिकायत की जांच में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की डिमाण्ड के बारे में आज जो बहस मुझे आरम्भ करने का मौका दिया गया है उसके बारे में इन्हें पहले ही कैसे आशंका हो गई कि मैं शायद पुलिस की पैरवी करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से वह सदस्य हैं उसी तरह से बाकी और 199 भी यहां इस सदन के सदस्य हैं और कौन माननीय सदस्य क्या बोलेगा इसके लिए पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया जाय या उन्हें पाबन्द किया जाय कि इस तरीके से न बोलेंगे, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। जो हमाराकीमती समय हैं इसके लिए हजारों रुपया एक सेकिण्ड में खर्च होता है उस समय को अगर हम इस तरह से जाया करेंगे तो राजस्थान की तीन करोड़ जनता, हमारे यहां जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख रही है और मौका आने पर वह इसका बदला भी लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस एक ऐसा संगठन है जो हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए और कानून और व्यवस्था के लिये कायम किया गया है। उपनिवेश काल में जब हम गुलाम थे....

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप होंगे मैं तो नहीं हूं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो एक इन्स्टीट्यूशन पुलिस की चालू की गई थी।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द निकाल दिया जाय ।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी ग्रभी मेरे पास रतनगढ़ से फोन ग्राया कि वहां रतनगढ़ पूरा बन्द है, पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया है ग्रौर बहुत से व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। वहां के स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर ने लोगों को मारपीट की है जिस पर सारे शहर के ग्रन्दर ग्राक्रोश है. सारा शहर बन्द है । मैं निवेदन करूंगा गृह मन्त्री महोदय से कि कृपया इसकी इमीजिएटली जांच करायें ग्रौर जिनको गिरफ्तार किया है उनको छुड़वायें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी जो सूचना सदन में दी गई है मैं पता लगाता हूं ग्रौर रिप्लाई दूंगा तो इस घटना के बारे में बताऊंगा ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : धन्यवाद ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पुलिस की जो इन्स्टीटयूशन हैं वह हमारे माल ग्रौर हमारी जान की हिफाजत करने के लिए ग्रौर कानून ग्रौर व्यवस्था कायम रखने के लिए कायम की गई है । जब हम परतन्त्र थे, विदेशियों का हमारे ऊपर राज था तो इसके लिए एक ग्रलग नीति थी । उनका एक ही मकसद था कि किसी प्रकार हमारे देश में इस प्रकार की कोई गतिविधियां न हो कि विदेशी सरकार के प्रति विद्रोह पैदा हो, उनके ग्रमन में कोई खलल पड़े ग्रौर एक बहुत ही सीमित दायरा उस समय पुलिस का ग्रौर उनके कार्यों का था । ग्राजादी मिलने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं पुलिस के कार्यक्षेत्र में, पुलिस का जो कर्तव्य है, पुलिस का जो उत्तरदायित्व है ग्रौर पुलिस के जो ग्रधिकार है उनमें काफी परिवर्तन ग्राया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा परिवर्तन ग्रलग-ग्रलग तरीके से, कुछ कानून के जरिये, कुछ निर्देशों के जरिये ग्रौर कुछ परम्पराग्रों के जरिये यहां कायम हुग्रा है ग्रौर ग्राज जो हमारी पुलिस का ढांचा है, हमारा जो गत 30-35 साल का ग्रनुभव है उसके ऊपर ग्राधारित है । मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रगति पुस्तक पुलिस विभाग ने प्रस्तुत की है उसका ग्रध्ययन किया है, इसमें उनकी क्या-क्या उपलब्धियां रहीं, क्या-क्या उनकी प्रगति रही, किस तरह से पुलिस विभाग ने गये एक साल में काम किए हैं उसके बारे में ग्रपना विवेचन यहां पेश किया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रांकड़ों का सवाल है ग्रांकड़े ग्रपने ग्राप में एक नजरिया है, उनका ग्रपने ग्राप में ग्रलग एक महत्व है । लेकिन जो प्रश्न ग्राज हिन्दुस्तान की जनता के सामने है ग्रौर राजस्थान की जनता के सामने है ।वह यह है कि जो यह संस्था, पुलिस का विभाग जिस उद्देश्य ग्रौर मकसद के लिए कायम किया गया, उसने ग्रपने उद्देश्य ग्रौर मकसद में कितनी सफलता पाई,यह पूरा विवेचन करने का हमें एक साल में यह मौका मिलता है । मैं जानता हूं ग्रौर तारीफ भी करूंगा कि कुछ मौके पुलिस के सामने ऐसे ग्राये जब उन्होंने बड़े

× × × शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया ।

(श्री गोविन्द सिंह गूर्जर)

संयम से और बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने संगठन का काम किया। आतंकवाद जो पंजाब में आया था उसके राजस्थान में भी फैलने की आशंका थी उसमें काफी कामयाबी हमारे इस विभाग को मिली है। इसी तरह हमारे यहां जहां तक साम्प्रदायिक सौहार्द का सवाल है उसमें भी तुलनात्मक रूप से देश के बाकी हिस्सों के रूप से हमारे यहां कामयाबी रही है और दूसरे जो क्षेत्र हैं चाहे वह विद्यार्थियों का क्षेत्र हो, चाहे वह श्रमिकों का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी, बल्कि विद्यार्थियों के क्षेत्र मे तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस साल सभी लोगों के सहयोग से न केवल पुलिस के सहयोग से बल्कि विद्यार्थियोंके सहयोग से इस साल काफी शांति रही है, क्योंकि हमेशा मैं देखता आ रहा हूं आजादी के बाद से हमेशा अशान्ति का क्षेत्र विश्व-विद्यालय और हमारे विद्यालय रहते हैं लेकिन इस साल काफी अच्छा उनका कार्य रहा है और परीक्षायें भी समय पर हुई हैं।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया था पुलिस के कार्यक्षेत्र में और पुलिस का जो पुराना काम करने का ढर्रा था उसमें काफी परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैं महसूस कर रहा हूं वह आतंकवाद की जो नई पारिपाटी चालू हुई है उससे निपटने के लिए हमारा पुलिस विभाग और पुलिस के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वह कितने सक्षम हैं और आने वाले समय में जबकि आगे उसका विस्तार होने वाला है ऐसे समय में हम किस प्रकार से उस समस्या का जो हमारे सारे देश की समस्या है उसको किस प्रकार निपटायें, यह बड़ी चुनौती हमारी पुलिस के सामने आज है।

मैं मानता हूं और, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि कुछ छात्र इसमें सुनियोजित ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि देश में अशान्ति पैदा की जाय और देश में जो विघटनकारी ताकतें हैं वह अपना मुंह ऊपर उठाकर देश को विघटित करने की कोशिश कर रही हैं। उनके ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य है और उनके ऊपर इस तरह से कार्यवाही करें कि वह अपनी गतिविधियों को जारी नहीं रख सकें। यह भी एक बहुत बड़ा काम पुलिस के सामने है और इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हैं जो कि हमारे सामने चुनौती है वे इसमें वह लोग जो कि इसमें लिप्त हो सकते हैं उनके ऊपर प्रारम्भ से ही निगाह रखी जा सके। जिसमें नवयुवक हैं जिनमें किसी भी कारण से डिसपाइन्टमेंट हो सकता है और उन पर निगाह रखने के लिये जिनके अन्दर विद्रोह की भावना है और जो विद्रोह की भावना है उसको कन्टेन करने के लिये कुछ करना जरूरी है. उपाध्यक्ष महोदय, एक नई चीज जो पुलिस के सामने है, जो पुलिस भी महसूस कर रही है और मैं भी महसूस करता हूं। धर्मवीर जी की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था उसके ऊपर मैंने भी बहुत अध्ययन किया। उसमें यह चिन्ता प्रकट की गयी कि जो महिलायें पूर्व में अपराधों से बिलकुल ही अलग रहती थी, उन को इससे कोई सारोकार नहीं था वहां आज महिलाओं का प्रतिशत इन अपराधों में बढ़ा है और वे भी प्रतिदिन अपराधों के अन्दर आगे बढ़ती जा रही हैं यह भी एक कठिन समस्या है। पुलिस को समय रहते इस समस्या का निवारण करना होगा।

(श्री गोविन्द सिंह गूर्जर)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, ज्वैनाइल डिलीक्वेन्सी जिसमें बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पैदा हो गयी है यह भी एक गम्भीर चुनौती है। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने अमेरिका में जो अपराध होते हैं उनके बारे में कुछ अध्ययन किया है वहां अपराधों में ज्यादा प्रतिशत बच्चों का होता है और यह बच्चों के द्वारा अपराध करने की परिपाटी यहां भी आरम्भ हो गयी है क्योंकि बच्चा जब कोई अपराध करता है तो उसको बच्चा समझकर अपराध के लिए सजा कम दी जाती है। उसमें नर्मी बर्ती जाती है। तो वह परिपाटी धीरे-धीरे सम्पन्न देशों से यात्रा करती हुई हमारे देश में भी आ गयी है। उसमें भी विस्तार धीरे-धीरे होता जा रहा है। जो लोग पर्दे के पीछे अपराधों का संचालन करते हैं वह लोग आजकल बच्चों को उपयोग में लेकर इस प्रकार के अपराध कराने में संलग्न होते हैं और वह लोग अपना काम करा रहे हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह एकचिन्ता का विषय है। अगर समय रहते हुए उस पर रोकथाम नहीं की गयी। तो वह अपना आगे जाकर प्रभाव बढ़ा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जो ट्रेंड हम देख रहे है एक जमाना था, वह आपने भी देखा होगा कि अगर कोई पुलिस का आदमी या सिपाही किसी गांव या मोहल्ले में चला जाता तो लोग उससे बहुत भयभीत हो जाते थे। वह लोग यह सोचते थे कि न जाने क्या मुसीबत आ गयी, न जाने क्या आफत आ गयी, हमसे कौनसा अपराध हो गया कि आज पुलिस कान्सटेबल के दर्शन हुए। तो हमारे यहां के लोग इतने डरते थे पर आज परिस्थितियां दूसरी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति पनपती जा रही है कि पहले जो पुलिस का डर था वह नहीं रहा और रहना भी नहीं चाहिये क्योंकि आजाद देश के लोग हैं, पर पुलिस के साथ हथियारों के साथ मुठभेड़ करने की प्रवृत्ति जन्म ले रही है। इसलिये यह भी एक चिंता का विषय है और इसको हमको देखना होगा। हमने देखा है और इस रिपोर्ट में भी उल्लेख है कि कई प्रकार की वारदातें हुई हैं जिसमे इस प्रकार की घटनायें हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में धर्मवीर जी की अध्यक्षता मे कमीशन बना था पुलिस के लिये, उससे पहले भी एक कमीशन बना था सन् 1902 और 1903 में। उस पुलिस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी जैसा कि मैंने बताया उपनिवेशवाद कायम रखने के लिए थी उसमें बहुत सारी बातें अच्छी थी। मैं उस रिपोर्ट का एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहूंगा मैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने दिया है कि :

"What wonder is it that the people are afraid to go to police and do all they can do they can do to avoid any connection with a police investigation."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 1902 और 1903 में भी पुलिस कमीशन ने जो आवर्जेवेशन दिये, जो टिप्पणी की थी, वह आज भी उसी तरह लागू है। आज भी हमारे देश मे पुलिस के

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

साथ कोई भी सभ्य आदमी कोआपरेट नहीं करना चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कोआपरेट किया है या जिन लोगों ने अपराधियों से मुकाबला किया है जिन्होंने अपने जान माल की खुद हिफाजत करने की कोशिश की उनको अन्जाम नहीं मिला और उनको नितरुत्साहित किया। इसलिये इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम, आप और सारी जनता कोशिश करे और पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए और अपराधों का पता लगाने में किस प्रकार से हम पुलिस की सहायता कर सकते हैं यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न विभाग के सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस पूर्व वाली पुलिस नहीं है। पहले तो जो भी उनके आका होते थे यह अंग्रेजी अफसर होते थे और अंग्रेज अफसरों के सामने ही उनका उत्तरदायित्व रहता था उनकी एका-उन्टेबिलिटी उनके सामने होती थी जनता के सामने नहीं होती थी। लेकिन आज पुलिस की एकाउन्टेबिलिटी न केवल उन अफसरों के सामने है। जो उनके ऊपर होते है बल्कि पब्लिक के सामने भी है। हमारे जो कानून यहां पर है ज्यूडिशियरी के सामने भी है, अफसरों के सामने भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे छोटे-छोटे गांव है, ग्राम पंचायत हैं, और उसके ऊपर पंचायत समिति है, और उसके ऊपर जिला परिषद है, और उसके ऊपर विधान सभा है और बाद में लोक सभा है। उनमें जन प्रतिनिधि है और जन प्रतिनिधियों के सामने पुलिस की एकाउन्टेबिलिटी होती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल एजेन्सी के जरिये बल्कि पुलिस को आम जनता और आवाम् का सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के अधि-कारी जैसे एस. पी. और उससे भी बड़ी रेन्क के अधिकारी उनको महिने में कम से कम एक बार वहां से पत्रकारों से अपने जिले के प्रेस के लोग है या रेडियो के जो लोग हैं उन लोगों से बैठकर प्रेस कान्फ्रेन्स करनी चाहिये जिससे वार्तालाप के दौरान इस इलाके की बातों का पता पड़ सके। क्योंकि जो बातें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं उनका पता लग सके और इस प्रकार एक कमेटी बनायी जानी चाहिये। हर जिले के स्तर के जिले के स्तर के ऊपर और उससे नीचे भी सम्भव हो तो थानों के स्तर के ऊपर पुलिस स्टेशन स्तर के ऊपर बना दीजिए तो जो छोटी-छोटी बाते हैं जिनके कारण बाद में बाद में जन आक्रोश रहता है वह आक्रोश नहीं भड़केगा और लोगों को अपनी बात कहने का और अपना पक्ष है वह कहने का उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने रखने का मौका मिलेगा। मेरी निश्चित तौर से मान्यता है कि सारी बातें जो आज खड़ी होती है वह प्रारम्भिक तौर पर खतम हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जहां पुलिस को जाना पड़ता है, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उनमें

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जो सामंजस्य होना चाहिए उसमें निश्चित तौर से कमी है। यह कोर्डिनेशन नहीं होगा तो निश्चित तौर से जो मंशा है वह पूरी नहीं होगी। पुलिस के कर्मचारियों को शिकायत रहती है कि हमें सहयोग नहीं मिलता न्यायपालिका का न्यायपालिका की शिकायत रहती है कि पुलिस के लोग अच्छे नहीं हैं और ठीक ढंग से तफतीश नहीं करते ठीक ढंग से हमारे सामने चालान वगैरह पेश नहीं किये जाते हैं या अपराध के प्रकरण पेश किये जाते हैं उनको ठीक तरह से पेश नहीं किया जाता जिससे अपराधी को सजा मिल सके। यह जो इनमें कम्यूनिकेशन का अभाव है पुलिस और न्यायपालिका में, इसको दूर करने के लिए कोई कार्यवाही पुलिस विभाग को करनी चाहिए। जो छोटी-छोटी बातें हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एस. पी. है वह मिलकर बैठ सकें और नीचे के स्तर के लोग हैं वह मिलकर बैठ सकें, यह छोटी-छोटी चीजें हैं। बाद में जाकर एक मजिस्ट्रेट के प्रति पुलिस का कर्मी किस प्रकार की बात कहता है या न्यायपालिका का कोई आदमी पुलिस के प्रति कोई बात कहता है तो आपस में रंजिश पैदा हो है, उससे बेकसूर और बेगुनाह लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि न्यायपालिका में और पुलिस में आपस में सम्पर्क है उसकी दूरी दूर हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा सोशल जस्टिस का पैटर्न है। वह तब तक पूरा नहीं होता जब तक की हम जो एजेन्सियाँ हैं पुलिस है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी हैं उसके बाद में जो न्यायपालिका है उसके अन्दर आपस में कार्डिनेशन नहीं होगा यह चीज पूरी तरह से पूरी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति आपको बताई, पुलिस की कानून के प्रति बताई। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी उनके विभागों के जो अधिकारी हैं उनकी अपनी मताहतों के प्रति अकाउंटेबिलिटी, मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको निष्पक्ष भाव से जो नीचे के मातहत हैं उनके कार्यों का वह मूल्यांकन करते हैं उसके कार्यों का जो अवलोकन करते हैं, जब भी मौका मिलता है। उनके पास जो शिकायतें आती हैं उनकी तरफ से विशेष ध्यान देना चाहिए। इस विषय पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा, मैं भी देख रहा हूं, पुलिस का दायरा बहुत कुछ शहरों तक सिमित है। गांव में यदाकदा पुलिस अधिकारियों को जाने का बहुत कम मौका मिलता है। पुलिस के सिपाही को जब तक कोई अपराध घटित न हो गांव में जाने का मौका नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय 80 प्रतिशत जनता हिन्दुस्तान की गांवों में रहती है और गांवों में वह चीज नहीं है जो कभी हुआ करती थी गांव के लोग पहले अपराध न करने वाले हुआ करते थे....

श्री शोपत सिंह : हमको गांव में पुलिस नहीं चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपका जब समय तो आप बोल लेना आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि अस्सी प्रतिशत जनता जहां गांवों में रहती है उन गांव के लोगों के लिए जो पुलिस के मापदण्ड निर्धारित हैं, मुझे जैसा बताया गया है

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

कि 90 दिन एक एस. पी. को अपने हैड क्वाटर्स से गांव में रहना पड़ता है, लेकिन इस नियम का, इस निर्देश का पालन कभी-कभी होता है और मैं समझता हूं कि कोई स्पेशल एस. पी. ही होगा जो इसका ईमानदारी से पालन करता हो। हो सकता है वह दिखा दे कि आज नसीराबाद में, अजमेर में रहा, लेकिन वास्तविकता में होता यह है कि गांव में, ऐसे क्षेत्र में जहां उनकी आवश्यकता है, उनको जाने का मौका नहीं मिलता है जबकि नियमों के अनुसार उनको जाना चाहिए यह जो पब्लिक ऐकाउंटेबिलिटी है पुलिस की उसके प्रति भी हमें ध्यान देना है और जो तरीके बने हुये हैं कुछ हमारे पक्ष के व्यक्ति हैं उनको पक्ष करना है, जो खिलाफ है उनकी खिलाफत करना है इस तरह की प्रवृत्ति को हमें रोकना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी पुलिस का कानून है यह 1861 में बना था। 1861 का कानून आज उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, आज जब हम इक्कीसवीं सदी में हम जा रहे हैं, इस बीसवीं सदी में उस 1861 वाले कानून को लागू किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि जो न्याय आम जनता को मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। इसलिये जैसा कि पुलिस कमीशन ने भी, जो 1977 में बना था, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस ओल्ड माडल 1861 के पुलिस एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए। उन्होंने एक माडल एक्ट बनाकर सरकार के सामने पेश किया है। निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पुलिस अपेक्षायें करती है। वह हम पुलिस को दें, आज की जो जरूरतें हैं, आज का वातावरण है उसके अनुसार बनाने के लिए इस एक्ट में परिवर्तन आगे आना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो आवश्यकता है वह इस बात की है कि हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं वह प्रोफेशनली कम्पीटेंट नहीं हैं और उनका जो एटीट्यूड है वह जनता के प्रति सहानुभूति का हो न कि आक्रोश का। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे पुलिस के अधिकारी या कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हैं उस ट्रेनिंग की व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज जो ट्रेनिंग चाहे पुलिस अकादमी हो, चाहे पुलिस के स्कूल हों, जो ट्रेनिंग दीजाती है वह ट्रेनिंग, वास्तविकता में जो फेस करनी पड़ती है अधिकारियों और कर्मचारियों को उससे बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहां किताबों में, पुलिस अकादमी में और पुलिस स्कूलों में पढ़ाया जाता है वह बिल्कुल उन परिस्थितियों से भिन्न है जो उसको वहां जाकर फेस करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पढ़ाई की जाती है वह पढ़ाई पूरी भिन्न हो जाती है इसलिये जो व्यवस्था पढ़ाई की की जाये वह इस प्रकार कि हो कि जो समस्या है, जिस प्रकार के अपराध, जिस प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्यायें हैं जिनका उनको आगे जाकर सामना करना है, उनके प्रति तैयारी करायी जाय, इससे उनके रूख में परिवर्तन आयेगा। जो आज बातें हो रही हैं कि पुलिस अत्याचार करती है, उनकी बातें हरदम हमारे सामने आती रहती हैं उनमें काफी कमी हो सकती है। यह जो हमारा

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

एटिट्यूड है इसमें इस तरीके को हमें काम में लाना चाहिए तो मैं समझता हूं वास्तव में आपको इसमें सफलता मिल सकती है।

पुलिस के कार्यों केऊपर काफी विवेचना हुई है सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और दूसरे तरीके से जो ट्रिब्यूनल बने हैं उनमें भी। लेकिन जो पुलिस के अनुसंधान करने का या अपराधी के पता लगाने का तरीका है, आज मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि सारा का सारा तरीका वही है जो 1861 में प्रतिपादित किया गया था उस समय एक्ट के द्वारा। आज हम उससे भी अलग होना नहीं चाहते। कटु सत्य यह है कि बहुत से अधिकारी और बहुत से कर्मचारी आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें हमारे रूख में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र का युग है और सविधान मे भारतवर्ष की जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिये हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि 99.9 प्रतिशत केसेज में अगर कोई अपराध के प्रकरण में किसी आदमी को बुलाया गया और वह कानूनी सहायता चाहता है आप भी उपाध्यक्ष महोदय, अपने समय के बड़े लीडिंग एडवोकेट रहे हैं. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 99.9 प्रतिशत रेकरिंग केसेज में अगर कोई तथाकथित अपराधी वकील की सहायता लेना चाहे, पुलिस का जो नीचे का तबका है उसको अलाऊ नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात को लेकर सुप्रिम कोर्ट में भी जब यह मामला गया नन्दनी सम्पती के मामले में तो सुप्रिम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि यदि कोई अभियुक्त जांच के अन्दर मदद लेना चाहे तो ऐसा करने की अनुमति उससे पूछताछ करने के पहले भी दी जा सकती है। तो यह कुछ छोटी छोटी बातें है। अगर कोई उस समय कानून का जानकार आदमी उसकी मदद के लिए वहां मौजूद होगा तो बहुत सी बातें उठ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन में भी आर्टिकल 22 के सब-क्लाज (एफ) में इस प्रकार का अधिकार दिया हुआ है कि अपराधी को इसकी सहूलियतें दी जानी चाहिए। तो यह छोटी-छोटी बातें हैं जो कानून का पालन होना चाहिए। वह पालन नहीं होने से बहुत सारी बातें पैदा होती हैं और उसका खामियाजा फिर सत्तारूढ़ पार्टी को भुगतना पड़ता है, चाहे वह जनता पार्टी का शासनकाल हो चाहे हमारा शासनकाल हो। इसलिए इस सम्बन्ध में भी हमें कोई निश्चित निर्देश हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको देने चाहिए ताकि वह इस सम्बन्ध में अपनी बात को रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की जो तस्वीर है लोगों के सामने उसका अध्ययन डाक्टर प्रमुदत्त शर्मा जिन्होंने एक किताब लिखी है "इण्डियन पुलिस एण्ड डवलपमेंट एप्रोच" उन्होंने कुछ सर्वे किये हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए और आप की जानकारी के लिए उसमें से कुछ सर्वे पुलिस की तस्वीर इमेज आफ दी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वे किया गया उसमें पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों से पूछा गया तो 100 में से 4.92 पुलिस के कर्मचारी और

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

अधिकारियों ने अपने काम को एक्सीलेन्ट बताया कि हमारी इमेज एक्सीलेन्ट है और इसके विपरित जब नान-पुलिस व्यक्तियों से सर्वे किया गया कि पुलिस की इमेज आपके दिमाग में क्या है तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि यह प्रतिशत जो पहले ही 4.92 प्रतिशत था खुद उन्हीं के कहने के अनुसार वह एक्सीलेन्ट का प्रतिशत .03 आया। इसी प्रकार जो सतोषजनक मानते थे कि पुलिस की तस्वीर संतोषजनक है, पुलिस के कर्मचारियो ने 56.01 बताया लेकिन नान-पुलिस वाले 3.17 आदमी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनकी कार्यप्रणाली सन्तोषजनक है। इसी प्रकार जिन्होंने फाउल कहा कि पुलिस की तस्वीर फाउल है उसमें 18.32 तो उनके खुद के कर्मचारी और अधिकारी थे उन्होंने बताया और 27.07 गैर पुलिस वाले लोग थे। इसी प्रकार जब यह सवाल पूछा गया कि पुलिस करप्ट है हैरेस करती है बेकसूर लोगों को तो 12.11 लोगों ने पुलिस कर्मचारियों ने इसकी हां भरी और जब कि 61.36 बहुत बड़ा प्रतिशत है, उपाध्यक्ष महोदय, 61 परसेंट से भी ज्यादा लोगों ने यह कहा कि पुलिस करप्ट है और हरेस करती है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस बात का बड़ा सवाल उठता है और सदन में भी यह चीज बार-बार आती है कि पुलिस का व्यहार ठीक नहीं है, पुलिस का व्यवहार सन्तोषजनक नहीं है और जब यह सवाल सर्वे में पूछा गया तो आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि विद्यार्थियों से जब यह सवाल पूछा गया कि यह जो आप आरोप लगाते हैं कि पुलिस का व्यवहार सन्तोषजनक नहीं है तो उसका क्या कारण है। विद्यार्थियों का कहना था कि They are power drunked वह सत्तामद हैं। व्यापारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह भ्रष्टाचारी हैं They are carrept तथा कथित बुद्धिजीवियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि They are elletert and unfortunately placed उनको गलत जगह लगा दिया और जब राज नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा They are Agents of the Ruli g Party. जैसा माननीय विपक्ष के सदस्य आरोप लगाते हैं और जब धार्मिक नेताओं से पूछा गया, धर्म के जो नेता हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा They are immorale चरित्रहीन हैं। उनका चरित्र नहीं है····

एक माननीय सदस्य : वह तरीका सब याद है आपको।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ···और, उपाध्यक्ष महोदय, जब सिविल सर्वेन्ट्स से यह पूछा गया कि उनका व्यवहार खराब क्यों है तो उन्होंने कहा They don't have professionnl aptitude उनके जो कर्तव्य हैं और उसके जो इथिक्स होते हैं उनका उनको ज्ञान नहीं है। तो यह ऐसी बातें हैं कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते है कि पुलिस का व्यवहार क्यों खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा····

Page No 141

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कटमोशन पर माइम तो तय कर दीजिए, उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, ओपनिंग स्पीच है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस (आई) पार्टी को जो समय दिया गया उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : एडजर्नमेंट मोशन देने वालों को पहले दिया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आसन की व्यवस्था है कि आप उस समय बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मामला था····

श्री उपाध्यक्ष : बड़े अच्छे तथ्य दे रहे हैं। बहुत अच्छे तथ्य दे रहे हैं····

श्री भंवरलाल : यह आसन की व्यवस्था थी एडजर्नमेंट मोशन के लिए कि मांग के समय में उनका नाम प्राथमिकता से तय किया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बतायें कि आपने दलों के हिसाब से कोई टाइम मुकर्रर किया है क्या कि दल को इतना टाइम और इस दल को इतना टाइम····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कालवी साहब को एक घण्टा मिला। सब को जो अच्छा बोलते हैं मैं देखता हूं वह ज्यादा समय लेते हैं।····

(व्यवधान)

ऐसी बात नहीं कि सत्ता पक्ष को ज्यादा देते हैं। विपक्ष को भी देते हैं। कालवी साहब को एक घण्टा दिया था।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : आपने 2 घंटे खराब कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : चतुर्वेदी जी को दिया था बहुत एम्पल टाइम।

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलियों की कोई सिक्ष नहीं है। समय का ध्यान रखते हुए हमें भी समय दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल ध्यान है।

श्री भंवरलाल : आसन की तरफ से यही व्यवस्था की गयी थी कि मांग पर किसी को बोलने दिया जाये या नहीं बोलने दिया जाये, जिनके एडजर्नमेंट मोशन खारिज किये थे उनको बोलने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिनके एडजर्नमेंट मोशन थे उनको बोलने के लिए प्राथमिकता के आधार पर तय करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपकी पार्टी बहुत बोलती है। उनको भी बहुत समय मिलता है।····

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल : प्राथमिकता से बोलेंगे ···

(व्यवधान)

मेरा निवेदन केवल एडजर्नमेंट मोशन के लिए है चाहे वह भारतीय जनता पार्टी

(श्री भवरलाल)

के सदस्यों के हों या लोकदल के हों। केवल एड्जर्नमेंट मोशन के लिए है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कोई जनरल डिबेट तो है नहीं कि अन-लिमिटेड टाइम तक बोलते रहें। एक नया प्रिसिडेन्स मत कायम कीजिए, माननीय उपाध्यक्ष जी। कटमोशन के ऊपर पीरियड लिमिटेड होता है और कटमोशन जो माननीय सदस्य ने दिये हैं केवल वह उन्हीं पर बोल सकते हैं। अन-लिमिटेड टाइम नहीं होता है और इस तरीके से 300 से ज्यादा कट मोशन हैं यदि आप इतना टाइम देंगे माननीय सदस्यों को तो औरों का नम्बर ही नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह :····कटमोशन में पार्टी का सवाल नहीं होता है। जिनके कटमोशन होते हैं वे उन्हीं पर बोलते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कटमोशन दिया हुआ है मेरा।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भेड़ के बारे में, पशु के बारे में डिमांड थी उस समय माननीय सदस्या बहुत डिटेल में बोली थीं और कटमोशन का ख्याल नहीं रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप आधा घण्टे तक बोलती रही थीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं कि मैं यह देखता हूं "पर उपदेश सकल बहुतेरे" जो भी कहता है सब करते हैं लेकिन बोलने लगते हैं शायद ख्याल नहीं रहता घड़ी का....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह गूजर : उपाध्यक्ष महोदय····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कटमोशन्स उनके नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कटमोशन्स हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक घंटे से बोल रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि माननीय सदस्य दो दो घंटे जब ऐसे विवादों में निकाल देते हैं मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं तो कह रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम सब झूठी कहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गूजर : आप भी कल बोल रही थीं माननीय सदस्या आध घंटे तक मैंने तो नहीं कहा आपसे····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदस्य यह देख लिया करें कि हम कितना बोल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। मैं निवेदन यह कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सर्वे इस बात का भी हुआ था कि जैसा मैंने अपने जो इस विषय का प्रारम्भ किया था टापिक का कि पुलिस का सहयोग हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं-उसका भी सर्वे हुआ सर्वे होने के बाद यह पाया गया स्टूडेंट्स का कोआपरेशन 2.01 मिलता है। बिजिनेसमेन का कोआपरेशन 11.08 मिलता है। इन्टेलिजेन्सिया का 24.71 मिलता है। पोलिटिकल लीडर्स का 15.03 मिलता है रिलीजियस लीडर्स का 5.07 मिलता है, सिविल सर्विसेज का 10.12 मिलता है और बाकी लोगों का 12.07 मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय बिन्दु जो रिवार्ड है आम जनता का व पुलिस का वह ठीक नहीं होगा। पुलिस की छवि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कोई भी चाहे पुलिस वाला हो इतनी छवि खराब नहीं हो सकती एक आध हर जगह होता है, और लोगों में भी होता है, लेकिन आम पुलिस के अधिकारियों की भावना यह होती है कि उसकी तस्वीर स्वच्छ और साफ हो....

एक माननीय सदस्य : पुलिस का सहयोग जब चलेगा जब कभी सीधे में आ गये तो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इनको नियम का भी ध्यान नहीं है बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए। नियम पढ़ लीजिये। काफी समय से बैठे बैठे कमेन्ट्री करते रहते हैं यह कोई क्रिकेट का खेल थोड़े ही है कि कमेन्ट्री कर दो। मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस के लोग बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स देते हैं, इसमें भी दिये हैं, और भी बार-बार आते रहते हैं, पिछले साल इतने अपराध हुए इस साल इतने अपराध हुए। मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं इन स्टेटिस्टिक्स को मेहरबानी करके पुलिस के अधिकारी न दें क्योंकि अपराध ऐसे होते हैं जो एक ही अपने आपमें संगीन होता है वह सारे स्टेटिस्टिक्स को कम कर सकता है। इसलिये स्टेटिस्टिक्स के मामले में न जाकर कोशिश इस बात की कि जाये कि जो हमारी क्वालिटी है, पुलिस की स्थिति है, उसको सुधारा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आज पुलिस का रोल है वह इतना व्यापक हो गया है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में पुलिस की आवश्यकता पड़ती है लेकिन जो पुलिस फोर्स है, पुलिस की जो सेवा हमें उपलब्ध है उसमें न क्वालिटी है न क्वांटीटी है कि वह इस पूरे क्षेत्र में संतोषजनक तरीके से पूरा कर सके। इस संबध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमें अपने आपको खुद पुलिस मैन बनना पड़ेगा। जिसको दूसरे शब्दों में सेल्फ पालिसिंग कहते हैं। हमें हमारा जो सामान है, प्रोपर्टी है और हमारी जान है, उसकी हिफाजत करने के लिये अपने आपको प्रबन्ध करना चाहिये ताकि जब तक पुलिस आवे या कोई भी वाक्या हो, उससे पहले कर सकें। आपको जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा राइट हमें मिला हुआ है। हर नागरिक को मिला हुआ है वह अपनी खुद की सुरक्षा के लिये खुद

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

कदम उठा सकता है लेकिन दुर्भाग्यवश जो फैसले हुए हैं कोर्टों में उसमें जिन लोगों ने कदम उठाये हैं अपने डिफेंस में थोड़ा वे आगे बढ़ गये, उनको सजा हो गई इसलिये इस प्रवृत्ति को हमें आगे बढ़ाना होगा इस सैल्फ डिफेंस के काम को अगर कोई व्यक्ति करता है अपनी जान और माल को हिफाजत के लिये उसको हमें प्रोत्साहन देना होगा....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसी तरह एक दूसरा बिन्दू है हमें—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत समय हो गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। आज हमारी जान और हिफाजत के ऊपर हमला होता है, हमें रेसिस्ट कराना चाहिये। इस तरह सैल्फ पोलिशिंग के तहत हमें अपना इन्वालवमेंट हमारी पुलिस के साथ कोआपरेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये जो क्रिमिनल जस्टिस है, इसके कई कारण हैं जो आदमी पुलिस को कोआपरेशन देता है वह गवाही में जाता है कई बार कई तरह से परेशान किया जाता है चाहे वह गरीब का मामला हो. चाहे वह पुलिस के थानेदार का मामला हो लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम सोशल जस्टिस पुलिस जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सैल्फ पालिशिंग के तहत आगे आ सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि पुलिस को जो कोआपरेशन चाहिये हो सकता है कि अभी कुछ यातनायें उठानी पड़ें उसके बावजूद हमें यातनायें उठानी चाहिए।

यही बात कहता हुआ वैलफेयर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। सरकार को अश्वनी कुमार कमेटी ने पुलिस के वैलफेयर के लिये कुछ रिपोर्टस और रिकमेंडेशन्स दी हैं और उन रिकमेंडेशन्स को धर्मवीर जी ने जो पुलिस कमीशन के अध्यक्ष थे उन्होंने भी कमेटी की रिपोर्टस को उनकी रिकमेन्डेशन्स को स्वीकार करने की सरकार से सिफारिश की है। अतः उनके जो वैलफेयर मैजर्स हैं पुलिस के लिये, जो उनको विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके वैलफेयर के लिये जो सुझाव दिये है उनको लागू करके सरकार कार्यवाही करे।

आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमालसिंह।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजर्नमेंट मोशन भी कल सदन में खारिज करते हुए आसन की ओर से निर्देश दिया गया है कि पुलिस की मांग पर कल अपने विचार रखूं। महोदय, आज सदन में माननीय गोविन्द सिंह जी जो गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं उन्होंने पुलिस की भूरी भूरी तारीफ की है। यह बात सही है कि जहां पुलिस सराहनीय काम करे पुलिस की तारीफ की जानी चाहिये लेकिन पुलिस की जो रोज की गतिविधियां हैं उस परिपेक्ष में माननीय सदस्य, ने जो बातें कहीं वह बिलकुल बे बुनियाद और सत्य से परे हैं।

(श्री जगमालसिंह यादव)

दिनांक 17-6-85 को चमेली नामक महिला जो विवाहिता भी है अलवर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचती है और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है कि तीन सालों से मेरे साथ मेरे पति की सहमति से इस शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बलात्कार किया है। महोदय, उसने सूची दी। उसने लिखित रिपोर्ट एस. पी. को करने की बात की। जिस पुलिस की बढाई माननीय सदस्य कर रहे थे आप देखिये पुलिस की उदारता और पुलिस की कार्य निष्ठा, एस. पी. साहब ने आदेश दिये नगर मजिस्ट्रेट के यहां जाकर अपने बयान दर्ज कराइये। 17 को नगर मजिस्ट्रेट के यहां बयान दर्ज नहीं हुआ, 18 को बयान दर्ज नहीं हुआ और यहां तक महोदय, 19 की शाम को बयान दर्ज किये गये। एस. पी. साहब के सामने जो फेक्ट्स थे 17 को आ गये। मुल्जिमों को पता लग गया। नगर मजिस्ट्रेट की भरी अदालत में जब बयान हुए मुल्जिमों को पता लग गया कि अबला ने रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज करा दी है पता लगने के बाद जितने जितने उद्योगपति, लिस्ट अभी अधूरी है, हो सकता है उसमें बडे बड़े कुछ राजनेता भी हों, पता लग गया, सब अलवर छोड़कर भाग गये। क्या एस. पी. का यह फर्ज नहीं बनता था, उसके फैक्ट्स सामने आ गये, उसको नगर मजिस्ट्रेट के पास भेजने की अपेक्षा सीधा कोतवाली भेज कर एफ. आई. आर. दर्ज करवाते रात को छापा मारकर उनको गिरफ्तार करते, मगर नहीं, नगर मजिस्ट्रेट के यहां उनका बयान दर्ज करा दिया। 17 तारीख की रिपोर्ट दर्ज हुई एक तारीख को पांच मुल्जिमों की जमानत हो गई। अब भी पांच छः मुल्जिम बाकी हैं। 17 के बाद आज एक माह होने जा रहा है उन मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस ? क्यों नहीं करेगी, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से आपकी मार्फत, महोदय, यदि साधारण आदमी बलात्कार करता तो क्या गिरफ्तार नहीं करते ? मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं, अभी 6 दिन पहले मालाखेड़ा (अलवर) के बाजार में एक बलात्कार हुआ, दो गरीब आदमी थे रिक्शा वाले, पुलिस ने दो घण्टे में गिरफ्तार कर लिया। यह पैमाना है। महोदय, जिस पुलिस की सिफारिश अभी माननीय सदस्य ने की, उन्होंने यह बताया सिविलियंस यह कहते हैं, वह कहते हैं। उनको यह बताऊं कि सुप्रिम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी है। महोदय, सुप्रिम कोर्ट ने पुलिस की परिभाषा की अनुशासित, सुसंगठित गुण्डों के गिरोह को पुलिस कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, महोदय, बड़े से बड़े किसी तहसीलदार की पिटाई हो जाये, मुल्जिम गिरफ्तार न हो। एक सिपाही को छेड़ कर देख लीजिये, आप उसकी शिकायत लेकर जायें, थानेदार वही भाषा बोलेगा, एस. पी. वही भाषा बोलेगा, यहां तक डी. जी. साहब भी वही भाषा बोलेंगे। अभी मेरे क्षेत्र तिजारा में, इन्दौर नामक गांव है हरियाणा में कुछ लोग जो पुलिस की शह से शराब का धन्धा करते हैं, तिजारा शराब का सबसे बड़ा क्षेत्र है, महोदय, राजस्थान का। सबसे ज्यादा कच्ची शराब कहीं निकलती है तो ज्यादा तादाद में वह टपूकड़ा में और तिजारा के क्षेत्र में निकलती है। पुलिस की शह से वे व्यापार करते थे-थोक का व्यापार। पुलिस से अनबन हो गई

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पुलिस गिरफ्तार करने गयी। हरियाणा के लोग पीट कर भाग गये। एक थानेदार पिटा सरे ग्राम तो सारे गांव के लोग आज एक माह महोदय, हो गये थाने में सड़ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, आर. ए. सी. जाते उनको पीटते हैं। औरतें, बच्चे और बड़े बड़े हैसियत मन्द लोग टपूकड़ा के थाने में बन्द हैं थानेदार महोदय से मिला, मैंने कहा इनका गुनाह बताइये कि इनका गुनाह क्या है। थानेदार साहब कहते हैं इनको सीमा पर पीटा है पुलिस अधिकारी है, इनकी रक्षा करनी चाहिये थी। इनका सबसे बड़ा गुनाह यही है। पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सके और गांव वालों से पुलिस अपनी रक्षा की बात करती है। महोदय, मैंने पहले भी बताया, कट मोशन मैंने....

(म. प. 3.51)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

अपना पेश किया। मैंने उस कट मोशन में एक एलीगेशन लगाया कि तिजारा थाने में सरे ग्राम दिन दहाड़े एक हत्या हुई है। उसको लेकर उन को मारा पीटा गया था। वे थानेदार के पास जाते हैं तो थानेदार कहता है पहले डाक्टरी मुआयना करावो इनका और डाक्टर कहता है पहले रिपोर्ट दर्ज करावो और इस चक्कर में, महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि उस आदमी की मृत्यु हो गई और उसके बाद एस. पी. साहब ने बुलाया, थानेदार को धमकाया, 302 का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस क्यों अकर्मण्य है ? पुलिस का भी सारा दोष नहीं है, महोदय। पुलिस के अकर्मण्य होने का सबसे बड़ा कारण है जो मंत्री आज सत्ता में बैठें हैं, जो मन्त्री कल तक हमारी तरह सड़क पर घूमा करते थे इनको × × × फुर्सत नहीं है। इनको इनके यहां हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं है और आप उम्मीद करते हो कि यह जनता की सेवा करें। जो बात ये कहते हैं क्या यह सरकार नहीं जानती। क्या इस सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि पुलिस हकीकत में क्या है....

(व्यवधान)

श्री पंकज पचोली : सभापति महोदया, × × × अान-पार्लियामेंटरी भाषा है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य व्यवधान न डालें, कृपया। आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह : महोदय, इस सदन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री जगमाल सिंह : मैं बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, सरकार का प्रत्येक व्यक्ति जो उससे पहले सरकार में नहीं था क्या पुलिस की ज्यादतियों को नहीं जानता है। महोदय,

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हम जानते हैं कि पुलिस की खिलाफत करना कोई फायदे का धन्धा नहीं है लेकिन जनता ने चुना है, जनता के विश्वास के लिये, जनता की जो दुख तकलीफ होगी, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे । हालांकि हम जानते हैं; जो गोविन्द सिंह जी अभी कह रहे थे और माननीय सम्पत सिंह जी ने प्रश्न उठाया था जिसका माननीय सदस्य ने एतराज किया । गोविन्द सिंह जी जो बात कह रहे थे उससे शंका पैदा होती है । शंका, महोदय, आपके भाषण देने से पहले नहीं होती है....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय.... माननीय सभापति महोदय....।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : गोविन्द सिंह, गोविन्द सिंह का नाम लिया जा रहा है.... ।

(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह : माननीय सदस्य, आपके कारनामें इस बात को बताते हैं ...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सभापति जी, बार बार गोविन्द सिंह, गोविन्द सिंह बोल रहे हैं, मुझे भी कहने दिया जाय....।

(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह : माननीय सदस्य, आपके पूर्व आचरण से इस बात का पता लगता है

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नाम लेकर सम्बोधित न करें।

श्री जगमाल सिंह : माननीय सदस्य, अभी जो बोल रहे थे, हमारे माननीय सदस्य ने जो एतराज किया था वह पूर्व आचरण से सम्बन्धित था । भरतपुर में घाना काण्ड हुआ । महोदय, ये ही किसानों के हिमायती माननीय सदस्य जो आज सदस्य के रूप में हैं, घाना काण्ड कराया और आंख मींच गये....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । व्यवधान न डालें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ।

(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह : महोदय, इतना ही नहीं बलात्कार के सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर, एक मिनिट ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं हो सकता है, उनको मेरे विचार पसन्द नहीं आये हों....।

एक माननीय सदस्य : आप तो वकील हैं ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां, मैं वकील हूं यही तो कह रहा हूं लेकिन मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने इल्जाम लगाया है और कहा है कि घाना का गोलीकाण्ड मैंने करवाया है। उनको शायद मालूम नहीं है कि मैं पहला मंत्री था जो गोली काण्ड होने के बाद तीन दफा उस क्षेत्र में गया, एक-एक घर में गया....

(व्यवधान)

एक एक आदमी से मिला ....

श्री जगमाल सिंह : घाना गोली काण्ड में कितने आदमी मरे....।

श्री नत्थी सिंह : लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। घाना गोली काण्ड में 6 आदमी मरे। वन मंत्री थे आप, आपने आश्वासन दिया था लेकिन इस्तीफा नहीं दिया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय, माननीय सदस्य। आसन को सम्बोधित करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे,।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज....।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ....क्योंकि आपकी जाति विशेष के लोग फंस रहे थे इसलिये आप वहां गये। जाति विशेष के लोग थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें। जो सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....।

श्री जगमाल सिंह यादव : इतना ही नहीं है, एक मिसाल आपको एक-डेढ़ माह पहले की और देता हूं। घटना 11–4–1985 की है। मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने गया। वहां के कुछ लोगों ने मुझे आगाह किया कि साबी परियोजना जो केन्द्र सरकार की योजना है और राजस्थान सरकार के मार्फत चल रही है, उसकी सीमेन्ट सरे आम बाजार में बिक रही है। मैंने पुलिस को टेलिफोन किया, थानेदार साहब आये। तहसीलदार साहब को मौके पर बुलाया, गोदाम को सीज कराया। 12–4–85 की मीटिंग जिला परिषद की थी, मैं जिला परिषद की मिटिंग अटेंण्ड करने चला गया। 12 तारीख को जब मैं शाम को वापिस पहुंचा तो पता लगा साबी परियोजना की सीमेन्ट जो पुलिस ने पकड़ी थी, उसको थानेदार ने 8 हजार रुपये लेकर छोड़ दिया। उसके खिलाफ एन्टीकरप्शन में मुकदमा दर्ज कराया और थानेदार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके साबित कराया। प्राइमाफेसी केस साबित हो गया। आज तक केस पेन्डिंग है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है। यह है पुलिस का आचरण। इतना ही नहीं महोदय, यह कह देना कि पुलिस मे सहयोग करें यातनायें सहकर भी। आज भी यातना सहने का

(श्री जगमालसिंह यादव)

समय है? पुलिस को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिये। थाने नीलाम होते हैं। अलवर जिले की बाबत मैं आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस सरकार को बताना चाहता हूं-थानों की नीलामी होती है, राज्य सरकार-नीलाम करती है गवर्नमेंट आर्डर्स होते हैं। एस. पी. साहब इच्छुक नहीं है उस थानेदार को थाने में लगाने के लिये लेकिन हमारी सरकार यहां बैठे हुए सौदा तय करती है और सालाना थाने नीलाम होते हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये थानों की केटेगरी बना रखी है।

(व्यवधान)

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदया, मैं एक मिनिट बोल रहा हूं। ऐसा है कि माननीय सदस्य नये हैं। अपने नियमों में ऐसी व्यवस्था है

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कौनसे नियमों पर बोल रहे हैं-पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बीच में व्यवधान कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, किस बात पर बोल रहे हैं, काम के लिए बोल रहे हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : मैं जानकारी देना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं क्या?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बी. डी. कल्ला : मैं पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा रहा हूं। मैं सदन की परम्पराओं के बारे में बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : कौनसे नियमों के तहत बोल रहे हो।

श्री बी. डी. कल्ला : सभापति महोदया, सदन की यह परम्परा रही है और नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जब कभी किसी विभाग के बारे में कोई चार्ज लगाया जाता है...

(व्यवधान)

उसके बारे में नियमों में व्यवस्था है-थानों की नीलामी हो रही है, थाने बिक रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सही है। × × × थाने नीलाम होते हैं और अवश्य नीलामी होती है, इसमें कोई शक नहीं है।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय सदस्य को बड़ी तकलीफ हो रही है मैं प्रमाण सहित बताना चाहता हूं कि थानों की नीलामी होती है कि नहीं होती है। कान खोल कर सुन लें आप बानसूर के विधायक ने बानसूर के थाने के खिलाफ शिकायत की, शिकायत पर एक्शन लिया गया, उसको लाइन हाजिर किया गया। महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हूं सत्ता पक्ष के लोगों ने उससे भी बढ़िया खैरथल का थाना अलाट कर दिया गवर्नमेन्ट आर्डर करा करके। एस. पी. साहब नाराज, एस. पी. साहब चाहते नहीं। मेरे अलवर में केवल राज्य सरकार से चार चार थाने थानेदारों ने अलाट करवाये हैं। एस. पी. साहब नाराज हैं, डी. आई. जी. साहब नाराज हैं, पुलिस के अधिकारियों से नहीं पूछा जाता कि वे उत्तरदायी रहेंगे एस. पी. और डी. आई. जी. के प्रति। महोदय, उनका क्या उत्तरदायित्व रहेगा उस सरकार के प्रति। पहले जैसा मैंने कहा कि × × × इस सरकार के अधिकारी के खातिर में नहीं लायेंगे। कानून कायदों की कतई परवाह नहीं करेंगे। इसलिए, महोदय, मेरा यह कहना है कि थाने नीलाम होते हैं और यह बात सौ फीसदी सही है चाहे इस बात को सुनने की क्षमता सत्ता पक्ष के लोगों में हो या नहीं हो लेकिन हकीकत यह है कि थाने नीलाम होते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमालसिंह यादव : इसलिये जहां तक मैं यह कह रहा था कि पुलिस में जिस तरह से इन्होंने कहा कि सहयोग करें, सहयोग एक ही बात का हो सकता है, एक ही बात का सहयोग किया जा सकता है कि ठेकेदारी प्रथा जो और दूसरे विभागों में सरकार ने चालू की है इससे बेहतर तो यह होगा कि इस पुलिस की दलाली की भी ठेकेदारी प्रथा चालू कर दें। उनको लाइसेन्स दे दें, कुछ लोगों को रोजगार तो मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बैठे बैठे बातें न करें, माननीय सदस्य। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री जगमाल सिंह यादव : .... और सच्चाई की बात है कि आज किसी भी थाने में, किसी भी तहसील में चले जाइये पुलिस के दलाल तैनात हैं। जाते ही के साथ रोजनामचे में जिन लोगों के नाम हैं आपको पता लग जायेगा कि फंला आदमी पुलिस का वफादार है ....

(4.00 म. प.)

मिसाल के रूप में बताना चाहता हूं कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस की तानाशाही में, महोदया, इन्होंने ज्युडिशियरी को भी नहीं बख्शा। मेरे अलवर में एक मुकदमें में जमानत हुई। एण्टीसिपेटरी बेल अदालत ने स्वीकार की। वह आदमी थाने में एण्टीसिपेटरी बेल लेकर गया कि साहब मेरी जमानत तस्दीक कर लीजिए। उसने कहा कल आ जाना। दूसरे रोज दूसरी पार्टी मिली–गिरफ्तार होना चाहिए। शाम को पांच हजार रुपये तत्कालीन थानेदार तिजारा श्री चन्द्रभानजी को दिए। उस आददी के पास जमानत के आदेश थे, सुबह हथकड़ियाँ लगाई, अदालत में पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट महोदय ने आदेश दिए, उस थानेदार के खिलाफ इस्तगासा जो तजबीज है। झगड़े होते हैं, एक नहीं दोनों पक्षों से खाते हैं। महोदया, रिश्वत का भी स्टेंडर्ड इनको तय करना चाहिए। आज कल किसान, आम आदमी जिसका थाने से काम पड़ता है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

रिश्वत देने में गुरेज नहीं करता क्योंकि लाइलाज बीमारी हो गई है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। इस तरफ बैठे हुए लोगों की संस्कृति है। इसमें बगैर रिश्वत के काम नहीं चलेगा। लेकिन इनको रिश्वत का भी स्टेंडर्ड तय कर देना चाहिए कि पैसा लेकर जो काम कर दे उसको आज इलाके में ईमानदार पुलिस समझा जाता है। जो पैसा ले ले और काम नहीं करे उसको बेइमान समझा जाता है और वह सबसे बड़ा बेइमान उससे भी खा जाते हैं, तेरा मुकदमा भी बढ़िया बना देंगे, तेरा मुकदमा भी बढ़िया बना देंगे। हालात यह हैं कि दोनों से पैसे खा लिए। सिर फुड़वा कर जाता है थाने में उससे पैसे मांगे जाते हैं। पीटने वाले से भी ले लेते हैं। है कहीं न्याय पुलिस का। प्रेक्टिकल तरीके से ये सारे लोग जानते है इस बात को कि यह होता है थानों में। लेकिन चूंकि यह सत्तापक्ष के खिलाफ बात जाती है, सरकारी पक्ष के लोग हैं उनको न कहने से मतलब है। इसलिए, महोदया, मैं आपकी मार्फत एक बात और कहना चाहता हूं कि इतने बलात्कार के काण्ड ही नहीं, अभी धौलपुर में और बलात्कार का काण्ड हुआ, उसकी चर्चा मेरे दोस्त करेंगे। रोज बलात्कारों की घटना बढ़ रही है और अलवर में विशेष रूप से बढ़ रही है, पता नहीं कारण क्या है? मैं यह नहीं कहना चाहता कि वहां का एस. पी. बेइमान है। एस. पी. और कलेक्टर दोनों ईमानदार आदमी हैं। नए प्रशासनिक सेवा से गये हैं। उनकी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं है लेकिन उनके आस पास जो गिरोह बन गया है जो उनकी नीति निर्धारण करना चाहता है, या उन पर जो राजनैतिक दबाव है वह अलवर जिले की पुलिस और प्रशासन को भ्रष्ट कर रही है। अलवर जिले की पुलिस और प्रशासन को गलत दिशा दे रहे हैं। अभी देखिये यही चमेली काण्ड जिसका मैं जिक्र कर रहा हू, जिसकी तफतीश जेरे तजवीज थी। महोदया, उस अधिकारी, जिसका लक्ष्मीनारायण मीणा नाम है, डी. वाई. एस. पी., आई. पी. एस. उनका तबादला कर दिया गया क्योंकि उद्योगपति यह जानते थे कि यह ईमानदार अफसर किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उसका तबादला राज्य सरकार से अलवर से उठा कर दूसरी जगह करा दिया और कोशिश यह हो रही है, मेरे पास खुद वह पक्ष आये हैं, मैं विश्वास से कहता हूं, महोदया, कि इस केस को अलवर एस. पी. से उठवा कर सी. आई. डी. में केस भिजवा दीजिए। सी. आई. डी. में केस जाने का अर्थ है, सारे माननीय सदस्य समझते हैं, जानते हैं, कि सी. आई. डी. में जाने के बाद तीन और चार साल तक लटक जाएगा। इतने में कोई न कोई जुगाड़ बैठ जाएगा, यह एस. पी. जो सख्त और ईमानदार है चला जाएगा। इसलिए, महोदया, मैं इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बाकी मुलिजम जो चमेली काण्ड, बलात्कार काण्ड में हैं, उनको गिरफ्तार किया जाय।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अब तक जो गिरफ्तारियां नहीं हुई, जिनको एण्टीसिपेटरी बेल का मौका दिया है, बालाबाला जमानत कराने का मौका जो पुलिस ने दिया है, बाकी बचे हुए मुल्जिमों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और उनको ऐसी सख्त सजा दी जाय जो बलात्कारी हैं वे आयन्दा कांपें लोग। पुलिस पैसे लेने के

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लिए तो मारपीट कर सकती है लेकिन इस तरह के जो जुर्म और अपराध हैं, जिनको समाज नफरत से देखता है, उनके लिए मारपीट नहीं कर सकती। अगर कोई साधारण आदमी बलात्कार करता है, जैसा मैंने इन्दौर का उदाहरण दिया कि उस सीमा में पुलिस वाले पिटे, सारे गांव को घेर कर लाकर बिठा दिया थाने में, अगर इसी तरह से किसी साधारण आदमी ने बलात्कार किया होता तो उसकी औरत, उसके बच्चे उसकी बीबी सबको लाकर थाने में बिठा दिया जाता। पुलिस के पास ताकत है, पुलिस अगर अपनी ताकत का जायज इस्तेमाल करे तो अन्याय दब सकते हैं।

इसी तरह से मैं पुलिस के पक्ष में भी, जिस तरह से पुलिस को असुविधायें होती हैं, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने अभी मेरे इलाके के टपकूड़ा गोलीकाण्ड, भिवाड़ी गोलीकाण्ड का जिक्र किया, मैं उस बाबत भी एक बात कहना चाहता हूं।

मेरा तिजारा क्षेत्र ऐसी जगह पर है जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा से लगता हुआ है। अन्तर्राज्यीय जो गिरोह है वह हमारे यहां अपराध और वारदातें करके हरियाणा में निकल जाता है। महोदया, उनका पीछा करने के लिए पुलिस के लोग पैदल चलें और वह कार और जीपों से जाय तो हम पुलिस से यह अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि वह इन मुल्जिमों को, जो अन्तर्राज्यीय गिरोह है, वारदात राजस्थान में करके हरियाणा में चले जाते हैं, उनका पीछा करे और उनको पकड़ने में सफल हो सके। मेरा यह भी निवेदन है कि जो सीमा के थाने हैं, टपूकड़ा, तिजारा जिले में, सारा अलवर जिला सीमा से लगता हुआ है, अलवर जिले के कम से कम तिजारा, टपूकड़ा, भिवाड़ी और दूसरे जो थाने हैं उनको वायरलैस की जीपें दी जायें। चौबीसों घण्टे की ड्यूटी हर एक पुलिस मैन की होती है। थाने में जो पुलिसकर्मी नौकरी करता है उसकी चौबीस घण्टे की ड्यूटी है। वह कमरा लेकर के अगर कहीं रहता है और कहीं वारदात होगी तो उसको एक घण्टा बुलाने में लग जाएगा। इसलिए उनके रहने की व्यवस्था जो पुलिसकर्मी हैं, थाने के साथ अटैच कुछ क्वार्टर बना कर दी जाय ताकि कभी भी उनकी सेवा की जरूरत हो तो उनकी सेवायें ली जा सकें।

महोदया, मैं समझ रहा हूं कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूं लेकिन इतना ही कह कर कि पुलिस को अपने व्यवहार में, आज के प्रजातन्त्र के युग में प्रजातान्त्रिक होना चाहिए। कानून का पालन करना चाहिए। केवल स्टार लग जावे और केवल पुलिस की वर्दी पहनने के बाद रोब और रुतबा गालिब करना यही इनका कर्त्तव्य नहीं है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस डिमान्ड पर जो कटमोशन हैं उस पर अपने विचार....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय ने पहले यह व्यवस्था दी थी कि जिन्होंने पहले स्थगन प्रस्ताव दिये हैं पुलिस से सम्बन्धित हैं उन पर पहले चर्चा होगी।

श्री सभापति : शासन की व्यवस्था, माननीय सदस्य, यह है कि जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं उनको प्राथमिकता से अवसर देते जायं।

श्री भंवरलाल : प्राथमिकता देते कहां हैं। हमारे स्थगन प्रस्ताव पुलिस से संबंधित हैं...

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब को बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री भंवरलाल : पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, मैं एक बार पढ़ कर सुना देती हूं। शासन की ओर से जो स्थगन प्रस्तावों के लिए व्यवस्था की गई है, स्थगन प्रस्ताव वालों को तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वाले सदस्यों को प्राथमिकता से अवसर देते चलें। आप इसको कैसे इण्टरपिरेट करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे करेंगे कि जिनके स्थगन प्रस्ताव आज थे उनको पहले बुलवा लिया जाय।

श्री सभापति : इन सब को पहले बुलवा दिया जाय ?

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको पहले बुलवा दिया जाय यह है इण्टरपिटेशन।

श्री सभापति : पार्टी का जैसे जैसे नम्बर आता है उसके अनुसार है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर......माननीय सदस्य, कृपया...

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनके लिए शासन की यह व्यवस्था हो गई थी...

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि स्थगन प्रस्ताव जो पुलिस से सम्बन्धित हैं उनको डिबेट पर बोलने का अवसर दिया जाएगा। यह अध्यक्ष महोदय ने खुद ने कहा था...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें... आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम : मुझे मौका दिया जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया है...आर्डर आर्डर...

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं वे पहले बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठ कर बातें नहीं करेंगे।

श्री नाथूसिंह : स्थगन प्रस्ताव डिस अलाऊ इसी आधार पर किये थे...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस डिबेट को क्या जीरो ग्रावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राप ?

श्री नाथूसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है कि स्थगन प्रस्ताव क्योंकि इम्पोरटेन्ट हैं, उनको ग्रलग से समय नहीं देकर प्रायोरिटी देना चाहिए।

श्री सभापति : ग्रब माननीय सदस्य एक बोल लेते हैं तब तक व्यवस्था का पता लगा लेते हैं, क्या उनका इण्टरपिटेशन था।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदया....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज, माननीय बैठे-बैठे बातें नहीं करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : ग्राज से करीब ग्राठ माह पूर्व....

श्री सभापति : समय सीमा का ध्यान रखेंगे माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा :.....जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की गई ग्रौर उस हत्या काण्ड के पश्चात् देश की जो स्थितियां बनीं ग्रौर उसके बाद युवा नेता मौजूदा प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने जो चुनाव करवाये, एक राजनैतिक दल के रूप में चुनाव घोषणा पत्र प्रसारित किया गया, उस चुनाव घोषणा पत्र में देश की एकता ग्रौर ग्रखण्डता कानून ग्रौर व्यवस्था बनाए रखने का एक मुख्य उद्देश्य जो कांग्रेस पार्टी का था, उस उद्देश्य को उस चुनाव घोषणा पत्र में रखा गया ग्रौर उसके बाद जो....

(व्यवधान)

भाई साहब, ग्राप तो समझदार हैं।

श्री सभापति : ग्रापस में बातें नहीं करेंगे। चेयर को एड्रेस करें। माननीय सदस्य, प्लीज डोंट डिस्टर्ब।

श्री हरिमोहन शर्मा : उस चुनाव घोषणा पत्र के बाद जो लोक सभा के चुनाव हुए उसमें देश की एकता ग्रौर ग्रखण्डता, कानून ग्रौर व्यवस्था कौन बनाये रख सकता है इसका जनता ने 6 माह पूर्व निर्णय दिया। उस निर्णय को ग्रापको, हमको, सबको स्वीकार करना है ग्रौर कर लिया।

श्री नाथूसिंह : ग्रब ग्रागे बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा : ग्राप तसल्ली रखिये, नाथूसिंहजी।

उसके ठीक बाद इसी ग्राधार पर विधान सभा के चुनाव हुए ग्रौर जनता इस ने बात पर यकीन किया कि देश की एकता ग्रौर ग्रखंडता की रक्षा कौन कर सकता है, कौनसी व्यवस्था कर सकती है, शांति ग्रौर व्यवस्था कौनसी सरकार बनाये रख सकती है, इस पर ताजा फैसला हिन्दुस्तान की जनता ने ग्रौर राजस्थान की जनता ने दिया है। जनता ने यह स्वीकार किया है। गत पांच वर्ष के कार्यकाल को देख कर, देश की स्थिति को देख कर जनता ने यह फैसला दिया है।

एक माननीय सदस्य : यह किस पर भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आज कानून और व्यवस्था, देश की एकता और अखंडता बनाये रखने में अगर कोई सक्षम है""

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप बहुत बाधा डाल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो वह मौजूदा कांग्रेस पार्टी, जिसकी सरकार चल रही है, कर सकती है। अभी ताजा फैसला जो किया उसमें गत पांच साल का मूल्यांकन जनता ने किया है कि कानून और व्यवस्था कौन बनाये रख सकता है। उस घोषणा पत्र के आधार पर कि हम देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करेंगे, देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखेंगे, जनता ने फैसला दिया। 1947 के बाद 1952 से चुनाव होने लगे तब से आज तक हमने यह स्थिति बनायी इस आधार पर हमको""

श्री शोपत सिंह : प्रधान मन्त्री को मरवा दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : जनता ने हमारी सरकार बनायी और उसी के अनुरूप हम यहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिये आपके सामने हैं। कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति"" ...

एक माननीय सदस्य : यह पुलिस की डिमांड पर बोल रहे हैं या पार्टी का गुणगान कर रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पुलिस की डिमांड पर पालिटिकल भाषण नहीं होगा। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : बड़ी अच्छी पुलिस है, बहुत अच्छी पुलिस है। न गांधी को बचा सकी, न इन्दिरा गांधी को बचा सकी, न प्रधान मन्त्री को बचा सकी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हम बचे हैं तो अपनी ताकत से बचे हैं, X X X भरोसे थोड़े ही बचे हैं। हम अपनी ताकत से बचे हैं, तुम्हारे भरोसे नहीं हैं।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : कोई भी दल या कोई भी कार्यकर्ता या कोई नागरिक किसी भी सरकार से यह अपेक्षा करे कि उसके कार्यकाल में कोई अपराध घटित होगा ही नहीं, यह कल्पना न राम राज्य में रही न कृष्ण के राज में रही।

एक माननीय सदस्य : आपके राज में रहेगी।

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार बार क्यों बोलना पड़ता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अपराध होते आये हैं, होते है, होते रहेंगे। इस कटु सत्य को सबको स्वीकार करना है। तुलना किसी शासन की इस बात से की जा सकती है कि उस शासन में कितने अपराध किस किस प्रवृत्ति के किन किन कारणों से हुए। पुलिस ने किन किन अपराधों की जांच कर दोषी व्यक्तियों को पाया, किन किन अपराधियों को लापरवाही से छोड़ा गया। आज इन बातों से इस बात की कल्पना की जानी चाहिये। अगर आज कानून और व्यवस्था बनाये रखने में मौजूदा सरकार ठीक है या पुरानी सरकार ठीक थी, इसका आपस में हम कम्पेरीजन करें, जैसा कि मैं अभी कम्पेरीजन करूंगा तो अनेक सदस्य जो मेरे भाषण में व्यवधान कर रहे हैं वे फिर नाराज हो जायेंगे। लेकिन मेरी मजबूरी है। आज जो मौजूदा विपक्ष के सम्माननीय नेता शेखावत साहब हैं, उनको भी सरकार बनाने का अवसर मिला। उसके पूर्व में दूसरी सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद हमारे दल की सरकार बनी। क्या जनता पार्टी के शासन में अपराधों में जरूरत से ज्यादा वृद्धि नहीं हुई ?

एक माननीय सदस्य : कम हुई है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं अभी आपको आंकड़े देता हूं जनता पार्टी के शासन में अपराधों में जितनी वृद्धि हुई क्या उससे ज्यादा वृद्धि आज हुई है।

(व्यवधान)

आप तुलना कैसे करेंगे। जनता पार्टी के शासन में जो गोलीकाण्ड हुए क्या वह जनता पार्टी के शासन में नहीं हुए ? मैंने पूर्व में निवेदन किया है, अपराध होंगे, होते हैं, होते रहेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अब उस बात को कहने से क्या फायदा। जो कुछ हो गया सो हो गया। आज की बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप सुनिये। मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं। उस 32 माह के शासन काल में 32,448 अपराधों की वृद्धि हुई। प्रति माह 614 अपराध बढ़े। डकैती का पर्सेन्टेज 11.9 था, हिंसा और लूट का 16.4 था, कतल का 11.8 था, चोरी का 14.8 था और अन्य को....

श्री भंवरलाल शर्मा : उस समय आप बेरोजगार हो गये थे, यही काम करते थे।

एक माननीय सदस्य : रोजगार तो आपने आर ए. एस. वालों को दिया इसलिये इनको नहीं दिया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : अप्रेल, 1984 में डकैती में जो वृद्धि हुई वह 0.50 पर्सेन्ट थी, लूट में 1.57 पर्सेन्ट, हत्या में 1.41 पर्सेन्ट, बलवा में 17.35 पर्सेन्ट हुई।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

यह कम्पेरीजन आपके सामने है। यह जो आंकड़े आपको प्रस्तुत किये हैं वह भी सरकारी पक्ष के हैं और मौजूदा जो प्रस्तुत किये जा रहे हैं वह भी सरकारी के पक्ष हैं। इससे आपको और हमको इस बात की तुलना करनी पड़ेगी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति जिस समय आपको लोकतन्त्र की रक्षा करने, कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने का अवसर दिया था उस समय कैसी थी और इस कार्यकाल में कैसी है। जिस शासनकाल में....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री नाथूसिंह : यह आंकड़े किस में से कोट कर रहे हैं हमारी जानकारी के लिये बता दें। फर्जी आंकड़े भी हो सकते हैं। ये फर्जी आंकड़े हैं।

श्री शोपतसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर आ रहा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदया, बहुत ही अहम् मसले पर बहस हो रही है। मेरे ख्याल से कोई भी मंत्री जिम्मेदारी के साथ जो बात बोली जा रही है सदन में, उसको नोट करे या कुछ लिखे। न पेंसिल है। ऐसे लेटे हुए हैं, वह भी अटेंटिव नहीं रहते। लेटे हुए हैं इतनी गंभीर बहस है। इस बहस का कोई मतलब है तो हमको करनी चाहिये और अगर राज्य सरकार यह समझती है कि इस बहस की कोई जरूरत नहीं है या इस ढंग से लिया जा रहा है इसको, यह गलत है।

Minister must be very active.

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी नोट करेंगे। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह नोट करने वाली बात थी नहीं, नोट क्या करें।

श्री दाउदयाल जोशी : मेरा एक निवेदन है, प्रक्रिया यह है कि डिबेट के पूर्व कटौती प्रस्ताव दें। कटौती प्रस्ताव की परिधि में ही हम बोल सकें। यहां पूरे जो हमारे पास कटौती प्रस्ताव आये हैं, माननीय सदस्य ने इनमें केवल दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं जो इनकी अयोग्यता का द्योतक है, जागरूकता कितनी है यह इसी बात से प्रमाणित होता है। माननीय हरिमोहन जी ने दो कटौती प्रस्ताव....

श्री सभापति : आप कटौती प्रस्ताव तक भाषण सीमित रखें।

श्री दाउदयाल जोशी : आपने जो दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसमें अपनी सरकार पर चार्ज लगाया है। पहला....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : कोई भी बोल सकता है?

श्री दाउदयाल जोशी : पहला आपने अपनी सरकार पर चार्ज लगाया है उस पर नहीं बोलें।

Page No 158

(158)

श्री हरिमोहन शर्मा : उस पर भी बोलूंगा, निष्पक्ष रूप रख कर बोलूंगा।

श्री दाउदयाल जोशी : आपने कटौती प्रस्ताव दिया है–बूंदी विधान सभा क्षेत्र में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था पर चर्चा के लिये। दूसरी जो डिमांड दी है वह तो आटोमेटिकली पूरी हो जायगी। वह है, बूंदी जिले में एक और पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे कटौती प्रस्तावों की परिधि में रहें। जो दूसरी मांग रखी है वह तो आटोमेटिकली पूरी हो जायगी।

श्री सभापति : विषयान्तर न हों। विषय से हटकर नहीं बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा : इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको एक कम्परेटिव स्टेटमेंट 32 महीने के शासन का....

श्री नाथूसिंह : फर्जी आकड़े हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : हम यहां पर एक घंटे से जिस प्रकार आपने भाषण दिये हम इस सदन में सुनते आये हैं, मेहरबानी करके थोड़ा सुनें।

Address to the chair please, आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं रेफरेंस में ही हूं, मैंने आपस में बात नहीं की है चैयर को ही एडरेस कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां आपस में एडरेस करके नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसी प्रकार इस बात से भी पुलिस की सफलता को आंका जाता है कि जितने अपराध घटित हुए उनमें से चालान कितने प्रतिशत के पेश हुए 1984 में····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, डोंट डिस्टर्ब, माननीय सदस्य कृपया।

श्री लालचन्द : यह आपकी असफलता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, ऐसे हाउस में इशारे करके एक दूसरे की तरफ नहीं बोलिए और आपस में बात नहीं करिये, चैयर को एड्रेस करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो भी मुझ पर प्रतिबन्ध लगायेंगे, मैं उनकी अनुपालना करूंगा।

इसी प्रकार अपराध कितने किस्म के होते हैं कुछ आदतन अपराधियों के द्वारा घटित किये जाते हैं और कुछ राजनीतिज्ञों

(श्री हरिमोहन शर्मा)

के द्वारा राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के कारण किये जाते हैं कुछ अन्य कारणों से घटित होते हैं, कुछ अकस्मात घटित होते हैं, मौजूदा स्थिति में राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति तो कुल मिलाकर तो संतोषजनक है लेकिन कोटा डिवीजन में जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है और जिस प्रकार का राजनैतिक संरक्षण घटना करने वालों को दिया जा रहा है वह चिन्ताजनक है। कोटा डिवीजन में जो उच्च अधिकारी हैं उनका इस प्रकार सोये रहना चिन्ताजनक बात है। किसी दिन विस्फोटक स्थिति कोटा डिवीजन में घटित हो सकती है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो जिम्मेदार पदों पर हैं; जो लोकतन्त्र के हिमायती हैं, लोकतन्त्र के पक्ष में भाषण देते हैं, जो सदन में लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं उस दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बेगुनाह लोगों, जिनका गुनाह अगर है तो यह है कि वह किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा के हैं, जो जुलूस के रूप में जा रहे थे, उनमें से जिम्मेदार व्यक्ति जो वहां रहते है, के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राजनैतिक बदला लेने के लिए हाथ पैर तक कटवा देते हैं, वह आज चलने की स्थिति में नहीं हैं। आज से कुछ दिन पहले, राजनीतिक दलों से संरक्षण प्राप्त कुछ व्यक्ति हैं कोटा में, घुलेंच में दो व्यक्तियों को....

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, यह छाती फोडते हैं और हंसते और हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेहरबानी करके गंभीरता से सुनिए।

मैं इस अखबार, राजस्थान पत्रिका की कटिंग का हवाला दे रहा हूं जिसमें बी. जे. पी. के नेताओं की फोटो फ्रन्ट पेज पर बड़े बड़े कैपिटल लैटर्स में हैडिंग के साथ छपी है, "जुलूस देखने की कीमत हाथ पांव कटवा कर चुकानी पड़ी और बी. जे. पी. के कार्यकर्त्ताओं ने उस आदमी को मारा," तो कानून और व्यवस्था की स्थिति कौन बिगाड़ रहा है। आज से एक महीने पहिले उसी गांव में कुंजबिहारी और विद्याशंकर नामक कार्यकर्त्ताओं हमारी पार्टी के सदस्यों के राजनैतिक दुर्भावना से, राजनैतिक बदला लेने के लिए सरे आम हाथ पैर जिन्होंने काट दिये उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया उनमें से कुछ आदमी पकड़े गए लेकिन उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है हाडौती में, जो पुलिस में उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वह देख रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि इन दो मासूम आदमियों में से एक आदमी मौत के घाट उतार दिया गया, इसी प्रकार झालावाड़ में प्रधान की हत्या कर दी गई, इन सब के पीछे क्षुब्ध राजनैतिक वातावरण एक पार्टी विशेष जो यहां पर आकर कानून और व्यवस्था न बनाए रखने के लिए, कानून और व्यवस्था में गिरावट के लिए सरकार की आलोचना करते हैं दूसरी ओर वह पार्टी अपने क्षेत्र में क्या कर रही है उसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी कोटा में बहुत ऊंचे पदों पर विराजे हुए हैं। आप सोचें, आज ऐसे राजनीति, सरे आम कतल करने वाले, जुलूस में लोगों के हाथ पैर काटने वाले, सरे आम पान की दुकान पर बैठे रहने वाले और कत्ल करने वालों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो किस प्रकार कानून और व्यवस्था सुधार सकते हैं यह बात मैं आप लोगों के सामने जो सुनने वाले हैं और इस सरकार को चलाने वाले हैं उनसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

तीन बातें मैंने आपसे कहीं, हम एक आन्दोलन या जुलूस का रूप देकर कानून और व्यवस्था बिगड़ने का लोकतन्त्र के नाम पर हल्ला करते हैं, हम चाहते हैं राजनैतिक कार्यकर्ता की छोटी सी बात के लिए पुलिस गिरफ्तारी के कागजात बनाले और नहीं बनाए, जैसे पानी के आन्दोलन में कागजात नहीं बनाए तो पुलिस पर पत्थर फेंके और कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ें मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आखिर कानन और व्यवस्था बिगाड़ने की जिम्मेदारी किस पर है? हम पर है, लोकतन्त्र के प्रहरी बनने वाले विधायकों पर है। हम ही कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने लग जाये तो न तो सरकार सुधार सकती है, न कोई दूसरा पक्ष सुधार सकता है और न प्रशासन सुधार सकता है।

इसके बाद मैं कुछ यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थाने पर जब हम जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है "मेरे योग्य सेवा" मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 'मेरे योग्य सेवा, लिखा हुआ है

एक माननीय सदस्य : वहां पर डंडा रखना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : डंडा तो है ही पिस्तौल भी है, आप डण्डे की बात कर रहे हैं।

हम यह सोच कर जाते हैं कि हम उनके योग्य सेवा बतावें लेकिन सीढ़ी पर चढ़ते ही वह हमारे योग्य सेवा बताते हैं, एक दस्ता कागज और पाठे लाइए। इन छोटी छोटी बातों में सुधार की आवश्यकता है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी सी बात है पुलिस के थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे हमें यह महसूस हो कि यहां मेरे योग्य सेवा वाला स्थान है या हमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इस भ्रांति का निवारण करने के लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं और अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको हमने संघ बनाने की छूट दे रखी है केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार का यह विवादास्पद मसला है, इस पर मैं कोई राय नहीं रखना चाहता लेकिन कर्मचारी जो दूसरे स्थानों पर हैं वह आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रशासन को ठप्प करते हैं तो सरकार उनको पैसा देती है और पुलिस के कर्मचारियों पर यह पाबन्दी लगी हुई है, प्रतिबंध है कि उनको यूनियन नहीं बनाने देते। मेरा निवेदन है, साधारण सिपाही, जिसको

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तकलीफ है, एक आर. ए. सी. का जवान जिसको तकलीफ है, एक कांस्टेबल जिसको तकलीफ है उनकी बातों पर सरकार विशेष ध्यान देकर उनको विशेष रियायतें और विशेष छूट दी जानी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली बार पुलिस बेनेवोलेंट फण्ड में से केवल 1500 रुपये राज्य सरकार ने दिये।

इसी प्रकार मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो थाने बाकी बचे हैं उनको ठीक प्रकार से सुसज्जित किया जाय, वायरलेस सैट, गाड़ियां, जो अन्य थानों को उपलब्ध हैं, उपलब्ध करायी जाय।

मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि जो आम नागरिक के प्रति जो भावना पुलिस में है, और जो पुलिस के मामले में है आम आदमी की भावना है, वह भावना ठीक नहीं है। उस भावना में कैसे परिवर्तन हो उस पर पुलिस के उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए। एक सेवक के रूप में, एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वे अपनी छवि जनता के सामने रखें तो उन्हें नफरत की भावना से आम जनता नहीं देखेगी।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आम जनता उन्हें बेइज्जत भरी भावना से....

श्री बी. डी. कल्ला : बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं, हमारी पार्टी के इन्हें और समय दे दिया जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें। प्लीज आर्डर।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं होता है। आपकी तरफ बोलने वाला नहीं होगा।

श्री बी. डी. कल्ला : बहुत है, 33 आदमियों की सूची है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आपस में बात नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : आम जनता में इस प्रकार की जो भावना है उन भावनाओं में परिवर्तन आना चाहिए, सरकार को इसके लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिए।

श्री सभापति : वाइण्ड अप करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आखिर में कि बूंदी क्षेत्र में....

श्री सभापति : आप के सुझाव दे दिये। आप फिर क्षेत्र की बात करने लग गये। समाप्त करें, माननीय सदस्य। सुझाव आपके बहुत अच्छे थे। अब कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य दूसरों को भी बोलना है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर आप चाहें मुनासिब समझें और कुछ समय दें तो मैं बोल सकता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, प्लीज आर्डर।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूं साहब।

जो पुलिस एक्ट है जिस पर माननीय श्री गोविन्द सिंह जी ने अपने विचार अभी रखे, उस पुलिस एक्ट में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए गम्भीरता से सोचकर आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है, बूंदी जिले में एक तीर्थ गांव है उसमें आज से 6 माह पहले एक साधारण सी बात पर केशोरायपाटन के थानेदार ने गलत और बेबुनियादी तरीके से सारे के सारे गांव वालों को मुलजिम बना दिया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर एस. एच. ओ. और पुलिस अधिकारी नाजायज हरकतें करके गांव वालों को परेशान करते हैं तो सरकार को उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ····

श्री सभापति : हो गया माननीय सदस्य, अब समाप्त करें बाकी का लिख कर दे दें आप। आर्डर प्लीज। Sitdown. आपने काफी टाइम ले लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1976 में जब वह····

एक माननीय सदस्य : वे तो अब हैं नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मत हो, चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने अनेक भ्रष्ट अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर निकाल दिया था। मुझे इस बात का खेद है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्हें मौजूदा मुख्य मंत्री ने उस समय निकाला, जनता पार्टी के शासन ने बिना सोचे समझे, बिना किसी बात के, हजारों लाखों रुपया देकर वापिस ले लिया। एक ओर सारे हमारे मित्र भ्रष्टाचार की आलोचना करना चाहते हैं दूसरी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी अगर भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल दें तो पूरे हर्जाने के साथ दो साल घर बैठा कर पूरी रकम के साथ उनको वापिस ले लेते हैं। फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा····

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : कि फिर उसी प्रकार का कदम उठायें। जो अधिकारी ईमानदार हैं उनको आगे बढ़ायें, जो भ्रष्ट हैं उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर निकालें।

अन्त में जिस प्रकार साहस से माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक आई. पी. एस. आफिसर को एक साधारण सी बात पर जो यहां भी उठी, उनको सस्पेण्ड किया।····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजा मानसिंह का काण्ड हुआ उसमें निष्पक्ष जांच करायी मुख्य मंत्री जी की मैं इस बात के लिए सराहना करना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस प्रकार का कदम उठाते रहें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा : और आम जनता आपके कदमों का स्वागत करेगी। जयहिन्द।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री हरीश शर्मा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति महोदया

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य सिटडाउन माननीय सदस्य कृपा बैठें। माननीय सदस्य जिस आर्डर में नाम है बिल्कुल ईमानदारी से उसी आर्डर में बुलवाया जा रहा है इसमें चेयर का कोई डिस्क्रशन नहीं है।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय सभापति महोदया, मुझे पहले एक बात कह देनी है, जिस पर आम जनता को दिन प्रति दिन शिकायत है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने, और मंत्रीयों ने यह समझ लिया कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही मत करो क्योंकि इनका मोरल डाउन हो जायेगा। परिणाम यह हुआ, पुलिस निरंकुश और अत्याचारी बन गयी। सभापति महोदया, आप देखिये, मार्च, 1985 जब से कांग्रेस का बहुमत आया है, मेरे क्षेत्र में मानव पर अत्याचार, बलात्कार, डकैती और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गृह मंत्री जी आप यहां बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात बता देना चाहता हूं, पहले एक बात बताऊं, अभी 29 मई, 85 को गांव करणवास तहसील खानपुर में भारी डकैती हुई किन्तु मुझे आज रिपोर्ट दी। मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब यहां गया हो। मुख्य मंत्री जी की रिपोर्ट आयी है उसमें कहा कि वहां डकैती नहीं हुई उसका कारण यह था कि डकैती डालने वाले प्रभावशाली व्यक्ति थे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं अगर डकैती नहीं हुई हो तो मैं अभी आपको त्याग पत्र लिख कर देता हूं। अगर हुई है तो आपको बताना चाहता हूं, आप उनको बचाना चाहते हैं। सभापति महोदया, इस डकैती में देखिये करणवास के श्री भीमराज नागर के यहां डकैती हुई, रात के तीन बजे, दो लाख का माल और सामान लूटा, 52 तोला सोना, 11 किलो चांदी, 9700 नगदी। जिस प्रकार डकैती हुई, पुलिस ने मुठभेड़ करके, गोलियों के बल पर इनको पकड़ा था। बसलाई गांव के कजोडीमल को पकड़ा और मुठभेड़ में उसको पकड़ने के बाद उन्होंने श्रवण मीणा को पकड़ा, इन्होंने नाम बताये लोगों के, मोहनसिंह, जहां माल बरामद हुआ और छोटेसिंह के यहां, ये बिसलाई गांव के लोग हैं। सभापति महोदया, इस डकैती में इतना माल था, यह देखिये। इनको क्यों बचाया रहा है? कैसे बचाना चाहते हैं, मैं बता देना चाहता हूं। अपराधियों को पकड़ने के बाद उनसे पूछा गया, बोलो कौन सा माल कहां कहां गया। यह माल सारा सारथल, एक ठिकाना कोटा जिले का है। वहां पर जयपुर से वायरलैस से कहा गया, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाय, इस केस को खतम कर दो। इसलिए आज परिणाम हुआ। एक प्रभावशाली व्यक्ति जो सफेद कपड़े पहिन कर, इज्जतदार आदमी बन कर, गरीबों के यहां डकैती डाल कर माल

(श्री हरीश शर्मा)

लूटता है उसको बचाने के खातिर सारचल पुलिस को वापिस बुला कर उनसे रिपोर्ट चाही थी। गृह मंत्री जी मैं निवेदन करता हूं कि मैं अगर झूठ बोलूं तो, या तो आप त्याग पत्र दे दो नहीं तो मैं देता हूं, अगर डकैती नहीं हुई हो तो। आप रिपोर्ट मंगवा कर देखिये ...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : काहे को त्याग पत्र दे रहे हो वापिस आना मुश्किल हो जायेगा।

(म. प. 4.40)

(श्री गिरराज प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मैंने जिस बात को पकडा है उसको पूरा किया है। बाकी तो मेरी आवाज जरूर कमजोर हो गयी लेकिन साहस और शक्ति में कोई कमी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डकैती के साथ साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में तीन बलात्कार हुए, सरोला गांव में रात को तीन बजे 3-4 आदमी घुस गये, राव मांगीलाल की पुत्री मंजू के साथ बलात्कार किया, जब वह चिल्लायी तो सारे गांव के लोग वहां इकट्ठे हुए, वहां पर रिपोर्ट करायी लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तार नहीं करने के पीछे एक करण है पहले भी लिख कर दिया है। गृह मन्त्री महोदय को पहले निवेदन किया कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। गृह मन्त्री जी ने मेरे पत्र का जवाब दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं परन्तु उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अलीगढ़ में खेड़ा ग्राम है वहां पर बलात्कार हुआ उसकी खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उसके बाद भी आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे इलाके में बार बार बलात्कार, डकैती, चोरी होने के बाद अपराधियों को गिरफ्टार नहीं किया जाता है। करणवास में, मैं जवाब चाहूंगा माननीय गृह मन्त्री जी से, डकैती होने के बाद भी वहां का एस. पी. पुलिस वाले कह रहे हैं, कैसे लिख दिया कि कोई डकैती नहीं हुयी है। क्या यह सदन निर्णय करेगा? क्योंकि पुलिस वालों का मोरल डाउन हो जायेगा। राजा मानसिंह की हत्या के पीछे भी यही कारण था कि मोरल डाउन हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आप देखिए। 7 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बंसार गांव में हत्या हुयी, उसको, शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया। उसकी हत्या हुयी, मर्डर हुआ, आज तक उसके अपराधी गिरफ्तार नहीं हुये। दहीखेड़ा में दो हत्या हुयी उसको सरकार भी मानती है कि हत्यायें हुयी परन्तु आज तक हत्यारे गिरफ्तार नही किये गये हैं। तीसरी कालारेवा का राधेश्याम जी था, उसकी हत्या हुयी, इस प्रकार की हत्या बडी घिनौनी थी। घिनौना दृश्य था, सर कहीं पड़ा, धड़ कहीं पड़ा, हाथ पाव कहीं पड़े कोई पहचान नहीं सके इसलिए उसको काट काट कर फेंक दिया। चेहरा नहीं पहचान लिया जाय इसलिए उसको जला दिया

(श्री हरीश शर्मा)

परन्तु आज तक कोई गिरफतार नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है। जिलाधीश भीलवाड़ा की यह भैंस बैठी है, दूध देता है, घास देता है उसको, गिरफ्तार किया हरिनारायण मीणा को डी. वाई. एस. पी. ने सरोला थाने में तो उसको सरोला थाने में ही झाडा, कुत्ता कहा डी. वाई. एस. पी. ने 25 हजार खा गया और मुझे पकड़ लिया। निकालो मेरे रुपये। फिर डी. वाई. एस. पी. ने उसके हाथ जोड़े उसको जलेबी खिलाई, कचौरी खिलायी, चाय पिलाई, पानी पिलायी, हाथ जोड़कर सारी पब्लिक सरोला की वहां खड़ी थी वह सब के सामने घौंस दे रहा था। फिर भी मैं जानता हूं कि 12 मुलजिमों के नाम थे रिपोर्ट में, पांच को ही गिरफ्तार किया है। 7 को गिरफ्तार नहीं किया। 7 को गिरफ्तार न करने के पीछे धन है। लाखों रुपये का कर्जा करके लूटा लिया, ले जाओ गिरफ्तार मत करो। हत्या कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अफीम का क्षेत्र है, उनका तस्करी करने का काम है। अधिकारियों को रुपया खिलाने का काम है। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी आपको आज ही इसके बारे में वक्तव्य देना था ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी। पहले स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं। उस पर अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दे दी थी कि गृह मन्त्री जी से वक्तव्य दिलाया जायेगा और कहा था कि आज ही वक्तव्य हो जायेगा। अकलेरा थाना है उसके कितने बढ़िया थानेदार हैं। एक एक का प्रमाण साथ लेकर आया हूं। वहां अकलेरा थानेदार ने क्या किया। चांदमल सन् ऑफ शंकरलाल, ग्राम सरेडा, को गिरफ्तार किया और उससे अफीम पकड़ी गयी, 16 किलो 750 ग्राम अफीम पकड़ी गयी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, थानेदार वह बहुत बड़ा आदमी है उन्होंने क्या किया। रिपोर्ट लिखी 6 किलो 400 ग्राम की जबकि चांदमल ने कोर्ट में बयान दिया कि मेरे पास से 16 किलो 750 ग्राम अफीम पकड़ी गयी है। बाकि 10 किलो 350 ग्राम खुद खा गया। इनको मत पकड़ो इनका मोरल डाऊन हो जायेगा। गरीब को मारेगा तो वह निरकुंश हो जायेगा और उनका मोरल हाई हो जायेगा। आपको यह भय है कि पुलिस विद्रोह कर देगी, यह भय ही आपको मुसाणे में ले जायेगा। आज खानपुर क्षेत्र इस बात को जानता है कि कांग्रेस की सरकार बलात्कारी, लूटेरे और डकैतों को संरक्षण देने वाली है, उनको सहायता देने वाली है। गरीब आदमी प्रार्थना करता है तो कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास धन नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलूंगा। जितने स्थगन प्रस्ताव दिये थे सब पर इजाजत दी है। मेरे कट मोशन हैं। आप देख लें एक बार बोल लूं तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कटमोशन की सीमा में बोल रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कटमोशन पर तो बोलूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पार्टी का समय है बोलें आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री हरीश शर्मा : कोटा में आज खतरनाक स्थिति है।

एक माननीय सदस्य : आपके समझ में आ रहा है।

श्री हरीश शर्मा : मैं तो बहुत धीरे बोल रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : धीरे-धीरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या ? आप तो पास बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी अपनी समझ की बात है।

श्री हरीश शर्मा : कोटा नगर कानून और व्यवस्था की दृष्टि से इतना बिगड़ चुका है अभी इसी महीने की ताजा घटना है। विज्ञान नगर में एक अनिल जैन था उसको रात को मारा। मोटर साइकिल छीन ली, रिपोर्ट दर्ज करायी गयी विज्ञान नगर थाने में। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, अपराधी विज्ञान नगर में रहने वाला, पकडा नहीं गया। अब उससे अपराधी प्रोत्साहित हो गये, उन्होंने पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर लिया। उसको वहां पर मारा और फिर अनिल जैन ने प्रार्थना की तो चूंकि अपराधी कायस्थ थे और वहां पर एस. पी. भी कायस्थ था और जातिवाद वह मानता है उल्टे अनिल जैन को कहा गया कि बकवास बन्द, पुलिस नहीं आयेगी, बन्द कर देंगे।

मेरा एक स्थगन प्रस्ताव यह भी था।

गृह मन्त्री महोदय, आज हमारी सीमायें सुरक्षित नहीं है चाहे गगानगर में चाहें बाड़-मेर में चाहे जैसलमेर में सीमायें हैं वह सुर-क्षित नहीं हैं। इस सैक्टर में सारे के सारे पुलिस के उच्चाधिकारियों की मीटिंग हुयी उसमें आई जी, डी. आई. जी. गृह मन्त्री और अन्य मन्त्री थे। उस बैठक में पुलिस ने कहा अधिकारियों ने मन्त्री मण्डल से कहा कि पुलिस के पास इतने साधन नहीं हैं कि हम जो अवैध पाक नागरिक आये हैं, जो बीसा लेकर आये थे और उनकी अवधि समाप्त हो गयी है वे यहां पर रहने लग गये हैं, व्यापार कर रहे हैं, मतदाता सूची में नाम आ गया है। राजस्थान की स्थिति आसाम जैसी बन जायेगी। मैं कहना चाहता हू गृह मन्त्री जी इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय मुसलमान भाई हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। वह लोग इस तरह से आते जा रहे हैं। हिन्दू मुसलमान साम्प्रदायिकता की भावना पैदा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान आसाम न बन जावे। अवैध पाक नागरिक जितने आकर के बसे हैं, वह बहुत लम्बे समय से बसे हैं, 1978 से चलते आ रहे हैं लाखों की संख्या में बसे हैं और ज्यादा संख्या नही है, गगानगर, जयपुर अजमेर इसी साइड में आये हैं। इसके साथ ही आज प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां भी चल रही हैं। उसको पुलिस नियंत्रित नहीं कर पा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर क्या कर रही है पुलिस। आपके पुलिस के उच्चाधिकारी आपसे कोई हाथ जोड़कर बात करे तो कहते हैं कि बेवकूफ है भगाओ, कोई आपको मारे, आई विल हिट

(श्री हरीश शर्मा)

कहे तो आप यह प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। आतंकवादियों ने आपकी प्रधानमन्त्री को मारा उनको घर बैठाकर चाय पिला रहे हैं, जो भी हिन्दू नेता हैं जिनको पकड़ रखा है उनको छोड़ा नहीं गया है। मैं हरिमोहन जी से कहना चाहता हूं उन्होंने राम राज्य की बात कही। मुझे अखरता है। सूर्यवंशी राज्य के राम, अज्ञात सीता से विवाह करने वाले राम, शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम, वानर, नर जानवर आदि पिछड़ी जातियों के साथ रहने वाले, भोजन करने वाले राम, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी रावण से शोषित जनता को एकत्र कर उन्हीं से रावण का वध कराने वाले राम, सर्वहारा वर्ग के इस विश्व के सर्व प्रथम नेता थे राम। हरिमोहन जी वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रथम निवेदन है कि मोरल डाऊन हो जायेगा इस बात को निकाल दें क्योंकि यह बात रहेगी तो जनता दुखी हो जायेगी। करणवास की जो डकैती हुई है उन लोगों को पकड़ लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जबकि नामजद रिपोर्ट दर्ज है। गृह मन्त्री जी पुलिस इसके बारे में लिख कर देती है कि यहां पर कोई डकैती ही नहीं पड़ी। यह जो जवाब आया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य बोले। मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि करणवास की डकैती हुयी है, रूपवास में हुई, सरोला में हुयी। डकैती ही डकैती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप कानून व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो आपको वास्तव में राम का रूप धारण करना ही होगा जिससे कि पुलिस लोगों की सहायता करे और लोग धन्यवाद दें। जो भी चोर देखे वह डर कर भाग जाये लेकिन आज उल्टा हो रहा है। पुलिस से साधु सज्जन आदमी तो डरकर भागते हैं और जो गुण्डे अपराधी होते हैं वह कहते हैं, हमारा मित्र आ गया।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय फिलहाल दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : दो घण्टे नहीं, मांगे पारित होने तक वाला प्रस्ताव करो।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से सदन का समय फिलहाल दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री दलजीत सिंह।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर एक नाम से मशहूर है और वह है अपराध यहां पर आपके जितने किस्म के अपराध हैं उतने हो किस्म के अपराधी हैं। Dholpur is a

(श्री दलजीतसिंह)

swamp in whidh breed all the evils of Rajasthan.

चाहे वह डकैती हो, चाहें वहां पर औरतें बिकें, वहां पर ट्रक लूटे जायें, चाहें वहां पर खानों पर डकैती टैक्स लगे, चाहे फसल लोग बाग काटकर ले जायं। यह सब धौलपुर के अन्दर मौजूद है। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से धौलपुर की प्रगति नहीं हुई है और कोई भी उद्योगपति पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं रहा है। धौलपुर पिछले दो-तीन साल से जिला बना है और राजस्थान की मेन स्ट्रीम में आया है। यदि धौलपुर की प्रगति होनी है तो इट इज इम्पेरेटिव कि यह अपराध जो रैम्पैन्ट है वहां पर, इस जिले के अन्दर से हटाये जाय ताकि वहां पर उद्योग और उद्योगपति आ सकें और इस इलाके को अपने पैसे के साथ बढ़ा सकें। यह जिला राजस्थान की सबसे ज्यादा एडवान्टेजियस सिचुएशन में है। यह मेन जी. टी. रोड के ऊपर है जो दिल्ली से लेकर बाम्बे तक जाती है। यह मेन रेल्वे लाइन के ऊपर है जो दिल्ली से बाम्बे और दिल्ली से मद्रास को जाती है। There fore, progress, industrialisation, freedom from fear are linked with police activity in this area. मेरे क्षेत्र के अन्दर, मेरी कान्स्टीट्युएन्सी, मेरे आस-पास की दो कान्स्टीट्यूएन्सी और लगती हैं, उनका मुख्य उद्योग खनिज है। खनिज के सहारे हजारों मजदूर काम कर रहे हैं और कम से कम सैकड़ों इण्डस्ट्रीज भी हैं वहां पर। यह जो उद्योग है एक सीजनल उद्योग है। दिसम्बर के महिने से लेकर मार्च तक इसका पीक पीरियड है। एक आध महिने के लिए मई-जून में थोड़ा बहुत चलता है। एक दिन भी यदि काम रुक जाता है तो सब जितने मजदूर वहां पर हैं उनको हट जाना होता है, वहां जो लैसी हैं उनको घाटा होता है। बट अनफाचुनेटली यहां पर एक दिन के लिए ही काम नहीं रुकता है कई हफ्ते निकल जाते हैं, कभी कभी कई महिने रुक जाता है। डकैत वहां आकर व्यापार को बन्द करते हैं, काम रोक देते हैं और रेन्सन मनी की डिमांड करते हैं। आप इसको डकैती टैक्स मानिये या डकैतों की रायल्टी मानिये इसकी जो भी मॉडल आपरेण्डी है, एक डकैत आता है, एक खान के ऊपर आ जाता है। मजदूर की पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद वह एक चिन्ह भेजता है जिसका आधा हिस्सा लैसी को पहुंच जाता है और आधा हिस्सा अपने पास रखता है जब तक उसको टैक्स नहीं दिया जाता है तब तक उसकी खान नहीं चालू होती है। यह खान एक दफा बन्द नहीं की जाती है कई दफा बन्द की जाती है, अनेक डकैतों द्वारा बन्द की जाती है। यह सारा काम बंद होने से प्रोडक्शन गिरता है, प्रोडक्शन गिरता है तो सरकार की रायल्टी में कमी होती है। इसी तरह से जो ट्रक वहां पर प्लाई करते हैं जो खान को जाते हैं माल उठाने के लिए रोके जाते हैं। रोकने पर उनके पम्प, उनके टायर, उनका गीयर बाक्स सब उतारे जाते हैं, उन से पैसे भी वसूल किये जाते हैं। रात को यहां ट्रक्स या ठेले सरमथुरा से लेकर आगरा तक प्लाई करते हैं। वहां भी जाकर कई दफा महीने में एक दफा, दो महिने में एक दफा या दो दफा यह ट्रक रोके जाते हैं और सरे आम लूटे जाते हैं।

(श्री दलजीत सिंह)

On record these crimes and subsequent at rocities. रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि यह हो नहीं रहा है। यह हो रहा है। सरे आम हो रहा है डर के मारे रिपोर्ट नहीं किये जा रहे हैं डकैतों की वजह से। डर से उनका डर, इन लोगों का डर डकैतों का ज्यादा है, पुलिस का कम है। इसी कारण पुलिस को पब्लिक से सहारा लेना मुश्किल पड़ जाता है।

इसके अलावा यहां पर मवेशियों की चोरी होती है। आप सब जानते हो, एक भैंस की कीमत दो हजार से कम नहीं होती है। एक गरीब किसान, गरीब मजदूर की एक भैंस चोरी चली जाती है तो समझो उसकी एन्टायर लाइफ सेविंग्स चोरी हो जाती है, लाइफ सेविंग्स खत्म हो जाती है। एक दो पशु चोरी नहीं किये जाते हैं गांव की 20-20, 15-15 भैंसें चोरी हो जाती हैं। इस प्रान्त से ले जाकर दूसरे प्रान्त में जाकर बेची जाती हैं। पिछले रोज भी चर्चा चली थी कि यहां पर महिलायें बिकती हैं। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। काफी बहस इस सब पर हुई थी। चोरी इस इलाके में ही नहीं होती है और भी होती हैं। इस इलाके में भी आते हैं।

इसके अलावा एक नयी चीज और है कि यहां पर खड़ी खड़ी फसलें टाइम पर काटी जाती हैं ताकि जो अनुसूचित जाति के के लोग हैं, गरीब लोग हैं उनको डराया जाय ताकि वह अपनी जमीन को छोड़-छाड़कर, अपने गांव को छोड़कर चले जायं। यह सारे क्राइम प्रिवेलेण्ड हैं। क्यों? मैं इस वर्ड को स्ट्रैस करना चाहता हूं। क्योंकि धौलपुर एक पिछड़ा हुआ, नेगलेक्टेट हिस्सा राजस्थान का रहा है। इसके यहां कोई रोड्स नहीं, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है ताकि पुलिस जाकर जहां पर भी क्राइम हो रहा है या अपराध हो रहा है वहां पर शीघ्र पहुंचे।

इसके अलावा जो पुलिस फोर्स यहां पर है वह इनएडीक्वेट है, कम है। कम यों है कि जो कोटा पुलिस थाने के अन्दर होना चाहिए वह पूरा है यहां पर एक एस. एच. ओ. दो एस. आई. लगने चाहिए वह और जगह भी लगे हुए हैं पर यह एरिया एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिस्टर्ब्ड एरिया के कारण इस एरिया को, इस क्षेत्र को अलग से माना जाय और अलग से इसके अन्दर पुलिस फोर्स बढ़ायी जाय।

श्री शोपत सिंह : मिलिट्री के हवाले किया जाय।

श्री दलजीत सिंह : बहुत ही अच्छा है।

इसके अलावा यहां पर आर.ए.सी. भी पोस्टेड है। आर. ए. सी. जरूर है जो पुलिस को असिस्ट करती है काफी असिस्ट करती भी है पर यह आर. ए. सी. जो है यह डिस्ट्रिक्ट अथारिटी के नीचे आती है, एस. पी. के नीचे आता है, डी. वाई. एस. पी. के नीचे आता है, एस. एच. ओ के नीचे आता है। अब एस. एच. ओ. के ऊपर इतने अपराधों के कारण वैसे ही इतनी जिम्मेदारियां, इतना वजन है कि रोज के काम सम्भाले या एण्टी डेकॉटी में जाय। दोनों काम नहीं कर सकता है। एस. एच. ओ. महीने में 5-7-10 दिन बाहर रहते हैं

(श्री दलजीत सिंह)

क्योंकि उन्हें और भी अपने केस में कचहरियों के अन्दर जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना पड़ता है, अपने इलाके से बाहर जाना पड़ता है। तो मेरी राय है कि जो एक एण्टी डैकॉइटी विंग तो है ही वहां पर उसको और चुस्त किया जाय। जितने भी क्रिमिनल वहां पर हैं वह आइडेंटिफाई किये जायं। उनके नाम एक इन्डिपेंडेंट विंग को दिये जायं जिनका काम खाली यह रहे कि वह उन डकैतों के पीछे पड़े और उनको कानून के हवाले करे। यह हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं कर सकेगी अकेली। यह इन्डिपेंडेंटली किया जाय तभी जाकर समस्या हल हो सकेगी। इसी तरह से जो मवेशी चोरी होते हैं, जो लोग चोरी करते हैं यह एक आर्गेनाइज्ड गेम है, गिने चुने इन्हीं के नाम हैं। इन्हीं आदमियों को पकड़ा जाय, रखा जाय। ऐसे ही फसल काटने वाले भी वही है, गिने चुने आदमी हैं। जो आदमी दूसरे आदमियों को यहां रहने नहीं देना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पुलिस ट्रान्सफर की फैसिलिटीज है, ट्रासफर कण्डिशस है बिलो पार है, पुलिस की लिविंग कण्डिशन है बिलो पार है।

(5.00 म. प.)

एक बात यह है कि 100 मीटर की दूरी पर गांव के अन्दर बिजली है, पुलिस थाने के अन्दर न बिजली है न कोई टेलिफोन है। टेलिफोन वहां पर जरूर होना चाहिये ताकि कोई रिपोर्ट करना चाहें तो समय पर रिपोर्ट कर सकें। यह नहीं कि उसको 2-2, 3-3 मील की दूरी से पैदल आना पड़े रात को।

इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का यह हाल है कि वह सब आर. ए. सी. के नीचे है। पुलिस थानों के पास एक जीप है, वह भी टूटी-फूटी जीप है। उनके पास कोई ट्रक नहीं है, कोई ठेला नहीं है, समय समय पर सिविलियन्स से ठेला लेना पड़ता है ताकि वह डकैतों के पीछे जायं और सिविलियन्स अपने ठेले देने के लिये तैयार नहीं होते क्योंकि वह डकैतों से डरे हुये रहते हैं। इसलिये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पुलिस के लिये बहुत जरूरी है ताकि वह अपराधियों का मुकाबला करने की दृष्टि से ट्रबल स्थान पर पहुंच सकें।

पुलिस स्टेशन्स का बिसाइड दिस एक काम और है, जो इस क्षेत्र के अन्दर जाते हैं, कनवाय में जाते हैं। चम्बल रविन्स के बिलकुल बीच वाले हिस्से में है यहां पर न तो कोई साधन है, जीप है, साइकिल नहीं है, मोटर साइकिल नहीं है एस. एच. ओ. के लिये, डकैत यहां से पार होते है इस प्रान्त से लेकर उस प्रान्त जाते हैं Without mobility, police cannot aet. वैपन्स भी नहीं हैं काउन्टर एक्ट करने के लिये। डकैतों के पास स्टेनगन्स हैं मशीनगन्स हैं, आटो मैटिक हैं लेकिन हमारी पुलिस के पास में आउट डेटेड, 1970 के थ्री नाट थ्री (303) हैं तो यह क्या मुकाबला करेंगे डकैतों के साथ....।

(व्यवधान)

रात को कनवाय को लेकर मथुरा से लेकर धौलपुर, उसके अन्दर पुलिस का संरक्षण मिलता है, पुलिस के लोग ट्रकों के ऊपर छतों पर बैठे रहते हैं परन्तु इसका भी क्या फायदा ? रास्ते में ट्रक रोका जाय तो भरे हुये ट्रक्स क्या डकैतों का पीछा करेंगे

(श्री दलजीत सिंह)

इसलिये वहां पर साधन होने चाहिये ताकि कनवाय के साथ उनका पीछा करें।

हमारी पुलिस और बढ़नी चाहिये, ट्रबल स्पाट हैं जैसे मादमपुर, मादमपुर ऐसी जगह है, जैसे आईलैण्ड जैसा। बरसात के समय में एक नदी होने के कारण रेल लाइन्स से बिलकुल वह कट-आफ हो जाता है। इसी तरह से पदमपुर का है जो चम्बल के किनारे है, यह सारी हालत है। ज्यादा मैं खुद ही खतरे में हूं, मेरी जान खतरे में है, लेकिन मैं इतना फेम नहीं हूं कि मेरी जान खतरे में डाल सकूं। पर आपको कभी न कभी कदम उठाने पड़ेंगे, किसी न किसी को उठाने पड़ेंगे। इस जिले के ऊपर ध्यान देना होगा डिस्टर्बेड एरिया बनाना पड़ेगा.... सख्ती से काम लेना होगा। वरना....if it is a way of life, it will continue to be the way of life.

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीलाल बैरागी।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर दे रहे हैं आप, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, आ रहा है.... आप तसल्ली रखिये।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल जी आप पुराने नेता हैं, थोड़ा सुनकर जवाब देवें....

(व्यवधान)

चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी पुलिस की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। प्रदेश के हालात इस वक्त ऐसे हैं, जिसके लिये पुलिस को दोष दें या सरकार को दोष दें या मौजूदा हालत को दोष दें। हालात ऐसे हो चुके हैं, उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में आये दिन बलात्कार, आये दिन डकैतियां और आये दिन सब तरह के जुल्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, घटते नहीं जा रहे हैं। इसके अन्दर अगर गहराई से, ईमानदारी से सोचें तो एक मोटा कारण यह है कि राज्य सरकार पुलिस विभाग को आज के हालात के मुकाबले उन लोगों से लड़ने के लिये हथियार और दूसरी व्यवस्था देने में असफल रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं बीकानेर जिले के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा, ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्षजी, बीकानेर का इलाका ऐसा है जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है और काफी लम्बा है, बार्डर पर चौकियां हैं, सीमा सुरक्षा के जवानों के पास और हमारी पुलिस के पास पूरे साधन नहीं हैं। खाजू-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

वाला है, बावला है, घरसाला है, पूगल ये थाने हैं लेकिन उन नौजवान सिपहियों के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम दोष तो पुलिस को देते हैं लेकिन उनके लिये व्यवस्था करने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। आज पाकिस्तान के कई आदमी सीमा पार करके आते हैं और वापिस चले जाते हैं। ये लोग अधिकांशतः कपड़ा, अमल आदि की तस्करी का धन्धा करते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस के नौजवान उन लोगों को रोकने में असमर्थ हैं। क्योंकि उन लोगों के पास तरह तरह के हथियार हैं। और वह लड़ने में भी बहुत ताकतवर हैं, उनकी गैंग भी हैं और वह गैंग पुलिस से छिपी हुई नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं पुलिस मजबूर है, बीकानेर का इतना लम्बा चौड़ा जगल है 2–4 पुलिस के आदमी उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। 4–5 तस्कर एक साथ घुस आते हैं तो 1–2 पुलिस वालों में उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं और यदि आगे शिकायत करें अपने ऊपर के अधिकारियों को कि हमारे पास श्रीमान् जी हथियार नहीं हैं कुछ ऐसा इन्तजाम करो ताकि हम उन लोगों का मुकाबला कर सकें, लेकिन सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। पुलिस के नौजवान को सरकार ने बांस का एक डण्डा दे रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, वह डंडा देखा जाय, पता नहीं उत्तर प्रदेश से लाया गया है या बिहार से लाया गया है पुराना बांस है क्या हमारी सरकार उन बांस के डण्डों से जुर्म करने वालों, डकैतों और चोरी करने वाले, लोगों से, तस्करी करने वाले लोगों से मुकाबला कर सकती है? लेकिन यह दोष सरकार का है। उपाध्यक्ष महोदय, तस्करी करने वाले डकैती करने वाले लोगों के पास अच्छी नई जीपें होती हैं, अच्छे नौजवान होते हैं उनके पास। इसलिये बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी का अपनी फोर्स लेकर मुकाबला करने में जी हिलता है।.... नोटों से भी मुकाबला करते हैं, नोट जयपुर में भी पहुंचते हैं इस बात की मुझे जानकारी है। इसलिए हालत ऐसी हो चुकी है। आज हमको इस पर सोचना पड़ेगा चाहें हमारे यहां के नागरिक हों, चाहे पाकिस्तान के हों, वह चोरी और डकैती क्यों करते हैं। यह इसलिये करते हैं कि इन लोगों की रोटी की व्यवस्था हमारी सरकार नहीं कर सकती इसलिये डकैती करते हैं, वह लोगों से छीनते हैं। यह हालत इसलिए है। बस में चढ़ते हुए लोगों को लूट लेते हैं, खेत में पड़े हुए अनाज को उठाकर चले जाते हैं. और तो और झगड़े अधिकतर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आज हालत कमजोर है। सरकार पढ़े-लिखे नौजवान लोगों को नौकरी और रोटी की व्यवस्था नहीं करती इसलिये मजबूरी में ये अच्छे इन्सान दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। या तो वह चोरी करते हैं या वह डकैतों का संग लेते हैं या तस्करी करने वाले लोगों का वह संग लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि न तो आज के हालात में कोई पुलिस दोषी है और न ही तस्करी करने वाले और डकैती करने वाले आदमी दोषी है, उपाध्यक्षजी, यह सामने बैठी सरकार दोषी है। सरकार के पास धन नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के हाथ दोनों खड़े क्यों हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तुम रोते फिरो, इनके पास बजट है और कुछ नहीं। यह पेश कर दिया और ले जाओ, बजट तो है ही कहां। इस राजस्थान की सुरक्षा और व्यवस्था की गारन्टी इस

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

राज्य सरकार के में हाथ है। इनसे आशा तो की लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष जी आज एक छोटा सिपाही है उस पर हम चार्ज लगाते हैं और मैं भी लगाऊंगा कि इसने सौ रुपये मुकदमे में ले लिये कि फलां आदमी को बिना कारण गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी लगाकर उसको गांव में घुमा दिया, यह घटना होती है मैंने आज वालासर गांव का स्थगन प्रस्ताव दिया है। एक काश्तकार को वहां की पुलिस ने हथकड़ी लगाकर घुमाया और पीछे क्या है उनसे लेने थे और तीन सो तीन सौ रुपया दूसरी पार्टी से और लेने थे। लेकिन मुझे पता है उस सिपाही का, उसकी मां हास्पीटल में है, उसका बाप घर पर बिमार, उसकी बुआ बीमार, दवा का पैसा नहीं और मजबूरी में लोगों को लूटते हैं। इस तरह की लूट की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का एक छोटा कर्मचारी पुलिस का रिटायर होता है, उसको पीला साफा बांधते हैं हाथ में एक डण्डा देकर स्वागत करेंगे, अब तुम घर जाओ। जब वह रिटायर होकर के गरीब आदमी पुलिस से घर जाता है उसके घर में ऊंदरे छोड़े हैं, भूखे चूहे, उसके घर में कुछ भी नहीं है। जब घर से निकला वह सिपाही पुलिस में, भर्ती हुआ वापिस वह घर आया तो घर की हालत बहुत खराब है। मैं इस बात को जानता हूं कि पुलिस में कोई नौकरी करता है, बड़े अधिकारियों की बात छोड़िये जो छोटे कर्मचारी हैं, उपाध्यक्षजी, उनकी हालत खराब है, उनके परिवार की। न बच्चों को पढ़ा सका, न अपने बच्चों के पास रह सका। उनकी वाइफ अकेली बच्चे घर पर अकेले, खेती वह र नहीं सकते सारा परिवार पुलिस में रहने वाले छोटे कर्मचारी का बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। अगर गहराई में जाय तो बर्बादी की जिम्मेदार यह सरकार है, अपने आपको जो यह सरकार कहती है पुलिस के सिपाही के बच्चों को पढ़ाने की न तो व्यवस्था है, न समय पर उसके परिवार के लिये दवाई की व्यवस्था है। आज भी पुलिस में भर्ती हुआ वह आदमी मजबूर होकर के लूटने की चेष्टा करता है, समाज की जेब पर वह डाका डालता है और वह भ्रष्टाचारी होता है। हमारी पुलिस इस तरह की हालत में कन्डम हो जाती है। इतने बड़े समुद्र में चारों तरफ छोटी-छोटी गन्दगी अगर भर जाती है तो इतने बड़े, पुलिस का जो समुद्र है, सागर है वह सारा आज की तारीख में दहकता है फिर चाहे कितना ही ईमानदार आदमी हो, आज उसकी जनता कि नजर में, समाज की नजर में और इस राज की नजर में पुलिस अधिकारी की कोई खास अच्छी साख नहीं है। टेलिफोन कर देते हैं यहां से कि यह तो मेरा आदमी है। उपाध्यक्षजी, आप जानते हैं चुनाव के दिनों में क्या होता है, हमको वोट ज्यादा, ईमानदार आदमी वोट कम देते हैं चाहे उसका परिवार कितना ही बड़ा हो, उसका वोट जो है ताकतवर आदमी जो गुण्डा है, ज्यादा डकैती करता है, डकैत लोगों से दोस्ती रखता है, खूब शराब पीता है और ताकतवर है, वोट वह ज्यादा दिखाते हैं। क्यों देंगे, मैं आपको बताऊं।

(व्यवधान)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जल्दी मत कीजिये, शान्ति से बात सुनिये । आप भी वोट मांगते हैं, मैं भी मांगता हूं । उपाध्यक्षजी, गांवों में जाते है वोट मांगने के लिये, ये भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं । आज समाज जो ईमानदारी में दबा हुआ है....

(व्यवधान)

आप हसिये मत, बात सुनिये । इतना दब चुका है, वह समाज भयभीत है शोषण से और शोषण से दबा हुआ है नागरिक, तभी वह पंचायत में, और गांव की ग्वाड़ में खड़ा होकर के वोट की हां नहीं कर सकता । आखिरकार क्या होता है, जो ताकतवर, तस्कर डकैत और गुण्डा है वह कहता है वोट मैं दिलाऊंगा, वोट दिलाऊंगा पूरे गांव के, लेकिन जब ईमानदार के घर में वह घुसता है रात को, एक महिने के बाद अपनी शपथ लेने के बाद तो वह गरीब आदमी के पास आता है रिपोर्ट करता है कि मेरे घर में से माल ले गये, मेरी कोई सुनवाई नहीं मुकादमा दर्ज करो उन लोगों के खिलाफ गुण्डों के खिलाफ केस दायर होता है । लेकिन उपाध्यक्षजी सुनवाई बाद में किसकी ज्यादा होती है, जब वह दस नम्बरी गुण्डा, ताकतवर लोग पहूंच जाते हैं, पावर वाले आदमी के पास जयपुर से सीधा टेलिफोन जाता है कि भैया यह तो मेरा आदमी है, आप उनको तो माफ करो उनको किसी प्रकार निकालो । साहब मैं तो छोटा थानेदार हूं, एस. पी. को कहिये, एस. पी साहब ताकतवर आदमी हैं । टेलिफोन जाता है पावर का, एस. पी. साहब भी लटपटाते हैं, कैसे करें यह आदमी घर में घुसा है ये इतने कपड़े ले गया, गाबे ले गया और ताज्जुब नहीं बलात्कार भी कर जाते हैं । ऐसे गुण्डे लोगों को शरण कौन देता है ? शरण देती है सरकार, जो पावर में बैठे हैं लोग इस तरह के भ्रष्टचारी लोगों को और बेईमान लोगों को, समाज का शोषण करने वाले लोगों को पनाह देती है सरकार, उपाध्यक्षजी, इतना ही नहीं, बहुत बुरा हाल है आज इस राज का और समाज का कि पुलिस को हम बदनाम करते हैं । पुलिस की मैंने बात बता दी कि पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, पुलिस खुद भयभीत है । जिस राज में पुलिस भय और चिन्ता के वातावरण में होगी वह कभी समाज को न्याय नहीं दे सकेगी और जैसे ही सरकार इशारा करेगी मजबूरी में वह गलत काम करेगी । आप चाहते हैं कि पुलिस से न्याय मिले, नहीं मिलेगा आपको । न्याय मिलेगा तो ईमानदार लोगों की सरकार से मिलेगा आपकी सरकार ने आप जानते हैं....

(व्यवधान)

आप नये आदमी हैं आपको पता नहीं है । ईमानदार आदमी जिसके दिल में समाज के प्रति वफादारी होगी, जिसके सीने के भीतर वफादारी की मोहर होगी वह डकैत और गुण्डों को पनाह नहीं देगा ।लेकिन आज क्या है, उपाध्यक्षजी, हम जानते हैं, कल नये लोग एम. एल. ए. बनकर आये थे आज उनके एयरकण्डीशन है बम्बई में एयरकण्डीशन अलग है, कलकत्ता में अलग है, जिला हैडक्वार्टर पर कोठी है राजधानी में कोठी अलग है, विरोधी पक्ष के क्षेत्र में कोठी अलग है, ये धनिक कहां से आये । किस

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जरिये से आये और कौन से विभाग की मार्फत आये । उपाध्यक्षजी, पुलिस तो एक उद्योग विभाग है और उन लोगों का उद्योग विभाग, मैं जानता हूं, जहां एक थाने में थानेदार लगाना है, तो आखिर मैं भी गुलाबसिंहजी के पास जाऊंगा, थोड़े से हाथ जोड़ूंगा कि, साहब गुलाबसिंहजी मैं आपका पुराना साथी हूं; यह थानेदार तो मेरे कहने से लगा दो । तो, उपाध्यक्षजी, एक एक थानेदार को लगाने की कीमत पच्चीस हजार रुपये है । एक महिने बाद थोड़ी आंख मीच लूं यह बदलता है तो कितना कि वह पच्चीस हजार रुपये तो आ गये, नये आने के और आगये । कोई तो 6 महिने में....

श्री रामसिंह विश्नोई : आप ठेका लेते हैं क्या ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं ठेका नहीं ले रहा हूं, ठेका है लोगों का, आज इसमें ठेकेदारी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी राजस्थान में ऐसे कितने ही ठेकेदार हैं जिनकी कल क्या हालत थी आज क्या हो गयी । लेकिन पुलिस की भी मजबूरी है कि पुलिस भी उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती है । रामसिंह जी जानते हैं अच्छी तरह से इसलिये, उपाध्यक्ष जी, आज के हालात यह हैं । उपाध्यक्ष जी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गये हैं । हम यहां पर सरकार को दोष दे रहे हैं पर हम सरकार को सहयोग नहीं करेंगे तो अगर हम विधायक चुनकर आये हैं और हम ही यह कहें कि हम सत्ता पक्ष के एम.एल. ए हैं आप हमारे कहने से इनका ट्रान्सफर करो तो आपको ट्रान्सफर करना पड़ेगा नहीं तो आपकी सरकार नहीं चलेगी । आज बहुमत हम विधायकों का है हम घर चले जायेंगे और आपकी सरकार फेल हो जायेगी । तो उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की धमकी से शासन पर बुरा असर पड़ता है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि पुलिस में भ्रष्टाचार को खतम करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप समाप्त करें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस महकमें की बात बताता हूं । एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के भीतर इस परिवार में बहुत भारी भ्रष्टाचार है जातिवाद और छूआछूत का मामला जितने मेरे ख्याल से गांवों में है उससे भी ज्यादा इस पुलिस विभाग में है । आज आप को भी पता है, आप जानते भी हैं अपनी बात भी होती है इस सम्बन्ध में कि पुलिस में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के घर का अगर कोई गरीब आदमी पैदा होकर जाट चमार या कोई भी आ जावे तो उसका हलाल करते हैं अगर वह उसके ताबे नहीं आता है तो उसके खिलाफ में बड़े बड़े मठाधीश और नहीं तो और बड़े अफसर उसके लिये यह कहेंगे कि फलां फलां महिला का बोबा पकड़ लिया । जिस तरह के हालात हैं, आज यह एक चिन्ता का विषय है । किसी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का जीवन खराब करना हो तो आप विभाग के अन्दर की गहराइयों में जाकर देखें। छोटे अधिकारी को आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी जानते हैं कि इनके पास में एक मीटर लगा हुआ है कि जिसको डाउन करने से समाज और राज्य की नजर में अगर उसको खतम करना है तो उसके खिलाफ में चार्जेज लगा दो कि फलां ने कपड़ा फाड़ डाला और फलां ने भैंस ले ली तो इस तरह के हालत आज पुलिस में हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी आज पुलिस के अन्दर दो परिवार है। एक तो पुलिस का शासन करने वाला....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप तो समय के बड़े पाबन्द हैं। आपने कहा था वह याद दिला रहा हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं तो बहुत पाबन्द हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, ।आपको दोहरा रहा हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं तो बहुत पाबन्द हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पर थोड़ा दर्द है मेरी छाती में इसलिये एक मिनट में आपको बता दूं। कि हम पोलिटिक्स में रहते हैं और हम भी माननीय सदस्य एक हैं हमारे में भी मतभेद हो सकते हैं और हैं भी कुछ मुद्दों पर लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के भीतर जो मतभेद है वह यह हैं कि छोटे अफसर को बड़ा अफसर खा रहा है। उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय। समाज का गरीब आदमी पढ़कर मुश्किल से थानेदार बन जाय तो उसकी टांग खींचने की कोशिश नहीं करें। आप कितने साफ हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मारो मत जीयो और दूसरे को भी जीणे दो। बस इतनी बात कह कर इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय मुझे दिया उसके लिये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपसे यह चाहूंगा कि पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको आप खतम करावें।

श्री भवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आ रहा है।

श्री भवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था आसन की तरफ से है कि जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव थे उनको पहले बोलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलीय सदस्यों में से कम से कम एक भी नहीं बोला है अभी तक।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा मोदी जी, आयेगा। श्री भैंरूलाल मीणा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं आप आसन पर बैठकर आसन को चुनौती दे रहे हैं। आसन की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मोदी जी। श्री भैरूलाल मीणा।

(व्यवधान)

बिलकुल आ रहा है मोदी जी माननीय सदस्य। हम जल्दी जल्दी करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आसन की व्यवस्था थी, आपके द्वारा व्यवस्था दी गयी थी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक तरफ तो आप आरक्षण की बात करते हैं दूसरी तरफ आप आरक्षण वालों को बोलने नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री भैरूलाल मीणा आरक्षण के आदमी हैं।

श्री भैरूलाल मीणा।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम समय में अपने विचार खतम कर दूंगा। मैंने भी, उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र के बारे में कट मोशन दिये और मैं किसी की कुछ भी बुराई नहीं करूंगा कि कौन कितना अच्छा है या कौन बुरा है। मैं तो केवल अपने क्षेत्र की समस्या पर प्रकाश डलूंगा। सरकार उस पर ध्यान दे और पुलिस अधिकारी भी उस पर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि वह क्षेत्र बिखरा हुआ है और उस क्षेत्र के गांवों में कम से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी में कोई भी पुलिस चौकी या थाना नहीं है। यह क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण, सराडा, और झाडोल के कुछ गांवों से मिला हुआ है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 पर उदयपुर और केसरियाजी के बीच में कोई पुलिस थाना नहीं है। वहां पर लोग ट्रकों को लूटते हैं बाहर से आकर उस क्षेत्र की लड़कियों को ट्रक वाले उठाकर ले जाते हैं चोरियां भी होती हैं उस क्षेत्र में ऐसी हालत है कि वहां पर बाहर के लोग आकर गुन्डा गर्दी करते हैं। गुण्डा गर्दी के कारण और पुलिस का थाना वहां नहीं होने के कारण और कोई पुलिस चौकी पर सिपाही नहीं होने के कारण वहां पर ऐसा वातावरण बना हुआ है कि जिसको रोकने के लिये मैंने कई बार निवेदन किया। वहां पर पहले पुलिस थाना टीडी में था पर वहां आजकल एक पुलिस की चौकी है जहां पर दो पुलिस के सिपाही ऐसे दुबले पतले रहते हैं कि जिनको अगर थप्पड़ मार कर निकाल दें तो पता नहीं लगे।

इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इस तरह की गुन्डा गर्दी को रोका जाय। वहां पर उसको रोकने के लिये टीडी में थाना कायम किया जाय। उस क्षेत्र में आये दिन ट्रकों की लूट-पाट होती है, ट्रक वाले लोग बदमाशियां

(श्री भैरूंलाल मीणा)

करते हैं और बदमाशियां करके वह लोग आदिवासियों के ऊपर डाल देते हैं चोरियां, और यह कहते हैं कि आदिवासी लोग चोरी करके ले गये जबकि चोरी बाहर से आकर गुन्डे करते हैं। बाहर से गुन्डे ऐसे आते हैं जो कि आदिवासियों को तंग करते हैं और पुलिस बजाय गुन्डों के आदिवासियों को तंग करती है। इसलिये उनकी रक्षा करने के लिये यह जरूरी है। मैं यह तो नहीं कहता कि पुलिस वालों की गलती है पर एक आंखों देखा हाल आपको बताना हूंगा कई बार वहां पर बाहर के परलोग आकर गुन्डा गर्दी करते हैं और चोरियां करते हैं ट्रकें भी लूट लेते हैं और वह लोग वहां से गांवो में चले जाते हैं। जब पुलिस दस्ता वहां पर आता है तो वहां पर जो आदिवासी लोग हैं उनको घरों से पकड़ कर ले जाते हैं। रात को उनके घरों से पकड़ कर ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि वह चोर कहां गये। तो इस प्रकार की बात है कि चोरी तो कोई और करे और उन लोगों को परेशान किया जाता है अभी एक दो साल पहले की बात है कि एक ट्रक को लूट कर डाकू लोग भाग गये और वह लोग लूट कर जाते वक्त जंगल में से निकल कर भाग गये पर वहां पर पीछे से पुलिस आई। और वहां पर जो लोग माइन्स में काम करते हैं, जो कि झोपड़ों में रहते हैं, पुलिस ने सोते हुए लोगों को ले जाकर मार पीट की। उसके बाद मैं खुद पुलिस थाने पर गया। मैं पुलिस वालों की बुराई नहीं कर रहा हूं पर घटना जो हुई उसको बता रहा हूं। उदयपुर पुलिस थाने में गया और मैंने जाकर कहा कि, इन्होंने चोरी नहीं की और कहा कि यह लोग माइन्स में काम करते हैं और भले आदमी हैं। मेरे कहने के बाद उनको छोड़ तो दिया पर जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि किसी पुलिस वाले की बीवी बीमार है या उसका बच्चा बीमार है तो उसके कारण पैसा लेकर वह अपने घरवालों का इलाज करा रहा है तो इस तरह पैसा लेकर उनको छोड़ दिया।

श्री शोपतसिंह : आपकी सिफारिश के बावजूद भी पैसा लेकर छोड़ा ?

श्री भैरूंलाल मीणा : बिलकुल। तो उसके बाद में कुछ ऐसे लोग उस क्षेत्र में बाहर से आते हैं, आतंक फैलाते हैं बाद में पुलिस आती है और कहती है कि फलां व्यक्ति ने लूट लिया। पुलिस वाले कहते हैं, मैं यह मानता हूं कि उनकी भी मजबूरी है, पुलिस के सामने कोई गवाही नहीं देगा तो कैसे पकड़ेंगे। पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है यह आदमी बड़ा बदमाश है, आतंक फैलाता है, पुलिस के सामने भी धक्का लगा देता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस के सब-इंस्पेक्टर को उसने धक्का लगाया, पुलिस स्वयं जानती है कि यह बड़ा बदमाश है, खूंखार आदमी है, यह मानेगा नहीं। हमने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस का दायर है उसके मुताबिक पकडना चाहिये फिर भी पुलिस उसको पकड़ती नहीं है। कई बार हमने कहा कि डर के मारे कुछ नहीं कहते हैं, ऐसी हालत में कई तरह की कई तरह की घटनायें होती हैं और पुलिस उसकी तरफ देखती नहीं है। वहां एक चौराहा है....

श्री दिग्विजय सिंह : आप दोनों खड़े मत हो, एक विराज जायें।

(म. प. 5.32)

(श्री मोहन छंगाणी, सभापति, पदासीन)

श्री भैरूलाल मेरणा : वहां शराबी नशे मे आकर झगड़ा करते हैं और पुलिस सामने खड़ी देखती है। हमने कहा कि जो बदमाश लोग झगड़ा-फसाद करते है शराब पीकर आतंक फैलाते हैं, आपके सामने सब कुछ होता है। उनको कम से कम पकड़ लीजिये और जो कस्टडी में रखने का अधिकार है वह तो करो, वह भी नहीं करते हैं। उनके स्वार्थ की कोई चीज होगी तो करेंगे। वह तंग करेंगे, परेशान करेंगे। इस तरह की मैं बात नहीं कहता कि पुलिस की गलती है, लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टि से उनको इस काम के लिए रखा है उनको सारी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं मांग करूंगा कि जब से मैं विधान सभा में आया हूं, मांग कर रहा हूं, वहां मेरे क्षेत्र में टोडी में थाना होना चाहिए। वहां 62 मील के एरिया में कोई पुलिस थाना नहीं होने के कारण नेशनल हाइवे पर कोई कंट्रोल नहीं है। यदि पुलिस थाना लगाया जाये तो उस क्षेत्र में गुण्डा गर्दी, चोर बाजारी बन्द हो सकती है यही नहीं, कभी-कभी वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहां जो दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मर जाते हैं लाश पड़ी रहती है, पुलिस बड़ी मुश्किल से आती है, दूर से आना पड़ता है तब तक लाश सड़ जाती है। इस तरह की घटनायें वहां उस क्षेत्र में होती रहती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके वहां टोडी में पुलिस थाना कायम करें। कभी कभी ऐसी भी घटनायें होती हैं, कई दफा हमने पुलिस के सामने ऐसी बातें भी कहीं कि गुण्डागर्दी को, चोरियों को रोकने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, बशर्ते आप, मैं नहीं कहता सभी पुलिस वाले ऐसे हैं, कई बदमाश होते हैं हमारे यहां भी हैं, जैसा अभी माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, कि अगर हम बतादें तो वह उस बदमाश के पास चले जायेंगे और बता देंगे, तब वह बदमाश शिकायत करने वाले को परेशान करेंगे। पुलिस वाले कह देते हैं कि फलाना आदमी ने तुम्हारी शिकायत की है, वह हमें डराते हैं कि तुमने हमारी शिकायत कैसे की, तुमको जिन्दा रहना है या नहीं, आइन्दा ऐसा काम करोगे तो तुम्हें देख लेंगे। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके रिपोर्ट करता है तो वह जाकर उस आदमी को कह देते हैं। आम जनता डरती है, भारत का कानून भी इस ढंग का बना रखा है किसी प्रकार की गवाही दें, कोई चीज देकर पुलिस को रिपोर्ट दें तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, वह तो पड़ेगी, अब पुलिस किसको पकड़े, वह कहेगी कि तुमने कैसे देखा कहां देखा था, कौन था, किस तरह से था। अदालत में जाना पड़ता है गवाही देने में परेशान हो जाते, खर्चा जेब से होता, नतीजा कुछ नहीं है, उल्टा जिनके गवाह दो वह उसको परेशान करेंगे। उसके आने-जाने का किराया नहीं देते हैं। एक तो अपनी गांठ से पैसा खर्च करके भलाई करे और कचहरी आने-जाने में परेशान और हो जाता है पेशियों में। सुबह जैसे हमारे माननीय सदस्य महोदय, कह रहे थे कि पुलिस की मदद करनी चाहिए, हम करने को तैयार भी हो जाते है, मगर वह कुछ नहीं करते। कानून ऐसे हैं जिसके कारण मदद करने वाला स्वयं फंस जाता है और चोर वहीं पकड़ा जाता। ऐसे हालात में मैं कहना चाहूंगा कि कानून बनने

(श्री भैरूंलाल मीणा)

से पहले ऐसी हालत नहीं थी। पहले जिस गांव में चोर को पकड़ना था, मेरे गाव की बात कह सकता हूं कि इतना बिखरा हुआ गांव होने के बाद अगर किसी मकान में चोरी हो जाती है तो गांव वाले एक-दूसरे को आवाज देकर चोर को जाने नहीं देते, कभी-कभी ऐसा होता कि वह सामान छोड़ कर भाग जाता है। जबकि इतना बड़ा जगल है, जगल के अन्दर खाले हैं, भागने की जगह है, फिर भी उसको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन यह कानून ऐसे बनाये गये कि मौके पर आदमी छूट जाता है, इससे हर आदमी डरने लगा कि पुलिस हमको ले जायेगी और कहेगी कि कैसे पकड़ा, कहां पकड़ा, हमारा कानून भी ऐसे अजीब ढंग का है जिससे लोग फंस जाते हैं। यह बात सही है कि कभी-कभी हम उसको शरण देते हैं। हमारा आदमी इस तरह का होता है उसको हम कहते हैं कि गलती की है तो उसको माफ कर दो। यह हमारा आदमी है। मैं अपने आप की कहूं, मैं कह देता हूं तुमने गलती की है, मेरे पास आते हैं, कोई गुनाह करके आ जाता है कि गलती हो गई हमारी मदद करो। मैं कहता हूं कि तुम ने गलती की है उसके लिए तुम्हें भुगतान पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिये कोई मदद नहीं करूंगा। इसलिये मेरे से लोग ज्यादा नाराज हैं। मैं सही बात कहता हूं कि अगर गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसे में हमसे नही होता तो वह किसी अन्य के पास जाकर कहता है और छूटकर आ जाता है और कहता है कि इन्होंने क्या कर लिया इसलिए और दुश्मनी पैदा हो जाती है। हम आजाद हैं, हमारे यहां जनतन्त्र है, एक वोटिंग सिस्टम से हमारी सरकार बनती है। हमारे यहां वोटिंग सिस्टम की परम्परा है कि हमें वोट के लिए जाना पड़ता है। हम गांव में जाते हैं, और प्रभावशाली व्यक्ति को पकड़ते हैं कि यह सारे वोट गांव के बटोरकर लायेगा और यह कोई गलत काम करे तो हम उसको शरण देते है क्योंकि मुझे तो वोट मिलना चाहिए, मुझे तो विधान सभा में जीतकर जाना है, यह हमारी परम्परा है। यह बिलकुल वाजिब बात है। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसके प्रभाव से वोट ज्यादा मिलते हैं वह जितनी गलती करता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। सही मायने में समाज में इस गन्दगी को रोकने के लिए हमें अपने आपको साफ करना होगा। अगर जनता का हम पर विश्वास है तो जनता हमें वोट देगी। अगर हम सोचते हैं, डरते हैं कि किसी तरह से जीतकर विधान सभा में पहुंचना है, यही भावना रही तो हम जो व्यवस्था चाहते हैं वह नहीं हो सकती है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको मद्दे नजर रखते हुए ऐसे गन्दे लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी यह जिम्मेदारी है। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि उनको तनख्वाह बढ़ानी चाहिए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल मीणा : उनका वेतन बढ़ाना चाहिए, उनका डी. ए. बढ़ाना चाहिए ताकि वह ऐसे गलत काम नहीं करें। जनता को परेशान नहीं करें। बात सही है, लेकिन

(श्री भैरू लाल मीणा)

बढ़ाने के बाद भी जो हमारी संस्कृति है, हमें जितना मिलता जायेगा हमारा लालच कम नहीं होगा। हम और भी उसके अन्दर प्रोत्साहित होंगे। हमारी आत्मा सही होनी चाहिए कि जितना हमको मिलता है उसकी ड्यूटी बजानी चाहिए। हम अगर एक-दूसरे को भड़का कर गुमराह करेंगे तो वह व्यक्ति नहीं डरेंगे और कहेंगे कि हमारी पैरवी एम. एल. ए. साहब कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ, अगर हम नहीं निभायेंगे तो वह भी जिम्मेदारी से दूर हट जाता है। वह नौकरी करता है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है उसको निभाने की, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे क्षेत्र का जो भी विकास का काम है, अन्याय होता है, जो कुछ अव्यवस्था है, उसको दूर करने के लिए, विकास के लिए, जनता ने हमें यहां भेजा है। अगर अव्यवस्था है तो हम इसी सदन में रखते हैं और उसकी मदद करने के लिए जो जिम्मेदार सरकार में बैठते हैं, मंत्री महोदय, उसके लिए ध्यान दें। अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए जिससे हमारी भी कुछ इमेज बढ़े और गांव में जो अव्यवस्था फैलती है उसका समाधान हो सके। तब तो वह काम ठीक रहता है लेकिन एक तरफ अच्छी बात कहें और दूसरी तरफ कहेंगे कि हमको यह करना पड़ेगा। तुम ऐसा काम मत करो, ऐसा करने से तनख्वाह बढ़नी चाहिए और नहीं बढ़ाने से हड़ताल कर दो। मैं खुद भी एक लेबर लीडर हूं। मुझे पत्रकारों ने एक प्रश्न पूछा था कि आप लेबर लीडर होने के बाद भी विधान सभा में क्यों नहीं बोले। मैं इसलिए नहीं बोला कि जितनी भी यूनियन हमारे कन्ट्रोल में काम करती हैं उनको हम टेबल पर बैठकर तरीके से उनकी जो भी जायज मांगे हैं समझौता कर लेते हैं और हम किसी तरह का झगड़ा फसाद नहीं करते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरू लाल मीणा : मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी मांग को रखने के पहले जायज नाजायज को तोल कर रखना चाहिये क्योंकि चीज मांगने के पहले सोच समझकर कि यह हमको मिल पायेगी या नहीं, यह समस्या हल होगी या नहीं होगी तभी जाकर हम समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। आगे वाले की कैपेसिटी समझकर कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से वह हो सकती है। अगर उसको समझें नहीं, हल्ला-गुल्ला करते रहें और जानते हैं कि यहां गलती हो रही है फिर भी लोगों को दिखाने के लिए चिल्ला करके कुछ पचास लोगों को इकट्ठा कर अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए हम पचास बातें खड़ी कर सकते हैं और हजारों का हमारा साथ हो सकता है। लेकिन सही बात समझकर हम कहेंगे तो यह बात सही है कि आज का जमाना ऐसा है कि जो ज्यादा उखाड़ पछाड़ करता है उसके साथ जनता भी हो जाती है और जो सही बात कहता है तो जनता भी कहती है ठीक है यह तो कहता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारा सब का दिमाग ऐसा होना चाहिए, इस देश में अव्यवस्था को दूर करने की भावना सही है। यह जो गुण्डागर्दी होती है, चोरियां होती हैं इसकी रोकथाम होनी चाहिए....

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री भैरू'लाल मीणा : ....इसलिए मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए और टीडी में पुलिस थाना हो, इससे उस क्षेत्र की हमारी समस्यायें हल हो जायेंगी। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय टीडी में थाना देने की घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य सबको मौका मिलेगा। आप संक्षिप्त रहिये..

श्री डूंगरराम : एडजोर्नमेंट मोशन के आधार पर देने का था।

श्री सभापति : सब को मिलेगा मौका निश्चिंत रहिये आप।....

श्री डूंगरराम : इसका सवाल नहीं है।

श्री शोपत सिंह : सभापति महोदय, ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने दल पर आपकी विशेष कृपा हो रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप कृपया शांत रहें। सब को मौका मिलेगा। जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको भी मौका मिलेगा और जिनके कटौती प्रस्ताव हैं उनको भी मौका मिलेगा। श्री मुक्तिलाल मोदी।........माननीय सदस्य आप सब को मौका मिलेगा।

श्री शोपत सिंह : × × ×

सुश्री पुष्पा जैन : पाइन्ट आफ आर्डर सर.....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय सभापति जी, एक व्यवस्था चाहिए। माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा सब समझा हुआ है। ....आपको सब को मौका मिलेगा।.... आपको सब को मौका मिलेगा। जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और जिन्होंने नहीं दिये हैं उनको भी मौका मिलेगा।........माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने नहीं दिये है उनको भी मौका मिलेगा।.... थोड़ा शांत रहिये। थोड़ा शात रहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए माननीय सदस्य का उसमें नाम नहीं है। जिनको प्राथमिकता देनी है उनका नम्बर रह जायेगा।....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, आपको भी मौका मिलेगा। आप भी बोलेंगे और सब बोलेंगे। श्री मुक्तिलाल मोदी।

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री दिग्विजय सिंह : इस तरह तो सब माननीय सदस्य अपने एडजर्नमेंट मोशन देकर ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि आप शांत रहें....

सुश्री पुष्पा जैन : हमको एक मिनट सुन तो लीजिए आप कि हम क्या कह रहे हैं ।.....

श्री सभापति : नहीं, नहीं आपको भी मौका मिलेगा । माननीय सदस्या को निश्चित मौका मिलेगा....

सुश्री पुष्पा जैन : मैं दूसरी बात कह रही हूं । मौका नहीं मांग रही हूं....

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, हम लोगों ने सूची दी है उसका क्या हो रहा है ? एक को भी मौका नहीं दिया अभी तक । एक को भी नहीं दिया ।........ सूची में से किसी को नहीं दिया ।

श्री सभापति : इसके बाद आपका नम्बर है ।

श्री नत्थीसिंह : यह बहुत गलत बात है ।........

श्री सभापति : गलत बात नहीं है । आप सुनिये....

श्री नत्थीसिंह : ××× मेरे दल ने सूची दी हुई है....

श्री सभापति : आपको निश्चित मौका मिलेगा । मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप शांत रहिये । श्री मुक्तिलाल मोदी....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी....

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर....

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति जी, एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हुई है हाउस में । मैं समझ नहीं पा रहा हूं । जीरो आवर खतम होने के बाद जब डिमाण्ड शुरू हुई तो इस हाउस में मुझे एक अजीब सा तमाशा नजर आ रहा है । बहस किस प्रकार से सार्थक बने....

श्रीमती बीना काक : उनको बोलने दीजिए....

श्री सभापति : जितने भी माननीय सदस्य हैं वह सब सार्थक बातें कह रहे हैं यह मैं मानकर चलता हूं इसलिए आप कृपया शांत रहें । आपके दल को भी खूब मौका मिलेगा ।.....

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । मेरी बात पहले पूरी सुन लें, सभापति महोदय,

(व्यवधान)

तभी तो कुछ कहेंगे.....नहीं आप सुनिये, सभापति महोदय....

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इनके दल से तीन आदमी बोल चुके हैं पहले ।

श्री यदुनाथ सिंह :....पुलिस के कट-मोशन पड़े होंगे दो हजार । लेकिन जो सूची दी गयी है उसमें से किसी को नहीं बुलाया और इसको जीरो आवर की तरह से ही चलायें....

श्री सभापति : सूची के हिसाब से ही माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा ।....

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य, शांत रहें ।

श्री नत्थीसिंह : अभी तक तो नहीं मिला ।

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री मती बीना काक : काहे का पाइन्ट आफ आर्डर । बैठ जाइये ।

सुश्री पुष्पा जैन : आपके फायदे की ही बात कर रही हूं । सभापति महोदय, मैं बोलने का मौका नहीं मांग रही हूं । मैं इतना जानना चाहती हूं कि लिस्ट के मुताबिक बता दें कि हमारा नम्बर कौन सा है ?

श्री सभापति : हम उस हिसाब से बता नहीं सकते । आपके नेता महोदय जिस प्रकार से लिस्ट देते हैं....

(व्यवधान)

....माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें निश्चिन्त तौर से आपको समय मिलेगा । आपको मौका मिलेगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : 11 बजे तक बैठे रहेंगे क्या हम यहां पर ? यह कौन सा तरीका हुआ । हमें मालूम हो जाये कि कट-मोशन से नम्बर आ रहा है या एडजर्नमेंट मोशन में से ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शांत रहिये । आप सहयोग करेंगे तभी सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चल पायेगी ।

सुश्री पुष्पा जैन : मौका मत दीजिए चाहे आप ।

श्री सभापति : नहीं, मौका देंगे ।

सुश्री पुष्पा जैन : मत दीजिए चाहे ।

श्रीमती बीना काक : मैं भी कुछ कहना चाहती हूं ।

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा । आप सहयोग करें सब को मौका मिलेगा ।

श्रीमती बीना काक : माननीय सभापति जी, मेरी बात तो सुनिये आप ।......

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी ।

श्री डूंगरराम : सभापति महोदय, मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए । मैं बोलता नहीं हूं । मैं बोल नहीं रहा हूं । बोलने की गरज से खड़ा नहीं हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, ने यह कहा था कि पुलिस की डिमाण्ड के ऊपर उनको जिनके पुलिस से संबंधित एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनको मौका पहले दिया जायेगा । वह नहीं दिया जा रहा है । आसन की तरफ से व्यवस्था हुई है । आप भूल गए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और जो बिना स्थगन प्रस्ताव के और बिना कटौती प्रस्ताव के बोलना चाहेंगे उनको भी निश्चित तौर से मौका मिलेगा। अब निवेदन है कि कृपया सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलाने दीजिए आपको अवश्य मौका मिलेगा।

श्री डुंगरराम : सैकिण्ड प्रस्ताव की बात कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा...

श्री डुंगरराम : ····कहा था कि 12 तारीख को मौका दिया है। पुलिस से सम्बंधित है उनको डिमाण्ड पर बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सभापति : मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आपको अवश्य मौका मिलेगा। कृपया बैठिये। मैंने देख लिया है आपका नाम है आपको भी मौका मिलेगा। श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्रीमती बीना काक : हमने लिख कर दिया है आपने प्रायोरिटी दे दी पहले।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, आज सरकार ने पुलिस की मांग रखी है

श्रीमती बीना काक : ××××

श्री मुक्तिलाल मोदी : ····मैं आपसे माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान····

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय सदस्या ने यह कहा है आपके लिए कि इस कुर्सी पर आते ही आपने इनके साथ पार्शलिटी की है। यह बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन की अपनी मर्यादा रहती है। जो सूची मिली है····

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। माननीय सदस्या ने आसन पर पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है····

श्रीमती बीना काक : तारीफ ही की है।

श्री सभापति : आप कृपया शांत रहें। श्री मुक्तिलाल मोदी कृपया शांति रखिये आप, आपसे नम्र निवेदन है कि आप शांत रहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह वाक आउट कर रही हैं इसी बात पर।

श्री सभापति : हां चलिये आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, आज सरकार की तरफ से पुलिस की मांग रखी गयी है यह तो बिल्कुल ठीक है। परन्तु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज पुलिस के अन्दर जो भ्रष्टाचार है वह भ्रष्टाचार हम लोग फैलाते हैं। पुलिस के अन्दर जो थानेदार है

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

उसको कौन भ्रष्ट करता है वह नेता लोग भ्रष्ट करते हैं, पालिटिकल लोग भ्रष्ट करते हैं और वह खुद भी भ्रष्ट होते हैं। आज टेलिफोन से डी. एस. पी. को भ्रष्ट करने वाले नेता लोग हैं एम. एल. ए. हैं, मिनिस्टर हैं और दूसरे पोलिटिकल जो आज कांग्रेस के अन्दर हैं वे लोग हैं। पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट करने वाले वे लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

मैं, माननीय सभापति जी, कहना चाहता हूं इस बात के लिये कोई मिनिस्टर आर्डर दे....

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति जी, पुलिस की × × × हो रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ....पुलिस से टेलिफोन से बात नहीं करें लिखकर राइटिंग में दें। डी. एस. पी. के लिये, थानेदार के लिये, दूसरा एस. पी. के लिये और डी. आई. जी. के लिये टेलिफोन से जो कि एम. एल. ए. समझ लीजिये, पोलिटिकल नेता समझ लीजिये, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से विनम्र निवेदन है आज यदि कोई एम. एल. ए., जो भी कोई नेता, जो भी कोई मिनिस्टर हो वह टेलिफोन के ऊपर किसी अधिकारी को कह दे वह बात नहीं मानी जाये। उससे राजस्थान के अन्दर माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के अन्दर ताकत आयेगी मजबूती आयेगी और वे काम करेंगे। नहीं तो क्या होता है, आज जो पुलिस अधिकारी के अधीन मेरे इलाके के अन्दर मर्डर हुए हैं आज तक उस मर्डर का सबूत नहीं मिला। एक लड़का जो कि राड़ावास गांव से गायब हो गया आज तक उस लड़के का सबूत नहीं कर सके। बड़े दुख की बात है। मास्टर और लड़कों के सामने उस लड़के की फोटो आज तक उस लड़के का कोई पता नहीं। उसमें हम लोगों का हाथ है इसलिये यह बात हो रही है....

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम बतायें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पोलिटिकल लोगों का हाथ है। क्या बात करते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम बताओ वह कौन है। माननीय सभापति जी, माननीय मुक्तिलाल जी ने यह कहा है कि उस व्यक्ति को साबुत नहीं कर सके, साबुत से इनका मतलब बरामदगी से है अगर कोई बरामदगी की बाधा आ रही है पोलिटिकल लोग, विधायक है, उनमें कोई है। जितने विधायक हैं सब पर चार्ज होगा, नाम स्पैसिफाई करे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुक्तिलाल जी मोदी जनरल बात कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जनरल नहीं कही उन्होंने। He should name. He should name.

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जनरल बात कही है—

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं अभी बताता हूं....

श्री डूंगरराम : इस बात को स्पष्ट किया जाये। यह चार्ज होगा एम. एल. एज पर कि हम इनके साथ हैं इस प्रकार की जो बात कही है, यह नहीं होनी चाहिये। स्पष्ट कहें कौन है वह राजनैतिक नेता या एम. एल. ए. किसका हाथ है, स्पष्ट करें....

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक बात और बताता हूं ....। अमरापुरा गांव के अन्दर जो बैराठ तहसील के अन्दर हैं, एक आदमी को मारा और पीटा। आज तक पुलिस ने उन आदमियों को बिल्कुल नहीं पकड़ा।....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एम. एल. ए. कौन है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : पोलिटिकल दबाव से नहीं पकड़ा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपको और कहना चाहता हूं....

श्री दिग्विजय सिंह : आप पर किन का दबाव है नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : नाम सब पता है ××× माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस के जरिये एक 13 वर्ष की लड़की की शादी कराई गई। आप देखिये और बताता हूं आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोटपूतली के अन्दर सुन्दरपुरा गांव के अन्दर एक आदमी को मार दिया और उसके अन्दर पुलिस ने आज दिन तक कुछ नहीं किया। आज तक उसका पता नहीं लागया, सभापति जी। कोटपूतली तहसील के अन्दर करीब चालीस चोरियां हो गईं उसका आज तक पुलिस ने पता नहीं लगाया और डी. एस. पी. जो बिल्कुल भ्रष्टाचारी था मैंने चीफ मिनिस्टर से बात कह कर उस डी. एस. पी. को हटवाया और हटाकर के दूसरे को भेजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डी. एस. पी. को हटाने के अन्दर चीफ मिनिस्टर के आर्डर को टेलिफोन के जरिये उनकी पालना नहीं होने दी। मैं फिर चीफ मिनिस्टर साहब से मिला साहब यह बात क्यों नहीं हो रही है, आपके आंर्डर का पालन क्यों नहीं हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य जानते हैं मुक्तिलाल जी, मोदी के बारे में। आप थोड़ा इन्हें क्षमा ही करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य सबसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं और आप दूर नहीं हैं। आज मैं आपके साथ हूं इन लोगों के साथ भी समझ लो। निर्दलीय चुनकर आया हूं और कोई दूसरी बात नहीं आप और इन दोनों के साथ हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, कि आज

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पुलिस के जो थाने हैं, कम हैं पापूलेशन तो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। हमारे राजस्थान के अन्दर पापूलेशन दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है....

श्री सभापति : यह दुर्भाग्य है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : और थानों की हालत, थाने है कम। सब माननीय सदस्यो ने कहा है इन थानों काय ह करना चाहिये कि 50 हजार की पापुलेशन पर करेंगे या 30 हजार की पापूलेशन पर करेंगे या एक लाख की पापूलेशन पर करेंगे। उस पापूलेशन के आधार पर उन गांवों में थाने होने चाहिये और आज पुलिस के अन्दर डी. आई. जी. कितने सारे हैं, एडीशनल आई. जी कितने सारे हैं....

एक माननीय सदस्य : आई. जी. बहुत हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एडीशनल आई. जी, डी. आई. जी। कोई क्राइम का हैं, कोई सी. आई. डी का है कोई काहे का, कोई काहे का है। तो मैं यह कहना चाहता हूं जो माननीय सदस्य कहते हैं कि एक एडीशनल आई जी को हटा दें तो 10 थानेदार लिये जा सकते हैं। डी आई जी को को हटा दें तो पांच थानेदार लिये जा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है माननीय सभापति जी, आज हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से मैं यह कहना चाहता हूं कि एम. एल. ए. की बात, दूसरे जो पोलिटिकल मैन हैं उनकी बात को न मानकर और सही मायने में जज करके उस काम को करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आपको हमेशा के लिये याद करेगी। आज राजीव गांधी ने कुछ एम. एल. ए. को टिकट नहीं दिया और कुछ को दिया है और कुछ हार गये हैं। भगवान के घर भी न्याय है अन्याय नहीं है। आज मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर से आप गलत काम मत कराओ, सही काम कराओ, और उसके हाथ मजबूत करो। इसलिये मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज जो पुलिस के अधिकारी हैं आज हर आदमी यह कहता है कि साहब सी. आई. डी. में केस भिजवा दो, अरे भाई यह क्या बात है, पुलिस से हमारा विश्वास उठ गया क्या? तो यह जो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, कि लोगों के अन्दर पुलिस की जो भावना है जो आज से 10 वर्ष और 15 वर्ष पहले थी वह भावना पुलिस के अन्दर उठ गई। लोगों में पुलिस का विश्वास उठ गया। माननीय सभापति जी, इस विश्वास को अगर राजस्थान सरकार नहीं जमायेगी हर आदमी के दिमाग के अन्दर कि पुलिस सही काम करेगी, थानेदार सही काम करेगा या नहीं करेगा यह सवाल रहेगा इनका इन्क्रीमेंट रोका जायेगा, तरक्की रोकी जायेगी, इनको लाइन भेजा जायेगा यह सख्ती होनी चाहिए।

(6.00 सायं)

यह जब तक सख्ती सरकार नहीं करेगी सरकार, तब तक काम पूरा नहीं पड़ेगा। डी. वाई. एस. पी. गलत काम करता है। जो एक डी. वाई. एस. पी. लगा हुआ है

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

और उसके थाने में मर्डर हो जाता है उस थाने में जिसका मर्डर हो और पता ही नहीं चले, चोरी का पता नहीं चले ऐसे डी. वाई. एस. पी. को बिठाये रखें तो यह चलने वाली बात नहीं है। राजस्थान में जब जगीदारों के जमाने में हम लोग मरने को तैयार हुये थे, उसी तरह हमको जनता को जगाना पड़ेगा और जो भी पोलीटिकल मेन है, जो भी पुलिस का आदमी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और मैं यह सब काम करके बैठा हूं। माननीय सभापति जी, इसलिये मैं कहना चाहता हूं भाइयों, अगर पुलिस में भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ आवाज उठावो। जब तक आवाज नहीं उठावोगे, सरकार से कहो अगर सरकार नहीं मानती है तो अखबारों में दूसरे साधन हैं, उनसे आवाज उठावो। तबादले की जो बात करते हैं उस तबादले से कुछ नहीं होगा। वह तो दूसरी जगह जाकर वही काम करेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं पुलिस में 50-60 लाख रुपया ऐसा है जिसका कुछ पता नहीं है....

एक माननीय सदस्य : सिक्रेट फण्ड है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सीक्रेट फण्ड है। अब वह सिक्रेट फण्ड या तो मेरे जैसे आदमी के काम में आता है। माननीय सभापति जी, और किसी के काम में आता है तो वह सीक्रेट फण्ड आज जो पुलिस के कान्स्टेबिल हैं जहां पुलिस की या थाने की कमी है उसमें वह सिक्रेट फण्ड काम में लिया जाय। नहीं तो, माननीय सभापति जी, मैं आपको कहना चाहता हूं उस सिक्रेट फण्ड का दुरुपयोग होता है। सही उपयोग नहीं होता है और....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह कैसे ?

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : .... माननीय सभापति जी, सिक्रेट फण्ड की मैं आपको पोल बताता हूं सुनो। माननीय सभापति जी, यह सिक्रेट फण्ड ऐसा है जो मिनिस्टर है, जो आफिसर का मर्जीदान है, डी. वाई. एस. पी. हो, एडीशनल आई. जी हो एस पी हो वह इस सिक्रेट फण्ड के अन्दर पैसा खर्च करता है मैं आपको बताता हूं माननीय सभापति जी, एक मिनट और लूंगा। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो आज अगर एम एल ए है, माननीय सदस्य के अन्दर कोई कमी है तो उस कमी को सरकार समझावे और गलत काम न करे। अगर सरकार के अन्दर कमी है तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा मजबूती से इस सरकार का मुकाबला करें ताकि गलत काम न हो। कई मेरे भाई इलेक्शन में हार गये हैं या किसी को टिकट नहीं मिला है, किसी को और किसी काम में कांग्रेस का अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोई यूथ कांग्रेस, पचासों झगड़े हैं बाबा, कोई कम्यूनिस्ट है कोई समाजवादी है, कोई क्या है और कोई क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं जो पदाधिकारी हैं वे रहें। इस सरकार से नम्र निवेदन है और राजीव गांधी की बात पर चलते हो और राजीव गांधी की बात लेकर सरकार बनाई है तो

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

मैं माननीय सभापति जी, से यह कहना चाहता हूं कोई भी गलत काम है, वह गलत काम मत करिये तब तो हम हर आदमी के सामने मजबूती से मुकाबला कर सकेंगे। आज जो थाने हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज थाने कितने हैं, आज जो इतना बजट है उसमें जो थानों की कमी है, जो चौकियों की कमी है, उसको पूरा करेंगे क्योंकि मेरे भी हरियाणा बोर्डर लगता है। सभापति जी, मैं भी दुखी तो बहुत हूं लेकिन मैं खुद मुकाबला करूंगा तब पार पड़ेगी।

श्री चम्पालाल बांठिया : (पचपदरा) माननीय सभापति जी, मैंने 2 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि भारत पाक सीमा पर जो आज इतनी लम्बी सीमा है, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है वह असुरक्षित है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि भारत पाक सीमा को सील कर दिया है और अब पाकिस्तान की तरफ से एक चिड़िया भी भारत मे प्रवेश नहीं कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जामना भारत पाक सीमा के 12 किलोमीटर में आया हुआ है और पिछले माह की 6 तारीख को पाकिस्तान के लुटेरे चार ऊंटों पर सवार होकर उस गांव के समीप आये और आकर रात को भोजन किया और रात्रि विश्राम भी वहीं किया और सुबह प्रातः होते ही दिन दाहड़े जो मात्र मेघवालों का गांव है, उस अनुसूचित जाति के गांव में सब मर्दों को बान्ध कर खड़ा कर दिया, औरतों को मजबूर किया गया, उनको लज्जित किया गया। एक कपड़ा बिछाकर, उनके पहनने के सब कपड़े खुला कर और एक जगह इकट्ठा करके सबको एक ही जगह रखवाया और जो एक घर बन्द था उसको तोड़ कर दो हजार का माल लेकर पाकिस्तान चले गये और जाते हुये भारत के नागरिकों को यह कहते हुये चले गये कि तुम्हारी सरकार में हिम्मत है तो हमारा पीछा करे। हम तो फिर आयेंगे और फिर इसी तरह से लूटेंगे। आज इस प्रकार की स्थिति बाड़मेर की, राजस्थान सीमा की है हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं भारत पाक सीमा को सील कर दिया गया है और उसके बाद एक के बाद एक डाके पड़ते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं वहां आपकी पुलिस का क्या इन्तजाम है। आज वहां एक चौकी के बाद दूसरी चौकी में इतना है कि फसला कोई अंकुश नहीं हो सकता है, पुलिस मुकाबला नहीं कर सकती है। आज तस्करी में लगे हुये आकिस्तानी सीमा के लोगों के पास आयातित गाड़ियां हैं, 6 सिलेण्डर वाली गाड़ियां हैं जो ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों को पार कर जाती हैं उन गाड़ियों का मुकाबला राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती है। अगर राजस्थान को पाकिस्तान की सीमा को सील करना है और वाकई यह काम होता है तो पाकिस्तान भारत में घुसकर इस प्रकार से आतंकित नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है कि आपको भी पुलिस को इस प्रकार की गाड़ियां देनी होंगी और उनको सतर्क करना होगा तब जाकर कुछ होगा।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

इसी प्रकार एक दूसरा गांव है, सोढन-गढ़ के पास वहां से हमारे भेड़ पालकों से पशुग्रों को छीन कर ले जाते हैं। अभी इसी प्रकार के एक केस में 15 हजार की फिरौती मांगी गई और फिरौती नहीं देने पर भारत ने पाकिस्तान को ललकारा। दो जनों को ले गये और इधर जब यह कहा गया कि हम इससे ज्यादा ले जायेंगे तब जाकर छोड़ा। आज भी वहां उनको तंग किया जा रहा है तो जो पाकिस्तान के एजेण्ट हैं तुमने मिल करके पाकिस्तान के साथ में, भारत सरकार के साथ यह किया है। एक तरफ उन लोगों की भेड़ और बकरियां जो पाकिस्तान के अन्दर हैं उनको नहीं छुड़ाया जाता। आज सीमा पर इस प्रकार से भारत की चौकियां बिल्कुल खाली पड़ी हैं। कोई इन्तजाम नहीं है। जब मर्जी आवे पाकिस्तान के लुटेरे हमारी अस्मत को लुटने के लिए, हमारे गरीब आदमियों को लूटने के लिए गांवों में घुस जावें, लूटपाट करके सकुशल लौट जावें और राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने पूरा इन्तजाम कर रखा है। आज पुलिस की मांग है, इन मांगों को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक यह गारन्टी नहीं दी जाय कि सीमा पर रहने वाले उस प्रहरी की, उन औरतों की और बच्चों की रक्षा का पूरा इन्तजाम नहीं किया जाता। आज बालोतरा के अन्दर जो बड़ा कस्बा है 45 हजार का, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि पुलिस का वायरलैस सैट आज से 15 दिन पहले बस स्टेण्ड से उठा कर कोई लोग ले गए। यह पुलिस वाले अपने वायरलैस का पता नहीं चला सकते तो हमारी और आपकी क्या रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार का माहौल आज राजस्थान की पुलिस ने कर रखा है। इसकी सारी जिम्मेदारी जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके ऊपर है। आज एक एक थाने में अपनी मर्जी से जो आदमी इनको कमा-कर देता है उनको थानेदार बनाया जाता है। उनको डी. वाई. एस. पी. लगाया जाता है। इस प्रकार से आज राजस्थान का प्रशा-सन, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निकम्मा हो गया है। ठप्प पड़ गया है। पुलिस थाने के ऊपर खड़े हुए ट्रैक्टर में से उनका डायनुमा और तेल्फ ले गए और लोगों की आज किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं। गरीब जाति की, रेवारी जाति की दो महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़े आणियने के अन्दर उनके ऊपर हमला किया गया। उनको मारा पीटा गया। एक औरत को कतल कर दी गई, आज दिन तक उस गरीब महिला को मारने वाले लोगों को, कातिलों को, डाकुओं को नहीं पकड़ा गया। आज इस प्रकार से सारी सीमा के ऊपर, पूरे बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला के अन्दर असुरक्षा की भावना है। लोग आतं-कित हैं। इस तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार में थोड़ा बहुत भी पानी शेष रहा हो, सरकार में और हिम्मत हो तो इन सीमा जिलों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करे।

आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

(अनुपस्थित)

सुश्री पुष्पा जैन : साहब, महिलाओं का भी नम्बर लीजिए। सुबह से एक नाम भी नहीं आया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मुझे आशा है कि आपकी अवश्य बारी आएगी। आपका नाम लिस्ट में है।

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : अजी साहब, आप दूसरी सूची देख रहे हैं।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल पारीक।

श्री भंवरलाल : सभापति महोदय, सूची देखिये आप।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है और आपने आसन से व्यवस्था दी है कि मैं इस मांग पर, इस डिमाण्ड पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं :-

सन् 1984 में भीलवाड़ा की पुलिस ने बड़ा अन्याय किया। पंचायत डूडिया तहसील भीलवाड़ा में ग्राम तकडिया में कजरों ने चोरी की और पुलिस ने कजरों पर मुकदमा दर्ज न कर गांव वालों पर मुकदमा दर्ज किया जिससे पूरी भीलवाड़ा की जनता में और वहां की पंचायत के लोगों में रोष है। यह मैंने दिया था।

दूसरा "मांडल क्षेत्र के थाना सरपंच पर पुलिस द्वारा गलत मुकदमा बनाकर परेशान करने पर चर्चा के लिए दिया था। मांडल क्षेत्र के लालरी ग्राम के कतिपय लोगों पर पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार पर चर्चा के लिए। भीलवाड़ा तहसील में तकडिया ग्राम में अत्याचार के लिए। मांडल क्षेत्र के नजदीक आसीन्द तहसील के रतनपुरा में पुलिस द्वारा की गयी ज्यादतियों पर चर्चा के लिए। पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।" ऐसा मैंने आपकी मार्फत किया था। मैं यह सोचता हूं कि "जो बुरा देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, दिल खोजा आपणा तो मुझ से बुरा न कोय।"

(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से कह रहा हूं। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक मार्गदर्शन में पुलिस विभाग द्वारा लगभग 50749 अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से राज्य में कानून व्यवस्था के लिए, अपराधों की रोकथाम के लिए और हमारे राजस्थाम की व्यवस्था ठीक चले इसके लिए व्यवस्था की गई है। हमारे राज्य में 577 थाने और 703 चौकियां हैं। जिसमें रेल्वे के 25 थाने और पुलिस चौकियां मिला कर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं की सारी व्यवस्थायें जनता सरकार के जाने के बाद हमारी सरकार उसको ठीक कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैंने इस सीट पर बैठ

(श्री बिहारी लाल पारीक)

कर जितने भी बुद्धिमान सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, मैं तो बुरा आदमी ही हूं लेकिन वास्तव में अलग अलग अपने मत प्रगट किए, मैं भी मेरी भावना आपके सामने प्रगट कर रहा हूं।

जनता प्रशासन का 32 महीने का एक ऐसा प्रशासन रहा, सभापति महोदय, उस 32 महिनों में 32,448 अपराध बढे थे, जो इनके कार्यकाल के थे, । मैं समझता हूं कि प्रत्येक महिने में 1014 अपराध इन्होंने बढ़ाये। कई माननीय सदस्यों ने और एक एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि यह सब अपराध कराने में एम. एल. ए. भी शामिल हैं। उनको ध्यान नहीं था कि वे क्या बोल रहे थे। मैं तो व्यवधान नहीं करना चाहता था पर मेरा समय आएगा तब मैं निश्चित रूप से इस बात को जरूर कहूंगा कि हम जन प्रतिनिधि चुन कर आए हैं। हमने शपथ ली है इस बात की कि वास्तव में अगर हम, पहली बात तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको मानव शरीर दिया और हम अच्छे हाथ पैर वाले हैं और फिर हमको जन प्रतिनिधि बना कर दो लाख के जन प्रतिनिधि, जिन्होंने वोट दिया या नहीं, उस जनता ने हमको विधान सभा में भेजा कि हम जनता के लिए पैरवी करें। यह बात सही है कि जन प्रतिनिधि सच्चा वही है जो जनता की सेवा के लिए चाहे किसी प्रकार का महकमा हो, उनके अच्छे लोगों की तारीफ करें, बुरे लोग हैं उनके लिए लड़ाई करें। और उसमें मैंने भी इसके लिए ऐसा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो एक सच्ची बात यह भी कहता हूं कि वास्तव में सच्चाई सच्चाई है और झूठ झूठ है और कितनी बार झूठ चलता है। तो मैं जब मेरे इलाके को देखता हूं तो मैंने जब अपना ध्यानाकर्षण दिया, कटमोशन दिया आपको, जानकारी माननीय सदस्यों को मिल गई होगी कि हम कितने सजग रहते हैं। अभी बलात्कार के मामलों में भी कई माननीय सदस्यों ने बातें कहीं। तो जनता पार्टी के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि हिंसा, डकैती लूट भागजानी कितने कितने हुए हैं। 1984 में जो आंकड़े हैं 1983 के आंकड़ों से जो है धीरे धीरे कम होते गए। बल्कि मैं समझता हूं कि 1983 में जितने अपराध हुए उसमें एक अपराध ज्यादा बढ़ा, ऐसी स्थिति हुई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेसी सरकार यानि हमारे हरिदेवजी जोशी के चार्ज लेने के बाद जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कई लोग तिल-मिला गए हैं। घबरा गए हैं कि जोशीजी पता नहीं कब धमाका कर सकते हैं और कब हालत खराब कर सकते हैं इन दुष्टों को। सब डरे हुए हैं और जो लोग जबर-दस्ती झूठी बात कह करके गुमराह करना चाहते हैं। उनके लिए कोई नहीं कह सकता बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि जोशीजी ने जब से चार्ज लिया तब से कई लोग घबराए हुए हैं। कई रूप मे उस बात को कई ढंग से कहना चाहते हैं यह उनकी मर्जी की बात है। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री किस तरह से यह प्रशासन ठीक तरीके से चले उसके लिए व्यवस्था करें, हम सब का कर्त्तव्य है कि हम सारे मिल करके उनका सहयोग करें जिससे राजस्थान के प्रशासन में अगर कमियां भी हैं तो वह ठीक हो जावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिवचरण जी के बारे में क्या राय है ?

श्री बिहारी लाल पारीक : मैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में एक ऐसा समय रहा, 1984-85 का जो समय अभी आया है और हम भी चुनकर आए हैं बहुत बड़ी राजस्थान में तो कमी रही, राजस्थान का पुलिस प्रशासन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहा। राजस्थान में 1984-85, यह अभी अभी पीरियड चल रहा है, मार्च के आस पास के समय में पुलिस ने उच्च कोटि की बहुत-सी उल्लेखनीय सफलतायें प्राप्त कीं, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अच्छा काम होता है, सभापति महोदय, उस बात को कहने से नहीं चूकना चाहिये। जिस समय पूरा देश आतंकवाद की समस्या से प्रभावित था, इन्दिरा गांधी की डैथ हो गई थी, कई आंतकवादी पंजाब से आकर हर प्रान्त में कई तरह की आगजनी फैला रहे थे, हमारे राजस्थान में हमारी पुलिस ने अच्छी व्यवस्था की। हमारे भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में दिन दहाड़े डकैती की, उनको हमारी पुलिस ने पंजाब जाकर पकड़ा। जनवरी, 1984 में शाहपुरा के निकट हरियाणा की बस को लूटने वाले, एम, आई रोड पर ज्वैलरी के एम्पोरियम को लूटने वाले लोगों को पकड़ कर मेरठ आदि जगहों पर हमारी पुलिस ने सफलता प्राप्त की। गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ है, वहां टावन एवं कालिया ग्राम में बैंकों को लूटा, उन आंतकवादियों को हमारे जो पुलिस के अफसर हैं उन्होंने गिरफ्तार किया। कई इस प्रकार के लुटेरे, जिन्होंने बूंदी व गुलाबपुरा आदि के बैंकों को लूटा, कोटा में कई तरह की आगजनी फैलायी, को पकड़ा। कई तरह की इन्होंने गिरफ्तारियां कीं। डकैतों से इन्होंने मुकाबला किया। हमारी पुलिस ने 27 मुठभेड़ें की उनमें भी सफलता प्राप्त की। यह बात सही है कि राहगीरों को गलत लोग आंतकवादियों के नाम से लटने लगे थे, हमारी पुलिस सजग रही, नेशनल हाइवे पर कहीं पर ट्रकों को लूटा या ट्रकों को आग लगायी उसमें भी हमारी पुलिस ने सफलता प्राप्त की। मैं यह बात सही कहूंगा कि जो पुलिस अच्छा काम करती है, जो पुलिस के अफसर अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिये। लेकिन इनकी अव्यवस्था के लिये भी मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में हमारे यहां पर जितने थाने हैं उन पर कोई व्यवस्था नहीं है। जमाना जबरदस्त देख रहे हैं अपन।

(म. प. 6.22)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि नेपाल और कई जगहों पर आंतकवादी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिनको तत्काल पकड़ने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। हर थाने पर टेलिफोन की व्यवस्था जरूर रहे, वहां गाड़ी रहे क्योंकि डकैत लोग, बदमाश लोगों के पास साधन होते हैं और वह नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जो अच्छे पुलिस अफसर हैं उनको साधन मिलें तो निश्चित रूप से

(श्री बिहारी लाल पारीक)

जनता की रक्षा के लिये उनको काम में लेंगे। मैं निवेदन करूंगा कहीं कहीं पर तो राज्य सरकार ने व्यवस्था की है पर कई थाने ऐसे हैं जिनमें व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा, अगर वहां वायरलेस की इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो सकती है, वायरलेस खुला रहता है तभी व्यवस्था होती है छोटी छोटी जगह पर वायरलेस आफिस नहीं होता है वायरलेस की खबर समय पर जाती है, तो श्रीमन्, टेलिफोन की व्यवस्था हो तो तत्काल रिपोर्ट दी जाकर नाकों पर अपराधियों को पकड़ाया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि टेलिफोन की व्यवस्था हमें प्रत्येक थाने पर करनी चाहिए। बल्कि चौकियों पर भी व्यवस्था रखनी चाहिये। जहां थाना ज्यादा बड़ा है, चौकी सरकार ने लगा रखी है वहां पर व्यवस्था नहीं है वहां, मैं चाहूंगा, टेलिफोन की व्यवस्था रहे जिससे तत्काल हमारे पुलिस कर्मचारी अपराधियों को पकड़ सकें। उनके काम की एफीशियेंसी बढ़े और जो विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ज्यादा यहां कहते हैं उनको मौका नहीं मिले। यह भी एक उपलब्धि होगी।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कई जगह ऐसी हैं या कई स्थितियां ऐसी हैं जिनमें पुलिस कर्मचारियों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आदमी भूखा होता है तो जैसे कहते हैं-"भूखा होय न भजन गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला।" जब आदमी भूखा होता है तो कुछ करता है। उनको कहीं न कहीं ठूंसते हैं इसलिये गड़बड़ी करता है। उनकी तनख्वाहें कम हैं। चार सौ रुपये एक कान्सटेबल को देते हैं आप 80-82 रुपये भत्ता देते हैं। 482) रुपये में वह क्या खाये? आज मिनिमम वेजेज 11 रुपये हैं। एक जो लेबर है उसको 11) रुपये देने पड़ते हैं उससे कुछ नहीं होता। महंगाई बढ़ रही है। मैं चाहूंगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की प्रथम इकाई यह है कि इनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय, यह मैं पैरवी कर रहा हूं और पैरवी करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जब वित्त की व्यवस्था ठीक होगी, तो उसके बच्चे बच्चों को पालने के लिये, खाना खिलाने के लिये......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरूआत भी नहीं की है। मैं कहीं गया नहीं, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का कोई हिसाब नहीं रहेगा। आपने शुरूआत ही नहीं की तो यह बताइये शुरूआत कब करेंगे।

श्री बिहारी लाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। मैंने कई बातें आपके सामने रखी हैं। दो-तीन मेरी रह गई हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था, पेट भरने की व्यवस्था मानव के लिये जरूरी है। मानव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है तो आदमी कई आदतें बरतता है। यह पुलिस वाले भी कोई लोहे के तो हैं नहीं, यह भी हमारे ही हैं। कोई हमारा बेटा है, कोई हमारा

(श्री बिहारी लाल पारीक)

भाई है, कोई हमारा काका है। परिवार के ही लोग हैं। हमारे राजस्थान के और हमारे घर के ही लोग हैं मैं जानता हूं इस बात को, जब आदमी कमजोर होगा हर चीज में तो वह कहीं न कहीं गड़बड़ी करने में लगा रहेगा। भ्रष्टाचार मेटने का पहला कदम है कि इनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय, व्यवस्था की जाय। आपने घंटी बजा दी, कई सुझाव मुझे रखने थे पर मैं मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जाना चाहता हूं।

श्री शोपत सिंह : बोलने के लिये है नहीं आपके पास।

श्री बिहारी लाल पारीक : मेरे पास काफी मैटर है। अच्छी बातें खूब है बुरी बातें कम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सहयोग करें। आप तो मेरे अंकिल के बराबर हैं। मुझे मौका दें ताकि मैं मेरे क्षेत्र की बात कह सकूं, यह प्रार्थना करूंगा।

एक बात मैं यह कहना चाह रहा था, जितने थाने हैं, उनमें जहां बिल्डिंग नहीं है वहां वह किसी के मकान में किराये पर रहते हैं। कहीं और हो या नहीं हो, मेरे क्षेत्र में तो स्थिति दूसरी है। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में जानता हूं, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि घंटी बज गई आपकी।

एक माननीय सदस्य : किसकी ?

श्री बिहारी लाल पारीक : राज्य में पुलिस प्रशासन लोकतन्त्र पद्धति के प्रतिकूल है और इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जनता के प्रति उसका सहयोग इसका दृष्टिकोण संवेदनशीलता का नहीं है उस कारण पुलिस के प्रति ग्राम लोग गलत चर्चा करते हैं। अभी विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कई तरह की बातें कह रहे थे। पुलिस का विश्वास जम सके इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी एक अलग स्थिति होनी चाहिये, आधुनिकीकरण होना चाहिये। इसके बारे में मैंने प्रकाश डाला है। मैं यह निवेदन करूंगा, पुलिस के प्रति विश्वास समाप्त क्यों होता जा रहा है। इस संदर्भ में मैं एक घटना को लेकर आपको अवगत कराना चाहता हूं। पुलिस के व्यवहार तथा जन प्रति-निधियों के साथ उसके संबंध में किस प्रकार की स्थिति है, वह मैं उजागर करना चाहता हूं। ये रक्षक नहीं भक्षक हैं। ये कैसे हैं मुझे नहीं जानकारी ये कैसे है. मैं इनके काम की मांडल क्षेत्र की जानकारी देता हूं।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आपकी बात समझ में आ गई।

एक माननीय सदस्य : गद्य और पद्य दोनों चलने दीजिये।

श्री बिहारी लाल पारीक : सन् 1984 में, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा तहसील के तकड़िया गांव में पूर्णिमा के दिन कंजर जाति के लोग चोरी करने आये। उनको गांव वालों ने पकड़ लिया। कंजर चोरी जब करने आये तो गांव वालों ने पकड़ लिया। रात को 12 बजे पकड़ कर सुबह उनको हमीरगढ़ थाने में भेज दिया। हमीरगढ़ थाने वालों ने उन पर मुकदमा दर्ज

(श्री बिहारीलाल पारीक)

किया 379 का। उनको भीलवाड़ा हास्पिटल दाखिल करा दिया। भीलवाड़ा हास्पिटल में नौ दिन तक वह भर्ती रहे। उनमें से दो कंजर भाग कर चले गये। यह बात थाने वालों को मालूम हुई। जब मालूम हुई तो उनको ढूंढने निकले तो एक कंजर भागा हुआ मर गया। मर जाने के बाद पुलिस वालों ने उन गांव वालों पर मुकदमा लगा कर उनको गिरफ्तार कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी कोशिश की। एक कानून यह भी बनना चाहिये, पुलिस कोई भी मुकदमा बना दे, तो उसका चालान हो जाय। उस गरीब की क्या हालत होती है, इस पर मैं राज्य सरकार का ध्यान दिला रहा हूं। जब उन पर गलत मुकदमा हुआ, 379 का मुकदमा जब दर्ज हुआ पुलिस उसको ले गई। नौ दिन तक वह हास्पिटल में रहे उसके बाद कंजर मर गया। फिर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। उनका चालान हुआ। चालान हो जाने के बाद, जिस आदमी का चालान हुआ उसकी पत्नी उसको पूछने के लिये जेल में गई तो उसने कहा भाई मेरी जमानत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, उसका हार्ट अटैक हो गया। अब आप समझिए कितनी अशांति होगी इस पर मैंने कहा है, मैं चाहूंगा राज्य सरकार के गृह मन्त्री जी इस मुकदमे को वापिस लें। यह वास्तव में झूठा मुकदमा है मैंने स्थानीय एस. पी. साहब से बात की, उन्होने कहा कि यह बिल्कुल झूठा मुकदमा था और यह गलती से दर्ज किया लेकिन हमने चालान पेश कर दिया है इसको वापिस नहीं ले सकते, तो इस प्रकार का झूठा मुकदमा, उस आदमी और उसके लड़के पर झूठा मुकदमा दर्ज होने पर वहां से छुट्टी नहीं दी और गिरफ्तारी हो गई इसलिए वह हार्ट अटैक से मर गया। उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी इसलिए मैं पैरवी कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना है कि इस मुकदमे को वापिस उठाया जाय।

मैंने कुछ कट मोशन दिए हैं उन पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माण्डल क्षेत्र के थाना प्रबन्धक पर बिलकुल झूठा....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक पटवारी ने रिश्वत ली,

श्री उपाध्यक्ष : अब तक क्या किया था।

श्री बिहारी लाल पारीक : दूसरे पर आ रहा हूं माण्डल क्षेत्र के करेड़ा थाने में यह मैं सही बात कह रहा हूं और मैं सच कह रहा हूं।

श्री शोपत सिंह : इससे पहले जो कहा गलत कहा, इससे पहले गलत ही गलत कहा, यह सही कह रहे हैं आप।

श्री बिहारी लाल पारीक : सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।। माण्डल क्षेत्र के सरपंच पर वास्तव में झूठा मुकदमा दर्ज किया और उस की गवाही नहीं दी, केवल पटवारी ने धमकी दे दी सरकार को कि हम आन्दोलन करेंगे उस पर कलेक्टर ने एस पी. को आदेश दिया और एस. पी. ने थानेदार को आदेश दिया कि इस सरपंच को पकड़ लो। मैं चाहूंगा कि यह मुकदमा भी उठाया जाय और मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच की जाय।

(श्री बिहारी लाल पारीक)

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि माण्डल क्षेत्र में लादरी ग्राम में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री बिहारी लाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कट मोशन को समाप्त कर देता हूं। माण्डल क्षेत्र में लादरी ग्राम में एक गूजर पर झूठा मुकदमा लाए फिर मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसको रायपुर थाने पर ले गये और वहां के ए. एस. आई. आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं, उस ए. एस. आई. ने मुकदमा दर्ज नहीं करके 80 साल के आदमी की दाढ़ी बाली। उसको बुरी तरह से मारा मुझे जब पता चला तो छुड़वा कर लाया और मैंने देखा कि कोई मुकदमा नहीं था। उसके बाद वह आदमी आने के बाद हार्ट अटैक से मर गया। मैं चाहूंगा कि इसकी भी सरकार जांच करे, माण्डल क्षेत्र की आसीन्द तहसील में रतनपुरा गाव में भी, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति हुई कि वहां पर एक कुम्हार की औरत कुए में गिरी, वहां पर एक ए. एस. आई. घूमता घूमता चला गया। उसने पूछा कि क्या हुआ कि साहब औरत रात को कुए में गिर गई और हमने उसको जला दिया। उपाध्यक्ष महोदय, उन पर मुकदमा नहीं लगाया और पांच हजार उसने ले लिए, वह वापिस दिला दिए गए। उसके बाद जिन लोगों ने सलटाया इस काम को उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और वह ए. एस आई. सस्पेण्ड हुआ जिसकी मैं समझ रहा हूं कि तरक्की हो गई होगी, उसकी भी आप जांच करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको मिला है क्या ?

श्री बिहारीलाल पारीक : मैंने तो कई रुपये वापिस दिलाए हैं। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मौके पर अलग अलग कहूंगा। पुलिस में इस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार है, सारे पुलिस कर्मी भ्रष्ट नहीं हैं लेकिन अच्छे आदमी का आप ट्रांसफर कर देते हो। अभी कह रहे थे माननीय सदस्य सफेद वाले मुक्तिलाल जी, वह बात सही है कि हमें एम.एल.ए. बन कर निश्चित तौर से भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। राजीव गांधी की भावना के अनुसार भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। इसलिए सहयोग करना चाहते हैं। मैं एक जानकारी और दे रहा हूं कि करेडा थाने का एक ए.एस.आई. घूमता घूमता एक गांव में गया, वहां एक अफीम वाला आया था उसको पकड़ लिया। अफीम 30 किलो थी 15 किलो तो उसने ले ली, 15 किलो थाने में दर्ज कर दी।

(व्यवधान)

उस ए. एस. आई. से पूछा कि भाई हमने तो 30 किलो अफीम संभलाई थी वह कहां गई यह भी आप जांच करें, उस ए.एस आई. का कुछ नहीं बिगड़ा मैं चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, ट्रांसफर कोई सजा नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैंने आपके माध्यम से ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव रखे हैं और उसी सन्दर्भ में इस घटना को लेकर आपके सामने मैंने चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, घंटियां आप बजा

(श्री बिहारी लाल पारीक)

रहे हैं, उम्मीद तो नहीं है कि मुझे बोलने देंगे। मैं चाहता हूं कि इस ध्यानाकर्षण के बाद गृह मन्त्री जी पुलिस प्रशासन संवेदनशील हो एवं जनता के निकट का प्रशासन जनता की ओर बढ़े ताकि जनता में विश्वास जागृत हो सके। इस प्रकार मैं आशा रखता हूं, ऐसी मेरी भावना मैंने आपको कही वास्तव में जो अच्छे आफिसर हैं उनकी कद्र कीजिए उनको 26 जनवरी, 15 अगस्त पर खूब ईनाम दीजिए और उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, उनको वहां पर साधन दीजिए, गाड़ियां दीजिए। मेरे क्षेत्र की दो बातें और कहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जो जरूरी थीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री बिहारी लाल पारीक : करेडा थाने में बिल्डिंग नहीं है और गुरडा में पुलिस चौकी थी वह हटा दी गई उपाध्यक्ष महोदय, वह चौकी कायम की जाय वहां पर कंजर कालोनी है और कंजर कालोनी जहां पर होती है वहां पर अगर चौकी तोड़ दी जाय तो वहां पर अपराध बढ़ते हैं तो मैं चाहूंगा कि चौकी बढ़ाई जाय और गुरडा चौकी का भवन बनाया जाय माण्डल चौराहे पर भी पुलिस की चौकी का भवन नहीं है वह बनाया जाय और पुरक में चौकी तो है पर उसको क्रमोन्नत किया जाय। बहुत बड़ा क्षेत्र है लम्बा चौड़ा वहां पर चौकी कायम की जाय। जहां पर थाने हैं वहां पर स्टाफ की व्यवस्था कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर स्टाफ बढ़ाया जाय ताकि अपराध कम हों, ताकि माननीय सदस्य विधान सभा में बैठ कर पुलिस के प्रति आभार प्रदर्शित कर सकें, बढ़ाइयां करें मैं समझता हूं कि उससे लाभ मिलेगा यह मैं निवेदन करना चाहता था, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. केदार।

श्री केदार नाथ : मान्यवर...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आज की तारीख में संभावना है क्या स्थगन प्रस्ताव वालों की ?

श्री उपाध्यक्ष : आएगा, आएगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपके दल को सबसे ज्यादा समय दिया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी कट मोशन नहीं है, स्थगन प्रस्ताव हैं हमारे।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे दल को कोई समय नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव में कौन सा समय आड़े आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दल की अलग अलग स्लिपें आ रही हैं।

श्री नाथू राम मिर्धा : इसने सूची दी है उसके अनुसार बुलाइए।

श्री उपाध्यक्ष : उसी से बोलता हूं प्रो. केदार।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। माफी चाहता हूं प्रो. केदार साहब, एक सेकेण्ड।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : साहब हमारी पैरवी कोई नहीं करता।

श्री देवीलाल : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ वाले सब बोल लिये, मैं ही पीछे रह गया हूं।

(व्यवधान)

श्री पन्नालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूं, मुझे दिया जांय, 5 ही मिनट दीजिए।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, सदन की कार्यवाही आराम से चले लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइण्ट आफ आर्डर है। मैंने 127 के तहत नोटिस दे रखा है आप उसके बारे में बतावें। सुबह का नोटिस है उसका क्या हुस हुआ है, आसन की व्यवस्था क्या है, सरकार उसमें क्या करने, क्या वक्तव्य देने जा रही है, इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के प्रोटेक्शन में कोई लीडर अपना नाम लिख दे या नहीं लिख दे उसका सवाल नहीं है वह कोई व्यवस्था बनानी है तो बनाने दीजिए, लेकिन मेरा नोटिस है। 127 के तहत। आप उसके बारे में अब दे दीजिये, पांच मिनिट बाद दे दीजिए रूलिंग, मैं इंतजार करूंगा कि आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं, सरकार क्या जवाब देने वाली है। क्योंकि मैंने इसमें प्रश्न उठाया है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समय भरतपुर जिले की स्थिति हिंसक और विस्फोटक हो सकती है। आज हालत यह बन गई है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में तीन खून खराबे देखे हैं, खतरनाक और बेहयाई का नंगा नाच देखा है इसलिए इसकी पुनावृरात्ति न हो इस वजह से मैंने एक 127 का नोटिस दिया है। मेरे दो साथियों ने उसका सपोर्ट किया है। मैं देख रहा हूं कोई और खड़ा होकर ज्यादा तेज आवाज में बोलने लग जाता है उसकी बात को सदन में सुनने का मौका दिया जा रहा है और जो पशेंटली बैठे बैठे इन्तजार कर रहे हैं कि आसन की आई कैच करें वह लोग चुपचाप बैठे रहें तो फिर हम भी इसी प्रकार से व्यवाहार करेंगे। इस तरह से दूसरे लोगों को टाइम मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा किसी की भावना मन में रहे नहीं, 127 चला जाय, इस पर बहस चल रही है, इस पर डिबेट चल रही है।

मैं एक 127 पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्या उस पर सरकार से वक्तव्य दिलायेंगे या नहीं दिलायेंगे सरकार की ओर से जवाब आयेगा या नहीं, आप जल्दी से मुझे सूचित करें। मैं क्षमा चाहूंगा प्रोफेसर साहब से कि उनके बीच में मैंने इन्टरप्ट किया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से आज का समय यह मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है। मांग संख्या–16 पास हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की डिमाण्ड पर अन डिक्लेयर्ड इमर्जेन्सी की छाया में रहे हैं। आज फिर उसके लिए वैसा क्लाइ-मेट, वातावरण पैदा किया जा रहा है। मैं यहां पर मान्यवर, स्टेट की पुलिस को दोष नहीं देना चाहता। पॉलिटिकल मैन्यो-वरिंग और ला एण्ड आर्डर फेस नहीं कर पा रही है इस देश की सारी पुलिस, पैरा मिलिटरी फोर्स भी सारी फैल हो गयी ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम को फेस करने में, मिलिटरी की फॉर्स जो डिप्लॉई की गई वह भी फैल हो गयी। स्पेशल कोर्ट्स आपने बना दिये और कोर्डीनेट कर रहे हैं आप सारे के सारे। ये लॉज हैं वह आपने स्टेच्युट बुक में ला दिये फिर भी ला एण्ड आर्डर आप मेन्टेन नहीं कर पा रहे हैं इस देश का, इस स्टेट का।

स्टेट को मैं इसलिये दोष देता हूं, मान्यवर, कि मानसिंह की हत्या के बाद सी. बी. आई. को सेंक्शन नहीं दी चालान के लिए। क्या सोचते हैं, इस फैसले में ढिले क्यों कर रहे हैं? क्या आपने सी. बी. आई. की क्रेडिबिलिटी समाप्त नहीं कर दी? भरत-के लोगों में एक सेंस आफ इन-सिक्योरिटी पैदा नहीं कर दी आपने? लोग मूक हो गये इतना बड़ा हत्या काण्ड होने के बाद और सी. बी. आई. जैसी एजेन्सी को देने के बाद अगर आप सेंक्शन किसी लीगल आस्पेक्ट की वजह से रोक लेते हैं। बहुत दिन आपने लगाये। मुझे विश्वास है आज आप अपने रिप्लाई में इस चालान की सेंक्शन देंगे, और अपनी भूल को मानेंगे कि आपने यह भूल करके बहुत बड़ा नुकसान किया है।

तो मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था, पंजाब में ब्लू स्टार आपरेशन जो हुआ उससे पहले मुझे वहां जाने का मौका मिला। पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हुई उससे पहले और बाद में जो मास किलिंग हुई दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, वह मुझे देखने को मिली। सारे हिन्दुस्तान में, सारी जनता में आतंक और हिंसा का वातावरण फैल गया। टेरॉरिज्म एक बड़े स्पेट में फैल रहा है। मान्यवर आम जनता में आज असुरक्षा की भावना पैदा गई है। वहां हैड कान्स्टेबल को दोष दें, एस. एच. ओ. को दोष दें, कान्सटेबल को दोष दें ये हमारी हैसियत के लायक नहीं है। आज कहीं न कहीं मेलेडी है इस देश में। पंजाब की समस्या हमारे यहां किसने पैदा की, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आज गुजरात की समस्या किसने पैदा की, क्या अपोजिशन ने की? आज बम्बई में हुई, उसके बाद आसाम हुई, दिल्ली के आस पास हुई।

(श्री केदारनाथ)

आज मान्यवर, इस देश में, 5-6 स्टेट में मिलिट्री की फॉर्स को डिप्लाई कर रहे हैं आप। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप चला नहीं पाये। यह राजनैतिक सिच्युयेशन है हमारे इस देश की। पैरा मिलिटरी फोर्स डिप्लाई करते हैं और पुलिस को आपने अण्डरम.इन कर दिया। मान्यवर, यह रिपोर्ट मेरे पास है। 1977 में हमने एक कमीशन नियुक्त किया, जनता पार्टी के वक्त में, 1981 में रिपोर्ट आ गयी। और रिकमण्डेशन जो सेन्ट्रल गवर्मेन्ट के लिए कहती है और स्टेट गवर्नमेंट के लिये कहती है, इसमें 300 करोड़ रुपये का खर्चा होगा, सारी रिकमण्डेशन लागू हो जाती है और पुलिस का रीवेम्पिंग हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेण्डर्ड है वह अपग्रेड हो जाता है। पुलिस फॉर्स का बेस ब्रोडबेस्ड हो जाता है। आज पुलिस में एक विचार पैदा हो गया कि 4-5 साल में तीन हजार करोड़ फिजूल खर्चे में गया और 300 करोड़ रुपया रिकमण्डेशन को लागू करने में खर्च नहीं हो पाया।

मैं समझता हूं सेंटर की मशा नहीं थी पुलिस को रिवाम्प करने की, पुलिस को इम्पॉर्टेन्ट समझने की। इतना डेलीकेट सेंसेटिव महकमा है। यह दोष मैं आप पर नहीं सेंटर को देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे सामने आज इमरजेन्सी की बात चल रही है, अभी 'हां' पक्ष के लोगों ने कुछ बातें कहीं, मैं इसका मुकाबला नहीं करना चाहता हूं। यहां एक आध क्राइम बढ़ गया, 1973-74 की टेबल है क्राइम की। इमरजेन्सी के दौरान मान्यवर, कान्स्टीटयूशन को आपने सस्पेंड कर दिया। इन्सानियत के खिलाफ अपराध बढ़ गये, गरीब के दरवाजे बन्द कर दिये, आपने लोगों को भयभीत कर दिया। बहुत बड़ी बूटेलिटी हुई थी उन दिनों, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाये। जब हमने वापस उस डेमोक्रेसी प्रोसेस को रेस्टोर किया, तो लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कान्फिडेन्स पैदा हो गया। मुख्य मंत्री जी ने उस समय पहले यह हिदायत दी थी कि कोई थाने के दरवाजे पर आये, एस. एच. ओ. उसका केस रजिस्टर करेगा। दूसरा मान्यवर, इमरजेन्सी के दौरान जिन लोगों ने फायदा उठाया, वे थे एन्टीसोसियल एलीमेन्टस बूट लेगर्स और मस्क्लमैन। ये सारे एक इन्स्टीटयूशन के रूप में काम करने लगे। डेसपरेट हो गये वे लोग, और उन्होंने क्राइम किया, अदालतों में डाक्यूमेन्ट जलाये, सड़कों पर जाकर उन्होंने अमली सीन क्रिएट किये। एस. पी. ई. को मालूम नहीं क्या इस की बात कर रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि पूर्व प्रधान मंत्री ने एम. पी के इलेक्शन में जिनको गलत माना था आज उस इमरजेन्सी के दौरान अपग्रेड कर रहे हो।

दूसरी बात कही कि हमारे वक्त में जिन लोगों को हमने कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया, आपने उनको वापिस ले लिया। मान्यवर, मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, आज जितने रिइनस्टेट किये, आप कहते हैं इनकी पर्सनल रेप्युटेशन खराब थी, पर्सनल चार्जेज उन पर लगाये और वापस नहीं लिया। कुछ केस कण्डेक्ट के खिलाफ होते तो हम नहीं लेते। पर यह लगता है कि यह सब्जेक्टिव मैटर है कि इनकी पर्सनल रेप्युटेशन खराब थी। उनको हमने कम्पेयर किया उन लोगों से जो

(श्री केदारनाथ)

उस वक्त थे नौकरी में तो वे उनसे ज्यादा खराब नहीं थे, अगर अच्छे नहीं थे तो खराब भी नहीं थे।

हमने जनता के सामने कमिटमेंट किए थे। वह कमिटमेंट यह था कि जो ब्रूटेलिटीज की थी आपने उनको अनडू करने का और जो आउटरेजेज आपने किए थे उन्हें अनडू करना है, वापस डेमोक्रेसी लाना है। तो हमने यह कदम उठाये।

मान्यवर, आपने थानों को, पुलिस स्टेशनों को, पुलिस आफिसर को जनता से दूर कर दिया था, रिश्ता तोड़ दिया था। हमेशा एकाउन्टेबिलिटी ला के प्रति है, और जनता के प्रति भी है। आपने ब्रेक कर दिया था। हमने रेस्टोर किया। आज, देखिये हमारे वक्त में कितना एजिटेशन हुआ, आपके वक्त में एक भी एजिटेशन हुआ। जब राजीव जी आये तब न स्टूडेंट्स का एजीटेशन, न लेबर का एजीटेशन है, न कोई व्यापारियों का, न कोई हरिजनों का एजीटेशन है, और फिर इमरजेन्सी की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं गलत सरकार आती है आपकी है और इमरजेन्सी की बात आप कर रहे हो हमारे वक्त में जो हमने रिश्ता कायम किया, इतना एजीटेशन हुआ मान्यवर, यहां बैठे हैं ये आफिसर, उनकी बिना मदद हमने डाइलॉग का रास्ता लिया, कान्फ्रन्टेशन का रास्ता नहीं लिया, बीच में बैठ कर मामले का हल किया, सारे फैसले किए। कम से कम 80 हड़तालें हुई एक साथ। लोगों को आपने राइट भी दिए थे। जो छीन लिया था आपने। जब भी मौका मिला लोगों ने एजीटेशन किया और हमने इस एजीटेशन का स्वागत किया। जो अपने फण्डामेण्टल राइट्स के लिए। अपनी लेबर के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे स्टूडेंटस विद्यार्थी.... नीचे के लोग, हरिजन लोगों ने आना शुरू किया, तो उनकी मांगों को बुलाकर तय किया बिना किसी लाठी चार्ज के और अश्रु गैस के। ऐसे एजीटेशन को फेस करना यह हमारा काम था और यह जनता पार्टी की उपलब्धि थी। मान्यवर, मैं नहीं कहता कि ट्रान्सफर नहीं हुए, ट्रान्सफर कैंसिल भी हुए, मगर एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जो ट्रान्सफर किये पांच छः सात कोई एक आधा ट्रान्सफर कैंसिल हुआ आप भी करते हैं कैंसिल, नार्मल फीचर है। मगर जानबूझकर किसी को विन्टीकेटीव नेचर से पोलीटिकल अपोनिन्ट्स को हैरेस करने के लिए या मोनेटरी आब्जेकटिव बनाकर कोई भी ट्रान्सफर जनता पार्टी के राज में न किसी एम. एल. ए. ने कहा न किसी मंत्री ने किया।

एक माननीय सदस्य : पैसे लेकर नहीं किये।

श्री केदार नाथ : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, आपको यह सारी पोजिशन इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि आज जब मास किलिंग्स हुये पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के बाद, मान्यवर, एक खास कौम के बारे में एक शक पैदा कर दिया किसका दोष है? बस में जायें, रेलें में जायें, सड़कों पर घूमें, दुकानों में काम करें खेत पर काम करें, कहीं सर्विस पर हो

(श्री केदार नाथ)

हमने उनको ससपोशियस आई से देखना शुरू किया, उनका ट्रान्सफर किया उनको ससपीशियन में गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने बस ब्लास्ट में हिस्सा लिया कोई पैरवी करने वाला नहीं, जिन पर केस है वायरलेस का उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं। जिन्होंने खालिस्तान का नाम लिया उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं। मगर जो इन्नोसेंट थे, उनको आपने ससपीशियन में गिरफ्तार किया। उनके तबादले इस बात से कर दिये कि इस कौम के हैं। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सेकूलर कदम है एक बड़ी कौम को इस देश के मेन स्ट्रीम से अलग करके, मिलिट्री को डिप्लोय करके पंजाब में थोड़े दिनों के लिए यह सारा वायलेंस, यह सारा टैरर, कन्टेन हुआ है यह आप समझते हैं लेकिन यह सारा इरेडीकेट नहीं होगा, यह फ्लेयर अप हो सकता है।

आपने देखा इस देश में एक साथ बम ब्लास्ट हुए, ट्रांजिस्टर बम जिसको आप कहते हैं। एक साथ बसें जलायी गयीं एक साथ बसों में मर्डर हुए। एक ही पेटर्न पर। यूनीफाइड उनका लीडर एक ही ब्रेन और एक ही खास तौर की ट्रेनिंग। आपकी सी. आई. डी. कहां थी? मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा जासूसी का स्केण्डल हमारे सामने आया। ये इतने रेकेट पकड़े गये। कितने स्मगलिंग के केसेज बने। उस ओर बैठे लोग जनता पार्टी में क्राइम्स बढ़े, यह बात करते हैं। वह तो याद आ गये लेकिन जासूसी को आप कम समझते हैं? यह जासूस कहां से निकल गया? पंजाब में टेररिस्ट बयान देते हैं अपने स्पेशल कोर्ट में। मान्यवर, बड़ा गम्भीर सवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चीफ के साथ हमारा साथ था। इन्ट्रोगेशन हो रहा है। अमृतपाल सिंह वह कहता है। मुझे मिलने का मौका दिया जाय, उस लड़के से मिलने दिया जाय। एक बार उनके मकान पर गया। यह मैं तस्वीर पेश कर रहा हूं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। यह हालत आपकी पैदा की हुयी थी।

मान्यवर, आज सारे देश में वातावरण पैदा कर दिया गया है, दोष किसका है, दोष सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आज आप सोच रहे हैं, करप्शन मिट जायेगा। करप्शन पर आप कहां मार सकते हैं जो कान्सटेबल है, हैड कान्सटेबल है। जो पॉलिटिकल करप्शन है। उस पर मान्यवर, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने क्रिमनल्स हैं पोलीटसाइज हो गये हैं और पोलिटिशियन्स ने काफी हद तक उनको क्रिमनलाइज्ड कर दिया है। यह हालत पैदा कर दी है देश में। न इलेक्शन में हिंसा छोड़ी, न सोशल लाइफ में हिंसा छोड़ी, ऐसा कॉस्ट बेसिस बना दिया कि सारा कनिफ्लक्ट पैदा कर दिया। देहात चुप थे, शान्त थे, ला एबाइडिंग थे। हमारे समय में यह जो माननीय सदस्य मांडल से बोल रहे हैं कि मेरे यहां से चौकी हटा दी, लगायी नहीं। आप जैसे भले आदमी थे तो चौकी की क्या जरूरत थी? चौकी तो वहां लगायी जाती है जहां पर क्रिमनल्स हों, बूट लेगर्स हों एन्टी सोशल एलीमेन्ट्स हों। आप तो अच्छे आदमी थे, आपको तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि हमने नहीं लगाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उनको पहचाना नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री शिवचरण माथुर ने पहचाना है।

श्री केदारनाथ : पहचान तो लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि सारे देश की इकोनोमी अण्डर स्ट्रेस है और सारे देश का प्रोड्यूस सिस्टम आज अण्डर टरमोइल है और आज सारे देश की सोशल लाइफ पेरेलाइज्ड है। देहात में पहले कुछ नहीं होता था। आज कॉस्ट कॉनफिल्क्ट इतना बढ़ गया है कि नया फरमेंट हो रहा है, वहां पर आप सम्भाल नहीं पाओगे मौजूदा फोर्स से। मौजूदा जो अपरेटस है, जो इक्वीपमेंट् आफ फोर्स है, उससे सम्भाल नहीं पायेंगे। न आप सम्भाल पाये हैं और न आयंदा सम्भाल पाओगे।

आपने अपनी तारीफ में कह दिया कि पुलिस को मोडर्नाइज करेंगे। अभी आपने जो बात रखी है कि पुलिस की रिकमंडेशन इसलिए पूरी नहीं कर पाये कि पैसा नहीं था। अब आपको पैसे का एलोकेशन हो रहा है। मेरे पास सारा रिकोर्ड है आठवें फाइनेंस कमीशन का, उन्होंने कैसे एलोकेशन किया। प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होने वाली है उसमें आपको एलोकेशन होगा, पर अब आप वहां पर किस तरह से रीमोस्ट्रेट करते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। आपका एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट जो है, उसके जो मौजूदा डायरेक्टर हैं, उनको मैं जानता हूं। यहां पर हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, मंत्रीमण्डल के सदस्य बैठे हैं, हम लोगों की जो प्रोडक्शन थी पुलिस की उसमें केलीबर के लोग थे, काफी इन्टीग्रिटी के लोग थे, काफी कॉन्फीडेन्स के लोग थे। जब दूसरे स्टेट से मुकाबला करते हैं तो हमारे आदमी कम नहीं थे। यही नहीं, कॉन्सटेबल हमारा जो है जिसको आज आम आदमी करप्ट कहता है, उसकी इमेज खराब है, उसकी तस्वीर खराब हो गयी, उसकी तस्वीर खराब नहीं है, उसकी तस्वीर को जो खराब किया है वह आपने किया है। क्या आपने उसके लिए एजूकेशनल फेसीलिटी बढ़ायी? उसके एलाऊंसेज बढ़ाये, ? उसकी हाऊसिंग फेसिलिटी बढ़ायी आपने? इंसेटिव पैदा करने के लिए प्रमोशन के एवेन्यु बढ़ाये? कोई प्रमोशन नहीं, बीस तीस साल वह काम करता है, परमानेंट बनाते नहीं, प्रमोशन नहीं देते हैं, फेसेलिटीज देते नहीं और उसके बाद दो चार पांच रुपया ले लेता है तो सारा करप्शन का चार्ज उसके सर मंड देते हैं, दूसरा सारा करप्शन भूल जाते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए आप।

एन्टी करप्शन का डिपार्टमेंट है, वहां ज्यादा लोग कौन है? एस. एच. ओ. जिनका तबादला किया गया यह कहकर कि ये भ्रष्ट हैं, उनको ए. सी. डी. में लगा दिया। आप बतायें कि फिर एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में काम क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा काम है। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को और इण्डेलीजेंस को, दो विंग को, अगर आप रिफार्म कर दें और एक रेंक का प्रमोशन दें दिया जाय, इन्क्रीमेंट, कुछ इन्सेन्टिव, दे दें और अच्छे आदमी सलेक्ट करके

(श्री केदार नाथ)

लगा दिये जायें तो राजस्थान के आधे इविल्स आप समाप्त कर पाओगे। आप एस. एच. ओ. का रोटेशन से ट्रान्सफर करें। मैं नहीं कर पाया, इसमें कोई शक नहीं. कोशिश हमने की परन्तु नहीं कर पाये। राज थोड़ा सा था, ज्यादा समय समझने में लग गया। फिर राज हमारा चला गया। मगर एस. एच. ओ. पांच या दस साल रहता है तो उसके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट पैदा होते हैं। उसका रोटेशन बना दीजिए, स्पेशल ब्रांच में कब जायेगा, तीन साल के बाद, कम्पयुटर में कब जायेगा, वायरलेस है उसमें कब जायेगा, एक और डिपार्टमेंट है उसमें कब जायेगा। ये जो कन्डेमड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कब जायेगा, उनका एक रोटेशन बना दें, उसमे भेजते रहें ताकि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रियेट न हों। आपकी पुलिस की छवि कानिसटेबल दिखाता है जब वह सड़क पर चलता है, थाने पर दिखाता है जब वह पुलिस स्टेशन में बैठकर आम आदमी के साथ बिहेवीयर करता है, कैसे पेश आता है। मुझे बड़ा अफसोस है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका बिहेवीयर ठीक नहीं है। आप केस रजिस्टर करें पर उसका पेंट आपके हाथ में है। कैसे इन्वेस्टीगेट करते हैं या नहीं, मौके पर पहुंचते हैं या नहीं, चालान कब करते हैं, यह अलग चीज है। मगर आप जबाब कैसे देते हैं? जब एक आदमी आता है, उसके यहां मर्डर होता है, डकैती हो जाती है, मार पिटाई हुयी है। जो पुलिस की इमेज है, जिसको आचरण कहते हैं, यह एक राष्ट्रीय समस्या बनी हुयी है, एक नेशनल इश्यू बन गया है, डिसकशन हो रहे हैं और डिसकशन के जो नतीजे निकलें उन पर पोजिटव स्टेप लेने में हमारा फायदा है।

अभी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। हमारे बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर के बारे में, गंगानगर बॉर्डर के बारे मे हमारे माननीय भैरोंसिंह जी ने काफी कुछ कहा। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि बैड एलीमेंट्स फायदा उठाते रहे हैं स्मग्लिंग से, जिनके वहां दोस्त हैं, रिश्ते हैं पाकिस्तान से। उनको प्रोब किया, उनको किसी को गिरफ्तार किया? किसी की कोठी सम्पत्ति जप्त की? उनका लाइसेन्स जप्त किया, किसी एक की की हो। यों ही रस्ते चलते कोई स्ट्रीट कैसे पकड़ लिया।

(7.00 रात्रि)

आपकी राजस्थान की आबादी 32 पर्सेन्ट और नेशनल 25 पर्सेन्ट। यह रातों रात कहां से पैदा हो गये? इतने लोग कहां से पैदा हो गये? यह सारा इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, बार्डर की मार्फत हो रहा है। क्या आप सोचते हैं वह लोग आये नहीं, एक्सट्रीमिस्ट यहां से आये नहीं, टैरेरिस्ट यहां से आये नहीं? आये हैं। रिकार्ड मिलता है, आते हैं। आये हैं और एलिगेशन भी है। मान्यवर, जो रिपोर्ट पेश की है आई. बी. की, वह भी आप, माननीय मन्त्री जी, देख लीजिए। कितने आदमी, कौन कौन पॉलिटिकल फिगर हैं उनमें आज हैं कि नहीं, मैं नहीं कहता, कहां पर हैं। काफी लोगों ने आपका भी नाम लिया, कुछ उनमें पुराने एम. एल. एज. हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ डिग्निटेरीज हैं। कैम्प कर रहे थे इमर-

(श्री केदारनाथ)

जेन्सी और यहां झगड़े पड़ रहे हैं। और जिन्होंने कोशिश की है देश की सारी वाइटलिटी को, एग्जिस्टेंन्स को खतरा पहुंचाने की, उनके बारे में कोई एक्शन आज तक, दो साल में, तीन साल में लिया नहीं गया और वह रिपोर्ट आपके पास है।

मैं यहां ज्यादा न बोलते हुए एक बात कहना चाहता हूं।

मेरे वक्त में हमने खिलाड़ियों के लिए स्कीम बनाई इन्सेन्टिव देने के लिए कि जो स्टेट का सबसे अच्छा एथलीट होगा, जो नेशनल लेवल पर स्टेट को रिप्रजेन्ट करेगा उसको डायरैक्ट एस. एच. ओ. भर्ती करेंगे। माननीय भैरोंसिंह जी बैठे हैं। केवल इसलिए कि इन लोगों को कुछ मौका मिले। 5 पर्सेन्ट एडमिशन में दिये ग्रेस मार्क्स, कुछ रिक्रूटमैण्ट में पर्सेण्टेज तय की। वह सारी की सारी आपने समाप्त कर दी। कोई स्कीम आपके पास नहीं है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि उसको फिर आप वापस लाइये, कुछ नयी स्कीम आप पेश करिये।

मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, हमारे इलाके में यह एक पाबन्दी लगा दी आपने कि जो गंगानगर में पैदा हुआ वह एस. एच. ओ. वापस गंगानगर में नहीं जायेगा। डी. आई. जी. रह सकता है, ए. डी. एम. रह सकता है मगर थानेदार बनकर वापस नहीं जा सकता। इन 10-15 सालों में हमने थानेदारी देखी है। मैं ज्यादा डिसक्सन नहीं करना चाहता, न मेरे स्टेटस की बात है कि मैं इस लेवल पर थानेदारी करूं। लेकिन हमारे वहां का थानेदार ज्यादा कॉम्पीटैण्ट है क्योंकि जान पहचान है उनकी, वह जानता है। उनका हर एक से रिलेशन है। वह ज्यादा क्राइम को ट्रेस कर सकता है, एण्टी सोशल एलिमैण्टस को पकड़ सकते हैं। जासूस और एक्स्ट्रीमिस्ट आते हैं उनको ज्यादा कर्ब कर सकते हैं। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए यह बेन तोड़ दीजिए आप और मेरे सुझाव के अनुसार कीजिए। तबादले करना आपका काम है, किसको भेजें कि नहीं भेजें। एक जिले पर ही बैन हो यह हम डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है।

मैं ज्यादा न कहते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं। आज इस बात के लिए कि इस देश में हालात बिगड़ रहे हैं, यह क्लाइमेट पैदा की जा रही है कि इन्टरनेशनल फेस है टैररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का। यह एक्सट्रीमिज्म का इन्टरनेशनल फेस हो सकता है। कुछ देश जो हैं वह इसको नरिश करते हैं, फण्डस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ब्रेन उनके पीछे हैं। यह आपको मालूम है, तो क्या एक्शन आप ले रहे हो उनके बारे में, क्या आप तय कर रहे हो उनके बारे में? आप की स्पेशल कोर्टस में एक भी आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। क्या फायदा इस से? एक भी कन्विक्शन आप नहीं कर पाये। इतने असाधारण पावर्स मिल गये आपको फिर भी इमरजेन्सी की बात आप करना चाहते हो इस देश में। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, पहले तो अचानक, बाई सरप्राइस पकड़े गये। आपने लगा दिया। गलती आपकी सारी, फैसला हाईकोर्ट का हुआ। अपनी कुर्सी को बचाने के

(श्री केदारनाथ)

लिए सारे देश को जेल बना दिया। अब तो, मान्यवर, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारे देश की जनता सजग हो गयी। हमने कन्स्टीट्यूशन में अमेण्डमैण्ट कर दिया। बाहर का हमला हो या इन्टरनल विद्रोह हो तभी इमरजेन्सी लागू हो सकती है। लोग इतने मजबूत हो गये हैं आज कि आपके इस कदम की बगावत करेंगे और मुकाबला करेंगे, आखिरी एण्ड तक मुकाबला करेंगे।

मान्यवर, जो बातें आज हमारे सामने आ रही हैं, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जो पालिटिकल इन्टरफेरेन्स चल रहा है, मैं यह मानकर चलता हूं कि यह होगा। मगर इस दखल को इन्स्टीट्यूशन का रूप मत दीजिए। दखल होगा, जब हम होते हैं राज में, पक्षपात, ट्रान्सफर करना, अपने आदमी को मानना, होता है, मगर इसने इन्स्टीट्यूशन का रूप ले लिया। पालिटिकल इन्टरफेन्स अगर इन्स्टीट्यूशन के रूप में काम करने लग गया तो सारा का सारा मॉरेल, कैलिबर आपने खत्म कर दिया, मॉरेल समाप्त हो गया।

हमारे साथ फोरेंसिक डिपार्टमैण्ट है। इसके बारे में रिपोर्ट आयी। गंगानगर में कुछ पत्र वालों की पिटाई हुई गुजरात के बाद ऐसा मालूम पड़ गया कि पुलिस और पत्रकारों का कनफ्रन्टेशन सा हो गया। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। किसी ने एस. एच. ओ. के खिलाफ लिख दिया और आप उनके पीछे दो झूठे मुकदमे बना दो। जो नये डी. जी. आये हैं मुझे विश्वास है वह पुलिस की सारी मैण्टलिटी को, उसकी सारी हिस्ट्री को ठीक करेंगे। सारा डिपार्टमैण्ट उनके हाथों में है और उनकी ईमानदारी पर, हम जो बैठे हैं इस साइड के, आपकी बात मैं नहीं कहता, हमें विश्वास है। कैसे पुलिस को सुधारेंगे, कैसे उनमें एक नयी लाइफ लाइन, नया रिश्ता कायम करोगे, यह उनकी बात है।

हमारा इलाका राजस्थान कैनाल का, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा हो गया है। हाइड आउट्स भी आपको मालूम हैं। दस बार आया हमारे वहां पर भिण्डरांवाले का ड्राइवर मेजर सिंह। 10 बार के बाद आपको मालूम नहीं पड़ा। पुलिस आयी पंजाब की। उन्होंने उनको आइडैन्टिफाई किया, ट्रेस किया। और, मान्यवर, वह मारा नहीं गया। उन्होंने अपने आपका सुसाइड कर लिया। जिस कौम में इतनी खूबी हो, मरने की ताकत हो, मरने का इरादा हो, और सुसाइड स्क्वाड बनाकर मरते हों, उस कौम के लोगों को आप केवल यह कह कर, कि कुछ लोगों ने खालिस्तान का नाम दिया आनन्दपुर रिजाल्यूशन को, उन्होंने अपने होम लैण्ड की बात की, यह कहकर वहां सारा जो पंजाब का मसला है उसको उलझाओ मत। वक्त आ गया कि उस मसले का पॉलिटिकल हल आप कर पायेंगे बिना किसी इन्तजारी के। ऐसा न हो कि यही हाल आसाम का हो, गुजरात का हो। सारे देश की इकॉनामिक, सोशल कण्डिशन खराब है, उसको हल करिये, वरना हम तो फिर आयंदा राज करेंगे। मान्यवर, जैसे हालात आपके हैं, जो पॉलिसीज आप ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं एक के बाद एक मुझे विश्वास है कि आयंदा

(श्री केदारनाथ)

राज करेंगे हम और आयंदा राज करके दिखायेंगे। पहले ढाई साल किया आयंदा ज्यादा करेंगे।

श्री पन्नालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका दिया जायेगा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, देंगे। माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया 127 नियम के तहत। 127 का नोटिस दिया है। वैसे उनका नाम उनके सचेतक ने दिया हुआ है लेकिन वह 127 के आधार पर बोलना चाह रहे हैं। कृपया बैठ जायं।

श्री माणकचन्द डांगी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक सूची दी उसमें इधर के नामों की ओर भी ध्यान दें अब आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

नियम 127 का नोटिस दिया है। श्री यदुनाथ सिंह, श्री जगमाल सिंह यादव, श्री जगत सिंह दायमा एवं श्री बहादुर सिंह, इन सदस्यों ने 127 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। 127 में है

"Notice of raising discussion."

इसका फैसला होगा 128 के अन्तर्गत। 128 में दिया हुआ है :

"Speaker to decide admissibility and allotment of time.— (i) If the Speaker is satisfied, after calling for such information from the member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the House at an early date, he may admit the notice.

(ii) The Speaker may allot two sittings in a week on which such matters may be taken up for discussion and allow such time for discussion not exceeding one hour at or before the end of the sitting as he may consider proper in the circumstances."

इसमें यह सब करके स्पीकर साहब ने यह दिया, निर्देश दे चुके हैं कि सरकार से जानकारी मंगा ली जाय, उसके बाद व्यवस्था दी जा सकेगी।

मिनिस्टर को लिखा है इसलिये कृपया उसी पर बोलने का कष्ट करें। नम्बर आये तब।

श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कम कम समय लें सब बोल लेंगे, अब कोई ज्यादा नहीं है सब बोल लेंगे। लेकिन कम समय में....

श्री ईश्वरलाल सैनी : पुलिस की मांग संख्या 16 है जो हमें आज पूरी करनी है।....

सुश्री पुष्पा जैन : 12 बजे तक तो नम्बर आ जायेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा। आपका नाम एक बार बोला जा चुका है उस समय आप हाउस में थी नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : आप यह कह दीजिये कि पानी पीने भी नहीं जावें यह कोई बात हुई क्या !

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम बोला गया था उस समय हाउस में थी नहीं पर फिर भी समय दिया जायेगा। ऐसी बात नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : पुलिस की मांग संख्या 16 है जो हमें आज पूरी करनी है। उस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। और कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, अभी अभी माननीय सदस्य हमारे केदारनाथजी ने अपनी कुछ बातें सदन में बताई हैं। मेरा उनसे यह निवेदन है कि जो उन्होंने सुझाव दिये हैं जनता शासन में वह स्वयं भी गृह मंत्री रहे हैं। और उस गृह मन्त्रीकाल में आपने देखा होगा कि उन्होंने मुझे सारा पता है, यह जो आज आपने सुझाव दिये हैं वे चाहते तो उन सुझावों को वह पूरा कर सकते थे लेकिन यह न करके कार्य प्रणाली दूसरी ही अपनाई उन्होंने एक एक थाने में तीन तीन थानेदार भेज दिये। तीन तीन थानेदार भेज दिये और यह निर्देश दिये आई. जी. को कि इनका कड़ाई से पालन हो। आई. जी. को यह पता था। उन आई. जी. को यह पता था कि कड़ाई से पालन करना है और उनको यह भी पता था कि ये गलत हो रहा है और ये तीनों थानेदार अपने बोरी बिस्तर ले कर थाने में पहुंच गये तब आई. जी. असमंजस में पड़ गए।

श्री डूंगरराम : आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सुनी सुनाई नहीं, मैं पिछली विधान सभा में भी मैम्बर रहा हूं, आपको यह ध्यान नहीं है और मुझे पता है कि आप जो यह बात कर रहे हैं कि हमने 18–18 हजार, 20–20 हजार मास्टरों के ट्रान्सफर्स किये थे जिसको तो हमने बाद में सुधारा था····

श्री नवरंगसिंह : आपने सारी स्थिति को बिगाड़ा है।

श्री डूंगरराम : आपको यह भी जानकारी नहीं है कि मैं था या नहीं था····

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुझे बहुत कुछ जानकारी है, जितनी आपको नहीं है····

श्री डूंगरराम : आप यह तो बता दो किस किस थाने में किस किस थानेदार के तीन तीन ट्रांसफर एक जगह किये, आपको जानकारी है तो बताइये ना, ××× बात क्यों कहते हैं, आप बता दीजिये माननीय सदस्य····

(व्यवधान)

कौन से थाने में थानेदार तीन किये थे, कौनसे थाने की बात है, किस जिले की बात है····

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

एक माननीय सदस्य : जूनागढ़ थाना....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रश्न उनीं उठायें जिससे आपस में डिस्कशन हो....

श्रीमती इकबाल कौर (करणपुर) : राजा मानसिह की हत्या हुई है, लेकिन सरदार गुरदयालसिह की हत्या हुई है जबकि श्री भैरोंसिह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा प्रश्न नहीं उठायें जिससे आपस में डिस्कशन हो।

श्रीमती इकबालकौर : इन्होंने कोई सुनाई नहीं की, सारे आदमी इकट्ठे होकर इनके पास में आये कि सी. बी. आई. की जांच लगवाये, माननीय श्री भैरोंसिह शेखावत, मुख्य मंत्री थे, हमने वागियान के साथ मिलकर के, हमारे साथ कोई नहीं की, सरदार गुरदयालसिह को सब लोग जानते हैं, कोई यह नहीं कि उन्हें नहीं जानते हों, एक साथ में रहे जब भैरोंसिह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको यह रिकवेस्ट की थी की इनकी सी. बी. आई. की जांच लग जाये, सब लोग बोलने लगे इसलिये बोलना चाहती, मैं ज्यादा बोलणा चाहतीण बोलणा आता है; मेरे को यह दुःख की बात, सी. बी. आई. की जांच के लिये सब लोग आये थे।

श्री शोपतसिह : उणें करवा लीजिये जांच....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शोपत सिह जी, कृपया इस प्रकार से डिस्टर्ब न करें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

पहली दफा बोल रही हैं, इनको चांस दीजिये। गांव से आई हैं, आप गांव के बड़े हिमायती हैं....

श्रीमती इकबाल कौर : माननीय श्री केदारजी होम मिनिस्टर थे, पता नहीं उनके साथ मिलकर क्या किया, आज रोणा चाहते हैं राजा मानसिह जी, हमने सी. बी. आई. की जांच तो लगा दो....

श्री शोपतसिह : उणे अब लगा लीजिये सी. बी. आई. की जांच।

(व्यवधान)

श्रीमती इकबाल कौर : उनका तो केस ही फाइनल हो गया, उण में अब सी. बी. आई. की जरूरत ही नहीं रही....

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : इतना नहीं करता तो....लग जाण दो....

श्रीमती इकबाल कौर : मैं नहीं बोलणा चाहती अपने पुराने साथी के बारे में, मैं अपणा नहीं चाहती थी, यह दुःख की बात है कि सवेरे से बार बार आती थी कि मानसिह जी की सी. बी. आई. से जांच, उनकी सी. बी. आई. तो लग गी। कोई दुःख की बात नहीं है, हमारे तो सी बी.आई. भी नहीं लगी यह दुःख की बात थी। सरदार गुरदयाल सिंह जो तीन दफा एम. एल. ए

(श्रीमती इकबाल कौर)

बन चुके हैं जनता पार्टी के, यह नहीं हमारे मोटे आदमी नहीं है इसलिये जांच नहीं लगणी चाहिए····

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं तो आप क्यों बार बार खड़े होते हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वरलाल जी सैनी कृपया । माननीय सदस्य·····················प्रो. श्री केदारजी·······

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष जी, मैं बहिनजी की तारीफ करता हूं, दिलेर औरत हैं । बड़ी हिम्मत वाली औरत हैं इनके जो स्वसुर, हमारे बड़े स्वतन्त्रता सेनानी, निर्भीक, त्यागी । उनके मर्डर के बाद, मैं तो 5-7 दिन बाद वहां पहुंच गया था, होम पोर्टफोलियों मेरे पास नही था, मिनिस्ट्री से मैंने स्तीफा दे दिया था । मगर डब्लू जो मेन मुलजिम था, उसको फोरन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ जो दूसरा आदमी था उसका भी चालान कर दिया गया । इसलिए सी. बी. आई. की जरूरत नहीं थी, हमने मौके पर पहुंच कर चालान करवा दिया । इसलिये बहिनजी ऐसी बात नहीं थी । हम गये, पूरी हमदर्दी थी । उनका जब चालान हो गया, केस हमारे पास नहीं था, कोर्ट में क्या हो····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

श्रीमती इकबाल कौर : डब्लू अकेला नहीं । डब्लू वगैरह तो तीसरे दिन ही पकड़ लिये गये थे । 20 आदमी और थे, नत्थासिंह वगैरह कोई माने आदमी नहीं जी, कोई जानते हो वाली बात नहीं, तीन आदमी तो तीसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिये गये थे, जनता पार्टी का राज । मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वरलाल सैनी, कृपया आप शुरू करें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आई. जी. ने यह महसूस किया कि थानेदार तो एक ही रहना है तो उन्होंने पुन: गृहमंत्रीजी को लेटर भेजा कि आप यह नाम बता दीजिये कि इन तीनों थानेदारों में····

श्री केदारनाथ : एक थाने का नाम बता दीजिये ।

श्री डूंगरराम : थाने का नाम बतायें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह थाना है चूरनावट, थाना गंगानगर ।

श्री केदारनाथ : मैं चेलेन्ज करता हूं; अगर मैंने वहां दो थानेदार का ट्रांसफर किया हो, तो इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, मेरी बात सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजयसिंह : आप इस बात के लिये चेलेन्ज स्वीकार कर लें। इस बात के लिये या तो आप त्याग पत्र दे दें या ये त्याग पत्र दे देंगे। इन्होंने कह दिया। आप स्वीकार कर लीजिये इनके चेलेन्ज को।

(व्यवधान)

आप जिम्मेदारी से बात करें।

श्री नवरंगसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रो. केदारजी जैसे सन्त आदमी के लिये ऐसी बात कह रहे हैं। ये वापिस लें इस बात को....

(व्यवधान)

यह गलत चार्ज है, ये वापिस लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी बात इस बात से साबित होती है....

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अपने शब्द माननीय सदस्य को वापिस लेने के लिये कहें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को थाने का नाम ही सही पता नहीं है पहले कह रहे थे जूनागढ़ और अब कह रहे है चूरनावहट

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : आप थाने का नाम ही शुद्ध नहीं बता सकते हैं तो क्या बतायेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ईश्वरलालजी क्या यह चेलेन्ज स्वीकार है।

श्री डूंगरराम : सुनी सुनाई बात है, बेबुनियाद बात है....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : साबित करूंगा।

श्री शोपतसिंह : इस्तीफा दो, दोनों लिखकर। केदारजी इस्तीफा देने को तैयार है आप भी दे दो....

श्री ईश्वरलाल सैनी : अभी साबित करूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : तूसी ऐसा कही थी, तूसी देखी थी....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी बात सुन लीजिये आप।

(व्यवधान)

मेरी बात इससे साबित होती है कि आखिर गृह मंत्री को हटना ही पड़ा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आवश्यक नहीं कि हर बात को सीरियसली लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी : इसी बात पर चलना है तो हम भी सुनते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता ने बड़ी संजीदा बात कही है····

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना में, जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे हैं प्रोफेसर केदार जैसे सन्त आदमी के लिये जिन्होंने अपना सारा जीवन त्याग दिया·········इसलिये वह चेलेन्ज वाली बात कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं जनता शासन की बात कर रहा हूं।

श्रीमती इकबाल कौर : जनता पार्टी की राज की बात है, केदारजी की कोई बात नहीं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी बात इस बात से साबित होती है कि जनता····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वरलाल जी सैनी की बात को सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका कई बार इलाज हो चुका है इसलिये जो बात भी यह कहते हैं उसको शांति से सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आपने बड़े पते की कही।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी बात इस बात से साबित होती है कि उस समय के जनता पार्टी के मुख्य मंत्री को आखिर····

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : मैंने मान्यवर, इस्तीफा दे दिया और उस वक्त कोठी और कुर्सी छोड़ दी, आपकी तरह चिपका नहीं कुर्सी के साथ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय शवतावत साहब को भी गृह मन्त्रालय बदलना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रेकार्ड है एक सत्र में तीन मुख्य मंत्री बदलने का।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने तो गृह मंत्री बदले, ये तो मुख्य मंत्री बदल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोफेसर केदार जैसा ईमानदार एक आपके मन्त्रिमण्डल में हो तो बता दीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं ईमानदारी की बात नहीं करता, बेइमानी की बात नहीं की मैंने। मैंने कहा कि आपके जनता शासन में इस प्रकार का भी था कार्य पुलिस विभाग में जिससे ला आर्डर पर बुरा असर पड़ा, पुलिस अनुशासन बिगड़ा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे चलो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब सुनिये, आप भ्रष्टाचार की बात सुनिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके पास ईमानदार नहीं हैं कोई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा, ईमानदारी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, आप लोगों को शान्त रहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनता पार्टी की बात कर रहे हैं हम तो बरदाश्त कर लेते हम कह रहे हैं तीन-तीन मुख्य-मन्त्री क्यों बदल दिये, कारण तो बताओ, बेइमान थे, खराब थे, कुछ तो आक्षेपों का उत्तर दो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उजलाजी, मैं बेईमानी की बात नहीं कर रहा, मैंने भ्रष्टाचार की बात उठाई है, कार्यप्रणाली की बात कही है, किस प्रकार के कार्य हुआ करते थे अपने जनता शासन काल में।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी ने तीन-तीन मन्त्री बदल दिये। आपको ढाई साल के शासन में ही बाहर कर दिया।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप फिर जाओगे वो दिन दूर नहीं।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे कीर्तिमान तोड़ दिये जिस प्रकार कोई आदमी ××× बदलता है इस तरह से इन्होंने मुख्य मन्त्री बदले हैं, क्या बात है, आदमी ××× एक साल रखता है।

(व्यवधान)

जनता पार्टी में मिनिस्टर को, पार्टी के एम. एल. ए. को पीटा नहीं गया और नंगा नहीं किया गया जो आपने हरकत की वह नहीं की इन्होंने, कम सेकम यह बात ठीक है, आपने दिल्ली में जाकर पीटा अपने लोगों को।

श्री उपाध्यक्ष : आप कटौती प्रस्ताव पर बोलें, जनरल डिस्कशन नहीं है, कृपया।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : गृह मन्त्री बदले, भ्रष्टाचार की पराकाष्टा थी, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं जिस समय चुनकर आया था 80 में, मैंने एक एक बिन्दु उठा लीजिये, भ्रष्टाचार की चर्चा की। जो गृह मंत्री उस वक्त में थे, अंकुर सिनेमा में आज भी उनको हिस्सा है। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार चोरी, डकैती, आपके शासन काल में....

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको ध्यान है कि कांग्रेस हाइकमाण्ड ने 11 मन्त्री मण्डल के सदस्यों के टिकट इसलिए काट दिये कि उनकी इमेज खराब थी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी पार्टी के बारे में आप कुछ नहीं कहें।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक महीने में तीन थानेदार भेजे....

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी पार्टी का अन्दरूनी मामला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी पार्टी का अन्दरूनी मामला है, देश का बाहरी मामला है, भ्रष्टाचार का मामला अन्दरूनी नहीं, बिल्कुल बाहरी है, उसकी चर्चा की जायेगी, निन्दा की जायेगी, उसका पर्दा फाश किया जायेगा।

श्री हरीश पल्लीवाल : हम भ्रष्टाचार के साथी नहीं हैं हम भी उसकी चर्चा करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जरूर चर्चा करिये, हमें इससे कोई दुख नहीं है। आप जनता राज में भ्रष्ट भ्रष्ट मन्त्री था तो उसकी चर्चा करिये लेकिन इस सदन में जब आये तब यही कहा जाता है कि तीन थानेदार एक थाने में भेज दिये जब आलोचना कर रहे हैं तीन थानेदार भेज दिये हों भेज दिये डंके की चोट लेकिन रिश्वत लेकर नहीं भेजे और मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आपकी सरकार ने डाइरेक्टर जनरल....

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

एक माननीय सदस्य : आप स्वीकार कर रहें है कि तीन-तीन थानेदार....

श्री मानिकचन्द सुराणा : श्रवण-कुमार, मुरलीधर और जगमालाराम को आपने कम्प्यूटर में लगाया और आज आपकी सरकार ने उन्हीं थानेदारों को बीकानेर जिले में भ्रष्टाचार करने के लिए भेज दिया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके राज मे चोरियां, भ्रष्टाचार

श्री मोहन छंगाणी : आरोप-प्रत्यारोप का समय समाप्त हुआ। अब डिबेट जारी रखें, कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने बड़ी पते की बात कही, बहुत अच्छी बात है, आरोप-प्रत्यारोपों का समय समाप्त हो गया, कृपया विषय पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं विषय पर बोल रहा हूं, अगर जरा सा बाहर जाऊं तो मुझे बताइये। मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार से भरी सरकार बदल गई। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो खालिस्तान मामले के से, आतंकवाद के मामले से हुई और उसको भी जिस दृढ़ता से हमारी इन्दिरा गांधी ने फेस किया वह सारा विश्व जानता है, यहां तक

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

कि उन्होंने बलिदान कर दिया अपने आपको 30 अक्टूबर, 1980 को—

(व्यवधान)

मैं अनुशासन ला एण्ड आर्डर की बात कर रहा हूं, यह हिन्दुस्तान में आतंकवाद समाप्त करने के लिए, ला एण्ड आर्डर नहीं बिगड़े।

श्री शिवचरण सिंह : पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेन्ट को क्यों हटाया।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : माननीय सदस्य आप कांग्रेस में थे, छोड़कर चले गये, पता नहीं क्यों जलन हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यहां तक कि इन्दिरा गांधीजी ने ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। 30 अक्टूबर को उनकी जो लास्ट स्पीच थी मेरी एक एक बूंद अगर मर जाऊं तो देश के काम आयेगी ऐसा बलिदान, ऐसा साहस ऐतिहासिक है इतिहास में दोहराया जायेगा।

राजीव गांधी ने अपना शासन संभाला, उस वक्त आतंकवाद, इन्दिरा गांधी के निधन पर जो दिल्ली और उसके आसपास जो आतंकवाद की गड़बड़ी थी उन्होंने किस दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला किया, ला एण्ड आर्डर मेन्टेन किया यह भी एक मिसाल है। हमारे युवा प्रधान मन्त्री कटिबद्ध हैं कि हिन्दुस्तान में जो आतंकवाद पंजाब में पनप रहा है उसका दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं और उसको समाप्त करेंगे इसमें दो राय नहीं है।

श्रीमन्, मेरा कुछ, यह तो इन्होंने मजबूर कर दिया, बोलने के लिये मैं चाहता हूं कि पुलिस के बारे में सजेशन दूं। साथियों राजस्थान की....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाईम नोट कर लिया जाय मैं मजबूर हूं, माननीय सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं।

राजस्थान की लगभग साढे तीन करोड़ जनता और उस अनुपात में हमारी जो स्ट्रेन्थ है वह 50749 है पुलिस की इस हिसाब से एक पुलिस का व्यक्ति 700 की जनसंख्या पर आता है। वैसे तो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया है कि 577 पुलिस थाने हैं और 703 चौकिया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी जन संख्या को देखते हुए हमारे यहां थानों और पुलिस चौकियों की कमी है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर थानों की संख्या और पुलिस चौकियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। अभी अभी आपने देखा होगा कि आज भी जो पुलिस का आठवां पुलिस कमीशन बैठा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक कमीशन, आठवां नहीं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आठवां, आठवां, ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुलिस कमीशन की आठवीं रिपोर्ट यह बोलो, आठवां नहीं ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : तो पुलिस कमीशन के लिये मैं निवेदन कर रहा था कि पुलिस कमीशन ने पुलिस के लिये यह घोषणा की है कि पुलिस कमीशन की मीटिंग होगी और मैं हमारे मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने सुझाव भेजें । पहले जो पुलिस कमीशन ने यह कहा था कि 50 प्रतिशत तो पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार उसके खर्च को वहन करेगी और 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार उसको वहन करेगी लेकिन मैं समझता हूं कि 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार उसको वहन नहीं कर सकती है इसलिये इस पर पुनः विचार पुलिस कमीशन कर रहा है और उसकी मीटिंग बुला रहा है, वह पुनः मीटिंग बुला रहा है । तो मेरी मान्यता है कि यह निश्चत तौर पर सारी राशि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये केन्द्र सरकार वहन करेगी । वह पैसा केन्द्र से दिया जायेगा । यही नहीं केन्द्रीय पुलिस कमेटी बनायी है और केन्द्रीय पुलिस कमेटी यह चाहती है कि अगर कहीं पर कोई ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती है किसी भी प्रदेश में हिन्दुस्तान के अन्दर तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस स्थिति को सुधारने के लिये व्यवस्था की जायेगी । मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे राजीव गान्धी जी के नेतृत्व में ला एण्ड आर्डर की स्थिति हमारे देश में सुदृढ़ होगी ।

(व्यवधान)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ निजी सुझाव हैं । मेरा सबसे पहला सुझाव है कि हमारे यहां पर जो अन्वेषण होता है, जो ईनवेस्टीगेशन होता है, वह साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है । इसलिये मैं गृह मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और पुलिस विभाग में हमारे यहां पर अच्छे से अच्छे साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टीगेशन हो उसके लिये व्यवस्था करने का प्रयास करें ।

इसके अलावा हमारे यहां पर सी. आई. डी. विभाग के लोगों को भी निश्चित तौर पर एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिये । वह काम वह कर सकती है । हमारे यहां पर एक और विभाग है, उपाध्यक्ष महोदय, एफ. एस. एल. । फोरेन्सिक लेबोरेठरी उसमें दो ग्रुप पनप रहे हैं एक तो डाइरेक्टर और दूसरा डिप्टी डाइरेक्टर जो आपस में झगड़ा करते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर उसका प्रभाव पड़ता है और जो पुलिस इन्वेस्टीगेशन के केसेज फोरेन्सिक लेबोरेट्रीज में जाते हैं उन पर जरूर असर पड़ता है इसलिये मेरा निवेदन है कि गृह मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें और उसको दूर करने की कोशिश करें । जहां तक सिपाहियों का संबंध है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जहां तक सिपाहियों का संबंध है, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके चेतन में वृद्धि होनी चाहिये। यही नहीं, बल्कि जिस प्रकार इग्लैण्ड में चाहे वह कोई सिपाही हो चाहे वह कोई अधिकारी हो, वह अफसर की दृष्टि से देखा जाता है, उनका मान सम्मान होता है लेकिन यहां पर वह बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इग्लैण्ड में पुलिस का नाम क्या है? जैसे हमारे यहां पर राजस्थान पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस है वहां पर पुलिस का नाम क्या है?

श्री ईश्वरलाल सैनी : वहां सिपाही नहीं अधिकारी होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे योग्य व्यक्ति को जिनको पुलिस की इतनी जानकारी हो उसको राजस्थान का गृहमंत्री आप हरिदेव जोशी जी को कह कर बना दें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : देखिये, सिपाही हो या अफसर हो, पर आपने सिपाही को पावर तो बहुत दे रखी हैं। यदि कोई झगड़ा होता है तो झगड़ालू व्यक्ति को वह पुलिस का सिपाही अरेस्ट कर सकता है, वारन्ट निकालने का भी उसको अधिकार है लेकिन उस सिपाही की स्वयं की ही हिम्मत नहीं पड़ती है और उसको लोग भी मामूली सिपाही समझ कर धमका कर भगा देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सिपाही और पुलिस के लोगों को पूरा वेतन मिलना चाहिये ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके दिमाग से मानसिक या आर्थिक तनाव दूर हो। हमारे पुलिस में, उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश शासन की एक प्रथा थी जिसको खतम किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने मेरा समय तो बरबाद कर दिया व्यवधान डालकर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो प्रोसीक्यूशन ब्रान्च थी वह पुलिस विभाग के तहत थी। पर अब वह पुलिस विभाग से अलग हो गयी है। इससे हमारे जो केसेज होते हैं-उन पर बुरा असर होता है। कई केसेज खारिज हो जाते हैं और कई केसेज में एक्वीटल हो रहे हैं जो प्रोसीक्यूशन करता है, पुलिस से जो चालान पेश होता है उसमें जब तक पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक मेरा मानना है कि हमारे जो केसेज होते हैं वह बिगड़ते चले जायेंगे। आज जिले के एस.पी. का ए.पी.पी. जो वहां पर होते हैं जिले में जो कि पैरवी करते हैं, उस पर उनका नियन्त्रण नहीं है। मेरा आप से निवेदन है कि इसको पुनः पुलिस विभाग में दिया जाना चाहिये और राज्य सरकार को इस पर पुनः सोचना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि प्रोसीक्यूशन-विभाग को पुलिस विभाग को दिया जावे।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है, उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मेरे साथियों ने बोला था कि और उसमें मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कितनी गलत बात है कि हमारे पुलिस विभाग को स्टेशनरी नहीं दी जाती है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार इस बजट में प्रोविजन करे और राजस्थान के सारे थानों में स्टेशनरी दी जाय। आज जब भी कोई व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उससे मांग होती है कि स्टेशनरी लावो। उनसे पैंसिल की मांग की जाती है उनसे कार्बन की मांग की जाती है और पता नहीं क्या मांगें करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार इस पर सोचेगी और स्टेशनरी का जो कि बहुत जरूरी है और जिसकी हम सभी पुकार कर रहे हैं उसको सोच समझकर राज्य सरकार देने के लिये कदम उठायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह महिला पुलिस हमारे यहां पर है पर उसका स्टेटस बढ़ाया जाना चाहिये, यह बहुत आवश्यक है महिला पुलिस का जो अनुपात है वह कम हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि महिला पुलिस की भरती को तरजीह नहीं दी जाती है उसको पुलिस अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल हेय दृष्टि से देखते हैं मुझे याद पड़ता है कि एक दफा महिला पुलिस की भर्ती हुई।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : महिला पुलिस की बाहर तो इतनी वकालात करते हो, यहां क्या हो रहा है। उसको तो देखो, यहां क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उनके मान सम्मान की रक्षा की जानी चाहिये और महिला पुलिस की भर्ती में वृद्धि होनी चाहिये। उनके अनुपात में वृद्धि होनी चाहिये। यहां पर उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जावे उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

साहब, अभी तो समय मिलना चाहिये मेरा सारा समय तो आपने बिगाड़ दिया, मेरे पाइन्ट जो रह गये हैं वह कैसे पूरे होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वाद विवाद हो गया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं शार्ट में कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक और बात मुझे याद पड़ती है कि आपकी तबीयत नासाज थी मुझे इसका थोड़ा ख्याल है। आप समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरे पाइन्ट्स रह जायेंगे, साहब। तबियत तो मेरी खराब है पर मेरे पाइन्ट्स रह जायेंगे। राज्य सरकार ने हमारे पुलिस विभाग में.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सबसे बड़ी बात जो हमारे यहां पर एक ग्रार्डरली की व्यवस्था है यह ग्रार्डरली की व्यवस्था निश्चित तौर पर खत्म करनी चाहिये। ग्रार्डरली से ग्राफिसर लोगों के बच्चों को खिलाना, उनके यहां पर कपड़े धोना वगैरहा वगैरहा कई काम लिये जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि सिपाहियों से ग्रार्डरली का काम नहीं लिया जाये ग्रौर चूंकि इससे उन का मनोबल गिरता है इसलिये इसको बन्द किया जाना चाहिये उनका काम फाइलें इधर उधर देने का होना चाहिये। इसलिये इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यह लांगरियों के बारे में है। जो पुलिस लाइन में खाना बनाते हैं या थानों में खाना बनाते हैं उनको दो-दो सौ रुपये तनख्वाह दी जाती है, उनकी स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिये। यहां पर थाने में सिर्फ सौ सौ रुपये ही दिये जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह लोग पूरा समय खर्च करते है ग्रौर ईमानदारी से काम करते हैं पौष्टिक ग्राहार लांगरियों को ग्रौर हमारे सिपाहियों को नहीं मिलता है। पुलिस लाइन ग्रौर थानों में इसकी व्यवस्था नहीं है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि लांगरियों को नियमित कर दिया जाय। हमारे यहां पर जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये राजस्थान में जो कालोनीज बनायी जाती हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड की कालोनी हो चाहे यू. ग्राई. टी. की कालोनी हो ग्रौर चाहे ग्रन्य कोई कालोनी हो उन कालोनीज में लॉ एण्ड ग्रार्डर को मेण्टेन करने के लिए थाने बनाने की व्यवस्था उन्हीं विभाग के द्वारा होनी चाहिये।

ग्राज हमारी हालत यह है कि हमारे यहां थाने नहीं हैं, पुलिस चौकी नहीं है, टैंट में हमारे थाने चल रहे हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल यह दे सकता हूं कि जहां हम रहते हैं हमारे विधायक नगर में, हमारे यहां पुलिस चौकी ग्राज भी टैंट हाउस में चल रही है। होना यह चाहिए था कि जब विधायक नगर चौकी बना ग्रौर पुलिस स्टेशन की व्यवस्था पहले होती पुलिस के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिये सरकार को पैसा देना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस को पैसा दें। जो इनके लिए ग्रापने योजना बना रखी है वह बननी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के बारे में निवेदन है कि निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस की हालत खस्ता होने की वजह यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है, पुलिस की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, पुलिस के सिपाही नहीं हैं, ग्रधिकारी नहीं हैं। ग्राज जयपुर में एस. पी. रैंक का ग्रादमी ग्रधिकारी बनाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को ज्यादा ग्रधिकार देने चाहिए। यही नहीं सारे राजस्थान में पुलिस के ग्रधिकारियों की व्यवस्था करें...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, बहुत समय हो गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमारे जो ड्यूटी ग्रधिकारी हैं ट्रैफिक के वह यह ड्यूटी समझते हैं कि ग्राज हमारे ग्राई. जी. यहां से गुजर रहे हैं, हमारे डी. ग्राई. जी. यहां से गुजर रहे हैं ग्रौर वह गुजर जायेंगे तो हमारी ड्यूटी खत्म।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; Stop it. कृपया बैठें।

Page No 222

(222)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा सुझाव है, मुझे अलवर के बारे में भी थोड़ी बात कहनी है।

श्री शोपत सिंह : मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं सदन में, समझकर सोचकर ही बोलें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा दिल्ली में किया है, वहां आज आठ घण्टे की ड्यूटी लगी है ताकि मानसिक तनाव उनका दूर हो। पुलिस की ज्यादा भर्ती होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य और बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : 24 घण्टे पुलिस अधिकारी काम नहीं कर सकता, अपने घर बाहर से दूर नहीं रह सकता। यहां यह हालत है कि चौबिस घण्टे काम करना पड़ता है। आज दिल्ली में आठ घण्टे की ड्यूटी है, केवल एस. पी. की नौ घण्टे की ड्यूटी है, उसको भी बीच में रेस्ट मिल जाता है ताकि उसका मानसिक तनाव दूर हो सके।

श्री दाऊदयाल जोशी : यहां पर जो प्रहरी खड़े हैं, कितने घण्टे काम कर रहे हैं, अपनी आंखों से देखो इन गरीब प्रहरियों की तरफ, की यह कितने घण्टे ड्यूटी देते हैं। बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा समय इससे नष्ट हो रहा है, कृपया मुझे और समय दें। मैं निवेदन करूं कि ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य जब से ट्रांसपोर्ट विभाग को दिया है। तब से बहुत गड़बड़ी हो रही मैं एक केस आपको बताना चाहता हूं। टाइम्स आफ इन्डिया में तीन जुलाई को एक समाचार छपा है कि भटिण्डा, पंजाब में दो आतंकवादी पकड़े गये जिनके नाम स्वर्ण सिंह और सरदार चरण सिंह चरनी हैं। उन्होंने फर्जी नाम बताया था, एक का गुरु सेवक सिंह और दूसरा बल्ली, इन फर्जी नामों से उन्होंने अलवर से लाइसेंस लिये और वह आतंकवाद के मामले में पकड़े गये। जो चरनी था उस पर पुलिस ने पन्द्रह हजार रुपये का इनाम रखा था। इसलिए मै निवेदन करना चाहता हूं या तो राज्य सरकार ड्राइविंग लाइसेंस देने के काम को ट्रेफिक पुलिस को पुन: दे दे या फिर जब तक उसके चाल-चलन की जांच नहीं हो जाये, पुलिस विभाग जांच न कर ले उसको लाइसेंस का अधिकार नहीं दिया जाए। मैं समझता हूं, मेरे सुझाव पर आप निश्चित तौर से ध्यान देंगे। यही नहीं जिस प्रकार हमारे अधिकारी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्टाप करें, इसका अन्त नहीं होने वाला, और भी बोलने वाले हैं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बन्दूक के लाइसेंस उग्रवादियों से पकड़े गये हैं इनकी सिफारिश पर मिले हैं....

एक माननीय सदस्य : बन्दूक के लाइसेंस की नहीं ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय मेरा वेस्ट किया है इन्होंने मुझे समय दिया जाये। मेरे अलवर जिले में कोतवाली है, थाना है सदर है और एम. आइ. ए. लगायेंगे और सदर थाना रामगढ़ है जहां दो चौकियों को प्रमोट करेंगे, अकबरपुर चौकी की फाइल चल रही है पुलिस विभाग में, उसको भी बढ़ायेंगे। साथ ही हमारे बड़े-बड़े पुलिस स्टेशन हैं वहां पर जीप की व्यवस्था करायेंगे और जयपुर जहां बड़े थाने हैं, इन्सपेक्टर हैं, जिसमें सदर थाना राजगढ़ है, बहरोड़ है, लक्ष्मणगढ़ है यहां पुलिस चौकी को व्यवस्था करायेंगे। अभी-अभी आपने कहा कि जीप नहीं होने की वजह से....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शॉर्ट करें, समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ का आधा क्षेत्र यहां पर जीप की व्यवस्था करायें।

(व्यवधान)

मेरा आपसे निवेदन है कि निश्चित तौर से वहां जीप की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी एक डकैती पड़ी थी अलवर थाने में....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, नो एन्ट्री।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दो मिनट में समाप्त कर दूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय वरिष्ठतम सदस्य, कृपया बैठ जायं। बोलने वाले बहुत सदस्य हैं। I have noted the time.

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा कटमोशन है। मेरा आखरी पाइन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : I have noted the time.

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा कटमोशन है, एक पूर्व में डी. एस. पी. कपूर थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्टाप करें, Stop it.

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा कटमोशन देख लीजिए, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां है कटमोशन--

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक मिनट और लूंगा। बिल्ली के भागसे छींका टूटा जो उनको एस. पी. बना दिया, उनके कार्यकाल में दो गलत काम हुए। एक तो आर. ए. सी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य कहना नहीं मानेंगे तो उलझन हो जायेगी। समय कम है I will ask not to note down now. Kindly, for God's sake, sit down.

श्री ईश्वरलाल सैनी : व्यवधान डालकर मेरा समय नष्ट कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, बैठ जायें। वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन

(श्री उपाध्यक्ष)

दन करूंगा, कृपया सहयोग करें। सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांगों पर यह सरकार कितनी सवेदनशील है, कितनी गम्भीर है, कितनी संजीदा है इसकी मालूमात आज सुबह की बहस से चली। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पुलिस की गोलियों से निर्दोष लोग मारे जायें और सदन में बार-बार आवाज उठायें, सरकार यह घोषणा करे कि वह जांच करवा रही है और कुछ केसेज में जांच रिपोर्ट तैयार हो जाए और उस पर सरकार महज प्रतिष्ठा के लिए जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर न रखे, मैं यह नहीं कह सकती, लेकिन सरकार जनता के मामले में कितनी गम्भीर है इस बात का अन्दाजा जरूर हो सकता है कि सरकार पुलिस को कितना गलत प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार पुलिस को उकसा रही है कि उन्होंने इतनी जगह गोलियां चलाई हैं, जरूरत पड़े तो और भी गोलियां चलाकर गरीब जनता को भून दे लेकिन सरकार के पास दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का समय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, इस सदन में कई बार कहा जा चुका है कि धौलपुर में महिलाओं का व्यापार हो रहा है, सरकार की जानकारी में है कि धौलपुर में खुलेआम महिलाओं का व्यापार होता है। राजस्थान के एक जिले में इतना गलत काम होता रहे और सरकार मौन रहे तो मुझे कहना पड़ता है कि सरकार किस काम की, अगर औरत की अस्मत नहीं बचा सकते तो मैं समझती हूं आपको सरकार में बैठने का कोई अधिकार नही मुझे सरकार से उम्मीद नहीं है आई. जी. पी. साहब नये आये हैं मैं उनसे इतना जरूर निवेदन करना चाहती हूं कि इस सरकार के भरोसे राजस्थान की महिलाओं को मत छोड़िये। आपके सामने इन महिलाओं की एक चुनोती है। स्वीकार कीजिए। अगर ताकत है तो अपने कार्यकाल में ही धौलपुर में महिलाओं का व्यापार बन्द कीजिए, चाहे इस राजस्थान में आपको पुलिस सब जगह से चिथड़ा करनी पड़े तो कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख की बात है इस धौलपुर में महिलाओं के व्यापार के मामले में एक डी. आई. जी. साहब की रिपोर्ट आ चुकी है किशनलाल जी की। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन महिलाओं के व्यापार को राजनैतिक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। उसमें नाम लिखे हैं उन्होंने जिन जिन लोगों का प्रोटेक्शन हैं और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार इस तरीके से संरक्षण देकर आखिर चाहती क्या है? आज उन महिलाओं का व्यापार हो रहा है, भूलिये मत आपके और हमारे घरों मे भी मां बेटियां हैं। हम इस सदन में भी महिलायें बैठी हुई हैं। कल को किसी के साथ भी इस तरह की वारदात हो सकती है। क्या करेंगे उस समय आप? क्या इलाज रह जायेगा? क्या आप यह सोचकर बैठे हैं कि आज आप मंत्री हैं, आज हम लोग इस सदन में बैठे हुए हैं कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं तो हम लोग किसी दूसरे की चिन्ता नहीं करें। भूल जायें उन गरीब लोगों को जिनसे हम वोट लेकर आये हैं, जिन्होंने आज सारे अधिकार हमारे हाथ में दे दिये। क्या यह सरकार हमारी अस्मत

(सुश्री पुष्पा जैन)

की रक्षा करेगी ? और हम यह भूल जायें और इतने संजिदे विषय को आज मखोल में उड़ा दें। आज सुबह से ही हाउस लाइट है बल्कि लोगों ने मखोल में उड़ा दिया। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज बहस होने वाली थी। अच्छा होता कि सरकार सुबह से ही संजीदगी दिखाती तो हमें लगता कि सरकार इस मामले में कुछ करेगी। मंत्री महोदय और किसी मामले में आप संजीदा हों या नहीं हों, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि धौलपुर में महिलाओं का व्यापार बन्द कीजिए। धौलपुर के साथ साथ जितने भी गांव जिले और साथ में सीमायें लगती हैं उन सब में आप मालूम कर लीजिए कि महिलाओं का व्यापार हो रहा है। मेरी बात गलत है तो मैं आप से माफी मांगूंगी और अगर मेरी बात में दम है, मेरी बात सही है तो ईश्वर के लिए कुछ कीजिए। हमें इन दरिन्दों के रहमोकरम पर मत छोड़िये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में कितनी ही हत्यायें हो चुकी हैं। सारी हत्याओं का जिक्र करूंगी तो न जाने कितने दिन लग जायेंगे····

(व्यवधान)

क्या फरमाया आपने ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : ···व्यवधान की बात कर रहा हूं। बहुत व्यवधान डाला। आधा घण्टा खराब कर दिया। पूरी बात नहीं कहने दी।····

सुश्री पुष्पा जैन : क्या बात कह रहे हैं गऊ हत्या की ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ···माननीय सदस्य बोल रहे हैं ना कि सुन लीजिए। मैं इनसे कह रहा हूं कि आप सुनिये मैंने तो 5 साल सुन लिया इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : ···आपको ज्यादा बात है सुनने की इनकी। आपके काम आयेगी इनकी बातें सारी।

श्री शिवचरण सिंह : ···बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया कि स्त्रियों का व्यापार होता है। अगर आपकी पार्टी के लोग इस व्यापार में शामिल हैं तो नाराज क्यों होते हैं ? वह तो हैं। वह तो शामिल। सुनो अभी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग निर्लज्जता की छाप लगा रहे हैं ऐसे मामलों में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप इनको ताड़ना दीजिए. गंभीरता से लें। महिलाओं की हंसी उड़ा रहे हैं····एक गंभीर मसले पर हंसी उड़ाने की बात करते हैं····

श्री ईश्वरलाल सैनी, : ···व्यवधान की बात कर रहा हूं। मैं बोला तो बहुत व्यवधान डाला। अब भी व्यवधान डाला है तो आपकी पार्टी वालों ने ही डाला है····

श्रीमती उजला अरोडा : इनको बाहर निकाला जाये। यह बैठने के काबिल ही नहीं हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमने सब सुन रखा है। आपकी जनता पार्टी का शासन भी हमने देख रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य जरा शांत रहकर ही उनको सुनें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वैसे तो अनेक हत्यायें हुई हैं जिसमें कोई पुलिस की कार्यवाही नहीं की। मैं सारी हत्याओं का जिक्र नहीं करके सीमित दायरे में जाऊंगी। अभी हाल ही में पाली जिले में हर जगह पर हत्यायें हुई। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, पाली में सोन सर्राफ की हत्या हुई आज तक पुलिस हत्या का सुराग नहीं लगा सकी। उसके बाद राजेश जैन की हत्या हुई। पुलिस ने कोई मुलजिम नहीं पकड़ा। इसके बाद रूपावास में पुत्र और पिता की हत्या हो गयी उसमें भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जो मेन कल्प्रिट थे, मेन मुलजिम थे, वह आज खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरे लोगों को पकड़ कर पुलिस ने अन्दर बन्द कर दिया।

(विराम)

(7.55 म.प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यु।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, राकेश जैन के बाद रूपावास में पिता और पुत्र की हत्या हो गयी और अपराधी नामजद हैं। सब को मालूम है कि किस ने मारा है और बाकायदा साजिश करके उन पिता पुत्र को जो कि शादी का निमंत्रण देने के लिये ढाणी में जा रहे थे और बन्दूक से फायरिंग करके हत्या कर दी। पुलिस ने मेन मुलजिम को पकड़ा नहीं और दूसरे लोगों को पकड़ कर एक खाना पूर्ति करने का प्रयास किया है। इसके बाद गडवाड़ा रोहित पंचायत समिति के गड़वाड़ा गांव में पति, पत्नी और पुत्र तीनों की हत्या हो गयी और इतनी गन्दी हत्या हुई है कि औरत के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद पति को मार डाला, औरत को मार डाला और उसका छोटा सा बच्चा देखा कि वह किसी को कह न दे तो उस बच्चे को भी मार डाला। मुझको कहते हुए शर्म आती है, सभापति महोदय, कि इतनी गन्दी हत्या को पुलिस ने 304 (ए) का मुकदमा बना दिया और मुलजिम जमानत पर रिहा हो गए। केस रफा-दफा हो गया। इसके बाद जैतारण में वहां के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वहां थाराड़ी में हत्या हो गयी। माननीय सदस्य ने पूरी कोशिश कर ली कि पूरे मुलजिम गिरफतार हो जायें लेकिन पुलिस ने न इनकी परवाह की और न किसी की परवाह की। जो चाहा वह किया। रास में हत्या हो गयी उस पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। बाली, खारची, नानना, रायपुर में हत्यायें हो गयीं। सभापति महोदय, अभी अभी दो दिन पहले आमेर में पचार गांव में हत्या हो गयी और दुख होता है कहते हुए कि सरपच साहिबान मुलजिम को बचाने की साजिश कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। सादड़ी....

एक माननीय सदस्य : यह आरोप गलत है, × × × है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। Please let her speak.

सुश्री पुष्पा जैन : क्या फरमाया हत्या नहीं हुई।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर····

सुश्री पुष्पा जैन : हत्या नहीं हुई क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : × × × शब्द एक्सपन्ज किया जाये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, अगर पचार में हत्या नहीं हुई तो मैं अपने आपको करेक्ट कर लूं। शायद माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि पचार में हत्या नहीं हुई····

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं। आर्डर प्लीज; आर्डर। प्लीज कन्टीन्यु। कृपा करके इन्टरप्ट नहीं करें इस प्रकार।

सुश्री पुष्पा जैन : पाली जिले में सादड़ी में बख्तारिया बावरी की हत्या हो गयी पुलिस ने इस पर कुछ नहीं किया। अब सभापति महोदय, इतने केसेज हो जावें अगर पुलिस कुछ नहीं करे तो आप मुझे यह बताइये कि जो गलत लोग हैं, अपराधी हैं उनको हम क्या कहना चाहते हैं ? क्या राह दिखाना चाहते हैं ? क्या दर्पण दिखा रहे हैं कि आप हत्यायें कीजिए, लोगों को मारिये और हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आखिर यह पुलिस किस काम की है ? क्यों यह थाने लगा रहे हैं ? क्यों इतना करोड़ों रुपया राजस्थान की गरीब जनता का बिगाड़ रहे हैं जब कोई कार्यवाही ही नहीं करनी। "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर सब्जी टके सेर खाजा" ऐसे ही राज्य चलाना है तो सारी पुलिस के दफ्तर बन्द कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। आज से इन सबको भी छुट्टी दे दीजिए। आज कम से कम यह करोड़ों रुपये, तो बच जायेंगे····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : अब, सभापति महोदय, मुझे कहते हुए दुख होता है, पाली में मैं हत्याओं का जिक्र कर रही थी, हत्यायें नहीं पकड़ी जा सकीं लेकिन मुख्य मंत्री जी ने एक इनकलाब कर दिया। वहां से एस. पी का ट्रांसफर हो गया। जिस समय एस. पी. का ट्रांसफर हो गया उस समय पाली में राजेश जैन की हत्या हुई थी। उसका इनवेस्टीगेशन चल रहा था। दस ग्यारह महिने शायद उस एस. पी. को आये हुए हो गये थे लेकिन उस एस. पी. ने मुख्य मंत्री के किसी मित्र ने या किसी ने भी एक गैर लाइसेन्स पिस्टल बरामद कर ली····

श्री ईश्वरलाल सैनी : एस. पी. आपके पास आये थे क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया सुनने का कष्ट करें। आपस में बातचीत नहीं माननीय सदस्य।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरे पास एस. पी. साहब आये या नहीं आये आपके पास आपके भाई साहब जरूर रहते हैं।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यु।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय × × ×

श्री सभापति : सदन की व्यवस्था बनाये रखी जायेगी पूरी, आप कृपया सुनें।····आर्डर प्लीज, आर्डर। प्लीज कन्टीन्यु। माननीय सदस्य कृपया इन्टरप्ट न करें।

सुश्री पुष्पा जैन : एस.पी. का ट्रान्सफर हो गया, तबादला हो गया कोई हर्ज नहीं। तबादले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडीशनल एस.पी. का तबादला हो गया, दूसरा एडीशनल एस.पी. आया, एक महिने भी नहीं रहा, वह भी रास नहीं आया, उसका भी तबादला हो गया। तीसरा एडीशनल एस. पी. आ गया। डी. एस. पी. का तबादला, एस. एच. ओ. का तबादला-अरे किसी को भी लाओ किसी को भी रखिये लेकिन मेहरबानी करके जो अच्छा काम करता है उसको दस पांच महीने देखिये तो सही।

(8.00 रात्रि)

एक महीने में एडीशनल एस.पी. साहब का तबादला। मैं जानना चाहती हूं माननीय मन्त्री महोदय से एडीशनल एस. पी. रामेश्वरसिंह की कौन सी शिकायत थी जिनका आपने एक महीने के अन्दर अन्दर तबादला किया....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : जनता शासन में तीन तीन महिने में ट्रांसफर्स हुए हैं····

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्या बोलें। प्लीज कन्टीन्यु।

सुश्री पुष्पा जैन : जनता राज में कोई गलत काम हुआ तो सरकार आपके हाथ में है सजा दीजिये उन लोगों को। इसके माने यह नहीं कि दूसरे की गलती की सजा गरीब जनता को दो। आपके हाथ में सरकार है आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जनता सरकार ने यह किया था। अगर मुल्जिम पुष्पा जैन है तो फांसी की सजा दे दीजिये कोई परवाह नहीं····

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमको तो वोट ही गरीब लोग देते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। कृपया इन्ट्रप्ट न करें बार बार। यह अच्छी बात नहीं है। लैट हर स्पीक। माननीय सदस्या बोलें।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में सबसे बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है, वह है बहुओं पर। मालूम लड़कियों की हत्या होती है। दहेज के कारण उनकी हत्या हो रही है। एक के बाद एक आये दिन हत्याओं का दौर बढ़ रहा है। अगर हमारी सरकार इन कैसेज में, बहुओं के मामले में, लड़कियों के मामले में अगर कोई सख्त कार्यवाही करती तो मैं

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

दावे के साथ कह सकती हूं कि हत्याओं का दौर रुक सकता था। उन बहुओं की हत्यायें कर दी जाये और हमारी सरकार कोई कार्यवाही न करे, मुल्जिम खुले आम घूमते रहें और आप हत्या का केस दर्ज करके उसको रफा दफा कर दें इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। सभापति महोदय, मैं कुछ नाम देना चाहती हूं। वैसे तो बहुत हैं। 1982 से लेकर 85 तक जिन कुछ की हत्या हुई उनमें से कुछ के नाम मैं देती हूं। 25-7-82 मंजू फलौदी जोधपुर में, 2-8-83 वीना झुंझुनु में, 26-5-82 श्रीमती सुशील कंवर श्री माधोपुर में, 27-2-81 श्रीमती कमला, मृदुबाला गुप्ता, अजमेर, 21-1-83 मोहिना बाई भवानी मंडी, 22-1-81 कंचन देवी, जोधपुर, 19-7-82 यादलीसमला, 16-4-82 पुष्पा सोनी सूरत, 1-9-80 विमला नसीराबाद, 4-4-84 कमला बीकानेर 11-7-84 रमेसी जयपुर, 12-4-84 पुष्पा सिरोही, 1-3-84 कुसुमलता भरतपुर, 26-9-83 इन्दू झुंझुनु, 9-10-80 पूनम जवाहरनगर, 19-2-84 सरला बाड़ी, 17-12-84 शान्ति अजमेर 8-11-83 इन्द्रा धौलपुर। सभापति महोदय, मैं अब नाम पढ़ देती हूं बीकानेर की कैलाश, कलावती, जयपुर मुन्नी देवी अर्चना माथुर, शशि गुप्ता, बारा की मंजु, अजमेर की रेनू, जयपुर की गायत्री देवी, भरतपुर की रमा रानी, सिरसी की ऊषा देवी, बाड़मेर की शान्ति एवं नीलम, जयपुर की जमाना बाई, जोधपुर की प्रेमादेवी, जयपुर की चन्द्रादेवी नीलम पाली, कैलाशी शांता कुमारी भरतपुर जमुना देवी जयपुर, कमला बाड़मेर, सुघा बाई फलौदी, मधुशाली माथुर अजमेर, लाली, जयपुर, योगेश कुमारी कोटा....

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अजमेर की ममता, कीर्ति। अब, सभापति महोदय, कहां तक इस लिस्ट को पढ़ती जाऊं। इल्म कीजिये उन मां बाप का जिन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दूसरे पराये घर में सौंपा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

सुश्री पुष्पा जैन : यह मजाक का विषय नहीं है। अगर आपकी बहिन बेटियों के साथ इस तरह का सलूक हुआ होता तो क्या गुजरेगी आप पर। यह हंसने की बात है? ×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री हरिश चन्द्र पाल्लीवाल : तो इनकी हत्यायें पुलिस विभाग ने करवाई हैं क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अपराधी नहीं पकड़े गये.... ×××

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर कड़े कानून होते तो यह नहीं मरती । एक के बाद दूसरी नहीं मरती कड़ाई से कानून का पालन होता तो ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने तो कभी नहीं कहा कि इन की हत्यायें पुलिस ने करवाई हैं

श्री ईश्वरलाल सैनी : बहिन बेटियां आप ही की हैं, हमारी नहीं हैं, आप क्या सिद्ध करना चाहती हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री मोहन छंगाणी : मैं आपसे निवेदन करता हूं, कांग्रेस की बहुत बड़ी परम्परायें रही हैं, इतनी बड़ी परम्परायें रही हैं कि हम उनको याद करें। इन परम्पराओं की खातीर आपके ऊपर है। मैं चाहता हूं कि दहेज की हत्यायें आपका चार्ज नहीं है कि पुलिस को डिफेण्ड करें, किसी को भी डिफेण्ड करने का विरोध करें। .

श्री सभापति : माननीय सदस्या जो बोल रही हैं उनको बोलने दीजिये ।

श्री मोहन छंगाणी : बड़े ही शर्म की बात है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। कोई बीच में इन्टृप्ट न करें। प्लीज, कन्टीन्यु ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो गंगापुर से जीत कर आये हैं मैं कहना चाहती हूं मैंने ऐसा नहीं कहा कि पुलिस ने हत्यायें करवाई हैं। क्या आज आप यह चाहते हैं कि मासूम लड़कियों की इस तरह से हत्यायें हो जायं और सरकार मौन बनी रहे और पुलिस उसमें कोई कार्यवाही न करे। अगर आप ठीक समझते हैं तो लाइसेंस दे दीजिये पुलिस को कुछ नही करें ऐसे केसेज में। मरने दीजिये, जलने दीजिये। कल को आपकी बहिन बेटियों की बारी आ जायेगी। क्या हुआ है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

सुश्री पुष्पा जैन : दूसरे के दुख को देख कर हस रहे हो कभी आप पर भी आ सकता है ऐसी क्या बात है, कुदरत का खेल बड़ा निराला होता है।

सभापति महोदय, अब ऐसे गरीब लोगों के बारे में कहना चाहूंगी जिनकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई और उनके बारे में आज तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई।

सभापति महोदय, 8-7-84 को श्री अनवर अली की कोटा में पुलिस द्वारा मार कर हत्या कर दी गई। 3-8-84 को फैजू खां सिरोही इनकी पुलिस कस्टडी में हत्या, 5-8-84 को हरिजन बालक की झुंझुनु थाने में हत्या। 30-6-84 श्रीमती सुन्दरी नसीराबाद थाने में हत्या, 19-5-84 श्री मोहरपाल अलवर में पुलिस द्वारा करंट लगा कर अपंग कर दिया गया....

श्री सभापति : संख्या बता दीजिये बड़ा लम्बा हो जायेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : संख्या तो बहुत है, सभापति महोदय। आप कह रहे हैं तो ठीक है।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं खुद समझ रही हूं समय बहुत हो रहा है लेकिन मसले इतने गम्भीर हैं कि आये दिन अब जितने भी पुलिस कस्टडी में मरने वाले लोग हैं यह सब लोग बिलकुल गरीब हैं, छोटे परिवारों के लोग हैं, अगर इनके मामलों में सरकार कुछ नहीं करे तो आखिर क्या पुलिस को छूट दे दी जाये कि गरीब लोगों को मारती जाये। लोग थानों में जायेंगे उल्टा सीधा कहेंगे, पुलिस का और बस नहीं चलेगा तो उनकी हत्या कर देगी। इसलिये जरूरी है, अपराधी को शरण देने से अपराध बढ़ेगा, अपराधी को सख्त से सख्त दंड दिया जाये जिससे आइन्दा कभी जुर्रत नहीं हो। सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रही थी पुलिस कस्टडी का। आपके कहने से लिस्ट पढ़ना तो बन्द करती हूं। मैं एक केस के मामले में आपको बताना चाहती हूं। यह पीठासीन अधिकारी न्यायालय सेशन न्यायाधीश उदयपुर कु. बहादुरसिंह चन्द्रावत का यह जजमेंट है जो उन्होंने एक केस के मामले में दिया है। सभापति महोदय, मोहन सिंह नाम का व्यक्ति....

श्री सभापति : पूरा पढ़ने से बहुत देरी लग जायेगी। आपरेटिव पोरशन पढ़ दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : यह आपरेटिव पोर्शन ही है। जजमेंट नहीं पढ़ रही....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

सुश्री पुष्पा जैन : ××× क्या बीमारी हो रही है आपको।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यु।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, 13-7-83 को थाना सिरोदा में एक रिपोर्ट हुई कि मोहन सिंह की हत्या हो गई। अब उस हत्या में पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह की कार्यवाही की है उसके बारे में कोर्ट ने जो अपने आबजर्वेशन दिये हैं। आपरेटिव पोर्शन ही पढ़ देती हूं "इन सब परिस्थितियों में जैसा मैंने उपर बताया, जोधसिंह व अभयसिंह अभियुक्त गण को बलि का बकरा बनाया गया है"। यह जोधसिंह व अभय सिंह दोनों पुलिस के सिपाही हैं। इनके बारे में कोई ने लिखा है : उन्हें दिनांक 7-3-83 से अब तक करीब 15 महीने तक जेल में रहना पड़ा। नत्थी लाल, डी. वाई. एस. पी. कृपाशंकर गौड़ इन को बचने में था। उन्हें कृपाशंकर ने ता. 29-7-83 को नं. 19 डायरी के अनुसार बता दिया था कि जीप की लाग बुक व डेली डायरी भरी नहीं है, उसके मरने के बाद ही बयान लिये जायें। वह दिनांक 3-8-83 तक तो सिर्फ माधोसिंह, मुख्य आरक्षी को ही अपराधी मानते हैं, उसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों या

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

विशिष्ठ महा निरीक्षक, सी. ग्राई. डी., सी. बी. ने रैबरी लेकर ग्रभय सिंह व जोधसिंह को ग्रभियुक्त बनाया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने ग्रभियुक्तगण जोधसिंह व ग्रभियसिंह को मोहन सिंह की मृत्यु के जन ग्रसन्तोष को दबाने के लिये, जनग्रसन्तोष को दबाने के लिये बलि का बकरा बनाया, उन्हें गिरफ्तार कर ग्रदालत में खड़ा कर दिया जिसके कारण दो गरीब सिपाही 15 माह तक जेल में रहे। इन गरीब सिपाहियों से फिर यह ग्रपेक्षा की जाय कि वे कर्तव्य का पालन करते रहें। ग्रपराध करें बड़े ग्रधिकारी ग्रौर बलि का बकरा बनें निर्दोष, निःसहाय, निर्बल पुलिस के सिपाही। ग्रधिकारी गण, पुलिस ग्रधीक्षक, एस. डी. एम. विशिष्ठ महा-निरीक्षक ग्रपने एक राजपत्रित ग्रधिकारी को बचाने के लिये सब कुछ करें, लेकिन इन मामूली सिपाहियों को बचाने के लिये कुछ न करें। जब पांच पुलिस के सिपाही जो थाने में थे....।

श्री सभापति : बहुत बड़ा जजमेंट है। ग्रापरेटिव पोर्शन पढ़ दें।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, ग्रगर वह सब्स्टेन्टिव पोर्शन में यहां नहीं पढ़ूंगी तो मैं समझती हूं कि मैं ग्रपनी बहन के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज, ग्रार्डर। डान्ट डिस्टर्ब।

सुश्री पुष्पा जैन : लेकिन इन मामूली सिपाहियों को बचाने के लिये प्रयास न करें, जब पांच पुलिस के सिपाही जो थाने में थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि मोहन सिंह को मारने वाले मुख्य ग्रारक्षी माधोसिंह था। फिर कन्ना रावत व शम्भू सिंह के बयान 14 दिन तक नहीं लेकर बिना दस्तखत के बयान बना कर इन दोनों सिपाहियों को ग्रभियुक्त बना दिया जाय। स्पष्ट रूप से इन दोनों ग्रभियुक्तगण ग्रभिय सिंह व जोध सिंह के खिलाफ नत्थी लाल के पास ग्रभियुक्त बनाने का कोई उचित कारण नहीं था। ग्रतः धारा 250 (1) जाब्ता फौजदारी के तहत नत्थी लाल एडीशनल पुलिस ग्रधीक्षक, सी. ग्राई. डी., सी. बी. को नोटिस जारी हो कि क्यों न उनसे दस दस हजार रुपया प्रत्येक ग्रभियुक्त ग्रभय सिंह व जोध सिंह को बतौर प्रति कर दिलाने का ग्रादेश दिया जाय। श्री नत्थी लाल ग्रपर पुलिस ग्रधीक्षक को नोटिस जारी हो ग्रौर सम्मन भी जारी किये जायं।

एक माननीय सदस्य : यह सही नहीं है। ये सारे पेज पढ़ रही हैं, माननीय सभापति जी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में। ग्रापरेटिव पोर्शन पढ दें ग्राप।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति जी ग्राप इनको ठीक करिये। ये बार बार व्यवधान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। ग्रार्डर प्लीज। इनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री चुन्नी लाल : सभापति महोदय, बोलने नहीं देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मसलें पर बाधा डालते हैं। सभापति महोदय, दुख इस बात का है कि गंभीर मसले पर माननीय सदस्या, एक महिला होने के नाते, इतना गंभीर मसला है और बड़ी मेहनत से सूचना इकट्ठी करके दे रही हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी व्यवधान डाल रहे हैं। प्लीज कन्टीन्यू। बहुत जल्दी में बोल दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : यह हमने इसलिये किया है ताकि नत्थी लाल जैसे अपर पुलिस अधीक्षक यह न समझें कि वह अपने राजपत्रित अधिकारियों को बचाने के लिये के सब कुछ करने में समर्थ हैं और उन पर कोई आंच नहीं आयेगी। उन्हें यह समझना चाहिये कि जोधसिंह व अभियसिंह जैसे गरीब पुलिस सिपाहियों के भी बाल बच्चे है, परिवार हैं, जिन्हें उन्हें पालना पड़ता है। उन मासूम बच्चों के परिवार के सदस्य, पत्नी, माता-पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वे देखते हैं कि उनका एक मात्र कमाने वाला, उसे कर्तव्य पालन करते हुए भी 15 महिने तक जेल में रखा जाता है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बोलने दें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं इन्हें प्रति कर के रूप में इन निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ किये गये अन्याय का तो पूर्ण अनुतोष नहीं दिला सकता लेकिन मेरी सद्भावना इनके साथ है। समाज में अन्याय के प्रतिकार के रूप में रकम की व्यवस्था की गई है इसलिये ही यह अनुतोष दिलाया जा रहा है।

इस निर्णय की एक प्रति जिलाधीश, उदयपुर को व एक प्रति डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस को धारा 66 जनरल रूल्स (क्रिमिनल), 1080 के तहत प्रेषित की जाय ताकि वे अपने मातहत जैसे अशोक शेखर, डाक्टर किनरा, कृपा शंकर गौड व नत्थी लाल अनुसन्धानकर्ता के बारे में जान सकें, यदि कोई उचित कार्यवाही हो तो कर सकें।

अंत: दोनों अभियुक्त गण सर्व श्री जोधसिंह पुत्र विशनसिंह राजपूत निवासी डाबियों का गुड़ा एवं अभयसिंह पुत्र गमेरसिंह राजपूत निवासी मानखण्ड को उनके विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 302, 34, 331, 334 व 338 ताजेरात हिन्द से बरी किया जाता है। श्री नत्थी लाल, अनुसंधानकर्ता को धारा 250 (1) जाब्ता फौजदारी के तहत उक्तानुसार नोटिस जारी किये जावें। बहादुरसिंह चन्द्रावत अपर सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30-11-1984 ई. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। Please don't interefair. आप तो चालू रखिये....

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इतने संगीन

(सुश्री पुष्पा जैन)

अपराधों के बावजूद अब सरकार को स्वयं सवेदनशील होना चाहिये। मन्त्री महोदय, ये बहुत गभीर बातें हैं। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। अगर आज रक्षक ही भक्षक हो जाय तो यह गरीब जनता किस से जाकर फिर फरियाद करेगी। लिहाजा मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस महकमे को आप सुधारिये। जरूरत पड़े तो पैसा खूब खर्च कीजिये लेकिन साथ ही यह भी देखिये कि उस पैसे का अपराधियों को पकड़ने में और अपराध को समाप्त करने में सदुपयोग भी हो रहा है कि नहीं

अन्त में मैं, सभापति महोदय, इतना सा निवेदन और करना चाहूंगी कि ये गरीब प्रहरी जो रात भर प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा के लिये खड़े रहते हैं। बड़े पुलिस अधिकारी तो ओवर टाइम ले लेते हैं लेकिन इनके लिये ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय, आप गरीबों के प्रति संवेदनशील हैं। लिहाजा आप इनके लिये भी आज जरूर सोचिये और जब आप अपना जवाब दें तो घोषणा कीजिये कि इनका ओवर टाइम आज जरूर बढ़ायेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम राजस्थान की पुलिस को और राजस्थान की सरकार को मुबारकबाद देना चाहती हूं....

श्री शोपतसिंह : काहे के लिये ?

श्रीमती बीना काक : वह भी मैं आ रही हूं, आगे आने का मौका तो दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, Please don't disturb. इनको बोलने दीजिये।

श्रीमती बीना काक : मैं मुबारकबाद इसलिये देना चाहती हूं कि भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद....

एक माननीय सदस्य : किसने की ?

श्री सभापति : आप इस प्रकार इन्टरप्ट करेंगे ठीक बात नहीं होगी। Please don't interupt orber please, please continue.

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया बोलें।

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्रीमती बीना काक : प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद जो अशांति पूरे देश में फैली और जो कुछ हिंसक वारदातें दिल्ली में हो रही थीं, उसका असर हरियाणा तक पहुंचा और हरियाणा के बाद उसका असर राजस्थान में कई जगहों पर आया। और मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूं कि राजस्थान की पुलिस ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के अन्दर शांति बनाये रखी और जो भी हिंसक वारदाते हुई थी उन्हें दबाया। इसके लिये राजस्थान की पुलिस का जो प्रयास था वह बहुत सराहनीय था ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please order. Please don't disturb.

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्य यह न समझें कि मैं सत्ता दल में होने के नाते पुलिस को प्रोटेक्ट करूंगी लेकिन जो पुलिस की कमियां हैं, उनको भी नजरअन्दाज नहीं करूंगी। मिसेज गांधी की हत्या के बाद कुछ वारदातें ऐसी भी हुई हैं जिनमें हमारी पुलिस सक्षम नहीं रही है। सबसे पहले मैं राजा मानसिंह जी के ऊपर आती हूं। राजा मानसिंहजी जो कि इस सदन के माननीय सदस्य थे, उनकी मृत्यु हुई, दुखद अन्त हुआ और आज जिस जगह पर राजा मानसिंहजी को होना चाहिये था, उनकी जगह पर उनकी पुत्री एक विधायिका के रूप में यहां बैठी हैं। राजा साहब के बाद मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें भी दुःख है। यही नहीं कि ना पक्ष है या हमारा अपोजीशन है उन्हें ही इस बात का दुःख है और वे हमेशा इस सदन के अन्दर काफी शोरगुल में यह बात कहते हैं लेकिन मैं तहे दिल से और अपने हृदय से यह बात कहना चाहती हूं कि राजा मानसिंहजी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी जो विधवा हैं और राजा साहब की जो पुत्रियां हैं उनको हमारी सरकार न्याय दिलाये। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वे अवश्य उन्हें न्याय दिलायेंगे। आज उनकी पुत्री विधायिका भी हैं। जब विधायिका के पिता को न्याय नहीं मिल पायेगा तो आम गरीबों को भी न्याय मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। कई वारदातें मेरे जिले में भी हुई। जैसे की पाली से आई माननीय सदस्या ने कहा, मेरे सुमेरपुर क्षेत्र के सिवाणा गांव के अन्दर भी हत्या हुई, कई लोग पकड़े नहीं गए। गठवाड़ा के अन्दर हत्या हुई, पाली के अन्दर हत्या हुई, पकड़े नहीं गए। लेकिन आज अगर हम सभी दोष पुलिस के ऊपर थोपें तो वह भी वाजिब नहीं, क्योंकि उसके अन्दर कई हद तक हम राजनीतिज्ञों का भी हाथ अवश्य होता है। अगर किसी को गलत सजा या सही सजा दी जाती है तो हम में से हों, हम तो बहुत जूनियर हैं, जो बहुत सीनियर लोग हैं उनका फोन जाता है कि एस. पी. साहब यह मेरा आदमी है इसे बचा लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, कृपया सुनें.....आर्डर प्लीज।

श्रीमती बीना काक : जब तक हम स्वयं अपने आपको नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी जो पुलिस है या सरकार है वह भी सुधर नहीं पायेगी।

आज पाली से आई हमारी माननीय सदस्या ने कई बातें कहीं। सबसे पहले मैं आती हूं दहेज के ऊपर। बहनों को मारा जा रहा है, हत्यायें हो रही हैं लेकिन क्यों नहीं आज हम अपनी बेटियों को, बहिनों को इतना सक्षम बनायें कि वह आज अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अगर आज उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो अपने पति से अलग होकर, अपने ससुराल से अलग होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज के सामने आकर कहे कि हम सक्षम हैं। क्यों मरें हम और क्यों जलें हम। जब तक क्रांति हमारे खुद के अन्दर नहीं आएगी तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले अगर चेंज लाना है, क्रांति लानी है तो अपने अन्दर लानी है। और किसी दूसरे को दोषी न ठहरा कर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज आर्डर। Let her speak.

श्री रामसिंह विश्नोई : इससे तो सारी फेमिली डिस्टर्ब हो जाएगी।

श्री सभापति : इनको बोलने दीजिए ....कृपया बोलने दें, इंटरप्ट नहीं करें।

श्रीमती बीना काक : किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा कर, सरकार को ही हमेशा दोषी न ठहरा कर इतने गम्भीर मामलों के ऊपर हंसी मजाक उड़ाना वाजिब नहीं है। यदि हम न्याय चाहते हैं, यदि हम बदलाव चाहते हैं, यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें शांतिपूर्वक तरीके से ही काम लेना होगा, न कि हर एक हत्या को, हर एक वारदात को राजनैतिक बना कर और राजनैतिक दृष्टिकोण दे करके इसका सदन के अन्दर हल्ला मचायें और राजनैतिक लाभ उठायें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं करें।

श्रीमती बीना काक : पाली जिले के अन्दर जो पुलिस की जरूरतें हैं, पुलिस विभाग की जो कमियां है वह भी मैं बताना चाहूंगी। राज्य में पुलिस का जो बल है, संख्या है वह बहुत अपर्याप्त है। सवा तीन करोड़ की जनसंख्या है और केवल 46 हजार पुलिस की बल है, उसकी संख्या है। एक थाने के अन्दर एक सब इन्सपेक्टर होता है, एक ए. एस. आई. होता है। एक हैड कांस्टेबल होता है और 9 कांस्टेबल्स होते हैं। इनमें से आठ घन्टे की ड्यूटी पर तो तीन कांस्टेबल होते हैं जिनका रोटेशन चलता रहता है। दो कांस्टेबल होते हैं जो कि सम्मन और वारन्ट की तामील में रहते हैं और एक जो होता है लिटरेट कांस्टेबल जो रोजनामा की ड्यूटी पर रहता है। अब बचे केवल तीन कांस्टेबल जिनमें से एक तो अक्सर छुट्टी पर ही रहता है। बचे दो, अब ये दो जो हैं इतना बड़ा एरिया कैसे कवर कर सकते है। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो हमारे राज्य के अन्दर 577 थाने हैं, उनका नम्बर है, उनकी संख्या है वह बढ़ाई जानी चाहिए जिससे हमारी जनता को न्याय मिल सके और उनके साथ सही ढग से पुलिस काम कर सके।

श्री शोपतसिंह : आर. ए. सी. वाले भी बहुत हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया इण्टरप्ट नहीं करें इस प्रकार।....आर्डर प्लीज।

श्रीमती बीना काक : उसके बाद जो संसाधन हैं, संसाधनों की भी कमी है, टेलीफोन्स हैं, जीप्स हैं। इरींगेशन के एक्स ई. एन. के पास तो जीप होती है, कमिश्नर के पास होती है, ए. ई. एन. के पास होती है लेकिन एस. एच. ओ. जो होता है उसके पास जीप नहीं होती और कई आफिसेज ऐसे हैं जहां पर टेलिफोन की भी व्यवस्था नहीं है। तो इन्हें वेल इक्वीप्ड किया जाय, संसाधन काफी जुटाये जावें, इन थानों के अन्दर जिससे कोई भी वारदात हो तो अच्छी तरह से उसकी तफ्तीश की जा सके

(श्रीमती बीना काक)

और यातयात अगर होगा तो जल्दी ही उसकी तफ्तीश हो सकेगी ।

मैं और कहना चाहूंगी कि अपराधी चैलेंज को स्वीकार करते हुए इनकी रोक-थाम के लिए आधुनिकतम प्रणाली से पुलिस के जो लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । कम्प्यूटर का इस्तेमाल होना चाहिए और अपराधों के बारे में जो भी सूचना मिलती है उसका विश्लेषण सही तरीके से हो । क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है, जो पकड़ा जाता है उससे अभी भी अत्याचार करके, मारपीट करके वही पुराने घिसे पिटे तरीके से उससे जो सच है वह उगलाया जाता है और कई बार थानों के अन्दर मृत्यु भी हो जाती है और हत्यायें भी हो जाती हैं । इसलिए मैं चाहूंगी कि पुलिस की मोडस ओपराइण्डिस ब्रांच है, मोडस ओपरेंडी की जो ब्रांच है उसे अधिक वैज्ञानिक तरीके से गठित करना बहुत आवश्यक है । फोरेन्सिक लेबोरेट्रीज होनी चाहिए । फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्टस होने चाहिए । माउण्टेड पुलिस के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, आज जो भी गांवों के अन्दर मेले होते हैं उसके अन्दर हमारी जो पुलिस है वह सैंकड़ों की तादाद में लट्ठ ले ले करके कांस्टेबल्स को भेज देते हैं डण्डे ले ले कर के मोब को कण्ट्रोल करने के लिए । लेकिन मैं यह सोचती हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी माउण्टेड पुलिस हो, दस घोड़ों की एक फोर्स हो, एक स्क्वायड हो तो बहुत बेहतर रहेगा । क्योंकि जो दस घोड़ों की स्क्वायड पुलिस जनता को काबू करने में सक्षम हो सकती है वह हजार भी, सौ दो सौ कांस्टेबल्स हों, वह भी नहीं कर सकेंगे । क्योंकि पुलिस की स्क्वायड आती है होर्सेज की, उसकी आवाज से ही मैं समझती हूं कि जनता के अन्दर थोड़ी सी दहशत आ जाती है, आतंक आ जाता है, मोब को ईजाली कण्ट्रोल किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्रीमती बीना काक : पाली के अन्दर जो एस. पी. का दफ्तर है उसके अन्दर, पाली के अन्दर क्राईम ब्रांच भी है । तीन छोटे छोटे कमरे पाली के आफिस को दिए गए हैं जिसके अन्दर 32 लोग कार्यरत हैं जब कि एक तहसीलदार को इतनी ज्यादा सुविधायें दी जाती हैं । ए. एस. पी. है पाली के अन्दर जिनको डाक बंगले के पास में एक कमरा दिया गया है जिसके अन्दर ए.एस.पी. रहते हैं । जब कोई मंत्री महोदय पधारते हैं तो उनको बाहर आकर सोना पड़ता है क्योंकि मन्त्री महोदय के पी. ए. को वह कमरा दिया जाता है । बाकी आप एक्स.ई.एन. को देखिये, ए.ई.एन. को देखिये, उनके बंगले इतने बड़े बड़े होते हैं, यदि आपको और जगह नहीं मिलती है तो जो एस. पी. का बंगला होता है उसके आस पास गाय भैंसें बांधने के लिए और इतनी ज्यादा जमीन होती है उसी का डिविजन करके अगर ए. एस. पी. को अच्छी तरह से रहने के लिए जगह दी जावे तो मैं समझती हूं कि वह बेहतर रहेगा ।

(श्रीमती बीना काक)

इसके बाद इण्टलीजेंस शाखा को दोनों जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर-नए तरीके से गठित होना चाहिए और जितनी भी राजनैतिक गतिविधियां होती हैं, राजनैतिक जो बातें होती हैं, वह अगर इण्टलीजेंस ब्रांच जो है वह अगर सही तफ्तीश करे तो जो उग्रवादी भी आज कल हमारी कार्यवाही में लगे हुए हैं उसे दबाया जा सकता है। यही कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहती थी पुलिस के लिए। और मैं यह चाहती हूं कि जितना भी पुलिस कर सके, वह करे और हमारी जो गरीब जनता है उसे न्याय दिलाये। सभापति महोदय के माध्यम से मैं सरकार से यह चाहती हूं कि पाली जिले के अन्दर पुलिस को और साधन दिये जाय जिससे गरीब जनता को न्याय मिल सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगतसिंह दायमा।

श्री शोपत सिंह : मेरे दल के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री जगतसिंह दायमा ही है। आपका शायद परिचय नहीं होगा इनसे, आज कर लें परिचय।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सभापति जी, मुख्य मन्त्री जी ने जो चूड़ी बजट पेश किया, मैं सच कहना चाहता हूं, और चूड़ी देकर महिलाओं को राजी किया, मैं मुख्य मन्त्री जी और उनको सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह छूट वह जो बहिने हैं, माताएं हैं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, जो जलाई जा रही हैं, जिनकी मांग सिन्दूर से मढ़ी हुई है उनको उजाड़ा जा रहा है, क्या उसको रोकने का कार्य कर सकेगी? वह चूड़ी पर कर हटाने से राजी नहीं होंगी, वह राजी तभी होंगी जब उनको न्याय मिलेगा। माननीय सदस्या पुष्पा जी और बीना काक जी ने महिलाओं के बारे में काफी बताया। मेरे क्षेत्र में भी एक इसी तरह की घटना घटी। बानसूर विधान सभा क्षेत्र मेरा है। हरसोरा उससे लगता हुआ एक कस्बा है। 20-21 साल की नर्स जिसका नाम सुधा है, आपके ग्रामीण कल्याण केन्द्र हरसोला में काम कर रही हैं। नाम है ग्रामीण कल्याण केन्द्र, और कल्याण कैसा होता है इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। वहां एक मेल नर्स है पुरुषोतम शर्मा। वह भी वहां काम कर रहे हैं। डाक्टर है लक्ष्मणसिंह जो जाति से हरिजन हैं, वह भी वहां काम कर रहे हैं। मैं सभापति जी आपको कहना चाहता हूं कि मेरे पास पत्र आया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सी. एम. साहब और अन्य अधिकारीगण को उन्होंने पत्र लिख कर कई बार मांग की कि जो मेल नर्स यहां काम कर रहा है, जबसे मैं यहां आयी हुई हूं तब से बुरी नियत से देख रहा है। एक बार नहीं कई बार उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। हुआ यह कि अकेले के काबू में जब नहीं आई तो चार-पांच गुण्डों को लाकर इस तरह का घिनौना अपराध करना चाहा। अभी गैसेंटली 14-6-85 की बात है, करीबन सात-साढ़े सात बजे चार-पांच आदम

(श्री जगतसिंह दायमा)

लेकर ये पुरुशोतम शर्मा, जो वहां मेल नर्स हैं आये। उनके मकान के सामने पहले दारू पी। जब लोग बाग इधर उधर सो गये तो जाकर दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद जब उन्होंने खोला तो आप लोगों को अचम्भा होगा यह सुन कर, जाते ही उसके हाथ पकड़ लिये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाथ पकड़ कर चारों पांचों आदमी अन्दर आ गये। अंदर आकर जो गलत नियत थी उससे काम करना चाहा परन्तु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वह चिल्लाई और रोने लगी तो इधर उधर के लोग आ गये। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब यह किस्सा हुआ, लोगबाग इकट्ठे हो गये तो वह भाग गये। उसमें जो लोग शामिल थे उनके नाम मैं बता देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायी क्या ?

श्री जगतसिंह दायमा : अजी भाई साहब देखो आप हर मामले में मजाक करते हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री जगतसिंह दायमा : इसमें पुरुषोत्तम शर्मा मेल नर्स है, जगदीश है। एक वहां पर जो एल. एस. यू. है उसका हस्बैण्ड है थामस। यह सारे के सारे आदमी आकर उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करते है। उस बेचारी ने उस दिन तो इज्जत बचा ली। उन्होंने अलग अलग टाइम पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा, सी. एम. साहब को पत्र लिखा परन्तु आपकी सरकार कुछ नहीं कर पायी। इसका मेरे पास सबूत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य पुलिस की बात करें।

श्री जगतसिंह दायमा : पुलिस की ही बात कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति : इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहां से आ गये ?

श्री जगतसिंह दायमा : पुलिस पर ही आ रहा हूं मैं। एफ. आई. आर. दर्ज करवायी उस पर आज तक कोई अमल पुलिस ने किया नहीं। हुआ यह कि जो पुरुषोतम शर्मा है, आपको मैं बता देना चाहता हूं वही बात जो हमारी दो बहिनें कह कर गई हैं, वह राजनैतिक शरण लि हुए हैं, पुलिस को जाकर दबा देते हैं। पुलिस को जब तक यह नहीं कहा जायेगा, आप स्वतंत्रतापूर्वक काम करो तब तक स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं किया जा सकता है। यह हाल है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, उन्होंने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे पास इसकी रसीद मौजूद है सचिवालय को मिल चुका है। अगर यह सचिवालय, मुख्य मंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय उसी वक्त एक्शन लेकर पुलिस को फोन कर देते कि तुरन्त अपराधी को गिरफ्तार किया जाय तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 28-6-85 को

(श्री जगतसिंह दायमा)

दुबारा ऐसी घटना नहीं घटती। वही पांच-सात आदमी, वही पुरुषोम शर्मा, जो वहां मेल नर्स है, पांच बजे करीब उनके पास खड़ा होता है। पहले बाहर जाता है, देखता है कोई आ तो नहीं रहा है। कोई नहीं आया तो उस सुधा जी नर्स के पास जाकर हाथ पकड़ कर अंदर ले जाता है। खींच करके बांध करके अन्दर ले जाता है जब वह अन्दर ले जाता है तो उस इलाके में कोई सुनने वाला था नहीं, ले जाकर के उनको सीधा दिवार के सहारे सटा दिया। यह एफ. आई. आर में दर्ज है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, पता लगा लीजिये जिसका नम्बर 117/85 है। ले जाकर करके दबा दिया और वही गदी, घिनौनी हरकतें उसके साथ कीं। यह एफ. आई. आर. में दर्ज है। मेरे को पत्र लिखा है उसमें दज है, मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है उसमें दर्ज है। सब कुछ उन्होंने लिखा है कि चार-पाच तो मेरे किस ले लिये और, शर्मा आयेगी मुझे कहते हुए मेरी बोबी दबा दी। यह क्या मजाक है? उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार करने गयी नहीं और हाल यह किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। हुआ। अब सरकार की बात बता देना चाहता हूं, लक्ष्मण सिह, जो वहां डाक्टर है, ने जब उनका साथ दिया और कहा कि आप लोग हिम्मत कीजिये, जाकर रिपोर्ट लिखवाइये तो....

(व्यवधान)

आपको अपनी बात अच्छी लगती है, मुझे अपनी बात अच्छी लगती है।

श्री सभापति : जल्दी जल्दी बात कह दें कृपया। आप रिपीटिशन कर रहे हैं बार-बार।

श्री जगतसिंह दायमा : मैं लोकदल की तरफ से पहला आदमी बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : आप बोलिये पर रिपीट मत करिये। आप बोलिये पर रिपीट मत करिये उस बात को।

श्री जगतसिंह दायमा : रिपीट नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू। प्लीज कन्टीन्यू। आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री जगतसिंह दायमा : जो हरिजन वहां डाक्टर है उसको शाबासी मिलनी चाहिये थी कि तुमने रक्षा की इसकी, हुआ यह कि उसका ट्रांसफर उठाकर कहीं दूर दराज कर दिया। हरिजन, जिसकी पोषक यह सरकार बनती है, को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। किस कारण? सिर्फ राजनीति के कारण। जो हरिजन डाक्टर वहां है जब भी वह दखल देने लगा तो उस मेल नर्स, जो पुरुषोतम शर्मा है, ने उसको पीटा। यह एफ. आई. आर. में दर्ज है। 452, 353, 323, के तहत यह एफ. आई. आर. में दर्ज है, पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं की रेपर्स की। आपकी यहां सरकार के बारे में देख लीजिये, जब बहुत ज्यादा ऐसी घटना घट गई तो मेल नर्स का उठा कर घर पास ही एक किलोमीटर दूर करतारपुरा में ट्रांसफर किया है और कुछ

(श्री जगत सिंह दायमा)

नहीं किया। पुलिस की ऐसी अकर्मण्यता को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस तरीके से अगर सरकार मौन रही, इन अधिकारियों को मनमानी करने दी तो जो 21 साल की कुंआरी लड़की सुधाजी के साथ होने वाला था, उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखा है कि मेरा शील भंग हो सकता है उससे मुझे बचाया जाय नहीं तो मैं आत्म हत्या कर लूंगी। नहीं तो मैं आत्म हत्या कर लूंगी, नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगी, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि नोटिस आने के बाद भी पुलिस को इन्होंने लिखा नहीं और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, मैं बानसूर विधान सभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि एक ऐसा गिरोह पैदा हो गया जिसने 10 दिन के अन्दर अन्दर गांव में तहलका मचा दिया, दो महिलाओं को पकड़ कर मार पीटा और सोने की चैन, चांदी के कड़े वगैरा ले गये, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। दिनांक 29-2-85 को ग्राम ठठौती में रात को डकैत आए और देवकरण के पुत्र के गोली मार गए, उसके आठ छर्रे निकले, आज तक पुलिस पता नहीं लगा सकी कि किसने डाका डाला और अपराधियों को पकड़ नहीं सकी। दूसरी बार रामस्वरूप के घर पर आए और मारपीट करके मीणा की ढाणी से सामान ले गए। एक वारदात और मीणा की ढाणी में हुई जिसमें औरतों के गहने ले गये और जो रसाई का सामान था वह उठा कर ले गए। इतनी वारदातें हुई। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बाद मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्य मंत्रीजी ने एस. पी. साहब को, जिला कलेक्टर को लिखा। जिला कलेक्टर ने एस. पी. साहब से इन्क्वायरी करवाई और एस. पी. साहब ने इन्क्वायरी करके पत्र लिखा कि जब डकैती पड़ी है उस वक्त हमने पाया कि एस. एच. ओ. राज कार्य होने के कारण थाने के बाहर पाया गया। तो देख लीजिए कि जब जब एस. एच. ओ. बाहर गया उसी रात को चोरी हो गई, तो यह क्या बात है। मैं कहना चाहूंगा कि या तो पुलिस की मिली भगत है और मिली भगत नहीं है तो मुझे बतायें कि उसी दिन बाहर कैसे गए और उसी दिन चोरी कैसे हुई. मैं आपको और बता देना चाहता हूं, बहुत शार्ट में, एक दो मिनट में ही खत्म कर रहा हूं कि आज विश्वास कैसे हो लोगों को कि पुलिस हमारे लिए ठीक काम कर रही है। आप देखिए, मण्डावर विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है, सभापतिजी, मुगनवाड़ा उसमें 3-7-1985 को आपस में दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है, सभापति जी, यह झगड़ा हो जाता है और उसमें सिर में लाठी फर्सी लगती है। वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उनसे कहा कि डाक्टरी मुआयना पहले करवाओ, डाक्टरी मुआयना करवाने के बाद वापस आए और कहा कि रिपोर्ट दर्ज करो तो 151 और 107 के तहत जिस पार्टी के लगी फर्सी की, लाठी की, उसी को बंद कर दिया। यह पुलिस क्या कर रही है और आपका राज कहां सो रहा है मुझे नहीं मालूम लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे बात क्या है। अप्रैल, मई और जून के महीनों में अलवर में अक्सर यह होता है कि इन तीन महीनों के दौरान खूब चोरियां

(श्री जगत सिंह दायमा)

होती हैं किसकी, पशुओं की खूब चोरियां होती हैं। होता यह है, जरा ध्यान दिया जाय इस बात पर, होता यह है कि लोग बाग के पशु चुर जाते हैं रिपोर्ट कराने नहीं जाते और अपनी जो फिराई जो बीच में लोग होते हैं उनको फिराई के तौर पर पैसे दे देते हैं और अपने पशु वापस ले जाते हैं।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में करें।

श्री जगत सिंह दायमा : संक्षेप में ही कह रहा हूं इस तरह से ढाई और तीन लाख रुपये हर साल इस तरीके से फिराई लेते हैं, लोग पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करने नहीं जाते आप पूछेंगे कि पुलिस के पास जाते नहीं तो क्या करें। इसके पीछे कोई कारण है और उसके पीछे कारण यह है कि अगर वह आदमी पुलिस के पास चला जाय रिपोर्ट कराने कि मेरी भैंस चली गई या बैल चला गया तो मेरे भैंस और बैल डूब जाएंगे इसलिए नहीं जाते। सभापति महोदय, कोई और कारण नहीं है। इसलिए सोचते हैं कि जहां चार हजार की भैंस गई है वहां हजार रुपये देकर तीन हजार का फायदा तो कर सकते हैं। अगर पुलिस के पास तुमने जाकर रिपोर्ट दे दी तो माल खोओगे, भैंस भी गई और बैल भी गया। तो इस तरह की मनोवृति लोगों की बनी हुई है इसमें चेंज करना पड़ेगा और इस चेंज में सबसे ज्यादा सहायक होती है सरकार। आपकी सरकार पुलिस वालों को बताए ट्रेण्ड करे। मनोबल लोगों का डिग रहा है उसको बनाऐ रखें और अगर यही बातें होती रहीं तो थाने बन्द हो जायेंगे और लोग-बाग लुटते रहेंगे। मैं अपनी बात...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, आपने सब बातें कह दी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपकी मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो भी व्यक्ति मां बहनों की इज्जत से खेलते हैं उनको तुरन्त सर्विस से हटा दिया जाय और जो बचाते हैं उनका ट्रान्सफर किया जाय इस तरह की बात आप लोग नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं आ सकता। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा

(व्यवधान)

जिस क्रम में नाम दिए हैं सबके नाम आयेंगे श्री ज्वाला प्रसाद जी बोलें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन) : सभापति महोदय, प्रगति या विकास तभी संभव है जब शांति और व्यवस्था कायम रहे। मुख्य मंत्रीजी ने जो सातवीं पंच वर्षीय योजना बनाई तीन हजार करोड़ रुपये की और जो योजना हमारे सामने प्रस्तुत की वह तीन हजार करोड़ रुपये की वह योजना चाहे छ हजार करोड़ की हो जाय या 12 करोड़ की हो जाय इससे विकास को तभी गति मिल सकती है जब शांति व व्यवस्था कायम रहे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दें, भूमिका बना रहे हैं। प्लीज कंटीन्यू, आर्डर प्लीज। भूमिका बना रहे हैं अपनी बात की।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : हम चाहते हैं कि हमारा पिछड़ा राजस्थान आगे बढ़े इसकी समृद्धि बढ़े और सुख सुविधा हमारी जनता को मिले जनता का जीवन स्तर ऊपर उठे तो यह आवश्यक शर्त है कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे प्रांत के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम रहे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया इंटरप्ट नहीं करें। Don't intrup him in Please Continue.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : बीच में अगर हमारे साथी डिस्टर्ब नहीं करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी जो स्थिति हमारे देश और प्रदेश की है उन स्थितियों और उन खतरों को जो आज हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है उसको हमें समझना होगा। उन खतरों को जो आज हमारे देश के अन्दर के लोगों से और बाहर के लोगों से है, उन खतरों को समझ कर हमें एक ऐसा वातावरण इस देश और प्रदेशमें बनाना होगा जिसमें हम विकास के कार्यों की तरफ ध्यान दें। विकास केवल सरकार के द्वारा ही किया जाना संभव नहीं है विकास के लिए जरूरी है वातावरण विकास के लिए अपेक्षित है कि वह वातावरण मिले और उसके अन्दर पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग आवश्यक है। आज हमारे प्रांत की जो पृष्ठ भूमि है उसमें अगर हम तेजी से विकास करना चाहते हैं हमारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो हमें गंभीरता के साथ इस ओर ध्यान देना होगा और इस बात को काफी महत्व देना चाहिए कि हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हों, विचार धाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन हमारा उद्देश्य राजस्थान के विकास को गति देने का होना चाहिए। लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्रीय प्रणाली की बड़ी वकालत करते हैं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अपने जीवन के अन्दर लोकतान्त्रिक मूल्यों पर किनका आत्म विश्वास कर पाते हैं। लोकतंत्र पर बात करना और लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आचरण करना....

श्री सभापति : कृपया पुलिस की डिमाण्ड के बारे में बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस बात से मेरा जो आशय है वह आशय यह है कि आज जो हमारे प्रदेश की परिस्थितियां हैं उनमें शांति और व्यवस्था कायम रखने में हमारे विपक्ष का जो रोल है, जो भूमिका है वह बिल्कुल नकारात्मक भूमिका है, बिल्कुल इस प्रकार की भूमिका है जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने को प्रश्रय देते हैं। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाकर और झालावाड़ के हमारे जिले के कुछ उदाहरण देकर, हमारे विपक्ष के और खास करके उस दल के जो लोकतंत्र की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के लोगों का आचरण क्या है, उनकी कथनी करनी में अन्तर है वह बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया सीमा में बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सीमा में ही बोल

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

रहा हूं। मैं कुछ उदाहरण इस बात के पेश करना चाहूंगा आज राजनैतिक हस्तक्षेप और राजनैतिक संरक्षण अपराध करने के अन्दर बढ़ते जा रहे हैं वह एक चिंता का विषय है। कुछ उदाहरण जो हमारे जिले के हैं और दुर्भाग्य से सारे के सारे वे उदाहरण पहाड़ी इलाकों से संबंधित हैं और वह दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से और विपक्ष के नेता से यह चाहूंगा कि मैं जो उदाहरण पेश कर रहा हूं उनकी वे खुद जांच करवा लें। ये सारे उदाहरण जो मुकदमें दर्ज हुए और मुकदमें कोई साधारण नहीं हैं, हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित प्रकरण हैं, 307 जैसे प्रकरण हैं, कई इस प्रकार के प्रकरण हैं जो सीधे कानून और व्यवस्था की स्थिति को किस प्रकार से हमारा यह दल बिगाड़ना चाहता है, उसके कुछ उदाहरण हैं। एक उदाहरण असनावर का है वहां विपक्ष के सरपंच हैं। हमारे कांग्रेस के साथियों को उन्होंने एक ट्रक से कुचलने का प्रयास किया, उसका मुकदमा पुलिस थाने के अन्दर दर्ज हुआ और अदालत के अन्दर कार्यवाही पेंडिंग है। एम. पी. में गत चुनाव हुए, उस चुनाव के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के सरपंच करणसिंह जो गंगदार के सरपंच हैं, हमारी पार्टी का एक जुलूस, चुनाव का जुलूस निकल रहा था, उन पर गोलियां बरसायीं। मुकदमा दर्ज हुआ है 307 के अन्दर और कार्यवाही पेंडिंग है। इसी तरह से इन्हीं सरपंच महोदय के विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे प्रधान जो डग के विक्रम सिंह जी हैं उनकी हत्या का मुकदमा उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है और वर्तमान में भी ये पुलिस की हिरासत के अन्दर हैं। इनके साथ ही इनकी पार्टी के दूसरे एक सरपंच जो उदयसिंह जी के नाम से जाने जाते हैं, डग क्षेत्र के हैं वे और उनके भाई भी इस हत्या के केस के अन्दर मुल्जिम हैं, नामजद रिपोर्ट है। ये सरपंच भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिन पर दर्जनों मुकदमें दर्ज हुए हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : ये सब राजनैतिक मुकदमेबाजी के हैं....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : फिर भी आपसे दबने वाले नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ज्वाला प्रसाद : यह आप खुद जांच करवा लें, राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर यह चाहते थे कि कांग्रेस वहां नहीं जीते, कांग्रेस का प्रचार नहीं हो सके। एक ऐसा आतंक का वातावरण, भय का वातावरण, हिंसा का वातावरण क्षेत्र के अन्दर पैदा कर देना चाहते थे जिससे निराश हो जायें, कांग्रेस के लोग घर बैठ जायं। लेकिन कांग्रेस के लोग इस तरह की धमकियों से, इस तरह के भय से और इस तरह के आतंक से डरने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति : डिमाण्ड पर बोलें प्लीज।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : उनको अरेस्ट करो यदि दोषी हैं तो, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अरेस्ट हो गये हैं आप चिंता मत करो।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : कौन वहां सिफारिश करने गये थे ...

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप चिंता नहीं करें वे अरेस्ट हो गये हैं ...

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : अरेस्ट हैं तो फिर आरोप किस बात के ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री हरलाल सिंह : यही कहते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में । कांग्रेस के लोगों का, अध्यक्ष का 302 में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो क्या उसको निकाल दें ...

(व्यवधान)

जाने के लिए तैयार हैं मैं तो विरोध करता हूं । ये यहीं हैं जयपुर के अन्दर । वे जाने के लिए तैयार हों तो मौजूदा लोगों की कमेटी, कांग्रेस की जिसमें आपने अध्यक्ष बना रखा है उसका भी 302 में मुकदमा ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आपकी टर्न आये तब आप अपनी बात कह दें ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आदरणीय सभापति जी, मैं यह उदाहरण इसलिए देना चाहता था कि इस सदन के सामने आकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और विधायक लोकतन्त्र की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर बड़ी चिंता प्रकट करते हैं, बड़ा उनको दुःख है लेकिन यह दुःख और चिंता प्रकट करने से यह स्थिति के अन्दर मेरा यह सारे उदाहरण देने का तात्पर्य केवल यह है कि यहां आकर लम्बे चौड़े भाषण दे दें और क्षेत्र के अन्दर इनके लोग इस तरह के कृत्यों के अन्दर, इस तरह के अपराधों के अन्दर संलग्न हैं । ये जितने भी अपराध हैं जो मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर अपराध किये गये हैं । इसी तरह रटलाई के अन्दर एक डाक्टर हैं उन्होंने एम. पी. और एम. एल. ए. के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया । उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा । चुनाव के बाद उसके घर भारतीय जनता पार्टी के कुछ × × × गये, रात को मकान से निकाल कर उसके साथ मार-पीट की, उसके हाथ में फ्रेक्चर आया । ये सारे मुकदमे पुलिस के अन्दर दर्ज हुए हैं ।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी और × × × शब्द को एक्सपंज किया जाये ...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर प्लीज ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि इस तरह के अपराध करने के लिए संरक्षण दिया जाता है ।

श्री शोपत सिंह : इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सभापति : ××× शब्द एक्सपंज कर दीजिये। कन्टीन्यू प्लीज।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : एक ट्रक सीमेंट का भरा हुआ, सिंचाई विभाग का सीमेंट का ट्रक, सिंचाई विभाग की सीमेंट, ट्रक के अन्दर लाद कर भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं उनका ट्रक था, ले जा रहे थे जिन्हें पकड़ा गया।

(व्यवधान)

(9.00 रात्रि)

(व्यवधान)

आदरणीय सभापति महोदय, जब सत्य सामने आता है····

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ ऑर्डर।

श्री सभापति : एक मिनट ठहरिये। पाइन्ट आफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नियम यह है कि जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हों तो उनके खिलाफ अगर बोलना चाहें तो नोटिस दें और चार्ज लगाना चाहें तो नोटिस दें। हमसे पहले वह नहीं बोल सकते हैं। कट मोशन पर नहीं बोल रहे हैं भाजपा पर बोल रहे हैं। इस पर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, यह है तो इस डिबेट को चालू रखें····

श्री सभापति : कृपया कट मोशन पर बोलें····

(व्यवधान)

मैंने कह दिया है। कृपया कट मोशन पर बोलें, पुलिस की व्यवस्था के बारे में बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम को भी मौका दें ×××

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह जो कानून व्यवस्था है, यह कौन बिगाड़ रहा है। मेरा कट मोशन भी यही है कि भीलवाड़ा जिले की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है····

श्री हरलाल सिंह खर्रा : कौन सही है, कौन गलत है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर।

(व्यवधान)

कृपया कट मोशन पर बोलें केवल आप अपने कट मोशन पर ही बोलें।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : ····115 में से 100 आदमी घर जायेंगे। यह तो केवल कांग्रेस का नाम ही जानते हैं, यह पता नहीं कि कांग्रेस 1947 से पहले भी थी या नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कट मोशन आपका नहीं है। जो कट मोशन आपका है उसी पर आप बोलें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप बोलने देंगे या नहीं।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

सभापति महोदय, जब सत्य सामने आता है तो लोगों को परेशानी होती है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : आप एक की जांच करा लें। दो दो तीन तीन बार विधान सभा का सदस्य रहा है। इस समय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इस तरह से अलोकतंत्र करना चाहते हैं।

श्री सभापति : आॅर्डर आॅर्डर माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री हरलाल सिंह खर्रा : वह आदमी आज लखपति बना हुआ है। चोरी के जोर से, राज के जोर से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री हरलाल सिंह : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य। कृपया अंकित नहीं करें। अंकित न हो। माननीय सदस्य, आप कट मोशन पर बोलें। आप संक्षिप्त में बोलें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मेरा इन सारी घटनाओं का विवरण करने का तात्पर्य यह है कि....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : मैंने कह दिया है। वे कट मोशन पर ही बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने यह जो अंकित न हो के आदेश दिये यह कौन से नियम के तहत दिये हैं।

श्री सभापति : मैंने बराबर कहा कि वह इन्ट्रप्ट नहीं करें....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नियम कौनसा है।

श्री सभापति : मैंने उनसे कहा कि बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें। इसलिए मैंने यह आदेश दिया.....

श्री हरलाल सिंह : चाहे सदन में कोई असत्य बात कहे और जांच करने के लिए कहे, मैं सारे विपक्ष की तरफ से....

(व्यवधान)

श्री सभापति : जब आसन की व्यवस्था कोई मानने को तैयार नहीं हो तो क्या किया जाय।

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 248

(248)

(श्री सभापति)

कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य बोलिये। संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये बाकायदा लिखकर आरोप लगायें हम बाकायदा उनकी सफाई देंगे, उनको तरीका सिखलायें बोलने का। प्रशिक्षण शिविर लगायें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। उनसे कट मोशन पर बोलने के लिए पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सचेतक जी तो कुछ नहीं कहेंगे, आप ही प्रशिक्षण शिविर लगा लें।

श्री शिवराम शर्मा : कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तब तो आप लिखित में नहीं देते हैं। कांग्रेस पर तो आप रोजाना आरोप लगाते हैं तब तो आप लिखित में देते नहीं हैं।

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री शिवराम शर्मा : ×××

एक माननीय सदस्य : जो कमाने वाले सदस्य हैं उन पर ही लगाते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया शांतिपूर्वक अपनी बात कहें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं तो अपनी बात ही कह रहा हूं। इन बातों के पीछे सत्यता की जांच आप करा सकते हैं। यह विपक्ष के नेता जो आज परेशान हो रहे हैं, पुलिस के अन्दर रिकार्ड है मुकदमें दर्ज हैं। अदालतों के अन्दर चालान पेश हुए हैं।

श्री सभापति : आपका कट मोशन जो है वह मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं झालावाड़ जिले की बिगड़ती हुयी कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए कृपया कानून व्यवस्था पर बोलें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : कानून व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप अपनी बात इसी तक सीमित रखें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यही कर रहा हूं।

श्री सभापति : यह नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : कानून और व्यवस्था पर चर्चा कर रहा हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, बहुत लम्बा समय हो गया। बाकी सदस्य भी बोल सकें उसी प्रकार से बोल लें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले के अन्दर जो घटनायें हो रही हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, जो भीलवाड़ा के जिला प्रमुख को पकड़ा गया था....

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

.......302 के मुलजिम भीलवाड़ा में गिरफ्तार किये गये थे या नहीं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना समय आये तब अपनी बात कह दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : बताओ ना जरा।

श्री सभापति : आपका नम्बर आये तब आप भी कह दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम ऐसा छोटापन नहीं बताते।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह छोटेपन की बात नहीं है....

श्री दाऊदयाल जोशी : बताऊं, आपने वर्तमान जिला प्रमुख पर चार्ज लगाया था जब आप 302 में पकड़े गये थे। अब लगाओ चार्जेज....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपको कोई बात तो समझ में आने से रही। आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्यों नहीं आयेगी।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें और कानून व्यवस्था की बात करें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : कानून व्यवस्था पर ही बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह सब मजबूर कर रहे हैं, हम भी सब खड़े होकर इनको नहीं बोलने देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति : प्लीज कन्टीन्यू।

श्री दाऊदयाल जोशी : अपने लोगों को कन्ट्रोल करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पाइन्ट आफ आर्डर। ऐसा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य को एक अपशब्द बोला है।

श्री सभापति : ××× शब्द अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ऐसा लगता है कि फिर दौरा हो गया है उनको। ××× आज फिर लगता है उनके व्यवहार से कि उन पर दौरा पड़ गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बोलने दीजिए।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, एक सदस्य उनको बराबर ××× कह रहे हैं और आप भी उनको बाई पास कर रहे हैं। उनको एक्सपंज करें।

श्री सभापति : एक्सपंज करने के लिए कह दिया है।

श्रीमती कमला : उनको पाबंद किया जाय कि वह नहीं कहें।

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री शोपतसिंह : यह बहुत सीरियस बात है।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो, बहन कमला जी, अस्पताल का रिकार्ड बता रहा है।

श्री सभापति : एक्सपंज करने की व्यवस्था दे दी है। प्लीज कन्टीन्यू।

श्रीमती कमला : इसका क्या मतलब है। आप इतने जिम्मेदार सदस्य हैं।

श्री शोपत सिंह : बहुत सीरियस बात है। कोई बीमारी है। कोई बीमारी है ऐसे, तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। नाम नहीं बताना चाहिए।

श्री सभापति : उनको बोलने दें।

(व्यवधान)

उनको बोलने दीजिए इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, सारे के सारे माननीय सदस्यों को कम से कम अपनी भाषा के ऊपर तो कन्ट्रोल रखना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया बैठें। आपके सदस्य बोल रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, दुःख इस बात का है कि सत्य को सुनने की, सहन करने की शक्ति हमारे विपक्ष में नहीं है। लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले इन लोगों को लोकतन्त्र के मूल्यों को समझना पड़ेगा और उनको जीवन में उतारना होगा। तब ही यहां लोकतन्त्र सम्भव है। कोई आदमी बोलता है तो उसको बोलने नहीं देते हैं। यही चुनाव के अन्दर भी होता है जब हमारी सभायें होती हैं तो आप बैनर फाड़ते हैं, पोस्टर फाड़ते है, हो हल्ला करते हैं।

श्री सभापति : कृपया कट मोशन की बात करें। आप बार बार विषयान्तर हो रहे हैं तो दिक्कत होती है। कट मोशन दिया है उस पर ही बोलना पड़ेगा।

श्री ज्वाला प्रसाद : मेरा कटमोशन झालावाड़ जिले की कानून व्यवस्था के बारे में है....

श्री सभापति : उसी पर बोलें।

श्री ज्वाला प्रसाद : मैं झालावाड़ जिले की कानून व्यवस्था के बारे में ही बोल रहा हूं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरा निवेदन है कि यह बहुत बड़ा पहलू है जिससे हमारे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ी है उससे सम्बद्ध है, यह उस पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है जो यहां पर आकर लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं और वहां जाकर इस प्रकार के काम और अपराध करते हैं। मैं एक और उदाहरण हमारे दहीखेड़ा गांव का देना चाहता हूं वहां पर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी गयी है, वहां के अल्पसंख्यक वर्ग की दुकानें लूटी गयी हैं। आग लगायी गयी, मारपीट की गयी दाऊदी बोरा समाज पर। मुकद्में सैशन कोर्ट में है। उन सुनेल के दाऊदी बोहरा समाज के लोगों के मकानों को तोड़ फोड़ दिया गया। आग लगा दी गयी लाखों रुपए की सम्पति नष्ट कर दी गयी। यह सारा काम ऐसे लोगों के द्वारा किया गया है जो लोकतन्त्र की दुहाई

(श्री ज्वाला प्रसाद)

देते हुए थकते नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका सरपंच जो सीमेण्ट कांड के अंदर पकड़ा जाता है, सीमेण्ट को ब्लैक करता है। इस प्रकार का एक प्रकरण अभनावर का सरपंच जो इनका है, उसके विरुद्ध दर्ज हुआ है। ए. डी. एम. जो झालावाड़ के हैं, अतिरिक्त जिलाधीश, उन्होंने मौके पर ट्रक पकड़ा है। ट्रक जो पाया गया है। वह इन भारतीय जनता पार्टी के सरपंच का पाया गया है यह सारा मुकदमा चल रहा है...

श्री सभापति : कृपया अपने कटमोशन पर अपनी बात कहें।

श्री ज्वाला प्रसाद : जैसा कि बुलेट और मांगरोल के बारे में हमारे सम्माननीय साथी ने कहा। यह सारी कुछ इस प्रकार की घटनायें हैं जो हमारे जिले के अन्दर पनप रही हैं और बढ़ रही हैं। इन सबको जो प्रोत्साहन है, हमारे विरोधी पार्टी के साथी देते हैं। उन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा यह सारे अपराध किये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : सरकार भी विरोधी पार्टी के हिसाब से चल रही है क्या?

श्री ज्वाला प्रसाद : मैं ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि आज हम कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो हमें अपना यह रवैया बदलना पड़ेगा।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें, कृपया काफी लम्बा समय हो गया है।

श्री ज्वाला प्रसाद : हमारे जितने भी इस प्रकार के काम हैं उन कामों से हमें गुरेज करना होगा। राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को चाहे वह किसी भी पार्टी के द्वारा दिया जाय, वह उचित नहीं है। इस प्रकार के संरक्षण से हम दूर रहेंगे तभी कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक रह सकती है, तभी हम खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अन्त में...

श्री सभापति : संक्षेप में। काफी लंबा समय हो गया। शोर्ट प्लीज। समाप्त करें।

श्री ज्वाला प्रसाद : अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। आज हमारे यहां कोर्ट के अन्दर जाकर अदालत समय के अन्दर वकीलों को पीट दिया जाता है। डॉक्टरों को घर बुलाकर मार पीट की जाती है। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जो आज इस प्रकार के अपराध का शिकार नहीं होता है। इसके पीछे जो राजनीतिक संरक्षण है उस राजनीतिक संरक्षणबहुत का बड़ा हाथ है। माननीय, मैं आपके माध्यम से इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार का कि हमारे खानपुर जिले के हरिगढ़ गांव और उसके आस पास का जो क्षेत्र है वहां की बढ़ती अपराधवृति को अगर देखा जाय तो काफी ज्यदा अपराध उस क्षेत्र के अन्दर हो रहे हैं। वहां पर थाना खोलने के लिए सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया....

श्री सभापति : समाप्त करें, कृपया।

श्री ज्वाला प्रसाद : ....और मैं यह मांग करूंगा कि उस क्षेत्र के अन्दर थाने की स्थापना की जाय। कानून और व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति है....

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री ज्वाला प्रसाद : उसको ठीक करने के लिए सरकार ध्यान दे। किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव किसी भी पार्टी की तरफ से आता है तो उसको सहन नहीं किया जाय। यही मैं कहना चाहता था।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शोपत सिंह।

एक हां पक्ष का और एक ना पक्ष का जो क्रम चलता है चलता रहेगा जिस प्रकार जिसने नाम दिया है। प्लीज कन्टीन्यू। श्री शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज बहस हो रही है हमारी कानून और व्यवस्था पर, पुलिस पर। हम सोचते हैं कि पिछले पांच साल में हमारी पुलिस ने, हमारे पुलिस के विभाग ने और हमारी कांग्रेस सरकार ने जो कीर्तिमान कायम किये हैं कि अब तक के सारे कीर्तिमान तोड़ दिये। वह कीर्तिमान ऐसे हैं। पुलिस की कस्टडी में अब जितने लोग पांच साल में मारे गये हैं इस से पहले कभी नहीं मारे गये। पुलिस कस्टडी में जितने लोग मारे गये, मुझे याद पड़ता है, विधान सभा में एक बार तय हुआ था, सरकार ने कमिटमेंट दिया था कि जो भी आदमी पुलिस कस्टडी में मारा जायेगा उस अधिकारी के खिलाफ, उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी के खिलाफ, उसको फौरन सस्पेण्ड किया जायेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह पुलिस कस्टडी में हो कीर्तिमान कायम नहीं किये, यह जो नवविवाहित कन्यायें हैं जो आज सुसाइड कर रही हैं, मारी जा रही हैं, यह एक बड़ी अजीब बात है। मुझे इत्तफाक हो गया किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से। उन्होंने अपनी व्यथा प्रकट की। किस तरह से पकड़ें हम लोग, ! जो लड़कियां सुसाइड करती हैं या जलती हैं ससुराल में, उनको कैसे बचायें ! कैसे मुकदमा दर्ज करें ! कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हमारी लड़कियां ससुराल जाती हैं हमारी बेटियां, तो उनका कोई चश्मदीद गवाह होता है क्या वहां ? वे कैसे सरकम्स्टान्सेज में मारी जाती हैं, आपने कभी सोचा। कोई सासू भी मरी क्या जलकर। यह लड़कियां ही लड़कियां क्यों मर रही हैं। दो–चार सासू मरतीं तो हम भी समझ लेते कि ठीक है, कोई बात नहीं। यह बीमारी है औरतों की या लड़कियों को कोई बीमारी होती है इसलिए यह मर जाती हैं। महिलाओं में सासू नहीं मरेगी....

श्रीमती बीना काक : एक मरी हैं।

श्री शोपत सिंह : एक की बात छोड़िये। आपकी मंशा क्या है ? यह बताने की मंशा क्या है ? सासू कोई भी सुसाइड नहीं करती, न मारी जाती है, न मरती है कोई। उस लड़की की हम उम्र.....

श्री सभापति : कोई भी करे बुरी है यह बात।

श्री शोपत सिंह : उस घर में ननद भी होती है उस लड़की की-हम उम्र और कोई भी ननद नहीं मरती। यह सब बहुऐ ही बहुऐं मर रही हैं, क्यों मर रही हैं इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत गम्भीर मामला है। तो हमारी सरकार ने हमारे राजस्थान ने इसमें भी कीर्तिमान कायम कर दिये। अब तक पिछले पांच सालों में जितने सुसाइड के, बहुओं के जलने के केस हुए हैं और कोई नहीं हुए। इसमें, बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी पुलिस की भागीदारी है।

उसने सामूहिक बलात्कार में भी सारे कीर्तिमान तोड़ दिये पिछले पांच साल के अन्दर। हॉस्पिटल में, स्कूलों में पुलिस के कर्मचारियों ने सामूहिक बलात्कार किये हैं। आखिरकार मामला क्या है? क्यों नहीं सख्ती से विशेष इन्सट्रक्शन दिये जायं! माननीय सभापति महोदय, हमको अपने कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। चाहे वह बलात्कार का केस हो, 302 का केस हो। इनमें रुकावट तभी आयेगी जब सफरर पार्टी को हम मुआवजे नहीं देंगे। 20 साल की सजा एक लाख के जुर्माना से सफरर पार्टी को क्या मिलेगा। आप सजा कर देते हैं मुल्जिम को। एक बहन के साथ बलात्कार होता है। आपने उस मुल्जिम को तो सजा दे दी सात साल की, दस साल की दे दी। लेकिन उस औरत, उस बहना की क्या हालत हो जाती है! सारी जिन्दगी भर वह एक वजन बनकर रह जायेगी सोसायटी पर परिवार उसको एक्सैप्ट नहीं करेगा, सोसायटी उसको एक्सैप्ट नहीं करेगी। सजा आप दे देते हैं। इसलिए बड़ा गम्भीर मामला है। आपको सोचना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। इसका आधार क्या है, क्या करें?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ हमारे राजस्थान के अन्दर पिछले पांच सालों में जितने पैट्रोल पम्प लूटे गये और जितने बैंक लूटे गये, यह भी एक नया कीर्तिमान है। पिछले पांच साल के अन्दर जितने जुर्म हुए हैं, चोरियां हुई हैं, डकैतियां हुई हैं उनकी बरामदगी की लिस्ट देख लीजिए आप। आपने कितनी चोरियां बरामद कीं, कितने डकैतों को पकड़ा। इसमें भी आपने कीर्तिमान कायम कर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व सदस्य बोल रहे थे, आचरण की बात कर रहे थे कह रहे थे, आचरण होना चाहिए हमारे राज नेताओं का। तो भाई, आ जाओ, आचरण देख लो। आपके सत्ता पक्ष में बैठे हैं जितने भी विधायक, इन सबकी एफ. आई. आर. देखो पुलिस में। जिस एरिया से आ रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, अदालत में चल रहे हैं। कभी सोचा आपने बैठकर....

श्री सभापति : कृपया अपने कटमोशन पर बोलें आप।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आपको पता चल जायेगा, कितने ऐसे आचरण की तैयारी करके आये हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं, आचरण वाली बात कर रहे थे, उन से पूछ रहा हूं। किसी भी

(254)

(श्री शोपत सिंह)

राजनीतिक पार्टी में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि.....

श्री सभापति : कृपया अपने कटमोशन पर.....

श्री शोपत सिंह : मैं कटमोशन पर आऊं, क्या करूं ।

मैं पूछता हूं, × × × यहां पर आचरण नाम की चीज ही नहीं है । × × × बताओं किनका आचरण अच्छा है !

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री शोपत सिंह : बड़ा अच्छा आचरण था आपका । × × × इस बात का आचरण है यह ।

श्री अश्क अली टांक : उसी नागपुर के अन्दर क्या हुआ था....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : × × ×

श्री सभापति : आप अपने कटमोशन पर आइये ।

श्री अश्क अली टांक : प्रजातन्त्र की बात करते हैं आप और प्रजातन्त्र में आस्था नहीं है । उसी नागपुर से एन. एस. यू. आई. का मैम्बर आफ पार्लियामेंट बना । उसी नागपुर के अन्दर 16 हजार से अधिक मतों से एम. एल. ए. बना । नागपुर में महाराष्ट्र में उसी ने यूनिवर्सिटी का चुनाव जीता.. ..

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : मैं चरित्र की बात कह रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया कटमोशन पर आ जाय । आप विषयान्तर होते हैं इस से इन्ट्रप्शन होता है ।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आज कह रहा हूं कि आज हमारी पुलिस की क्या हालत है । पुलिस आयोग बैठा ।

श्री सभापति : पुलिस की बात कहिये आप ।

श्री शोपत सिंह : धर्मवीर आयोग बैठा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं यह सारी की सारी बातें, आज पुलिस के अन्दर जो बगावत हुई, जगह जगह हड़ताल हुई, पंजाब में हुई, दिल्ली मे हुई और दूसरी जगहों पर हुई । अगर आप पुलिस के छोटे कर्मचारियों को कुछ सहूलियतें नहीं देंगे और × × × सारे दिन काम लेते रहेंगे, तो बगावत के शोले पुलिस के सिपाहियों में फैलेंगे, फूटेंगे बगावत के शोले । आप इस बातपर गौर कीजिये । यह जो रिपोर्ट दी गई है वह इसी सन्दर्भ मे दी गई है, जब राज्यों के अन्दर लगातार बगावतें हो रही थी, पुलिस के कर्मचारी हड़ताल पर जाते थे तब इस बात पर विचार किया गया था । अगर आज आप लोग इस बात पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे कि आप पुलिस मैस में कितना पैसा देते हैं सिपाही को आप सोचिये कभी बैठकर, आप घर में भी जो खाते हैं आपको भी पता है कि आपके मैस

× × × शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शोभत सिंह)

का खर्चा क्या है। परन्तु इस बात को कभी नहीं सोचा, कभी महसूस ही नहीं किया। आपके ऑफिसर्स के अलग मैस हैं। मगर सिपाहियों के लिये कितना रुपया देते हैं आप, कभी सोचा बैठकर ? भाव बढ़ रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है ? सारे के सारे मामले में बिल्कुल ही ढांकना चाहते हैं और हमारे जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं, छोड़ देते हैं भूखे भेड़िये की तरह, जनता को लूट और खाये। कम से कम जिस आदमी से आप 12 घण्टे ड्यूटी लेना चाहते हैं तो उसको पेट भर कर खाना दीजिये, अच्छा खाना दीजिये।

इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी डिपार्टमेन्ट्स हैं आपने डिपार्टमेन्ट्स के कर्मचारियों के लिये, चपरासियों के लिये और दूसरे कर्मचारियो के लिये तो रजिडेंस की सारी की सारी फैसेलिटी प्रोवाइड कर रखी है, मगर हमारे सिपाही कहां रहेंगे ? मैंने इसके लिये जनता पार्टी के शासन में भी सुझाव दिया था कि हर थाने के साथ सिपाहियों के लिए रेजिडेन्स होना चाहिये उसके भी बाल-बच्चे हैं। आपके सिपाही कहां जाते हैं सारे के सारे उन गन्दी कॉलोनियों में जाते हैं, एन्टी सोशियल एलिमेन्ट्स के साथ उनकी दोस्ती होती है, उनके साथ उनके कान्टेक्ट बनते हैं....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, अगर कोई सिपाही बाल बच्चों के साथ रहेगा तो उसकी सोसायटी ऐसी नहीं होगी। माननीय सभापति मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता से महोदय, लेता हूं कि आपके एस. एच. ओ. के लिये तो रहने के लिए क्वार्टर्स हैं मगर आपके सिपाही कहां रहते हैं, क्या करते हैं इस बात की आपको कोई फिक्र नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि छोटे कर्मचारियों के लिये, जो आपके पुलिस स्टेशन के साथ में हैं उनके लिये रेजिडेन्शियल क्वार्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, अभी हमारे पुलिस स्टेशन के अन्दर, खास तौर से गंगानगर के अन्दर, बाकी पुलिस स्टेशन्स में कितनी सवारियों की जरूरत है मगर गंगानगर में कितनी सवारियों की कमी है, मैंने इस बात को अनुभव किया है, महसूस किया है। आपके पुलिस स्टेशन्स में जीप नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई मोटर साइकिल नहीं है। कोई भी वारदात हो जाय, ऐसी घटना हो जाय, पैट्रोल पम्प लूट जायें या बैंक लूट जाय, कैसे जायेंगे। मेरे घर में चोरी हो गई या मेरे घर में कोई झगड़ा हो गया, मेरे घर में कोई कतल हो गया, कहां से वह आदमी जीप लायेगा, बिना जीप के आप जा नहीं सकते, जीप लेने जायेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर पुलिस स्टेशन के साथ टेलिफोन की अच्छी व्यवस्था हो, वायरलैस की अच्छी व्यवस्था हो, जीप और मोटर साइकिल प्रोवाइड की जाय ताकि पुलिस स्टेशन्स में इफेक्टिव कार्यवाही हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे हनुमानगढ़ की तो हालत यह है कि एडिशनल एस. पी. का ऑफिस पांच साल बाद तो एडिशनल एस. पी. के घर में टेलीफोन अभी लगा है, पांच साल बाद में। आप इसको गंभी-

(श्री शोपत सिंह)

रता से देखिये। मेरे यहां एडिशनल एस. पी. के यहां 5 साल बाद में घर पर टेलिफोन लगा, आफिस में नहीं है टेलिफोन। उग्रवादियों के नाम से जब कोई घटना घट जाय, फर्क क्या पड़ता है ? एक उग्रवादी एक घटना कर देता है, एक डकैत डाका डाल जाता है, एक पैट्रोल पम्प लुट जाता है, आपने उग्रवादियों को हीरो बना दिया, इतनी इम्पोर्टेन्स दे दी। गुजरात में आप खुद मार रहे हैं, कितने मार रहे हैं, कौन मार रहा है, पुलिस वाले मार रहे हैं तो फिर उग्रवादियों में और पुलिस वालों में फर्क क्या हुआ, साहब ? आदमी रोज मरते हैं। उधर वहां पर उग्रवादियों ने 2-4 इन्सटांस कर दिये, हमको अवाइड करना चाहिये था। यह बड़ो महत्वपूर्ण प्राब्लम नहीं थी। मगर उग्रवादी घटना कर देते हैं तो हमारे आई. जी. पी. और डायरेक्टर जनरल हैलिकाप्टर पर पहुंचते हैं। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा कलेक्ट्रेट और सारे के सारे ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं, साहब। क्या कर रहे हैं, साहब ? साहब उग्रवादियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। यह रोज उग्रवादी हमारे यहां करते हैं, रोज 302 में कतल होता है, रोज डाके पड़ते हैं, रोज बन्दूकें लूटी जाती हैं....

एक माननीय सदस्य : इससे कन्ट्रोल होता है....

श्री शोपत सिंह : क्या कन्ट्रोल होता है ? आपने उग्रवादियों को इतनी अहमियत दे दी। हीरो बना दिया प्रेस ने और पुलिस ने। आर्डनरी एक आदमी मर जाता है एक पैट्रोल पम्प लुट जाता है उस वक्त आप ध्यान नहीं देते। मगर एक उग्रवादी घटना कर देता है तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंच जाता है गंगानगर में। इस ड्रामे को बन्द कीजिये और इनको कम महत्व दीजिये। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह आपकी स्वयं की समस्या पैदा की हुई है अब जिम्मेदारी आपकी है।

श्री सभापति : कृपया कटमोशन तक ही सीमित रहें।

श्री शोपत सिंह : यह उग्रवादियों के....

श्री सभापति : कृपया कटमोशन तक ही सीमित रहें आपके वाद-विवाद में....

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरे सुझाव थे जो मैंने दिये। इसके साथ साथ खास तौर से जो बात आज मैं कहना चाहता हूं मुलजिमों को किसी भी जुर्म के अन्दर आप मुआवजे की कन्डीशन नहीं रखेंगे तो यह रुकने वाले नहीं हैं, इनको इफेक्टिवली कोई रोक नहीं सकता है। यदि कोई कतल कर देता है तो 20 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना। इस तरह की जब तक हम पैनल्टी इम्पोज नहीं करेंगे क्रिमिनल लोगों पर तब तक क्राइम की रेट्स बढ़ती जायेगी, घटेगी नहीं।....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ एक और केस आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे

(श्री शोपत सिंह)

यहां पर एक लेबोरेटरी है, फोरेन्सिक की प्रयोगशाला है जो बहुत ही शानदार प्रयोगशाला है माननीय सभापति महोदय, उस प्रयोग शाला को क्या बनाना चाहते हैं आखिर आप। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, सैनी साहब, जाते जाते एक रेफरेन्स दे गये कि साहब बड़ा झगड़ा है, उसको बचाइये। झगड़ा काहे का है साहब, क्या झगड़ा है? वहां पर अच्छे साइन्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, लोगों की जिन्दगी से ताल्लुक रखती है, हिन्दुस्तान की बहुत बढ़िया प्रयोगशाला है। वहां आज क्या हो रहा है, निदेशक हैं उन्होंने अपनी बेटी को ही अपने दफ्तर में कर्मचारी बना लिया....

एक माननीय सदस्य : क्या हो गया?

श्री शोपत सिंह : अपनी बेटी को ही अपने दफ्तर में कर्मचारी बना लिया, क्यों बनाया उसको, क्या रिजल्ट्स होंगे उसके, आगे क्या नतीजा होगा? उसमें करप्शन फैलेगा लोग एप्रोच करते हैं और वह बदलते हैं। मेरे पास डाकूमेन्ट्स हैं। मेरे पास यह जजमेंट है, मैं जजमेण्ट का कुछ पोर्शन पढ़कर सुनाता हूं....

श्री सभापति : पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने जिक्र कर दिया।

श्री शोपत सिंह : मैंने माननीय गृह मंत्री जी को उसकी कापी दी है....

श्री सभापति : बहुत अच्छा किया आपने कापी दे दी है, अब पढ़ने की क्या आवश्यकता है?

श्री शोपत सिंह : मैं हाउस को बताना चाहता हूं सैशन जज का जजमेण्ट है, सैशन जज ने लिखा है तुमने कारतूस बदल दिये, मर्डर के मुकदमें में, कारतूस बदल दिये। एक एलीगेशन नहीं सैकड़ों ऐलिगेशन्स है, सारा का सारा स्टाफ, सारे के सारे साइन्टिस्ट, सारे के सारे वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में काम करने वाले हैं सारे के सारे एक तरफ हैं और निदेशक महोदय एक तरफ हैं यह झगड़ा है, मेहरबानी करके इससे बचायें। आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। यह निदेशालय का झगड़ा है, कर्मचारी एक तरफ वैज्ञानिक एक तरफ और निदेशक महोदय एक तरफ हैं क्या कुछ कैसे किया जाय आपके निदेशक का मामला है। एक शानदार प्रयोगशाला है जो हिन्दुस्तान की दूसरे और तीसरे नम्बर की प्रयोशाला है उसको मेहरबानी करके बचायें। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, पुलिस की जो डिमाण्ड है, पुलिस विभाग हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, कानून व्यवस्था करने के लिए, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जितना यह विभाग महत्वपूर्ण है अभी हमारे बिरोधी सदस्यों ने जितनी आलोचना कर सकते थे वह की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं बलात्कार का काण्ड होता है तो क्या राजस्थान सरकार करवाती है। अपनी बहुओं को जलाया जाता है तो क्या होम सेक्रेट्री आदेश देता है, धौलपुर के अन्दर लड़कियों को भगाया जाता है इसके लिए क्या डी. जी. ऑर्डर देता है।

श्री शोपत सिंह : धन्य हो

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : मेरा कहने का मतलब है, सुन लीजिये। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप जन जागरण पैदा नहीं करेंगे, इस तरह के कर्म करने वाले आदमियों का बहिष्कार नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये, जब आप बोल रहे थे, माननीय सदस्य कृपया सुनिये।

(व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : मेरी बात तो सुन लीजिये, उनको राजनीतिक सरक्षण प्राप्त होता है। मैं नहीं कहता उनके लिए विरोध वाले भी कहते हैं, उसके लिए हो सकता है सत्ता पक्ष वाले भी कहते हों। मेरे कहना का तात्पर्य यह है कि इस तरह के कर्म करने वालों को जब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहेगा तब तक ये कर्म बन्द नहीं हो सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तो टिकट देते हैं इनको।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनें उनको।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे लोगों को टिकट देते हैं।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : मुझे टिकट देते हुए तो बहुत खूब हुआ था....

श्री भंवरलाल शर्मा : ××× आपकी बात नहीं, आप तो बोलें, ××× को टिकट दिया आपने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया इण्टरप्ट नहीं करें। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सदन के अन्दर जो अखबारों के अन्दर आंकड़े आते हैं उनको सदन की मेज के ऊपर रख देते हैं या सदन के अन्दर बोल देते हैं जिससे अखबारों में इनका नाम आ जाय और सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाय। जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको ये सुनना पसन्द नहीं करते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक राजनैतिक संरक्षण बन्द नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनायें घटित होती रहेंगी। उनको रोकने के लिए जन जागरण पैदा करना होगा।

श्री शोपत सिंह : हम तो विरोधी हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल : ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, कृपया इण्टरप्ट नहीं करें, प्लीज कन्टीन्यू।

श्री हरीशचन्द्र पल्लीवाल : माननीय सदस्य, जब सत्ता पक्ष में इधर बैठते थे तब इस तरह की पुलिस विभाग के बारे में कटु

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल)

आलोचना नहीं करते थे। अगर विरोधी पक्ष इस तरह की आलोचना करता है, यह तो समय की बात है। तो मेरा निवेदन है मैं यह नहीं कहता कि पुलिस विभाग दूध का धोया है। आज आपसे निवेदन करूं कि जनभावना जो पुलिस के प्रति है, वह कहावत है कि पुलिस की दोस्ती भी खराब है और पुलिस की दुश्मनी भी खराब है, ऐसा नहीं है। जो जनभावना इनके प्रति बन गई है उसको ठीक करना होगा। इनके प्रति जो भावना है वह क्या है कि चन्द लोग हैं, चन्द स्वार्थी लोग इस पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम किए हुए बैठे हैं। मेरा इसके अन्दर यह सुझाव है, निवेदन है कि जो ऐसे अधिकारी हैं, जो हमेशा यही सोचते हैं कि हमको अच्छा थाना मिलना चाहिये या जैसे सी. आई. डी. में भेज दिया तो वह यह सोचते हैं कि पुलिस लाइन है। मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, कि एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे थानों के अन्दर जिनका रिकार्ड खराब नहीं हो ऐसे व्यक्तियों को थाने पर नियुक्त नहीं किया जाय।

एक यह भी परम्परा बनी हुई है कि जो सिविल पुलिस के आदमी हैं उसको आर. ए. सी. के अन्दर नहीं भेजा जाता, आर.ए.सी. कोई जवान आसाम के अन्दर है, कोई नागालैण्ड के अन्दर है लेकिन जो सिविल पुलिस के कर्मचारी हैं वह हमेशा उसी के अन्दर मौज मस्ती लेते रहते हैं और आर. ए. सी. के जो जवान हैं वह हमेशा सीमा के ऊपर ड्यूटी देते रहते हैं। उन लोगों के अन्दर यह भावना घर कर गई है कि ठीक है हम लोगों को तो आर. ए. सी. के अन्दर ही सर्विस करनी है और आर. ए. सी. में ही अपना जीवन निकालना है और सिविल पुलिस वाले हैं वह यह मानकर चलते हैं कि उसको तो यहीं रहना पड़ेगा और हर तरह से हमें यहां पर कार्य करना है।

सभापति महोदय, मैं अपने जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में खास तौर से निवेदन करूंगा। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव तो ट्रैफिक पुलिस जयपुर के बारे में था। ट्रैफिक पुलिस जयपुर की स्थिति यह है कि हर चौराहें के ऊपर आपको सफेद हाथी खड़े मिल जायेंगे। मैं नहीं कहता कि वह खड़े क्यों रहते हैं। मेरा निवेदन है कि उनका कार्य है ट्रैफिक को कण्ट्रोल करना। लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि चाहे वह प्राइवेट व्हीकल हो या पब्लिक केरियर। प्राइवेट व्हीकल की स्थिति यह है कि मन में आती है उनको हाथ देकर रोक लेते हैं। मेरी एक और बात समझ में नहीं आती कि जो पुलिस वाले हैं वह हाथ देकर रोक लेते हैं, यह चालान की पावर किसके पास है ? क्या कन्स्टेबल के पास है या हैड कान्स्टेबल के पास है या सब इन्पेक्टर के पास है। मैंने अक्सर यह देखा है चाहे वह हैड कान्स्टेबल हो, उसके पास एक प्रिन्टेड फार्म होता है प्रिन्टेड फार्म के ऊपर न जाने जो अधिकृत अधिकारी हैं उसके सिग्नेचर होते हैं, प्राइवेट व्हीकल को वह रोक लेंगे और रोकने के बाद उसका चालान बना लेंगे और अगर चालान नहीं बनायेंगे तो चुपचाप वह उसे कहेंगे कि 2, 4, 5, रुपये दे दो तब तो छोड़ देंगे। एक तो जो व्यवस्था ट्रैफिक की है जयपुर शहर के अन्दर, यह अव्यवस्था दूर होनी चाहिये।

(श्री हरिशचन्द पल्लीवाल)

दूसरा यह कि पहले यहां पर सी टी एस बसें चलती थीं राजस्थान रोडवेज की। राजस्थान रोडवेज की सिटी बसेज घाटे में चलती थीं इसलिये उन सिटी बसेज को हटा कर के उनकी जगह प्राइवेट मिनी बसेज लगा दी गई। आज मिनी बसेज वाले बह काफी परेशान हैं। मेरी उनसे खुद से बात हुई। वह यह बताते हैं, जिस रूट पर हम जा रहे हैं उस रूट के ऊपर हमको दो चार इस तरह के कान्स्टेबल मिल जायेंगे कि हाथ देकर हमारी गाड़ी को रोक देंगे और जब तक हम उनको दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वह हमारी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मेरा मतलब यह है कि इस तरह की जो व्यवस्था है, एक तरफ राजस्थान रोडवेज घाटे में चल रहा है और आज जो मिनी बसेज वाले हैं जो इन पुलिस वालों को पैसा देते है, पैसा ही नहीं देते यहा तक सूचना है कि 5000/ रु रोज मिनी बसेज से ट्रैफिक वालों को मिलते है। तो एक तरफ तो वह मिनी बसेज वालों ने आर. एफ सी. से या प्राइवेट सेक्टर से लोन ले रखा था आज उनकी स्थिति यह बन गई है कि वह लोन चुकाने के अन्दर भी असमर्थ है।

दूसरा जो मेरा प्रस्ताव है वह है गंगापुर क्षेत्र के थाना गंगापुर के बारे में। थाना गंगापुर के अन्तर्गत जो गंगापुर की आबादी 13, 14 हजार थी पहले और अब भी स्थिति वही है कि 13, 14 हजार की आबादी के ऊपर जो वहां पर पुलिस कर्मचारी थे उतने ही आज वहां मौजूद हैं। उसमें सिर्फ पांच कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई है। आज गंगापुर की आबादी करीबन रेल्वे और गंगापुर दोनों को मिलाकर करीबन 65 हजार के आस पास हो गई है और वही तीस आदमी उसमें काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि वहां पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय जिससे कि ला-एण्ड-आर्डर की व्यवस्था सही ढग से चल सके।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर भी है।

श्री उपाध्यक्ष : सूची के हिसाब से सभी का नम्बर आयेगा। श्री यदुनाथसिंह

(रात्री 9.50 बजे)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री यदुनाथसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस शब्द कितना सुन्दर है, यह पुलिस शब्द जो बना है वह शान्ति का द्योतक है। एक सस्कृति का द्योतक कहां एक भाई चारे का द्योतक है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण और राजनैतिक संरक्षण के कारण पुलिस की पब्लिक में इमेज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कोई साल भर पहले किसी मेग्जीन या किसी किताब में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका रेफरेन्स इस तरह का था कि एक बार लन्दन में एक पुलिस कासटेबल के लड़के ने किसी को चाकू मार दिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पुलिस कमीशन बैठा इस बात के लिये कि ऐसे क्या कारण थे? किस कारण से एक पुलिस कान्सटेबल के लड़के ने चाकू मारा?

(श्री यदुनाथ सिंह)

ऐसे क्या कारण थे कि जिसने उसको प्रेरित किया या उत्तेजित किया कि जिससे उसने चाकू मारा तो, उस कमीशन ने जो फाइंडिंग दी उसमें यह पाया गया कि उस कांस्टेबल के घर पर टेन्शन रहता था और उसकी सर्विसेज में एनोमोली थी। तो उस पुलिस रिफोर्म्स कमीशन ने फिर रिकमन्डेशन की अगर उसी तरह आज यहां किया जाता तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती कि किसी प्रकार से राजस्थान की पुलिस या हिन्दुस्तान की पुलिस एफिशियेन्ट हो और वह हमारे यहां पर किसी प्रकार से सदभाव पैदा करे। लेकिन आज होता क्या है कि पुलिस फोर्स में कमान्डर और फोर्स के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। आज कमान्डर और फोर्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। वह गैप बढ़ता ही जा रहा है कमान्डर कभी अपने छोटे सिपाही से और.डी. आई. जी. अपने सिपाही से या एस.पी. अपने सिपाही से या डी.वाई एस. पी. अपने सिपाही से कोई बात ही नहीं करता उसके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं वहां पर। फोर्स और कमान्डर के बीच में गैप जब तक कम नहीं होगा, हालांकि कभी कभी मीटिंग जरूर होती है पर आकेजनली नाम मात्र को कभी गेट टू गेदर कर दिया। पर फौज में क्या होता है, वहां पर कमान्डर और फोर्स के बीच में गैप नहीं होता है वह कभी कभी साथ बैठ कर अपनी व्यवस्था की बात करते हैं। साथ बैठने से कमान्डर और फोर्स के बीच में गैप कम होता है और नतीजा क्या होता है कि जो सिपाही आम आदमी के टच में रहता है हर बात को नजदीक से जानता है हालांकि बड़े-बड़े अधिकारी एक्सपर्ट ओपीनियम ले सकते हैं और कानून की धारा के बारे में सब कुछ कर सकते है पर फेक्टस एकत्रित करने का सबसे ज्यादा काम सिपाही करता है। इसलिए अगर आप ऐसा करते तो मुझे खुशी होती। उसमें सुधार के काम करने के लिये सरकार कोई कदम उठाती। लेकिन होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हर साल बजट पेश कर देते हैं और उसमें यह कह देते हैं कि इतना पिछले साल का बजट था और इतना इस साल का बजट है पिछले साल इतने क्राइम हुए, और इतने बलात्कार पहले हुए और इतने अब बलात्कार हुए। एक माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि समस्या विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है यह बात सही है कि समस्या विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है पर चाहे राम का राज्य रहा हो चाहे किसी का भी राज्य रहा हो या रहे पर समस्या विहीन तो समाज नहीं हो सकता है। समस्या विहीन समाज जिस दिन हो जायेगा उस दिन जीने का लुफ्त और मजा ही चला जायेगा। तो समस्या तो रहेगी, उपाध्यक्ष महोदय, समस्या तो रहेगी पर उस समस्या का किस प्रकार से निवारण हो उसका प्रयास किया जाय। कहां उसमें कमियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाय अगर इस तरह का कोई नीति द्योतक बजट होता तो मैं स्वागत करता। आज हमारे यहां पर हो क्या रहा है आज सिपाही के लिये बेरेक नहीं है, आज सिपाही के लिये लांगरी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, सिपाही खाना कहां खाये। एक तरफ बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं बंगले बने हुए हैं मैस बनी हुई है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के कुत्ते डबल रोटी खाते और गाड़ियों में घूमते हैं और बेचारे छोटे सिपाही

(श्री यदुनाथसिंह)

दो जून पेट भरने के लिये अपने बच्चों से दूर रहते हैं । उसके बच्चे उससे अलग रहते हैं आज उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस फोर्स की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है । आज फायरिंग की ट्रेनिंग कहां होती है । आज जैसे कि धौलपुर में एन्टी डैकोइटी एकाउन्टर होता है वहा पर गलती से कभी फायरिंग होती है तो उन लोगों को कहां ट्रेनिंग दी जाती है । आज उनको कहीं पर रेग्यूलर वे में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है । मैं भरतपुर रहता हूं मैंने तो कभी भी पुलिस को कभी साल छः महिने में या दो चार साल में फायरिंग करते देख है । तो कहने का मतलब यहा है कि, उपाध्यक्ष महोदय, कोई ट्रेनिंग की सही ढग से व्यवस्था ही नहीं है । वह लोग अपने आपमें ही मर जाते हैं । तो अगर इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था होती तो मुझे खुशी होती । उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वागत करता कि पुलिस में किसी प्रकार की पब्लिक इमेज बने । उसके लिये कोई कदम राज्य ससकार उठाती तो मैं उसका स्वागत करता । उपाध्यक्ष महोदय, अगर एटीट्यूडशनल ट्रान्सफोर्मेशन किया जाता, आज पुलिस और मातहत के बीच में कोई सद्‌भाव बढ़ाने के प्रयास किये जाते तो मैं स्वागत करता । पर आज यह सब कुछ नहीं हो रहा है । आज हो क्या रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में बनती जा रही है । आज पुलिस को सरकार छूट दे रही है जैसे गुजरात में आप देखें, जगह-जगह पर पुलिस सरकार को छूट दे रही है । अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये, अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिये आज सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है । इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे । आज जगह-जगह पर यह प्रयास किया गया है, पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि आज पुलिस सरकार का अम्ब्रेला बनी हुई है और सरकार पुलिस का अम्ब्रेला बनी हुई है । आज यही कारण है कि पुलिस में राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है और इसके लिये पुलिस जिम्मेदार नहीं है । हमारे दोस्त कह रहे थे कि राजीव गांधी ने सत्ता में आते ही यह एलान किया था कि प्रशासन में किसी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा । लेकिन यहां पर हमारे हरिदेवजी मुख्य मत्री बनते ही अपने विधायकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि, माननीय सदस्य, अपनी अपनी डिजायर भिजवा दो कि आपको कौन थानेदार चाहिये । तो साहब, एम. एल. ए. साहब ने थानेदार की डिजायर लिख दी, तो जो थानेदार डिजायर पर जाता है उसके लिये चाहे एस. पी. चिल्लाता रहे पर वह तो ताल ठोक कर कहता है कि तू चाहे चिल्लाता रहे मैं तो मुख्य मंत्री के आदेशों से आया हूं । तो इस प्रकार पुलिस में जो डिसिप्लीन फोर्स में था वह आज घटता जा रहा है । आज के समय जब श्री हरिदेव जोशी जैसे मुख्य मंत्री बने हुए हैं जो राजीव गांधी को दिखाना चाहते है कि राजीव गांधी जी मैं बसन्द दादा पाटिल और अर्जुनसिंह जैसा कमजोर मुख्य मत्री नहीं हूं, मैं गुजरात के मुख्य मत्री जैसा कमजोर मुख्य मंत्री नही हूं, यहां मेरी मनमानी चलती है, राजस्थान में तो मैं जो चाहूंगा वह करूंगा । तुम चाहे कोई ऐलान करते रहो, चाहें जो राजनैनिक

(श्री यदुनाथ सिंह)

वक्तव्य देते रहो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं तुम कहते रहो कि राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। ग्राप चाहे एलान कर रहे हो पर यहां ग्रखबारों में ग्रा रहा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने खड़े होकर ग्रपने विधायकों में एलान किया कि किस किस एम. एल. ए. को कहां कहां पर पोस्टिग करना है, जल्दी बता दें ताकि जल्दी कर दूं वरना विधान सभा का सत्र ग्राने वाला है तब तक ग्राप चुप रहना। इस तरह कि बातें जब तक नहीं रोकी जायेंगी तो जिस तरह गुजरात में हुग्रा है कि किस तरह से राजनीति के हस्तक्षेप के कारण स्थिति बिगड़ी है। पंजाब में पुलिस फैल हुई, उसका सबसे बड़ा कारण यह राजनैतिक हस्तक्षेप का प्रयोग है। ग्राज वहां पर पुलिस इनइफेक्टिव क्यों हो गयी, वहां पर बाद में फौज बुलानी पड़ी। राजनैतिक हस्तक्षेप से ग्रगर पुलिस से काम लिया जायेगा तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। ग्रभी पिछले दिनों में राजस्थान में एक चर्चा चली थी कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बारे में ग्रौर ज्युडिशियल इनक्वायरी रिपोर्ट जो की इन्क्वायरी एक्ट के ग्रन्तर्गत होती है पर भगवान जाने क्या होता है यहां पर ग्राये दिन हत्यायें हो रही हैं ग्रौर पुलिस निरंकुश हो रही है राजनैतिक संरक्षण की वजह से ग्रगर इसको नहीं रोका गया तो यह बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। यहां पर पुलिस बदनाम हो रही है, पुलिस के द्वारा बलात्कार हो रहे हैं, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, गोली चलायी गयी है ग्रौर गोली चलने से कई निर्दोष लोगों की जाने गयी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ग्रपने राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिये जब तक पुलिस का उपयोग बन्द नहीं करेगी तब तक सही हल नहीं निकल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी ग्राप देखिये कि यहां पर एक ग्रादमी जैसा कि ग्रापको याद होगा ग्रौर जो पुराने माननीय सदस्य हैं वह जानते होंगे कि एक बुढ़ा ग्रादमी, जो कि सन् 1952 से लगातार इस विधान सभा का सदस्य चुनता ग्रा रहा था, उसको पिछले तीन फरवरी को सरे बाजार कुछ बड़े बड़े ग्रधिकारियों के इगो को सैटीसफाई करने के लिये, सरेबाजार पांच हजार ग्रादमियों के बीच में उसको डीग में गोली मार कर खत्म कर दिया गया ग्रौर राजस्थान सरकार ने उसको एनकान्ट बताया सरकार ने उसको, उपाध्यक्ष महोदय, एनकाउन्टर बताया। खैर, चाहे जो कुछ हो पर भरतपुर में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बन गयी ग्रौर भरतपुर तो छावनी बन कर रह गया। पर वहां की मजबूती देखकर राजीव गांधी पर जब दबाव पड़ा तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी बैठायी गयी ग्रौर इससे भी जब मामला नहीं दबा तो फिर इसको सी. बी. ग्राई. को जांच करने के लिए दिया। तो जनता ने राज्य की भावना देखी कि मुकदमा सी. बी. ग्राई. को सौंप दिया गया है ग्रौर सी. बी. ग्राई. इसकी जांच कर रही है तो सही जांच हो सकती है। ग्रब पिछले कुछ दिनों से इस घटना क्रम को किस तरह से नाट्य क्रम से यानि किस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ग्रौर केन्द्रीय सरकार ने ग्रौर सी. बी. ग्राई. ने मिलकर षड्यन्त्र किया ग्रौर मामला दबाने के लिये क्या खतरनाक योजना बनायी कि राजीव गांधी ने सी. बी. ग्राई. को जांच

(264)

(श्री यदुनाथसिंह)

करने को दी, तो हरिदेव जोशी ने उसके मुंह पर तमाचा मार कर कहा कि बैठाओ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, नहीं देता मैं प्रासी-क्यूशन के आर्डर। यह बहुत ही बुरी और लज्जाजनक बात है। इसको कभी भी बर-दाश्त नहीं किया जायेगा। उसका नतीजा क्या होगा कि, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं और आपके पास तो पिछले दो तीन दिनों से लोग आ रहे होंगे, वहां पर तनाव बना हुआ है और गांव-गांव में वहां पर पंचायतें बैठ रही हैं। वहां पर बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। जनता बहुत ही उत्तेजित है और आंदोलित हो रही है वहां पर कभी भी कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि किस प्रकार यहां पर 29 तारीख को एक चिट्ठी आती है और सी. बी आई. ने पिछले दिनों जैसा कि विधान सभा में कहा गया और वह हिन्दुस्तान के बहुत बड़े प्रेस में छपा था उस चिट्ठी में सी बी. आई. ने चालान पेश करने के लिये इजाजत मांगी पर राजस्थान सरकार ने पांच दिन बाद तीन तारीख को लिखित में यह दिया कि सी. बी. आई. ने क्वेरीज पूरी नहीं की हैं, यह तो अलग बात है कि बैठे हैं कुण्डली मारकर। राजस्थान सरकार को तीन दिन बाद जवाब आ जाता है लिखित में जवाब आता है कि क्वेरी पूरी कर ली, पूरी की या नहीं की यह अलग बात है, लेकिन वहां पर पत्राचार चलता है, लव अफेयर चलता रहा राजस्थान सरकार और सी. बी. आई. के बीच में। यहां पर सामने टेबिल पर बैठकर किसी मामले को तय किया था, किसी प्रकार से कोई अभियुक्त बच नहीं पाये। उसका लाभ नहीं उठाये राजस्थान में राजकीय और क्षेत्रीय स्थिति फिर से नाजुक या हिंसात्मक नहीं हो जाये. आन्दोलित नहीं हो जाये, आम लोगों को लगे कि वास्तव में राजीव गांधी ने जिस समय उस विधायक, राजा मानसिंह की हत्या हुई थी मुख्य मन्त्री को हटाकर जांच कराने का काम किया था, उसकी इमेज का क्या होगा। उसकी इमेज की परवाह नहीं है। हरिदेव जोशी दिखाना चाहते हैं कि राजीव गांधी दखल देने वाले कौन होते हैं। एक प्रकार की रयूमर फैल रही है अलग-अलग हमारे यहां चर्चा आपको पढ़ने को मिलेगी, तीन तारीख से एक बड़ी अफवाह फैल रही है मुख्य मन्त्री जी हवाई जहाज से दिल्ली गये, वहां प्राइम मिनिस्टर से मिले, पुलिस में आन्दोलन हो जायेगा, इस प्रकार की अफवाह उड़ी।

(व्यवधान)

आप अपने सोर्स से मालूम कीजिये, मैं बता रहा हूं। हमारे यहां पर किसी तरह की सूचना है। उन्होंने कहा कि पुलिस विद्रोह हो जायेगा उन्होंने कहा-अच्छा। उसमें केन्द्र सरकार शामिल, राज्य सरकार शामिल, सी बी. आई. शामिल। क्यों शक होता है कि क्या जरूरत थी। 302 के मुकदमों में, हत्या के मुकदमें में प्रोसिक्यूशन के लिये इजाजत लेने की जरूरत क्यों समझी। 302 में आप जब हत्या का चालान करने जा रहे हैं तो राजस्थान सरकार ने सी बी. आई से जांच कराने की जरूरत क्यों समझी। सी. बी. आई. पर शक जाता है। क्या हत्या के लिए किसी सरकारी कर्म-चारी को परमीशन दी जानी चाहिए कि आप हत्या करें। हत्या करने की कोई परमीशन नहीं होती। मैंने 167 में देखा दिन के मामले में। मैं कोई पढ़ा-लिखा या लॉ का

(श्री यदुनाथसिंह)

विद्यार्थी नहीं हूं, लॉ की किताब घर पर उपलब्ध नहीं होती, बड़ी मुश्किल से बाजार से लाकर किताब पढ़ी। सेक्शन देखा कि 90 दिन कैसे गिने जायेंगे। क्या हड़बड़ाहट थी कि कोर्ट के उठने से पहले चार बजकर ... 6 अप्रैल ... उनको प्रस्तुत किया गया था। सात अप्रैल को आयाराइजेशन कराया कोर्ट से। गिन लीजिये 24 दिन वह, 31 दिन अगले, 30 यह और चार यह, यानि 89 दिन में छोड़ दिया गया। आप उसको नहीं गिनें, कोर्ट के दिन गिनें, 6 और 4 गिनें तो भी कोर्ट उठने से पहले सी. आर. पी. सी. की धारा 167 की साफ मंशा है On the expiry of Ninty days, 90 दिन पूरे नहीं हुए कोर्ट उठी नहीं, सी. बी. आई. चालान पेश करने को आई, उसने लिखकर दे दिया, मेंडेटरी है, On the expiry of Ninty days, बहुत जल्दी थी, पता नहीं क्या होगा। यानि और शंकायें लोगों के मन में पैदा हो रही हैं, यह साबित होता जा रहा है उसमें केन्द्रीय सरकार शामिल रही है, शंकायें बनती जा रही हैं, उसमें राज्य सरकार शामिल है, और बहुत सी एजेंसियां शामिल हैं यानि जिस प्रकार से मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे पिछली बार 18 की परमीशन कैसे दे दें। वह जवाब दें, मैं बिल्कुल पिन प्वाइन्ट प्रश्न करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप अपना जवाब दें तो इस बात का जवाब दें कि पांच आदमी कौन से हैं जिनके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करने देना चाहते। पांच आदमियों के नाम बताइये. तेरह आदमी कौन से हैं जिनको मानते हैं कि चालान कर दिया जाये। बड़ी सफाई से यह जवाब दिया, खबर कर दी, टेलिफोन कर दिया कि आप चाहें तो चालान पेश कर सकते हैं, क्या बात है, क्या मजाक है? केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार की एजेंसी या राजस्थान सरकार एजेंसी कोई चीन या रूस की एजेंसी है, किसी दूसरे देश की एजंसी है कोई कोडिनेशन नहीं है। शुरू से यह घटना क्रम घटा। राजस्थान सरकार को दिख रहा था कि वह प्रोटेक्शन देना चाहते हैं हत्यारों को, इन तरह के कर्म करने वालों को, यह पुलिस की इमेज अच्छी करने वाला नहीं है। आप समझें कि पुलिस की इमेज अच्छी बनती है तो जो अच्छा काम किया जाये उसको गोल्ड मेडल दीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि कब तक चालान पेश कर दिये जायेंगे, तेरह आदमी कौन हैं और पांच आदमी कौन से हैं क्यों उनको चालान पेश करने से रोका गया, क्यों इतनी देर की गई, नहीं तो बड़े भयंकर परिणाम, उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में निकलने वाले हैं। वहां पर भारी गुस्सा है, क्रोध है और जहां क्रोध होता है, मासेज क्रुद्ध होता है, वह लीडर लैस होता है। जो घटना आप देख चुके हैं, जब भीड़ हो जाती है, जिसका कोई नेता नहीं होता, कोई कमाण्डर नहीं होता है, वह किसी के हाथ में नहीं रहती है। वह हिंसक हो जाती है। उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता किस प्रकार के परिणाम निकलेंगे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूरत है कि आप सचेत रहें, आप अपनी कांशियस को जगायें। सी. बी. आई. चालान पेश करे इस पर जनता का विश्वास उठ चुका है, राजस्थान सरकार से विश्वास उठ चुका है, राजीव गांधी ने जो वचन दिया था उसका विश्वास टूट चुका है, तो मैं चाहूंगा कि जवाब देते

(श्री यदुनाथसिंह)

समय आप यह बतायें कि कब तक चालान पेश होगा, क्यों देर की गई, क्या कारण थे। जवाब दिये बिना आप जा नहीं सकते, अगर यह नहीं हुआ, इस प्रकार की जघन्य हत्या करने वालों को बचाया जाता है, उन्हें छुड़ाया जाता है तो मजबूर होकर जनता अपने हाथों में कानून लेगी, बड़ी भयंकर स्थिति पैदा होगी। फिर मर्डर केसेज बनेंगे, बहुत गुस्सा है, लोग आये थे, मैं भी जा रहा हूं, देखूंगा क्या स्थिति है। मैं चाहूंगा कि आप जवाब देते समय, राजस्थान सरकार की मंशा क्या है, आप कब तक एक्शन लेंगे, यह बताने का कष्ट करें, इस समय मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदी लाल।

श्री उम्मेदी लाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पुलिस की डिमाण्ड चल रही है। मुझे आपने जो मौका दिया है मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे दो बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे क्षेत्र हिंडोन, जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में कई हजार की संख्या में पत्थर का मजदूर काम करते हैं। मजदूर काम करते हैं, तो उन मजदूरों की व्यवस्था के लिए यहां पुलिस की व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं आपसे अर्ज करू कि यह आवश्यकता क्यों पड़ी। मजदूर काम करते हैं और उधर उस जंगल में डकैत आते हैं और उन मजदूरों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उनसे यह कहा जाता है कि तुम्हारे ठेकेदार से या सेठ से तुम हमको दस हजार रुपये कल की तारीख में नहीं लाओगे तो तुमको हम जान से मारेंगे और ऐसी नौबत आई कि उनके हाथ में कीलें ठोक दीं। ऐसी हालत में हजारों की संख्या में यह मजदूर अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अलावा भी उनके साथ बहुत कुछ होता है। उनका सामान गांव से, घर से आये खाने-पीने का तो यह उनका सामान ले जाते हैं। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हों तो वह भी उतार ले जाते हैं। ऐसी हालत में ठेकेदार से आप कहें कि साहब हमारे पास फलां डकैत आये हैं और यह कहते हैं कि दस हजार रुपया नहीं पहुंचाओगे तो हम तुमको काम नहीं करने देंगे, तो ठेकेदार को क्या गरज पड़ी कि वह दस हजार रुपये डकैत को देगा। ऐसी हालत में वहां पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों की संख्या में जो मजदूर काम करते हैं उनके बल पर हिन्डौन में 380 फर्म ऐसी हैं जिनमें लाखों घन फुट पत्थर विदेशों में जाता है और हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी मण्डी हिण्डौन में है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वहां पुलिस की चौकी बनाई जाये, वहां पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी व्यवस्था की जाये।

दूसरा, हिण्डौन थाने के अन्तर्गत कुल मिलाकर पच्चीस-तीस हजार की आबादी है, उसमें पुलिस की स्ट्रेंथ 14–15 है और आज कुल मिलाकर पच्चीस है। आज सिटी की संख्या अड़सठ हजार के लगभग है और पूरे क्षेत्र की संख्या ढाई लाख है।

(10.00 रात्रि)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा गृह मंत्री महोदय, से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर सिटी में झगड़ा हो गया, गांव में हो गया, तो करीब पांच सात सौ ट्रक चलते हैं और ट्रकों में कोई दुर्घटना हो गयी पुलिस की लापरवाही के कारण तो न वह गांव में जा सकते हैं, न सिटी में जा सकते हैं और न

(श्री उम्मेदी लाल)

दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं आपको अर्ज करूंगा कि वहां पुलिस की व्यवस्था की जाये। अभी पन्द्रह बीस दिन पहले क्या हुआ। नगर पालिका में कर्मचारियों को पीटा और झगड़ा हुआ तो करौली से पुलिस बुलवाई, गंगापुर से बुलवाई और पुलिस आने पर वह झगड़ा शांत हुआ वरना मेरे ख्याल में पता नहीं क्या होता और क्या नहीं होता। मैं आप के द्वारा गृह मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वहां पुलिस की व्यवस्था की जाये और कोटड़ी में चौकी की भी व्यवस्था तुरन्त कर दी जाये। बस इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किरोड़ीलाल।

श्री किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कम कम समय लें। समय बहुत हो गया।

श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को केन्द्र और प्रदेश में बड़ा भारी प्रचण्ड बहुमत मिला और उसे प्रचण्ड बहुमत प्राप्त होने के बाद में इस सरकार ने, सत्ता पक्ष ने जनता को यह आश्वासन दिलया कि हम कानून व्यवस्था को बड़े अच्छे हालात में रखेंगे और कानून व्यवस्था को बनाये रखेंगे। किन्तु आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है प्रदेश में जंगल का राज्य है। गुण्डा गर्दी, डकैती, चोरी और बलात्कार की घटनायें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। महुआ विधान सभा क्षेत्र की चर्चा मैं इस समय आपके सामने करना चाहता हूं। महुआ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम खेडला में एक डकैती हुई। डकैती में जब डकैत गये तो उस डकैत को पहचान लिया गया। 40-50 हजार रुपये का माल डकैत ले गए और 5-6 लोगों को घायल कर गये। जिस व्यक्ति के घर डकैती हुई, विशम्भर नाम के व्यक्ति ने मुख्य मन्त्री महोदय को भी कागज लिखा, पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी मिला और नामजद यह बताया कि फलां डकैत 5-6 लोगों को मेरे पास लेकर आया। पुलिस ने उस डकैत को 5-6 दिन अपनी गिरफ्त में भी रखा। लेकिन पता नहीं किसी राजनैतिक दबाव में आकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। उसके तुरन्त बाद, करीबन महीने भर बाद उससे लगे। सातडी गांव में करीब 3-4 लाख की डकैती हुई। उस डकैती में 5-6 लोगों को घायल कर दिया गया। उस डकैती का भी आज तक पता नहीं लगा। जिस के यहां डकैती डाली थी उस व्यक्ति को बराबर धमकियां दी गयी और वह ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति सातडी गांव को ही छोडकर भाग गया। इसी प्रकार की एक डकैती पास के गांव नौगांव में हुई। वह डकैती एक हरिजन के घर पर हुई थी। उस डकैती में भी 50-60 हजार का माल चला गया और 5-6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। डकैतों के साथ जब छीना झपटी हुई तो एक बन्दूक भी वहां पर रह गयी। छानबीन के बाद में पुलिस ने यह पाया कि उसके पड़ोस के किसी गांव की वह बन्दूक थी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा डकैती का मामला है इसमें वहां के कुछ सलेक्टेड गुण्डे हैं। उन्होंने एक गैंग

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

बना रखा है और कुछ राजनैतिक लोगों की छत्र छाया मे पलकर गुण्डा गर्दी का, डकैती का महौल बना रखा है।

गुण्डागर्दी और डकैती का ही मामला नहीं क्षेत्र में बलात्कार की घटनायें भी बढ़ती जा रही हैं। पालघाट में दो केरल की नर्सों के साथ जबरदस्त बलात्कार किया गया। उस बलात्कार के कारण उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कुछ नर्सों को धमकाया गया और सी. एम. एच. ओ. को भी धमकाया गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह नर्सें राजस्थान को छोड़कर केरल वापिस चली गयी। यह बड़े खेद की बात है कि जो केरल से नर्सें यहां आती हैं, बडी अच्छी सर्विसेज देती हैं उनके साथ में जब इस प्रकार की अप्रिय घटनायें होती हैं और पुलिस उनको संरक्षण नहीं देती है तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस की कैसी व्यवस्था है। पुलिस जब संरक्षण नहीं दे पाती, जो पुलिस अपनी समाज की रक्षक है वह भक्षक बनकर खड़ी हुई है उस पुलिस से हम क्या आशा कर सकते हैं। इस प्रकार की पुलिस की व्यवस्था बन चुकी है।

मैंने अपने क्षेत्र में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी चोरी और डकैती के मामलों को लेकर मुख्य मन्त्री महोदय को भी कार्ड लिखा था। यह सौभाग्य है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने मुझे जवाब दिया और आपने जवाब में यह लिखा है कि मैं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को निर्देश दे रहा हूं वह तत्काल इस संबंध में जांच करायेंगे। यह पत्र 29 मई, 1985 का लिखा हुआ है। पता नहीं महानिदेशक की किस गन्दी टोकरी में जाकर यह गिर गया है। आज तक वहां कोई तफतीश के लिए नहीं पहुंचा। गुण्डे बराबर धमकियां दे रहे हैं, डकैत बराबर धमकियां दे रहे हैं, लोग में गांवों को छोड़कर भाग रहे हैं। यह असुरक्षा की भावना महुआ क्षेत्र के लोगों में बुरी तरह से व्याप्त हो गयी है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं, माननीय गृह मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं उनको मैं आगाह करा देना चाहता हूं कि महुआ विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी, डकैती और गुण्डागर्दी तथाकथित निठल्ले कांग्रेस के लोग करा रहे हैं इनको तुरन्त या तो चैक किया जाये वरना जनता में इसके कारण पुलिस के प्रति जो एक अविश्वास पैदा हुआ है उसके साथ ही साथ असुरक्षा की भावना भी पैदा हुई है। या तो उसको चैक किया जाये नहीं तो बढ़ती हुई गुण्डागर्दी के खिलाफ, जो पुलिस की साजिश है इसके खिलाफ....

एक माननीय सदस्य : यह निठल्ले कांग्रेसी नहीं करा रहे हैं आप स्वयं करवा रहे हैं....

श्री किरोड़ी लाल : ... वहां के लोग पुलिस के साथ सड़कों पर निपटेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द डाणी।

श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कांग्रेस शासन की पुलिस की मांगों के

(श्री माणक चन्द डाणी)

संदर्भ में आलोचना की। माननीय सदस्यों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आलोचना करें लेकिन रचनात्मक करें. कोई शक नहीं निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आज तक यह देखने में आया है कि आलोचना करने के लिए आप आलोचना करते हैं वह कोई रचनात्मक आलोचना नहीं है। नतीजा यह निकलता है कि जिनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए जिनसे हमको देश की और राज्य की शान्ति और व्यवस्था में योगदान मिलता है उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय आप उनको नीचे गिराने की कार्यवाही करते हैं। आपके जनता पार्टी शासन की मैं कोई उपलब्धियों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं और कांग्रेस शासन की उपलब्धियों की चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, माननीय शेखावत साहब आज यहां विराजे हैं, आपके मुख्य मन्त्रीत्व काल की सफलताओं का व्यौरा लीजिए अब। आपके 32 माह के शासनकाल के अन्दर 32,448 अपराध बढ़े थे। औसतन प्रतिमाह के हिसाब से अगर जोड़ा जाये तो 1014 अपराध प्रतिमाह बैठते हैं जब कि कांग्रेस शासन में 1983 की हम तुलना करें तो 1982 के मुकाबले 3.5 प्रतिशत अपराधों में कमी आई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि सन् 1984 की अगर हम 1983 के मुकाबले की बात करें तो मात्र 4 परसेण्ट अपराध बढ़े हैं। आप सोचिये जनता पार्टी के शासन की कुव्यवस्था का कारण। आपको ध्यान होगा उस जमाने में आप लोग कहा करते थे कि पुलिस की यूनियन बननी चाहिए। एकमात्र इस देश की नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी थी जो कि विरोध में रहने के बावजूद जिन्होंने इस देश में एक ही बात कही कि अगर पुलिस की यूनियन बनी, पुलिस ने सामूहिक रूप से अपनी यूनियन बनाई तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा। उस समय विरोध में रहने के बावजूद एक रचनात्मक बात उन्होंने कही और उस बात का उन्होंने फेवर नहीं किया। आप लोगों ने सत्ता में बैठकर पुलिस यूनियन बनाने की बात कही जो इस देश के अन्दर बहुत बड़ा नुकसान पैदा करती। आज कांग्रेस के शासन से तुलना करें तो 1983 के मुकाबले 1984 में मात्र एक परसेण्ट की बढ़ोत्तरी हुई जो कि नगण्य के बराबर है। 1977 में आपके यहां 219 मामले हुए जबकि 1978 में 318 हो गये। यह जनता पार्टी की उपलब्धि है और भी कई मामलों में आप विचार कर सकते हैं। आज कांग्रेस की सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, जिसके अन्दर काफी बातें रखी हैं, लेकिन इस साल 1265 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के पद बढ़ाये जा रहे हैं बर्तमान में 50-50 अधिकारी और कर्मचारी निश्चित रूप से अपराधों की रोकथाम के लिये काम कर रहे हैं। राज्य में 552 थाने और 703 चौकियां स्थापित हैं। मैं यह नहीं कहता कि ये पर्याप्त हैं। निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी आज इनको बढ़ाना होगा।

इसी के संदर्भ में हमारे राजावास क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। बालिया की

(270)

(श्री माणक चन्द डागा)

पांचों पंचायतों की बात करना चाहता हूं जहां कि थानों की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र चार थाने और चार पुलिस चौकियां हैं। प्रत्येक थाना लगभग 15–15 किलोमीटर के बीच में है और इन्टीरियर क्षेत्रों में जाकर पड़ता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजावास में और बालिया की पांचों पंचायतों में, एक बड़ा खेड़ा में, इस प्रकार दो याने ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में और स्थापित किये जायं।

ब्यावर नगर की एक लाख की आबादी है और अगर ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को और जोड़ा जाय तो लगभग दो सवा दो लाख की आबादी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर औद्योगिक दृष्टि से इस कांग्रेस के शासन में विकास की ओर अग्रसर हुआ है। अजमेर रोड चुंगी चौकी के ऊपर मसूदा रोड पर सीमेंट के कारखाने की स्थापना होने के कारण और सेन्दरा रोड पर सब्जी मण्डी के क्षेत्र का विस्तार होने के कारण मेरा आपसे निवेदन है कि ब्यावर में चार और चौकियों की स्थापना की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में चौकियां नगण्य के बराबर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस चौकियां और स्थापित किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में साम्प्रदायिक घटनाओं के अन्दर किस प्रकार हमारी पार्टी के राज्य में कमी आई है। और इसके अन्दर कमी हुई है जहां साम्प्रदायिक घटनायें और साम्प्रदायिक झगड़े 1981 के अन्दर 136 हुए थे, 1982 में 83 और 1983 में मात्र 73। आज हम 1984 की रिपोर्ट उठाकर देखें तो मात्र 42 हुए हैं। आज अन्दाजा लगाइये कि आखिर पुलिस वालों ने काम किया है। आखिर पुलिस वालों ने इस क्षेत्र के अन्दर अधिक सफलता के आंकड़े पेश किये हैं। यह इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस के शासन में अपराधों में बढ़ोतरी न होकर शांति व्यवस्था और कानून के अन्दर ये सहायक सिद्ध हुए हैं। मैं आज इस बात की पैरवी नहीं करता, मैं आज स्वयं इस बात की कमी महसूस करता हूं कि पुलिस वालों की तनख्वाह कम है। 430) रुपये जिस व्यक्ति को तनख्वाह मिलती है, जिस व्यक्ति को मैस का भत्ता मात्र 82) रु. मिलता हो, ऐसी परिस्थितियों में ये पुलिस वाले निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के आदी होंगे। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ायेंगे। माननीय गृह मंत्री जी से, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वेतन और भत्ते जो पुलिस कर्मचारियों को दिये जाते हैं, उनकी ड्यूटी की तुलना में बहुत कम हैं। 24 घण्टे पुलिस के कर्मचारी तैनात रहते हैं जब भी कभी आन्दोलन या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हो इन पुलिस कर्मचारियों को किसी प्रकार की उचित राहत नहीं मिल पाती है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इनकी तनख्वाह के बारे में भी ध्यान रखें।

अब मैं ट्रैफिक के मामले में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप

(श्री माणक चन्द डाणी)

से आप थानों की वृद्धि करना चाहते हैं। 75 थाने आप इस बार उपलब्ध कराने जा रहे हैं और उनके लिये 20 जीपें खरीदने की भी स्वीकृति करेंगे । 1265 पद बढ़ा रहे हैं और इन 1265 पदों में ट्रैफिक पुलिस के पद अधिक बढ़ाये जायं । मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के बारे मे मैं निवेदन करूंगा, यहां पर ब्यावर के अन्दर इस प्रकार की अव्यवस्था बनी हुई है कि आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं । एक लाख की आबादी में मात्र चार ट्रैफिक के सिपाही हैं । पिछले दिनों व्यवस्था करने पर चार ट्रैफिक के सीपाही हमें और दिये गये ब्यावर के अन्दर लेकिन इन 8 सिपाहियों के होने के बावजूद भी सारी व्यवस्था नहीं हो पाती है । हमें ब्यावर के अन्दर कम से कम 20 ट्रैफिक वालों की आवश्यकता है । जो ब्यावर का बाई पास है वह आज बेकार पड़ा है । उसके ऊपर से कोई ट्रक और वाहन नहीं निकलते हैं । सारे शहर में होकर के जाते हैं और उसके बदौलत आये दिन एक्सीडेण्ट होते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि ब्यावर क्षेत्र की व्यवस्था को देखते हुए कम से कम 20 ट्रैफिक के सिपाहियों की व्यवस्था ब्यावर के अन्दर की जाय ।

इतना ही नहीं बहुत सारी बातें मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता था । ब्यावर के अन्दर एक सेंट्रल सब जेल बनाने का प्रस्ताव आपके यहां से दिया गया है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है लेकिन सेंट्रल-सब-जेल ब्यावर में नहीं होने के कारण 24 घण्टे से ज्यादा नहीं रह सकते हैं और उनको अजमेर ले जाया जाता हैं । मेरा आपसे निवेदन है, सेंट्रल-सब-जेल के लिये स्थान भी देखा जा चुका है, स्थान तय किया जा चुका है इसलिये ब्यावर में सेण्ट्रल-सब-जेल की भी स्थापना की जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान में इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले जब ब्यावर में उप जिलाधीश और ब्यावर में जो डी वाई. एस. पी. की पोस्ट है वह पहले ए. एस. पी. की हुआ करती थी लेकिन ए. एस. पी. की पोस्ट हटा करके ब्यावर में डी. वाई. एस. पी. की पोस्ट कर दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि ब्यावर में पुलिस अधीक्षक का पद कायम किया जाय, अतिरिक्त जिलाधीश का पद कायम किया जाय, इसकी सख्त आवश्यकता है । ब्यावर राजस्थान का आठवें नम्बर का उपखण्ड है जो जिला बनने की स्थिति में है जिला तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन आज की स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद कायम किया जाय । इतना ही नहीं और भी कई मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता था ।

चोरियों के मामले में पुलिस की सतर्कता के बावजूद भी चोरियां बहुतायत से हो रही हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है । ब्यावर क्षेत्र के लिये आपसे निवेदन करूंगा कि यहां पर एक रामनाथ यादव ट्रांसपोर्ट कम्पनी के तीन ट्रक चोरी चले गये मय माल के और एक ट्रक के चोर का पता लगा लिया गया लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई । यह पता नहीं इसके बीच में क्या कारण रहे । उसी राम नाथ

(श्री मानकचन्द डाणी)

यादव ट्रांसपोर्ट वाले ने पुलिस वालों को चोर की इत्तला दी लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उन लोगों को इस बात की सहूलियत नहीं मिल पाई कि उनके ट्रक को पकड़ लिया गया हो और उनका माल बरामद कर लिया गया हो।

इसी प्रकार से कई चोरियां हुई और उन चोरियों का आज तक पता नहीं कर पाई। ब्यावर की कृषि मण्डी क्षेत्र के अंदर पुलिस का अभाव है इस लिये वहां पर कृषि मण्डी क्षेत्र के बावजूद लाखो रुपयों के रायड़ा की बोरियां चोरी चली गई लेकिन आज तक जानकारी नहीं हो पाई। मेवाड़ी गेट के क्षेत्र के आस पास के अन्दर पुलिस की गश्त नहीं होने की वजह से आये दिन चोरियां हो रही हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया आप उस ओर ध्यान दें। ब्यावर में इस प्रकार की व्यवस्था करें, इस प्रकार से स्टाफ लगायें कि वहां अधिक से अधिक चोरियां रुक सकें और चोरियां नहीं हों। आपने एक व्यवस्था की है शवों को जलाने के लिये 50 रुपये देने की। आज आप अगर लकड़ी का भाव देखें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो किस कदर से बढ़े हैं, आप इस तरफ भी देखें। आज जो लावारिस शव होते हैं उन्हें जलाने के लिये इधर उधर से मांगते फिरते नजर आते हैं जो किसी भी दिशा में उचित नहीं है। उसके लिये इस बार आपने प्रति शव 150 रु. बढ़ाये जाने का प्रबंध किया है। उसके लिये तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह धनराशि फिर भी कम रहेगी और आप इसको 200-250 रुपये के लगभग ले जा करके दें ताकि वे कम से कम कफन का और लकड़ियों का इन्तजाम उस शव को जलाने के लिये कर सकें।

मैं कोई बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो एक बात आज सवेरे हुई थी, प्रो. केदार साहब उस समय गृह मंत्री थे। जनता पार्टी ने उस समय कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झण्डे को चेन्ज करने की बात कही थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम उस जमात के लोग हैं जिन्होंने आन्दोलन करके इस देश को आजादी दिलायी। उस जमाने के हमारे तिरंगे झण्डे को चेन्ज करना चाहते थे, इस राज्य के झण्डे की बात कह कर लेकिन आप हमारे इस आन्दोलन की धमकी के आगे कुछ नहीं कर पाये। झण्डे को जो आप चेंज करना चाहते थे, हमने आपके स्वप्नों को साकार नहीं होने दिया। आप लोग इस प्रकार से बात करके न हम लोगों को दबा सकते हैं, न कोई कार्यवाही कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस के शासन काल में ही हुई हैं लेकिन मैं उन सब बातों को विस्तार से नहीं कहना चाहता। बहुत सारे वक्ता अपना भाषण देने के लिये आतुर हैं। मैं इतनी ही बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बड़ा संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। पुलिस की जब बात हो रही है सन 1985 के पुलिस के बजट पर विचार हो रहा है लेकिन

(श्री नत्थीसिंह)

पुलिस पर सबसे बड़ा कलंक सन 1985 में लगा है वह यह है कि 21 फरवरी को डीग में राजा मानसिंह की खुले ग्राम हत्या जो कराई गई पुलिस के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, वह हत्या जिस तरह से की गई ग्रौर जिस तरह से उसको मुठभेड़ की बात कहीं गई वह सारी बातें पिछले सत्र में विस्तार से ग्रा गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस वक्त मुख्य मंत्री महोदय ने बड़े भारी शब्दों में, ग्रांखों में जैसे ग्रासू ग्रा रहे थे, कहा था कि मेरा राजा मानसिंह से बड़ा निकट का संबंध था ग्रौर सी. बी. ग्राई. जांच करे, ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो, मैं किसी तरह बाधक नहीं होऊंगा ग्रौर निश्चित रूप से वे सारी जो जांच होगी उसमें हम सहयोगी होंगे लेकिन ग्राज से चन्द रोज पहले इस सदन में तीन तारीख को हमने यह सवाल उठाया कि सी. बी. ग्राई. ग्रापसे इजाजत मांग रही है, ग्राप इजाजत दे नहीं रहे, चन्द घण्टे रह गये हैं, छूट जायेंगे मुल्जिम। ग्राप इसमें क्यों भागीदार बनना चाहते हैं। वक्त को टाला गया, हमारे जो राजस्व मंत्री जी हैं उन्होंने कह भी दिया था कि जाने ग्रनजाने भूल से भी कोई काम ऐसा नहीं होगा सरकार की ग्रोर से जिससे ग्रपराधियों को किसी तरह की मदद मिले लेकिन मदद मिली। ग्रब जब मदद मिल गई ग्रौर ग्रपराधी छूट गये तो जो हमारे शक थे, संशय थे, उनकी पुष्टि हुई है। शक ग्रौर सन्देह यह है कि जिस वक्त यह हत्या हुई 21 तारीख को राजा मानसिंह जी ग्रौर उनके दो साथी ठाकुर सुमेरसिंह ग्रौर हरि सिंह जी की, 24 तारीख को 5 ग्रादमियों की हत्या भरतपुर ग्रौर डीग में ग्रौर हुई। तब सारे भरतपुर में यह बात थी कि इसमें दो बड़े राजनेता एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री राजस्थान के ग्रौर एक हमारे केन्द्र में बैठे हुए इस्पात मंत्री इनका हाथ है। सारे लोगों का यह शक था ग्रौर उसके बाद जब सी.बी ग्राई. ने जांच की तो लोगों को शंका हुई, वे पूछ रहे हैं डी. जी. से, हम इन्टरोगेशन करना चाहते हैं भरतपुर के कलेक्टर का करना चाहते हैं, भरतपुर के एस.पी. का करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर के जो सैक्रेट्री थे उनका इन्टरोगेशन करना चाहते है ग्रौर जो बड़े ग्रफसर हैं उनका इन्टैरोगेशन करना चाहते हैं। सी. बी. ग्राई. इस बात की जांच करेगी यह लोगों के सन्देह ग्रौर शक की बात थी। लेकिन इस प्रकार की प्लानिंग की जाये कि किसी ग्राफिसर को न फंसाया जाये। पहले राजनेता को छुड़ाया ग्रौर उसके बाद फिर ग्रफसरों को छुड़ाया उसके बाद 18 ग्रादमियों के चालान, जिसकी मांग की गई तो किसी न किसी ग्राधार पर उस बात को टालते गये। इसके पीछे केन्द्र की सरकार ग्रौर राजस्थान की सरकार इन दोनों के बीच की मिली भगत है। इन मुल्जिमों को एक बार तो गिरफ्तार कर लें जन ग्राक्रोश को ठंडा करने के लिये लेकिन ग्रब उनको छुड़ाया जाना चाहिये। मुख्य मंत्री महोदय, मैं सोचता था कि ग्राप कोई ऊपर के दबाब से ग्रपनी छवि खराब करेंगे ऐसे ग्रादमी ग्राप नहीं लगते हो। कौन सा ऐसा बड़ा दबाव ग्रापके ऊपर डाला गया, ग्रभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि ग्रापको उड़ाकर दिल्ली ले गये वहां कोई विचार विमर्श हुग्रा, वापिस पहुंचा गये। तब कोई ऐसी बात होगी या क्या बात है लेकिन यह

(श्री नत्थीसिंह)

निश्चित बात है कि आज हमारे पूरे जिले में और राजस्थान मे शक और सन्देह के घेरे हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी हत्या की गई है क्यों कर इस तरह की बात की गई है यह आज हम जानना चाहेंगे। आज आप जबाव दें तो निश्चित रूप से बतायें वे कौन से पांच आदमी हैं जिन आदमियों के लिये आप नहीं चाहते कि चालान किया जाये। मेरे पीछे से कहा गया इल्जाम नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब सी. बी. आई ने एक स्टेंड लिया है कि इजाजत भी जानी चाहिये तो इस कानून में ऐसा लैकूना नहीं रखना चाहिये आपको इजाजत देने में दिक्कत आ रही है। इजाजत आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इस बात को आप अपने जबाव मे स्पष्ट करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत अर्ज करना चाहता हूं यह ऐसा मामला नहीं है कि इस मामले को आसानी से चलने दिया जायेगा। मैं तो पहले कहता था कि मुख्य मंत्री ने इतने गद्गद् हृदय और भरे मन से यह बात कही है वह निश्चित रूप से सी. बी. आई. जो कुछ करेगी उसको करने दिया जायेगा लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत है देरी करने के लिये और आज क्यों इस मामले को टाला जा रहा है। हमारे जिले में पूरा आक्रोष है। पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान के लोग देख रहे हैं। वक्तव्य आया, देख रहे हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। सब से बड़ा हत्या काण्ड इस साल का और किस तरह से दवाने की कोशिश की जा रही। यह सारा आचरण क्यों है? इस तरह के सारे हमारे जो आचरण हैं उन सारे आचरणों पर प्रश्न वाचक चिन्ह लग गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज इसको आप साफ करें। क्यों ऐसा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं कहना चाहता हूं, आज पुलिस का मनोबल गिर जायेगा इस लिये बचाइये अपराधियों को यह तो कोई तर्क नहीं है या इस लिये कि हमारे कहने से कोई दिक्कत न हो इस लिये बचाओ। वहां जिलाधीश महोदय थे, पिछले सत्र में आपका आश्वासन था हमने साफ तौर पर कह दिया था कि यह डी. आई. जी. हों, चाहे वहां के एस. पी. हों, चाहे वहां के कलेक्टर हों, वे लिप्त हैं. आप हटाइये। दो को आपने हटा दिया तीसरे को रखा है। हम कहते है क्यों तो कहते हैं कि वहां के अपराधियों को जो लिप्त हैं उनके हितों का संरक्षण करने वाला भी कोई अधिकारी यहां होना चाहिये भरतपुर में। जिलाधीश को आप इसलिये रख रहे हैं, आपका जिलाधीश अपराधियों के हितों की रक्षा करे, उनके गवाहों को तोड़े या उनको छूट दे दें ताकि उनको भी छूट मिले। यह बात नहीं होनी चाहिये। यह राजनीति से प्रेरित होकर काम करते हैं, निश्चित रूप से इससे प्रशासन पर बुरा असर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि क्यों पुलिस में इस तरह की बात हो रही है? आज कान्स्टेबल की बात यहां पर कही गई, कानून बना दिया, तुम जिले में नहीं रहोगे। कान्स्टेबल तो जिले में नहीं रहेगा, बड़े अफसर जिले में रहेंगे। अभी भरतपुर जिले के कुछ कान्स्टेबल मिले उनकी जो पोस्टिंग के आर्डर थे सभी बाहर हुए थे अपने गृह जिले में नहीं रहेंगे। कौन सा नियम है यह

(श्री नत्थीसिंह)

भी ध्यान रखा है ? हमारे यहां कान्स्टेबल से एस. आई. के प्रमोशन हुए, 25 हजार की रिश्वत ली गई। एक कान्स्टेबल चुनने में खुले आम 5 हजार की रिश्वत ली जाती है। इस तरह से आप प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं इससे काम चलेगा क्या ? लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे राजस्थान में, हमारे जिले में राजा मानसिंह जी के इस मामले को जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है उससे हम लोग पहले ही व्यथित हैं और अगर सरकार आज इसका साफ जवाब नहीं देती है तो हम इस मामले में इस सदन में और सदन के बाहर निश्चित रूप से सरकार के साथ मुकाबला करके संघर्ष करेंगे और किसी भी हालत में अन्याय को बरदाश्त नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूलाल भारद्वाज।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़): आदरनीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का तन्त्र प्रारम्भ कब हुआ जब से राज्य व्यवस्था प्रारम्भ हुई और जब से दण्ड व्यवस्था प्रारम्भ हुई तब से पुलिस का प्रादुर्भाव हुआ। पौराणिक काल में तो जिनको हम यमराज कहते हैं या धर्मराज कहते हैं उनके पास उनके दूत वही पुलिस के रूप में थे। तो धर्मराज की ऐसी धारणा है जो पुण्य आत्मा होती, धर्मराज के दूत आते थे, पालकी में बैठ कर ले जाते थे और पाप आत्माएं थी, उनके लिये यमराज के दूत आते थे, चोटी पकड़ कर ले जाते थे, डण्डे लगाते हुए ले जाते थे। यह व्यवस्था आरम्भ ही हो रही है, आज भी वही व्यवस्था है। आज क्या स्थिति है। यह पुलिस बनाई इस लिये कहा। एक अच्छे आदमी के लिये वह धर्मराज के दूत के रूप में उनका मान सम्मान करे, उनकी सुरक्षा करें और समाज व्यवस्था कायम रखने में मदद करें और जो समाज में गड़बड़ी करते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, दगे चोरियां, डाकाजनी और इस तरह का धन्धा करते हैं, उनके लिये वही पुलिस, वही यमराज के दूत के रूप में उन पर इस प्रकार का नियन्त्रण रखें और इस प्रकार कठोर दण्ड दें समाज में अव्यवस्था नहीं कर सकें। कालान्तर से युगतन्त्र ने....

श्री शोपतसिंह : यमराज तो सब उधर आ गए हैं।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : परिस्थितियां बदली और उसका वह पुराना स्वरूप जो था कि एक ही व्यक्ति को जिसको धर्मराज कहते थे उसी को यमराज कहते थे। उसी के दूत अच्छे आदमियों के लिए अच्छा व्यवहार करते थे और वही बुरों के लिए कितना बुरा व्यवहार करते थे। एक स्वरूप था हमारी दण्ड व्यवस्था का। परन्तु कालान्तर में खास तौर से जब जमाना आगे बढ़ा और पूंजीवाद का अभ्युदय हुआ, उसके बाद में बड़ा भारी परिवर्तन आया और स्तितियां बदली और नतीजा यह हुआ कि एक दूसरे का हक छीन कर जो एक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी उससे हमारा पुराना जो ढांचा था समाज का वह चरमरा गया और उसका स्वरूप बदल गया। उसका असर न केवल पूरे समाज पर पड़ा बल्कि उससे दण्ड व्यवस्था पर भी बुरा कुप्रभाव पड़ा, नतीजा

(श्री भैंरूलाल भारद्वाज)

यह हुआ कि उस दण्ड व्यवस्था का जो पुलिस विशेष अंग था उस पर भी उसका विशेष असर हुआ। पुलिस का सदुपयोग किया जाना चाहिए था उसका दुरुपयोग किया जाने लगा। साथ ही राज नेताओं के हाथ में, पुलिस के जहां दुरुपयोग की बात....

श्री शोपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर। कई सदस्य सो रहे हैं उनको थोड़ा....

(व्यवधान)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह कौन सा पोइन्ट आफ आर्डर है सोने का।

श्री शोपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य सोये हुए हैं उनको जगाया जाय।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अजी सोये हुओं को कैसे एक्सपेंज किया जावे। पहले सीखो।

श्री शोपतसिंह : यह सोने की जगह नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : आप लोगों ने घर में दबा रखा है यहां लोगों ने खुला छोड़ रखा है। फर्क क्या है इसमें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने यह देखा ही नहीं कि कौन सो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी जल्दी कर रहे हैं, आज की तारीख में कर रहे हैं। I am closing the debate.

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : यह शोषण की प्रवृत्ति है जो कि पूंजीवाद का मुख्य लक्ष्य रहा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य........ माननीय सदस्य....

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : .... हमारे पुलिस तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अभी क्लोज कर रहा हूं। यह भी हो सकता है कि भजन कर रहे हों आंख मींच करके।

श्री शोपतसिंह : नहीं साहब, सो रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : भजन भी कर सकते हैं। भगवान का ध्यान कर रहे होंगे।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जब समाज में शोषण की प्रवृत्ति ने जन्म लिया और लोगों के हक को छीन कर अपने सम्पन्न होने की प्रवृत्ति बढ़ी और भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर लोगों ने अधिक ध्यान देना शुरू किया तब उसका असर हमारे पुलिस तन्त्र पर भी पड़ा। नतीजा यह हुआ कि आज पुलिस के बारे में जितनी भी आपके पास शिकायतें हैं उसका असर उसी समाज की उस दुर्व्यवस्था की वजह से है कि लोग अधिक से अधिक नाजायज धन इकट्ठा करके और ठाठबाट से इस प्रकार का शान शौकत का जीवन जीना चाहते हैं। चाहे जा और बेजा, कुछ भी करना पड़े तो पुलिस की भी उसी के प्रति-

(श्री भैरूं लाल भारद्वाज)

रूप के अन्दर आज स्थितियां इतनी हो गई कि जो भी मित्रों ने शिकायत की है पुलिस की वह सब उसी में समाहित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको इस पुलिस सुधार के लिए पहले समाज के सुधार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आप और हम यह अपेक्षा करते हैं तो यह रेत से तेल निकालने के समान होगा। यह सारा समाज तो रोज चाहे जैसे एक दूसरे का शोषण करता रहे, एक दूसरे की लूट खसोट करता रहे, राज नेता भाषण देते रहें और पीछे से उनके काम धन्धे होते रहें और हम केवल यह अपेक्षा करें कि पुलिस बिल्कुल ईमानदार रहे, यह न तो सम्भव है और न यह व्यावहारिक है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हम सब राज नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यह बात ध्यान देनी पड़ेगी और खास तौर पर हम प्रजातन्त्र के नुमायन्दे हैं इसलिए हमारे ऊपर, पहले अपने ऊपर देखें कि क्या हम ईमानदार हैं। यदि हम सब ईमानदार हैं तो मैं समझता हूं कि दूसरा बेईमान होगा वह हमारे सामने आंख तक नहीं उठा सकेगा। पर मुश्किल यह है कि एक आदमी ने किसी को कहा कि यह चोर है तो दूसरा कहेगा कि अच्छा उस पार्टी ने चोर बता दिया तो वह उसको साहूकार कहेगा। नहीं साहब ऐसा साहूकार ही नहीं है। यह मैं उदाहरण देकर समय खराब नहीं करना चाहता किन्तु जब जनता पार्टी का राज आया तो केवल छानबीन किए बिना उन सारे लोगों को जो अच्छा काम करते थे मगर चूंकि यह कांग्रेस के साथ थे, भाई राज कांग्रेस का था तो अफसर जिसका राज होगा उसी के सम्पर्क में आयेंगे, इसमें कोई बात नहीं। परन्तु इसलिए अच्छे आदमियों को सजा दी गई और गलत आदमियों को मात्र छुड़ाया गया तो स्थितियां बदलीं और खराब हुई। इसके बाद फिर राज पल्टा तो लोगों ने यह शिकायत शुरू कर दी कि यह नहीं, वह नहीं। यानि मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे उधर बैठे हुए, चाहे इधर बैठे हुए माननीय सदस्य हों, अगर हमको समाज में सुव्यवस्था कायम करनी है और शांति और आपकी कानून व्यवस्था को ठीक से चलाना है तो पहले तो हमें यह करना पड़ेगा कि क्या हम दुरुपयोग कर रहे हैं और पहले अपने से शुरू करना पड़ेगा। यदि मैं पुलिस का दुरुपयोग करने की सोचूं, मेरी मर्जी का थानेदार और एस. पी. लगे और रोज भले आदमियों पर मुकदमे लगाना और चोरों को छुड़ाने की कोशिश करूं तब मुझे कोई हक नहीं है। वैसे रोकता तो कानून है इसलिए आप रोक तो नहीं सकोगे मुझे यहां बोलने में पर क्या उससे कोई सुधार होने की आप आशा करते हैं। इसलिए जितने भाषण देने वाले लोग हैं पहले वे खुद सोचें कि उन्होंने क्या कभी इस तरह के दुरुपयोग करने की, मशीनरी के दुरुपयोग करने का कभी उन्होंने कोई प्रयत्न किया है। अभी बीच में आज ही की बात को बताता हूं जब यहां कुछ कागजात का मामला था, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि वह चैम्बर में देख लेना और लोगों ने जबरदस्ती यह विरोध किया कि चैम्बर के लिए मुख्य मंत्री कैसे कहते हैं। तो मैंने मित्रों को कहा था कि ट्रांसफर कराने के लिए कानाफूसी के लिए रोज मुख्य मन्त्रीजी के × × × और अब कागज देखने के लिए कहते हो कि मुख्यमन्त्री के यहां ...

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री शोपतसिंह : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

(व्यवधान)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : हमारे नेता हैं इसलिए चिलम भी भरेंगे और काम भी करायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कुछ भी करो ×××

श्री भैरूलाल भारद्वाज : सुनने की कोशिश कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सदन में स्मोकिंग के बारे में, जरा विचार नहीं करें। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। चिलम भरने पर आपत्ति है।

भैरूलाल भारद्वाज : तो मैं यह बात इसलिए निवेदन कर रहा था कि अपनी कथनी और करनी में अन्तर है। खैर, मैं यह बात जरूर देखता हूं कि पुलिस के कुछ आदमी इतने गलत तत्व हो गये है कि यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो पुलिस तन्त्र बदनाम होता जा रहा है, वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कई बार मैंने कुछ जिम्मेदार पुलिस अफसरों से कहा कि भाई इसे बिहार की पुलिस मत बनने दो, इसको यू पी. की पुलिस मत बनने दो, यह राजस्थान की पुलिस है, इसकी थोड़ी बहुत अभ छवि है। इस बात के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कुछ जिम्मेदार अफसरों ने, पुलिस अफसरों ने जिन पुलिस के लोगों ने गड़बड़ की है उनकी उन्होंने मेरी इस बात के कहने से इन्क्वायरी की है। जांच हुई है, और तो और पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हुआ है। उनको सजा मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1980 के अन्दर चन्दवाजी का पूरा थाना जाकर पांच हजार रुपये लूट लाया एक गांव में जा करके। बाकायदा थानेदार, दो उसके असिस्टेंट, सात सिपाही। दस आदमियों ने डाका डाला उस तरह से और जब मैंने उसकी शिकायत की, तत्कालीन एस. पी. थे भटनागर, मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लो कि क्या यह बात सही है। अगर सही है तो आप इस पुलिस को बचाइये ताकि उसकी फिजा ऐसी नहीं हो जाय कि लोग विश्वास करना ही छोड़ दें। इन्क्वायरी अफसर जिसको बिठाया गया उस पर पुलिस का चारों तरफ से पचासों दबाव आए, तू पुलिस की इस तरह से इन्क्वायरी करता है। तो वह भी कोई ऐसा भला आदमी था, उसने कहा कि मैं तो सही करूंगा। उसने रिपोर्ट दी, उनको सस्पेंड किया गया। उनको सजा मिलती उससे पहले, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि वह पुलिस अफसर जब इस स्थिति में आए कि अब तो मरेंगे तो वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम तो मर गए, हमारे बाल बच्चे मर गए। मैंने कहा कि वह तो मरने ही चाहिए, इसमें क्या बेजा है। तो मैंने अपनी सारी हिकमत पूरी की। मगर मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं, आप कहेंगे कि तुमने दुरुपयोग किया। मैं आपको कहता हूं कि मैंने कहा कि भाई एक शर्त है। अगर तुम उम्र भर के लिए रिश्वत नहीं खाने की ऐब करो तो तुम्हारे मामले में ढिलाई बर्ती जा सकती है गांव वालों की

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

तरह से। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मुझ को प्रेरणा मिली इस बात से कि जब डकैतों का आत्म समर्पण . कराया जा सकता है, हुआ है डकैतों का आत्म समर्पण। इसलिए सुधार की दृष्टि से यह उम्मीद हुई, जयप्रकाश नारायणजी और दूसरे लोगों ने और सरकार ने किया है। जब ये लोग सुधर सकते हैं तो उनके उस सद्भाव का उपयोग किया जाय। उनकी आत्मा को झिझोडा। तो. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी उनकी आत्मा को झिझोड़ा।

श्री शोपतसिंह : वह थानेदार नहीं डकैत थे।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैंने भी उन पुलिस के डकैतों को यह कहा. यदि तुम आत्म समर्पण करना चाहते हो, यदि उम्र भर तुम रिश्वत न खाने का वादा करते हो तो गांव वाले तुम्हारे मामले में नम्रता बरत सकते हैं। उन्होंने एक तीर्थ स्थान पर जाकर रात के बारह बजे 200 आदमियों के बीच महांदेवजी के मन्दिर में जल चढ़ाकर यह प्रतिज्ञा की कि हम उम्र भर रिश्वत नहीं खायेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। गांव वालों की पूरी मीटिंग में जैसे आत्म समर्पण का वह होता है उन लोगों को उस तरह छोड़ा गया। मुझे विश्वास है. उन तीन अफसरों में से दो मेरी निगाह में हैं जो बिल्कुल भी रिश्वत नहीं खाते और एक ईमानदार अफसर की तरह काम कर रहे हैं। तो यह बात मैंने इसलिये कही कि किसी को सुधारने का मौका मिलना चाहिये, किसी अच्छे आदमी को प्रोत्साहित करना चाहिये, बुरे आदमी को जोरदार सजा देनी चाहिये। मेरे इलाके में बामचा गांव है वहां से रामफूल नाम के गूजरों के लड़के को एक डेढ़ साल पहले एक नौकरी के नाम से जयपुर ले आया। वह गायब है। उसके लिये खूब प्रयत्न किये हमने। परन्तु समझ में नहीं आता डेढ़ साल पहले एक जवान लड़का नौकरी के नाम से आया और अब तक उसको तलाश नहीं कर सके।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नाथूसिंह जी के पास है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : हो सकता है नाथूसिंह जी के गांव का हो, नाथूसिंह जी के पास हो। पुलिस लापरवाही की वजह से ढूंढ नहीं सकी। मैं समझता हूं ऐसे मामले को हमें दर गुजर नहीं करना चाहिये। इसलिये निवेदन यह है कि हमको पुलिस के उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिये जो वास्तव में ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं खाते हैं। मगर उसमें जब हमारी दखलन्दाजी बढ़ जाती है तो फिर वह ××× हतोत्साहित हो जाते हैं। फिर वह समझते हैं इस बात को कि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। जो बेईमान लोग मुंह लग जाते हैं, ये कानाफूसी करते हैं कि फलां को भेज दो, फलां को भेज दो झूठा मुकदमा लगवाने के लिये। अभी झालावाड़ और बूंदी से आने वाले माननीय साथी ने आपके ऊपर यह नहीं बताया क्या कि कोटा डिवीजन के अन्दर माननीय मित्रों की कितनी राजनैतिक दखलन्दाजी चलती है पुलिस में और

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कई उदाहरण उन्होंने बताये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, चाहे हम गड़बड़ी करें चाहे आप करें, हम जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनको जनता ने चुन कर भेजा है यह हमारी सबके पहली जिम्मेदारी है।

(रात्रि 10–40)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

पुलिस को सुधारने के लिये हम अपने आपको पहले सुधारें और उसका दुरुपयोग करने की कोशिश न करें। मैं मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं, जो गृह-मन्त्री भी हैं, पुलिस में कुछ आवश्यक सुधार राज के तौर पर करने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सबसे ज्यादा काम करता है कांस्टेबल। सबसे ज्यादा काम करने वाले को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। मैं यह कहता हूं कि उसको चपरासी जितनी भी तनख्वाह नहीं मिलती है। एक चपरासी जो केवल 6 घंटे के लिए दफ्तर में काम करता है उसको ज्यादा वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं जबकि एक सिपाही 24 घण्टे रात दिन काम करता है। असल बात यह है कि पुलिस का काम वही करता है। थानेदार किसी चोरी की तलाश करने भेजेगा तो उसको भेजेगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो वह जायेगा, कोई फलाने का मामला होगा तो वह जायगा, कोई और झंझट होगा तो वह जायगा, मारपीट के मामले में जायगा तो वह अपनी जान जोखिम में डालेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपके बजट में और बढ़ाने की गुंजाइश है तब तो उनकी तनख्वाह, वेतन, भत्ते आप बढ़ायें और नहीं हो तो इसमें बैलेंस करो। समाजवाद का तो कायदा है ज्यादा वाले से लो और कम वाले को दो। आपने जो अफसरों को, बड़े बड़े लोगों को ज्यादा तनख्वाह दे रखी है, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो थोड़ा सा उसमें से ले लो। पर अन्त में आपको नीचे के उन लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो पुलिस की रीढ़ की हड्डी हैं। कांस्टेबल हैं, हैड कांस्टेबल हैं, एस. एच. ओ. है, डी. एस. पी. के नीचे तक के लोगों के वेतन भत्ते और सुविधाएं बढ़ानी चाहिये।

जहां तक खाने और मैस भत्ते का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सिपाही को मकान तो मिलता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उसको फ्री मिलनी चाहिये। यह कोई भत्ते का प्रश्न नहीं है, 80–82 रुपया आपने सिपाही का मैस भत्ता बांध दिया। वह जो खाये, उसको अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना सरकार की ओर से तनख्वाह के अलावा मिलना चाहिये। 80-85–90–100 रुपये का सवाल नहीं है, वह जितने में भी हो सकता है यह बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, अफसरों को आपने जिम्मेदारी से मुक्त कर रखा है। कायदे से हम यह देखते थे मर्डर केस हो तो एस. पी. की जिम्मेदारी है। जो भी कोई केस होता है वह एस. एच. ओ. से आगे

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

नहीं बढ़ता। यह मोटी तनख्वाह वाले तो इन्तजाम देखने वाले हैं। पुलिस का कोई कारिन्दा है तो केवल थाने का इन्चार्ज है। आखिर जो बड़े अफसर हैं उन पर कुछ जिम्मेदारी डालिये। जितने बड़े मुकदमें हैं उनका कुछ प्रतिशत, कुछ भाग वह भी करें। इन्तजाम करने के लिये तो ज्यादा ऊपर वाले को रखिये। एस. पी. तक तो कम से कम मुकदमों की सीधी जिम्मेदारी होनी चाहिये। आपने उनको मुकदमों मे बरी कर रखा है, केसेज से बरी कर रखा है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। फिर मैं यह कहता हू कि जो तरक्की का मामला है उसको उनके रिजल्ट से जोड़ना चाहिये। अगर किसी आदमी का अच्छा रिजल्ट है उसको तरक्की मिलनी चाहिये। जिसका खराब रिजल्ट है उसकी न केवल तरक्की रोकी जानि चाहिये बल्कि उसको वापस डिग्रेट करना चाहिये, आर्थिक दण्ड मिलना चाहिये और जरूरत पड़े तो उसके सस्पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये। सर्विस से जब तक आप रद्दी आदमियों का निष्कासन नहीं करोगे, भले आदमियों को तरक्की देकर प्रोत्साहित नहीं करोगे तो फिर यह ईमानदार आदमी काम क्यों करेंगे, तो मेरा एक यह सुझाव है।

एक मैं यह कहना चाहता हू, थानों की संख्या, सिपाही और अमले की संख्या छोटे अफसरों की संख्या आबादी के हिसाब से आज के नये जमाने की तरक्की में जो अपराध वृत्ति बढ़ी है, अपराध वृत्ति का जो नवीनीकरण हुआ है, उस हिसाब से हमको बढ़ानी चाहिये और इनकी ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिये। आज के जमाने के अन्दर चोरी पकड़ाने की हम बात कहते हैं, अगर किसी को पकड़ भी लिया और दस जूत लगा दिये, किसी के एक डण्डा लगा दिया तो वह जाकर थानेदार को सस्पेंड करने की बात आती है। आप उसको दो ही बातें सिखाते हो, या तो जूत लगाना या हाथ जोड़ना। जूत लगाये बिना चोरी निकले नहीं सकती। इसलिये हमको नये जमाने को जो अनुसंधान की बातें हैं वह गांव के थानेदार को, हैड कांस्टेबल को, सिपाही को सिखानी चाहिये। जो सी. बी. आई. के पास यंत्र हैं, सच या झूठ बुलाने या चोरी निकलवाने के नये तरीके हैं वह हमको थानेदार और नीचे के लोगों को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन करना चाहता हू, जीप की व्यवस्था हर थाने पर होनी चाहिये। जमुवारामगढ़ जैसे थाने पर जीप की व्यवस्था नहीं है। यह पर्यटन केन्द्र होने की वजह से जयपुर शहर के ही नहीं बल्कि बाहर से भी ऊट पटांग लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं मगर जीप की व्यवस्था नहीं है। चोरियां होती हैं, आप देखिये, चोरों और अपराधियों के पास तो साधन आज के जमाने के हिसाब से हैं और पुलिस के पास साधन हैं 18 वीं सदी के। तो यह बात नहीं चल सकती है। जब हम 21 वीं सदी की बात करते हैं तो हमको पुलिस को इतना सुसज्जित करना पड़ेगा सब प्रकार की सुविधाओं से कि वह अपराधियों का मुकाबला कर सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जो है, पुलिस का एक ऐसा हिस्सा है जिसके लिये हम आशा तो यह करते हैं कि यह भ्रष्टाचार मिटायेगा लेकिन पुलिस में जिसको सजा देनी होती है उसको सिविल पुलिस से हटा कर या तो सी. आई. डी. में चेप दिया जाता है या फिर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भेज दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में तो क्रीम आनी चाहिये, ईमानदार छटे हुए आदमियों की क्रीम जानी चाहिये ताकि वह सारों को कन्ट्रोल कर सकें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : अन्त में एक बात कह कर समाप्त करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिये अफसरों के। 50 प्रतिशत डायरेक्ट जो आई. पी. एस. और आर. पी. एस. लेते हो, कुछ प्रतिशत लेते हो, मैं समझता हूं 50 प्रतिशत कम से कम नीचे से आर. पी. एस. होने चाहिये और आर. पी. एस. में से आई. पी. एस. भी बनने चाहिये। 50 प्रतिशत डायरेक्ट लेने चाहिये ताकि नीचे के अनुभवी लोगों को आगे बढ़ने का, अच्छा काम करने के ईनाम के रूप में मौका मिले और पुलिस की व्यवस्था ठीक हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बार बार कह रहे हैं इसलिये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। माननीय सदस्य सात मिनट से अधिक नहीं। काफी समय हो गया।

श्री नाथूसिंह : 12 घण्टे से इन्तजार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब सदस्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप प्रारम्भ करें। इसमें समय न लें। माननीय सदस्य, प्रारम्भ करें।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उसमें उन्होंने जहां पुलिस की तारीफ करने की कोशिश की है वहीं अंत में पुलिस के चरित्र को, गठन को दोषपूर्ण भी बताया है। मैं सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस पुलिस विभाग की प्रगति रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहूंगा। यदि कोई नया आदमी इस प्रगति रिपोर्ट को पढ़े तो वह समझेगा कि राजस्थान पुलिस विभाग में कोई कमी नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई कमजोरी नहीं है। इस तारीफ के अलावा कुछ नहीं है। पहले ही पेज पर इन्होंने लिखा है कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव सुचारू एवं शांतिपूर्ण सपन्न कराने का दायित्व पुलिस प्रशासन का रहा तदुपरान्त पुलिस की सतंकता, कर्त्तव्यनिष्ठा

(श्री नाथूसिंह)

के कारण प्रदेश की शांति और व्यवस्था को कोई गम्भीर खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। यह प्रगति रिपोर्ट का पहला पैरा है।

श्री पंकज पचोली : गलत क्या है इसमें ?

श्री नाथूसिंह : मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सदन का कि विधान सभा के चुनाव जिनमें राजस्थान के मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना पड़े और यहां शांति और व्यवस्था से चुनाव संपन्न हो गये ?

एक माननीय सदस्य : यह तो आदेश है।

श्री नाथूसिंह : यह ऐसा आदर्श है जिसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होते देख कर राजस्थान सरकार के सबसे बड़े हैड मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना पड़े और प्रगति रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़ी शांति और कर्त्तव्य निष्ठा से चुनाव संपन्न हुए इससे आप अन्दाज लगाएं कि यह रिपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं इसको पुलिस की तरफ से रिपोर्ट मानता हूं, पुलिस ने डाकूमेंट तैयार करके दे दिया लेकिन सरकार को इस प्रगति रिपोर्ट को सदन में पेश करते समय इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जनता सरकार की भी बात की पुलिस के मामले में मैं जानना चाहूंगा, मैं बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं कि पुलिस की कोई तारीफ भी कर सकता है पुलिस की कोई बुराई भी कर सकता है लेकिन इसमें दोषी कौन है ? इसके लिए दोषी मै समझता हूं हम सब लोग हैं। सब लोग इसलिए कि पुलिस प्रशासन का ढांचा हमें ठीक करने के लिए उसके चरित्र को सुधारना होगा, पुलिस प्रशासन के गठन को ठीक करना होगा, जब तक यह चरित्र और गठन और पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं होगी तब तक यह ढांचा सुधर नहीं सकता अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक पुलिस के चरित्र और गठन का प्रश्न है आज पुलिस का गठन किस हिसाब से किया हुआ है ? ऊंचे लेवल पर अत्यधिक अधिकारी बैठे हुए हैं उन अधिकारियों का खर्चा कितना है, अध्यक्ष, महोदय, जितना नीचे के लेवल पर खर्चा नहीं है उससे कई गुना एस. पी. पर है। गाड़ियों का कितना दुरुपयोग होता है, कितनी उनको सुविधाएं दे रखी हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आज थाने नीलाम होते हैं। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी सी. बी. आई. और सी. आई. डी. में अच्छे आदमी भेजिए, एक एक एस. पी. को एक एक महीने की 50 हजार से अधिक डिस्ट्रिक्ट में इन्कम है। सारे थानें का पैसा इकट्ठा होकर आता है और एस. पी. 50 हजार कमाते हैं एक महीने की तनखा के अलावा और अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिल जाय तो एक लाख कमाता है।

श्री देवीलाल : पुलिस में हमारे थाने में ऐसे ऐसे एस. पी. हैं जो यों हाथ भी नहीं मोड़ते, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। हमारे भीलवाड़ा जिले में एस. पी. लगातार चार साल तक रहे उस तक रहे उस थाने में हाथ भी यों नहीं किया, और खाना तक नहीं खाया थानेदार का।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा आरोप एस. पीज. पर नहीं है और न ही पूरे पुलिस प्रशासन पर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर जगह ऐसा हो रहा है। उस पर आप अच्छी तरह से देखें। तो हमारे जिम्मेदार माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि पुलिस के प्रति हम इतने उत्तरदायी नहीं जितने जनता के प्रति उत्तर दायी हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता पिस रही है क्योंकि एक गिरोह बन गया पुलिस का, पोलिटिशियन का और इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, इन तीन आदमियों का एक गिरोह बन कर जनता पर सवारी कर रहा है, जनता को लूट रहा है। पुलिस के प्रशासन से तो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में कि वह जनता को प्रोटेक्शन दे सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में भी नहीं सोच सकते क्योंकि वह भी व्यक्तिगत ही देखेगा लेकिन एक पालिटिशियन जो जनता से चुन कर आता है। एक अगर ज्योति बची है तो पालिटिशियन की जो जनता को प्रोटेक्ट कर सकता है इन दोनों तत्वों से। तो मैं चाहूंगा कि इस तिकड़ी को तोड़ें, अगर यह तिकड़ी टूट गई तो जनता को लाभ है वर्ना जनता को नुकसान है, तो मैं इस गठन के बारे में कहना चाहता हूं कि पुलिस का गठन कैसा है। जयपुर के लेवल पर अधिक पोस्टें निकाली जाती हैं, अधिक सुविधाएं दी जाती हैं यहां तक कि, अध्यक्ष महोदय, सुविधाओं का अर्थ यह है कि मैंने यहां पर मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया होम सेक्रेटरी के आफिस को देखिए, होम सेक्रेटरी के टेलीविजन लगा हुआ है वह आफिस में बैठे बैठे खेलों का आनन्द लेते हैं। मुख्य मन्त्री जी आपके कमरे में टी. वी. नहीं होगा लेकिन आप वहां जाकर निरीक्षण कीजिए मनोरंजन के क्या क्या साधन उपलब्ध किए हुए हैं, यह हालत है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने भी क्रिकेट कमेंट्री सुनी होगी वहां।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चरित्र बता रहा हूं होम सेक्रेटरी का इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति और इतने आमोद प्रमोद के साधन उसके आफिस में उपलब्ध हैं, यह खतरनाक बात है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : टी. वी. आमोद प्रमोद का साधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : आज पुलिस में भर्ती होती है उसमें क्या होता है? नीचे के लेवल पर भर्ती होती है, अध्यक्ष महोदय, योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं होती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा 2-3 दिन पहले ही 6 तारीख को आई. जी. केन्द्र इंटेलिजेंस, सी. आई. डी. में भर्ती हुई है, कांस्टेबल का चुनाव हुआ, एक बोर्ड बनाया गया एस. पी. बोर्ड के चेयरमैन और 15 आदमियों का चयन किया, 15 आदमियों के अन्दर अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि 9 आदमियों को या तो जो पुलिस आफिसर्स के बेटे हैं या उनके घर पर काम करते हैं बाकी लोगों

(श्री नाथूसिंह)

के लिए बिना भ्रष्टाचार के उनका चयन नहीं हुआ। मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता, मेरे पास नाम हैं कौन किसका बेटा है, कौन किसके यहां काम करता है। तो फिर चयन की प्रक्रिया फालतू फण्ड में लोगों को बुला कर झुंझुनूं में लाठी चार्ज करवा दिया कहीं उनको पिटवा दें यह नाटक क्यों करते हो। जितने पुलिस में बैठे हैं उनको भर्ती कर लो और उनके प्रमोशन कर दो, उनका चयन कर लो। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उसके बाद भी आज ऐसे पुलिस आफिसर्स के घर पर 5-5 अर्दली पुलिस के कर्मचारी काम करते हैं उनसे खाना बनवाया जाता है कपड़े धोने का काम लिया जाता है घर की सफाई करवाई जाती है। आज वहां से पुलिस प्रशासन मे सुधार की बात कर रहे हैं। आज उनके शादियां होती हैं, किसी पुलिस अफसर के शादी हो सारे पुलिस के जवान वैरों का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खेद है कि पुलिस में आप सुधार करना चाहते हो पुलिस में कौन सुधार लाएगा। यह आफिसर यहां जयपुर मे बैठे रहते हैं, नीचे पब्लिक को डील करने वाले सिपाही या हैड कांस्टेबल जिससे आप बैरे का काम लेते हो उसकी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था करते हैं। आज चोरों और डकैतों के पास लेटेस्ट हथियार, तस्करों के पास लेटेस्ट जीपें, साधन हैं और हमारे उनकी ट्रेनिंग दिल्ली में होती है चोर, डकैत, तस्कर बड़े बड़ों की ट्रेनिंग दिल्ली में और बेचारे सिपाही की ट्रेनिंग किशनगढ़ में, सीकर में....

एक माननीय सदस्य : किचन में,

श्री नाथूसिंह : जी हां, किचन में, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग में डिफेक्ट और इस रिपोर्ट में कहा जाय कि ट्रेनिंग पर सवा दो लाख रुपए रखे गये थे जिसमें केवल डेढ़ लाख ट्रेनिंग में खर्च हुए।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इन हालात में आज पुलिस प्रशासन से उम्मीद नहीं कर सकते। अभी हाल ही में क्या चरित्र रह गया है, मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, आज का अखबार देखिए समाचार पत्रों में आर. टी. ओ. के नकली कागजों को बनाने की कार्यवाही पकड़ी गई और उस एस. पी. को धन्यवाद देना चाहूंगा जयपुर में तीन दिन पहले ही पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खेद है कि अभी भी इस गिरोह का सरगना, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिए उस पर हाथ नहीं डाला गया। जवाहर नगर पुलिस वालों ने पकड़ा, उसको थाने में पकड़ कर पुलिस ले गई और कहा कि भण्डाफोड होने वाला है. यह कहते हुए खेद है कि वहां के एस. एच. ओ. ने 20 हजार रुपए लेकर छोड़ दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : पकड़ा किसने था ?

श्री नाथूसिंह : उसी थाने के छोटे अफसरों ने पकड़ा लेकिन 20 हजार लेकर

(श्री नाथूसिंह)

छोड़ दिया क्योंकि बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, मैं उसका नाम बताना नहीं चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं बताना चाहेंगे, आप भी उस गिरोह से मिले हुए हैं क्या नाथूसिंह जी....

(11.00. बजे रात्री)

श्री नाथूसिंह : आज नीचे के लेवल पर एफ. आई. आर. जहां दर्ज होती है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो थानेदार के ऊपर है कि एफ.आई.आर. दर्ज करें तो करें, नहीं तो नहीं करें । मैं सुझाव देना चाहता हूं, आज हमारे प्रधान मन्त्री 21 वीं सदी की बात कर रहे हैं, कम्प्यूटराइजेशन की बात कर रहे हैं एक ऐसी व्यवस्था करें । कम्प्यूटराइज कि कोई एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जाये तो वहां ओटोमेटिक एफ.आई.आर. दर्ज हो जाय । एक ऐसी परमानेन्ट आप व्यवस्था करें, सुधार करें । यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी ऊपर के लेवल पर सुविधाए दे रहे हैं, नीचे के लेवल पर सुविधाए देने की कोशिश करें । हर माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि उनके वेतन भत्ते बढ़ा दिये जायं तनख्वाह बढ़ायी जाय । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनका जो मैस भत्ता है वह जितनी महगाई बढे उसके अनुपात में बढ़े । आज उनको बीमारी हो रही है, भयकर कमजोरी हो रही है, पुलिस कांस्टेबल टी.बी. के शिकार अधिकतर लोग हैं इसलिए आप उनका मंहगाई के रेश्यों में मंहगाई भत्ता, तनख्वाह और उनका मैस भत्ता बढ़ायें । मैं यह मांग करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि राजस्थान के अन्दर, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, माननीय सदस्यों को उसमें चिंता है, राजस्थान के अन्दर जो हमारी सीमा जैसलमेर और बाड़मेर है वहां पर आज हमारी असुरक्षा हो रही है, तस्करी हो रही है । मैंने एक सवाल पूछा और उसके जवाब में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि 1984 में तस्करी के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपये का सामान पकड़ा गया था । अब यह एक करोड़ बीस लाख रुपये का सामान तो पकड़ा गया लेकिन वे तस्कर क्यों नहीं पकड़े गये जो एक करोड़ 20 लाख की तस्करी कर लें ? आपने क्यों नहीं पकड़ा, वे कौन हैं ? इसके बारे में आपने संकेत क्यों नहीं दिया ? कितने अवैध हथियार पकड़े गये, कितने पाकिस्तान मे आ रहे हैं, हनुमानगढ़ के पास में जैसलमेर के इलाके में । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सी. बी. आई. ने एक रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि हजारों हथियार पाकिस्तान की सीमा से होकर, राजस्थान से होकर पंजाब और दिल्ली में गये । आपने किस को पकड़ा, किस को आइडेन्टीफाई किया आखिर इसकी व्यवस्था क्या है ? इसकी व्यवस्था इसलिए नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं दुःख के साथ कह रहा हूं कि वहां कि पुलिस, वहां का पुलिस प्रशासन तस्करों से मिला हुआ है । अभी

(श्री नाथूसिंह)

मई के अन्दर जैसलमेर में एक के यहां शादी हुई और उस शादी के अन्दर बम्बई के, दिल्ली के, राजस्थान के बड़े-बड़े तस्कर इकठ्ठे हुए लेकिन उन तस्करों के राजस्थान की पुलिस ने हाथ नहीं लगाया, किसी भी तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया ? क्योंकि एक मिलीभगत थी। मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप बतायें अपने उत्तर में कि कितने अवैध हथियार पकड़े गये, इस मामले में किन लोगों के विरुद्ध आपने कार्यवाही की, यह अपने उत्तर में बतायें। अभी अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप लोग आन्दोलन करते हैं, कई बार पुलिस के ऊपर दबाव भी डालते हैं। आप आन्दोलन करते हैं तो उग्र हो जाते हैं इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। मैं स्वीकार करता हूं, हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं और विरोधी का फर्ज बनता है कि समस्याओं को उठायें, आन्दोलन भी करते हैं और कई बार उस आन्दोलन में उग्रता भी आ जाती है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सिरोही के अभी माननीय सदस्य उत्तेजित होंगे, मैं प्रश्न कर रहा हूं, सब के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। सिरोही के जिला मंत्री के घर पर पुलिस ने अवैध हथियार पकड़े उसके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की ? अभी पिछले दिनों प्रतापगढ़ की स्थिति, एक 20 वर्ष की एस.टी. महिला ने एक विधायक के विरुद्ध इस्तगासा दिया कि उसने मेरे साथ बलात्कार किया, आप किस के ऊपर अंगुली उठाना चाहते हैं। यह व्यक्ति कौन हैं, कांग्रेस के एम. एल. ए. के विरुद्ध वहां पर इस्तगासा दिया एस. टी. की महिला ने।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इसलिए आप केवल दोष देकर, जनता सरकार की आलोचना करके बच नहीं सकते। मैं चाहूंगा पुलिस में केस रजिस्टर नहीं होते। अभी आप कह रहे थे कि राजनैतिक दखलअन्दाजी आप कर रहे हैं, कोटा में कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। वहां पर वह केस थाने में दर्ज नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, एम. एल. ए. के विरुद्ध केस दर्ज नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : मजबूर होकर अदालत के अन्दर इस्तगासा देना पड़ा। ये कौन हैं हस्तक्षेप करने वाले पुलिस के अन्दर, मैं यह नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों माननीय भारद्वाज जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे मेरे गांव का एक लड़का....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, माननीय भारद्वाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को उठाया। मैं भी, माननीय सदस्य भारद्वाज....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : दोनों इस मामले में आई. जी. से मिले, डी. आई. जी. से मिले। माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय शिव-

(श्री नाथूसिंह)

चरणजी माथुर थे। लेकिन पुलिस ने उस समय जवाब दिया कि हम क्या करें। डेढ़ साल से, नौकरी के बहाने जयपुर लाये थे, उसको गायब कर दिया। पुलिस कहती है, हम क्या करें।

इसी तरह पहले वही गिरोह, दो लड़कों को लेकर, उनका पता नहीं, कहां ले गये, आज तक उनका पता नहीं चला। इनका यह गिरोह पकड़ें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि पुलिस ने इस मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और कहा हम क्या करें, यह पुलिस का जवाब है। इसलिए कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले है उसमें पुलिस को मुस्तैदी से कार्यवाही करनी आज कौन हस्तक्षेप कर रहे हैं, और हस्तक्षेप बन्द करना चाहिए। चाहिए। आज एस.पी. के तबादले, थानेदार के तबादले करवाने में कौन इन्टरेस्टेड हैं?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : मुझे दुःख है आपसे यह कहते हुए, आज जौहरी बाजार में चले जावों, माननीय हरिदेव जोशी अब आये हैं और मुझे विश्वास है कि वे अनुभवी राजनीतिज्ञ है, पुराने राजनेता रहे है, मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। यह इनसे अपेक्षा करते हैं कि इन चीजों को वे रोकेंगे, आज भी मुख्य मंत्री जी आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। माणक चौक थाने की कीमत 50 हजार रुपये है। थानेदार जो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : वहां अपाइन्ट करने के लिए 50 हजार रुपये हैं, कम से कम बताये हैं, एक लाख तक भी हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहूंगा मैं माननीय गोविन्दसिंह जी का आभारी हूं, वे गृह मन्त्री भी रहे हैं, वे वन मन्त्री भी रहे हैं और उन्होंने यहां जब आंकड़े दिये, कहा कि भरतपुर के अन्दर, वे जब होम मिनिस्टर थे, और वन मिनिस्टर विधान सभा के अन्दर उन्होंने आश्वसन दिया था कि मैं जब तक रहूंगा, उनकी गायों की चराई नहीं रुकेगी। मैंने प्रश्न पूछा था लेकिन दूसरे ही दिन चरायी भी रुकी, पुलिस फायरिंग हुआ, वहां पर किसान मारे गये और उसके बाद गोविन्द सिंह जी ने यहां कह दिया कि मैं वहां 2–3 बार गयाा थ और क्या करता। मैं कहना चाहता हूं, आपका दोष नहीं है गोविन्दसिंह जी इसमें। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस भारी पड़ गयी और गोविन्द सिंह जी कमजोर पड़ गये। गोविन्द सिंह की नहीं चली, पुलिस की चली। एडीशनल एस पी. जो गोली कांड के लिये जिम्मेदार था उसका प्रोमोशन हो गया और ये देखते रहे। मैंने उनसे बात की, यह क्या हुआ, उन्होंने कहा मेरे हाथ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : पुलिस भारी पड़ गयी। मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के इलाके के अन्दर एक महिला से थाने में बलात्कार कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आज धौलपुर के

(श्री नाथूसिंह)

अन्दर, मेरे पास लड़कियों के बयान हैं, पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता, पढ़ने के लिए दे दूंगा, आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ तो लेंगे लेकिन आप सुना नहीं सकते, ऐसी लेंग्वेज है। क्या-क्या इनके साथ हुआ, नंगा करके कुए में लटकाया, 12 साल की लड़कियों के साथ 7-7, 8-8 आदमियों द्वारा बलात्कार करना। आज जैसे यह सब्जी मण्डी है, सूरजपोल में अनाज मण्डी है। आज राजस्थान में कोई भी प्रदेश में ऐसी मण्डी नहीं लगती हो लेकिन राजस्थान के अन्दर धौलपुर के अन्दर नारी मण्डी है। व्यापार मण्डी है। जाम जाओ। जैसा माल पसन्द करो, खरीदकर ले जाओ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह कब से लग रही है? यह जनता पार्टी के राज में भी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, कृपया बैठें कृपया सहयोग करें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : विरोध करना चाहते हैं और कुछ कर नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी, माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब हों। माननीय शोपत सिंह जी, आसन की ओर मुखातिब हों।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह मण्डी एक साधारण गांव में लग जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा लेकिन वह मंडी एक भूतपूर्व मन्त्री के गांव में लगती है, उसमें मण्डी लगती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : इन्होंने भी शिकायत की। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सीमा पर तस्करी, एक भूतपूर्व मन्त्री का भाई....

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : तस्करी के आरोप में पाकिस्तान की जेलों में बन्द रहा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि यह राजनैतिक हस्तक्षेप, इसकी बातें मत करो इसको प्रयोग में लाओ, कार्य प्रणाली में लाओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष, खाना खा चुके हैं हम लोग, अब क्या करें?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, गोविन्द सिंह जी ने डॉक्टर पी. डी. शर्मा को

(श्री नाथूसिंह)

किताब में से एक शब्द कोट किया। मैं उनका आभारी हूं। मैंने भी वह पुस्तक पढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, मैं आभार व्यक्त करता हूं गोविन्द सिंह जी का जिन्होंने पुलिस के उन निष्कर्षों को सदन में रखा उस निष्कर्ष को यहां सदन में रख-कर उन्होंने यह बात प्रूव की है कि आज पुलिस के बारे में सरकार खुश हो ले, आप कुछ लोग जो मन्त्री बनने के लालची हैं वह उन्हें कुछ कहकर प्रशंसा कर दें लेकिन आम जनता का पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम पुलिस के मामले में क्या सोचते हैं, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं यह सही नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जनता पुलिस के बारे में क्या सोचती है इसलिए पुलिस की छवि जनता में किस तरह से सुधारें....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह :पुलिस की छवि जनता में किस प्रकार ठीक हो हमें इस बारे में प्रयास करना चाहिए। इनको मैं यही कहना चाहूंगा।

अन्त में कहना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर आरोप लगायें, आप जनता सरकार पर आरोप लगाइये। आरोप-प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे और अपन आपस में लगाते भी रहेंगे लेकिन आज वास्तव में आप अपने दिलों को टटोलकर कहिये कि पुलिस प्रशा-सन का ढांचा, उसका चरित्र, उसकी कार्य प्रणाली ठीक है, क्या उससे जनता में सन्तोष है। आप सब स्वयं पीड़ित हैं। मुझे महादेव-सिंह जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे....

श्री अध्यक्ष : आप तो समाप्त कर रहे थे। अन्त में बोल गये हैं।

श्री नाथूसिंह : उनको पूछिये। सत्तारूढ़ दल के सदस्य, उनके साथ पुलिस ने क्या किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने तो अन्त में कह दिया। कृपया समाप्त करें अब।

श्री नाथूसिंह : इसलिए पुलिस को ज्यादा प्रोत्साहन मत दो, पुलिस को सर पर मत चढ़ाओ....

एक माननीय सदस्य :समय की सीमा होनी चाहिए।

श्री नाथूसिंह : इसकी लाठियां विरोधी दलों पर, जनता के असहाय लोगों पर भी चल सकती हैं लेकिन मौका आने पर भी चल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसलिए दुधारी तल-वार है पुलिस। खून मुंह में लगा दोगे तो को खाते खाते, जनता को खाते खाते आपका भी नम्बर आयेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया।

श्री नाथूसिंह : कि पुलिस के चरित्र को, प्रशासन को बदलो। नैतिक जिम्मेदारी जो जनता ने आपके ऊपर दी है, आज मुझे कहते हुए खेद है कि किसी बड़े पुलिस अधि-

(श्री नाथूसिंह)

कारी के विरुद्ध, जब वह दोषी पाया जाता है, विपक्ष के माननीय नेता महोदय द्वारा रिपोर्ट्‌स के बारे में जोर दिया गया था सदन में, सब में पुलिस को दोषी ठहराया गया। पुलिस के विरुद्ध स्ट्रक्चर्स पास किये गये कि पुलिस की गलती है, पुलिस ने गलत फायरिंग की, पुलिस ने गलत तंग किया। लेकिन आज तक एक भी बड़े अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। सरकार और मुख्य मन्त्री जी डरते हैं कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। हम आपको ताकत देना चाहते हैं, मुख्य मन्त्री जी। बड़े बड़े अधिकारी हैं, वह दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिए हम कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग करेंगे, आपके हाथ मजबूत करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाय, सहयोग के साथ बैठ जायं, कृपया।

श्री नाथूसिंह लेकिन छोटे लोगों पर तलवार चलाओगे, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि शिवचरण जी ने पुलिस की बहुत खुशामद की थी वही पुलिस उनको लेकर खा गयी। वह पुलिस शिवचरण जी को खा गयी। आप इस पुलिस की खुशामद मत करिये, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से शिक्षा ग्रहण कीजिए और आप अपनी करामात दिखाइये। छोटे कर्मचारियों को कुचलने की बजाय....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : वही पुलिस है जो गुजरात के मुख्य मन्त्री जी को खा गयी थी, मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह को खा गयी। पुलिस पर भरोसा मत करो, जनता पर भरोसा करो। इस सदन पर भरोसा करो।

श्री अध्यक्ष : अब तो आप बैठें। कृपका बैठें, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : भरोसा करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। इस मामले में हम सहयोग करेंगे। लेकिन हम यह भी चेतावनी देना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : बैठें, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री नाथूसिंह : यदि आपने बड़े अधिकारियों को नाजायज रूप से प्रोटेक्शन दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोहरा रहे हैं आप।

श्री नाथूसिंह : अधिकारियों को बचाने की कोशिश की तो मुख्य मन्त्री जी, हम जिस ताकत से आपका समर्थन करेंगे, आपके हाथ मजबूत करेंगे उसी ताकत से आपका विरोध भी करेंगे और आपको हटाने की कोशिश करेंगे।

श्री रतनलाल साम्बो : जनता पार्टी को कौन खा गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश तिवाड़ी, बोलेंगे आप ? माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री सुजान सिंह (अनुपस्थित)

"श्री जय कृष्ण तोसवाड़ा, बोलेंगे आप ? बोलिये फिर। आॅर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया बैठें। कृपया बैठें। मुख्य मन्त्री जी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपके नेता ने कहा है मुझे आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 12-12 घण्टे से इन्तजार कर रहे हैं हम। स्थगन प्रस्ताव हैं हमारे और आसन ने व्यवस्था दी थी....

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं आपके सामने।

श्री डूंगर राम : पुलिस कर्मियों के खिलाफ मेरा स्थगन प्रस्ताव था और आसन की ओर से आपने कहा था कि डिमाण्ड पर उनको मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठें। मैं आपको मौका दूंगा। कृपया दो-दो मिनट में समाप्त करेंगे। घण्टी बजते ही आप बैठ जायेंगे। आप अपना विषय छोड़ दें फिर बैठ जायं। इसको लम्बा नहीं करेंगे, मुझे मजबूर नहीं करेंगे आपको बार चेतावनी देने के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है पुलिस की अच्छाइयों और बुराइयों पर दोनों तरफ से चर्चा हो चुकी है उसके बारे में नही बोलकर मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है उसी पर दो शब्द कहना चाहता हूं।

पुलिस की कार्य कुशलता के बारे में एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं। सरदारशहर में तीन तारीख को जोवणदेसर नामक ग्राम में रामकरण नाम का एक 25 वर्ष का जवान....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। बातें नहीं, आपस में बातें नही।

श्री भंवरलाल शर्मा : नौकरी करता था। उसको बाड़ी में ले गये। बाड़ी में ले जाकर दो व्यक्तियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। सांस बन्द करके उसको मार दिया। और पुलिस ने क्या किया। जीवण-देसर सरदार शहर कस्बे से सिर्फ सात किलो मीटर दूर पड़ता है।

रातों रात वह मुल्जिम पुलिस के एस. एच. ओ. से जाकर मिल लिये। जाकर मिलकर उस मामले को मृग में बदल दिया। मृग में बदलने पर बड़ी सुबह उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज की है। पर चोर चोरी करते समय कोई न कोई सबूत छोड़ ही

(श्री भवरलाल शर्मा)

जाता है। उसी प्रकार जो यह रिपोर्ट आयी है, उन्होंने उसमें छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि शाम को करीब सात बजे मेरे भाई रामचन्द को मालाराम पुत्र नेमाराम घर से बुलाकर यह कहकर ले गया कि या तो मेरी बाड़ी में काम करो या चलो, हिसाब करके पैसे ले लो। उस पर वह दोनों बाड़ी चले गये। मैं खाना वगैरह खाकर रात को अपने घर पर सो गया। रात को यह उसके भाई से लिखवाकर लेते हैं पुलिस वाले। उसका भाई अनपढ़ है उससे अंगूठा लगवा लिया। एक ए. एस. आई. को भेजा गया। उस ए. एस. आई. को सरदारशहर लगाया गया है। जो ए. एस. आई. उन आतंकवादियों से मिला हुआ है और गंगा नगर डिस्ट्रिक्ट से उसको सजा के तौर पर चुरू डिस्ट्रिक्ट में भेजा। वह ए. एस. आई. सरदारशहर में मौजूद है। उस ए.एस. आई. ने सफेद कागज पर अंगूठा लगवा लिया। उसका बाप बूढ़ा सत्तर बरस का; बेहोश यहां मौजूद है आज। उसने आकर सारी घटना बतायी कि मेरे साथ यह अन्याय हुआ। उन्होंने लिखा है, मौत कैसे दिखाई। बिजली के खुले तार से वह छूकर मर गया क्योंकि उसके दोनों हाथों की कलाइयों पर बायें हाथ पर तार के निशान मौजूद हैं। नंगे तार होने की वजह से दोनों हाथों की हथेलियों पर, बायें हाथ की अंगुलियों पर बिजली के करंट लगने के निशान थे वहां पर चेनाराम उपसरपंच मालुराम मोहनराम रामेश्वरलाल, खुमाराम आदि गांव के लोग थे जिन्होंने भी रामकरण को देखा फिर हमने श्री मालुराम को इस वाकया की इत्तला देने थाने में भेज दिया। मालाराम ने नाजायज तौर पर बिजली का खम्बा खेजड़ी के पास निकाल कर, खेजड़ी के ऊपर करीब 10 फुट ऊंचे लोहे के तार बांधकर उस पर तार लगाकर...

(व्यवधान)

आप शांति से सुनें गम्भीर मामला है। इस तरह से किसी की मौत हो जाय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहें, जल्दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आगे, अध्यक्ष महोदय-बाड़ी के इर्द गिर्द लगायी हुई तार में करंट देता है जो मालाराम बहुत नाजायज व लापरवाही से काम करता है। और है-मजमून बयान से मालाराम द्वारा बिजली की चोरी करना या बाड़ी के इर्द गिर्द नंगे बिजली के तार लगाकर लापरवाही बरती जिससे रामरख की मृत्यु हुई मजमून बयान से जुर्म जेर दफा 304 ए 379 आई. पी. सी. का 39 इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट का सरजद होना पाया जाता है कि वह करंट लगने से मर गया उसका भाई गया था उसका बाप गया था। वह लाश माजे पर कैसे पहुंची। वह माजे तक चलकर कैसे आया करंट लगने के बाद में इसलिए संदेह होता है कि उसको गरम सलाखें करके मारा। रातों रात वह मुलजिम डाक्टर से मिल गये। एस. एच. ओ. से मिल गये और दाह संस्कार करा दिया और वे सब अनपढ़ आदमी थे उनको मालूम नहीं था। गांव में यह माहौल पैदा हो रहा है कि इस कत्ल को दबाया जा रहा है। मुलजिम खुले आम कहते फिर रहे हैं। यह तो एक ही कतल है चार कतल भी जैसे राजा महाराजाओं के

(श्री भवरलाल शर्मा)

जमाने में पहले सोने का कड़ा होता था और और कत्ल बख्सा जाता था उसी प्रकार से मुलजिमों का कहना है कि यह तो एक कतल है 4 कतल भी हो जाते हैं तो हमें माफ हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से और गृह मंत्री जी भी विराज रहे हैं उनसे आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले की पूरी गम्भीरता से जांच करके इस फाइल को मंगवाये और दोषी मुलजिमों को दण्ड दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिह :

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विनम्र नोटिस दिया था उसके बाबत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। यों तो पुलिस प्रशासन के बारे में अच्छी और बुरी दोनों ही बातें आ चुकी हैं लेकिन बानगी के तौर पर एक बात निवेदन करूंगा कि पुलिस में अच्छे अफसर भी हैं। आज के डी जी साहब की तारीफ करू तो उनकी चापलूसी कहलायेगी। लेकिन एक डी. आई. जी. हुआ करते थे मि. सक्सेना, वृन्दावन में आजकर भजन करते हैं। इस्तीफा दे दिया। बड़े ही नेक नीयत और ईमानदार थे। तो हमारा ध्येय यह नहीं है कि हम पुलिस को एक ही नजर से बेइमान कहें।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपनी बात करें। इस तरह तो आप समाप्त नहीं कर पायेंगे। आप भूमिका बना रहे है। लम्बा भाषण हो जायेगा। बात पर आ जाय।

श्री सम्पत सिंह : यह न समझें कि हम पुलिस के आलोचक ही हैं। मैंने एक लाइन में यह बात कही। मैं अब जो कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अपनी बात पर आ जायं।

श्री सम्पत सिंह : मैं यह कहना चाह रहा था कि पुलिस में ऐसे लोग हैं तीन साल से भरतपुर में पुलिस का अत्याचार हो रहा है। निहत्थे आदमी मर रहे हैं। कम से कम 11 आदमी, नामजद आपको कह सकता हूं, मर चुके हैं। मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी बिराजे हुए हैं बानगी के तौर पर एक बच्चे का नाम लेता हूं हरिन्द कुमार का, वह मरा। अपनी स्कूल से बस्ता लेकर आ रहा था उसकी क्या गलती थी कि उसको डीग में गोली मारी गयी। ऐसे अत्याचार पर भी कोई गर्मी पैदा नहीं हुयी। उनके खिलाफ कोई केस दर्ज न हो तो आम जनता में शक जाता है और असंतोष की बदौलत ही यह जो अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर आक्रोश व्याप्त है भरतपुर की जनता में, गांव गांव में, न मालूम क्या हो गया? मुख्य मंत्री जी ने पहले जब सदन चल रहा था बड़े दर्द भरे लहजे में कहा था कि आप लोग शायद यह समझ रहे हैं कि मारी कांग्रेस ने कतल किया है। हमने उनका भरोसा किया। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी खाकी वर्दी वालों के खिलाफ। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि छोटी सी बात के लिए जो खादी पहनते हैं उनको बदनाम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन मैं

(श्री सम्पत सिंह)

गुजारिश करना चाहता हूं और सचेत करना चाहता हूं हम आपके रहमो करम पर हैं लेकिन आपके यहां सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर लड़ेंगे, गांवों में लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी उनका खून हमारे अन्दर है। उनका खून हमारी रगों में बहता है तो हम आप से लड़ेंगे, पुलिस से लड़ेंगे। यह न समझें कि पुलिस से हम डरते हैं। पूरे सदन में चर्चा हुयी है उस बात को दो लफजों में खत्म करना चाहता हूं

जमाना देता रहा तिरंगी के सर इल्जाम
गुनाह होते रहे रोशनी के दामन में

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह :

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में अपने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको प्रस्तुत करता हूं और, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पुलिस में कोई ईमानदार अफसर नहीं हैं लेकिन मैं सदन में चार्ज लगाना चाहता हूं कि सरकार ईमानदार अफसरों को नेक नियती के आधार पर लगाना नहीं चाहती है मुख्य मंत्री को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि झुंझुनूं जहां भ्रष्टाचार था, आपने अभी रविन्द्र सिंह ढिल्लों को लगाया, एस. पी. था। बड़ा अच्छा नौजवान लड़का था। अच्छा काम कर रहा था लेकिन एक महिना नहीं हुआ कि क्योंकि उसके खिलाफ जो आपके गिरोह है उसके खिलाफ आपको शिकायत की कि ईमानदार अफसर है और जो पैसा नीचे से ऊपर खिंचा आ रहा है वह नहीं आयेगा इसलिए उसके खिलाफ कह गये और जैसा इस देश में एक नया वातावरण पैदा कर दिया गया है, उग्रवादी है हटाओ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चीज राजस्थान में नहीं पनपनी चाहिए। आप तो मजबूत मुख्य मंत्री रहे हैं। इतनी कमजोरी क्यों महसूस करते हैं। जो ईमानदार लोग हैं जो जनता कि ठीक तरह से सेवा कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में जो किस्सा हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी की नजर में आ गया होगा, यहां विपक्ष के नेता ने और दूसरे विपक्ष के सदस्यों ने गोली काण्ड का उल्लेख किया है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूं कि 1 मई, 1985 को आपके लक्ष्मणगढ़ थानेदार के पास जनता अपनी शिकायतें देकर आ रही थी, बजाय जनता कि शिकायतें सुनने के आपके उस थानेदार ने फायरिंग करने की कोशिश की। वह तो कुदरत का भला समझो कोई पब्लिक के आदमी ने उसका हाथ नीचे कर दिया और गोली ऊपर से निकल गयी, मकान पर से निकल गयी, वर्ना क्या हालत होती। उसके लिए कुछ नहीं हुआ। केवल सस्पेंड करके केस को ठण्डा कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपसे जनता न्याय की मांग करती है। उसके खिलाफ चालान करना चाहिए था और उसको 307 में गिरफ्तार

(श्री नवरंसिह)

करके चालान कोर्ट में करना चाहिए था। वह नहीं हुआ क्योंकि वहां भी उसको सय देने वाले लोग हैं, उसकी जय जय कार करने वाले लोग आपके चारों तरफ घूमते हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नवरंग सिंह : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि झुंझुनू का 24 जून का मामला है, 15-20 हजार नौजवानों को, केवल 35 व्यक्तियों की भर्ती थी, वहां इकट्ठा कर लिया। सारे दुनिया भर के लोग आ गये। हरियाणा से भी लोग आ गये, जयपुर डिविजन के लोग भी आ गये, कोटा, जोधपुर के लोग भी आ गये। जब उनकी संख्या ज्यादा हो गयी, उनके बस के बाहर की चीज हो गयी तो बजाय उनको भर्ती करने के डण्डे बरसाये। लाठी चार्ज किया उनके खिलाफ जो झुंझुनू के लोग पेड़ों की छाया में बैठे थे उन पर डण्डे चलाये कि तुम भी भर्ती होने आये थे। उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार किया गया। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने, प्रशासन ने कुछ नहीं किया उल्टे उन लोगों को डण्डे लगा दिये। छाया पर बैठे थे उनके खिलाफ मामले बनाने की योजना हो रही है। चूंकि आप सारी स्थिति को जानते हैं. देखते हैं, बार बार आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस सारे मामले को आप स्वयं देखें किस तरह से 15-20 हजार लोगों पर लाठी चली....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री नवरंग सिंह : डण्डे चले, अश्रु गैस चली यहां तक कि सीकर से और दूसरी जगह से पुलिस बुलाकर, आर. ए.सी. बुलाकर, चिड़ावा तक उन लोगों का पीछा किया।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करें।

इसके साथ ही मैं एक बात कहूंगा राजा मानसिंह की जो हत्या हुयी है। यह यह छोटी बात नहीं है। आपने इस सदन में आंसू बहाकर कहा था कि रानी साहिबा ने कह दिया दिल्ली में जाकर इसलिए वह दिल्ली चला गया लेकिन मुख्य मंत्री जी दिल्ली वालों ने तो फिर भी बात रखी परन्तु आपने कहा कि मैं नहीं मानता आपने अपनी आत्मा की आवाज से उस मामले में चालान नहीं करने दिया। आज भी मेरी मान्यता है कि मुख्य मंत्रीजी आपके ऊपर भूतपूर्व मुख्य मंत्री का दबाव पड़ा है और पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा है या दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, जो आपके रीत की बात करते हैं, उनका दबाव पड़ा है। इसलिये आपने उन मुलजिमों को, आपके माथे पर कलंक ले लिया, छुड़ा दिया। अगर आप चालान पेश कर देते तो फिर भी हाईकोर्ट में जमानत ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि आपको इस बारे में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। साफ तौर से आपको कहना चाहिये.......

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : इस मामले में कब तक चालान कर देंगे....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपने एक ही बात के लिये कहा था, माननीय सदस्य।

श्री नवरंग सिंह : नहीं मेरा मूल कट मोशन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : कर रहा हूं। एक निवेदन यह करना चाह रहा था। दहेज के मामले को लेकर सारे राजस्थान में अनेक युवतियों को कहीं कतल किया गया है, कहीं आत्म हत्यायें की हैं। इसलिये मुख्य मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं यह एक गम्भीर मामला है। उसके लिये आपको पुलिस में जो बड़े अफसर हैं उनको यह मामला दिखाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि कौन ठीक है, कौन बे-ठीक है। यह तो पुलिस की तफतीश का काम है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। दो लड़के जिनका यहां पर पहले भी वर्णन आया है लापता हो गये हैं। मेरे नवलगढ़ के यहां का लड़का डेढ़ साल से लापता है। डाबरी मोयजा का लड़का दो साल से लापता है। इसी तरह से राजस्थान में सैकड़ों नौजवान हैं। इनकी खोज-बीन के लिये आपका सी. आई. डी. विभाग आपका पुलिस विभाग, क्या करता है? इन सब चीजों की तफतीश करें, सब चीजों को देखें। मैं इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं इस बात को कि यहां पर डी. जी. के पद पर जो आये हैं वह एक अच्छे, नीचे से उठकर ऊपर आने वाले अफसर हैं और अगर राजनीतिक दबाव उन पर नहीं पड़ेगा तो मेरी ऐसी मान्यता है कि डी. जी. के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जिनको आपने इन्चार्ज बनाया है अनुभवी व्यक्ति हैं लेकिन राजनीतिक सूझ-बूझ आपकी ही काम देगी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को आप किस तरह से इस राज्य में चलाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार (टोंबी) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत ही कहा है और इस बात को मैं भी मानता हूं कि पुलिस में सारे आफिसर बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं लेकिन अच्छे हैं उनके साथ क्या होता है उनकी आत्मा से पूछिये। उनका ऐसी गन्दी जगह ट्रांसफर करते हैं, वह सताये जाते हैं, कि वह बेइमानी में शरीक हो जाय। अच्छे आफिसर्स को इसलिये सताया जाता है कि वह भी सारे के सारे ढर्रे में लग जायं, शरीक हो जायं। उनको शरीक होने के लिये मजबूर किया

(श्री डूंगरराम पंवार)

जाता है और जो उसमें शामिल नहीं होता है उसको भारी से भारी तकलीफ दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर आ जाइये माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : ... और गन्दी से गन्दी जगह पर भेजा जाता है।

श्री अध्यक्ष : गन्दी जगह कौन सी होती है माननीय सदस्य। गन्दी जगह भेजा जाता है, वह गन्दी जगह कौन सी है ?

श्री डूंगरराम पंवार : होती है, ऐसी जगह होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। सभी जगह अच्छी है। राजस्थान को गन्दा मत बताइये।

श्री डूंगरराम पंवार : होती है। अलग से इनके विभाग की सजा होती है। उसके लिये, नौकरी से नहीं निकाला जाता है लेकिन तकलीफ काफी होती है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर आ जाइये।

श्री डूंगरराम पंवार : अगर सस्पेण्ड भी हो जाते हैं, जो थानेदार होता है वह सी. ओ. होकर जाता है, बहाल हो जाता है तब प्रमोशन होता है.... और मनमर्जी तो पुलिस आये दिन करती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : बिना कोई आर्डर के लाठी चार्ज करना, बिना कोई आर्डर के गोली चला देना....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर आ जाइये।

श्री डूंगरराम पंवार : .... अगर कोई आदमी मर जाय....

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर बोल लीजिये जल्दी।

श्री डूंगरराम पंवार : उस पर भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन इनको कोई परवाह नही। आप भी चाहे सरकार का पक्ष ले लीजिये। बजाय एक्शन लेने के इनका मनोबल बढ़ाते हैं। सरकार कहती है कि पुलिस पर एक्शन लेने से पुलिस का मनोबल गिर जायेगा, तो लोगों को गोलियों से मरा मरा कर मनोबल बढ़ाते रहें फिर। मेरे बसवा रावसर में तारीख 23-6-1985 को रावतसर थाना हैड कांस्टेबिल नोहरलाल शर्मा, सिपाही रामकंवर, हरनेकसिंह, मजीद, चांद खां करीब करीब 6 सिपाही और 2 अन्य लोगों को ले जाकर रिसालसिंह चौधरी का मकान था उसमें घुस कर मकान तोड़ दिया गया और उनको गन्दी गालियां दी गई। धक्के मारे, मार-पीट की और उस मकान के दो गर्डर, 40 बल्लियां, एक पलंग, रजाई बाल्टी ले गये। किसी विभाग का कोई आर्डर नहीं। न कोई भूमि विकास समिति, न ही नगर पालिका का आर्डर था। उनका मकान तोड़ दिया गया। उनके खिलाफ मुकदमे के लिये थानेदार साहब के पास गये

(श्री डूंगरराम पंवार)

तो उन्होंने इन्कार कर दिया। फिर प्राइवेट इस्तगासा लेकर अदालत में गये, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास में है। उस मकान की फोटो भी मेरे पास है।

एक साल हो गया, गांव जसरासर की विमला, हरिजन महिला थी। जिसकी मैंने पूर्व सत्र में स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा उठाई थी। उसमें आधा दर्जन तो पुलिस कर्मी हैं ए. एस. आई. और भी हैं बाकी सिविल आदमी है, एक तो सरपच हैं। कम से कम 13-14 आदमी उसमें अपराधी हैं। जिसको भादरा में रखा गया, उसके बाद नोहर में, उसके बाद गंगानगर में हनुमानगढ़ और हिन्दुमल कोर्ट में नौ महिने तक हरीश ए. एस. आई. और सहयोगियों ने अपने चुंगुल में रखा। एक मीरा नाम की साध्वी है जो ग्राम मोहनपुरा में रहती थी, बदचलनी में उसको सताया गया और आज तक उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है; यह कोई सरकार की ओर से ब्योरा नहीं, कोई पता नहीं है कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की पहले बलात्कर करते थे असामाजिक तत्व और बदमाश गुण्डे अब पुलिस ने शुरू किया है। यह हालत है। इसलिये मेरा यह कहना है मुख्य मन्त्री महोदय से, पुलिस अपना चरित्र निर्माण करें और आगे के लिये पुलिस मे जो कमियां सामने आई है उनको सुधारें। और यह जो असामाजिक लोगों के काम थे वह काम पुलिस न करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूं। व्यास का मेला लगता है, लाखों आदमी आते हैं, जिसमें पुलिस का इन्तजाम नहीं है, किसी की माचिस की डिबीया भी गिर गई है तो वह सुरक्षित रहेगी। कोई किसी किस्म की चोरी नहीं। चाहे कितना ही कीमती माल गिर जाय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : आवाजें होती रहती है कि यह चीज आप आकर संभाल लो। पुलिस की यदि ड्यूटी लग जाय उस मेले में तो जेबें कटनी शुरू नहीं हो जाय और औरतों के साथ भद्दे व्यवहार शुरू नहीं हो जाय तो आप जाकर देख लो। पुलिस में इतना करप्शन है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : इसलिये मेरा यह कहना है कि सरकार पुलिस के इतनी सरेंडर नहीं हो और पुलिस के अन्दर इस प्रकार के आफिसर्स हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं सस्पैण्ड। सस्पैण्ड तो ऑटोमेटिक लीव सैंकशन होती है। अच्छा समय अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिये मिल जाता है और अच्छे से अच्छे एडवोकेट से अपनी चार्जशीट का जवाब लिखा लेता है कि कैसे जवाब देना है और जवाब लेकर 6 महिने से लेकर 2 साल के पैसे लेकर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : यह है एक्शन कभी किसी को टर्मिनेट करने की हिम्मत है

(श्री डूंगरराम पंवार)

क्या सरकार की। किसी को किया है क्या ? ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री डूंगरराम पंवार : इसलिये सरकार को बिलकुल सख्त रहना चाहिये और घटिया हरकतें करने वाले लोगों को बख्शना नहीं चाहिये ताकि आगे के लिये सुधार हो। दहशत हो गलत काम करने वालों में....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री डूंगरराम पंवार : और जिस जमींदार का मकान तोड़ा है जिन सिपाहियों ने उनके खिलाफ एक्शन तुरन्त लेना चाहिये। विमला काण्ड के अपराधियों के खिलाफ आज दिन तक क्या कार्यवाही हुई, इसके सम्बन्ध में मुझे भी लिखित में भेजा जाय और जवाब दिया जाय। पुलिस कर्मियों के खिलाफ आज तक....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री रामेश्वरलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था थी की जिनके...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पुकारा था, आप बोल चुके हैं।

श्री रामेश्वरलाल यादव : ना।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोल लें एक बार, माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बाकी रह गये हैं।

श्री रामेश्वरलाल यादव (चोमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा....

श्री अध्यक्ष : बातचीत नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां कहीं पुलिस के ऊपर चार्जेज लगे हैं, उनकी बढ़ाई भी हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह दीजिये कृपया।

श्री रामेश्वरलाल यादव : नगर विकास न्यास जयपुर के तत्कालीन सचिव श्री राधेकान्त शर्मा के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरलाल यादव : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम लेकर नहीं कहेंगे आप किसी के लिए।

श्री रामेश्वर लाल यादव : तत्कालीन सचिव के खिलाफ जब जांच हुई, लालकोठी और बस्सी सीतारामपुरा के भू-आबंटन के मामले में एक सूद कमीशन का गठन किया गया और उन्होंने जांच रिपोर्ट पेश की। एण्टी करप्शन और सी.आई.डी.

(श्री रामेश्वरलाल यादव)

में मुकदमे दर्ज हुए और बहुत सारे मामले परिपक्व हो करके और चालान पेश करने के लिए राज्य सरकार के सामने विचाराधीन हैं लेकिन चार पांच साल निकलने के बावजूद भी आज तक राज्य सरकार ने चालान की इजाजत नहीं दी। इसलिए मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

जहां तक कटौती प्रस्तावों का प्रश्न है चौमू क्षेत्र के अन्दर जो पुलिस की अव्यवस्था है उस बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। कालाडेरा ग्राम के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरलाल यादव : रात के दो बजे एस. एच. ओ. चौमू की मिलीभगत से एक दुकान खाली करवाने के मामले में 15-20 आदमी आये उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, फायरिंग की और चौमू नहीं गोविन्दगढ़ थाने से इत्तला देने के बावजूद एस. एच. ओ. वहां से रवाना नहीं हुए। एस. एच. ओ. गोविन्दगढ़ ने वायरलैस किया कि वहां पर डकैती हो रही है, मारपीट हो रही है, फायरिंग हो रही है। लेकिन एस. एच. ओ. चौमू इसके बावजूद रवाना नहीं हुए और इसके बाद उन मुलजिमों को कई दिनो तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक इसी तरह से चौमू के अन्दर भी रात को 12 बजे इसी तरह की घटना करवाई गई। दोनों मामलों में चौमू के इन्चार्ज का हाथ था। एक पार्टी से उन्होंने दस हजार लिये और दूसरी पार्टी से उन्होंने पांच हजार लिये। ठीक इसी तरह से विमलपुरा के अन्दर एक मर्डर हुआ, नामजद मुलजिम आठ थे जिनमें से चार मुलजिमों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुल्जिमों को बचाने के लिए चौमू थाना इन्चार्ज ने दस हजार चार्ज किए। हमने एस. पी. लेवल से भी इस बात के लिए निवेदन किया लेकिन आज की तारीख तक वे मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। इसी तरह से हड़ौता ग्राम के अन्दर एक भूमि के मामले में पिछली रात भी मुझे इस बात की सूचना मिली थी, मैंने इनके बारे में भी निवेदन किया था कि कोटा की तरफ से 15 ऐसे बाहर के शस्त्रधारी आये हुए हैं और उनकी जान माल की रक्षा की जानी चाहिये।

चौमू के अन्दर पिछले दिनों भगवान सहाय शर्मा के घर पुलिस ने छापा मारा। उसके फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले पकड़े, बहुत सारे खाली स्टाम्प अधूरे और कई बनाते हुए अधूरे स्टाम्प पेपर पकड़े। आज दस महीने होने आये लेकिन उन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और जब भी कोई ऐसी नौबत आती है तो कभी ऊपर से किसी आफिसर के आदेश आ जाते हैं कि फाइल भिजवाइये और कभी क्या होता है। मैं अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि चौमू जहां तीस-चालीस हजार की आबादी है, बहुत बड़ा थाना है, "ए" क्लास थाना है, चौमू इन्चार्ज की पोस्ट डी. आई. के अन्दर कन्वर्ट की जाय ताकि वहां की शान्ति व्यवस्था में सुधार हो सके।

श्री मोतीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : पुलिस का काम कानून-व्यवस्था को बनाये रखना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इशारा न करें।

श्री मोतीलाल मीणा : सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में कोतवाल सवाई माधोपुर द्वारा जुल्म ढाये जा रहे हैं। 5 तारीख की बात है, सूरवाल के अन्दर औरत शाहिरा और उसका पति युसुफ इनका होटल है, सूरवाल के अन्दर रात को दस बजे शराब पी करके कोतवाल सवाई माधोपुर पांच जवानों सहित गुण्डों को पकड़ने के लिए आया, तो शायरा से कहा कि गुण्डों को पकड़ लाओ। शायरा ने कहा मैं कहां जाऊं होटल छोड़ करके, मेरे पति से कहो। पति से कहा कि तू जाकर लेकर आ। पति ने कहा मेरे बस की बात नहीं है गुण्डों को पकड़ना। अन्त में क्या हुआ दोनों को कोतवाल सवाई माधोपुर ने बाजार सूरवाल के अन्दर नगा करके मारा और जो होटल के अन्दर दिन भर की कमाई थी लूटकर ले गये। इसी तरह से सीमेंट फैक्टरी जो जयपुर उद्योग के नाम से पुकारी जाती है मजदूरों की पिटाई की और उनकी झुग्गी झौंपड़ियों में आग लगा दी गई। आग लगाने का कारण यह है कि सीमेंट फैक्टरी में जो मजदूर निवास करते हैं उनको आवासीय भूखण्ड गवर्नमेंट की ओर से दिये गये हैं। उनको साहू नगर से दस कट्टे सीमेंट के और चार कट्टे रॉ मैटेरियल के दिये। अब जी. एम. फैक्टरी और कोतवाल दोनों मिल करके उनको भगाने जा रहे हैं, नहीं भागने पर उनकी झौंपड़ियों में आग लगा दी गई है, उनकी पिटाई की गई और उन पर कई तरह के केस बनाये गये। इस तरह जनता में रोष व्याप्त है। माननीय मुख्य-मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा, कोतवाल सवाई माधोपुर का कुछ दिनों पहले वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया था परन्तु राजनीतिक लोगों के बीच में पड़ने से वापिस कैंसिल कर दिया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि समय रहते स्थिति को नहीं संभाला गया तो वह कोतवाली में घुस जायेंगे और 15 वर्ष पहले जिला सवाई माधोपुर कोतवाली के अन्दर जो काण्ड हुआ वही काण्ड अब हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कुकृत्यी और दुष्ट कोतवाल को वहां से हटाकर जनता में शांति कायम रखें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है, आप कृपया बैठें।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन के बारे में आज काफी लम्बी बहस हुई और माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये। यह सही है कि पुलिस की दोनों तरह की प्रतिष्ठा है और कोई दावे से यह नहीं कह सकता कि यहां जो कहा गया है वह एकदम गलत है। मगर एक स्थिति हमको ध्यान में रखनी है और वह यह है कि पिछले एक डेढ़ साल में देश के अनेक हिस्सों के साथ-साथ राज-

(श्री हरिदेव जोशी)

स्थान भी लॉ—एण्ड—ग्रॉर्डर की स्थिति में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ग्रौर उन कठिन परिस्थितियों में जो कुछ भी सम्भव था पुलिस प्रशासन ने नागरिक जीवन में सामंजस्य बनाये रखने के लिए अपनी ग्रोर से करने की कोशिश की। यह सही है कि परिस्थितियां बदलती चली जा रही है ग्रौर बदलती हुई परिस्थितियों के साथ यदि पुलिस को भी ठीक तरह से इक्विप नहीं किया गया तो वह उतनी शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेगी जितनी कि उससे अपेक्षा है। पुलिस के मोडर्नाइजेशन के लिए कुछ वर्षों से एक प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है उसकी ट्रेनिंग का भी ग्रौर ग्राधुनिकीकरण का भी। यह बात सही है कि पुलिस को बाज मर्तबा अनेक प्रकार के दबाव में काम करना पड़ता है. ग्रौर बहुत मुमकिन है कि पुलिस ग्रॉफिसर दबाव में काम करने के लिए सक्षम न हो। फिर भी इन पिछले कुछ वर्षों में पुलिस के ग्राधुनिकीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। पिछले वर्षों में प्रावधान किया गया था ग्रौर कुछ साधन जुटाये गये हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि ग्राज जिस तेजी के साथ में काम करने की ग्रावश्यकता हैं उतने साधन ग्राज भी पुलिस के पास नहीं है। बेहतर होता कि हम ऐसा कर पाते मगर साधनों की कमी के कारण से उतना हम नहीं कर सके। ग्राठवें वित्त ग्रायोग से कुछ साधन सुविधायें उपलब्ध की हैं ग्रौर हमारी यह कोशिश रहेगी कि इसका हम पूरा उपयोग करके पुलिस को इक्विप्ड करें। माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों का जीवन शांतिमय बनाये रखने में ग्रौर उनके उत्पीड़न को कम करने में उनकी कठिनाइयों को दूर करने में, सहयोग करने में नाम कमावे। मगर जब थाने में रेप होवे कांस्टेबल रेप करे ग्रथवा दूसरे लोगों के जरिये उत्पीड़न की घटनायें ग्रथवा बेजा हरकतें जिसमें रिश्वत ग्रादि भी हैं ऐसे में वह लिप्त होते हैं तो ग्रनेक ग्रच्छे लोगों की छवि भी इन कुछ लोगों की खराब हरकतों के कारण खराब हो जाती है।

ग्रध्यक्ष महोदय, हमारी यह कोशिश है कि पुलिस ग्राज भी जिन चीजों के कारण बदनाम होती है वह नहीं हो। मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस को जिस प्रकार का नेतृत्व होगा ग्राम पुलिस भी उससे प्रभावित होती है। मैंने ग्रभी थोड़े दिनों पहले पुलिस के ग्रधिकारियों के बीच में कहा था ग्रौर मैं ग्रब भी ऐसा मानता हूं कि जो ग्रधिकारी सच्चरित्र होता है उसके नीचे खराबी बहुत कम पनपेगी। जहां सार्वजनिक जीवन में सच्चरित्रता होगी वहां पर ब्यूरोक्रैसी में सच्चरित्रता ग्रायेगी ग्रौर इसलिये हमको इस दिशा में कोशिश करना है; उन लोगों को सच्चरित्रता में लाने के लिये जो लोग काम करते हैं उनकी मदद करनी चाहिये।

ग्रध्यक्ष महोदय, इस थोड़े ग्रर्से में हमने यह कोशिश की है कि जो लोग जिस स्थान के उपयुक्त हैं उनको उस स्थान पर रखा जाय। गलत लोगों को हटाया जाय ग्रथवा जो जिस काम के उपयुक्त नहीं हैं उनको ग्रनुपयुक्त स्थान से हटा करके उनको उपयुक्त स्थान पर रखा जाय। मैं यह ग्राशा करता हूं कि इसका परिणाम ग्रायेगा। ग्राप सबके सहयोग से हम यह कोशिश

(श्री हरिदेव जोशी)

करना चाहते हैं कि पुलिस की छवि ठीक होवे, पुलिस के द्वारा ग्राम आदमी को राहत मिले और कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे कि हम नागरिक जीवन में अशांति पैदा होने दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने यहां पर पुलिस के अच्छे कामों के बारे में, पुलिस के बुरे कर्मों के बारे में जो विवरण दिया है उसके विवेचन में नहीं जाकर मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जो शिकायतें उन्होंने की हैं अगर इन्क्वायरी की जा सकती है तो हम इन्क्वायरी करेंगे और हम यह कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार आवे।

मैं यह नहीं कहता हूं कि सुधार एक ही दिन में आ जायेगा, पर निरन्तर कोशिश करने के बाद मैं अपने मन में आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास है कि स्थिति में फर्क लाया जा सकता है। दरअसल में आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के नीचे के अधिकारियों को ठीक ढंग से गाइडेन्स मिले और वह प्रोपर ढंग से और सही ढंग से उनका मार्गदर्शन हो और अगर मार्गदर्शन सही ढंग से हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो दोष आज दिखाई देते हैं वह दोष कम हो जायेंगे। ऐसी कुछ घटनायें अभी पिछले दिनों में हुई और मैं ऐसा समझता हूं कि मैं उसके ऊपर सन्तोष कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले जयपुर में आस-पास में एक सती होने की घटना हो रही थी। हमने पुलिस के अधिकारियों से कहा कि वह यह देखें कि गोली नहीं चलानी पड़े और एक प्राणी अपनी जान न खोये। लोगों ने कोशिश की, पुलिस के अधिकारियों ने सहयोग किया और यह दुर्घटना होने से बची।

अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजस्थान के अन्दर उग्रवादियों के कारण से एक प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी थी। पुलिस के उच्च अधिकारियों की तरफ से कोशिश की और स्थिति पर काबू पाया जा सका। पंजाब से अनेक उग्रवादियों को राजस्थान के अन्दर लाकर रखा गया है। यह स्थितियां कम उत्तेजनापूर्ण नहीं थीं मगर हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से इन परिस्थितियों को सम्भाल लिया और स्थिति काबू में रही। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी भी एक ऐसी वस्तु है जिसको ठीक ढंग से काम में लाने की जरूरत है। अगर उसको सही दिशा दी जायेगी तो मैं समझता हूं कि गलतियों से बचाया जा सकता है। मुश्किल क्या है, मुश्किल यह है कि अगर पुलिस का सबसे नीचे का आदमी कांस्टेबल दरअसल में जैसा कि कहा गया है कई बार सही नेतृत्व नहीं होने के कारण गलतियां करता है। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण गलतियां करता है और इन गलतियों के कारण से वह लोगों की उत्तेजना का पात्र हो जाता है। मैं अपनी ओर से सदन को यही विश्वास दिला सकता हूं कि हम उनकी ट्रेनिंग के लिये, उसको सही वातावरण देने के लिये, उनको कोर्स देने के लिये और उनकी ड्यूटी के अन्दर जो मददगार हो सकते हैं वह साधन उनको देने के लिये हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे। उन सुविधाओं को देने के बाद में उनके जीवन स्तर को ठीक करने और उनके अन्दर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश के लिये मैं अधिका-

(श्री हरिदेव जोशी)

रियों से कह रहा हूं। अलग-अलग ढंग से थोड़े दिनों के बाद में आर. पी. एस. आफिसर्स की मीटिंग होने वाली है उनके साथ बैठकर भी हम बातचीत करना चाहते हैं, बात करके उनके मानस में यह बिठाना चाहते हैं कि वे किस काम के लिये हैं. क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। उनकी जिम्मेदारियां राजस्थान की जनता के प्रति हैं। अगर वे राजस्थान की जनता की ठीक ढंग से, सहानुभूति से सेवा करते हैं तो उनके प्रति एक सरकार की भावना बनती है लोगों के मन में इसी प्रकार से उसके बाद में हम यह चाहते हैं कि वे अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के साथ चर्चा करें। मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं कि अगर निरन्तर इस प्रकार की कोशिश की जाती रहे तो परिस्थितियों में फर्क आयेगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कई कामचोर हैं, कई लोग भ्रष्ट हैं पर हम उन लोगों को कन्डेम करके, बुरा कह कर के निकाल नहीं सकते उनके दोषों को बता करके, उनके साथ सख्ती ला करके और एक प्रकार से सुधार का तरीका ला करके, एक प्रकार से दण्ड दे करके उनमें सुधार लाया जा सकता है और पिछले दिनों में हमने इस दिशा में कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स के जरिये कई बातों को कहा। मेरे पास में विभाग के द्वारा सारे के सारों का जवाब रखा है। मैं इन सबको पढ़ने की कोशिश करूं, आज की तारीख बदलने वाली है, बहुत लम्बा हो जायेगा। मैं अपनी ओर से माननीय सदस्यों को इतना ही निवेदन करूंगा कि जवाब से उनको सन्तोष है तो वह इससे सन्तोष कर लें।

(12.00 रात्रि)

अगर उनको सन्तोष नहीं है तो मुझे लिखें, मैं अपनी ओर से जो यहां पर आफिसर्स आये हैं उनको भेजूंगा और यह कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों से सम्पर्क किया जाए। माननीय सदस्यों के साथ बैठकर यह कोशिश की जाए कि इस तरह की शिकायतें हैं उनका समाधान हो। अध्यक्ष महोदय...

श्री अब्दुल अजीज : जो कम्युनल राइट्स में नुकसान हुआ है, उस पर सरकार क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री जी का जवाब होने दें, उसके बाद कहें।

श्री हरिदेव जोशी : दो-तीन बातों की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें पुलिस का भी रोल है, जिसमें हमारा भी रोल है। वे समस्यायें साम्प्रदायिक समस्यायें हैं, जातिगत विद्वेष की समस्या है, जब तक हम लोग मिलकर के इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे किन्हीं भी स्थिति में अकेली पुलिस इन चीजों से एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं निपट सकती। अनेक घटनायें ऐसी हैं जहां अगर राजनेता अपनी ओर से कोशिश करते तो उनको टाला जा सकता था, मगर चाहे मैं हूं तो और चाहे दूसरा हो तो इस दिशा में अगर ध्यान नहीं दें तो वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ घटनायें ऐसी हैं जिनकी बाबत में ऐसा समझता हूं कि हम बहुत एक्जोरेट करके उन

(श्री हरिदेव जोशी)

चीजों को देखते हैं जैसे धौलपुर के जिस्म फरोशी की बात यहां पर कही गई। झूठ हो मैं ऐसा नहीं कहता, गलत हो मैं यह नहीं कहता मगर पिछले दो वर्षों में इस चीज को देखने की कोशिश की है, पुलिस ने सर्तकता बरतने का प्रयत्न किया है। प्रेस में जब से आया है राजस्थान सरकार की ओर से दो तीन साल से बराबर कोशिश की गई है और पिरियोडिकल चैक इस तरफ रखा जा रहा है।

इसी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पर हमारा बोर्डर है, वह बहुत लम्बा है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। दो-तीन शक्तियां हैं जो वहां काम करती हैं। पाकिस्तान के बोर्डर से लगी हुई बोर्डर सिक्योरटी फोर्स है जो पहली शक्ति के रूप में हमारी सुरक्षा पक्ति है और वहां पर काम करती है। उसके बाद में हमारी पुलिस है। जितना बड़ा बोर्डर है, मैं महसूस करता हूं कि उसके अन्दर जितनी अधिक फोर्स होनी चाहिए उतनी हमारी पुलिस फोर्स नहीं है। पिछले एक-डेढ़ वर्ष के अन्दर स्मगलिंग की कई शिकायतें वहां पर आई हैं, लोग पकड़े गये हैं, माल पकड़ा गया है। हमारी ओर से यह कोशिश है कि हम उसे और इन्सट्रक्शन करें अपने बल को और यह तस्करी बन्द हो सके इसकी कोशिश करें। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान के कुछ हिस्से और हैं, करौली है, धौलपुर है अथवा उत्तर-प्रदेश से मिला हुआ इलाका है जहां डकैतियां आम तौर पर होती हैं। इसमें काफी सुधार आया है। कई गैंग पकड़े गये हैं। कइयों में कोशिश यह की गई कि उनको पकड़ा जायं। पिछले वर्षों में इस दिशा में सुधार हुआ है और मैं यह आशा करके चलता हूं कि और अधिक सुधार होगा। जो कमियां रह गई हैं उनको और दूर करने की कोशिश करेंगे, और अधिक उपयुक्त लोगों को वहां पर लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे आर. ए. सी. की फोर्स वहां पर तैनात है। कई माननीय सदस्यों ने नई चौकियां खोलने के बारे में सुझाव दिया है। जो प्रोविजन इस वर्ष का है उसको ध्यान में रखकर अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो करेंगे। हम यह प्रयत्न करेंगे कि चौकियां बढ़ावें, थाने बढ़ावें अफसर बढ़ावें, इसी प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि यहां पर पुलिस फोर्स के मैस अलाउंस, रहने की स्थितियां ठीक नहीं हैं उनको सुधारा जाये। हमारी कोशिश है जो अपने वित्तीय साधन हैं उन वित्तीय साधनों की सीमा में रहकर हम इस दिशा में काम करेंगे और जितना भी हो सके। उनकी अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मैं अभी तत्काल बहुत ज्यादा नहीं, मगर इस समय कांस्टेबल के स्वीकृत पदों के 12.5 प्रतिशत को क्लास हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। अब मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि इसको बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। यह व्यवस्था 1-8-1985 से लागू की जायेगी। अन्य सुविधाओं को बढ़ाने में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की एक मात्र सीमा है, फिर भी पुलिस स्टेशनों और पुलिस लाइन पर पानी, बिजली, शौचालयों,

(श्री हरिदेव जोशी)

कामगारों की सुविधा के लिए अतिरिक्त साढ़े सात लाख रुपये की स्वीकृति दी जायेगी। वर्तमान में पुलिस ऊंट सवार को 80 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है यह बहुत ही कम है इस भत्ते में 1-7-85 से वृद्धि कर के 125 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। इसी प्रकार वर्दी धुलाई भत्ता सन् 1979 से दस रुपये प्रति माह चला आ है बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए इस भत्ते को बढ़ाकर 1-8-85 से 15 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। पुलिस फोर्स में वायर लेस स्टाफ बहुत दूर और एकान्त स्थानों पर रहते हैं, उनकी इस कठिन ड्यूटी को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करके इस विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मियों के भत्ते में यथोचित वृद्धि की जायेगी और वह 1-8-85 से लागू होगी। पुलिस फोर्स को दी गई इन सुविधाओं के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त भार लगभग तीस लाख रुपये का आयेगा। अध्यक्ष महोदय यह तो एक स्नैप डिसिजन है जिसको किया है मगर मैं यह कोशिश करूंगा कि पुलिस फोर्स के आवास, उनके रहने और मैस अलाउंस के बाबत में हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने डीग के गोली काण्ड के बारे में कुछ चर्चा की। मैं चार तारीख को इसके बारे में काफी बात कह चुका था, अपनी ओर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ओर से इसमें कहीं किसी चीज को टालने की बात नहीं है, न हम इसको किसी प्रकार का कोई इश्यू बनाना चाहते हैं। मैंने आज ही सी. बी. आई. को वायरलेस मैसेज करके इस प्रकार का वायर लैस मैसेज किया है।

"Reference our letter dated 4th July, 1985 regarding case relating to the murder of Raja Mansingh and two others. I have been....

'I mean's Secetary the Chief Minister.

"....I have been directed by the Chief Minister to process this matter further regarding issue of sanction for prosecution by the the State Government. Shall be grateful if you will kindly depute the concerned officer with all the relevant records to discuss the case with me on monday, 15th July, 1985, at 11 A. M. in my office in the Secretariat. Kindly confirm by the return wireless."

हमने अपनी ओर से उनको यह कहा है कि वे अगले सोमवार के दिन अपने रिकार्ड और सारी चीजों को लेकर आ जायें और आकर के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, जिसको मुख्य मन्त्री के सचिव कोडिनेट करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो भी इश्यू पेंडिंग हैं उसको लिखा-पढ़ी में नहीं बल्कि एक्रोस दी टेबल बैठकर सोर्ट आउट कर लें, और जो सरकार को सेंक्शन देनी है वह स्वीकार करदी जाये

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मै फिर माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ओर से इसमें विलम्ब करने में या सेंक्शन देने मे कहीं वो बात नहीं है हम तो केवल एक ही चीज चाहते हैं कि कानून के अनुसार जिस कागज के ऊपर हमको दस्खत करना है उस कागज पर दस्तखत करने में हमको सुविधा हो जाये। यही मुझे निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और भी जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों को हम अपनी ओर से इम्पलीमेंट करने की कोशिश करेंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि पुलिस एक शक्ति के रूप में, एक सहायक के रूप में राज्य के सामने आये और लोगों की मदद कर सके।

धन्यवाद।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जीने अभी यह कहा कि उन्होंने वायरलैस मेसेज देकर सी. बी. आई. को 15 तारीख को अपने कार्यालय में अपने सचिव से बात करने के लिये बुलाया है। आपको मालुम है कि 3 तारीख को हमने इस मामले को उठाया, 4 तारीख को बात हुई और मुलजिम छूट गये जमानत पर और उसके बाद आज तारीख 11 है, 8 दिन निकल गए। उस बीच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और आज आप जानते थे मुख्य मंत्री महोदय कि पुलिस की डिमाण्ड आयेगी और यह सवाल जरूर उठेगा। सदन के चारों ओर से इस सवाल को उठाया गया है, विरोधी पक्ष के द्वारा भी और कांग्रेस पक्ष के द्वारा भी और फिर भी हमें कोई गिला नहीं है। आखिरकार जब मुलजिमों को छुड़ा दिया आपने, फिर भी आप मामले को इतना लम्बा खींच रहे हैं यह साफ तौर से जाहिर करता है कि इस मामले को सदन जब तक चले तब तक आप लम्बा करते रहेंगे। बाद में मामले को बिल्कुल पंचर करके इस मामले में बिल्कुल दम नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर पर आप मुलजिमों को बचाना चाहते हैं और इस स्थिति को हम कतई बरदाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण से आपको देरी आ रही है और आप सेंक्शन नहीं दे पाये और इस काम में देरी करते चले जा रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, 4 तारीख को सी. बी. आई. को चिट्ठी लिखी गयी थी। उस चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं आया है। हमने इन्तजार किया जवाब नहीं आने के कारण से यह वायरलैस मेसेज दिया है कि वह चिट्ठी का जवाब नहीं देकर खुद ही आ जायें, सारे रेकर्ड को लेकर खुद आ जायें और एक्रोस दी टेबल बैठकर सारी चीजों को साफ कर लें। इससे मैं समझता हूं कि डिले नहीं होगी बल्कि जल्दी हो जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या जल्दी हो जायेगा।

श्री माणक चन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार प्रासीक्यूशन की मंशा रखती है तो धारा 197 सी. आर. पी. सी. के तहत

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

आपने अब तक जो भी कम्युनिकेशन उनको किया है और आज भी आपने जो भी वायरलैस मेसेज उनको दिया है। आपके द्वारा यह भी बयान दिया गया कि सी बी. आई. चाहे तो संशोधित चालान पेश कर दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी. बी. आई. 18 मुलजिमों का चालान करना चाहती है राज्य सरकार जाने अनजाने में यदि इस निष्कर्ष पर आई है कि 18 मुलजिम नहीं हैं कुछ मुलजिम कम हैं, 2 कम हैं, 3 कम हैं, 10 कम हैं, जितने मुलजिमों के बारे में राज्य सरकार मन बना चुकी है कि यह दोषी हैं, धारा 302 आई. पी. सी. के दोषी हैं, कत्ल के दोषी हैं – मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज, अध्यक्ष महोदय, बाल राजस्थान सरकार की कोर्ट में है। सी. बी. आई. ने आपसे इजाजत मांगकर यह बाल आपके कोर्ट में डाल दी और 3 तारीख को इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी यह सवाल उठाया गया, श्री यदुनाथ सिंह जी के द्वारा सवाल उठाया गया, अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा सवाल उठाया गया फिर भी आपने उस दिन भी जब की वक्त था आप सेंक्शन तत्काल दे सकते थे, आपने सेंक्शन नही दी और अब 4 तारीख को 90 दिन के बाद उनकी जमानत हो गयी। उसके बावजूद आज तक, 90 दिन नहीं हुए 79 दिन हुए–अब तो 8 दिन और गुजर गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने मुलजिमों के लिए आपकी राय बन चुकी है आप क्यों इन्तजार करते हैं 12 तारीख का, क्यों इन्तजार करते हैं आप 15 तारीख का। राज्य सरकार के भले में भी यह है वह तत्काल सेंक्शन दे और जिन लोगों को आप मुलजिम मान चुके हैं उनके लिए सेंक्शन दें। आपके सेंक्शन नहीं देने से मुकदमा चल नहीं सकता सी. बी. आई. इस बात को जानती है और इसलिए कोई कोर्ट हिन्दुस्तान की उसमें काग्निजेन्स नहीं लेगी। धारा 197 की बार है कि कोर्ट काग्निजेन्स नहीं ले सकती तो बाल आपके कोर्ट में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस बाल को यदि आपने कोर्ट से निकालना चाहते हैं और अपना दामन साफ रखना चाहते हैं तो आपको तत्काल सेंक्शन जारी करनी चाहिए। 10 की, 12 की, 13 की, 15 की जितनी भी आप मुलजिम समझते हैं। कल ही आप सेंक्शन जारी करें। इस सदन में जो कहा गया कि जिन को आप मुलजिम मान चुके हैं उनकी सेंक्शन जारी करने में क्यों उनसे बात करते हैं। यदि अदालत उनको निर्दोष पायेगी– आपकी सेंक्शन जारी करने से अदालत उनको फांसी की सजा नहीं देगी। वहां ट्रायल होगी, शहादत होगी। इसलिए आप सिर्फ काग्निजेन्स की सुविधा दे रहे हैं। अदालत न्याय करेगी। जो भी हिन्दुस्तान में रूल आफ ला है. उसके हिसाब से न्याय हो जायेगा। आखिर आपके सेंक्शन से फांसी की सजा नहीं होने वाली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल आफ ला आगे बढ़े, लोगों का विश्वास सरकार में रहे और भविष्य में भी पुलिस आसानी से किसी विधायक को जो चाहे 5 साल रहा हो, 10 साल रहा हो, किसी पब्लिकमेन को, किसी साधारण नागरिक को जो कि देश का मालिक है आज जनता राजाओं के शासन काल में जो रियाया होती थी वह रियाया नहीं है। आज जनता सावरन है और हम लोग उनके नाम पर आकर, उनके

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

प्रतिनिधित्व के नाम पर राज्य कर रहे हैं। इसलिए इस रूल आफ ला में आम आदमी का विश्वास हो, जो कि देश का मालिक है बना रहे इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेंक्शन तत्काल जारी की जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह गुजारिश करता हूं कि जो राजस्थान में गुजरात में जैसा होता रहा है और राजस्थान में हुआ है, मैं चाहता हूं कि ऐसे मासूम लोग जिनको भारी नुकसान उठाना पड़ा जानोमाल का उनके लिए सरकार बराये मेहरबानी रहमदिली से काम करे। मेरे पास काफी लम्बी सूचना है। आप खुद बुजुर्ग हैं, संजीदा हैं, मैं आपका ध्यान इसी तरफ दिलाना चाह रहा हूं।

जयहिन्द।

श्री फूलचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका क्या रह गया ?

श्री फूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोई लम्बे समय से अधिकारी अगर रह रहा हो और जनता उसको दोषी मानती हो, उसके खिलाफ बीस बीस इस्तगासे कोर्ट में कर रखे हों और आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हो रही हो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मुख्य मन्त्री जी से आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो आप कहें।

श्री फूलचन्द : .... थाना प्रभारी नीम का थाना जो लम्बे समय से रह रहे हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं आज तक उस थानेदार को नहीं हटाया जा रहा है और जनता बहुत परेशान है। क्या आप इस पर कार्यवाही करने की मशा बना सकते हैं, क्या उस पर कोई कार्यवाही कर सकते हैं। मैं सदन की मेज पर उनके खिलाफ जो सारी शिकायतें हैं वह लिख कर पेश कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से। मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा है कि हम डाकू उन्मूलन के लिए प्रयास कर रहे हैं, चौकसियां बढ़ा रहे हैं जैसे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में पुलिस की गश्त और चौकियां बढ़ाने के साथ ही साथ डाकुओं को आत्म समर्पण के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सबंध में क्या राजस्थान की सरकार उन डाकुओं को जो कि राजस्थान सीमा में सक्रिय हैं आत्म समर्पण कराने के लिए प्रयास करेगी ? इस समबंध में आपकी क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : श्री छंगानी जी।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की डिमाण्ड पर मुख्य मंत्री जी बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। सही बात यह है कि हम उनसे बहुत अपेक्षा करते थे....

श्री अध्यक्ष : 12 ।। बज गए फिर भी,

श्री मोहन छंगाणी :........बहुत ही सस्ते में छूट रहे हैं। हम तो सोचते थे कि पुलिस कमीशन के जो प्रस्ताव थे उन पर कुछ न कुछ मुख्य मन्त्री जी मंजूर करेंगे। आज कान्सटेबल को डी. वाई. एस. पी. तक होने का प्रमोशन मिले, उनको सुख सुविधायें, कान्सटेबल के बारे में मैस वगैरह का कुछ न कुछ ऐसा अनाउन्समेन्ट करेंगे ताकि हमको मालुम पड़े कि होम मिनिस्ट्री की काफी इम्पारटेन्ट डिमाण्ड है और मुख्य मन्त्री जी प्रेम की बातें करके ही आज छूट रहे हैं इसका, अध्यक्ष महोदय, अफसोस है। कुछ न कुछ ऐसा अनाउन्समेन्ट जरूर करेंगे चाहे तनख्वाह के बारे में, चाहे उनकी सुविधाओं के बारे में, चाहे और किसी चीज के बारे में, चाहे कम्युनिकेशन के बारे में ताकि माडर्नइजेशन या जो भी प्रस्ताव हैं पुलिस कमीशन के जिनकी मुख्य मन्त्री जी को खुद जानकारी है उनके बारे में हमें भी खुशी है कि आज पुलिस का जो आचार हम बनाना चाहते हैं कि पुलिस हर बात में सक्षम होगी, इन्डीपेन्डेन्ट रहेगी और वह स्टेट का एक इम्पारटेंट मेगनिया रहेगी न कि पार्टी का। इस तरह से हम चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी कुछ न कुछ घोषणा करें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पुलिस के कम्युनिकेशन को बढ़ाने, मोबेलिटी को बढ़ाने, लिविंग कन्डीशन्स को बढ़ाने और प्रमोशन चान्सेज ज्यादा बढ़ाने के बाबत जो बातें कही हैं गवर्नमेंट परिचित है इस चीज से। कई प्रस्ताव इस बजट में हैं और जो कुछ नहीं हैं और हमें लगा उसके बारे में अभी कहा ही है। जहां तक डाकुओं के समर्पण का सवाल है कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है....

श्री नाथूसिंह : करिये।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है कि डाकुओं का समर्पण किन्हीं लोगों की मार्फत होता है ऐसी कोई खबर आई नहीं है। आपके पास हो तो सूचना दे दीजिये।

श्री नाथूसिंह : मैं आपको सहयोग करूंगा इस सम्बन्ध में।

एक माननीय सदस्य : आप तैयार कराकर ले आयें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मन्त्रीजी बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, डीग केस के बाबत में माननीय सदस्य ने कहा, मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे कोई एड करने की बात नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी ओर से जो चार तारीख को पत्र लिखा है उसका उत्तर आया नहीं है क्योंकि उत्तर नहीं आया है इसलिये हमने अपनी ओर से कहा है कि आप यहां आ जायें। सेटरडे सन्डे को वहां दिल्ली में छुट्टी होती है, कल शुक्रवार है, कल वे आ नहीं सकते थे इसलिये हमने सोमवार की बात कही है, जितनी जल्दी उनको सुविधा होगी। फिर भी यदि वे जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी बैठ जायेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : मामला यह नहीं है। इतनी आसानी से प्यार भरे शब्द कह कर इस बात को टाला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, चार तारीख को मुख्य मंत्री जी ने कहा था, इनकी प्रोसीडिंग्स निकलवा लीजिये, उस दिन की, उस तारीख की प्रोसीडिंग्स पढ़िये इन्होने कहा था कि पुलिस सारे 18 आदमियों का चालान करना चाहती है। माननीय सदस्य ने बहुत रेलेवन्ट प्रश्न उठाया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये मैंने एक–एक शब्द तीन–तीन चार-चार बार पढ़ा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था सी. बी. आई सारे 18 आदमियों के खिलाफ चालान करना चाहती है और पांच आदमियों का जो पांच आदमी वहां मौजूद नहीं थे उनका भी चालान करना चाहती है। 13 आदमियों की परमिशन क्यों नहीं निकाल देते। बाकी का इन्वेस्टीगेशन होता रहता। बाकी के बारे में क्लेरीफिकेशन लीजिये। मुख्य मन्त्री जी आज ही घोषणा कीजिये कि जो 13 आदमी आपने आइडेन्टीफाई कर लिये हैं वे अभियुक्त हैं उनके लिये परमिशन दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कहा था यह एक बहुत हाई लेवल ड्रामा हुआ है। यह हाई लेवल ड्रामा है सी. बी. आई. पर शक जाता है। 90 दिन हुए नहीं ज्युडिशियरी पर भी शक जाता है, जोड़ दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : मेरा आरोप है कि उनको छोड़ दिया गया 13 आदमियों को वे गवाहों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आतंक बढ़ा रहे हैं। इतनी आसानी से मुख्य मन्त्री जी आप यहां से नहीं जा सकते। आप उनकी परमिशन दीजिये। बाकी के जो आप क्वेरी करायें उनकी क्वेरी करिये। 13 आदमियों की इजाजत देने में आपको क्यों हिचक हो रही है इसका जवाब देकर जायें। आप। कानून में कहां रोक हो रही है ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब मांगा है मैंने।

श्री अध्यक्ष : मुख्यी मन्त्री ने जवाब दे दिया, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : यह क्या जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : कहीं कानून में रोक है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : ऐसे नहीं बैठा सकते। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये कि 13 आदमियों के खिलाफ चालान पेश करने में देरी क्यों हो रही है...

(व्यवधान)

(313)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुख्य मन्त्री ने जवाब दे दिया।

श्री यदुनाथसिंह : 13 आदमियों के बारे में क्यों नहीं परमिशन दी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : अब तो स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, जब तो सी. बी. आई. इनके पीछे-पीछे फिर रही थी, अब सी. बी. आई. घर पर बैठ गई है और यह कह रहे हैं कि हमने उनको वायरलेस मैसेज दिया है। दोनों की मिली भगत है····

श्री यदुनाथसिंह : यह दोनों का रोमांस चल रहा है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : राज्य सरकार और सी. बी. आई. का रोमांस चल रहा है. अध्यक्ष महोदय····यह कोई चलने वाला नहीं है········अध्यक्ष महोदय, मांग पारित नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार तारीख को चालान पेश हुआ है अधूरा।

श्री अध्यक्ष : सारे दिन की डिबेट को आपने ऐसा कर दिया·······मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है··

श्री यदुनाथसिंह : आपको सारे दिन की डिबेट की पड़ी है। काहे के लिये डिबेट करते हैं। पिछली बार भी यह मामला उठा। यहां लगातार तीन साल से भरतपुर में गोली काण्ड हुए, लोगों को भूना जा रहा है····

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह :····और वहां जब लोग आंदोलन करते हैं तो गोली से भूना जाता है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मुल्जिमों को छोड़कर जो शंका पैदा की है, अपने पर भी और राज्य सरकार पर भी, और इस तरह का दिखाई दे रहा है रोमांस चल रहा है सी. बी. आई. सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट का। सब कुछ धरा धराया था, सब कुछ ऐसा स्मूथली निकल गया····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, हत्यायें होगी, लोग फिर मरेंगे। उनका एजीटेशन होगा। जवाब दिलवाइये उनके बारे में····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं बैठूंगा अध्यक्ष महोदय। नहीं बैठता।

(व्यवधान)

Page No 314

(314)

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 81,66,86,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही 12 जुलाई, 1985 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 12.27 बजे, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न सं. 211 की सूची

(निर्वाचन क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1974–75 में हरिजनों को निःशुल्क आवसीय भू-खण्ड आवंटन)

(तहसील लक्ष्मणगढ़)

क्र. सं.	नाम ग्राम	हरिजनों की संख्या जिन्हें आवसीय भू-खण्ड आवंटित किये गये।	हरिजनों को संख्या जिन्हें भू-खण्डों पर कब्जा दिया गया।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	भदीरा	5	5	
2.	बडका	20	20	
3.	मेथना	70	70	
4.	बिसई	42	42	
5.	मानखेडा	5	5	
6.	ककरोडी	22	22	
7.	इसरोता	20	20	
8.	दुबेरी	22	22	
9.	भरीथल	36	36	
10.	रेटी	15	15	
11.	तसई	98	98	
12.	हनीपुर	5	5	
13.	दांतिया	23	23	
14.	सोखर	157	157	
15.	सालवाडी	11	11	
16.	पीपलखेडा	6	6	
17.	मेंदपुरा	1	1	
18.	गहलावता	31	31	
19.	सीखरेल	30	30	
20.	बहरामपुर	54	54	

1	2	3	4	5
21.	सहजपुर	31	31	
22.	खेड़ामेव	6	6	
23.	भोजपुरा	15	15	
24.	सोखरी	17	17	
25.	कालवाड़ी	36	36	
26.	मसावा	19	19	
27.	नुनिया	7	7	
28.	बसेड	8	8	
29.	लाडकी	1	1	
30.	दोरोदा	14	14	
31.	नगला माधोपुर	58	58	
32.	मसारी	84	84	
33.	मारु	18	18	
34.	मुकन्दपुरा	6	6	
35.	सायपुर	7	7	
36.	उछर	9	9	
37.	सेहरा	12	12	
38.	पाखार	47	47	
39.	गोठडा	3	3	
40.	हरसाना	155	155	
41.	बिचगांवा	42	42	
42.	भनोखर	17	17	
43.	सन्तोकपुर	1	1	
44.	खोह	5	5	
45.	सहाडी	26	26	
46.	घोसराना	8	8	
47.	सिटाहेडा	12	12	
48.	टोडा	5	5	
49.	राजपुर	3	3	
50.	रानोली	29	29	
51.	टिटपुरी	31	31	
52.	दगालपुरा	2	2	
53.	इन्द्रावली	17	17	
	कुल योग-	2404	2404	

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सुजानगढ़ में सैकण्डरी शिक्षा की पूरक परीक्षाओं के केन्द्र

214. **श्री चुन्नी लाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सुजानगढ़ में सैकण्डी व हायर सैकण्डरी पूरक परीक्षाओं के केन्द्र हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इससे गरीब छात्र-छात्राओं को बहुत कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या कुछ अन्य स्थानों पर जो जिला केन्द्र नहीं हैं, पूरक परीक्षाओं के केन्द्र है ? यदि हां, तो केन्द्र खोलने के क्या आधार हैं ?

(3) सुजानगढ़ में कब तक पूरक परीक्षाओं के केन्द्र खुल जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाओं के लिए केन्द्र निर्धारित करने सम्बन्धी नीति के अनुसार साधारणत: जिला मुख्यालयों पर ही पूरक परीक्षा केन्द्र रखा जाता है । पूरक परीक्षार्थियों की संख्या यदि अधिक होती है एवं जिला मुख्यालयों पर उनके बैठने की व्यवस्था किया जाना सम्भव न हो तो उस जिले में दूसरे सुविधा-जनक स्थान पर केन्द्र खोलने का विचार किया जाता है । उपरोक्त नीति के आधार पर अभी केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है ।

(2) जिला मुख्यालयों के अलावा अभी केवल दो स्थान सवाईमाधोपुर जिले में गंगापुर सिटी एवं झुन्झुनु जिले में चिड़ावा पर पूरक परीक्षा केन्द्र हैं । सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय जिले के कौने में होने के कारण छात्रों को वहां तक पहुचने में कठिनाई होती है एवं सभी परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था के लिए समुचित स्थान के अभाव के कारण सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी को पूरक परीक्षा केन्द्र बनाया गया है जहां जिले को हर क्षेत्र से आवागमन के पर्याप्त साधन सुलभ एवं परीक्षार्थियों को बैठने की समुचित सुविधा उपलब्ध है । झुन्झुनु में पूरक परीक्षाओं के दिनों में राणी सती का वृहद् मेला लगने के कारण स्कूल भवन का परीक्षा के लिए उपलब्ध न होने एवं परीक्षार्थियों की मेले के कारण उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए झुन्झुनु जिले में पूरक परीक्षा केन्द्र चिड़ावा को रखा गया है ।

(3) वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

रीको द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली

215. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) का विभिन्न उद्योगों को दिये गये ऋण के करीब 10 करोड़ रुपये वसूल नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो जिन उद्योगों में रुके हुये हैं, उन उद्योगों के मालिक, साझेदार, डायरेक्टर्स की सूची मय नाम एवं ऋण की रकम के साथ कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) रीको ने किस किस उद्योग को कितना कितना रुपया दिया है, तथा किस किस उद्योग में किस-किस कम्पनी और फर्म के साथ साझेदारी में काम है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) रीको द्वारा स्वचलित तथा रीको की साझेदारी में चलित उद्योग में कितना रुपया लगा हुआ है, तथा किस उद्योग से कितनी कितनी लाभ-हानी हो रही है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) रीको की 190 ईकाईयों में 769.72 लाख रुपयें मूल एवं 682.53 लाख रु. ब्याज के बकाया है। जिन उद्योगों में राशि बकाया है उनके प्रवर्तक आदि के नाम मय ऋण राशि एवं देय राशि के विवरण को सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रीको द्वारा किस-किस उद्योग को वित्तीय सहायता दी गई है एवं किस-किस के साथ संयुक्त क्षेत्रीय साझेदारी है का विवरण प्रश्न भाग –1 के उत्तर में दी गई सूची के कालम सं. 4 से 7 में अंकित है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

रीको द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थिति तथा प्रवर्तक का नाम	परियोजना लागत	रीको सहायता				बकाया	
			सावधि ऋण		अंश पूंजी		मूलधन	ब्याज
			स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरण		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राज. फास्फोरस केमिकल्स लि., उदयपुर।	431.00	–	–	50.70	3.14	–	–
2.	आयशर गुडअर्थ लि., अलवर श्री विक्रम लाल	108.00	60.00	48.00	–	–	–	1.85
3.	अरावली सिलेण्डर्स (प्रा) लि., भिवाड़ी श्री एम. पी. महिपाल	85.40	54.00	51.00	–	–	2.00	5.62
4.	ओम स्ट्रक्चर्ल्स इण्डिया (प्रा) लि., कोटा श्री कुलदीप के.	41.69	25.50	12.50	–	–	–	–
5.	परसराम पुरिया सिंथेटिक्स लि., भिवाड़ी श्री ओ. परसरामपुरिया	710.00	–	–	24.85	24.85	–	–
6.	सफारे इण्डिया (प्रा) लि., भिवाड़ी श्री कुलभूषण, श्री आर. के. चोपड़ा	78.00	15.40	15.40	–	–	–	–
7.	एक्सलों यूनाइटेड क्लच प्रोडक्ट्स (प्रा) लि., अलवर	266.00	–	–	15.00	15.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	कलसन इन्जिनियरिंग इण्ड., (प्रा) लि., जयपुर श्री कल्याण सहाय शर्मा	67.00	44.50	35.00	4.50	–	3.00	6.73
9.	श्ररुण माइका इण्ड. लि., गुलाब-पुरा, भीलवाड़ा श्री विनय चोरडिया	83.20	28.80	27.10	2.00	2.90	–	0.55
10.	कोहीनूर मार्बल्स (प्रा) लि., मकराना श्री करनेल सिंह	72.35	24.20	24.20	24.20	–	–	1.64
11.	सिएट्रोन इण्डिया (प्रा) लि.; भिवाड़ी श्री एस. के. सिंह	95.50	53.50	7.00	2.60	–	–	–
12.	पारस लेमीनेट्स (प्रा) लि., भिवाड़ी श्री एस. के. जैन	77.86	38.68	34.00	–	–	–	–
13.	केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लि., टोंक श्री एम. श्रार. सेठ	127.65	65.00	50.00	5.70	5.00	–	–
14.	कृष्णा फोज एण्ड स्टेम्पिंग्स (प्रा) लि., श्रलवर श्री श्रार. एस. खेरा	115.50	50.00	44.00	–	–	–	–
15.	श्ररविंद प्रेस केप्स लि., भिवाड़ी श्री ए. के. नेवर	65.60	47.00	38.20	2.70	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	गौतम प्रोसेसर्स (इण्डिया लि.) भीलवाड़ा श्री डी. एस. रांका	99.10	56.00	45 00	2.00	2.00	—	—
17.	महेश्वरी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स लि., मकराना श्री एम. आर. डागा	70.00	25.00	—	11.35	—	—	—
18.	स्वास्तिक सूटिंग लि., भीलवाड़ा श्री सुभाष बहरिया	146.00	62.00	47.00	3.00	3.00	—	—
19.	कॉर्पोरेट लि., बहरोड़ श्री सन्तोष बगड़िया	165.00	60.00	45.00	—	—	—	—
20.	यूनिक इण्डिया साल्वे (प्रा) लि., भिवाड़ी श्री एच. बी. चुग	51.20	17.00	—	—	—	—	—

Page No 322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	सिरोही सीमेण्ट (प्रा) लि., सिरोही श्री जी. पी. गोयल	180.00	90.00	24.00	—	—	—	—
22.	विण्टर मिश्रा डायमण्ड टूल्स (प्रा.) लि., भिवाड़ी श्री मधुहि मिश्रा	137.50	60.00	48.00	—	—	—	—
23.	चेतन फनोकोट्स (प्रा.) लि. भिवाड़ी श्री हुसिल वरगम	62.50	38.80	27.00	—	—	—	—
24.	एलीगेण्ट मार्बल्स (प्रा.) लि., आबूरोड सिरोही श्री राजेश एस. अग्रवाल	85.00	28.25	16.50	—	—	—	—
25.	सिद्धार्थ मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स (प्रा.) लि., मकराना	76.00	30.00	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	संगम प्रोसेर्स लिमिटेड, भीलवाड़ा श्री आर. पी. सोनी	154.37	67.90	30.00	4.00	–	–	–
27.	खेरा रिफाइनरीज लि., अलवर श्री वी पी. सेठी	134.70	59.70	35.00	–	–	–	–
28.	श्रोम मार्बल्स (प्रा.) लि., आबूरोड श्री डी. के. अग्रवाल	151.90	71.25	–	2.00	–	–	–
29.	डेप्स कायोजीनिक्स (प्रा) लि., भिवाडी श्री मेजर जनरल एस. पी. दोहरा	182.00	60.00	–	4.00	–	–	–
30.	स्वपमिका टाइल्स (प्रा) लि., सिरोही श्री प्रकाश शर्मा	88.20	28.90	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	ओसवाल ग्रेनाइट्स (प्रा) लि., बीकानेर श्री एस. सी. जैन	75.40	35.00	–	–	–	–	–
32.	इन्ट्रोनिक्स कोम्पोनेन्ट्स लि., भिवाडी श्री ईश्वर गारोड़िया	71.60	23.37	–	3.26	–	–	–
33.	राज. पैट्रोसिन्थटिक लि., उदयपुर श्री एस. एस. पोद्दार	730.00	–	–	22.00	–	–	–
34.	एलाईड इलेक्ट्रो. एण्ड मैग्नेटिक्स लि., उदयपुर श्री राजीव के. बापना	132.00	58.00	–	3.40	–	–	–
35.	पैमकेम्स लि., भिवाडी श्री ए. के. मित्तल	409.00	–	–	13.00	20.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	एक्रोप्लास्ट (प्रा) लि., भिवांडी श्री अशोक चौधरी	78.22	31.25	–	3.35	–	–	–
37.	मैग्नाटेक (प्रा) लि., भिवांडी श्री सुनील पटेल	88.65	39.00	–	2.77	–	–	–
38.	राजदर्शन होटल्स (प्रा) लि., उदयपुर श्री राजसिंह	77.50	25.00	–	–	–	–	–
39.	एचएण्के. मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स (प्रा) लि., मकराना श्री राजेश हीराचन्द	56.70	20.00	–	–	–	–	–
40.	नेवर मार्बल्स इण्ड. (प्रा) लि., आबूरोड श्री एस. बी. नेवर	99.00	30.00	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	राजस्थान सिन्थटक इण्ड लि., जयपुर श्री के. जी. बाजोरिया	70.40	32.40	-	-	-	-	-
42.	गनपति प्लास्ट फेब(प्रा) लि., अलवर श्री ए. के. पाबूवाल	69.20	23.30	-	-	-	-	-
42	तेज इण्टरनेशनल (प्रा) लि., भिवाड़ी श्री हरनामसिंह	88.00	40.00	26.00	-	-	-	-
44.	लक्ष्मी मार्बल्स एण्ड मिनरल्स प्र. लि., उदयपुर श्री एल. सी. सांखला	77.20	21.65	-	-	-	-	-
45.	रिलायन्स पोलीटेक्स (प्रा) लि., सिरोही श्री अशोक चौधरी	73.80	24.60	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	आर. के. प्रोसेसर्स लि., उदयपुर श्री आर. बी. काबरा	166.00	75.65	-	-	-	-	-
47.	शिखर पोलीटेक्स (प्रा) लि., आबूरोड श्री सनत गुप्ता	76.70	25.60	-	-	-	-	-
48.	आबूपालीफैक्स (प्रा) लि., आबूरोड	86.30	28 98	-	-	-	-	-
49.	अरावली प्लास्टो पैकर्स (प्रा) लि., आबूरोड श्री आर. एल. अग्रवाल	76.00	25.65	-	2.10	0.00	-	-
50.	टोडी बुलेन मिल्स लि. सीकर श्री वी. एल. टोडी	61.70	-	-	2.10	0.80	-	-
51.	ट्रान्सलैब (इण्डिया) लि. जयपुर श्री ए. आर. खेतावत	88.24	30.00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	गुलशन केमीकल्स लि., अलवर श्री पी. के. जैन	134.60	59.60	—	3.00	—	—	—
53.	गुप्ता लेबोरेटरीज लि., अलवर श्री एम. पी. गुप्ता	86.00	30.00	—	—	—	—	—
54.	देवश्री सीमेंट (प्रा)लि., जोधपुर श्री सी. के. केजरीवाल	288.00	90.00	—	8.48	—	—	—
55.	सनेर मार्बल (प्रा) लि., उदयपुर श्री महेश अग्रवाल	111.50	44.30	—	—	—	—	—
56.	क्राउन सिरेमिक्स लि., अलवर श्री आर. के. सिंघी	95.95	58.60	58.60	2.50	2.50	29.13	13.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	भीलवाडा प्रोसेसर्स लि., भीलवाडा श्री ए.के. बूरीवाल	132.00	38.00	38.00	5.00	5.00	-	-
58.	एस. बी. प्रोपर्टीज एण्ड एण्टरप्राइजेज लि., जयपुर श्री अशोक कुमार	151.00	25.00	25.00	-	-	-	-
59.	मोडर्न सूटिंग लि., अलवर श्री एच. एस. रांका	158.00	57.35	57.35	8.00	8.00	-	-
60.	मंगलम सीमेंट लि., कोटा श्री डी. पी. मालू	2400.00	-	-	60.00	60.00	-	-
61.	मोडर्न सिंटेक्स लि., अलवर श्री एच. एस. रांका	1100.00	-	-	16.40	16.40	-	-

Page No 330

(330)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	श्रीनाथजी मार्बल्स (प्रा) लि., नागौर श्री ए. के. मालपानी	48 70	13.10	-	-	-	-	-
63.	राज प्रायल इन्ड. लि., हनुमानगढ़ श्री एस. के. झुंझनुवाला	59.60	25.89	25.89	2.59	2.59	11.27	9 49
64.	श्री पद्मा पेपर मिल्स लि., अलवर श्री आर. एल. राजगड़िया	190.60	52.00	50.14	10.17	10.17	17·27	9.23
65.	अवेक्स ट्यूब्स (प्रा) लि., जोधपुर श्री पी. एम. चोपरा	82.65	24.40	24.40	-	-	11.38	10.39
66.	बांसवाड़ा टेक्सटाईल्स मिल्स लि., बांसवाडा श्री आर. एन. तोशनीवाल	160.00	60.00	60.00	11.20	11.20	18.75	21.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	श्री राम ग्रायल एक्स-ट्रूसन्स लि., ग्रलवर श्री एन. के केडिया	54.00	15.00	15.00	2.50	2.50	3.75	2.18
68.	सुनील सिन्थेम लि., ग्रलवर श्री एस. एन. खेतान	232.31	58.49	55.99	4.10	4.10	27.73	16.81
69	ग्रार्यव्रत प्लाईवुड लि., ग्रलवर श्री ग्राई जे सांखला	111.62	31.04	30.06	3.23	3.23	15.82	13.53
70	जयपुर ग्लास बोतल एण्ड कन्टेनर्स लि., जयपुर	468.00	-	-	2.46	1.10	-	-
71.	राठी गैसेज लि., ग्रलवर श्री एम. के. राठी	150.60	60.00	60.00	2.50	2.50	-	-
72.	एलेक्ट्रोविस मेटर्स (प्रा.) लि., जोधपुर श्री जी.सी. कानूनगो	199.29	60.00	60.00	-	-	7.50	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.	अर्नेस्ट गैसेज (प्रा) लि., अलवर श्री के. के. सेठी	36.42	16.30	16.05	-	-	-	-
74.	आर. जी. इस्पात लि., जयपुर श्री एन. सी. गुप्ता	142.57	77.50	65.00	-	-	-	-
75.	रिलयन्स केमोटेक्स इण्डसट्रीज लि., उदयपुर श्री एस. एल. सर्राफ	410.00	-	-	18.75	18.75	-	-
76.	सर्राफ पेपर मिल्स लि., अलवर श्री जी. एल. सर्राफ	365.00	-	-	5.00	5.00	-	-
77.	इन्सूलेटर्स एण्ड सिरामिक्स (प्रा) लि., अलवर श्री डा. पी. आर. गुलाटी	79.00	30.53	28.20	-	-	10.50	5.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल्स लि., जोधपुर श्री आर.एस.एम.डी.सी.	76.50	18.24	18.00	19.00	15.64	5.70	11.56
79.	एडवान्स पेपर मिल्स लि., उदयपुर श्री आर. एन. डालमिया	169.10	76.40	60.00	750	6.50	35.00	32.95
80.	प्रकाश पलवाराइजिंग मिल्स लि. अलवर श्री अशोक गोयल	25.86	16.00	15.00	-	-	1.60	0.36
81.	मंजू श्री मिनरल्स (प्रा) लि., मकराना श्री एन. एल. डालमिया	101.00	47.39	42.75	-	-	11.14	7.78
82.	स्वास्तिका वूलन्स इण्डस्ट्रीज (प्रा) लि., अलवर श्री गंगाधर अग्रवाल	44.00	18.00	3.00	-	-	0.51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	उम्मेद टैक्सटाइलस मिल्स (प्रा) लि., जोधपुर श्री गणपति रांड	84.39	13.45	13.45	–	–	3.00	4.47
84.	बक्सी स्टील्स (प्रा) लि., भिवाड़ी श्री ए. एस. बक्सी	172.34	109.70	108.73	–	–	24.72	11.33
85.	भारत एलम्स एण्ड क्रेमीकल्स लि., अलवर श्री ए. सी गुलाटी	283.03	90.00	90.00	–	–	50.44	13.42
86.	टेब इण्डिया लि., अलवर श्री सी. एसी राठोड	96.76	36.56	34.50	2.06	2.06	16.65	14.49
87.	अनसत प्लास्टिक्स (प्रा) लि., भिवाडी श्री अशोक नेवटिया	51.64	4.04	4.04	–	–	–	–
88.	आसाम रोलर फ्लोर मिल्स लि., जयपुर श्री बी. डी. जाजू	66.55	20.00	20.00	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	सुशील टेक्सटाइल्स मिल्स लि. भीलवाड़ा श्री एच. एस. राका	137.25	100.00	81.34	–	–	–	–
90.	फैन्सी स्टोन्स (इण्डिया) उदयपुर श्री संजय शर्मा	70.59	47.00	38.00	–	–	13.61	5.48
91.	विकास वूलन्स मिल्स लि., अलवर श्री पी. एल. गुप्ता	88.68	9.00	9.00	–	–	3.85	4.49
92.	एसोसिएट्स स्टोन (इण्डिया) लि., कांकरोली श्री एस. एल. अजमेरा	95.90	60.00	54.50	–	–	–	–
93.	राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स प्रा. लि., भीलवाड़ा श्री एस. के. मन्सुखा	13.90	12.00	12.00	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.	फाईन मारबल्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि., मकराना श्री एस. एन. मोदी	63.67	42,40	41.00	–	–	5.17	1.44
95.	अलंकत मारबल्स प्रा. लि, उदयपुर श्री सी. एम. माथुर	59.72	38.70	34.92	–	–	0.98	–
96.	डी. जा. नोलय मारबल्स इण्ड. लि., उदयपुर श्री अलीम आहूजा	72.97	46.00	41.18	–	–	13.03	4.72
97.	जय सजीकल्स प्रा. लि. भिवाड़ी श्री बी. एस. सेहगल	112.11	60.00	60.00	–	–	25.71	7·62
98.	अरावली फोरजिन्स लि, भिवाड़ी श्री एफ. सी. मित्तल	143.15	62.75	62.75	3 85	3.85	27.74	10.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.	अजय पेपर मिल्स लि., भिवाड़ी श्री आर. एल. राजगढ़िया	536.00	–	–	12.47	12.47	–	–
100,	सिद्धा सिन्थेटिक्स लि., उदयपुर श्री एस. के. जैन	465.00	–	–	36 75	36.75	–	–
101.	यूनिवर्सल सिलेण्डर्स लि., अलवर श्री नी. एल. शर्मा	42.21	–	–	1.25	1.25	–	–
102.	मेवाड़ टेक्सटाईल्स मिल्स लि., भीलवाड़ा राज्य सरकार द्वारा सचालित	19.76	15.36	11.50	–	–	–	10.63
103.	राजस्थान एक्सप्लासिव एण्ड केमीकल्स लि., धौलपुर (आई.डी.एल. केमिकल्स लि.,)	600.00	–	–	100.00	100.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.	डीडवाना केमिकल्स प्रा. लि., डीडवाना श्री ए. के. मुरेका	111.42	52.00	39 00	-	-	16.50	9.99
105.	अल्कन पार्वस केमिकल्स लि., अलवर श्री सी. के. गुप्ता	93.00	60.00	60.00	3.60	3.60	20.84	26.25
106.	परफैक्ट ग्रेड्स प्रा. लि., उदयपुर श्री एच. एस. बापना	200.90	60.00	60.00	13.75	13.75	15.00	26.53
107.	बांसवाड़ा फैब्रिक्स लि., बांसवाड़ा श्री आर.एन. तोषनीवाल	200.00	60.00	60.00	13.00	13.00	8.58	17.19
108.	मोडर्न वूलन्स प्रा. लि., भीलवाड़ा श्री एच. एस, रांका	141.70	84.80	71.69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.	ओरिएण्ट पावर केबल्स कोटा श्री के. सी. गुप्ता	25.71	21.75	18.21	-	-	-	-
110.	केलिब्रेटर ऑफ इण्डिया लि., अलवर श्री देसाई	3500.00	-	-	50.00	50.00	-	-
111.	सुतसुवन पेपर मिल्स लि., श्री एस. एन. अग्रवाल	148.40	60.00	60.00	-	-	21.7	28.02
112.	सरस्वती मारबल्स एण्ड ग्रेनाइट इण्ड. लि., उदयपुर श्री एस. एम. अग्रवाल	70.00	42.70	41.00	-	-	13.44	0.90
113.	राजस्थान प्रोसेसर्स लि., भीलवाड़ा श्री घनश्याम वासवानी	153.50	90.00	88.00	6.00	6.00	2.00	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.	महावीर एल्युमीनियम भिवाड़ी श्री आर. के. जैन	414.00	-	-	20.00	20.00	-	-
115.	पेस्टीसाइडंस इण्ड. लि. उदयपुर श्री सलील सिंघल	207.00	100 00	100.00	-	-	-	-
116.	डायमण्ड मारबल्स प्रा. लि., उदयपुर श्री आई. एस. जौहर	75.00	18.30	18.30	-	-	6.65	1.86
117.	एस एस. मारबल्स प्रा. लि., नागौर श्री के. के. रीवन	54.00	34.70	33.53	-	-	5.58	1.06
118.	सागर स्पिनिंग मिल्स लि., उदयपुर श्री एस. एम. डूंगर	183.95	60.00	41.00	-	-	4.00	2.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119.	पी. जी. फोवल्स लि., पाली श्री प्रेमराज गणपत राज शाह	325.00	–	–	10.00	10.00	–	–
120.	अशोक ली-लैण्ड लि., अलवर ब्रिटिसली लैण्ड	11917.80	200.00	200.00	–	–	–	5.64
121.	बायर्स फेब्रिक्स लि., जयपुर श्री एस. एन. खेतान	140.20	115.30	52.80	–	–	–	–
122.	जागेटिया पेपर मिल्स लि., भीलवाड़ा श्री जी.सी. जागेटिया	63.76	36.50	36.50	–	–	11.89	15.44
123.	एल. पी. कास्टिग प्रा. लि. भीवाड़ी श्री डी. पी. मेहता भिवाड़ी	73.75	45.00	44.00	–	–	9.00	11.49

Page No 342

(342)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124.	ओरियन्ट एब्रासिब्स लि., श्री एस. सी. राजगढ़िया	382.31	120.00	120.00	–	–	43.09	33.66
125.	मोदी एलोकालीज एण्ड केमीकल प्रा. लि. अलवर श्री वाई. के. मोदी	2670.00	–	–	40.00	40.00	–	–
126.	विडोगेम एण्ड केमिकल्स लि. अलवर श्री एस. के वर्मन,	350.00	–	–	15.27	15.27	–	–
127.	होटल रटनाडा इण्टर-नेशन प्रा. लि. जोधपुर, श्री राव राजा माधो सिंह	115.65	23.50	23.50	–	–	3.92	4.37
128.	ईसीएस पेपर्स लि. भिवाड़ी श्री एस. एन. फतहपुरिया	160.75	60.00	59.50	6.50	6.50	13.00	14.46
129.	टोटो वल्बस इण्ड. लि. भिवाड़ी श्री कुलदीप कपुर	200.00	60 00	54.00	11.00	11.10	40.29	10.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	रितु मिनिरल इण्ड. प्रा. लि. उदयपुर श्री रंगास्वामी	74.40	46.50	45.00	-	-	11.64	9.34
131.	समतल इण्डिया लि., भिवाड़ी श्री एस. के. कवर	942.19	-	-	26.00	26.00	-	-
132.	स्पिनटेक्स ट्यूब एण्ड कोन्स लि., भिवाड़ी श्री जे. पी. सरिया	177.00	55.00	55.00	5.00	5.00	-	11.00
133.	सुप्रिम सिलेण्डर्स प्रा. लि. भिवाड़ी श्री एम. एल. फतहपुरिया	169.00	41.00	41.00	-	-	3.15	2.48
134.	कोटावाला एक्सपोर्ट प्रा. लि. जयपुर श्री प्रमोद कोटावाला	72.32	45.00	35.00	-	-	6.42	12.54
135.	राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टनर्स, जयपुर श्री जी. जी. बाजोरिया	76.50	50.00	50.00	3.75	3.75	2.50	3.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136.	इण्डेग रबर लि. भिवाड़ी श्री...................	852.00	–	–	7.00	7.00	–	–
137.	सुमन सिन्थेटिक्स लि., उदयपुर श्री एन. सी. जैन	167.30	60.00	60.00	5.00	5.00	5.00	6.60
138.	सेरेमिक्स (इण्डिया) लि., अलवर श्री जे. आर. सुब्रमीनाथ	294.00	–	–	19.00	15.00	–	–
139.	स्ट्रा प्रोडेक्ट लि, सिरोही श्री एच. एस. सिघानिया	3872.00	60 00	45.09	–	–	–	–
140.	मारबलेक्स कन्स्ट्रक्शन (प्रा.) लि. उदयपुर श्री दीपक खोसला	54.65	35.50	33.32	–	–	5.92	2.46
141.	वेस्टर्न इण्डिया स्टेट्स मोटर्स लि. जोधपुर श्री अशोक सांगी	56.00	25.00	23.00	–	–	1.96	–
142.	रामपुर इंजि. कं. लि, भिवाड़ी श्री हँस राज गुप्ता	295.00	–	–	20.00	20.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8		9
143.	ममता मारबल्स प्रा. लि. नागौर श्री एस. के. पाण्डे		56.35	25.00	20.00	-	-	-	0.48
144.	निर्मल मारबल्स प्रा. लि., उदयपुर श्री अशोक गर्ग		68.30	31 63	23.23	-	-	-	-
145.	अरावली मारबल्स इण्ड., (प्रा. लि.) नागौर–श्री एन. एम. खात्रे		50.00	32.25	29.00	-	-	-	3.58
146.	अरिस्ट्रो पल्प पेपर लि., बूंदी श्री एस. सी. जैन		177.00	60 00	57.00	9.80	9.80	8.00	8.39
147.	अमानी पाईप्स प्रा. लि., भिवाड़ी श्री बी. सी. जैन		130.00	60.00	60.00	-	-	7.07	3.75
148.	सिटीजन सिल्क मिल्स लि. बांसवड़ा–श्री एस. एल. मित्तल		150.00	60.00	55.00	-	-	-	-
149.	सेन्चुरी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्रा. लि. आबूरोड़, श्री सी. एम. जैन		71.00	39.50	39.50	-	-	-	2.53

1	2	3	4	5	6	7	8		9
150.	आई. एस. मारबल्स इण्ड. प्रा. लि. मकराना ईश्वर सिंह जी		72.00	24.00	22.00	-	-	-	-
151.	भीलवाडा सिन्थेटिक्स लि., भीलवाड़ा श्री ए. के. चुरीवाल		192.60	90.00	90.00	-	-	-	0.56
152.	स्टेण्डफोर्ड इन्जिनियरिंग लि. भीलवाड़ा श्री जे. ए. गांधी		448.00	-	-	14.00	7.50	-	-
153.	लकी प्लास्ट (प्रा. लि.) भीवाड़ी श्री अशोक भरोजा		134.00	65.00	60.00	-	-	-	-
154.	आसुप प्रा. लि. भिवाड़ी श्री एम. के. जैन		50.00	16.50	16.50	-	-	-	-
155.	आर. सी. डीजल्स सिंधिया		179.08	60.00	60.00	-	-	[illegible].00	2.88
156.	अरावली इस्पात लि., अलवर श्री पी. सी. माहेश्वरी		98.41	34.15	34.15	10.00	10.10	21.77	22.13
157.	राजस्थान गलेक्सोल लि. उदयपुर की एन. के. झुंझुनवाला		263.00	99.89	67.42	20.16	20.16	4.44	16.38

1	2	3	4	5	6	7	8		9
158.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स जयपुर रीको		117.92	40.73	40.75	23.11	23.11	28.54	19.43
159.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंशन लि., जयपुर श्री बी. के. अग्रवाल		115.11	60.00	-	19.60	19.60	-	0.03
160.	राजस्थान वूलटेक्स लि., जयपुर श्री बलवन्त सिंह		129.75	85.90	64.53	7.97	4.77	-	12.62
161.	स्टेण्डर्ड वूलन लि., जोधपुर श्री एस. बी. मेहता		181.75	53.00	41.12	6.60	6.60	10.95	15.75
162.	भीलवाड़ा वूलटेक्स लि. भीलवाड़ा श्री एम. के. छायाशाह		93.93	62.71	60.00	6.04	6.04	6.94	7.27
163.	प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लि., जयपुर श्री पी. सी. माहेश्वरी		70.50	42.50	40.77	18.77	17.97	1.56	0.22
164.	इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि., अलवर श्री आर. के. जैन		122.00	52.65	48.50	11.60	11.60	14.55	13.54
165.	लैम्प्स एण्ड लाईटिंग अलवर श्री ओ. पी. मंडिया		191.30	55.00	42.00	25.00	25.00	-	18.23

1	2	3	4	5	6	7	8		9
166.	कल्याण सुन्दरम सीमेंट इण्ड. लि., जयपुर श्री संजय मोदी		200 00	60.00	60.60	7.80	7.80	12.00	10.52
167.	राजस्थान कम्यूनिकेशन लि., जयपुर रीको द्वारा		111.00	50.00	42.00	40.00	40.00	3.36	1.48
168.	बांसवाड़ा सिन्थेटिक्स लि., बांसवाड़ा श्रार. एल. तोषनोवाल		828.81	–	–	46.93	46.93	–	–
169.	बारमेट वूलन मिल्स बारमेट (राठी वूलटैक्स मिल्स)		34.96	–	–	0.75	0.40	–	–
170.	डरबी टैक्सटाइल्स लि., जोधपुर (डरबी टी कम्पनी लि., कलकत्ता)		784.61	–	–	52.00	52.00	–	–
171.	जयपुर पोलिसपिन लि., सीकर (बरेली होलडीग लि.)		710.00	–	–	43.00	43.00	–	–
172.	खण्डेला वूलन्स मिल्स लि., खण्डेला श्री जे. पी. गोदिका		12.37	–	–	0.30	0.30	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
173.	जयपुर सिन्टेक्स लि., अलवर श्री एम. डी. अग्रवाल		503.16	–	–	31.80	31.80	–	–
174.	मित्तल वूलन मिल सीकर श्री पी. एल. मित्तल		40.15	–	–	–	–	–	–
175.	मार्डन प्रेड (इण्डिया) लि. भीलवाड़ा श्री एच. एस. रांका		713.00	–	–	75.10	75.30	–	–
176.	प्रताप राज. कापर फासल लिमिटेड जयपुर (मै. प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स प्रा. लि.)		1170.00	–	–	109.90	109.90	–	–
177.	मयूर वाचेज, उदयपुर श्री आर. एल. डालमियां		182.00	–	–	13.75	2.26	–	–
178.	सर्राफ सिन्थेटिक लि., अलवर (फैवट लि.)		834.00	–	–	36.00	36.00	–	–
179.	राज. सिन्टेटिक्स श्री बी. के. लोढा		762.50	–	–	48.56	48.56	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8		9
180.	सुपर सिन्थेटिक्स श्री एम. के. सूत		835.00	–	–	79.56	79.56	–	–
181.	सुपर टेमकोटेक्स प्रा. लि. भीलवाड़ा श्री एस. सचेती		853.00	–	–	69.00	69.00	–	–
182.	तिरूपति फैब्रिक्स लि., आबूरोड़, पी. डी. डामिया		785.00	–	–	79.00	79.00	–	–
183.	श्री पाईप लि., भीलवाड़ा श्री पी. सी. कासलीवाल		878.00	–	–	50.00	40.00	–	–
184.	स्वदेशी सीमेंट लि., कोटपूतली, श्री निर्मल कुमार		1030.00	–	–	48.00	46.50	–	–
185.	राजस्थान वूलन मिल्स लि. श्री दीपक राजस्थान		27.76	–	–	0.50	0.50	–	–
186.	मोर्डन इन्सुलेटर लि., आबूरोड़, श्री एच. एस. रांका		2556.00	–	–	124.00	124.00	–	–
187.	राजस्थान एक्स. एल. श्री. सनवा मिडलेण्ड लि. अलवर श्री संजा एल. शरण		362.00	–	–	32.50	23.04	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8		9
188.	जिप्सम फाईबर्स इण्डिया लि. (लुववाटी कम्पनी कलकत्ता)		1830.00	–	–	38.20	28.28	–	–
189.	पुनसूमी इण्ड्या लि.; वी के. भार्गव		400.00	–	–	32.75	11.25	–	–
190.	रिसव सिरेमिक्स लि.;		129.50	54.50	–	–	–	–	–
				6826.66	4985.96	2042.88	1827.67	769.72	682.53

352

रीको संयुक्त क्षेत्र की ईकाइयों के डायरेक्टर्स की सूची

कम्पनी	संचालक मण्डल
मेसर्स भीलवाड़ा वूलटेक्स लि.	1. श्री पी. वी. रमन (रीको)
	2. श्री आर. पी. उदावत (हीरो)
	3. श्री सुनील गुप्ता (रीको)
	4. श्री ए. के. छाजड़.
	5. श्री डी. के. छाजड
	6. श्री आर. सी. मेहता
मैसर्स इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि.	1. श्री एस. के. मित्तल (रीको)
	2. श्री आर. एल. गुप्ता (रीको)
	3. श्रीमती प्रमिला गुप्ता (रीको)
	4. श्री आर. के. जैन
	5. श्री एस. सी. जैन
	6. श्री एस. सी. गुप्ता
राजस्थान ग्लोथन्सिल लि.,	1. श्री सुधीर गुप्ता (रीको)
	2. श्री एल. सी अरोड़ा
	3. श्री एस. एस. जैन
	4. श्री एम. पी. मानसिंघका
	5. श्री एन. के. झुन्झुनुवाला
	6. श्री आर एल. गुप्ता (रीको)
	7. श्री जे. के. सचदेवा
	8. श्री एच पी. रैना
	9. श्री जे. जे. मेहता
मैसर्स राजस्थान इलोक्ट्रनिक्स एव इन्सट्रंपुमेन्ट लिमिटेड	1. श्री वी. वी. एल. माथुर (चैयरमैन रीको)
	2. श्री एन डी. अग्रवाल
	3. श्री डा. आर. पी. अनेजा
	4. ब्रिगेडियर एन. एन. शर्मा
	5. श्री एच. एन. रामामूर्ति
	6. श्रीमती प्रमिला गुप्ता (रीको)
	7. श्री एम. एल. भार्गव (रीको)

(353)

कम्पनी	संचालक मण्डल
मॉर्डन थ्रेड इण्डिया लिमिटेड	1. श्रीमती नीलम नाथ चेयरमैन (रीको) 2. श्री प्रभुदयाल अनुभाई 3. श्री ले जनरल समत सिंह 4. श्री डी. सी. भण्डारी 5. एम. पी. खेरा 6. श्री सी. पी. भान (आई. एफ. सी. आई.) 7. श्री आर. आर. गुप्ता (रीको) 8. श्री आलोक कुमार (रीको) 9. ,, एन. एम. हीरावत 10. ,, एच. एस. राका 11. ,, ए के. दुगड़
श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि,	1. ,, आर. पी. गोयल (चेयरमैन) 2. ,, आर. पी. कश्यप 3. ,, आर. आर. गुप्ता 4. ,, सी. बालाकृस्णनन (आई. सी. आई. सी. आई.) 5. ,, रविन्द्र नारायन 6. ,, एस. सी कुच्छल 7. ,, के. के. पाटोदिया 8. ,, बी डी. अग्रवाल 9. ,, एस. आर. जैन 10. ,, बी. के. लाडिया 11. ,, एस. सी. अग्रवाल
धुती सैन्थिटिक्स लिमिटेड,	1. ,, एस. के. मित्तल (चेयरमैन) रीको 2. ,, अशोक चौधरी (रीको) 3. ,, एस. एम. तुलसयानी (आई. एफ. सी. आई.) 4. ,, एस. एस. चोरडिया 5. ,, ए. रामाचन्द्रनन 6. ,, आई. सी. शाह 7. ,, बी. डी. शाह 8. ,, एल. के जैन 9. ,, एन. के. भोटा 10. ,, एन. के. छाजड़, प्रबन्ध संचालक

(354)

मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड

संचालक मण्डल

1. श्री बी. बी. एल. माथुर (रीको प्रतिनिधी)
2. श्रीमती नीलम नाथ (रीको प्रतिनिधि)
3. हनुमान प्रसाद (रीको प्रतिनिधि)
4. एम. एल. भार्गव (रीको प्रतिनिधि)
5. ,, बी. सी. जोशी (आई. डी. बी. आई. प्रतिनिधि)
6. डा. ई. जी महादेवन
7. श्री सी. एस. हरिहरण
8. ,, ए. के. बोस
9. ,, एम. एन. अरूणाचलम
10. ,, ई. जी रोसेल
11. ,, आर. श्रीनिवास

परताप राजस्थान कॉपर फाइल एण्ड लेमिनेटस लि. जयपुर

1. श्रीमती नीलम नाथ (रीको प्रतिनिधि)
2. एम. एल. भार्गव (रीको प्रतिनिधि)
3. श्री आर. एल. गुप्ता (रीको प्रतिनिधि)
4. ,, पी. के. के. नायर (आई. डी. बी. आई. प्रतिनिधि)
5. ,, रविन्द्र नारायण
6. ,, टी. आर. तुली
7. ,, डा एल. आर. वैधनाथन
8. ,, अमीर चन्द माहेश्वरी
9. ,, प्रकाश चन्द माहेश्वरी

कम्पनी	संचालक मण्डल
मैसर्स सपर सनकोटैक्स लि.,	1. श्री बी. बी. एल माथुर, चैयरमैन
	2. ,, एम. एल. भार्गव (रीको)
	3. ,, बी. एस. सचेती
	4. ,, बी. एस. सचेती
	5. ,, आर. एल. गुप्ता (रीको)
	6. ,, एस. वी भाण्डे
	7. ,, एम. पी. ओसवाल
	8. ,, एस. एस. सुराना
	9. ,, एस. एस. वोरडिया
	10. ,, एन. एम. हीरावत

कम्पनी	संचालक मण्डल
मैसर्स तिरूपति फाइवर्स एण्ड इण्डिस्ट्रीज लिमिटेड,	1. श्री एस. के मित्तल (चेयरमैन) रीको 2. ,, पी. डी. डालमिया 3. ,, ए. के. डालमिया 4. ,, के. बी. हाडा 5. ,, प्रो. एस. सी. कुच्छल 6. ,, एम. एस. पडूंगाल (आई. डी. बी. आई.) 7. ,, टी. सी. चेजारा (रीको)
मैसर्स लेम्पस् एण्ड लाईटिगस लिमिटेड	1. श्री वी. बी. एल. माथुर (रीको) 2. ,, एस. एम. धरेन्द्र (रीको) 3. ,, आर. बत्रा 4. ,, पी. डी. अग्रवाल 5. ,, बी. एल. सारडा 6. ,, आलोक भारतीया
मैसर्स राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि,	1. श्री आर. जी. मजिठिया 2. ,, एन. एस. पी. चावला 3. ,, ज्ञान प्रकाश 4. ,, डा. ओ. पी. मदान 5. ,, एस. एस. सूरी 6. , के. रामाचन्द्रन 7. ,, यू. आर. गुप्ता 8. ,, एस. के. मित्तल (रीको) 9. ,, वी. बी. एल माथुर (रीको)
मैसर्स अरावली इस्पात लि.,	1. श्रीमती निलमं नाथ, चेयरमैन (रीको) 2. श्री आर. एल. गुप्ता (रीको) 3. ,, एस. एन. थानवी (आर. एफ. सी.) 4. ,, पी. सी. महेश्वरी 5. ,, पी. सी. महेश्वरी 6. ,, ए. के, गुप्ता (रीको)

क्र. सं.	रीको के स्वचालित उद्योग का नाम	परियोजना लागत	(रु. लाखों में) रीको की हिस्सा पूंजी	लाभ/हानि
1.,	वॉच यूनिट अजमेर	30.00	30.00	2.87 (1983-84)
2.	टी. वी यूनिट (राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि.) जयपुर	150.00	150.00	(—) 9.15 (1983-84)
3.	राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि. जयपुर	111.00	40 00	4.62 (1983-84)

रीको की संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाएँ

क्र. सं.	उद्योग का नाम	परियोजना लागत	रीको की हिस्सा पूंजी	लाभ/हानि
1.	राजस्थान ग्लायकसोल लि. उदयपुर	263.00	20.16	(—) 18.62 (1983-84)
2.	राजस्थान एक्सप्लोसिवस् एण्ड कैमिकल्स लि. धौलपुर	672.00	100.00	2.77 (1983-84)
3.	श्री राजस्थान सिन्टेक्स लि. डूंगरपुर	762.50	48.63	149.72 (1984)
4.	भीलवाड़ा वूलटेक्स लि. भीलवाड़ा	93.93	6.04	(—) 3.23 (1983-84)
5.	मोडर्न थ्रेड इण्डिया लि. भीलवाड़ा	713.00	75.30	128.46 (1984)

1	2	3	4	5
6.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्टमेंट लि. जयपुर	115.15	19.60	17.07 (1983–84)
7.	श्रुति सिंथेटिक्स लि. उदयपुर	835.00	79.56	38.47 (1983–84)
8.	सुपर सिकोटेक्स इण्डिया लि. गुलाबपुरा	798.00	69.56	10.62 (1983–84)
9.	अरावली इस्पात, अलवर	98.41	10.00	(—) 25.67 (1983–84)
10.	राज. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. जयपुर	117.92	23.11	(—) 20.37 (1983–84)
11.	तिरूपति फाइबर एण्ड इ. लि. आबूरोड सिरोही	785.00	79.00	(—) 70.54 (1983–84)
12.	इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि.	132.63	11.60	(—) 5.55 (1983–84)
13.	प्रताप राजस्थान कापर फाईल एण्ड लेमिनेट्स लि., जयपुर	1170.00	109.90	(—) 98.98 (1984)
14.	लेम्प्स एण्ड लाईटिंग लि., अलवर	191.30	25.00	(—) 5.52 (1983–84)

दूदू क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण योजनाएं

216. **श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** (दूदू)-क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में आवागमन एवं अन्य सुविधा की दृष्टि से सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण की क्या क्या योजनायें विचाराधीन हैं ?

(2) इस क्षेत्र में किन-किन गांवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिये कितनी-कितनी किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें।

(3) कौन कौन सी सड़कों पर डामर तथा कौन-कौनसी सड़कों का ग्रवेलकर कराया जायेगा ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू की स्वीकृत सड़कों की सूची "क" सलग्न है। अन्य कोई सड़क विचाराधीन नहीं है।

(2) कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) सूची "ख" संलग्न है।

(सूची "क")

दूदू क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़कों का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि	गांवों के नाम जो सड़क से जुड़ते हैं	भौतिक प्रगति
1.	गाडोतां से गंगातीकलां (प्लान सड़क)	6 कि. मी.	9.00 लाख	गाडोतां गंगाती कलां	मिट्टी का कार्य 5.5 कि. मी. हो गया है।
2.	बोरास से बोबास (प्लान सड़क)	8 ,,	12.00 ,,	बोरास, पचार	मिट्टी का कार्य 6.5 कि. मी. हो गया है।
3.	पडासोली, हरसोली, रेहलाना, गागरडू,, घाघोली, सड़क (सड़क प्लान)	14 ,,	19.50 ,,	पाडासोली, हरसोली, रेहलाना, गागरडू, घोघली	मिट्टी का कार्य 14 कि. मी. पूर्ण हो गया एवं ग्रेवल सड़क का कार्य 9.5 कि.मी. पूर्ण।
4.	दांतरी, लदेरा, ताली रोड (सड़क प्लान)	11 ,,	16.50 ,,	लदेरा, ताली	11 कि. मी. मिटटी का कार्य हो गया है। एव 5 कि. मी. ग्रेवल का कार्य हो गया है।
5.	संपर्क सड़क सवाईमाधोसिंहपुरा, लोरडी, तक दूदू फागी सड़क से (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम)	5 ,,	7.50 ,,	सवाईमाधोसिंहपुरा (नयामोजा) लोरडी	2 कि. मी. का कार्य हो चुका है।

इसके अतिरिक्त निम्न सड़कों पर नवीनीकरण का प्रस्ताव है।

1. महला से जोबनेर सड़क पर कि. मी. 2 से 6 तक डामर नवीनीकरण का कार्य।
2. फूलेरा से बिचून सड़क पर डामर नवीनीकरण का कार्य कि. मी. 12 से 14 एवं 15 से 17।

(सूची "ख")

दूदू क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का विवरण एवं प्रकार

क्र. सं.	सड़कों का नाम	लम्बाई	स्वीकृत राशि	गांवों के नाम जो सड़क से जुड़ते है	भौतिक प्रगति
1	गाडोता से गंगातीकलां (प्लान सड़क) (डामर की सडक)	6 कि. मी.	9 लाख	गाडोता, गंगाती कलां	मिट्टी का कार्य 5.5 कि. मी. हो गया है।
2.	बोरास से बोवास (डामर सडक)	8 „	12 „	बोरास, पचार	मिट्टी का कार्य 6.5 कि. मी. हो गया है।
3.	पाडासोत्री, हरसोली, रेहलाना, गागरडू, घांडोली. सडक (प्लान सड़क) डामर सड़क	14 „	19.50 „	पाडासोली, हरसोली, रेहलाना, गागरडू, घाघोली	मिट्टी का कार्य 14 कि. मी. पूर्ण हो गया। एवं ग्रेवल सड़क का कार्य 9.5 कि. मी. पूर्ण
4.	दांतरीं, लदेरा. ताली रोड़ (प्लान सड़क) (डामर की सड़क)	11 „	16.50 „	लदेरा, साली	11 कि. मी. मिट्टी का कार्य हो गया है। एवं 5 कि. मी. ग्रेवल का कार्य हो गया है।
5.	सम्पर्क सड़क सवाईमाधोसिंहपुरा, लोडी तक । दूदू फागी सड़क से (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) (डामर की सड़क)	5 „	7.50 „	सवाईमाधोसिंहपुरा (नया मोजा) लोरड़ी	2 कि. मी. मिट्टी का कार्य हो चुका है।

जमवारामगढ़ क्षेत्र में वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य

217. वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जमवारामगढ़ बांध को वन्य जीव अभयारण्य और सैंथल सागर (डांगरवाड़ा) बांध को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है ?

(2) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति की दिशा में सरकार ने अब तक क्या-क्या योजनाएं अपने हाथ में ली हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जमुवारामगढ़ को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। सैंथल सागर बांध को अभयारण्य घोषित नहीं किया गया है पर इसे शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

(2) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अभयारण्यों तथा शिकार निषेध क्षेत्रों का उद्देश्य वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जमवारामगढ़ अभयारण्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित स्टाफ वर्ष 84-85 में स्वीकृत किया गया है।

1. क्षेत्रीय	1
2. वनपाल	1
3. कनिष्ट लिपिक	1
4. वनरक्षक	6

सैंथल सागर शिकार निषिद्ध क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये निम्नांकित स्टाफ स्वीकृत किया गया है। यह स्टाफ वर्ष 81-82 में स्वीकृत किया गया था।

1. सहायक वनपाल	1
2. वन रक्षक	2

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थाओं का निरिक्षण

218. **श्री रामदेव** (मूण्डवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी को जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करना आवश्यक है ? यदि हां, तो नियमानुसार माह में कितने दिन ?

(2) पिछले दो वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर ने कौन-कौनसी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण दो या दो से अधिक बार किया एवं कितनी निरीक्षण योग्य शालाओं का नहीं किया है, और क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी का अमूमन दौरा नागौर एवं अजमेर के बीच पड़ने वाली शालाओं का ही रहा है, और जब-जब इन दौरों पर गए हैं, किसी न किसी एक उप जिला शिक्षा अधिकारी को साथ रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रतिमाह कितने निरीक्षण नियमानुसार करने हैं, यह निर्धारित नहीं है। एक वर्ष में निर्धारित निरीक्षण के मानदण्ड की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) कारण दर्शाते हुए सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। इन शालाओं का निरीक्षण एवं प्रशासनिक कारणों से दौरे किये गये हैं। कभी कभी उप जिला शिक्षा अधिकारी को प्रशासनिक सहायता देने की दृष्टि से साथ में दौरे पर रखा गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सत्र में निरीक्षण के विहित मानदण्ड

(अ) जिले की 20 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण।

(ब) 3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का लघु निरीक्षण।

(स) जिले की शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का एक बार निरीक्षण।

(द) जिले के सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक बार निरीक्षण।

(च) अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा के 20 केन्द्रों का निरीक्षण।

(छ) जिले के खेल संगम कोचिंग सेन्टर आदि का वर्ष में दो बार निरीक्षण।

(ज) अपने अधीनस्थ प्रशासनिक कार्यालयों का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण एवं एक बार लघु निरीक्षण।

(झ) अपने स्वयं के कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण।

(ण) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों का निरीक्षण वर्ष में दो बार।

(थ) भ्रमण दिवस 60 रात्रि विश्राम 30।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो बार निरीक्षित विद्यालयों की सूचना

नाम विद्यालय एवं माह	निरीक्षण का कारण एवं दिनांक
फरवरी, 84 वर्ष 83-84	
रा. मा. वि. बोरावड़	1-विद्यालय से सम्बन्धित निरीक्षण दिनांक 22.2.84 को किया।
	2-बोर्ड परीक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 23.2.84 को निरीक्षण किया।
सितम्बर, 84 वर्ष 84-85	
रा. उ. मा. वि. मोलासर	1-विद्यालय से सम्बन्धित 14.9.84 को निरीक्षण किया।
	2-उप निदेशक शिक्षा विभाग जोधपुर के साथ दिनांक 26.9.84 को यात्रा एवं निरीक्षण।
रा. मा. वि. गोगेलाव	1-उप निदेशक शिक्षा विभाग जोधपुर के साथ दि० 19.9.84 को निरीक्षण।
	2-विद्यालय निरीक्षण दिनांक 6.9.84 को किया।
रा. मा. वि. कठौती	1-दिनांक 21.11.84 को विद्यालय का निरीक्षण किया।
	2-दिनांक 4.9.84 को शिकायत की जांच के संबंध में विद्यालय में गया।
मार्च, 85	
रा. उ. मा. वि. कुचेरा	1-उप निदेशक शिक्षा विभाग जोधपुर के साथ दि. 15.3.85 को निरीक्षण करने गया तथा दिनांक 27.3.84 को बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया।

Page No 364

364

1	2
रा. मा. वि. डेहू	1- दिनांक 13.3.85 को बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया ।
	2- उप जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड की परीक्षा के साथ रहा ।
	3- प/प्र की प्राथमिक जांच दिनांक 11.3.85 के सम्बन्ध में यात्रा की ।

पूरे निरीक्षण नहीं करने का कारण

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता एवं न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वर्ष 83-84 पूरे निरीक्षण नहीं हुआ । कैंसर के कारण पत्नि की मृत्यु एवं अवकाश के कारण निरीक्षण नहीं किये जा सके ।

Page No 365

(365)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) नागौर

सत्र 1983-84 में जिन माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया है की सूची

1. रा. मा. वि. बासनी
2. ,, ,, ,, बख्तसागर (नागौर)
3. ,, ,, ,, अलाय
4. ,, ,, ,, गोगेलाव
5. ,, ,, ,, ताउसर
6. ,, ,, ,, गुढा भगवानदास
7. ,, ,, ,, जोधीयासी
8. ,, ,, ,, खजवाना
9. ,, ,, ,, रूण
10. ,, ,, ,, पाबला सिद्धउ
11. ,, ,, ,, संत्यवास
12. ,, ,, ,, देह
13. ,, ,, ,, खटौली
14. ,, ,, ,, बड़ी खाटू
15. ,, ,, ,, तरनाऊ
16. ,, ,, ,, खियाला
17. ,, ,, ,, इड़वा
18. ,, ,, ,, बाखेड़ा
19. ,, ,, ,, बिखर नियाकला
20. ,, ,, ,, जालसू नानक
21. ,, ,, ,, गोटन
22. ,, ,, ,, गगराना
23. ,, ,, ,, हरसोलाव
24. ,, ,, ,, डूडागावास
25. ,, ,, ,, पादूकला
26. ,, ,, ,, बगड़
27. ,, ,, ,, जसनगर
28. ,, ,, ,, थांबला
29. ,, ,, ,, पीह
30. रा. मा. वि. बडु
31. ,, ,, ,, भखरी
32. ,, ,, ,, गूलर
33. ,, ,, ,, गांगवा
34. ,, ,, ,, बूड़सू
35. ,, ,, ,, राणीगांव
36. ,, ,, ,, कुचामनसिटी
37. ,, ,, ,, घटवा
38. ,, ,, ,, मिण्डा
39. ,, ,, ,, बड़फसर
40. ,, ,, ,, लिचाना
41. ,, ,, ,, मीठड़ी-नांवा
42. ,, ,, ,, पांचवा
43. ,, ,, ,, लूणवा
44. ,, ,, ,, जिमेलया
45. ,, ,, ,, कोलिया
46. ,, ,, ,, तोबीना
47. ,, ,, ,, धमकोली
48. ,, ,, ,, देरी जतनपुरा
49. ,, ,, ,, जयालपुरा
50. ,, ,, ,, क्यामसर
51. ,, ,, ,, लाडडिया
52. ,, ,, ,, मीठड़ी लाडनूं
53. ,, ,, ,, रताड़
54. ,, ,, ,, कसुम्बी
55. ,, ,, ,, रोडू
56. ,, ,, ,, लेडी
57. ,, ,, ,, रिड़
58. ,, ,, ,, गुडा शाल्ट

सत्र् 1983–84 में जिन उ. मा. वि. का निरीक्षण नहीं किया गया की सूची :–

1. रा. उ. मा. वि., नागौर
2. ,, ,, ,, ,, मुण्डवा
3. ,, ,, ,, ,, कुचेरा
4. ,, ,, ,, ,, मेड़तासिटी
5. ,, ,, ,, ,, डेगाना
6. ,, ,, ,, ,, जावला
7. ,, ,, ,, ,, परबतसर
8. ,, ,, ,, ,, मकराना
9. ,, ,, ,, ,, कुचामनसिटी
10. ,, ,, ,, ,, नांवा
11. ,, ,, ,, ,, मारोठ
12. ,, ,, ,, ,, कुकनवाली
13. रा. उ. मा. वि. मोलासर
14. ,, ,, ,, ,, डीडवाना
15 ,, ,, ,, ,, लाडनू
16. ,, ,, ,, ,, छोटी खाटू
17. ,, ,, ,, ,, निम्बीजोधा
18. ,, ,, ,, ,, जसवन्तगढ़
19. ,, ,, ,, ,, जायल
20. ,, ,, ,, ,, चावण्डिया
21. ,, ,, ,, ,, हरसोर
22. ,, ,, ,, ,, ,, साजू
23. ,, ,, ,, ,, ,, मनाना

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) नागौर

सत्र् 1984–85 में जिन माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया है की सूची

1. रा.मा.वि. बासनी
2. ,, ,, ,, बलतसागार (नागौर)
3. ,, ,, ,, ताउसर
4. ,, ,, ,, जोधीयासी
5. ,, ,, ,, उटवालिया
6. ,, ,, ,, खजवाना
7. ,, ,, ,, रूण
8. ,, ,, ,, पांचला सिधा
9. ,, ,, ,, संखवास
10. ,, ,, ,, बैरायल कला
11. ,, ,, ,, दुगस्ताऊ
12. ,, ,, ,, जानेवा
13. ,, ,, ,, इड़वा
14. ,, ,, ,, खिरनयाकला
15. ,, ,, ,, जालसूनानक
16. ,, ,, ,, खुडीकला
17. ,, ,, ,, सिरासना
18. ,, ,, ,, रेण
19. ,, ,, ,, कोटन
20. ,, ,, ,, गगराना
21. ,, ,, ,, हरसोलाव
22. ,, ,, ,, ढावा
23. ,, ,, ,, जसनगर
24. ,, ,, ,, आलनियावास
25. ,, ,, ,, बडू
26. ,, ,, ,, भखरी
27. ,, ,, ,, गूलर
28. ,, ,, ,, पीलवा
29. ,, ,, ,, राबाड़ियाद
30. ,, ,, ,, गच्छीपुरा
31. ,, ,, ,, बोरावड़
32. ,, ,, ,, बडसू

33. रा. मा. वि. रानीगांव
34. „ „ „ कुचामनसिटी
35. „ „ „ चाटवा
36. „ „ „ मीण्डा
37. „ „ „ भड़कसर
38. „ „ „ लिचाना
39. „ „ „ मीठडी (नांवा)
40. „ „ „ पांचवा
41. „ „ „ लूणवा
42. „ „ „ जिलिया
44. „ „ „ रसाल
45. „ „ „ शिव
45. „ „ „ कुवाना
46. रा. मा. वि. करकेडी
47. „ „ „ कोलिया
48. „ „ „ तोसीना
49. „ „ „ बेरी जतनपुरा
50. „ „ „ दयालपुरा
51. „ „ „ रताऊ
52. „ „ „ मीठडी (नांवा)
53. „ „ „ कसूम्बी
54. „ „ „ रोड़ू
55. „ „ „ लेडी
56. „ „ „ घिरडोड़ा मीठा
57. „ „ „ निमोदा

सन् 1984-85 में जिन उ. मा. वि. का निरीक्षण नहीं किया गया की सूची :-

1. रा.उ.मा.वि. नागौर
2. „ „ „ „ मून्डवा
3. „ „ „ „ खिवसर
4. „ „ „ „ मेड़तासिटी
5. „ „ „ „ मेड़तारोड
6. „ „ „ „ रिड
7. „ „ „ „ जावला
8. रा. उ. मा. वि. मकराना
9. „ „ „ „ कुचामनसिटी
10. „ „ „ „ कुकनवाली
11. „ „ „ „ जसवन्तगढ़
12. „ „ „ „ रियाबडी
13. „ „ „ „ मनाना

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कार्यालय फलोदी से सबद्ध प्रकरण

219. **श्री मोहन छंगाणी** (फलोदी): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट कार्यालय फलोदी से सम्बन्धित इस मामले की शिकायत राज्य सरकार को की गई थी, कि देवातला की जो मिट्टी ईंटों के निर्माण के लिये स्वीकृत की गई थी, उसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाकर अधिकांश मिट्टी आस पास के क्षेत्र से उठाकर ईंटों का निर्माण कर दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार की खराब मिट्टी के उपयोग से वाटर चैनल में दरारें पड़ गई थी, और टूट फूट हो गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शिकायतें आने पर सरकार द्वारा कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो यह जांच कब और किसके द्वारा की गई थी, और इसके परिणामस्वरूप किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 19.4.85 को अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय चरण वृत द्वितीय को शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ ठेकेदार देवातलाई से विभिन्न भट्टों के लिए चिकनी मिट्टी खोद कर वहीं आस पास ट्रकों द्वारा डाल रहे हैं एवं भट्टों पर नहीं ले जा रहे हैं और भट्टों पर आसपास की रेतीली मिट्टी मिला कर टाईल व ईंटें बना रहे है।

(2) इस प्रकरण का वाटर चैनल के निर्माण से संबंध नहीं है। यह मिट्टी मुख्य नहर पर स्थापित भट्टों द्वारा टाइल व ईंटें बनाने के काम में आई हैं।

(3) जी हां, मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से इससे संबंधित सारे भुगतान रोकने के आदेश दिनांक 6.5.85 को जारी कर दिये गये और इस प्रकरण पर आवश्यक जांच करने के निर्देश दिये। दिनांक 1.5.85 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सतर्कता) ने नहर मण्डल को इस प्रसंग में संभावित अनियमितताओं की सूचना दी। इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के 4 मई, 1985 के आदेश द्वारा इस प्रकरण में जांच करने हेतु मण्डल के वित्तिय सलाहकार महोदय को नियुक्त किया गया है। जांच का कार्य प्रगति पर है। जांच के परिणाम प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी।

पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

220. **श्री इन्द्र सिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No 369

(369)

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

(1) 1984-85 में पंचायत समिति राजगढ़, जिला चूरू के क्षेत्र में कितने गांवों में सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया ?

(2) इनमें से कितनी सड़कें अब अपूर्ण हैं और क्यों, अब इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सन् 1984-85 में पंचायत समिति राजगढ़ के क्षेत्र में जिन गांवों में सड़कों के कार्य आरम्भ किये गये वे संलग्न सूची (अ) में दर्शाये गये हैं।

(2) उपरोक्त सभी सड़कें अपूर्ण हैं, प्रत्येक का अपूर्ण रहने का कारण योजना में धनराशि की कमी है।

(सूची "अ")

क्र. सं.	सड़क कार्य काम नाम	योजना जिसमें स्वीकृत है।	स्वीकृत लम्बाई कि. मी	राशि (लाख में)	खर्चा (लाख रु.) प्रगति	विशेष विवरण
1.	धानोड़ी छोटी से गालड़	एम. एन. पी.	7.00	10.50	1.25	मिट्टी का कार्य 3.00 कि. मी. लंबाई में पूर्ण हो चुका है। व बेलास्ट (प्रथम लेयर के लिये) 2 कि. मी. का साइट पर डाला जा चका है। (अपूर्ण)
2.	सूड़ी बगी (नर्स)	,,	8.00	12.00	0.42	सड़क की कुल लंबाई 8.6 कि. मी. है जिसमें मिटटी का कार्य पूर्ण हो चका है। बेलास्ट (प्रथम लेयर के लिये) 0.75 कि. मी. का साइट पर डाला जा चुका है। (अपूर्ण)
3	घोलिया से सेवा मुवाड़ी	,,	6.00	9.00	0.13	मिटटी का कार्य 1.75 कि. मी. में पूर्ण किया जा चुका है। (अपूर्ण)
4.	सादुलपुर से ढिगारला बाया पहाड़सर, बांधेला भासियावास	,,	7.00	10.50	0.92	मिट्टी का कार्य 2.00 कि. मी. पूर्ण हो चुका है। बेलास्ट (प्रथम लेयर हेतु) 2.00 कि. मी. में साइट पर डाला जा चुका है। व बेलास्ट बिछाई व कुटाई का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। (अपूर्ण)
	योग :-एम. एन. पी.		28.00	42.00	2.72	

1	2	3	4	5		6
1.	मिसिंग लिंक राजगढ़ भागला से वास न	एन. ग्रार. ई. पी.	2.00	3.00	0.50	मिट्टी का कार्य 2.00 कि. मी. लबाई में पूर्णहो चुका है। बेलास्ट (प्रथम लेयर हेतु) 1.50 कि. मी. में साइट पर डाला जा चुका है। (अपूर्ण)
2.	संपर्क सड़क वोजावास तक पू	"	4.00	5.00	0.52	मिट्टी का कार्य 2.25 कि. मी. लम्बाई में पूर्ण हो चुका है। बेलास्ट (प्रथम लेयर हेतु) 0.75 कि. मी. में साइट पर डाला जा चुका है (अपूर्ण)
3.	चोधरियों का वास से नुहन्द	"	5.00	7.50	0.15	मिट्टी का कार्य 1.50 कि. मी. लम्बाई में किया जा चुका है जिसमें से 1.00 कि. मी. कार्य केवल 5.00 मीटर चौड़ाई में है। (अपूर्ण)
4.	न्यागली से लाखलान	"	4.50	6.75	0.27	मिट्टी का कार्य 2.00 कि. मी. लंबाई में किया जा चुका है। बेलास्ट (प्रथम लेयर हेतु) इक्ट्ठा करने का काम शुरू किया जा चुका है। व कुछ बेलास्ट साइट पर डाला जा चुका है। (अपूर्ण)
	योग :-एम. आर. ई. पी.		15.50	22.25	1.44	

देश रक्षार्थ शहीद सैनिकों की विधवाओं के निजी आवास

221. **सुश्री गिरिजा व्यास** (उदयपुर)

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जानती है कि देश की रक्षार्थ मारे गये सैनिकों की विधवा पत्नियों को जबरदस्त परेशानी में गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके मकान जो किराये पर दिये गये थे, किरायेदार खाली नहीं कर रहे हैं ?

(2) उन शहीदों की विधवा औरतों को रहने के लिए अपने मकान मिल जायें, इसके लिये सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है ?

(3) क्या अन्य राज्यों की भांति राज्य सरकार भी ऐसे नियम अथवा कानून बनायेगी जिससे कि किरायेदारों से मकान खाली करा सकें ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

(2) कार्यरत/सेवानिवृत सैनिकों एवं उनके उत्तराधिकारियों के लिए स्वयं के मकान तत्काल खाली हो सकें, इस हेतु किराया कानून में संशोधन करने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

टोंक जिले में रसद विभाग द्वारा खाद्य सामग्री पर छापे

222. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक के रसद विभाग द्वारा वर्ष 1983-84, 1984-85, में किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि कुछ महीनों पूर्व मै रमेश फर्म, ग्राम अलीगढ़, की खाद्य सामग्री जब्त करके चालान करने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब ?

(3) ग्राम घाट, पंचायत समिति देवली जिला टोंक, के डीलर के यहां खाद्य निरीक्षक देवली द्वारा छापा मारा गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या अनियमित सामग्री जब्त की गई, और क्या उनके यहां 9 बोरी कन्ट्रोल की चीनी कम मिली ?

(4) क्या यह सत्य है कि स्थानीय व्यवस्थापक व सरपंच दोनों ही इस काण्ड में लिप्त हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है।

(5) क्या जिलाधीश टोंक ने इस मामले में उप खण्ड अधिकारी से और जांच कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला टोंक के रसद विभाग द्वारा वर्ष 83-84, 84-85 में जिन के विरुद्ध कार्यवाही की गई, की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(परिशिष्ट "क" व "ख")।

(खाद्य मन्त्री)—

(2) मैसर्स रमेश किराना स्टोर, उनियारा की दिनांक 27.5.85 को खाद्य एवं अन्य सामग्री जब्त की गई थी। उक्त फर्म के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप चालान करने की कार्यवाही अभी तक विचाराधीन है।

(3) ग्राम घाट, पंचायत समिति देवली जिला टोंक की ग्राम सेवा सहकारी समिति के यहां प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा छापा मार कर 27 क्विन्टल 44 किलोग्राम लेवी चीनी जब्त की गई क्योंकि स्टोक रजिस्टर के अनुसार 9 क्विंटल चीनी कम पाई गई थी।

(4) प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जांच में व्यवस्थापक को दोषी पाया है। इस मामले में सरपंच के लिप्त होने के बाबत प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। अभी जांच परीक्षाधीन है। जांच पूर्ण होने पर यदि अनियमितता पाई गई तो कार्यवाही की जायेगी।

(5) जिलाधीश, टोंक ने व्यवस्थापक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के कारण उप जिलाधीश, टोंक को प्रस्तुत मामले की पुन: जांच करने के आदेश दिये हैं।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1983-84

क्र. सं.	केस नं.	फर्म का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	86/83	टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, टोंक	50/- जब्त सरकार
2.	87/83	रामावतार गुलाबचन्द अनाजमंडी, टोंक	100/- ,,
3.	88/83	व्यव. जी.एस.एस. बम्बोर	एस.डी.एम. टोंक के यहां स्थानान्तरित
4.	89/83	फूलचन्द कपूरचन्द आर.टी.ए.ला. ग्राम भिलाय	150/- जब्त सरकार
5.	90/83	सूरजमल ज्ञानचन्द आर. टी. ए. ला. ग्राम भिलाय	200/- ,,
6.	91/83	सुखलाल एफ.पी.एस., डीलर, टोंक	100/- ,,
7.	92/83	फूलचन्द बछराज आर.टी.ए. ला., बाटून्दा	चालान कोर्ट में पेश किया गया।

1	2	3	4
8.	93/83	नन्दकिशोर एण्ड कं., आर.टी.ए. ला., निवाई	25/- जब्त सरकार
9.	94/83	प्रकाशचन्द पदमचन्द जैन, आर.टी.ए. ला., निवाई	100/- ,,
10.	95/83	कमल कुमार नरेशकुमार, टौंक	50/- ,,
11.	96/83	गोरधन कल्याण पटेल तेली खुदरा व्या., टौंक	100/- ,,
12.	97/83	राजस्थान आटो स्टोर, टौंक	129.50 जमा
13.	98/83	गर्ग आटो मोबाइल, टौंक	443.24 जब्त सरकार
14.	99/83	फूलचन्द चांदमल नानेर	500/- ,,
15.	100/83	धर्मचन्द अग्रवाल एफ.पी.एफ. डीलर निवाई	25/- ,,
16.	101/83	शिवदयाल पारीक उ.मू.द., निवाई	चेतावनी दी गई
17.	102/83	टौंक सहकारी उपभोक्ता भंडार, टौंक	25/- जब्त सरकार
18.	104/83	वैद्य रामेश्वर प्रसाद एण्ड संस निवाई	485.45 जमा
19.	105/83	चोथमल मोदी एफ.पी.एस. डीलर,	100/- जब्त सरकार
20.	106/83	लक्ष्मीनारायण नृसिंहलाल, टौंक	50/- ,,
21.	107/83	रतनलाल एफ.पी.एफ. डीलर, टौंक	200/- ,
22.	108/83	सागरमल एफ.पी.एस. डीलर, निवाई	चेतावनी दी गई
23.	109/83	ओमप्रकाश बंसल एफ.पी.एस., डीलर	,, ,,
24.	110/83	सूरजमल रेखडमल आर.टी.ए. ला., पलई तहसील अलीगढ़	ला. निलम्बित किया गया अपील जिलाधीश महोदय के यहां विचाराधीन है।
25.	111/83	मनोज सप्लाई कारपोरेशन, निवाई	चेतावनी दी गई।
26	112/83	महावीर कुमार सैयद इकबाल एफ.पी. एस. डीलर, टौंक	25/- जब्त सरकार
27.	113/83	त्रिलोकचन्द नृसिंहलाल आर.टी.ए. ला., उनियारा	चालान कोर्ट में पेश किया व कोर्ट से 13-2-85 को सजा सुनाई गई।

1	2	3	4
28.	60/83	दिनेश ग्राइल सेन्टर, टौंक	5/83 में सेशन कोर्ट में पेश किया गया तथा 28-7-83 को फैसला किया गया जिसमें सजा हुई।
29.	114/83	शान्तिलाल कमलकुमार उ.मू.दु. टौंक	100/- जब्त सरकार
30.	115/83	रतनकुवर घनश्याम सैन एफ.पी.एस. डीलर उखलाना	सेशन कोर्ट में विचाराधीन-चालान कोर्ट में पेश किया गया।
31.	116/83	बंशीधर मूलचन्द बोहरा ए.क. निवाई	100/- जब्त सरकार
32.	117/83	महेश्वरी ट्रेडिंग कं. आर.टी.ए. डीलर	25/- ,,
33.	118/83	उपभोक्ता भण्डार, वार्ड नं 10	50/- ,,
34.	119/83	भंवरलाल राधेश्याम अनाजमण्डी, टौंक	50/- ,,
35.	120/83	धर्मचन्द अग्रवाल एफ.पी.एस. डीलर	75/- ,,
36.	121/83	मनोज सप्लाई कारपोरेशन निवाई	100/- ,,
37.	122/83	रामकिशोर रमेश कुमार, टौंक	50/- ,,
38.	123/83	मनोज सप्लाई कारपोरेशन, निवाई	400/- ,,
39.	124/83	चतुर्भुज जाट एफ.पी.पी.एस. डीलर, बगड़वा	विचाराधीन
40.	125/83	ब्रह्मानन्द व्यव. रूपवास	सेशन कोर्ट से 26-3-85 को तीन माह की सजा व 200 रु. जुर्माना किया गया।
41.		घनश्याम टिक्कीवाल एफ.पी.एस. डीलर, टौंक	25/- जब्त सरकार
42.	16/84	जगदीश प्रसाद सिंघल एफ.पी.एस. डीलर, देवली	25/- जब्त सरकार
43.	17/84	महालक्ष्मी जी.एस.एस. देवली	25/- ,,
43.	18/84	सौभागमल धोबी एफ.पी.एस. डीलर निवाई	चेतावनी दी गई।
45.	19/84	राजस्थान ग्राटो स्टोर, टौंक	50/- जब्त सरकार
46.	20/84	शम्भू आयल मिल, सेदरिया	300/- ,,
47.	21/84	गा. स. स. स. ककोड़	ड्रोप की गई।

(376)

1	2	3	4
48.	22/84	प्रयागराज व. मोहम्मदपुरा	विचाराधीन
49.	23/84	व्यव. जी.एस एस. बालापुरा	"
50.	24/84	व्यवस्थापक जी.एस.एस. रूपपुरा	25/- जब्त सरकार
51.	25/84	" " टीकोलिया	25/- "
52.	26/84	" " फुलेता	विचाराधीन
53.	27/84	" " पचाला	"
54.	नाथूलाल गूजर जी.एस.एस., मूथडा		25/- जब्त सरकार

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1984-85

क्र. सं.	केस नं.	फर्म का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	32/84	भंवरलाल देवीलाल आर.टी.ए. डीलर आवा	500.00 जब्त सरकार
2.	33/84	मोहनलाल हनुमानप्रसाद उनियारा	200.00 " "
3.	34/84	उपभोक्ता भण्डार, टोंक	25.00 " "
4.	35/84	भंवरलाल चतुर्भुज एफ.पी.एस. डीलर उनियारा	100.00 " "
5.	36/84	चन्द्रप्रकाश विमलकुमार उनियारा	100.00 " "
6.	37/84	छीतरलाल व्यवस्थापक, जी.एस.एस. उनियारा	विचाराधीन
7.	37/84	उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 22 टोंक	25.00 जब्त सरकार
8.	38/84	बनवारीलाल व्यवस्थापक शॉप	12-4-85 को थाना अलीगढ़ में एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई।
9.	39/84	रामसंस व्यवस्थापक जी.एस.एस. सुरेली	विचाराधीन

1	2	3	4
10.	40/84	कान्तीलाल एफ.पी.एस. डीलर	ड्रोप की गई
11.	41/84	मोहनलाल गुप्ता एफ.पी.एस. डीलर टोंक	25.00 जब्त सरकार
12.	42/84	रमेश चन्द्र एफ.पी.एस. डीलर निवाई	125.00 ,, ,,
13.	43/84	सुरेश सप्लायर्स निवाई	25.00 ,, ,,
14.	44/84	नेमीचन्द प्रेमचन्द आर.टी.ए. डीलर निवाई	100.00 ,, ,,
15.	45/84	रामचन्द्र चुन्नीलाल टोंक	300.00 ,, ,,
16.	46/84	पारसमल पदमचन्द आर.टी.ए. डीलर टोंक	100.00 ,, ,,
17.	47/84	मिट्ठूलाल मोहनलाल टोंक	50.00 ,, ,,
18.	48/84	पहूमल नाथूमल एफ.पी.एस. डीलर छान	50.00 ,, ,,
19.	49/84	जगदीश किराना स्टोर देवली	50.00 ,, ,,
20.	50/84	प्रेमचन्द व्यवस्थापक जी.एस.एस. छापुरा	विचाराधीन
21.	52/84	ताराचन्द रामस्वरूप दूनी	50.00 ,, ,,
22.	53/84	कोमलराज सिंघी एफ.पी.एस. घाट	50.00 ,, ,,
23.	54/84	गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, देवली	50.00 ,, ,,
24.	55/84	ओमप्रकाश आर.टी.ए. डीलर पीपलू	100.00 ,, ,,
25.	56/84	राजकुमार कैरोसीन डीलर पीपलू	100.00 ,, ,,
26.	57/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति गोठड़ा	विचाराधीन
27.	58/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति पचाला	,,
28.	59/84	सुखलाल एफ.पी.एस. डीलर वार्ड नम्बर 9, टोंक	25.00 जब्त सरकार
29.	60/84	शान्तिदेवी एफ.पी.एस. डीलर वार्ड नं. 10, 11	50.00 ,, ,,
30.	61/84	टोंक सहकारी होलसेल भण्डार टोंक वार्ड नं. 22	25.00 ,, ,,
31.	62/84	गंगाराम एफ.पी.एस. डीलर लुहारा	सेशन कोर्ट में विचाराधीन
32.	63/84	बनवारीलाल व्यवस्थापक शाप की पत्रावली केस नं. 38/84 के साथ संलग्न की गई।	विचाराधीन

(22-8)

1	2	3	4
33.	64/84	सांवरलाल रामपाल टोंक	200.00 जब्त सरकार
34.	65/84	शांतीलाल कमलकुमार	चेतावनी दी गई।
35.	66/84	सत्यनारायण टिक्कीवाल एफ.पी. एस. डीलर टोंक	विचाराधीन
36.	67/84	नाथूलाल अग्रवाल डीजल डीलर पीपलू	1608.68 जमा
37.	68/84	ताराचन्द नेमीचन्द डीजल डीलर पीपलू	3498.66 जमा
38.	69/84	पूरणमल जैन केरोसीन डीलर पीपलू	145.20 जमा
39.	70/84	कैलाशचन्द चौधरी डीजल डीलर पीपलू	547.80 जमा कराये गये
40.	71/84	राजूलाल मोहनलाल आर.टी.ए. ला. ककोड़	
41.	72/84	सम्पतराम व्यास एण्ड कम्पनी मालपुरा	100.00 जब्त सरकार
42.	73/84	सूराशाही सर्विस सेन्टर मालपुरा	300.00 ,, ,,
43.	74/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति चनानी	50.00 ,, ,,
44.	75/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति अलीगढ़	100.00 ,, ,,
45.	76/84	,, ,, ,, ककोड़	50.00 ,, ,,
46.	77/84	,, ,, ,, देवली तहसील अलीगढ़	25.00 ,, ,,
47.	78/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति वनस्थली	25.00 ,, ,,
48.	79/84	,, ,, ,, झिलाय	विचाराधीन
49.	80/84	,, ,, ,, चारू	,,
50.	81/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चनानी	,,
51.	82/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति, झिलाय	,,
52.	83/84	,, ,, ,, दतवास	,,
53.	84/84	,, ,, ,, चनानी	,,
54.	85/84	,, ,, ,, चैनपुरा	,,
55.	86/84	,, ,, ,, हैदरीपुरा	,,
56.	87/84	गंगाराम एफ.पी.एस. डीलर लुहारा	,,
57.	88/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति, झिलाय	,,
58.	89/84	,, ,, ,, दतवास	,,

1	2	3	4
59.	90/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति, पहाड़ी	विचाराधीन
60.	91/84	" " " गोठड़ा	"
61.	92/84	" " " मुण्डिया	"
62.	93/84	" " " डीकोलिया	"
63.	94/84	" " " रूपवास	"
64.	95/84	" " " पचाला	"
65.	96/84	" " " बम्बार	"
66.	97/84	" " " तकिया	"
67.	98/84	चतुर्भुज जाट एफ.पी.एस. डीलर बगड़वा	"
68.	99/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति मावी	"
69.	100/84	बद्रीलाल एफ.पी.एस. डीलर मूंडिया	"
78.	101/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेठा	"
71.	102/84	" " " जामडोली	"
72.	103/84	" " " डीकोलिया	"
73.	104/84	" " " सोनवा	"
74.	105/84	सोमानी ऐजेन्सीज निवाई	25.00 जब्त सरकार
75.	106/84	दामोदरलाल सुरेश चन्द जैन	50.00 " "
76.	107/84	पहलाद बैरवा व्यवस्थापक क्रिराना	50.00 " "
77.	108/84	ग्राम सेवा सहकारी समिति बम्बोर	50.00 " "
78.	109/84	" " " सन्देड़ा	50.00 " "
79.	110/84	" " " गहन	50.00 " "
80.	111/84	" " " किराना	
81.	112/84	ब्रजमोहन सत्यनारायण आर.टी.ए. डीलर निवाई	75.00 " "
82.	113/84	जगदीश प्रसाद एफ.पी.एस. डीलर हरचन्दड़ा	विचाराधीन
83.	114/84	धर्मचन्द अग्रवाल एफ.पी.एस. डीलर निवाई	25.00 जब्त सरकार
84.	115/84	राजेशकुमार अशोककुमार आर.टी.ए. डीलर टोंक	50.00 " "
85.	116/84	द्वारकाप्रसाद सीमेन्ट डीलर टोंक	20.00 " "
86.	55/85	राजेशकुमार अशोककुमार	75.00 "
87.	56/85	महावीरकुमार मो. ईकबाल एफ.पी.एस. डीलर टोंक	

1	2	3	4
88.	57/85	हरीप्रसाद टिक्कीवाल वार्ड नं. 3	200.00 जब्त सरकार
89.	58/85	पारसमल पदमचन्द आर.टी.ए. डीलर टौंक	300.00 ,, ,,
90.	59/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बनेठा	विचाराधीन
91	60/85	,, ,, ,, बालापुरा	,,
92.	61/85	प्रहलाद चांद मल टौंक	15.00 जब्त सरकार
93.	62/85	मिट्ठूलाल मोहनलाल आर.टी.ए. डीलर टौंक	300.00 ,, ,,
94.	63/85	शफीक मो. टौंक एफ.पी.एस. डीलर वार्ड नम्बर 29	10.00 ,, ,,
95.	64/85	रमेश चन्द संजयकुमार टौंक	विचाराधीन
96.	65/85	मदनलाल मनोजकुमार आर.टी.ए. डीलर .	100.00 जब्त सरकार
97.	66/85	रतनलाल महेश चन्द लेवी सीमेंट डीलर टौंक	100.00 ,, ,,
98.	67/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, घात	विचाराधीन
99.	68/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, मण्डावर	,,
100.	69/85	,, ,, ,, डारडातुर्की	,,
101.	70/85	,, ,, ,, झिराना	,,
102.	71/85	मै.लादूलाल गुप्ता एफ.पी.एस. डीलर टौंक	,,
103.	72/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति बारखण्डी	,,
104.	73/85	,, ,, ,, पीपलू	,,
105.	74/85	पाहूमल सिंधी एफ.पी.एस. डीलर छान	,,
106.	75/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बारखण्डी	,,
107.	76/85	,, ,, ,, लहन	,,
108.	77/85	रामसहाय एफ.पी.एस. डीलर डारड़ाहिन्द	,,
109	78/85	सिंहल आयल मिल झिराना	,,
110.	79/85	सत्यनारायण एफ.पी.एस. डीलर अरनियाकदार	,,
111.	80/85	रामसहाय जाट एफ.पी.एस. डीलर डारड़ाहिन्द	,,
112.	81/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, भरनी	,,

1	2	3	4
113.	82/85	गुलाबचन्द कन्हैयालाल आर.टी.ए. ला. सोनवा	विचाराधीन
114.	83/85	साहला सर्विस सेन्टर	"
115.	84/85	कैलाशचन्द चौधरी डीजल डीलर पीपलू	"
116.	85/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, लहन	"
117.	86/85	मूरालाल जूमनालाल आर.टी.ए. ला. सोहला	"
118.	87/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, तासोलो	"
119.	88/85	निरक्षा एफ.पी.एस. डीलर बारखण्डी	"
120	89/85	" गुलाबचन्द कन्हैयालाल सोनवा	"
121.	90/85	" ग्राम से. स. स. सन्दड़ा	"
122.	91/85	निरीक्षा ग्राम सेवा सहकारी समिति सोहेला	"
123.	92/86	" " " " " पीपलू	"
124.	93/85	" देवकरण मीणा एफ.पी.एस. डीलर पगना	"
125.	94/85	" गोस्वामी आयल मिल चमलनपुरा (लावा)	"
126.	95/85	" जगदीशप्रसाद जाट एफ.पी.एस. डीलर जोला	"
127.	96/85	" एफ.पी.एस. डीलर महन्दवास	"
128.	97/85	" सत्यनारायण गुप्ता वार्ड नं. 27 टोंक	"
129.	98/85	" रमेशचन्द सैल्स मैन ग्राम सेवा सहकारी समिति भिराना	"
130	99/85	" लादूलाल सुरेशकुमार आर.टी.ए. ला. नयागांव	"
131.	100/85	" रमेशचन्द सैल्समैन भिराना	"
132.	101/85	" कैलाश चन्द चौधरी डीजल डीलर पीपलू	"
133.	102/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सन्दड़ा	"

Page No 382

1	2	3	4
134.	103/86	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति झिराना	विचाराधीन
135.	104/85	व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति बारखण्डी	,,
136.	105/85	लक्ष्मीनारायण एफ.पी. एस. डीलर वार्ड नम्बर 17	,,
137.	106/85	रामेश्वर प्रसाद एण्ड सन्स, निवाई	,,
138.	107/85	कैलाश चन्द चौधरी डीजल डीलर, पीपल	,,
139.	108/85	विजय वर्गीय ट्रेडर्स, झिराना	,,
140.	109/85	योगेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी, मालपुरा	,,
141.	110/85	हरी प्रसाद टिक्कीवाल एफ.पी.एस. डीलर टौंक	100.00 जब्त सरकार
142.	111/85	ग्राम सेवा सहकारी समिति, उनियारा	विचाराधीन
143.	112/85	मनोहर एण्ड कम्पनी लावा	,,
144	113/85	रामसहाय गोरधन चोहटी बाजार, निवाई	,,

गंगानगर मालखाने से हथियारों की चोरी

224. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गगानगर मालखाने से हथियारों की चोरी हुई ? यदि हां, तो कब, किस-किस मूल्यों के किन हथियारों की ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) इनमें से कितने व कौन से हथियार कब-कब व कहां कहां बरामद किये गये ? कृपया तालिका सदन को मेज पर रखें ।

(3) इस संबंध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, व किन किन व्यक्तियों का चालान हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि इस चोरी के संबंधमें पंजोबद्ध मामले में फाईनल रिपोर्ट दे दी गई है ?

(5) इन मामलों का किन किन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । चोरी गये हथियारों की तालिका पटल रख दी गई है । हथियारों का वास्तविक मूल्य आंका जाना सम्भव नहीं है क्योंकि हथियार मालखाने में बजह सबूत में भिन्न भिन्न मुकदमों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के थे ।

(2) दिनांक 17/18-4-83 की रात को हनुमानगढ़ जंक्शन पर यार्ड में खडे हुये रेल्वे डिब्बे से 13 हथियार एक बोरे में बरामद हुये । बरामद हथियारों की तालिका पटल पर रख दी गयी है ।

(3) इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और ना ही कोई चालान किया गया है ।

(4) जी हां ।

(5) अभियोग का अनुसंधान-सर्व श्री रिछपालसिंह पूनिया, श्री कृष्ण शर्मा, उप निरीक्षक श्री प्रेमनाथ, श्री मधुसूदनसिंह उप अधीक्षक, श्री आर. एस. शर्मा, अपर अधीक्षक पुलिस, सी आई डी (सी बी) एवं श्री रतनसिंह, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा किया गया ।

384

गंगानगर माल खाने से चोरी गये हथियारों की सूची

क. सं.	हथियार चोरी गये	अभियोग सं.	हथियार जो बरामद हुये	हथियार जो बरामद करने थे	मुलजिमान गिरफ्तार किये गये	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7
1.	303 बोर राईफल-(1)	17/83 12.4.83	1. 455 बोर राईफल-(1)	1. 303 बोर राईफल-1	–	अभियोग में एफ. आर. अदम पता
2.	455 बोर राईफल-(1)	धारा 454/	2. 12 बोर एसबीबी एलगन-1	2. 12 बोर डीबीबी एलगन-1		दिनांक 31-8-84
2.	12 बोर एसबीबी एल गन-(1)	457/380/	3. 12 बोर डीबी एल गन 3			पेश की
4.	12 बोर डीबी एल गन-(4)	भादस थाना	4. 38 बोर रिवाल्वर-2	3. माउजरगन-1		जा चूकी है।
5.	माउजरगन-(1)	कोतवाली	5. 32 बोर रिवाल्वर/-6	4. 32 बोर रिवाल्वर/-7		
6.	38 बोर रिवाल्वर-2	गगानगर	पिस्टल	पिस्टल		
7.	32 बोर रिवाल्वर/-13 पिस्टल					
	योग 23		13	10		

पीपल्दा एवं दीगोद क्षेत्रों में विभिन्न योजना कुओं के तहत कुओं का निर्माण

225. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा एवं दीगोद क्षेत्र के विभिन्न गांवों में काम के बदले अनाज तथा अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुओं का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कहां-कहां तथा उनकी क्या स्थिति है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुओं में से कई अधूरे है ? यदि हां, तो अधूरे कुओं को पूरा कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं, तथा उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजनाओं में से कुछ कुऐं अधूरे हैं। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों में से कुछ को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व अकाल राहत में स्वीकृत कर पूर्ण कराये गये हैं। शेष कुओं को धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'

काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत स्वीकृत 104 कुओं की सूची

पंचायत समिति का नाम	क. संख्या	पूर्ण कार्य कार्य का नाम
1	2	3
1–इटावा		1. कूप मरम्मत डगरली
		2. कूप मरम्मत रोशा
		3. कुआ रोटली
		4. कुआ गिरधारपुरा
		5. कुआ हरिजन पीपल्दा
		6. कुआ मरम्मत करवाड़
		7. कुआ मरम्मत गूजरया
		8. कुआ मरम्मत बबरी
		9. कुआ मरम्मत बावड़ी
		10. कुआ महिलाये

Page No 386

(386)

1	2	3
	11. कुआ दौलतपुरा–1	
	12. कुआ दौलतपुरा-2	
	13. कुआ खेड़ली	
	14. कुआ बयानी	
	15. कुआ बैरवा नियका	
	16. कुआ नीमोला भवरललाई	
	17. कुआ मियाना	
	18. कुआ नीमोला मीठा	
	19. कुआ शेरगंज	
	20. कुआ खेड़ली पारा	
	21. कुआ अयाना	
	22. कुआ कीरपुरा	
	23. कुआ मोहरी ख्वावदा	
	24 कुआ कटान ढोपरी	
	25. कूआ कंजर पुरा	
2-अन्ता	26. कुआ श्यामपुरा	
	27. कुआ मुडिया	
	28. कुआ महलपुर	
	29. कुआ सिगोला	
सुल्तानपुर	30. कुआ एवरा	
	31. कुआ कचोलिया	
	32. कुआ हरिपुरा	
	33. कुआ झोटोली	
	34. नीमली कूआ	
	35. कुआ शोपुरा	
	36. कुआ जियाहेडी	
	37. कुआ सुरेला	
	38. कुआ देदिया हेडी	
	39. कुआ पाली	
	40 कुआ बनेठिया	
	41. कुआ बीड़ सुल्तानपुर	
	42. कुआ चौमा कोट	
	43. कुआ रतनपुरा	
	44. कुआ मदनपुरा	
	45. कुआ दिवानिया	

387

परिशिष्ट–11 जुलाई, 1985 परिशिष्ट [702

काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत अपूर्ण कुओं को

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं/अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत कराये गये 59 कुओं की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.		नाम कार्य व ग्राम	वर्तमान स्थिति
पूर्ण कुओं की सूची–			
क्रमिक क्रम संख्या			
46.	1.	कुआ फरेरा	पूर्ण
47.	2.	कुआ मूगेना	"
48.	3.	कुआ डोरली	"
49.	4.	कुआ सोनोता	"
50.	5.	खेडलीदेव	"
51.	6.	कुआ दुर्जनपुरा	"
52.	7.	कुआ रघुनाथपुरा	"
53.	8.	कुआ करजोदा	"
54.	9.	कुआ बाडेली	"
55.	10.	कुआ कवल्दा	"
56.	11.	कुआ झाडगांव	"
57.	12.	कुआ चोपड़खेड़ी	"
58.	13	कुआ साण्डूखेड़ा	"
59.	14.	कुआ केशोली	"
60.	15.	कुआ रोलाना	"
अपूर्ण कुओं की सूची			
61	1.	कुआ मोरखूंदना	अपूर्ण
62.	2.	कुआ खेडली	"
63.	3.	कुआ दुर्जनपुरा	"
64.	4.	कुआ बरगू	"
65.	5.	कुआ कुनेठिया	"
66.	6.	कुआ कुण्डला	"
67.	7.	कुआ खेड़ किशनपुरा	"
68.	8.	कुआ सारोला	"

Page No 388

(388)

1	2	3	
चालू नहीं किए गए कुएं			
69.	1.	कुआ ननावता	चालु नहीं हुए
70.	2.	कुआ रामगंज	"
71.	3.	कुआ हवा खेडली	"
72.	4.	कुआ कीरपुरा	"
73.	5.	कुआ बोरदा	"
74.	6.	बैरवा खेडली	"
75.	7.	कुआ बीजावत	"
76.	8.	कुआ नारायणपुरा	"
77.	9.	कुआ रनोदिया	"
78.	10.	कुआ अयानो	"
79.	11.	कुआ कोटड़ा	"
80.	12.	कुआ नीमोला	"
81.	13.	कुआ ढीपरी	"
82.	14.	कुआ बैरवा अयाना	"
83.	15.	कुआ लक्ष्मीपुरा	"
84.	16.	कुआ अरनिया	"
85.	17.	कुआ नीमोदा	"
86.	18.	कुआ ठीकरदा	"
87.	19.	कुआ बैरवा ठीकरदा	"
88.	20.	कुआ गोठडा	"
89.	21.	कुआ घटोल	"
90.	22.	कुआ लाखनो	"
91.	23.	कुआ धनवा	"
92.	24.	कुआ देलोद	"
93.	25.	कुआ केठेंदा	"
94.	26.	कुआ गुडला	"
95.	27.	कुआ किशनपुरा	"
96.	28.	कुआ कवरपुरा	"
97.	29.	कुआ उम्मेदपुरा	"
98.	30.	कुआ जालिमपुरा	"
99.	31.	कुआ टहला	"
100.	32.	कुआ रामपुरिया	"
101.	33.	कुआ काबुली नोनेरा	"

1	2	3	4
102.		34. कुआ खखरा	चालू नहीं हुए
103.		35. कुआ खेड़ा	"
104.		36. कुआ डोबडा	"

परिशिष्ट "ख"

राष्ट्रीय ग्रामीण एवं माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये 59 कुओं की सूची

विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा

पंचायत समिति 1	क्र. सं. 2	नाम कार्य व ग्राम 3	कार्य की वर्तमानस्थिति 4	विशेष विवरण 5
इटावा	1.	कुआ मोरखूदना	अपूर्ण	
	2.	" रोहली	"	
	3.	" करवाड़	"	
	4.	" दुर्जनपुरा	"	
	5.	" गोठडा	"	
	6.	" खेडली देव	पूर्ण	
	7.	" वाडोली	"	
	8.	" करजोदा	"	
	9.	" फरेरा	"	
	10.	" सीनोता	"	
	11.	" पाड़ा	"	
	12.	" केशोपुरा	"	
	13.	" दौलतपुरा	"	
	14.	" हरिनगर	"	
अन्ता	15.	" मालबम्बोरी	"	
	16.	" बालापुरा	"	
	17.	" बमोरीकलां	"	
	18.	" श्यामपुरा	"	
	19.	" कूण्डला	"	

माडा योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

इटावा	20.	" नलावता	अपूर्ण	
	21.	" भाडोल	पूर्ण	
	22.	" किशनवास	"	
	23.	" गेंदी	"	
	24.	" खेरदा	"	
	25.	" कवंलदा	"	
	26.	" मालोली	"	
	27.	" कवलदा	"	

(390)

1	2	3	4	5
	28. कुआ	डोली	पूर्ण	
विधान सभा क्षेत्र दीगोद				
सुल्तानपुर	29. ,,	जिखाहेडी	अपूर्ण	
	30. ,,	भोटोली	,,	
	31. ,,	कुनेटिया	,,	वर्ष 85–86 मे
	32. ,,	आटोन	पूर्ण	स्वीकृत
	33. ,,	उदयपुरिया	,,	
	34. ,,	सुवाना	,,	
	35. ,,	शोमडखेडी	,,	
	36. ,,	रामनगर	,,	
	37. ,,	भाडगाव	,,	
	38. ,,	गिरधरपुरा	,,	
	40. ,,	दिवानिया	,,	
सागोद	41. ,,	सून्डकिया	अपूर्ण	
	42. ,,	खेडा किशनपुर	,,	
	43. ,,	सारोला	,,	
	44. ,,	कांकरिया	,,	
	45. ,,	कोलानी	पूर्ण	
	46. ,,	जगदीशपुरा	,,	
	47. ,,	बाछीहेडा	,,	
	48. ,,	वाबड़ा	,,	
	49. ,,	रोलाना	,,	
	50. ,,	रोलाना	,,	
	51. ,,	जुगलपुरा	,,	
	52. ,,	केशोली	,,	
	53. ,,	माण्डुखेड़ा	,,	
	54. ,,	कलमण्डी	,,	
	55. ,,	कन्नोलिया	,,	

माड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का विवरण :-

सुल्तानपुर	56. कुआ	उजाड़	अपूर्ण	
	57. ,,	पीपल्दा सकमेल	,,	
	58. ,,	रामपुरिया	,,	
	59. ,,	खेड़ली सहरना	,,	

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में खोले जाने वाले नये विद्यालय

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) वर्ष 1985-86 में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने विद्यालय कहां-कहां पर खोलने का प्रस्ताव है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू सत्र में कितने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक तथा कितने माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है, एवं उक्त का आधार क्या होगा ?

(3) चालू सत्र में कितने नये संकाय खोला जाना प्रस्तावित है ?

(4) प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक मिडिल स्कूल खोलने की घोषणा सरकार ने कब की थी, और उसकी क्रियान्विति कब तक होगी ?

(5) राज्य में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें एक भी मिडिल स्कूल नहीं है ? कृपया जिलेवार व नामवार सूची सदन की मेज रखें।

(6) जिन पंचायतों में एक भी मिडिल स्कूल नहीं है, वहां स्कूल खोलने अथवा पंचायत मुख्यालयों पर मिडिल स्कूल खोलने के मामलों में सरकार किसे प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1985-86 में किसी भी श्रेणी के विद्यालय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 1985-86 में किसी भी श्रेणी के विद्यालय खोलने या क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) चालू सत्र 1985-86 में नये सकाय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(4) प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है।

(5) राज्य में 1126 पंचायतें हैं जिनमें एक भी मिडिल स्कूल नहीं जिलेवार नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) यदि स्कूल खोले गये तो क्षेत्रीय आवश्यकता व भवन की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

Page No 392

(392)

जिला उदयपुर

पंचायत समिति खमनोर

1. खमनोर

पं. स. मावली

2. नान्दवेल 3. नरड़ा 4. बीड़यासर 5. महुआ 6. भीमल 7. मोरठ 8. लोपड़ा 9. बासलीकलां 10. बारणी

पं. स. भीण्डर

11. बारगढ़िया 12. पीथलपुरा 13. भोपाका खेड़ा

पं. स. गोगुन्दा

14. चांटियाखेड़ा 15. झाड़ाली

पं. स. राजसमन्द

16. पसुन्द 17. महासतियों की मादड़ी 18. भाटोली

पं. स. कुम्भलगढ़

19. सुखार 20. बुरावड़ 21. उसर 22. कड़िया

पं. स. देवगढ

23. काकरोड़ 24. सवांदड़ी (ए) 25. पारड़ी 26. जीरण 27. माद

प. स. भीम

28. बरजाल 29. कालागुमान 30. डूंगरखेड़ा 31. समेलिया

पं. स. आमेठ

32. थोसुएडी 33. सियाना 34. दोवडा 35. लोधियाना 36. गोवल 37. राछेड़ी

जिला उदयपुर (जनजाति क्षेत्र)

पं. स. सराड़ा

38. गावोद 39. कातनवाड़ा 40. ओडासर 41. धनकावाड़ा

पं. स. सलूम्बर

42. मातासुला

. स. घरियावद

43. चरी 44. लोझिया 45. धमानिया 46. भोजपुर 47. ठीकोया 48. दांतलिया 49. गोपालपुरा 50. नित्तोडिया

पं. स. झाडोल

51. कन्घरिया 52. जवड़ा 53. गेजवी 54. अटाटियां 55. पिपरवाड़ा

पं. स. खेरवाड़ा

56. धरनाल कोटड़ा

पं. स. गिर्वा

57. भाईयों की पांचाली 50. बल्लभ

जिला उदयपुर

पं. स. कोटडा

59. जोगीवाड़ा 60. नयावास 61. ढेड मारिया 62. गोगरूत 63. सामोली 64. गड़ा मारिया

जिला चित्तौड़

पं. स. अरनोद (जनजाति)

1. लालगढ़ 2. बेडया 3. रायपुर 4. फतहपुर 5. उचला 6. लेदना

पं. स. बेगू

7. डोराई 8. मेघनिवास 9. गोविन्दपुरा 10. सादी 11. दुगार 12 खोडी 13. मोतीपुरा 14. जयनगर 15. केरपुरा

पं. स. बड़ी सादड़ी

16. भजवा 17. केवलपुरा 18. रतिरामचन्द्र जी का खेड़ा

पं. स. भदेसर

19. पीपलवास 20. पोटलाकला 21. मालुण्डी 22. मारयां 23. लेलदा

पं. स. भैंसरोडगढ़

25. आडडलिया 25. राजपुरा 26. कामाखेड़ा 27. चलासियां 28. फुलालिया

पं. स. छोटी सादड़ी

29. मानपुरा 30. दिथलबड़ी 31. पिलीखेड़ा

पं. स. चित्तौड़गढ़

32. सामरी 33. सेलिया 34. नेतावलबढ़ पावली 35. सुवाणिया 36. काटूंदे 37. देवरी 38. सोनगर 39. ढोला का सांवता 40. बनसेर 41. पालका 42. पाल 43. जालमपुर

(395)

पं. स. डूगला

44. रावतपुरा उर्फ सादड़ी 45. फलोड़ा 46. आलोद 47. लोहानियां 48. नाडा खेड़ी

पं. स. कपासन

49. दाभाखेड़ा

पं. स. निम्बाहेड़ा

50. भगवानपुरा 51. मंलढारण 52. बडोली घारडा

पं. स. प्रतापगढ़ (जनजाति)

53. सिदपुरा 54. अनेरा 55. मनोहरगढ़ 56. कब्रोटिया 57. बीरपुरा 58. अनावला 59. बिकलाव 60. घोटारती 61. पण्डवा 62. अचलपुरा

पं. स. राशमी

63. सांखला 64. भालोटा 65. उण्डवा 66. जोजरा का खेड़ा 67. खादी

जिला डूंगरपुर

पं. स. डूंगरपुर

1. सिदडी खेरवाड़ा 2. बेड़ा

पं. स. बिछीवाड़ा

3. रामपुर मेवाड़ा 4. गुमानपुरा 5. मुरपुर

पं. स. सागवाड़ा

6. गडाभूमजी 7. हडमाला 8. पीपलागुंज 9. काहेला

पं. स. आसपुर

10. टोंकवासा 11. दोलपुरा 12. मत्याला

पं. स. सीमलवाड़ा

13. खादड़िया 14. दोरावरपुरा 15. भवडिया 16. धुपेड 17. सालेड़ा 18. कोचरी 19. साकोदरा

जिला बांसवाड़ा

पं. स. बांसवाड़ा

1. उमराई

पं. स. बागीदौरा

2. उम्मेदगढ़ी

पं. स. पीपलखूंट

3. नाशिम 4. रोहनिया 5. रीछडी 6. ठेसला

पं. स. सज्जनगढ़

7. टांडारतना 8. महुडीनानी

पं. स. आनन्दपुरी

9. कड़दा 10. खटालाल पारगी 11. बोरवानिया 12. छापरा 13. तेजपुरा 14. टनकू 15. डिफोर 16. पाटिया गलिया 17. टोडिया 18. कुमारी संग्रामपुरा

पं. स. कुशालगढ़

19. वस्सी 20. चुडादा 21. चुरकनी 22. खेरदा 23. खेटाबारी 24. पाडला

पं. स. घाटोल

25. घगटे की नाल 26. बारपी काटा 27. ईसरवाला 28. झरकनीया 29. पाडला

जिला भीलवाड़ा

पं. स. आसीन्द

1. बोरेला 2. दडावट 3. रतनपुरा 4. रूपपुरा 5. जालरिया

पं. स. बनेडा

6. रावसी 7. बामणिया 8. वालेसरिया 9. काकोलिया 10. लाम्पिया खुर्द 11. भोजपुरा 12. खेड़लिया

पं. स. हुरड़ा

13. गढवालों का खेडा 14. बरांढ़िया

पं. स. जहाजपुर

15. रावत खेडा 16. बरोड़ा 17. मोहनपुरा

पं. स. कोटड़ी

18. किशनगढ़ 19. रीठ 20. लसाड़िया

(394)

पं. स. मान्डल

21. जोवरपुरा 22. घुवाला (करेड़ा) 23. भवाणा 24. रामपुरिया
25. ग्रालमास 26. कवराडिया 27. भीमड़ियासस

पं. स. माण्डलगढ़

28. राजपुरा 29. श्री नगर 30. खावरोत 31. जालिया 32. सुरास
33. भोपालपुरा 34. गोपालपुरा 35. मकरेड़ी

पं. स. रायपुर

36, गलवा 37. खाकरमाला 38. पीथा का खेड़ा

पं. स. सहाड़ा

39. गणेशपुरा

पं. स. शाहपुरा

40. डाबला चान्दा 41. कनेछत खुर्द 42. अरणिया 43. इटमारिया
44. फूलया खुर्द

पं. स. सुवाणा

45. गुंदली 46. रामपुरिया 47. कोवरिया 48. सेंधरिया 49. दुडिया 50. सिदड़ियास
51. भोली

ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम
1.	बीकानेर	कोलायत	सूरजड़ा
2.	"	"	भोलासर
3.	"	"	सियाणा
4.	"	"	बीठनोक
5.	"	"	भाणे का गां
6.	"	"	गुड़ा
7.	"	"	नगरासर
8.	"	"	वरसलपुर
9.	"	लूणकरणसर	रावांसर
10.	"	"	सुई
11.	"	"	काकड़वाला

1	2	3	4
12.	बीकानेर	लुणकरनसर	महादेववाली
13.	"	"	कानोलाई
14.	"	"	खारबारा
15.	"	"	खानीसर
16.	"	"	भ्रमरपुरा
17.	"	बीकानेर	करणीसर भाटियान
18.	"	"	कालासर
19.	"	नोखा	दीगारी
20.	"	"	घरनोक
21.	"	"	उदासर
22.	"	"	भादला
23.	"	"	चरकड़ा
24.	"	"	सलूण्डिया
25.	"	"	मोरखाना
26.	"	"	जैसलसर

जिला झुंझुनू

1.	झुंझुनू	उदयपुरवाटी	बागोरा
2.	"	खेतड़ी	रसुलपुर
3.	"	"	गाडररोटा
4.	"	"	बांगलिया गूजरवास
5.	,	सूरजगढ़	मोरवा
6.	"	"	दूधवा
7.	"	"	जीपी
8.	"	"	लाखू
9.	"	झुंझुनू	चूड़ चतरपुरा
10.	"	चिड़ावा	घतरवाला
10.	"	"	बढूनगढ़
12.	"	"	गोठड़ा लाम्बा
13.	"	बुहाना	लाम्बी ग्रहीर

जिला गंगानगर

1.	गंगानगर	पदमपुर	7 डीडी
2.	"	"	5 बी बी ए, बुटासर

1	2	3	4
3.	श्री गंगानगर	पदमपुर	35 बी बी
4.	"	"	20 बी बी प्रथम
5.	"	"	23 बी बी वेरा
6.	"	"	16 बी बी
7.	"	"	1 पी एस
8.	"	"	माजूवास
9.	"	"	39 आर बी
10.	"	"	3 आर वी ए
11.	"	करणपुर	33 एच जोड़ किया
12.	"	"	7 एस किकरवाली
13.	"	"	2 एफ एफ ए
14.	"	"	14 एफ एफ बी
15.	"	"	9 एफ एफ बड़ोपल
16.	"	"	46 एफ मोड़ा
17.	"	"	10 ओ तेजावाला
18.	"	"	15 जेड़ एम एम घरगवाली
19.	"	"	4 ई जी जी श्रीनगर
20.	"	"	27 एफ कमीनपुर
21.	"	"	15 ओ
22.	"	"	8 बी
23.	"	भादरा	चिड़िया गांधी
24.	"	"	गुन्तड़िया बड़ा
25.	"	"	रतनपुरा
26.	"	नोहर	चक सरदारपुरा
27.	"	"	लालानावास दिग्रमाद
28.	"	"	बरमसर
29.	"	"	जेपासर
30.	"	हनुमानगढ़	खुनजा
31.	"	"	डबलीबास पैना
32.	"	"	डबलीबास कुव
33.	"	"	डबलीवास मोफीवाला
34.	"	शादुलशहर	गंडवाला
35.	"	"	शाहपीनी

(399)

1	2	3	4
36.	श्री गंगानगर	शादुलशहर	गदरखेडा
37.	,,	,,	नारायणगढ़
38.	,,	,,	बहुरामपुरा बोदला
39.	,,	,,	डूंगरसिंहपुरा
40.	,,	,,	संघुवाला (24 एच.पी पी)
41.	,,	,,	8 एच एच

जिला गंगानगर

पंचायत समिति सूरतगढ़

42. गोलूवाला लिहागास, 43. गोलूवाला निवादान, 44. पदमपुर, 45. राजपुरामि मरैन, 46. ठेठारा, 47. शीपासर, 48 ठुकराना, 49. देददासपुरा, 50. मालेर, 51. गोविंदसर,

पंचायत समिति श्री गंगानगर

52. 1 सीबड़ी (ग्राडेकी) 53. 2 एफ (बडी) 54. 8 एच (भगतपुरा) 55. 11 क्यू (बखताना) 56. 18 जेड़ 57. 9 जेड़ 58. 3 जेड़, 59. 4 एम एल 60. 10 जेड़, 61. 27 जी जी 62. 13 जी छोट 63. 5 एच एल, 64. 4 जी छोटी, 65. 4 एल एल

पंचायत समिति रायसिंहनगर

66. 3 एम के, 67. 13 टी के छोटावाली, 68. 21/23 एन बी ठण्डी, 69. 5 टीके 70. 6 एफ बड़ी (खबालीवाला) 71. 66 आर बी 72. 78 आर बी फोजवाला 43. 27 पी एस किलमेवाला 74. 30 पी एस ए किशनपुरा 75. 32 पी एस ए सावतसर 76. 22 पी एस 77. 10 टी के 78. करड़वाला 79. 68 एन सी 80. 33 पी एस छोटा 81. 75 एन पी

पंचायत समिति अनुपगढ़

82. बुगिया 83. 26 बीऐ स्वरुपसर 84. 7 जीबी, 85. 24 जाबी 86. 20 जी बी 87 गोमावाली 88. 17 जी बी 89. 61 जी बी 90. 50 जी बी 91. 65 जी बी 92. 61 जी बी 93. 73 जी बी 94. 78 जी बी, 95. 90 जी बी 96 रोजड़ी 97. गहरवाली

जिला चूरू

पंचायत समिति तारानगर

1. अलायला 2. झाड़सर छोटा

पंचायत समिति रतनगढ़

3. नूंवा 4. जांदवा 5. नौसरिया

पंचायत समिति राजगढ़

6. भोमसाना 7. बिरमी खालसा 8. कालरा 9. बीजावास 10. नीमा 11. सुलवाणिया

पंचायत समिति डूंगरगढ़

12. बाड़ेला 13. साड़ासर

पंचायत समिति सरदारशहर

14. शिमला 15. मैलूसर 16. मेहरासर चावेरा 17. बीकमसरा 18. भोजूसर उपधियान

पंचायत समिति सुजानगढ़

19. बाड़सर 20. जोगलिया 21. गुलेरिया 22. बालेरा 23. मूरडाकिया

जिला सीकर

पंचायत समिति धोद

1. नेतड़वास 2. बाड़लवास

पंचायत समिति पिपराली

3. दांदिया 4. शिवू

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़

5. कुमासजाटाम 6. हमीरपुरा 7. घिरनियाबड़ा 8. धानणी

पंचायत समिति फतेहपुर

9. पालास 10. बनाथला 11. सहनुसर 12. देवास

पंचायत समिति दांतारामगढ़

13. बनाथला 14. वाजीकावास 15. छोलासरी 16. मारोजा 17. भोमा 18. जाना 19. खण्डेलसर 20. डूकियां 21. खोरा

पंचायत समिति श्री माधोपुर

22. हथौरा

पंचायत समिति खण्डेला

23. केरपुरा 24. दायरा 25. गोकूल बस 26. बरसिंहपुरा 27 सीरोटी 28. रोपल

पंचायत समिति नीम का थाना

29. नावाली 30. श्यामपुरा 31. मोकलवास 32. दीपावास

जिला जयपुर

पंचायत समिति बांदीकुई

1. झाझीरामपुरा 2. बडिया खुर्द 3. भाण्डेडा 4. पिचुपाड़ाकलां 5. नन्नेरा 6. गुढ़ाप्रासिकपुरा 7. रलावता 8. मुंडघीसा 9. मउखुर्द 10. गादरवाड़ा गुजरात

पंचायत समिति लालसोट

11. खंटुम्बर 12. सलेमपुरा 13. अमरावाद 14. बीछा 15. गोमलियावास 16. होदायली 17. चांदसैन 18. टोड़ाठेकला 19. बगड़ी 20. काकरिया 21. लालपुरा 22. घरिड़या किशोरपुरा

पंचायत समिति आमेर

23. अनोपपुरा 24. बिलांची 25. सेलापुरा 26. देवगुढ़ा 27. अखेपुरा

पंचायत समिति बस्सी

28. रामरतनपुरा 29. कुथडा खुर्द 30. खिजूरियान ब्राह्मण 31. खेतपुरा 32. पड़ासोली 33. करनगढ़ 34. भगवतपुरा

पंचायत समिति दोसा

35. रलावता 36. ग्लवास 37. बड़ागांव 38. चोरड़ियावास

पंचायत समिति सांगानेर

39. जयपुरा 40. मोहनपुरा 41. श्रीराम की नागल 42. विधानी 43. कल्याणपुरा

402

पंचायत समिति सिकराय

44. चांदेरा 45. उदयपुरा 46. पांचोली 47. कुन्डेरा डूंगर 48. नामनेर 49. कैलाइ 50. कराँशपपुरा

पंचायत समिति झोटवाड़ा

51. सरना डूंगर 52. हाथोद

जिला जयपुर

पंचायत समिति दूदू

53. नानण 54. सिरोही कलां 55. श्रीरामपुरा 56. रसीली 57. घमाणा 58. शारदूलपुरा 59. चैनपुरा

पंचायत समिति फागी

60. पचाला 61. झाड़ला 62. परबण 63. मादी

पंचायत समिति सांभरलेक

64. खेड़ी मिल 63. तेजा का बास 66. जोरापुरा 67. भुडोती 68. जैतपुरा स्टेशन

पंचायत समिति कोटपुतली

69. खड़ब 70. मोहनपुरा 71. चरभुज 72. कल्याण खुर्द

पचायत समिति जमवारामगढ़

73. रोहारी 74. रामपुर 75. मानोता 76. धर्मपुरा

पंचायत समिति चाकसू

77. काठावाला 78. राडोसी 79. बापूगांव 80. जापताकलां 81. खेणरानीवास 82. मंडालिमा मैदा 83. गिरधारी लालपुरा 84. माधोसिहपुरा

जिला अजमेर

पंचायत समिति केकड़ी

1. भराई 2. मोरधा 3. चोलीवास 4. खेजड़ी

पंचायत समिति मसूदा

5. मोयणा 6. तूलवां 7. धोलादाता 8. हरराजपुरा 9. देवमाली

पंचायत समिति जवाजा

10. सुहावा 11. बराखण्ड 12. प्रतीतमण्ड 13. फतहपुर 14. खेदरिया
15. नून्द्रमेन्द्रातान

पंचायत समिति अराई

16. ढसुक 17. मण्डाबरिया 18. कालमनाड़ा 19. लालाई 20. भगवानपुरा
21. सुवां

पंचायत समिति पीसांगन

22. भाटियानो 23. मायापुर 24. तिलोरा 25. लामाना

पंचायत समिति श्रीनगर

26. बूबानो

जिला जयपुर

पंचायत समिति सिलोरा

27. नवां 28. पल

पंचायत समिति भिनाय

29. सरानो 30. शोकलिया 31. भागवन्तपुरा 32. सातोलाब 33. धांतोल
34. सोवड़ी 35. छछून्दरा

पंचायत समिति मसूदा

36. काखाखेड़ा

जिला भरतपुर

पंचायत समिति डीग

1. दीदावली 2. घमारी 3. स्योरावली 4. ककड़ा 5 जटरी 6. मोरोली

पंचायत समिति नगर

7. मुडौती 8. पेंडेवा 9. ककराला 10. आलमशाह 11. पथरावी 12. सेडोसी

पंचायत समिति बयाना

13. खोहरा 14. झालाबाद 15. बरोदा 16. पालीडांग 17. तीतीपुरा 18. शेरगढ़ 19. महुनोली 20. खूंटखेड़ा 21. कैर

पचायत समिति वास

22. अध्यारी 23. बारहमासी 24. ढाना

पंचायत समिति नंदबई

25. लुहासा 26. करई 27. खागरी

पंचायत समिति कांमा

28. बाई 29. गावड़ी 30. मंडारा 31. उदाक्षा 32. कनवाड़ा 33. छिछवाड़ी 34. श्रोलन्दा 35. लुहेसर 36. बिलग 37. गठग्रजान 38. घालेट 39. घोटमीका 40. बामनबाड़ी 41. घोनिगा 42. सोकेर 43. जोतरूहल्ला 44. जोबरीपीपल

जिला ग्रलवर

पंचायत समिति रामगढ़

1. निवाली 2. पिपरोली 3. सैथैली

पंचायत समिति कोटकासिम

4. नीमलाका 5. रामपुराजाटान 6. शाहपुर 7. पालसपुर

पचायत समिति किशनगढ़बास

8. जाटाका 9. झार खेड़ा 10. थाना घोड़ा

पंचायत समिति उमरेण

11. डहलावास 12. परसा का बास 13. सताना

पंचायत समिति राजगढ़

14. भौंकरी 15. देवती

ऐसा ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है :—

क. सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1.	जैसलमेर	सम	सलग्रा
2.	,,	,,	बीदा
3.	,,	,,	लूणार
4.	,,	,,	डेढ़ा
5.	,,	,,	बेरसियाल
6.	,,	,,	फरड़ा
7.	,,	,,	तेजराबा
8.	,,	,,	करड़ा
9.	,,	,,	खते
10.	,,	,,	शाहगढ़
11.	,,	,,	हरणाऊ
12.	,,	,,	मपूरिया
13.	,,	,,	रिबड़ी
14.	,,	,,	तेजमालता
15.	,,	,,	वईया
16.	,,	,,	बूण्डा
17.	,,	,,	अड़चला
18.	,,	,,	छलागढ
19.	,,	,,	कोटड़ी
20.	,,	,,	नरसिगों की ढाणी
21.	,,	,,	मुलाना
22.	,,	,,	रासला
23.	,,	,,	राभवा
24.	,,	,,	किशनगढ
25.	,,	,,	तेजपाला
26.	,,	,,	बाघा
27.	,,	,,	नेहान
28.	,,	साकड़ा	राजगढ
29.	,,	,,	सुलुणाकला
30.	,,	,,	बारोबा
31.	,,	,,	गडी चम्पावत

1	2	3	4
32.	जैसलमेर	साकडा	मछिया कैलावा
33.	"	जैसलमेर	नड़ाई
34.	"	"	सुल्ताना
35.	"	"	कोठोड़ी
36.	"	"	भादासर
37.	"	"	बाहला
38.	"	"	अमर सीगर
39.	"	"	गुनियाबारा
40.	"	"	कणोद
41.	"	"	पिथला
42.	"	"	चिन्नू
43.	"	"	पांच का तला
44.	"	"	बताना

जिला बाड़मेर

पंचायत समिति बाड़मेर

1. बाडमेर आगेरू 2. उटखा 3. कगाला 4. भाचम्भर 5. हाथों की ढाणी 6. चाडी 7. गरल 8. हाथरीतला

बालोतरा पंचायत समिति

9. गोपड़ी 10. तिलवाड़ा थूम्बली 12. कंकराला

पंचायत समिति सिवाना

13. गोलिया 14. देवेन्दी 15. पऊ 16. धापणा

पंचायत समिति शिव

17. आरंग 18. स्वीमा का गांव 19. मुगेरिया 20. सुन्दरा 21. शाहबाद 22. झकली 23. बन्धड़ा

पंचायत समिति धोरी मन्ना

24. रतनपुरा 25. बांटा 26. चारणान 27. खारी 28. किलनोरिया 29. बामगौर भवरशाह 30. गगासरा

407

पं. स. सिणधरी

31. भूका 32. नोसर 33. साजम 34. गोलिया बैतमाल 35. खशडाला
36. सेवनयाला

पं. स. चोहटन

37. ग्राटिया 38. इटावा 39. सेड़वा 40. हरपालिया 41. भवार
42. मूंवरिया 43. हाथला 44. झड़ना 45. जानपाबिया 46. बीसासर
47. मीठे कातला 48. नवातला 49. केतनोर 50. रमजाम का गफन

पं. स. कायत

51. बान्दरा 52. कैसूम्बला भाढियाना 53. खारड़ा भरतसिंह 54. गाजवा
55. कोलू 56. सोहड़ा

जिला सिरोही

पं. स. ग्राबूरोड़

1. ग्रोरिया 2. बखादुरपुरा 3. ग्रावल 4. सूरपगला 5. उतरज 6. मोरथला
7. वाम्बड़ी 8. उपलागढ

पं. स. सिरोही

9. धान्ता 10. नवारा 11. सनपुर 12. सरतरा 13. बोडेली (ग्रामदान ग्राम)
14. खाम्बला 15. धूबाना 16. मोरेली 17. वाण 18. चूली 19. रोजाड़ा

पं. स. शिवगंज

20 जैतपुरा 21. छीवागांव 22. ग्राल्पा 23. नारादरा 24. ग्राढोर
25. ग्रोडा 26. तेलपुर 27. बरली

पं. स. रेवदर

28. वासन 29. भरगढ़ 30. धाएा 31. जीतपुर 32. पीथापुर 33. बसमान
34. पदर 35. उड्वारियां 36. जोसीतरा 37. डाक 38. डबानी
39. ग्रासावा 40. टोकरा

पं. स. पीण्डवाडा

41. बालोरिया

जिला जोधपुर

पं, स. बिलाड़ा

1. चांदेलाव 2. चिरवाड़ी 3. रावनियाना 4. खेड़ावा 5. बोडवी खुद
6. भालूगा

पं. स. फलौदी

7. बेगटी 8. ईइक

पं. स. मण्डोर

9. नारवा

पं. स. बाप

10. बड़ी सिड़ 11. लूणा

पं. स. लूनी

गाडी जोशीयान

जिला सवाई माधोपुर

पं. स. महुवा

1. तालिमपुर 2. रामगढ 3. नौरगबाड़ा 4. पलानहेड़ा 5. ग्राडा बुजुर्ग

पं. स. नादोती

6. खानपुर बाडोदा 7. बाड़ कलां 8. सलेमपुर उमरी 9. कुनपुग्रों कलां
10. महानन्दपुर 11. रायपुर

पं. स. हिन्डौन

12. पालनपुर 13. मोठियापुप 14. गावड़ा मिना 15. ठहरा 16. महूखाल
17. तहचोडा 18. चांदन गांव

पं. स. टोडाभीम

19. चाडोसा 20. जोला 21. मातासूला 22. कटरा ग्रजीज 23. मंडारी
ग्रदली 24. ग्रादूखोरा

पं. स. बामनवास

25. सुनेल 26. सुकार 27. फुलवाड़ा 28. मरोठा 29. जीवद 30. बीगड़ी
31. जगीदा 32. रानीपुरा 33. वोड़ 44. धार 35. जामोदा
36. बाजना 37. लूनोज 38. नानपुर 39. कलेड 40. बापोली 41. थूनडार
42. लेदिया

पं. स. सवाई माधोपुर

43. गुरहद 44. धोरेरा 45. मोदर 46. रामड़ी 47. खोरोदा 48. बदलंवा
49. नहानपुरा 50. मेनपुरा 51. अजनोटी 52. बमवारी 52. आटूनकलां
54. जीनापुर

पं. स. करौली

55. जहांगीरपुर 56. खुनेसरा 57. रोड़कलां 58. रामपुरधाभाई 59. गैरई
60. मतेवा 61. डकावली 62. तेसूरा 63. काशीपुरा 64. तुलसीपुरा

पं. स. खण्डोर

65. रेडावद 66. झावगढ़ 67. डांगरवाला 68. बरनावदा 69. गौड़ बिहारी
70. चितारा 71. बड़ागांव सरवर

पं. स. बोली

72. झनून 73. सादड़ा 74. कुशालपुर 75. बकुई 76. जावदकलां
77. दस्तूनी

जिला टोंक

पं. स. टोडारायसिंह

1. लक्ष्मीपुर 2. मोर भटियान

पं. स. देवली

2. चंदवाद

पं. स. उनियारा

4. रूपपुरा 5. कचरावता 6. बिलोता 7. मण्डावरा 8. भुण्डवा 9. पागरा

410

पं. स. निवाई

10. नलवाड़ी 11. श्रीरामपुरा उर्फ नया गांव 12. भरथला 13. ढाणीजुगलपुरा

पं. स. टौंक

14. निम्बाहेड़ा 15. काशीपुरा 16. तोखोली 17. पालड़ा 18. वजीरपुरा

पं. स. मालपुरा

19. देशमा 20. चैनपुरा

जिला झालावाड़

पं. स. बकासनी

1. देवर 2. बरलाढा खुर्द 3. भूमाड़ा 4. ढोवडी 5 दुधालिया 6. अमरपुरा खुर्द 7. गुलखेड़ी 8. अमतखेडी 9. बीरखेडी लोढान 10. पाडल्या लोढान

पं. स. झालरापाटन

11. उशमाल 12. आनन्दा 13. टांडी सोहनपुरा 14. अरोलिया 15. राजपुरा 16. बुढनपुर 17. नारायणखेडा 18. सूर कन्या 19. मोडक्री 20. मोजखेडा 21. चौरिफ खेडी कलां 22. दीदयाखेडी

पं. स. मनोहर थाना

23. अर्जुनपुरा 24. महराजपुरा 25. मदनपुरा 26. झीरी 27. घडावली 28. देवरी चंचल

पं. स. डग

29. खांखरिया खुर्द 30. गुनाई 31. मन्दिरपुरा 32. जामुनिया 33. उदयपुर चाचुनी 35. विशनिया

पं. स. खानपुर

36. मोहरा 37. उम्मेदपुरा 38. हांचर 36. बीसनखेडी 40. बांसखेडा 41. राजपुरा 42.मतवाली 43. कोडदा

पं. स. पिडावा म. सुमेल

44. वेमलरिखाम 45. समेला 46. मायाकेडी 47. सामिया 48. पडासली 49. बोरदा 50. गैलाना 51. दोबडा 52. सैमली भवानी

पं. स. झालरापाटन

53. बाली

जिला नागौर

पं. स. नागौर

1. कालडी 2. सींगड 3. झाड़ीसरा 4. सुखबासी (ग्रामदानी गांव)

पं. स. मूंडवा

1. गोठडा 2. माणकपुर

पं. स. जायल

7. छाजोली 8. बरनेल 9. गेलाली 10. सोनेली 11. आबलिवासर

पं. स. डेगाना

12. घाटा 13. जालसू खुर्द 14. आंतरोली खुर्द 15. मांझी 16. बच्छावरी
17. बरना

पं. स. मेडता सिटी

18. सोगावास 19. नेपूड़िया 20. ओलादान 21. छापरी खुर्द 22. रियाश्याम-
दास

पं. स. रियांबड़ी

23. झीटिया 24. सूदबाद 25. कोंड 26. बाडी घाटी 27. बडाकली
28. मुगदडा 29. जसवन्तावाद 30. मोडी कलां

पं. स. परबतसर

31. झालरा 32. टापरमाड़ा

पं. स. मकराना

33. सरनावड़ा 34. खेडीशोला 35. नीमबड़ी 35. चाण्ड़ी

पं. स. डीडवाना

37. आजवा 38. कलवानी 39. आगता 40. सानिया 41. थेवड़ी
42. बेगसर 43. अलकपुरा 44. नुवा 45. दीनदारपुर

पं. स. लाडनू

46. दुजार 47. लाछडी 48. गेनाणा 49. खामियाद 50. श्रीकृष्णापुरा

पं. स. कुचामन सिटी

51. गोविन्दी 52. भन्दोखा 53. रूपपुरा 54. चारणांवास 56. परबेड़ी
56. सरगोट उर्फ पदमपुरा 57. मण्डाबरा 58. आनन्दपुरा

जिला जालौर

पं. स. जालौर

1. देवकी 2. ऊण 3. सामतीपुरा 4. चान्दना 5. मेडा उपरला 6. बीबलसुर 7. मड़गांव 8. नारायणावास

पं. स. आहोर

9. मादड़ी 10. डोडियाली 11. कवला 12. बाला 13. सुगालिया जोधा 14. बेडिया 15. चवराचा 16. काम्बा

पं. स. सायला

17. तालियाड़ा 18. कोमता 19. मसाणा 20. बाबतरा 21. डींगरा 22, साफगडा 23. आबलाज

पं. स. भीनमाल

24. भालनी 25. बाली 96. कालेटी 27. नारिया 28. रेगाला 29. चैनपुरा 30. भागलभीम

पं. स. जसवन्तपुरा

31. गजीपरा 32. दातलावास 33. सावीदर 34. खानपुर 35. मालपुर 36. सेरणा

पं. स. रानीवाड़ा

37. मेड़ा 38. कोडा 39. सेमाड़ा 40. सिलासन 41. चिरोडी 42. अखरोड़

पं. स. सांचोर

43. भीमगुडा 44. सथडी 45. सेजडीयाली 46. वीछावाडी 47. होलीगांव 48. बापरला 49. डबल 50. गुडाहेगा 51. निम्बाऊ

जिला पाली

पं. स. सोजत

1. शिवपुरा 2. मैय 3. हिंगावास 4. रेन्दडी 5. वासना 6. खोडिया 7. गुढारामसिंह

पं. स. रानी

8. गुजनीपुरा 9. नादानभाटान 10. जीवन्दकलां 11. केराली 12. इटन्त्रा–चारणान

पं. स. रायपुर

13. अमरपुरा 14. सुवलपुरा 15. हाजीबास

पं. स. जैतारण

16. टूकड़ा 17. मुमलियां 18. फलमाल 19. थोडावट

पं. स. सुमेरपुर

20. देवतड़ा 21. बल्लपुरा 22. कोलीवाड़ा 23. कोरटा

पं. पाली

24. फवाणियावास

पं. स. देसूरी

25. हुदापुरा 26. केसूली 27. सुमेर 28. बड़ोद

पं. स. मारवाड़

29. गुढारामसिह 30. गुढा सूरसिंह 31. मंगोड़ा 52. मलसावावडी 33. जानूजड़ा 34. बासनी जोजावर 35. चवाड़िया 36. हिन्मोला खुर्द 57. गुढाकेसरसिंह

पं. स. रोहट

38. घण्टा 39. कलाली 40. नीमती उरा

पं. स बाली

41. भिगेश्वर 42. पादरला 43. कुंभटिया 44. सेहा 45. आमलिया 46. गोरिया

पं. मारवाड़ा ज.

47. हेमालियावास खुर्द

जिला धौलपुर

पं. स. धौलपुर

1. चितौरा 2. बोधपुर 3. हिनोता 4. मूसलपुर 5. मढीचटोला 6. कोलुआ 7. पुरैनी 8. कोटरा 9. मिघौराकलां

पं. स. राजाखेड़ा

10. सिकरोधा 11. देवखेडा 12. समोना 13. फीरासपुरा 14. महमदपुरा 15. जलालपुर 16. शायपुरा

पं. स. बाड़ी

17. निधेरा 18. नोरहा 19. नीमखेड़ा 20. बिजोती 21. कुंदिना

पं. स. बसेड़ी

22. खिडोरा 23. दौपुरा 24. अतरसूमा 25. हरजुपुरा 26. बीझोली 27. गढासिल 28. गोलारी

जिला बून्दी

पं. स. हिन्डोली

1. काछोला 2. गुढा 3. सहसपुरिया 4. भवानीपुरा 5. रामचन्द्रजी का खेड़ा 6. आकोला 7. डावेटा

पं. स. पाटन

8. करवाला 9. करवाला की झोपड़ी 10. गेण्डोली खुर्द 11. आजंदा 12. सखावदा 13. माखीदा

पं. स. नैनवा

14. गुढासदावरलिया 15. गोकूल 16. सुवान्या 17. बालापुरा 18. माणी 10. मोहूसा

पं. स. तालेड़ा

20. बाजल 21. अलपानगर 22. आमली 23. घनेश्वर 24. डोरा 24. रामनगर 26. दोलाड़ा 27. लालपुर 28. रिहोड़ा

जिला कोटा

(1) पंचायत समिति सुलतानपुरा :– पशेलसिया,

(2) ,, ,, अन्ता :– बोरदा,

(3) ,, ,, बांरा :– बटसुई

(4) ,, ,, किशनगढ़ :– मेहरावता

(5) ,, ,, शाहबाद :– भोपाल

(6) ,, ,, अटरू :– ढोटी,

(7) ,, ,, ,, :– बरला

(8) ,, ,, सांगोद :– गुरुजारा

(9) ,, ,, खेराबाद :– कुटकिया

टोंक स्थित चमड़े का कारखाना

2.7. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या राजकीय उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि टोंक में चमड़े का कारखाना निरन्तर घाटे में चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना घाटा हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कारखाने को घाटे से बचाने हेतु अब तक कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व अब क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) पिछले पांच वर्षों में उक्त कारखाने का घाटा निम्न प्रकार रहा है:-

वर्ष	घाटा (लाखों रुपयों में)
1979-80	18.27
1980-81	37.22
1981-82	11.10
1982-83	25.57
1983-84	62.66

(3) उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह कारखाना रुग्ण अवस्था में है और इसे पुनर्जीवित करना आवश्यक हो गया है।

इस इकाई के पुनर्जीवन के लिए एक योजना बना ली गई है जो वर्तमान में वित्तिय संस्थानों और राज्य-सरकार के विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त इसके प्रशासकीय एवं तकनीकी प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। अब एक पूर्णकालीन प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है। टोंक फैक्ट्री में भी एक तकनीकी व्यक्ति को महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया। परचेज-कम-सेल्स मैनेजर के पद के लिए भी एक तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया गया है।

साथ ही मितव्ययता की ओर भी ध्यान दिया गया है और स्टाफ की आवश्यकताओं का पुनरोवलोकन कर खर्च में कमी की गई है।

बाड़मेर जिले में राहत कार्यों पर लगे श्रमिक

228. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मजदूरों की संख्या के बराबर अकाल राहत कार्यों पर मजदूर नहीं लगाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में कई अकाल राहत कार्य जून माह में या तो बंद हो गये या मजदूरों की संख्या कम हो गई ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की वैकल्पिक मजदूरी की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को क्या प्रस्ताव भेजा ? राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(अकाल राहत मंत्री)

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में प्रभावग्रस्त कुल 496 ग्रामों के लिए कुल 316 राहत कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें 266 कार्य प्रारंभ हो गये हैं। इन कार्यों पर 27,960 श्रमिक कार्यरत हैं। जिन क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ किये गये थे, वहां उपलब्ध श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। निर्धारित सीमा तक श्रमिक नियोजित नहीं किये जाने का कारण पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों का उपलब्ध नहीं होना है।

(2) माह जून, 85 में सा. नि.विभाग के 4 कार्य तथा भू-संरक्षण के 15 कार्य पूरे होने के कारण बन्द हो गये। इन कार्यों पर लगे श्रमिकों को आस-पास के क्षेत्र में चल रहे नाड़ी कार्यों एवं अन्य राहत कार्यों पर नियोजित किये जाने की स्वीकृति दी गई है। माह जुलाई, 1985 में कुल 22 नाड़ी खुदाई के कार्य एवं दो सड़क कार्यों की स्वीकृति और जारी की गई है।

जोधपुर दुग्ध डेयरी प्लान्ट में आग से क्षति

229. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़): क्या पशु पालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जोधपुर दुग्ध डेयरी प्लान्ट में आग लगने के क्या कारण थे ? इससे कितना नुकसान हुआ व प्लान्ट के दुबारा चालू होने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

जोधपुर दुग्ध डेयरी प्लान्ट में आग नहीं लगी। इसलिये इससे नुकसान का प्रश्न नहीं उठता। जोधपुर डेयरी प्लांट चालू है।

बयाना में महाविद्यालय खोलना

230. **श्री ब्रजेन्द्रसिंह** (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कौन कौन से उपजिला खण्ड पर महाविद्यालय नहीं है ?

(2) क्या बयाना में महाविद्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्नलिखित उप जिला खण्ड पर महाविद्यालय नहीं हैं :—

क्र. सं.	जिले का नाम	उपखण्ड का नाम
1.	अलवर	तिजारा
2.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़
3.	बाड़मेर	बालोतरा
4.	भरतपुर	बयाना
5.	भीलवाड़ा	1. गुलाबपुरा 2. माण्डलगढ़ 3. गंगापुर
6.	बून्दी	नेनवा
7.	चित्तौड़गढ़	1. कपासन 2. बेगू
8.	चूरू	रतनगढ़
9.	जयपुर	1. आमेर 2. फुलेरा
10.	झालावाड़	अकलेरा
11.	झुन्झनू	खेतडी
12.	जोधपुर	फलोदी
13.	कोटा	1. छबड़ा 2. रामगंज मंडी
14.	नागौर	1. मेडतासिटी 2. परबतसर

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3
15.	पाली	1. बाली 2. जैतारण 3. सोजत
16.	टौंक	मालपुरा
17.	उदयपुर	1. भीम 2. झाड़ोल 3. राजसमंद 4, सलूम्बर 5. वल्लभनगर
18.	डूंगरपुर	सागवाड़ा
19.	जैसलमेर	पोकरण

(2) जी नहीं, धनाभाव के कारण इस वर्ष कहीं भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बयाना में भी महाविद्यालय खोलना सम्भव नहीं है।

दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस व बीकानेर हाऊस में आवासीय व्यवस्था

232. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिल्ली स्थित राजस्थान हाऊस व बीकानेर हाऊस में संसद सदस्य, विधायक, आई. पी. एस. व आई. ए. एस. अधिकारियों को एक माह में कितने दिन अधिकतम रहने की छूट है? इस छूट से अधिक दिन रहने के लिये क्या प्रावधान है? पिछले पांच सालों में छूट से अधिक दिन रहने के लिए किस-किस व्यक्ति को कितने-कितने समय के लिये कब-कब व किन-किन कारणों से अनुमति दी गई?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि से ज्यादा समय ठहरे हुए व्यक्तियों के कारण राजकार्य से दिल्ली जाने वाले राजनेता व अधिकारियों को उक्त हाउसेज में स्थान उपलब्ध नहीं होता, और भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो भविष्य में इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) संसद सदस्य और विधायक को एक माह में पांच दिन तक रहने के आदेश हैं। आई. ए. एस., आई. पी. एस. अधिकारी एक बार में दस दिन तक रह सकते हैं। संसद सदस्य, विधायकों के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आई. ए. एस., आई. पी. एस. अधिकारियों के लिए दस दिन से अधिक ठहरने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने का प्रावधान है। सूची संलग्न है। किसी अधिकारी के दिल्ली स्थानान्तरण हो जाने या प्रशिक्षण पर जाने के कारण ही छूट की अनुमति दी जाती है।

(2) जी हां। अब अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है व 1-2 माह के बाद कार्य पूर्ण हो जाने पर वहां आवास की सुविधा काफी बढ़ जायेगी।

418

उन अधिकारियों की सूची जो राजस्थान हाउस बीकानेर हाउस में निर्धारित दिनों से अधिक दिन तक ठहरें।

क्र. सं. 1	नाम व पद 2	अवधि 3	दिनों की सं. 4
1.	दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. एस. आर. ही-टीच जी. डी.	1-1-80 से 31-10-80	30
2.	श्री धीरेन्द्र कुमार, व लि. भेड़ व ऊल विभाग जयपुर।	23 1-80 से 6 2 80	14
3.	दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. एस. आर. ही-टीच जी. डी.	1 3-80 से 1-4-80	30
4.	उपरोक्त	1-4-80 से 8-5-80	38
5.	श्री एस. एन. गांधी आई. टी. ओ जयपुर।	20-5-80 से 1-6-80	11
6.	श्री गोपाल, कान्टेक्टर राजस्थान पवेलियन	1-10-79 से 12-11-79	42
7.	श्री हर्षवर्धन व श्री विजय पी. आर. ओ., आर आई एम डी सी व सहायक निदेशक	30-10-79 से 12-11-79	13
8.	श्री आर. के. भाटिया, सी एस सी भेड़ व ऊन विभाग, राज., जयपुर	8-11-79 से 1-12-79	13
9.	श्री हेमन्त गोस्वामी, प्रबन्धक	20-11-79 से 1-12-79	11
10.	श्री जस्टिस के. एस. सिद्दू जज, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	19-5-80 से 29-5-80	11
11.	श्री महेन्द्रसिंह, आई ए एस सचिव,	5-6-80 से 7-7-80	32
12.	श्री रामसिंह, पुलिस अधीक्षक सी आई डी, जोधपुर	21-9-80 से 31-10-80	11
13.	श्री एम. एल. शर्मा, पुलिस अधीक्षक झुन्झुनु।	9-12-80 से 24-12-80	15
14.	श्री रोहिताश्व कुमार, आई पी एस पुलिस अधीक्षक	1-3-81 से 1-4-81	30
15.	श्री भीमसिंह, आई ए एस आयुक्त	5-3-81 से 16-3-81	11

1	2	3	4
16.	श्री रामसिंह, आई पी एस पुलिस अधीक्षक, सी आई डी	9-3-81 से 20-3-81	12
17.	श्री भीमसिंह, अध्यक्ष, राज. सिविल सेवा अपील अभिकरण जयपुर	19-3-81 से 2-4-81	14
18.	श्री एस. एन. मीणा, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, चूरू	3-7-81 से 31-7-81	28
19.	श्री एन. पी. भट्ट, उप सचिव योजना विभाग	5-7-81 से 26-7-81	21
20.	श्री एम. एल. व्यास, उपसचिव विधि	3-8-81 से 14-8-81	11
21.	श्री बी. एस. मिन्हास, आई ए एस, उप सचिव, यातायात मंत्रालय, भारत सरकार	14-9-81 से 1-1-82	110
23.	श्री एम. एल. शर्मा, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	2-11-81 से 13-11-81	12
24.	श्री अनिल वैश्य, आई ए एस, सचिव, टैक्सटाइल कमेटी, बम्बई	14-11-81 से 2-12-81	78
25.	श्री एन. के. अग्रवाल, अति. जिला व सत्र न्यायाधीश, धौलपुर	15-11-81 से 2-12-81	17
26.	श्री एम. ए. खान, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर	15-11-81 से 2-12-81	17
27.	श्री जगतपालसिंह, उप पंजीयक राज. उच्च न्यायालय	15-11-81 से 2-12-81	17
28.	श्री एस. पी. सिंह, आई पी एस डी आई जी, आर ए सी	4-12-81 से 16-12-81	12
29.	श्री अमरनाथ गोयल अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर	3-1-81 से 3-2-82	31
30.	श्री आर. सी. सूद, अति. पंजीयक राज. उच्च न्यायालय	4-1-82 से 2-2-82	30
31.	श्री सहदेव गोधारा, जिला न्यायाधीश, बूंदी।	1-4-82 से 2-5-82	31

1	2	3	4
32.	श्री एस. सी. मित्तल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धौलपुर	1-4 82 से 2-5-82	31
33.	श्री वी. सी. पाण्डे, आई ए एस सदस्य, योजना बोर्ड, भारत सरकार	20-4-82 से 1-8-82	113
34.	श्री भीमसिंह, से. नि. आई ए एस	25-4-82 से 6-5-82	11
35.	श्री के. के. भटनागर, आई ए एस सचिव, शिक्षा, राजस्थान	9-11-82 से 5-12-82	26
36.	श्री शान्तनु कुमार, आई पी एस प्राचार्य, आर. पी. ए., जयपुर	17-11-82 से 23-12-82	36
37.	श्री एस. के. चौधरी, आई पी एस पुलिस अधीक्षक (एराबी)	9-1-83 से 4-2-83	26
38.	श्री सी. एम. पलरेचा, आई पी एस पुलिस अधीक्षक, सी आई डी	,,	26
39.	श्री श्यामप्रतापसिंह राठोड़ डी आई जी	27-9-83 से 7-10-83	11
40.	श्री जस्टिस पी. के. बनर्जी मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान	2-3-84 से 14-3-84	12
41.	श्री ओ. पी. बिश्नोई, पी. पी. एस. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान	2-3-84 से 14-3-84	12
42.	श्री एस. आर. बाजवा, पंजीयक राज. उच्च न्यायालय	,,	12
43.	श्री एस. सरन, आई. पी. एस उप निदेशक, सी. ए., सिक्युरिटी भारत सरकार, नईदिल्ली।	13-2-84 से 30-4-84	78
44.	श्री हरिमोहन माथुर, अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।	12-4-84 से 17-5-84	35
45.	श्रीमती ओतिमा बोर्दिया, अति. सचिव, वित्त, भारत सरकार	22-4-84 से 30-6-84	69

1	2	3	4
46.	श्री एम. एम. के. वली, सचिव, गृह, भारत सरकार	21-2-84 से 2-4-84	41
47.	श्री जस्टिस के. एस. सिद्दू जज, राज. हाईकोर्ट, जयपुर	25-5-82 से 6-6-82	12
48.	श्री सुरेन्द्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक सी आई डी (एसबी)	21-8-83 से 31-8-83	11
49.	श्री ए. एन किनरा, लेखाकार राज. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पो. जयपुर।	21-9-81 से 1-10-81	11
50.	श्री आर. एल. जैन, सहायक निदेशक, कृषि.	15-11-81 से 28-11-81	13
51.	श्री डी. एल. माथुर उप निदेशक, कृषि	15-11-81 से 28-11-81	13
52.	श्री बी. सी. पवार, इकोनोमिक्स इनवेस्टीगेटर	16-12-80 से 13-1-81	28
53.	श्री भागचन्द, क. लि. उद्योग विभाग		28
54.	श्री एस. राधाकृष्णा, फिल्म एवं टी वी, तमिलनाडू	2-1-81 से 16-1-81	45
55.	श्री आर. एस. शर्मा, सचिव मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट	30-6-83 से 20-7-83	20
56.	श्री डी. एन. तनवी, रेल्वे मजिस्ट्रेट		20
57.	श्री बी. के. जैन, सहायक निदेशक	4-7-83 से 12-8-83	39
58.	श्री एम. पी. राठी, सहायक सचिव, राज. विधान सभा	18-7-83 से 31-7-83	14
59.	श्री के. पी. कोली, सहायक सचिव, राज. विधान सभा।	1-1-84 से 1-6-84	6 माह
60.	श्री अनिल कुमार, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राज., जयपुर	19-9-83 से 20-10-83	31

1	2	3	4
61.	श्री जे. डी. थानवी, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, राजस्थान, जयपुर	19-9-83 से 20-10-83	31
62.	श्री श्याम जेठानन्दानी, उप निदेशक सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय, जयपुर	17-4-84 से 8-6-84	52
63.	श्री वी. एल. भट्टाचार्य डिपार्टमेंट ग्राफ माइन्स एण्ड ज्योलोजिकल, उदयपुर।	2-8-81 से 17-8-81	16
64.	श्री जे. के. कपूर, ए ई एन, डब्लू पी सी बी	25-8-81 से 5-9-81	11
65.	श्री स्वामी ग्रानन्दानंदजी प्रभारी, योगा	14-4-81 से 1-5-81	17
66.	श्री एस. सी. मंगोनाकर्म उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, जयपुर	19-5-81 से 30-5-81	11
67.	श्री प्रतापनारायण, पर्यवेक्षक, सा. नि. वि., जयपुर।	27-9-81 से 18-12-81	20
68.	श्री करनसिंह, व. लि. सा. नि. विभाग, जयपुर	,,	20
69.	श्री के. सी. जैन, उप ग्रभियंता, सा. नि. विभाग, राजस्थान	27-9-8' से 18-12-81	120
70.	श्री सुन्दरलाल, इलेक्ट्रीशियन सा. नि. विभाग, राजस्थान	27-9-81 से 18-12-81	120
71.	श्री ग्रार. डी. विजयवर्गीय विशेषाधिकारी, पर्यटन विभाग	4-11-81 से 17-11-81	12
72.	श्री ग्रार. के. विजय, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग	22-10-82 से 8-11-82	15

1	2	3	4
73.	श्री भागचन्द, एक्सटेन्सन आफीसर, उद्योग विभाग	23-10-82 से 24-11-82	20
74.	श्री बी. एल. पारीक, व. लि. उद्योग विभाग	,, ,, ,,	20
75.	श्री त्रिलोकचन्द, उद्योग विभाग	,, ,, ,,	20
76.	श्री प्रेमप्रसाद गुप्ता, एस आई	,, ,, ,,	20
77.	श्री पी.सी. जैन, ई. आई इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट	,, ,, ,,	20
78.	सुश्री कृष्णा सहाय, आई आर एस	24-11-82 से 8-12-82	13
79.	श्री पी. के. पुरी, सहायक पर्यटन अधिकारी	26-11-83 से 6-5-83	11
80.	श्री जी. एस. दरडा, निदेशक, डी. डी. जयपुर ।	14-1-80 से 25-1-80	11
81.	श्री ए. आर. शर्मा, ए ई एन, माही बांसवाडा	18-1-80 से 29-1-80	11
82.	श्री पी. सी. पवार, इकोनोमिस्ट	22-1-80 से 7-2-80	15
83.	श्री पी. के. अग्रवाल, सहायक निदेशक, सी एम ओ.	7-2-80 से 26-2-80	19
84.	श्री एस उपाध्याय, जे ई एन माही बांसवाड़ा	16-4-80 से 29-4-80	13
85.	श्री एस. एल. काला, उप पुलिस अधीक्षक, सी आई डी पुलिस	6-7-80 से 17-7-80	11
86.	श्री जी. सी. वैद्य, एस. ओ., कार्यालय डी. ई. एस.	14-8-80 से 28-8-80	12
87.	श्री डी. सी. त्रिपाठी, एस टी ओ वाणिज्य कर विभाग	11-9-80 से 1-10-80	19
88.	श्री एम. एल. मंगल, सी टी ओ	,, ,,	19
89.	श्री बी. झा, सी टी ओ	11-9-80 से 1-10-80	19

1	2	3	4
90.	श्री एस. एल. अग्रवाल, ए सी टी ओ	11–9–80 से 1–10–80	19
91.	श्री आर. एम. सिंह, टी डी, आर. एस. आर. टी. सी.	13–9–80 से 25–9–80	13
92.	श्री एच. जी. सिंह, निदेशक, कृषि रिसर्च	14–9–80 से 26–9–80	14
93.	श्री टी. पी. त्रिपाठी, उत्पादक अधिकारी, आर एस बी बी एस, जयपुर।	4–10–80 से 23–10–80	20
94.	श्री डी. सी. सामन्त, जिलाधीश अजमेर।	18–11–80 से 29–11–80	11
95.	श्री अरूण भार्गव, ए ई एन सिंचाई	3–3–84 से 15–3–83	13
96.	श्री फतेहसिंह, स्टोर वेरीफायर	27–3–83 से 6–4–84	11
97.	श्री आर. पी. गुप्ता, ए ई एन, एस एण्ड आई (सिंचाई)	25–6–82 से 5–7–82	11
98.	श्री के. सी. शर्मा, जे ई एन, बी. एस. कोटा	,, ,,	11
99.	श्री सी. आर. चौधरी, अधि. अभियंता, सा. नि. विभाग।	25–7–82 से 14–8–82	21
100.	श्री ए. के. सिंह, अधि. अभियंता, सा. नि. विभाग।	25–7–82 से 6–8–82	14
101.	श्री एच. वी. छाजेड़, लेखाधिकारी, वित्त विभाग।	26–7–82 से 11 8 82	17
102.	श्री वी. के. माथुर, वित्त विभाग	,, ,,	17
103.	श्री आर. एल. चौबीसा अधि. अभियन्ता, सा. नि. विभाग	2–8–82 से 13–8–82	11
104.	श्री बाबूलाल, सीर, उप मंत्री, शिक्षा विभाग	20–8–82 से 31–8–82	12

1	2	3	4
105.	श्री एन. ग्रार. महावर, जे इ एन माही, बांसवाड़ा	20-8-82 से 31-8-82	12
106.	श्री के. के. अग्रवाल, व्याख्याता, एस एम एस मेडिकल कालेज, जयपुर।	29-8-82 से 1-9-82	13
107.	श्री ए. के. पुरोहित, विशेषाधिकारी, एल एफ टी एस वी डी एस एस वाई	20-10-80 से 1-11-80	11
108.	श्री ग्रार. एस. शर्मा, ग्रधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल ग्रजमेर।	1-12-80 से 12-12-80	11
109.	श्री एम. ग्रार. सिंघवी, ए ई एन ग्राल इण्डिया रेडियो	1-12-80 से 19-12-80	19
110.	श्री जी. एन. ग्रग्रवाल, वी ग्रार ए ला डिपार्टमेंट।	14-12-80 से 25-12-80	11
111.	श्री दिनेश ग्ररोड़ा, यू. एम. भेड़ व ऊन विभाग।	15-12-80 से 28-12-80	13
112.	श्री जे. एस. थानवी, इन्सपेक्टर ग्राफ ग्रार्मी, पंजाब व सिन्ध बैंक	9-1-81 से 21-1-81	12
113.	श्री जी. एन. ग्रग्रवाल, वी ग्रार ए, विधि विभाग	29-1-80 से 10-2-81	12
114.	श्री ग्रार. एल. बागरी, जे ई एन, माही	15-3-81 से 26-3-81	11
115.	श्री ग्ररविन्द माथुर, नि. स., निदेशक, भेड़ व ऊन	23-3-81 से 2-4-81	11
116.	श्री सी. एस. तिवारी, सी टी ग्रो जोधपुर	12-4-81 से 2-5-81	19
117.	श्री सेवाराम	,, ,,	19
118.	श्री एल. एम. भंडारी, ए सी टी ग्रो जयपुर।	13-4-81 से 2-5-81	18

1	2	3	4
119.	श्री दरयावसिंह, सहायक लेखाधिकारी, सी ए ओ, जयपुर	27-4-81 से 16-5-81	18
120.	श्री एल. एन. गुप्ता, आई ए एस, संयुक्त सचिव, भारत सरकार	6-7-82 से 11-9-82	66
121.	श्री असीम चटर्जी, आई ए एस.	4-7-82 से 4-10-82	92
122.	श्री पी. डी. कुदाल, जज, राज. हाईकोर्ट	4-7-82 से 4-8-82	30
123.	श्री पी. के. शर्मा, आर ए एस	28-8-82 से 15-9-82	15
124.	श्री विजय वर्मा, आई ए एस	5-12-83 से 15-12-83 2-1-84 से 19-2-84	37
125.	श्री एस. बी. गुप्ता, ई. ई. सा. नि. वि.	14-10-83 से 28-1-84	137
126.	श्री एन. के सेठी, ए. ई., सा. नि. विभाग	8-5-83 से 31-5-83	23
127.	डा. एन. आर. सरीन, आई ए एस	10-5-84 से 23-6-84 16-8-84 से 26-8-84	54
128.	श्रीमती प्रोतिमा बोदियां	1-7-84 से 28-8-84	61
129.	डा. रमेशरूपराय, लेक्चरार, एस एम एस	12-8-84 से 2-10-84 27-1-85 से 20-3-85	123
130.	डा. सी. एस. बैद, सहायक प्रोफेसर एस एम एस	30-9-84 से 22-12-84	84
131.	डा. बी. एल. गुप्ता, सहायक प्रोफेसर एस एम एस	30-9-84 से 23-12-84	85

मुंडावर तहसील की शिक्षण संस्थाओं में स्टाफ की कमी

234. श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले की मुण्डावर तहसील में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में 15 मई, 1985 को कितने छात्र अध्ययनरत थें, तथा कितने अध्यापक कार्यरत थे ?

(3) किस-किस विद्यालय में कितने अध्यापक अध्यापिकाओं की कमी है, तथा क्यों ?

(4) किस किस माध्यमिक विद्यालय में कौन कौन से ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं ?

(5) किस-किस विद्यालय में ऐच्छिक विषय के अध्यापक नहीं हैं ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की मुण्डावर तहसील में 39 उच्च प्राथमिक, 10 माध्यमिक एवं 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।

(2) इन विद्यालयों में दिनांक 15 मई, 1985 को कुल 15,827 छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत थे एवं 457 अध्यापक कार्यरत थे।

(3) विद्यालयवार अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की कमी की सूचना कारण सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) माध्यमिक विद्यालयों में जो ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं उनकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) किसी भी विद्यालय में ऐच्छिक विषय के अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद रिक्त नहीं हैं।

विद्यालयवार अध्यापकों की कमी एवं कारण के सम्बन्ध में विवरण दिनांक 10-7-85 की स्थिति

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों का विवरण I	II	III	रिक्त होने का कारण
1	2	3			4
	छात्र विद्यालय				
1.	रा. उ. मा. वि., चांदपुर	–	1	–	नव सृजित पद होने से रिक्त रहा (उद्योग विषय)
	छात्रा विद्यालय				
1.	रा. बालिका उ. प्रा. चान्दपुर	–	1	3	द्वितीय वेतन शृंखला की प्राधानाध्यापिका का स्थानान्तरण हो जाने के कारण पद

(428)
743]

1	2	3	4
			रिक्त है। तथा तृतीय वेतन शृंखला के तीनों पदों पर जिला शिक्षा अधिकारी छात्रा भरतपुर के द्वारा दिनांक 8-11-84, 22-11-84, 19-1-85 एवं 8-4-84 के द्वारा नियुक्ति ही गई थी किन्तु आशार्थियों ने उपस्थिति नही दी है।
2. रा. बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मुण्डावर	– –	1	आदेश दिनांक 8-4-85 के द्वारा नियुक्ति की गई किन्तु आशार्थी ने उपस्थित नहीं दी।

अलवर जिले की मुण्डावर तहसील में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जा रहें ऐच्छिक विषयों की सूचना विद्यालयवार

1	2	3			
क्र. सं.	नाम विद्यालय	ऐच्छिक विषय			
		कला वर्ग	कृषि	वाणिज्य	विज्ञान
1.	रा. मा. वि., करनीकोट	हिन्दी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र	–	–	– रसायन शास्त्र – भौतिकशास्त्र गणित
2.	रा. मा. वि., खानपुर अहीर	हिन्दी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र	–	–	–
3.	रा. मा. वि. छापुर			बहीखाता, व्यापार पद्धति भारत का आर्थिक भूगोल	

1	2	3	
4.	रा. मा. वि. जाट बहरोड़	हिन्दी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, संस्कृत,	टंकण, बहीखाता व्यापार-पद्धति
5.	रा. मा वि. जिन्दोली	हिन्दी, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र	व्यापार पद्धति बहीखाता, मुद्रा अधिकोषण
6.	रा. मा. वि. ततारपुर	अर्थ शास्त्र, नागरिक शास्त्र हिन्दी	—
7.	रा. मा. वि. दरबारपुर	नागरिक शास्त्र, हिन्दी इतिहास	—
8.	रा. मा. वि. पेहल	हिन्दी, नागरिक शास्त्र अर्थ शास्त्र	—
9.	रा. मा. वि., मानका		बहिखाता, बैंकिंग, व्यापार पद्धति
10.	रा. मा. वि. भानोत	हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल	

सांख्यिकी सहायक का पदनाम परिवर्तन

235. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांख्यिकी विभाग के ज्ञापन प. 1 (84) सी. 79, दिनांक 1 अगस्त, 1983 पर विचार करके ज्ञापन में अंकित सांख्यिकी सहायक के पद नाम को बदलकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद नाम करने के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ?

(2) क्या उक्त निर्णय का अनुमोदन क्रमांक सं. प. 3 (3) म. मं. 83, जयपुर 22 दिसम्बर, 1983 को मंत्रिमण्डल ने भी कर दिया था ? यदि हां, तो फिर भी प्रस्ताव क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मंत्री मण्डल उप समिति के उक्त निर्णय की पुष्टि मंत्री मण्डल द्वारा दिनांक 1-1-1984 को की गई है। क्रियान्विति विषयक मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

सूरतगढ़ के गांवों की सेम मे आई भूमि

236. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरतगढ़ मे बड़ोपल आदी गांवों की कितनी जमीन सेम (डिप्रेशन) के नीचे है ?

(2) इस डिप्रेशन में पानी की निकासी का क्या बन्दोबस्त किया गया है ;

(3) इस सेम के कारण फसलों व मकानों आदि का कितना नुकसान हुआ, और राज्य सरकार ने इसके लिये कितना मुआवजा दिया है ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ के पास गांव बडोपल, मानकथेड़ी व किशनपुरा गांवों की लगभग 2360 एकड़ भूमि सेम से प्रभावित हुई है।

(2) डिप्रेशन से पानी की निकासी हेतु मानकथेडी माईनर एवं किशनपुरा माइनर निकाली जा चुकी है, तथा पीलीबगा-करपीजी लिंक नहर का कार्य चल रहा है। निम्नलिखित कार्य और करने का प्रस्ताव है :—

1. फार्म माइनर
2. अनूपगढ़ शाखा- लिंक नहर
3. एस–8 ए के नजदीक एस्केप बनाना।

(3) इस सेम के कारण गांव बड़ोपल मानकथेड़ी व किशनपुरा के 1021 मकान क्षतिग्रस्त हो गये जिनके मुआवजे के 30.48 लाख रुपयों का भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा किया जा चुका है। फसलों का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

ग्राम विजोरावास एवं कोलीला के प्राथमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति

237. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील बहरोड़ जिला अलवर के ग्राम विजोरावास एवं कोलिला प्राथमिक विद्यालय को भवन एवं छात्र संख्या के आधार पर इस शिक्षा सत्र से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

तहसील बहरोड जिला अलवर के ग्राम विजोरावास एवं कोलीला प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के लिए कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

पशु मेलों में टैक्स की वसूली

238. श्री भंवरा राम (डीडवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों द्वारा पशु मेलों का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो आयोजन के लिए नियमों में क्या प्रावधान है ?

(2) क्या सभी पशु मेलों में टैक्स समान रूप से वसूल किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। मेलों के आयोजन के लिए प्रावधान राजस्थान पचायत अधिनियम 1953 की धारा 24 एवं तृतीय परिशिष्ट की प्रविष्टि 2 (ड़) में तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 की धारा 23 एवं 57 (VII) तथा परिशिष्ट की प्रविष्टि 17 (9) में है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायत समिति (कराधान) नियम, 1960 के नियम 25 से 35 में मेला सम्बन्धी प्रावधान है।

(2) जी नहीं। पंचायत या पंचायत समिति द्वारा मेले का क्षेत्र एवं महत्ता आदि स्थानीय-परिस्थितियों को देखते हुए कर या शुल्क लगाया जाता है। कर के सम्बन्ध में एकरूपता उपयुक्त एवं आवश्यक नहीं समझी गई है।

पर्यटन निगम के होटलों एवं बार शाप्स से आय

239. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटलों एव बार शाप्स से विगत 5 वर्षों में कितनी आमदनी हुई एवं इस पर क्या व्यय हुआ ?

(2) ग्राम रास्तों पर ठण्डी बीयर बेचने की व्यवस्था किसकी आज्ञा शुरू हुई है ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा होटल व बार नहीं चलाये जाते हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची

क्र. सं.	नाम सरपंच एवं भू. पू. सरपंच	जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा भेजने का दिनांक
1	2	3
1.	श्री राजमल भू. पू. सरपंच बडामहुआ	10-4-84
2.	,, मोहन सिंह भू. पू. सरपंच, पान्सल	26-10-79
3.	,, गोरधनसिंह सरपंच, सेथूरिया	5-2-81
4.	,, गोरधनसिंह सरपंच, सेथूरिया	17-12-83
5.	,, गोरधनसिंह सरपंच, सेथूरिया	3-12-76
6.	,, मोहनसिंह भू. पू. सरपंच, पान्सल	7-8-72
7.	,, भोपालसिंह सरपंच, पंचायत, सुवाणा	17-3-83
8.	,, रामेश्वर लाल पू. सरपंच, सांगवा	28-11-77
9.	,, नाथूसिंह सरपंच, कोदूकोटा	12-5-75
10.	,, रामेश्वर लाल भू. पू. सरपंच, सांगवा	28-4-79
11.	,, नाथूसिंह सरपंच, कादूकोटा	19-9-80
12.	,, गणेश लाल, भू. पू., सरपंच, सुवाणा	6-1-77
13.	,, राजमल पूर्व सरपंच, बड़ा महुआ	29-9-80
14.	,, गोरधन सिंह सरपंच, सेथूरिया	29-8-83
15.	,, गोकल भू. पू. सरपंच, आटूण	3-8-82
16.	,, गणेश लाल सरपंच, दान्थल	25-2-80
17.	,, भोपालसिंह सरपंच,	21-12-83
18.	,, गोरधनसिंह सरपंच, सेथूरिया	29-4-85
19.	,, ,, ,, ,,	26-7-79
20.	,, राजमल भू. पू. सरपंच, बड़ा महुआ	27-11-80
21.	,, भोज्याराम सरपंच, दहीमथा	22-9-83
22.	,, मदनसिंह भू. पू. सरपंच, भगाणा	9-4-81
23.	,, भोज्याराम सरपंच, दहीमथा	9-6-81
24.	,, डूंगरसिंह भू. पू. सरपंच, बेमाली	22-12-80
25.	,, चतरसिंह भू. पू सरपंच, चितम्बा	27-1-76
26.	,, जीवन लाल सरपंच, टहूका	15-5-79
27.	,, ओंकार सिंह पूर्व सरपंच, दहीमथा	18-9-79
28.	,, घीसूलाल भू. पू. सरपंच, भगवानपुरा	6-2-75
29.	,, माणकसिंह भू. पू. आमदला	16-9-76

1	2	3
30.	श्री नैनालाल सरपंच, चिलेश्वर	14-7-83
31.	„ भूवरलाल भू. पू. सरपंच, निम्बाहेड़ा ग्रांटान	12-6-72
32.	„ ओंकार सिंह सरपंच, बेरा	27-6-83
33.	„ ओंकारलाल सरपंच, सरदार नगर	4-11-80
34.	„ भारत विजयसिंह सरपंच, डाबला	3-12-83
35.	„ रणजीत सिंह सरपंच, बलदरखा	21-12-83
36.	„ घीसालाल भू. पू. सरपंच, बालेसरिया	30-7-76
37.	„ „ „ „ „	8-1-79
38.	„ रतनलाल पूर्व सरपंच, खोड़लिया	21-7-76
39.	„ „ „ „	27-8-76
40.	„ तेजाराम पूर्व सरपंच, कंकोलिया	29-7-76
41.	„ „ „ „	21-7-76
42.	„ गोरधनलाल सरपंच, रावला	28-4-79
43.	„ बालूराम पूर्व सरपंच, महुआ खुर्द	25-10-79
44.	„ गजसिंह पूर्व सरपंच, रूपाहेली खुर्द	8-1-79
45.	„ श्यामसुन्दर सरपंच, कनेछनकलां	10-7-79
46.	„ रामविलास पूर्व सरपंच, ईंठोडिया	23-11-76
47.	„ रामधन सरपंच, कोठिया	21-12-83
48.	„ हरकचन्द सरपंच, बासेडा	23-11-78
49.	„ रघुवीर सिंह सरपंच, तसवारिया बासा	23-10-81
50.	„ चन्दनमल पूर्व सरपंच, बिलया	30-4-74
51.	„ श्यामसुन्दर सरपंच, कनेछनकला	6-7-79
52.	„ जगदीशचन्द्र पूर्व सरपंच, मिण्डोलिया	1-9-79
53.	„ „ „ „	3-1-77
54.	„ बन्सीलाल पूर्व सरपंच, तहनाल	21-12-76
55.	„ सुगनलाल पूर्व सरपंच दौलतपुरा	18-11-83
56.	„ श्यामसुन्दर सरपंच, कनेछनकला	12-4-83
57.	„ सुगनलाल पूर्व सरपंच, दौलतपुरा	6-10-79
58.	„ हरकचन्द सरपंच, बासेड़ा	13-4-79
59.	„ रघुवीर सिंह सरपंच, तसवारिया	19-2-81
60.	„ हेमराज सरपंच, कांदीमहुना	21-12-80
61.	„ दुर्गाप्रसाद सरपंच, बिलिया	25-7-81
62.	„ नरेन्द्र सिंह सरपंच, घनोप	5-3-83

1	2	3
63. श्री	उग्रसिंह पूर्व सरपंच, ब्रचूछखेड़ा	31-7-80
64. ,,	श्रीमति प्रेम कंवर पूर्व सरपंच, रोपा	1-5-81
65. ,,	मगन लाल सरपंच, पण्डेर	3-12-83
66. ,,	कल्याण मल पूर्व सरपंच, ईटून्दा	8-1-81
67. ,,	देवी लाल पूर्व सरपंच, बेम्फ	9-1-82
68. ,,	भवानी शंकर सरपंच, ऊंचा	11-8-81
69. ,,	मूरालाल पूर्व सरपंच, भगूनगर	12-8-81
70. ,,	जगदेव पूर्व सरपंच, ऊंचा	6-5-72
71. ,,	मनोहर सिंह पूर्व सरपंच, शक्करगढ़	31-12-75
72. ,,	देवी लाल पूर्व सरपंच, बेई	29-4-80
73. ,,	बरदीचन्द सरपंच, सरसिया	21-7-81
74. ,,	अमराराम पूर्व सरपंच, धुवाला	4-2-77
75. ,,	जसवन्त सिंह सरपंच, आमल्दा	28-11-83
76. ,,	क्षेमराज सिंह पूर्व सरपंच, टोकड़	25-9-82
77. ,,	अमरसिंह सरपंच, लाम्बा	9-12-83
78. ,,	गोकलचन्द सरपंच, गामोड़ा	14-5-80
79. ,,	रामनिवास पूर्व सरपंच, भोजरास	2-11-79
80. ,,	नारायण लाल सरपंच, बडला	12-1-84
81. ,,	राधाकिशन पूर्व सरपंच, खेजड़ी	25-7-79
82. ,,	रहमतअली सरपंच, भोजपुरा	6-9-80
83. ,,	नानूराम पूर्व सरपंच, पडासोली	10-1-79
84. ,,	लहर चन्द पूर्व सरपंच, चैनपुरा	2-7-77
85. ,,	भैरू सिंह सरपंच, मोटरास	22-6-83
86. ,,	रहमत अली सरपंच, भोजपुरा	4-10-78
87. ,,	जूनालाल सरपंच, लोड़ला निम्बाहेड़ा	11-9-75
88. ,,	सोहन दास सरपंच, गांमलास	22-4-80
89. ,,	उगमलाल सरपंच, बराणा	8-4-80
90. ,,	देवी सिंह पूर्व सरपंच, अन्टाली	31-8-77
91. ,,	उदय सिंह सरपंच, भालरिया (भू. पू.)	16-4-76
92. ,,	भैरू सिंह सरपंच, मोटरास	3-3-76
93. ,,	,, ,, ,,	15-12-83
94. ,,	देवकरण सरपंच, (भू.पू.) कालियास	23-4-80
95. ,,	सीताराम दास सरपंच, चाण्डिया	2-4-85

1	2	3
96.	श्री केसर सिंह पूर्व सरपंच, एवं उम्मेद सिंह सरपंच, पंचायत कोशीथल	13-12-82
97.	,, मांगीलाल पूर्व सरपंच, भरग	17-1-81
98.	,, बगतावर सिंह पूर्व सरपंच, अरनिया	25-11-76
90.	,, नारायण सिंह पूर्व सरपंच, अरनिया	30-1-81
100.	,, सतीरामदास सरपंच, चावण्डिया	9-1-82
101.	,, मोहन सिंह पूर्व सरपंच, पोशीथल	16-1-76
102.	,, मोहन लाल सरपंच, पोटला	11-10-84
103.	,, ,, ,, ,,	24-1-85
104.	,, बालूदास पूर्व सरपंच, शिवरती	2-3-82
105.	,, खूबीलाल सरपंच, खातलियास	12-8-83
106.	,, जवाहरलाल पूर्व सरपंच, डेलाना	4-8-81
107.	,, डालचन्द उर्फ सरपंच, कला	14-6-82
108.	,, शंकर लाल सरपंच, रायपुर	27-8-82
109.	,, भैरूलाल पूर्व सरपंच, आशाहोली	22-4-83
110.	,, लालूराम सरपंच, बागोलिया	28-3-80
111.	,, रामेश्वर लाल पूर्व सरपंच बिजोलिया	24-9-82
112.	,, चांदमल सरपंच, बिगोद	11-3-85
113.	,, रामेश्वर लाल सरपंच, (भू.पू.) बिजोलिया	6-4-83
114.	,, सोहनलाल पूर्व सरपंच, धामनिया	6-2-79
115.	,, शांतिलाल सरपंच, महुवा	22-6-83
116.	,, समरथ सिंह पूर्व सरपंच, श्री नगर	27-7-81
117.	,, कन्हैया लाल पूर्व सरपंच, मालाका खेड़ा	30-4-74
118.	,, नन्द किशोर पूर्व सरपंच, भोपतपुरा	24-5-75
119.	,, मोतीलाल पूर्व सरपंच, बिगोद	24-6-78
120.	,, शिवनारायण सरपंच, आकोला	18-3-81
121.	,, कन्हैया लाल पूर्व ससपंच, सूटेपा	16-5-80
122.	,, करण सिंह सरपंच, नन्दराम	10-10-79
123.	,, ,, ,,	6-7-78
124.	,, हरलाल पूर्व सरपंच, किशनगढ़	8-7-74
125.	,, सज्जन सिंह पूर्व सरपंच, बड़ला	19-6-78
126.	,, बरदीचन्द सरपच, राखेड़	4-1-85
127.	,, अमर सिंह सरपंच, सातोला का खेड़ा	10-3-85

(436)
751]

परिशिष्ट–11 जुलाई, 1985–परिशिष्ट

निलम्बित सरपंचों की सूची जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम सरपच मय ग्राम पंचायत	निलम्बित आदेश का क्र. व दिनांक
1	2	3
1.	श्री चान्दमल व्यास सरपंच बिगोद	एफ. 3/बी.के.यू./भील/85/2062 दिनांक 22-3-85
2.	श्री रामेश्वर लाल सरपंच बिजौलिया	एफ.3/बी.के.यू./8/भील/82/4520 –25 दिनांक 12-8-83
3.	श्री शान्तीलाल सरपंच महुवा	एफ.3/बी.के.यू./भील/83/1 दिनांक 2-1-84
4.	श्री रणजीतसिंह सरपंच बलदरखा	एफ.3/बी.के.यू./भील/83/2171–77 दिनांक 16-4-84
5.	श्री भोपालसिंह सरपंच सुवाणा	एफ.3/बी.के.यू./जांच/84/1227–34 दिनांक 17-2-84
6.	श्री बरदीचन्द सरपंच पंचायत रासेड़	एफ.3/बी.के.यू./जांच/84/4209–15 दिनांक 30-5-85

नोट :– क्र. सं. 6 के सरपंच श्री बरदीचन्द सरपंच रासेड़ द्वारा निलम्बत आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से दिनांक 21-6-85 को स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न स. 252 की सूची)

पर्यटन विकास हेतु पिछले 5 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्थान	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**आवास सुविधाओं का निर्माण एवं विस्तार तथा साजसज्जा :-**						
1.	गणगौर पर्यटन विश्राम गृह	जयपुर	3.51	9.15	17.36	2.41	4.34
2.	तीज पर्यटन विश्राम गृह	जयपुर	10.09	4.53	0.83	0.16	0.14
3.	खादिम ,, ,,	अजमेर	6.37	6.02	0.71	0.04	–
4.	पुष्कर (सरोवर) ,,	पुष्कर	–	8.40	10.65	3.03	1.53
5.	सारस, पर्यटन विश्राम गृह	भरतपुर	10.40	6.09	0.76	0.18	1.38
6.	लेक पैलेस होटल ,,	सिलीसेड	–	3.04	4.94	0.72	0.05
7.	कजरी ,,	उदयपुर	00.32	2.56	2.02	2.56	1.82
8.	घूमर, ,,	जोधपुर	–	7.11	9.59	1.62	5.23
9.	गवरी, ,,	रिखबदेव	–	0.57	2.62	0.89	0.59
10.	मिडवे बर	बर	1.91	0.83	0.15	0.02	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मिडवे	बहरोड़	5.49	5.39	2.96	0.33	–
12.	केफेटेरिया, नाहरगढ़	जयपुर	–	2.06	1.13	0.11	–
13.	ट्यूरिस्ट विलेज–पुष्कर	पुष्कर	–	–	–	3.81	1.28
14.	मिडवे	महुग्रा	1.14	3.97	1.04	–	–
15.	पर्यटक वि. गृह झूमरबावड़ी	स. माधोपुर	–	1.35	2.86	0.30	–
16.	झील पर्यटन ग्राम, रामगढ़	जयपुर	–	–	15.16	0·10	–
17.	मिडवे, गुलाबपुरा	गुलाबपुरा	–	–	–	0 23	1.03
18.	ढोलामारू पर्यटक विश्रामगृह	बीकानेर	–	0.89	0.32	0.36	3.84
19.	मिडवे रतनगढ़ का निर्माण कार्य	रतनगढ़	–	–	–	–	1.39
20.	ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स	जैसलमेर	–	–	2.43	–	–
21.	टाईगर डेन पर्यटन विश्रामगृह	सरिस्का	–	–	0.46	0.40	0.20
22.	स्वागतम "	जयपुर	–	–	1.97	0.21	0.13
23.	शिखर "	मा. श्राबू	0.25	2.25	0.59	0.05	–
24.	शिल्पी "	रनकपुर	–	1.37	0.71	–	–
25.	पन्ना "	चित्तौड़	-	0.26	0.04	0.07	0.80
		योग :–	39.48	65.84	79.30	17.49	25 19

1	2	3	4	5	6	7	8
2. केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत किये गये कार्य :–							
1.	20 झोपड़ियों का निर्माण मय शौचालय स्वागत कक्ष एवं डाइनिंग हॉल,	जैसलमेर	–	0.88	1.58	0.79	2.57
2.	गड़ीसर टैंक एवं सनसेट पाईन्ट,	जैसलमेर	–	–	–	1.87	–
3.	नेहरानगढ़ के दुर्ग पर फ्लड लाईटिंग,	जोधपुर	–	–	–	–	5.33
4.	झूमेर बावड़ी पर्यटन विश्रामगृह पर रिनोवेशन कार्य	स. माधोपुर	–	0.79	5.11	0.92	0.60
3. पर्यटन स्थलों का विकास :–							
1.	नाहरगढ़ किला, एलबर्ट हाल, गांधी सर्किल, ईसरलाट, हवामहल, जोरावरसिंह गेट, आमेर किला, स्टेच्यू सर्किल पर फ्लड लाईटिंग कार्य	जयपुर	4.21	3.10	0.03	2.71	–
2.	सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, सिरहड्योडी गेट, जोरावरसिंह गेट, ईसरलाट, आमेर गेट, न्यूगेट, घाटगेट एवं हवामहल पर रंग-रोगन कार्य	जयपुर	0.27	1.13	0.95	–	–

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न सं. 259 के आदेश

परिशिष्ट "क"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

(ADMINISTRATIVE REFORMS GR. 3)

No. F, 5 (11) A. R. 3/85 Jaipur, dated 11.4.1985

ORDER

The state Government have decided to constitute a State Consumer Council to protect the rights of the consumers which involves :

1. Quality assurance, as advertised/notified by manufacturers/sellers which will include :
   (a) Over-projection/over rating of products false or misleading claims.
   (b) Checking of tempering/blending or substitution of standardised or notified products.
   (c) Prevention of adulteration.
2. Price Control.
3. Provision of forums for the prompt and effectives resulution of buyers/sellers disputes.
4. Study and analysis of consumers problems and finding out prompt and effective solutions.
5. Consumer education-in regard to his legal rights and their solutions.

To examine whether the above objectives can be adequately met under the existing laws, suitably amended whenever necessary-including amendment/expansion of the statutory rules and standing orders promulgated under the relevant enactment or a separate enactment is essential for effective implementation of laws connected with consumer protection as such :

(a) Essential Commodities Act, 1955, Rules and Statutory orders.

(b) Weights and Measures Act.

(c) Prevention of Food Adulteration Act.

(d) Any other law.

To Study the consumer protection movement in its totality and to achieve objectives of the State Consumer Council, Governor is pleased to constitute a committee of the following to put up detailed proposals in this regard :–

1.	Home Secretary	ooo Convenor
2.	Secretary, Industries Deptt.	ooo Member
3.	Secretary, Cooperative Deptt.	ooo Member
4.	Secretary, Food & Civil Supplies	ooo Member
5.	Law Secretary	ooo Member
6	Director, Medical & Health Services	ooo Member
7.	Special I. G. (Police) H. Q.	ooo Member
8.	Collector Jaipur.	ooo Member
9.	Sme. Laxmi Kumari Chudawat	ooo Member
10.	Pramukh, Zila Parishad, Jaipur.	ooo Member
11.	Representative of the Rajasthan Chamber of Commerce & Industries	ooo Member
12.	Shri J. P. Arora, Retd. I.A.S., Jaipur	ooo Member
13.	Special Secretary to Govt: Food & Civil Supplies Deptt.	ooo Member–Secretary

The Committee will put up proposals to Food & Civil Supplies Department which will be its Administrative Deptt.

Sd/

Dy. Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action to :

1. All Members (through Administrative Deptt. Food and Civil Supplies Deptt.)
2. Secretary to Governer/Chief Minister.
3. PS to Food Minister/Chief Secretary.
4. Director, Public Relations, Rajasthan, Jaipur.
5. A. R. Gr. VII with one spare copy.
6. G. F /File No. 17 (30) Food/84.

Sd/-

Section Officer

P. S.

All correspondence regarding this committee may be addressed to Food & Civil Supplies Deptt.

परिशिष्ट "ख"

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

(ADMINISTRATIVE REFORMS GR. 3)

No. F 5 (11) A. R. 3/85 Jaipur, dated 5.6.85

ORDER

In partial modification to this Department Order of even number dated 11th April, 1985, the constitution of the Committee will be as follows :-

1. Secretary to Govt., Industries Deptt. ooo Convenor
2. Secretary to Govt., Cooperative Deptt. ooo Member
3. Secretary to Govt., Food & Civil Supplies Department. ooo Member

4.	Secretary to Govt. Law Deptt.	ooo Member
5.	Director, Medical & Health Services	ooo Member
6.	Special I. G. (Police) H. Q.	ooo Member
7.	Collector, Jaipur.	ooo Member
8.	Smt. Laxmi Kumari Chudawat.	ooo Member
9.	Pramukh, Zila Parishad, Jaipur.	ooo Member
10.	Representative of the Rajasthan Chamber of Commerce & Industries	ooo Member
11.	Shri J. P. Arora, Retd, I.A.S. Jaipur	ooo Member
12.	Special Secretary to Govt., Food & Civil Supplies Department.	ooo Member Secretary

Sd/-

(A. L. Bedi)

Dy. Secy to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. All Members (through Food & Civil Supplies Dept.)
2. Secretary to Governor/Chief Minister.
3. P. S. to Food Minister/Chief Secretary.
4. Director, Information & Public Relations, Rajasthan, Jaipur.
5. A R. G. VII with one spare copy.
6. G. F./File No. F. 17 (30) Food/84.

Sd/-

Section Officer

Page No 444

(५५५)

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न सं. 267 की सूची
जिला नागौर तहसील जायल में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र. स.	ग्राम का नाम	क्र स.	ग्राम का नाम
1.	झुझाला	22.	कठोती
2.	डेडरी	23.	राजोद
3.	रूपथाला	24.	परडोद
4.	अड़बड	25.	दुंगस्ताउ
5.	इग्यार	26.	दुगोली
6.	पातेली	27.	धारणा
7.	मातासुख	28.	सान्डीला
8.	कामनाउ	29.	रोटू
9.	तरणाउ	30.	मांगलोद
10.	रोल काजीयान	31.	साडेली
11.	लुणसरा	32.	गुरपालिया
12.	गेलोली	33.	रामसर
13.	कालवी	34.	तंवरा
14.	भांवला	35.	देह
15.	खाटू कला	36.	सोमडा
16.	जूरियास	37.	ऐंवाड़
17.	पीड़िया	38.	सोनेली
18.	उबासी	39	छापड़ा
19.	जायल	40.	रातगा
20,	बरनेल	41.	कामोरिया
21.	छियला		

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न सं. 268 का विवरण

जयपुर जिला वृत के अन्तर्गत सभी सहायक अभियन्ता कार्यालयों का खेती कनेक्शन टारगेट कायम करने के बारे में सूचना

क्र. सं.	सहायक अभियन्ता कार्यालय का नाम	वर्ष 1984-85 के टारगेट कायम करने की तारीख	84-85 के टारगेट मूल	84-85 के टारगेट संशोधित	पेंडिंग आवेदन पत्रों की स्थिति 1.4.85 को अनु. जा.	ज. जा.	लघु कृषक	साधारण	कुल
1.	परिसंधान चौमू	मूल लक्ष्य जुलाई, 84 में आदेश सं.	10	99	13	22	38	794	869
2.	आर. ई. सी. चौमू	दिनांक 9.7.84 द्वारा	–	90	6	18	57	576	657
3.	परि. एवं. संधा गोविंदगढ़	निर्धारित किये गये एवं	25	112	11	21	6	982	1020
4.	,, ,, राडावास	संशोधित लक्ष्य आदेश क्रमांक	10	175	5	8	24	301	338
5.	,, ,, आमेर	2444 दिनांक 17.11.84	21	92	8	125	67	687	887
6.	,, ,, शाहपुरा	द्वारा तय किये गये	123	109	6	116	1142	1158	1322
7.	,, ,, रेनवाल		125	174	22	18	150	1929	2119
8.	,, ,, सांभर		33	38	10	1	28	479	518
9.	आर. ई. सी. जमवारामगढ़		12	84	8	51	26	412	497
10.	आ.र ई. सी दूदू		84	140	8	5	25	543	581
11.	परि एवं संधा, भांकरोटा		27	113	22	×	37	215	274
12.	,, ,, सांगानेर		30	58	23	×	35	99	157
13.	,, ,, वी. के. आई. ए.		–	57	28	×	45	153	226

1	2	3	4	5		6		7		8
14.	आर. ई. सी. चाकसू			20	120	72	×	24	132	228
15.	,, ,, फागी			50	108	18	×	20	182	220
16.	परि एवं संघा दौसा			25	25	12	37	10	293	352
17.	आर. ई. सी. दौसा			70	130	29	312	22	393	756
18.	,, ,, लालसोट			40	190	176	852	212	512	1752
19.	,, ,, बांदीकुई			60	200	22	271	61	1066	1420
20.	,, ,, बस्सी			170	200	20	158	35	441	654
		कुल योग :-		1025	3394	519	1915	1064	11349	14847

(×) जन जाति की संख्या अनु. जाति में सम्मिलित है।

नोट :- जयपुर जिले हेतु निर्धारित संशोधित लक्ष्य 2409 थे जिनमें से 15 का लक्ष्य अजमेर वृत को जयपुर जिले के दूदू पं. स. हेतु दिया गया।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न सं. 269 की सूची

क्र. सं	नाम अध्यापक	योग्यता
1.	श्रीमती कमला	बी. ए. बी. एड.
2.	श्री देवीसिंह	पी. यू. सी., बी. एस. टी. सी.
3.	,, अशोक कुमार	,, ,,
4.	,, ओम प्रकाश स्वामी	बी. ए. बी. एड.
5.	,, जगमालसिंह	एम. काम. बी. एड.
6.	,, सीताराम रेंगर (एस. सी.)	बी. काम. बी. एड.
7.	,, दालाराम रेंगर (,, ,,)	,, ,,
8.	,, गोकुल चन्द खत्री (,, ,,)	बी. काम. बी. एड.
9.	,, सोहनसिंह पालीवाल (,,)	,, ,,
10.	,, मूलचन्द	हायर सैकण्डरी, एस. टी. सी.
11.	,, ओम प्रकाश (एस. सी.)	सैकण्डरी, बी. एस. टी. सी.
12.	,, सावरमल सैनी	पी. यू. सी. बी. एस. टी. सी
13.	,, विनोद कुमार	हायर सैकण्डरी सी. पी. एड.
14.	,, जयचन्द	बी. ए. बी. एड.
15.	,, दुर्गाप्रसाद (एस. सी.)	,, ,,
16.	,, दातारसिंह	हायर सैकण्डरी बी. एस. टी. सी.
17.	,, लादू सिंह	सैकण्डरी सी. पी. एड.
18.	,, बनवारी लाल	एम. काम. बी. एड.
19.	,, महेन्द्र कुमार	बी. ए. बी. एड.
20.	,, घन्नाराम	हायर सैकण्डरी बी एस. टी. सी.

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न सं 279 की सूची

: चोरी गयी सम्पत्ति की सूची

1. एक जोड़ी गुटिया सोना वजनी एक तोला
2. दो जोड़ी गुटिया वजनी तीन तोला सोना।
3. कड़िया चांदी तीन जोड़ी सवा दो किलो।
4. एक जोड़ा टनका चांदी 100 ग्राम।
5. राखडी सोना एक, वजनी एक तोला।
6. बंनटी दो जोड़ी सोना वजनी 6 तोला।
7. कानों की टोकरी सोना की वजनी एक तोला
8. कडा सोना 2 जोड़ा वजनी 4 तोला
9. पायजेब दो जोड़ी चांदी वजनी तीन पाव।
10. कनकती दो चांदी तीन पाव।
11. झर्झर जोट पूरी चांदी एक जोड़ा वजनी सवा किलो।
12. सात हजार रुपये के नकद नोट।
13. तीन जोड़ी पोलरिया चांदी वजनी 20 ग्राम
14. कानों की लटकन 2 नग सोना वजनी 2 तोला।
15. नेवरिया चांदी चार नग चांदी वजनी तीन पाव।
16. दो जोड़ी बटन सोना दो तोला।
17. तांगली चांदी एक वजनी आधा किलो।
18. बच्चों के जेवरात चांदी 200 ग्राम।
19. सात सौ चांदी के कलदार रुपये

कुल सोना 20 तोला, कुल चांदी 6 किलो 870 ग्राम, नकद 7000/- रुपये एव नकद 7000- रुपये एवं कलदार चांदी सात सौ रुपये (चांदी के कलदार)

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न सं 280 की सूची

भूतपूर्व महाराजा, श्री भवानीसिंह के पंजीकृत हथियारों की सूची "अ" शस्त्र जो इनके पास हैं

क्र. स	शस्त्र लाइसेंस नम्बर	शस्त्रों का विवरण
(1)	JPR/1512/PR	1. One .240 bore rifle DB No. 31483 Holland & Holland.
		2. One .12 bore D B Gun No. 302329 IYA Aguiree & Aran-Zabal made in Spain
(2)	JPR/1711/PR	3. One 9 M M Bore Pistol No. 28263

जो पंजीकृत तो हैं परन्तु जमा करा दिये गये

1.	JPR/1512/PR	1. One Mauser. 30 bore pistol No. 8070 by Waffen farik obernosf A/II
		2. One 303 bore S B Rifle No. 10811 with Hammer.
2.	JPR/1711/PR	3. One 12 Bore D B Gun No. 34299 by Holland and Holland
		4. One 12 bore S B Gun No. 3118485 by Ramington.
		5. One .400 bore D B Rifle No. 24080 by J. Perdey & sons
		6. one '410 Bore D B Hammer Gun No- Samwat 2003. Dt. 19-7-47 by London.

1	2	3
		7. One .35 M M 25/6 Bore. Pistol No. C35504 Webly & Scot Ltd.
		8. One .22 M M Pistol No. 108 by Germany.
		9. One .25 M M Pistol No. K. 89 (161) by Kremsyd.
		10. One 25 bore M M Pistol No. K. 90 by Kremsyd.
		11. One .380 Bore Pistol No 100109. by cotl- Rimless Cart.
		12. One. 465 Bore D B Rifle No. 30347 by Holland & Holland.

भूतपूर्व महाराजा श्री भवानी सिंह जी की पत्नि श्रीमती महारानी पदमिनि देवी के पंजीकृत पंजीकृत हथियारों की सूची "ब"

शस्त्र जो इनके पास हैं

क्र. सं. शस्त्र लाइसेंस नम्बर.	शस्त्रों का विवरण
1. JPR/1513/PR	1. One 12 Bore D B Gun No. 302330 I Y A Aguirse & Aranzabal. made in spain
2. JPR/1713/PR	2. One .375 Bore D. B. Rifle No. 35291 by Holland.
	3. One. 22 Bore S. B. Rifle No. 39299 by Germany.

जो पंजीकृत तो हैं परन्तु जमा करा दिये गये

1. JPR/1413/PR	1. One .30 Bore Mauser No. 4441 by waffenfarik.
	2. One 375 Bore Rifle No. 35017. Holland & Holland.
	3. One Rifle with Hammer. of 303 Bore No. 10812.
2. JPR/1713/PR	4. One .240 Bore S B Rifle No. 28030 by Hollard.
	5. One 400 Bore S. B. Rifle No. 38617 by Manton.

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न सख्या 812 का विवरण

अनुसूची-2

अंतिम प्रकाशन पर वार्डानुसार मतदाताओं के आंकड़े नगर परिषद् का नाम कोटा।

वार्ड संख्या।	कुल मतदाता
1	2
1.	4371
2.	3946
3.	3378
4.	2734
5.	4342
6.	4593
7.	2109
8.	3370
9.	4633
10.	6209
11.	3985
12.	3904
13.	4089
14.	3755
15.	4059
16.	4312
17.	3575
18.	3127
19.	3947
20.	3391
21.	3591
22.	3787
23.	3803
24.	5270
25.	3474

1	2
26.	7195
27.	3792
28.	3479
29.	4377
30.	4111
31.	5463
32.	4666
33.	3337
34.	5328
35.	3620
36.	6129
37.	4852
38.	5706
39.	4965
40.	4669
41.	3017
42.	4264
43.	3317
44.	3038
45.	4746
कुल योग :–	1,87,825

ह०

निर्वाचन पंजियन अधिकारी

(नगर दण्डनायक कोटा)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 288 का विवरण वाउचर एवं आडिट रिपोर्ट की प्रति

विवरण-

श्री रूप किशोर मिर्धा, तत्कालीन क्षेत्रिय अधिकारी, अलवर के द्वारा 999 बोरी चना एवं 55 बोरी अरहर की बिक्री कर बिक्री की राशि 383406.45 जमा नहीं कराई। इस पर इन्हें दिनांक 14-3-83 को निलम्बित भी कर दिया गया। तथा आरोप के आधार पर इसकी जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

वाउचर की प्रति

अन्तर कार्यालय ज्ञापन

INTER OFFICE MEMO

Form 20102	महाप्रबंधक (वित्त) से	To	लेखाधिकारी राजफेड, जयपुर	RAJFED की

तारीख 26-10-85

मार्क लेखा/

विषय :- चना एवं अरहर की राशि श्री रूपकिशोर मिर्धा के नाम लिखने के संबन्ध में।

रबी 81 में अलवर कोल्ड स्टोरेज से रूपकिशोर मिर्धा द्वारा बिक्री किये गये चना और अरहर की बोरियों का हिसाब मिर्धा द्वारा पेश नहीं करने पर श्री मिर्धा को निम्नानुसार बकाया की चार्जसीट दी गई :-

(1) चना बोरी 999	वजन 949.05	दर 389.40	राशि	3,69,560.07
(2) अरहर बोरी 206	वजन 195.70	दर 315.26	राशि	61,616.38
				4,31,256.45

श्री मिर्धा द्वारा उपरोक्त का हिसाब पेश नहीं करने पर संलग्न नोट शीट के पैरा नं. 25 पर उपरोक्त राशि को मिर्धा के नाम लिखने की स्वीकृति दी गई। उपरोक्त राशि में से 51 बोरी अरहर की राशि 47,850.00 रु. चार्ज शीट देने से पहले ही जमा हो गई थी जिसको अरहर बिक्री खाते जमा कर लिया गया था। अतः अब शेष राशि (4,31,256.45 — 47,850.00) 3,83,406.45 मार्केटिंग खाते जमा करते हुए श्री रूपकिशोर मिर्धा के नाम लिखे जावें। यह प्रविष्टि वर्ष 82-83 में की जावें।

ह०

महाप्रबन्ध (वित्त)

(454)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०, जयपुर

नकल वाउचर

वाउचर न. 228 दिनांक 30-6-83

		रुपये पैसे
नाम श्री रूप किशोर मिर्धा खाते		3,83,406. 45
	योग	3,83,406.45
मार्केटिंग शाखा खाते जमा		3,83,406.45
	योग	3,83,406.45

विवरण चना एवं अरहर रबी का अलवर शीतागार से बिक्री की राशी श्री मिर्धा के नामे लिखी गई

रकम शब्दों में तीन लाख तियासी हजार चार सौ छः रुपये पैंतालिस पैसे

लेखाकार लेखा अधिकारी/मैनेजर(वित्त एवं लेखा)

आडिट रिपोर्ट की प्रति

D. R. JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Dated : 31 Jan. 1984

The Chairman,
Rajasthan State Cooperative
Markating Federation Ltd,
JAIPUR.

Sub. : Report on Audit of Account of the Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd., for the year ended 30th June, 1982.

Dear Sir,

We have audited the consolidated Balance Sheet of the Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd., as at 30th June, 1982 and Trading & profit and Loss Account for the year ended on that date and report that :—

1. We have been appointed for carrying our the audit for the year 1981-82 ending on 30th June, 1982 where as the accounts for the accounting year 1975-76 to the year 1980-81 are still under audit. on review of the opening balance we have noted discrepancies in the accounts of Debitors. Creditors, Liabilities, Advances and Banks. The balance in a number of these accounts remained in-operative and reconciliations are pending, We have dealt with some of these items in later paras. with the effort of the management, the transactions of the current year were properly maintained at reasonable level of accuracy. However, the closing balances appearing in the balance Sheet are sqnstainally comprised by the opening balances.

2. Further to para (1) wc have noted in course of our examination that the balance listedin Annexure A-I & A-II amounting to Rs. 5469699.27 Dr. and Cr. Rs. 1502440.32 in relation to the parties mentioned therein are figuring the same as they were at the commencement of the year. The books show no transaction/reconciliation/settlement with these parties. No confirmation of the balance has' been received from the parties. On reconcilation a number of adjustments would be needed.

(ii) Advance to staff include account due from the members who are presently not in the service of the Federation. From the outstanidngs, it appears that these amount would have been paid for expenditure for which accounts are either not rendered or if rendered have not been adjusted in the books.

(iii) The balances with banks are in respect of a number of bank accounts. The bank accounts listed in Annaxure 'B' having Rs 23015172.63 Dr. and Rs. 24042006.77 Cr. (though disclosed in B/S as Net of debits) as per Federation books have not been reconcilled with the books of the bnkers. Since these are appearing without any transaction

and reconciliation is pending(even Bank Balance certificate is not available), we have reasonable doubt about the balances with these banks. However, the current year transactions are duly reconciled.

(iv) (a) Debtors also includes old dues receivable from Cooperative Marketing Societies for fertiliser Supplies to the tune of Rs. 425 Lakhs (Approx) The Federation has represented to the State Government that this liability is not attributable to the Federation and should be recovered from the societies. In the, liabilites loan from the Agriculture Deptt. Rs. 24251368.82 is a appearing against these dues.

(b) Apart from the dues stated in the foregoing paras there is long outstanding for supply of pesticidies also in Societies. The bills of current suppliers are also lying unpaid. Norms for credit supplier are not framed,

(v) Difference in inter unit reconciliation is Rs. 2462899.00 besides the difference of Rs. 30,58649.00 in old sugar depots. The difference is mainly due to non-reconciliation in previous years and during the year also it is not completely reconciled. On reconciliation this may result in further adjustments in the disclosed results.

(vi) Assets included the following accounts which should have been adjusted by scrutiny and reconciliation. The nature of these accounts are such that on reconciliation these may enclarge the size of difference;

1. Stock shortage	Rs. 33,306
2. Bardana Punar Dharan	33,192
3. Un-adjusted accounts	99,547
4. Diff. in trial balance	3,71,474

Item No. 4 includes a sum of Rs. 11.533 being the difference in trial balance for the current year. on tally this may further effect the results show in P & L accounts.

(vii) Debtors also include a sum of Rs. 105536.41 being the amount appearing as debit balance in H. O. for respective Depotes, in ablence of accounts of these depats. the assets and liabilities are not finally marged in the accounts. Further to this the debotrs of other depots need review from the view point of recovery. This has been explained in Annexure- 'C'

(viii) In the P & L account against the interest liability of Rs. 49 50 Lakhs on margin money of Rs. 6 Crores from the Government provision of Rs. 26,44,375/- has only been made.

(ix) Claims against the Government in respect of margin money Rs. 2,00,152 and Pool Fertiliser loss claim Rs. 2141722 is carried forward form earlies years and still lying unsettled with the authorities Loans and advances in respect of building construction Rs. 2,11,874 is for work already completed and in use of the Federation. The final adjustment in accounts has not been carried out.

Like debtors in assets, liabilities also include creditors having no operative accounts (listed in Annex. 'A'). Further other creditors include the following items coming from earlier years :

suspence Account.	Rs. 11,49,604.00
Trial balance Difference	15,506.00

Against the Sugar price equalisation fund account there are debit balances in sugar depots Rs. 30,58,659 and Societies Rs. 32,29,405.

(i) We have not been supplied with the physical verification reports forming basis of the closing stock of Rs. 1,67,33,184.

(ii) Proper records in respect affixed assets has not been maintained and physical verification of these assets has also not been dome.

(iii) During the year there has been a mis-appropriation of cash Rs. 43,536 in respect of supply of gas cylinders by the employees. No provision in accounts to meet the loss has been made.

(iv) Assets include the cost of potatoes Rs. 3,31,334 dealt in joint venture with Kota Co-operative Marketing Society. The account has not been adjusted with the sales and residue profit/loss of the transaction.

Subject to out above comments, we further report that :

(a) We have obtained all the information and explanatic which to the best of our knowledge and belief were nec ssary for purpose of our audit.

(b) In our opinion proper books of Accounts as require by rules have been maintained so for as appears from ot examination of the book.

(c) The balance sheet and Trading profit and loss Accoun are in agreement with the books of accounts.

(d) Io our opinion and to the best of our informat and according to the explanations given to us, the bal sheet gives a true and fain view of the state of affai the Federation as on 30th June, 1982 and in case Trading and Profit and loss account for the loss sustaine for the year ended on that date.

For D. R. JAIN & COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/–

(D. R. JAIN)

Proprietor.

——